राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 2] दसवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का चौबीसवां दिवस [संख्या: 15

शुक्रवार,
18 मार्च 1994

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही 11.00 बजे विधानसभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आप मुझे पहले बता दें कितने प्रश्न लेना चाहते हैं ताकि उसी हिसाब से चलूं।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : 10 प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : 10 लेने हैं तो फिर आप को आपरेट करेंगे मुझे।

श्री परसादीलाल मीणा : यस।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र कुमार मीणा।

नसीराबाद के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र एवं सिरेमिक उद्योग की योजना

412. **श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद):** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा नसीराबाद के आस-पास उपलब्ध क्वार्ट्ज व फ्लोस्पार खनिज पदार्थों की बाहुल्यता को दृष्टिगत रखते हुए खुरजा की भांति सामान्य सुविधा केन्द्र एवं सिरेमिक उद्योग हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रेषित की गई है ?

(2) यदि हां, तो कब व अब तक इसमें क्या प्रगति हुई ? वर्तमान में यह प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

(3) सरकार द्वारा इस योजना की मंजूरी के लिए क्या-क्या प्रयास कब-कब अब तक किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां।

(2) सिरेमिक उद्योगों के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र की प्रोजेक्ट रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2-7-91 को विकास आयुक्त (लघु उद्योग), नई दिल्ली को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई थी। निदेशक, ग्लास एवं सिरेमिक विकास, आयुक्त कार्यालय, नयी दिल्ली ने दिनांक 1-4-92 को राज्य सरकार को सूचित किया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है, अतः इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर विचार करना सम्भव नहीं है।

(3) राज्य सरकार इस योजना के प्रस्ताव भेजने के पश्चात् योजना के अनुमोदन हेतु पत्र दिनांक 7-8-91, 2-11-91, 7-1-92 तथा शासन सचिव, उद्योग विभाग, जयपुर ने अ. शा. पत्र क्रमांक एफ. 1 (11) खण्ड/2/91, दिनांक 11-3-92 द्वारा इस योजना के शीघ्र अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार को अनुरोध किया गया एवं प्रकरण पर पुनः विचार करने का अनुरोध

(२)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
भी 21-7-92 को किया गया किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह एक नमूना है कि लालफीताशाही के कारण बड़ी मुश्किल से जो प्रस्ताव तैयार हो पाते हैं और अन्त में उनका क्या हश्र होता है। मैं, मंत्री महोदय, आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि यह योजना 1990-91 में नहीं बल्कि 1984 में स्वयं भारत-सरकार का जो लघु उद्योग संस्थान है जयपुर में उसके द्वारा तैयार की गयी और उस योजना को आपके उद्योग विभाग ने, इसका पत्र आपको पढ़ कर बताना चाहूँगा कि किस तरह से इन प्रस्तावों का हश्र होता है, क्या आश्वासन दिये जाते हैं और उनका क्या अंजाम होता है। आपकी अनुमति से, अध्यक्ष महोदय, मैं यह पत्र पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा तो यह होगा आप इन्हीं से पूछ लेते उद्योग विभाग का पत्र....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं छोटी-सी बात ही बता रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, यह पत्र उद्योग निदेशक द्वारा 6-9-84 को लिखा गया है और इसमें मुझे अवगत कराया गया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना की क्रियान्विति का प्रस्ताव रखा जा रहा है। अभी आप कह रहे हैं आठवीं में भी नहीं आया, यह सातवीं 84 से कह रहे हैं कि हम इसको रख रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने हेतु कार्यकारी दल की बैठक जारी है जसमें इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा मेरा दुख आप समझ सकते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना पूरी की पूरी निकल गयी और अजमेर जैसे पिछड़े जिले को जिसमें इतना विपुल साधन है क्वार्ट्ज व फ्लोस्पार का उसका उपयोग नहीं हो रहा है। अभी मुख्य मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में कहा था कि हम हमारे खनिज बाहर नहीं जाने देंगे उसका यहीं फिनिशिंग करा के माल भेजेंगे। खुर्जा में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमारे यहां जो कुम्हार हैं या पोटरीज में लगे हुए लोग हैं उनको एक कॉमन हॉल बना कर दिया जाता है उसमें हर कुम्हार जाकर अपने मिट्टी से बरतन बना सकता है, चाइना क्ले के कप हैं, प्लेट हैं और दूसरी चीजें वह बना सकता है इसके लिए यह प्रस्ताव था। शुरू में प्रस्ताव केवल 20 लाख रुपये का था आज बढ़ते-बढ़ते इसकी यह हालत हो गयी है, मंत्री महोदय, मैं इस चिट्ठी के साथ-साथ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ 20-11-84 को जो आपके डायरेक्टर ने लिखी है जिसमें इस बात को इन्होंने आगे बढ़ाया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ भारत सरकार को योजना इन्होंने 13-3-86 को भेजी है, 1991 में या 90 में नहीं। निदेशक, उद्योग ने 13-3-86 को अपने लैटर के मार्फत यह योजना भारत सरकार को भेजी थी और मुझे खुशी है कि 13-3-86 के लैटर का भारत सरकार ने 30-4-85 को त्वरित गति से इस योजना के बारे में अजमेर के सम्बन्ध में अपना आंकलन दिया कि पोटरी रिसर्च सेन्टर की स्थापना करने के

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

प्रश्न पर खान विभाग, राजस्थान सरकार तथा केन्द्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता के साथ विचार-विमर्श कर के जांच की गई। राजस्थान सरकार इस क्षेत्र में इस केन्द्र में स्थापना करने की आवश्यकता का औचित्य देते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और इस प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए विभाग को अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ ही मैं एक और लैटर उद्धृत करना चाहूंगा जो साइन्स एण्ड टैक्नोलोजी विभाग ने इनको लिखा है, क्योंकि इससे भी इसकी जांच करायी गयी थी। श्री अरुण शाही, अपर सचिव, साइंस एण्ड टैक्नोलोजी, भारत सरकार को इन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, राजस्थान सरकार के उद्योग निदेशक को हमारे विचार में आपका प्रस्ताव आकर्षक है और यह विभाग इस अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का समर्थन करता है। इस अनुसंधान केन्द्र के स्थापित हो जाने पर यदि इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान पर कोई विशिष्ट अनुसंधान परियोजना हो तो यह प्रस्ताव इस विभाग को भेजा जाये।

अध्यक्ष महोदय, इन दो चिट्ठियों के बाद मैंने भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मन्त्री श्री वेंगल रावजी को एक चिट्ठी लिखी थी उन्होंने मुझे जवाब में लिखा-As Indicated in your letter dated........ ......the proposal was examined in consultation with the Government of Rajasthan and the Central Quartz and ceramic Research Institute. The Director of Industry, Rajasthan, was also advised to prepare detailed report giving justification for setting up such a centre and forward the same to Department of Science and Technology for further examination." यह सारी चीजें पूरी होने के बाद आज मुझे यह जवाब मिल रहा है कि चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना बन चुकी है इसलिए अब इस प्रस्ताव पर हम आगे कोई कार्यवाही करने में असमर्थ हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका सहयोग चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार के प्रस्तावों पर हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद एक इतना अच्छा प्रस्ताव पिट जाता है इसके लिए मुझे बहुत दुख है...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मंत्रीजी; आप केवल लैप्सेज बताइये। देखिये, मामला बहुत गम्भीर है, इसमें कोई शक नहीं है। यह लैप्सेज कहां हुआ है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय; नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है मैंने भी इसकी पूरी विस्तृत बातचीत और विस्तृत पत्रावली देखी है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां-जहां, इस यूनिट को स्वीकृत होने में, पत्र के परसुएशन में किसी प्रकार की सुस्ती पायी गयी हो, देरी की गई हो उसकी मैं निश्चित रूप से जांच कराऊंगा।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात साफ है कि सन्

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

1984 से यह सब पत्र व्यवहार चलता रहा किन्तु असल में जिस समय इसकी मेच्योरिटी हुई, मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं 26-6-90 को जहां से हम पिक्चर में आ गये सीधे-सीधे निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान से उद्योग निदेशालय में प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई तब तो चर्चा चल रही थी कि यह बहुत अच्छा है, यह तो उस समय यह योजना बनी, 2 करोड़ 48 लाख रुपये की बनी, देखने के बाद यह देखा गया कि इतना पैसा केन्द्र से नहीं मिलेगा तो उनको कहा गया इसको रिवाइज करो तो 6-9-90 को उन्होंने इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रिवाइज कर के राज्य सरकार के पास अपनी टिप्पणी देने के लिए भेजा कि आपको क्या कहना है, इस प्रकार कि जानकारी राज्य सरकार को दिल्ली केन्द्र के संस्थान ने जो जयपुर में स्थित है, हम को दी।

21-11-90 को हमारी टिप्पणी उनके पास चली गयी। हमारी टिप्पणी के आधार पर 21-11-90 की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को संशोधित करके 15-4-91 को हमको उन्होंने दे दिया। यह दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात् 17-5-91 को हमने दिल्ली भेज दिया। 2-7-91 को उन्होंने कहा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना बन गयी है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य को क्योंकि इसमें जितना पैसा है, यह एक करोड़ पांच लाख का इसमें धन है उसमें 61 लाख केन्द्र सरकार का योगदान है और हमारी 43 लाख 24 हजार पहले साल में है और फिर रेकरिंग एक्सपेंसेज 5 साल तक केन्द्र सरकार देगी। मैंने आपको प्रश्न के उत्तर में बताया कि इस बीच के समय में जब से नयी सरकार आयी 1, 2, 3, 4, 5 पत्र लिखे, 3 मीटिंग्स हुई और अन्त में हमारे सचिव ने स्पेशली कहा कि आप रिकंसीडर करिये, किन्तु उसके बाद में मैंने कह दिया। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपको कि अब उद्योग विभाग इस पर निश्चित रूप से कार्य करेगा, फिर परसुएशन करेगा और अगर वही कहेंगे तो नवीं पंचवर्षीय योजना की दृष्टि से प्रयत्न किया जा सकता है। इसके बारे में सिर्फ एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यह जो रा-मैटीरियल मिल रहा है, नयी सरकार आने के पश्चात् इस रा-मैटीरियल की दृष्टि से कुछ तो पुराने उद्योग थे, कुछ नये और लगे हैं भिवाड़ी में, कोटा, 4 दिन पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी उसका श्री गणेश करके आये हैं। हम इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि जो रा-मैटीरियल है इसका पूरा उपयोग हो जावे। इस रा-मैटीरियल के साथ मिट्टी चाहिए और फ्यूल चाहिये फ्यूल भिवाड़ी में अच्छी तरह उपलब्ध हो जाता है, कोटा में उपलब्ध हो जाता है, उन फैक्ट्रीज का निर्माण वहां हो रहा है। यह बात सच है कि अगर वह योजना मंजूर हो जाती है, केन्द्र मंजूर कर देगा तो काटेज इण्डस्ट्रीज को डवलप होने में बहुत बड़ा चांस मिल सकता था जिससे राजस्थान की सरकार महरूम रही। मैं फिर माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां-जहां लैप्सेज रहेंगे राज्य सरकार उसकी निश्चित रूप से जांच करायेगी और दोषी अधिकारियों द्वारा इसमें किसी प्रकार के लैप्सेज रहे हैं उनके विरुद्ध एक्शन लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नहीं, अध्यक्ष महोदय, अब जांच कराने से तो इण्डस्ट्रीज तो लगने वाली नहीं हैं। मैं तो माननीय मंत्री महोदय से यह चाहता हूं कि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसमें कुछ करटेल करके, छोटे पैमाने के ऊपर भी, आप खुरजा पधारें कभी और वहां जाकर देखें कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर कम से कम एक लाख लोग इस धन्धे में लगे हैं। हमारा सारा माल या तो गुजरात जा रहा है या मध्य प्रदेश जा रहा है या हरियाणा जा रहा है, तीन जगह जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं एक-दो करोड़ रुपया, आपके इस बजट में से निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपने स्तर से ही इस सुविधा केन्द्र को आरम्भ कर दीजिए। हमारे जो पार्टी के लोग हैं कुम्हार और दूसरी जाति के लोग हैं जो इस धंधे में लगे हुए हैं, आपको बहुत-बहुत आशीर्वाद देंगे, क्योंकि नहीं तो यह फिर जायेगी नवीं पंचवर्षीय योजना में।

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराजजी !

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या अजमेर जिले में ब्यावर ही ऐसा क्षेत्र है जहां के आस-पास क्वार्टज फ्लोस्पार माइन्स हैं और बॉल मिल्स हैं और सरकार द्वारा 1700 बीघा जमीन सरमलिया में इस उद्योग लगाने के हेतु देने का प्रस्ताव था ? यह बताने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य जितने एकड़ की बात कर रहे हैं वह तो कुछ है नहीं, 4.5 एकड़ भूमि उसके अतिरिक्त भवन, ट्रांसफार्मर ट्यूब वैल आदि पर होने वाली जो 43 लाख की राशि थी उसकी हमने व्यवस्था की थी, किन्तु केन्द्र की व्यवस्था नहीं आने के कारण मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, रा-मैटीरियल तो है, यह बात भी सच है कि अभी केवल 5 परसेंट रा-मैटीरियल का उपयोग कर पा रहे हैं, किन्तु काम करने के लिए फ्यूल बहुत आवश्यक है इसलिए इसी सन्दर्भ में माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर निश्चित रूप से विचार करूंगा, अधिकारियों के साथ बैठूंगा और क्या इसमें किया जा सकता है वह करने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी !

राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण

413. **श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के राज मार्गों पर अधिकांश वृक्ष खातेदारी भूमि पर लगे हुए हैं ? यदि हां, तो किस-किस राजमार्ग पर कहां-कहां, किस-किस की खातेदारी की भूमि पर यह वृक्ष लगे हुए हैं ? काश्तकार का नाम, तहसील, ग्राम व कितनी खातेदारी भूमि में यह पेड़ लगाये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नाथूराम अहारी)

(2) क्या यह सही है कि इन काश्तकारों को, जिनकी जमीनें इस क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं, मुआवजा नहीं दिया है? यदि हां, तो इन काश्तकारों को जिनकी जमीनें इस क्षेत्र के अन्तर्गत आयी हैं मुआवजा देने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) जी नहीं। राज्य के राजमार्गों पर राज्य सरकार द्वारा खातेदारी की भूमि पर वृक्ष नहीं लगाये गये हैं।

(2) खातेदारी भूमि पर वृक्षारोपण नहीं होने के कारण मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नाथूराम अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने पहले और दूसरे प्रश्न में साफ मना कर दिया है कि यह पेड़ नहीं लगाये गये हैं लेकिन पूरे राजस्थान में....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : खातेदारी की भूमि में?

श्री नाथूराम अहारी : हां, खातेदारी की भूमि में।

श्री अध्यक्ष : आप सुनिए। यह आप ... करिए। यह मत कहिए कि लगे हुए हैं।

श्री नाथूराम अहारी : लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : तो इसका निर्णय यहां हो गया। यह तो कोई सवाल नहीं हुआ। आप कोई और सवाल करिए।

श्री नाथूराम अहारी : बिलकुल मना कर दिया।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने मना कर दिया वह सही कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि लगे हुए हैं मैं क्या करूंगा? यह हाउस क्या करेगा? अब यह सारा हाउस मौका देखेगा क्या? आप कोई दूसरा सवाल पूछिए। इसी सम्बन्ध में कोई दूसरा सवाल हो तो पूछिए।

श्री नाथूराम अहारी : खातेदारी जमीन के लिए आपने मना कर दिया है लेकिन लगे हुए हैं। जहां-जहां जिस रोड पर भी लगे हुए हैं, आप इसका सर्वे कराइये। कब तक यह निर्णय करेंगे कि....

श्री अध्यक्ष : वह तो मना कर रहे हैं।

श्री नाथूराम अहारी : खातेदारी का इस जमीन का मुआवजा कब तक देंगे? यह मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष : आप, मंत्रीजी, बता दीजिए हो गया अब यह तो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सब वर्षों में 50-50 लाख रुपये जमीन के मुआवजे के देखने के लिए हमने रखा हुआ है। जो प्रार्थना-पत्र हमारे पास आते हैं कि सड़क के आस-पास जो जमीन हमने ली है उसके कोई पेंडिंग मुआवजे के हो तो उनको पेमेंट करते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, मेरी जानकारी में खातेदारी में कहीं भी कोई पेड़ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट! श्री शिवकिशोर सनाढ्य। 10 सवाल लेने हैं, यह तय हो गया हाउस में पहले। आप बैठिए। मंत्रीजी

(श्री अध्यक्ष)

बोलिए। तय हो गया, 10 सवाल लेने हैं। अब पूछिए, तय हो गया। आप बैठिए, अब हो गया। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : प्रश्न संख्या 414. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय कन्हैयालाल जी मीणा। कृपया विराजिए। क्या एक बात बतायेंगे। मंत्रीजी बोलिए। आप बैठिए, प्लीज सिट डाउन। I don't allow. I have taken the consent of the whole House and I will take 10 questions. आपकी अब नहीं सुनूंगा, मैंने पूरे हाउस की पहले कन्सेंट ले ली है।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : तो ठीक बात है, साहब।

श्री अध्यक्ष : तो आप जाइये। प्लीज सिट डाउन। Don't argue with me. हां चलिए, जवाब दीजिए मंत्रीजी।

उदयपुर जिले की झीलों के किनारे अनधिकृत कब्जे

414 **श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विगत एक वर्ष में उदयपुर की पेयजल स्रोत यथा पिछोला फतहसागर एवं स्वरूप सागर की झीलों के किनारे अनधिकृत कब्जे हुए हैं? यदि हां, तो यह कब्जे किन-किन व्यक्तियों के हैं और प्रशासन इन्हें हटाने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी): जी हां। विगत एक वर्ष में मात्र फतहसागर के किनारे एक अनधिकृत नाजायज कब्जा हुआ है। यह अनधिकृत कब्जा श्री पन्ना लाल पिता मुरलीधर के द्वारा किया गया गया है। इसके विरुद्ध राजस्थान नगर सुधार न्यास, 1959 की धारा 92-ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल पिछोला और फतहसागर के सन्दर्भ में मैंने प्रश्न किया है। आपने कहा है एक साल में तो एक आदमी का कब्जा हुआ है और उसके पहले के जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, उस बात को इन्होंने गायब कर दिया। वह सब फतहसागर की झील पर हैं। एक साल में तो एक आदमी का कब्जा हुआ लेकिन उसके पहले के कितने कब्जे थे यह मेहरबानी करके कम से कम आप बताते। पिछोला में आपने कहा कोई कब्जा नहीं है। इसी विधान सभा में माननीय मंत्रीजी ने मुझे उत्तर दिया था कि 13 लोगों के कब्जे हैं पिछोला की झील पर और उनको हटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि इस पिछोला पर जिनके होटल्स बने हैं इन सब लोगों ने उस पानी के अन्दर पत्थर डालकर झील की जमीन पर कब्जे कर रखे हैं, वहां पर कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने इस झील की भूमि पर कब्जा कर रखा है एक फतहसागर (व्यवधान) मेंआप नाम चाहेंगे तो मैं नाम भी ले दूंगा, मैं नाम भी बता दूंगा आपको। (व्यवधान) दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक एडवोकेट का फतह-

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

सागर पर कब्जा है, एक डाक्टर का कब्जा है, इस तरीके से पिछोला और फतहसागर की झील के जमीन के ऊपर कई लोगों के कब्जे हैं और आप कह रहे हैं कि एक साल में केवल एक आदमी ने कब्जा किया है। होटल का वहां पर हाईकोर्ट में केस चल रहा है, एक होटल वाले को नोटिस दिया हुआ है और आप कह रहे हैं न पिछोला पर कब्जा है किसी का, न फतहसागर का कब्जा है। केवल एक का है। मैं जानना चाहता हूं कि उन लोगों के नाम बतायें जिनके पहले से 13 कब्जे पिछोला के ऊपर हैं और उनके नाम बतायें जिनके पहले से फतहसागर के ऊपर कब्जे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे यह सवाल तो मेरे से सम्बन्धित था और आपने राजस्व मंत्रीजी के जिम्मे लगा दिया और आपने यह पूछा....

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में बोल रहा हूं, माफी चाहता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं जब मैंने इरिगेशन मिनिस्टर से पूछा था तो उन्होंने कहा यह राजस्व का मसला है यह मेरे से नहीं पूछा जाना चाहिए और आपका तो केवल उस पानी पर अधिकार है जो हमें पिलाते हैं, न तो उस पानी में आप नाव चला सकते हैं, न उस के जमीन ऊपर....

श्री अध्यक्ष : बैठिये। नगर परिषद् की बात है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं कह रहा हूं नगर परिषद् का कोई अधिकार नहीं है उस पर।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, नहीं। मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं फिर भी इसका उत्तर दे रहा हूं। यह जो प्रश्न आया है। आपने पूछा क्या विगत एक वर्ष में। आपका जो प्रश्न है वो केवल एक वर्ष के लिए है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : जी हां।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका यह कहना सही हो सकता है कि विगत वर्षों में कुछ लोगों ने कब्जे जरूर किये होंगे, आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी जो प्रश्न है वो केवल एक वर्ष का पूछा था इस लिए एक वर्ष की स्थिति आपके सामने रखी है। लेकिन आपने एक वर्ष का पूछ लिया और इसलिए सरकार कुछ नहीं करना चाहती है, मैं यह नहीं कहना चाहता। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि जिन लोगों ने कब्जे किये हैं, जो अनधिकृत कब्जे हैं, उनके लिए कानूनी कार्यवाही करके उनको बेदखल करने के लिए हम निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्षजी, यह जो बात कही गयी है यह आज से नहीं 1990 में जब मैं एम.एल.ए. बना था तब से सरकार इस बात को कह रही है। क्या वह अनधिकृत कब्जे हटाये जायेंगे ? लेकिन तब से लेकर आज तक उनको कोई नहीं हटा पाया। वह इतने प्रभावशाली लोग हैं कि सरकार उनके सामने निष्प्रभावी सी हो गयी है और वह लोग कब्जा किये हुए बैठे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि पहले किसी जमाने में जब यह सूख जाता था, खेती करने के लिए कुछ लोगों को अधिकार दिये हुए थे, उन लोगों ने अपने अधिकार मानकर उनमें बाड़ियां

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

बना लीं। यह जो पानी की समस्या पैदा हुई है कुछ लोगों ने उसमें कचरा डाल-डाल कर, मिट्टी डाल-डालकर, यानी उस पर भराव डालकर उसकी जमीन निकाल कर उनके उपर अपने कब्जे कर लिये और सरकार, यू.आई.टी. और नगर परिषद् मूक दर्शक रही। इरिगेशन वाले कहते हैं हमारा अधिकार नहीं है, वाटर वर्क्स वाले कहते हैं हम तो केवल पानी देते हैं इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, राजस्व वाले कहते हैं कि ये जानें। यह इस तरीके से फतहसागर और पिछोला....

श्री अध्यक्ष : अब आप देखिए, डिस्कशन से यह निकलेगा नहीं। माननीय मंत्रीजी, इनको समयावधि दे दीजिये कब तक हटा देंगे, क्योंकि 1990 से कह रहे हैं। आप बैठिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य: कब तक हट जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। श्री टीकम चन्द जी अब आप....

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपको पता चला कब्जे हटे नहीं, आप भी कर लो।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष :आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : उससे यह बात लगती है कि जिस भू-खण्ड पर या जहां कब्जे हैं उसमें दो-तीन विभाग सम्मिलित हैं। मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और हमारा विभाग तीनों मिलकर इसमें जो हटाने की कार्यवाही हो सकती है...

श्री अध्यक्ष : दुबारा इनको प्रश्न करने का मौका नहीं मिलना चाहिए।

श्री भंवर लाल शर्मा :- हां, यही कोशिश होगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

राज्य विद्युत मण्डल का घाटा कम करने के उपाय

415. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का घाटा कम करने, व्यवस्था सुधारने, उत्पादन व दक्षता बढ़ाने के लिए इस मण्डल को विभाजित कर उत्पादन व वितरण के लिए दो अलग स्वतंत्र इकाइयां बनाने का विचार रखती है ?

(2) यदि नहीं, तो घाटा कम करने के क्या उपाय प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री रघुवीर सिंह कौशल):

(1) अभी तक ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्ष 1993-94 में राज्य में मांग व पूर्ति में अन्तर लगातार बढ़ता जा रह

(10)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

है, जिसे मण्डल अपने निजी उत्पादन स्रोतों से पूरा करने में असमर्थ है। अतः राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए अन्य स्रोतों से विद्युत क्रय करके इस अन्तर की पूर्ति की जाती हैं जो कि राज्य के विद्युत स्रोतों से प्राप्त विद्युत से काफी महंगी होती है। जिस पर वर्ष 1993-94 में अनुमानित व्यय की तुलना में 152.21 करोड़ रुपया अधिक व्यय होने का अनुमान है। बाह्य स्रोतों से महंगी दर पर खरीदी जाने वाली बिजली के अतिरिक्त घाटे के मुख्य कारण केन्द्र सरकार द्वारा कच्चे माल की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि, विद्युत कर्मियों के वेतन तथा भत्तों के बढ़ते भार, बिजली की अनार्थिक दरों से उत्पन्न आय एवं व्यय के असन्तुलन व ऋण पर ब्याज की दरों में वृद्धि आदि है। सरकार व विद्युत मण्डल इस मामले में सजग है तथा घाटे को कम करने के लिए निम्न उपाय किये जा रहे हैं :-

(i) राज्य सरकार से 623.09 करोड़ रुपये के राजकीय ऋणों को राज्य सरकार की विद्युत मण्डल में हिस्सा पूंजी में परिवर्तित कर लिया गया है, जिसके फलस्वरूप विद्युत मण्डल को राज्य सरकार को देय ब्याज की देनदारी में करीब 52 करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष की कमी हुई है। विद्युत मण्डल से प्राप्त और ऋण को हिस्सा पूंजी में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव का अध्ययन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(ii) राज्य सरकार ने विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 63 के अन्तर्गत वर्ष 1991-92, 1993-94 में विद्युत मण्डल को अनुदान दिया है।

(iii) कोटा तापीय विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करके क्रय की जाने वाली विद्युत में कटौती की जा रही है (चालू वर्ष के अन्त तक विद्युत गृह का प्लान्ट लोड फैक्टर 80% की कीर्तिमान स्तर तक पहुँच जाने की सम्भावना है।)

(iv) संस्थापन लागत को प्राप्त राजस्व की तुलना में बराबर कम किया जा रहा है। (वर्ष 1987-88 में 26.12 प्रतिशत थी जो 1993-94 में घटकर 16.67% रह गयी है। जिसे और कम करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।)

(v) नवीन 220 के. वी. व 132 के. वी. लाइनों व विद्युत उपगृहों का निर्माण कर तथा वर्तमान विद्युत उप चौकियों की भार क्षमता में वृद्धि करके प्रसारण तन्त्र को मजबूत किया जा रहा है, ताकि मण्डल को विद्युत प्रसारण और वितरण से होने वाली क्षति को कम किया जा सके।

(vi) क्रम शक्ति के ट्रांसफार्मर जिनकी वर्ष 1991-92 में कुल संख्या 7800 थी, वह अब लगभग 11000 हो गई है। यह पुराने ट्रांसफार्मरों की मरम्मत एवं कुशल प्रबन्ध के कारण सम्भव हुआ है।

(vii) विद्युत चोरी व अनियमितताओं पर अंकुश के लिए सतर्कता दस्तों द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

(viii) बकाया राजस्व की प्राप्ति के लिए एक तंत्र का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा बकाया राजस्व की वसूली तीव्र गति से करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

(ix) छः शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व बीकानेर तथा सात वितरण वृत्तों सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, अलवर, भरतपुर, व जयपुर जिला वृत्त के लिए तन्त्र सुधार योजना का निर्माण कर प्राथमिकता दी जा रही है।

(x) 33/11 के. वी. उप चौकियों पर 3.15 एम. वी. ए. के ट्रांसफार्मर ही लगाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है, ताकि इस मद में होने वाली हानि को कम किया जा सके।

(xi) ऊर्जा ह्रास के क्षेत्रों को पता लगाने के लिए हानि को कम करने हेतु ऑडिट एनर्जी तंत्र को लागू किया गया है

(xii) उपभोक्ता के परिसर में लगे मीटरों की नियमित जांच, दोषपूर्ण मीटरों का यथा शीघ्र परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह सारे घाटे कम करने के उपाय आपके मंत्री बनने के पहले के हैं। आपने मंत्री बनने के बाद घाटा कम करने के क्या उपाय किये, वह मैं जानना चाहता हूं। घाटा कम करेंगे, मुझे उम्मीद है। मैं स्पष्ट तौर से आपसे कुछ इस संबंध में बातें कहना चाहता हूं कि एक तो बिजली चोरी की जो बात आपने कही है कि हम बिजली चोरी की व्यवस्था कर रहे हैं इसके लिए क्या आप जहां से बिजली जाती है उस पाइन्ट पर कोई मीटर लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि आपको यह पता लगे कि 20 कुओं पर 50 कुओं पर जो बिजली जा रही है, कुल कितनी बिजली गई और कुल कितनी बिजली उपभोक्ताओं के वहां खर्च हुई ? उन मीटरों मे आपको दोनों का जो अन्तर होगा, आपको बिजली चोरी का पता लगेगा। क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था आप करने जा रहे है ?

दूसरा मेरा सवाल है कि क्या आप फ्लेट रेट, जैसे आपने कृषि पर लागू की है, उद्योगों पर भी की है और जो बडे डोमेस्टिक यूजर्स हैं, कामर्शियल यूजर्स हैं उनके ऊपर भी इस तरह से फ्लेट रेट लागू करने से जो आपको हानि होती है, उसको पूरा करने की आप कोशिश कर रहे हैं ?

तीसरा मेरा आपसे प्रश्न है कि बहुत बडी संख्या में आपके यहां उपकरण खरीदे जाते हैं, मशीनरी खरीदी जाती है, खासतौर से ट्रांसफार्मर। आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके यहां जो सामान खरीदा जाता है, बल्क में खरीदा जाता है, उस सामान को वास्तव में आपके विभाग को, बोर्ड को उसकी आवश्यकता है या नहीं। आप उदाहरण के तौर पर चैकिंग करवा लें कि गत पांच साल में कितना माल आया और उस माल की आवश्यकता थी या नहीं और वह माल कब काम में आया। बगैर मतलब का बहुत सा सामान निजी स्वार्थ के लिए लोग खरीद लेते हैं, वह पड़ा रहता हैं, बेकार जाता है और उसके बाद जब काम में आता है तो जल्दी खराब हो जाता है। इस सम्बन्ध में आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ? कृपया बताने की कृपा करें। अभी आपने दो-तीन योजना घाटा कम करने की बतायी है। इसमें आपने बताया कि तन्त्र

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

सुधार योजना लागू कर रहे हैं। वह तंत्र सुधार योजना क्या है ? कृपया बताने की कृपा करें। इसी तरह से राजस्व प्राप्ति के करोड़ों-करोड़ों रुपये जब आप सदस्य थे तब आपका भी आरोप रहता था कि जो बड़े घराने हैं उनसे पैसे आर. एस. ई. बी. वाले वसूल नहीं करते। यहां कई बार यह अंक भी आये हैं कि इतने-इतने करोड़ रुपये इन इन कारखानों वालों में, बड़े लोगों में बकाया हैं। उस पैसे को वसूल करने के लिए आपने लिखा है कि कोई तंत्र विकसित कर रहे हैं। कृपया बताने की कृपा करें कि वह तंत्र क्या है और आपने अब तक क्या वसूली की ?

श्री अध्यक्ष : आप दस सवाल और पूछ लेगें तो न तो मुझे याद रहेगा। आप एक सप्लीमेण्टरी, अब मैं किसी को एक, दो, तीन, चार नहीं पूछने दूंगा। आप एक सवाल पूछिये। मुझे खुद ही याद नहीं है, मंत्रीजी क्या जवाब देंगे ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर (पंचायती राज राज्य मंत्री) : यह आठवां सवाल था।

श्री अध्यक्ष : जब मैं खुद कंप्चर नहीं कर सकता तो मंत्रीजी को बाध्य नहीं कर सकता कंप्चर करने के लिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मंत्री जी नोट तो कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : जितने कंप्चर किये हैं उसका जवाब दे देंगे। वह जितना कंप्चर करेगे उतना जवाब दे देंगे उसके बाद यह शिकायत नहीं होगी कि मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं आये। जितना उनको याद होगा जवाब दे देंगे। आप बैठिये। जितना उनको याद होगा बता देंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य मुझसे कुछ आशाएं रखते है लेकिन उनको यह ध्यान होगा कि मंत्री बनते ही दूसरे दिन विधान सभा शुरू हो गयी जिसमें आपके क्वेश्चन की तैयारी करने में ही समय नहीं मिल पाता कुछ सोचने के लिए और 23 तारीख तक केवल मेरे कोई 16-17 क्वेश्चन हैं, ज्यादा नहीं हैं। मैंने माननीय सदस्यों से भी यह निवेदन किया था कि मैं यह चाहूंगा कि आपके अनुभवों का मैं लाभ ले सकूं और इसलिए घाटा कम करने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जायें जो चल रहा है उसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाये। इसके लिए मैंने माननीय श्री बुरडकजी, माननीय श्री गोविन्दसिंह जी और जो अनुभवी लोग हैं, ऐसे कई माननीय सदस्यों से मिलकर यह आग्रह और निवेदन किया था कि आप मुझे ऐसे सुझाव दें कि हम बिजली बोर्ड के घाटे को कम कर सकें और उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया है। मैं ऐसे अच्छे सुझावों को चाहता हूं कि डिविजनल प्लेसेज पर सतर्कता समितियां बनायीं जायें उनमें अधिकारियों के साथ में जनप्रतिनिधि रखे जायें ताकि वहां मानिटरिंग हो सके। ट्रांसफार्मर की बात जैसे आ रही है, ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं, अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। यह सतर्कता समितियां होंगी और यदि यह सतर्कता समितियां सफल रहीं तो माननीय सदस्य इसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगायेंगे। इसके लिए मैं आप सब से यह निवेदन करूंगा, वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से सुझाव आमन्त्रित करने के लिए बुलाऊंगा लेकिन मान लो मैं किसी को भूल

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

जाऊं, उनके पास कोई उत्तम सुझाव हों तो बिजली बोर्ड को अच्छा चलाने के लिए, इसका कुशल संचालन के लिए आप सब के सुझाव आमन्त्रित हैं। वैसे माननीय सदस्य मैं यह बता दूं कि इस बार बिजली बोर्ड तीन पर्सेंट प्रोफिट कमायेगा लेकिन यह प्रोफिट-प्रोफिट नहीं है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। पावर फाइनेंस कारपोरेशन लोन तभी देगी जबकि हमारे असेट्स पर तीन पर्सेन्ट प्रोफिट होगा और जो बोर्ड तीन पर्सेन्ट प्रोफिट नहीं बतायेगा, उसको लोन नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार सब्सिडी दे रही है, इसलिए अपना जो लोन है उसको हिस्से में बदल रही है। अभी भी 383 करोड़ रुपये की सब्सिडी जब मिलेगी, उसमें भी 55 करोड़ रुपये कम पड़ जाते हैं तो सरकार से निवेदन किया गया है और तीन पर्सेन्ट प्रोफिट तो आ जायेगा, कागजों में प्रोफिट आयेगा बोर्ड घाटे में नहीं रहेगा लेकिन वह प्रोफिट सरकार की सब्सिडी पर सरकार की अनुकम्पा पर है। मैं आप सब लोगों से यह निवेदन करता हूं कि ऐसे सुझाव दें कि उन सुझावों को ठीक ढंग से क्रियान्वित करके बोर्ड को असल प्रोफिट में लाया जा सके।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। (व्यवधान) अब आप सुझाव दे देना। आपका भी नाम लिया है। श्री परसादी लाल मीणा।

ऋण माफी योजनान्तर्गत कृषकों को ऋण माफी

416. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) श्री हरिसिंह (महुआ) एवं श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा किसानों को ऋण माफी योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि माफ की गई ? राशि का विवरण पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ऋण भरण राहत योजना में ऋण माफी करने के बाद भी विभिन्न बैंकों द्वारा किसानों की भूमि मुक्त नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री सुजान सिंह यादव) : (1) राजस्थान कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के अन्तर्गत कुल 326.14 करोड़ रुपये की राशि माफ की गई है। ऋण माफी योजना के तहत लेखे पंचायत समितिवार नहीं रखे जाकर बैंकवार रखे गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "एक" व "दो" में सदन के पटल पर रख दिया गया है। यदि माननीय सदस्य द्वारा किसी पंचायत समिति विशेष के लिए सूचना चाही जाएगी तो संकलित कर उन्हें उपलब्ध करवा दी जाएगी।

(2) जी, नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, वैसे तो यह सवाल फाइनेंस मिनिस्टर से ही पूछा गया था पर यदि को-आपरेटिव मिनिस्टर इसका जवाब दें तो मेरा सवाल सीधा सा था। सरकार द्वारा किसानों की ऋण माफी योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि माफ की गई ? मैंने

(श्री परसादीलाल मीणा)

भी बैंकों के लिए पूछा है। सवाल इस बात का है कि किसानों की ऋण माफी के बाद भी जो जमीनें बैंकों में गिरवी रख कर उन्होंने जो लोन लिया था उनका बैंकों में पैसा जमा हो गया है, कोई बाकी नहीं है उसके बाद उनको रहन मुक्त नहीं करने का सवाल मैंने दूसरे खण्ड में उठाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ने एक नोटिस दिया कि आपका इतना पैसा बाकी है फिर उन्होंने उक्त खाते की शेष राशि मय ब्याज के दि. 25-10-90 को जमा करवा कर खाता बन्द कर दिया है। इसके बाद इन्होंने तहसीलदार को लैटर लिखा कि हमारी जमीन जो गिरवी थी उसको रहन मुक्त कर दिया जाय। यह लैटर लिखा उन्होंने 8-1-94 को उसके बाद बैंक ने 27-1-94 को दूसरा लैटर लिखा कि उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 8-1-94 को आपको हमारे द्वारा एक पत्र उपरोक्त कृषक की जमीन रहन मुक्त करने हेतु दिया था, परन्तु अब मालूम हुआ है कि वह पत्र आपको हमारे द्वारा गलत जारी हो गया क्योंकि उपरोक्त व्यक्ति का ऋण राहत व ऋण भरण योजना के अन्तर्गत जमा हुआ है। व्यक्ति ने स्वयं ने सम्पूर्ण राशि बैंक में जमा नहीं करायी है। अतः निम्न खसरे नम्बर बैंक के नाम रहन हैं। अतः रहन मुक्त नहीं किया जाय। अध्यक्ष महोदय, बैंक का खाता क्लोज हो गया। तो मेरा सवाल सीधा फाइनेंस मिनिस्टर से ही था कि किसानों के 90 में खाते बन्द हो गये.......

श्री अध्यक्ष : यह आपका क्या सवाल है? आप सवाल पूछिये।

श्री परसादीलाल मीणा : सवाल मेरा यह है कि क्या जो शेष पैसे जमा हो गये, किसानों की जो जमीन गिरवी थी और उसके खाते भी बन्द हो गये.........

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री परसादीलाल मीणा : इन्होंने केवल को-आपरेटिव बैंक का मेरे को जवाब दिया है। दूसरे बैंकों के लिए भी है कि उन जमीनों को रहन मुक्त कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? सभी बैंकों की, को-आपरेटिव की ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह योजना दो प्रकार की थी। एक भारत सरकार के जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन्होंने ऋण राहत दी और दूसरे जो सहकारी बैंक है, उनके सम्बन्ध में मेरे द्वारा यह जवाब दिया जा चुका है कि जहां तक केन्द्रीय बैंकों का सवाल है वह जानकारी मेरे को नहीं है। जहां तक विभाग की जानकारी है, दोनों योजनाएं 15-5-90 से चालू की गयी थीं केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा, उसके निमित्त जो सहकारी बैंक हैं, भूमि विकास बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक है उनकी सूचना मेरे पास उपलब्ध है कि 326 करोड़ 14 लाख रुपये ऋण राहत में दिये गये। अब यह प्रश्न आया कि ऋण राहत तो कर दिये मगर मुक्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये। मैंने विभाग के अधिकारियों को बुला कर

(श्री सुजान सिंह यादव)

इस प्रश्न के बारे में यह कहा कि मैं किसान हूं और किसान से जुड़ा हुआ हूं, गांवों से जुड़ा हुआ हूँ ऋण राहत आप दे देते हैं उसके उपरान्त ऋण राहत के लिए राजस्थान सहकारी बैंक के पास कागजात आते हैं, क्योंकि राज्य सरकार उसकी गारन्टी देती है ऋण के निमित्त और उसी ऋण राहत के लिए मुक्ति प्रमाण-पत्र मिलता है। मैंने अभी 11-3-94 को सक्यूलर निकाला है कि जिन लोगों ने बैंकों में पैसे जमा करवा दिये उनको मुक्ति प्रमाण-पत्र क्यों नहीं दिया जाता? इसमें काफी देर लगाई जाती है, एक-एक दो-दो साल लग जाते हैं। यह सरक्यूलर आदेश क्रमांक प.48 (3) 79/भू वि. बैं. भूमि रहन मुक्ति /1994, दिनांक 11-3-94 को जारी कर दिया है। उसमें यह आदेश दिये हैं कि 31-5-94 के बाद कोई भी मुक्ति प्रमाण पत्र किसानों को नहीं मिले, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और यदि दूसरे तरह के ऋण मिले हैं तो उनके लिए तारीख 30-6-94 तक की है। उनके लिए दस दिन का टाइम दिया है। यदि दस दिन में मुक्ति प्रमाण-पत्र नहीं मिले तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। माननीय सदस्य इस बात से तो आप बहुत क्लियर हैं कि मैंने आदेश पारित कर दिये। ऐसे मुक्ति प्रमाण-पत्र आपकी नजरों में 31-5-94 के बाद कोई रह जाये तो आप मुझसे बात कर लें, मैं उसका समाधान कर दूंगा।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल सारे ऋण, इन्होंने केवल को-आपरेटिव की सूचना दी है। मैंने सभी बैंकों की सूचना मांगी थी....

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य

श्री परसादी लाल मीणा : सूचना अधूरी है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट

श्री परसादी लाल मीणा : स्टेट बैंक और कितने बैंक हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप मेरी सुनिये। आप रूल उठाकर पढ़िये कि आप ऐसा ही सवाल करेंगे कि जो एक मन्त्रालय से संबंधित है, यदि आपने फाइनेंस को किया है और उसमें को-आपरेटिव शामिल नहीं है तो को-आपरेटिव का जवाब नहीं आयेगा। आप दोनों में से........

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, नहीं हमने नहीं किया। हमने नहीं किया है को-आपरेटिव से। हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से सवाल किया है। को-आपरेटिव को फाइनेंस वालों ने भिजवाया है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैं........

श्री परसादी लाल मीणा : को-आपरेटिव का नाम आप देख लो कहीं नहीं लिखा है।

श्री अध्यक्ष : आपने समस्त लिख दिया है ना। आपने सरकार द्वारा किसानों को ऋण माफी योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि का पूछा है।

श्री परसादी लाल मीणा : हां, तो यही पूछा है कुल कितनी राशि जमा हुई।

श्री अध्यक्ष : कुल कितनी राशि नें....

श्री परसादी लाल मीणा : फाइनेंस मिनिस्टर जानें। इसमें को-आपरेटिव का जवाब दिया है।

(16)

श्री अध्यक्ष : यह जो 326 करोड़ है........

श्री परसादी लाल मीणा : यह तो को-आपरेटिव की है केवल।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह तो सिर्फ को-आपरेटिव सैक्टर का है।

श्री अध्यक्ष : इसमें वह शामिल नहीं है तो कुल कितनी है, कुल राशि....

श्री परसादी लाल मीणा : ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष : कितनी है ?

श्री परसादी लाल मीणा : 350 करोड़ से ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष : 350 करोड़ मतलब....

श्री परसादी लाल मीणा : हां और अधिक है।

श्री अध्यक्ष : बाकी की 25 ही है।

श्री परसादी लाल मीणा : क्या, यह तो 326 को-आपरेटिव की है। जो दूसरे बैंक हैं नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उनकी सूचना इन्होंने नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा इसको हम फाइनेंस को और भिजवा देंगे। आप बैठिये। नैक्स्ट। श्री भरत सिंह।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोन करा दो।

श्री अध्यक्ष : कह रहा हूं। पोस्टपोन, फाइनेंस को।

पंचायत की विकास योजनाओं में स्थानीय जनता की भागीदारी

417. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चुने हुए जन प्रतिनिधियों को हटाये जाने के बाद से पंचायतों की विकास योजनाओं पर किये जा रहे कार्यों में स्थानीय ग्रामीणों की किस प्रकार से राय जानी जाती रही है ?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीशों व पंचायत राज से सम्बन्धित उच्च अधिकारियों ने सरकार की ओर से पंचायतों का दायित्व संभालने के बाद से आज तक नियमित रूप से दौरे नहीं किये हैं जिनके कारण धन का दुरुपयोग हुआ है व जन आक्रोश बढ़ा है ?

(3) पंचायतों के फिर से चुनाव करवाये जाने के पूर्व क्या सरकार जनता का सहयोग लेने की किसी प्रकार की व्यवस्था बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) सरकार पंचायत चुनाव कराने का कब तक विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, पंचायती राज (श्री नाथू सिंह गुर्जर) : (1) चुने हुए जन प्रतिनिधियों को हटाये जाने के बाद पंचायतों की विकास योजनाओं के बारे में ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों की राय जानी जाती है। ग्राम सभाएं वर्ष में दो बार आयोजित की जाती हैं।

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

(2) जी, नहीं। पंचायती राज से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दौरे किये जाते हैं तथा ग्राम सभाओं में सम्बन्धित पंचायत समिति के विकास अधिकारी अथवा उनकी ओर से निर्देशित प्राधिकृत अधिकारी बैठक में उपस्थित रहते हैं। धन के दुरुपयोग बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) भारत सरकार द्वारा 73 वां संविधान (संशोधन) विधेयक पारित हो जाने के कारण राजस्थान पंचायत अधिनियम में संशोधन किया जाकर विधान सभा सत्र में पारित हो जाने के बाद पंचायत चुनाव से पूर्व ग्राम सभाओं की बैठकों में जनता का सहयोग लिये जाने का सरकार विचार रखती है।

(4) 73 वां संविधान (संशोधन) विधेयक के आधार पर राजस्थान पंचायत कानून में संशोधन हो जाने के बाद राज्य सरकार 6 माह की अवधि में चुनाव कराने के लिए वचनबद्ध है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भरतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसी कि आशा थी उसी के अनुरूप मंत्रीजी ने बिलकुल गोलमोल जवाब दिया है और विडम्बना यह है....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये इनको।

श्री भरतसिंह : सवाल पूछूंगा, उसकी भूमिका है। गोलमोल करी है उनके....

श्री अध्यक्ष : आप ठीक कर दीजिये इसको।

श्री भरतसिंह : दो मिनिट लूंगा, साहब।

श्री अध्यक्ष : आप ठीक कर दीजिये ना उसको।

श्री भरतसिंह : हां, मैं कह रहा हूं। यह वह सेनापति हैं जो मुस्कुराते रहते हैं और सेना इनकी है नहीं। पंचायतें हैं नहीं और यह वह मंत्री हैं जिनकी सदन में इस बात से प्रसन्नता ही जाहिर होती है। आपने घोषणा पत्र में 4 महीने में चुनाव कराने की बात कही थी। मैं तो सीधा सा सवाल कर रहा हूं कौनसी तारीख तक चुनाव करा लेंगे? दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि जन सहयोग के अभाव में राजस्थान में अधिकांश जिलों में अपना गांव अपना काम योजना के तहत आबंटित राशि जो लगभग दस करोड़ रुपये के बराबर है उसका उपयोग नहीं हो सका? सरकार ने इस योजना का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार से जनता का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, 1991 में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हुआ था लेकिन चूंकि पंचायतों को छोटी करना और पंचायत एक्ट में दूसरे संशोधन, जिसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना एस.सी. एस.टी. का रिजर्वेशन..(व्यवधान) आप सुनिये। वह कह रहे हैं कराना नहीं चाहते, जवाब तो दूंगा ना.... (व्यवधान) सुनिये बात। यह क्या हुआ? इसलिए हमने एस.सी., एस.टी. को रिजर्वेशन, महिलाओं को रिजर्वेशन यह सुधार करके इसके लिए हमने प्रक्रिया शुरू की। प्रक्रिया

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

शुरू करने के बाद 73वां संविधान संशोधन आ गया। उस संविधान संशोधन में यह प्रावधान था कि अप्रेल माह के पहले पहले हम उस 73वें संविधान संशोधन के अनुकूल हमारे इस एक्ट को संशोधित करें इसलिए हमको उसके अनुसार यह कानून बनाना पड़ा। हमने उस संशोधन को शामिल किया और उस संशोधन को शामिल करते हुए सोचा कि एक नया एक्ट बनाया जाना चाहिये, ज्यादा पेबन्द लगाने के बजाय। बिल का प्रारूप तैयार हो गया। विधान सभा में सर्कुलेट हो गया। ज्यों ही यह पास हो जायेगा इसमें एक व्यवस्था है कि जिस दिन से यह पास होगा उसके छह महीने के अन्दर-अन्दर सरकार को चुनाव कराने पड़ेंगे।

श्री नारायण सिंह : एक डेफिनेट तारीख बताइये।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैं बता रहा हूं। वह समय....(व्यवधान) मैं कह रहा हूं आप सुनिये। बता रहा हूं, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : हां बता रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बैठ जाइये। वह नहीं सुनते हैं तो आप बैठ जाइये।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : एक्ट के हिसाब से

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। यदि वह नहीं सुन रहे हैं तो आप बैठ जाइये।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : एक्ट के हिसाब से........(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जाईये, मैं कह रहा हूं। वह सुनना नहीं चाहते हैं। नैक्स्ट। श्री बद्री प्रसाद गुरुजी।

(व्यवधान)

तो आप सुनिये फिर....

(व्यवधान)

श्री भरतसिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है मुझे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये फिर....

(व्यवधान)

फिर आप मरमरिंग बन्द करिये। आप शांति से सुनिये। बैठिये। आप बैठिये। (व्यवधान)

आप बैठिये फिर। आप मरमरिंग बन्द करिये। सुनिये उनको शांति से आप........ (व्यवधान)

अब सुनिये तो सही आप। आप सुनेंगे कि नहीं उनको। आप बैठिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने बड़े टैक्ट से मंत्रीजी को बचा दिया। मंत्रीजी एक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि पंचायतों के चुनाव कब करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष : मगर आप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : आपने इनको बचा दिया वरना यह घोषणा करते कि पंचायतों के चुनाव कब करवाएंगे। जब वह घोषणा करने वाले थे आपने इनको

(श्री जगदीप धनखड़)

बचा दिया। हमारी आपसे गुजारिश है कि यह सदन को बतायें कि पंचायतों के चुनाव कब और किस तारीख को करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्र सिंह जी। आप बैठें, मंत्रीजी। आप उनको सुनना चाहते हैं तो चुपचाप सुनिये और नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर आगे के काम लेता हूं....

(व्यवधान)

आप फिर शांति से बैठिये। हां, बोलिये। आप शांति से बैठिये। सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री शीशराम ओला (झुन्झुनूं) : असंसदीय भाषा है, गम्भीरता से सुनने की बात है क्या ?

श्री अध्यक्ष : जी।

श्री शीशराम ओला : हम गम्भीरता से सुनें यह कहिये आप।

श्री अध्यक्ष : मैं गम्भीरता की नहीं कह रहा हूं। मैं कहता हूं आप मरमरिंग कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। मैं भी नहीं सुन रहा हूं। मुझे भी पता नहीं वह क्या बोले ?.... (व्यवधान)

और जब आप मुझे भी नहीं सुनने देंगे तो आप क्या सुनेंगे और मैं नहीं सुनूंगा तो कैसे डिसाइड करूंगा कि जवाब ठीक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं।

....(व्यवधान)

देखिये, माननीय सदस्य सामने बैठे हुए बराबर सवाल जवाब कर रहे थे। वह बोल रहे थे, और जवाब सवाल कर रहे थे। अब यह कौनसा तरीका है? आप देखिये; वो को माननीय सदस्य मुझे उपदेश रोज दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मेरी बात को भी समझने की कोशिश करिये। मैं आपके हितों की बात कर रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों के अधिकारों की बात कर रहा हूं। अब आप अपने आप ही अपने अधिकारों का अतिक्रमण करें और फिर आसन पर यह तो अजीब बात है। या तो आप शांति से सुनिये। उनका जवाब आयेगा मैं सुन लूंगा। कहीं कमी होगी तो फिर उनको कहूंगा। आप सुनेंगे नहीं, मुझे सुनने देंगे नहीं और फिर आगे हाउस भी नहीं चलेगा। यह क्या बात हुई ? यह तो अजीब बात है और फिर हर बात में कह देंगे कि साहब, आपने असंसदीय भाषा कैसे कह दी। गम्भीरता से कौनसी असंसदीय कही। मैंने कहा मरमरिंग मत करिये। यह मैंने नहीं कहा है। आपस में चर्चा मत करिये। (व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : चुपचाप भी कहा है तो असंसदीय है।

श्री अध्यक्ष : मैंने न चुपचाप कहा है, न जोर से यह कहा है कि मरमरिंग बन्द करिये। आपस में आवाज बन्द करिये। यदि आप कम सुनते हैं तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है।

श्री शीशराम ओला : मुझे आप से ज्यादा सुनाई देता है लेकिन चुपचाप कहा है आपने।

(20)

श्री अध्यक्ष : आप कम सुनते हैं उसका इलाज मेरे पास नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा यह। अच्छा बैठिये आप।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कम नहीं सुनता। आपने चुपचाप कहा है।

श्री अध्यक्ष : अब यह हमेशा वाली बात आ गई कि हर वक्त अध्यक्ष से भिड़ना ही है। क्या बात है ? यह क्या हो रहा है ? क्या होगा इस सदन का.... (व्यवधान)

हर बात, हर माननीय सदस्य भिड़ने की तय करते हैं। यह कोई बात है। (व्यवधान)

अब बात हो रही है मरमरिंग की और यह अपने आप में गम्भीरता की बात लें जिसकी कोई चर्चा नहीं। किसने कहा, गम्भीरता शब्द का कोई प्रयोग ही नहीं किया। किसी सदस्य ने सुना हो तो बताइये, अब इन्होंने कहां से सुन ली यह बात····

(व्यवधान)

खड़े हो गये कहने के लिए, बैठिये आप, प्लीज बैठिये आप·······

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अध्यक्ष महोदय, पहली बार ही हमारा [illegible] लगा है (व्यवधान) रह जायेगा।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप !

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आप फुसफुसाहट बोल देते मरमरिंग की जगह।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।...........

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आसन की तरफ देखो आप।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी शक्ल अच्छी है, इसलिए कभी-कभी इधर भी देख लेता हूं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनसे मेरी शक्ल बुरी* है क्या ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैंने तुलना नहीं की माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि सरकार का कोई पंचायत चुनाव टालने का विचार नहीं है। 1992 में ज्यों ही हमने प्रक्रिया शुरू करना चाही सेवन्टी-थर्ड अमेण्डमेण्ट आ गया, इसके बाद में हमने अमेण्डमेण्ट करके बिल तैयार कर दिया····

श्री अध्यक्ष : यह तो हो गया, आगे क्या हुआ, आगे के लिए बोलिए आप।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आगे का बता रहा हूं, साहब, सुनिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह ठीक कह रहे हैं, आप मेरी तरफ ही देखिए, उधर देखकर आप उत्साहित होते है इधर देखिए आप।

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द प्रतिस्थापित किया गया।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : इस 24 अप्रेल के पहले- पहले हमको इस बिल को पारित करना है और उसके बाद 6 महीने के अन्दर-अन्दर चुनाव कराना आवश्यक है। इसलिए 24 अक्टूबर तक चुनाव कराना आवश्यक है।

…… ….(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : यह जो अमेण्डमेण्ट है नहीं अब आप क्या करेंगे (व्यवधान) यह कहें (व्यवधान) हम यह चाहते हैं कि (व्यवधान)………..

श्री अध्यक्ष : आप क्यों खड़े हुए, उनका सैकण्ड सप्लीमेण्ट्री है, श्री नारायण सिंहजी, अब मुझे एक-एक माननीय सदस्य को…. आप मंत्री रहे हुए हैं। उनका सैकण्ड सप्लीमेण्ट्री है। वे खड़े हैं। आप बताइये आपका अधिकार है उनके अधिकारों पर अतिक्रमण करने का ? should I allow it ? उनका अधिकार है. सैकण्ड सप्लीमेण्ट्री का और आपका अलाउ कर दूं मैं और फिर आप कहो कि हमारे अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। अब उनके अधिकार का संरक्षण करूं कि आपके ?

श्री नारायण सिंह : दोनों अधिकारों का संरक्षण…. ….

श्री अध्यक्ष : आप मेरे सामने संकट खड़ा करते हैं। आप बैठिए, सुनिए।

श्री भरतसिंह : माननीय अध्यक्ष जी, वश्वेचन मैं पहले पूछ चुका हूं। वापस आपकी मंत्रीजी की जानकारी के लिए दुबारा पूछता हूं कि क्या यह सही है कि जन सहयोग के अभाव में राजस्थान के अधिकांश जिलों में "अपना गांव-अपना काम" योजना के तहत आवंटित राशि जो लगभग 10 करोड़ रुपये होती हैं, का उपयोग नहीं हो सका ? सरकार ने इस योजना का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार से जनता का सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किये और इस सम्बन्ध में अन्य मंत्रीजी ने विधायकों को चिट्ठी लिखी है कि जन सहयोग के अभाव में दस करोड़ रुपया राजस्थान का लैप्स हो गया है ? उत्तर दीजिए आप।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे आप यह जो सवाल पूछ रहे हैं यह विशिष्ट योजना संगठन से सम्बन्धित हैं इसलिए वही इसका एग्जेट रिप्लाई दे सकते हैं….

श्री भरतसिंह : है तो पंचायत का ही।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि किसी भी गांव में यदि राशि इकट्ठी हो गई और उसके बाद उस पर काम नहीं हुआ है, इसकी जिम्मेदारी हमारी पंचायतों की है। ऐसी कोई मुझे शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई इस तरह की शिकायत हो तो कृपया मुझे बता दें, मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री बद्री प्रसाद गुरूजी।

….(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)
अभी दस सवाल लेने हैं, पांच मिनट बाकी हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काछोला (मांडलगढ) में चिकित्सकों के पद

418. **श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काछोला (तहसील मांडलगढ़) में कितने डाक्टर्स के पद स्वीकृत हैं ?

(2) वर्तमान में कितने पदों पर डाक्टर कार्यरत हैं, कितने पद रिक्त हैं, रिक्त होने के क्या कारण हैं ? सरकार इन रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

(3) क्या वहां डाक्टर के आवास के लिए भवन बने हुए हैं ? यदि नहीं, तो इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काछोला तहसील मांडलगढ़ में डाक्टर्स के पांच पद स्वीकृत हैं।

(2) वर्तमान में एक पद पर डाक्टर कार्यरत है और चार पद रिक्त हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के तीन पद पदोन्नति नहीं हो पाने के कारण तथा चिकित्सा अधिकारी का एक पद अनुपस्थिति के कारण रिक्त है, जिन्हें भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) वर्तमान में चिकित्सालय परिसर में एक डाक्टर का आवास गृह ही निर्मित है। योजना मद में समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर अन्य स्थानों के साथ काछोला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों के आवास गृह निर्माण कराना सम्भव हो सकेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने चार पद रिक्त बताये हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि यह पद कितने समय से रिक्त चले आ रहे हैं कितने डाक्टर की वहीं पोस्टिंग की गई और उन्होंने वहां जोइन नहीं किया ? ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर जाना नहीं चाहते...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, हो गया, प्रश्न हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय पांच पदों में से दो चिकित्सा अधिकारियों के पद दिनांक 17-4-93 से रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त दो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पदों के विरुद्ध पद स्थापित चिकित्सा अधिकारी लम्बे समय से 8/92 से अनुपस्थित चले आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में गम्भीर बात है कि चिकित्सक जहां उनकी ड्यूटी है वहां रहते नहीं हैं इसके लिए विभाग प्रयास कर रहा है। 2: चिकित्सकों की सर्विस मैंने कार्यभार सम्भालने के बाद टर्मिनेट भी की है और प्रयास यह रहेगा कि लगभग 214 चिकित्सक ऐसे हैं जो लम्बे समय से अनुपस्थित हैं। मैंने विभाग को कहा है कि तीन माह में समुचित कार्यवाही कर इन चिकित्सकों के विरुद्ध जो भी कदम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उठाये जा सकते हैं, इनकी लम्बे समय की अनुपस्थिति देखते हुए, सर्विस टर्मिनेट करने का काम होगा तो वह भी किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सम्भागीय स्तर पर बैठकें लेकर इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कारगर ढंग से विभाग कार्यवाही करे।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कार्यवाही करने एवं टर्मिनेट करने के लिए कहा है उसके लिए तो धन्यवाद है, परन्तु जो रिक्त पद हैं, भरने की कार्यवाही की जा रही है, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो डॉक्टर्स नहीं आना चाहते हैं उनके खिलाफ तो सख्त कार्यवाही की जाए, परन्तु रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा और आवास गृह के लिए राशि कब तक उपलब्ध करवा दी जाएगी ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अप्रेल माह के अन्तिम सप्ताह तक पूरे राजस्थान में जहां-जहां चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, सारे पद भर दिये जाएंगे और जहां तक आवास गृह के निर्माण की बात कही है, अभी वित्तीय संसाधन सरकार के पास नहीं हैं····

श्री अध्यक्ष : पैसे मिलने पर हो जाएगा। नैक्स्ट। श्री विश्नोई। श्री हीरालाल विश्नोई।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28 फरवरी, 1994)

सांचौर क्षेत्र की सरकारी भूमि के कब्जों का नियमितीकरण

69. **श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सांचौर कस्बा और तहसील के अनेक गांवों में अधिकांश लोग सरकारी भूमि (गोचर)/ओरण/आंगोर आदि पर लम्बे समय से बसे हुए हैं ? यदि हां, तो उन्हें कब तक नियमित कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि पिछले वर्षों में प्रदेश में अनेक स्थानों पर कैम्प लगाकर राजस्व अधिकारियों ने ऐसे कब्जों को नियमित किया है ? यदि हां, तो सांचौर तहसील के गांवों को इससे वंचित क्यों रखा गया ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सांचौर कस्बा और तहसील के गांवों की सरकारी भूमि गोचर/ओरण/आंगोर में कुछ व्यक्ति बस गये हैं। अधिकांशतः ऐसे व्यक्तियों ने वर्ष, 1971 के उपरान्त इस प्रकार निवास करना प्रारम्भ किया है। ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय चारागाह या गैर मुमकिन भूमियों पर निवास कर रहे व्यक्तियों के नियमन किये जाने हेतु राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 3-7-71 और अधिसूचना दिनांक 23-7-77 जारी किये हुए हैं। इसके अनुसार 1-7-75 तक से पूर्व के इस प्रकार के निवास नियमित किये जा सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी दिनांक 30-6-87 तक आवासीय प्रयोजनों से किये गये अतिक्रमणों को नियमन किये जाने हेतु अधिसूचना दिनांक 17-5-88 जारी है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(2) जी, हां। राजस्व अभियानों के दौरान जो मामले नियमों के अन्तर्गत योग्य थे। उनका नियमन किया गया तथा जो नियमों के अन्तर्गत नहीं आते थे उनको नियमित नहीं किया गया। अभियान के दौरान सांचोर तहसील के गांवों को वंचित नहीं रखा गया। सांचोर तहसील के नगरीय क्षेत्र में 70 व ग्रामीण क्षेत्र के 273 मामले निर्णीत किये गये हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने यह 23-7-77 की अधिसूचना जारी की हुई है, 1-7-75 के पूर्व के निवास नियमित किये जा सकते हैं, मतलब 75 तक के ही नियमित किये जा सकते हैं। इनके बाद के क्यों नहीं ? और शहरी इलाकों में 87 तक के कर दिये जाएंगे, यह शहरों में और गांवों में इतना भेदभाव क्यों रखा गया है ? माननीय मंत्री जी को भी मालूम है........

श्री अध्यक्ष : बस हो गया आपका सवाल, समाप्त हो रहा है समय, मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय यहं पहले के सब्रूलर्स जो भी हैं उनमें 1-7-75 तक के अनधिकृत अतिक्रमण के नियमन के बारे में प्रावधान हैं। 1981 के राजकीय, जो शहरी क्षेत्रों के लिए अलग नियम बने उनमें तिथियां कुछ अलग दे रखी हैं। राजस्व विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि सरकारी भूमियों पर, चरागाह भूमियों पर अन्य भूमियों पर जो आवासीय अतिक्रमण हैं और जो बहुत पुराने नहीं हैं, उनके बारे में पुनः विचार करके नियम बनाये जा रहे हैं और जल्दी इन नियमों में प्रावधान कर दिया जाएगा। मैं अभी तो यह तिथि नहीं बता सकता कि किसी तिथि तक कब्जे नियमित करेंगे लेकिन यह 1975 के बाद की कोई तिथि तय करके यह नियमों में प्रावधान कर दिया जाएगा, नियमित कर दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट- 2 देखें।)

(12.00)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बिजौलिया क्षेत्र के खनन व्यवसायी

583. **श्री बद्री प्रसाद गुरूजी (मांडलगढ़):** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार ने बिजौलिया क्षेत्र के खनन व्यवसायियों को उनकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए समस्याएं दूर करने के लिए 16-12-80 को कोई आदेश जारी किया था ? यदि हां, तो क्या इससे समस्त खनन व्यवसायी लाभान्वित हुए ?

(2) क्या यह आदेश खनन व्यवसायियों की समस्या दूर होने से पूर्व ही वापस ले लिया गया था अथवा अमल रोक दिया गया ?

(3) क्या इस आदेश की क्रियान्विति रोकने से लाभ से वंचित रहे खनन व्यवसायियों को इस आदेश का लाभ लेने वालों के बराबर लाभ देने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार ने दिनांक 16-12-80 को आदेश जारी न कर एक नोट अपने पत्र दिनांक 10-4-81 के साथ भेजा जिससे तत्कालीन विद्यमान बाउण्ड्रियों में कार्यरत खनन व्यावसायियों को लाभ मिला।

(2) जी हां।

(3) जी हां। दिनांक 10-4-81 की क्रियान्विति रोकने के पश्चात् भी राज्य सरकार नियमों की परिधि में खनन व्यावसायियों के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है।

खनन क्षेत्रों से प्राप्त आय का उपयोग

584. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार खनन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली आय को देखते हुए क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क निर्माण का इरादा रखती है ?

(2) यदि हां, तो जोधपुर जिले में अब तक कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण विभाग द्वारा कराया गया एवं रख-रखाव किया जा रहा है? किन-किन सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

(3) क्या जोधपुर जिले में पालड़ी सिद्धा से पटेलनगर (पाली सीमा तक) वाया माडपुरिया, खवासपुरा घोड़ावट; बोरून्दा भाखरों की ढाणी, हरियाढाबा से सिनला (पाली सीमा तक) वाया खोजों की ढाणी, फड़ाकों की ढाणी सड़क निर्माण के संबंध में कब तक स्वीकृति जारी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार सड़क निर्माण का इरादा उन क्षेत्रों से प्राप्त आय के साथ-साथ उस क्षेत्र के खनिज भण्डारों, लाभान्वित होने वाले खनन पट्टाधारियों की संख्या एवं खनिज उत्पादन के सुगम निर्गमन तथा क्षेत्रों के विकास को एवं राजकीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुये सड़क निर्माण के कार्य हेतु निर्णय करती है।

(2) (अ) विभाग द्वारा जोधपुर जिले में निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया :—

1. पिटसर से मोतियाहिल
 1 कि. मी. 70 से पूर्व

2. रेलवे स्टेशन से सूरसागर
 6 कि. मी. 70 से पूर्व

(खनिज मंत्री)

3. सूरसागर बाईपास
1.75 कि. मी. 73-74

4. सूरसागर से केरू
10 कि. मी. 74-75

5. पिदूसर से सूरसागर
2 कि. मी. 78-79

6. पिदूसर से बालसमन्द
2 कि. मी. 78-79

7. पिदूसर से पंचकुण्डा
3 कि. मी. 80-81

8. चौपासनी से कदमखण्डी
3 कि. मी. 85-86

9. सूरसागर से कालीबैरी
4 कि. मी. 80-81

10. सूरसागर से भूरी बैरी
3 कि. मी. 85-86

11. सोढों की ढाणी से पाबूमगरा
5 कि. मी. 78-79

12. नाडेलाव हाउस से सोढों की ढाणी
3 कि. मी. 77-78

13. हनुमानजी का बाड़िया से केरू प्याऊ
9 कि. मी. 78-79

(ब) विभाग द्वारा निम्नलिखित सड़कों का मरम्मत कार्य करवाया जा रहा है:-

1. चौपासनी से कदमखण्डी
92-93, 93-94

2. सूरसागर से भूरी बैरी
93-94

3. पिदुसर से बालसमंद
92-93, 93-94

4. सोढों की ढाणी से पाबूमगरा
93-94

5. सूरसागर से केरू
91-92, 92-93, 93-94

(स) जोधपुर जिले में निम्नलिखित सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं:-

1. खोजों की ढाणी, गूजरों की ढाणी से सिनला की ओर (पाली सीमा तक)
2. पटेल नगर से खरिया ढाणी
3. घोड़ावट खनन क्षेत्र से बोरूण्डा मुख्य सड़क
4. पालड़ी से पटेलनगर (वाया माणडलिया स्वासपुरा घोड़ावट, बोरूण्डा, भाखरों की ढाणी)
5. क्वारी क्षेत्र गरियानाड़ा
6. गडेरों की ढाणी से गोयलों की ढाणी

(3) वर्ष 1994-95 में सीमित बजट के कारण किसी नई सड़क के प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किये गये मात्र चालू सड़कों के निर्माण कार्य को ही जारी रखकर पूर्ण कराने का उद्देश्य रखा गया।

(27)

जिला नागौर में देशी व विदेशी मदिरा की लाइसेंस शुदा दुकानें

585. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर जिले में आबकारी विभाग द्वारा जारी किये गये लाइसेंसशुदा देशी विदेशी मदिरा की दुकानें कहां-कहां पर हैं ? उन्हें कब-कब लाइसेंस दिया गया ?

(2) क्या देशी व विदेशी शराब की दुकानों का लाइसेंस देने के संबंध में कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जिले में बिना लाइसेंस की दुकानें अत्यधिक मात्रा में चल रही हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां की शिकायतें प्राप्त हुई और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में देशी मदिरा तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (बीयर-सहित) कुल 138 खुदरा बिक्री के अनुज्ञा-पत्र 1 अप्रेल, 1994 से जारी किये गये हैं। दुकानों की अवस्थिति की सूची संलग्न परिशिष्ट-1 पर है।

(2) देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा खुदरा दुकानों के अनुज्ञापत्र राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 58 के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं। नियम की प्रति संलग्न परिशिष्ट-2 पर है।

(3) हां, विभाग को 8 शिकायतें इस संबंध में प्राप्त हुई थी, जिनकी जांच करवायी जाने पर पाया गया कि एक भी दुकान बिना लाइसेंस के नहीं थी एवं उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा उन स्थलों पर ही स्वीकृत किया गया था। प्राप्त शिकायतों तथा विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट-3 पर है।

(सूची एवं सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

आबादी भूमि के क्रय हेतु पंजीयन शुल्क

586. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में आबादी भूमि के क्रय संबंधी रजिस्ट्रेशन शुल्क के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) बांसवाड़ा जिले के परतापुर कस्बे में पिछले पांच बरसों में कितनी आबादी भूमि बेची गयी व उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि परतापुर कस्बे में अधिकारियों व प्रशासकों की मिली-भगत से महंगी भूमि कम दाम पर खरीदी बताकर लाखों रुपये के सरकारी राजस्व की हानि हुई ? यदि हां, तो सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण दस्तावेजों पर मुद्रांक कर मुद्रांक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के आर्टिकल 23 के तहत सम्पत्ति की प्रचलित मार्केट

(28)

(वित्त मंत्री)

वेल्यू का 10 प्रतिशत देय है। तथा पंजीयन शुल्क पंजीयन अधिनियम की प्रथम अनुसूची के तहत निम्नलिखित दर से देय है :—

(अ) 200 रु. तक की वेल्यू या प्रतिफल पर 5-00

(ब) 200 रु. से अधिक किन्तु 1000 रु. तक की वेल्यू या प्रतिफल पर। 200 रु. से अधिक प्रत्येक 100 रु. या उसके भाग पर 2-50

(स) 1000 रु. से अधिक किन्तु 5000 रु. तक की वेल्यू या प्रतिफल पर, 1000 रु. के बाद प्रत्येक 500 रू. या उसके भाग पर 5-00

(द) 5000 रु. से अधिक किन्तु 50,000 रु. तक की वेल्यू या प्रतिफल पर। 5000 रू. के बाद प्रत्येक 1000 रू. या उसके भाग पर 8-00

(य) 50,000 रु. से अधिक वेल्यू या प्रतिफल पर। 50,000 रू. के बाद प्रत्येक 1000 रु. या उसके भाग पर। रजिस्ट्रेशन शुल्क की अधिकतम सीमा 1000 रू. है। 2-00

(2) गत पांच वर्षों में बांसवाड़ा जिले के परतापुर कस्बे में जो आबादी भूमि विलेख पंजीबद्ध हुए हैं, उनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	पंजीबद्ध विलेखों की संख्या	बेची गई भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज में)
1	2	3
1989	26	4722 वर्गगज
1990	14	2579 वर्गगज
1991	23	2779 वर्गगज
1992	16	2123 वर्गगज
1993	18	4499 वर्गगज

विलेख पर चुकाये गये मुद्रांक शुल्क क्षी. शुल्क की (राशि रुपयों में)	विलेखों पर चुकाये गये पंजीयन शुल्क की राशि
4	5
70985.50	5868.00
72225.00	4880.00
70170.00	5984.00
57275.00	5882.00
149435.00	7495.00

(3) किसी भी अचल सम्पत्ति के सौदे में वास्तविक लेनदेन का पता लगाना विभाग के लिए सम्भव नहीं है। परन्तु विक्रय दस्तावेजों पर निम्न अन्तर्गत देय स्टाम्प ड्यूटी ज्ञात करने के लिए मुद्रांक नियमावली 59(बी) में जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य, महानिरीक्षक महोदय द्वारा अनुमोदित दर अथवा उस क्षेत्र की

(वित्त मंत्री)

पिछली उच्चतम दर जो भी ज्यादा हो बाजार दर मानी जाकर उप पंजीयक द्वारा किया जाता है। बांसवाड़ा जिले के परतापुर कस्बे में पिछले 5 विभागीय अभिलेख के अनुसार प्रथम दृष्ट्या ऐसा कोई मामला दृष्टया नहीं हुआ जिसमें कम मूल्यांकन पर भूमि का विक्रय पंजीकृत किया हो।

फिर भी महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा विभाग के उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त-उदयपुर को निदेशित किया गया है कि कस्बा परतापुर उप पंजीयक, गढी के क्षेत्र से सम्बन्धित 1988 से अब तक प्रत्येक दस्तावेज का शत-प्रतिशत निरीक्षण कर लेवें। यदि कोई मामला कमी मूल्यांकन का पाया गया तो विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जयपुर का वाहन मेला

587. **श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में वाहन मेला लगाया गया उसमें वाहनों के क्रय मूल्य में कमी बताकर वाहन बेचे जा रहे हैं इससे सरकार को सेल टैक्स की कुल कितनी राशि प्राप्त हुई और कितने वाहन किस-किस प्रकार के बिके ?

(2) क्या यह सही है कि इस मेले में बिकने वाले वाहनों पर सेल टैक्स आधा लिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? इससे सरकार को सेल्स टैक्स की कितनी राशि का घाटा हुआ जिसकी पूर्ति कैसे होगी ?

उत्तर

(1) दिनांक 10-2-1994 से 28-2-1994 तक एस. एम. एस. स्टेडियम, जयपुर में वाहन मेला आयोजित किया गया। इस मेले में वाहनों के क्रय मूल्य में कमी बताकर वाहनों का विक्रय नहीं किया गया अपितु विक्रय कर राशि में मेले के दौरान 50% की छूट दी गई थी। कतिपय व्यापारियों ने विक्रय कर राशि के बराबर राशि की रियायत भी क्रेताओं को अपनी ओर से प्रदान की, लेकिन इससे विभाग को प्राप्त होने वाली कर राशि की अपवंचना नहीं हुई। इस वाहन मेले के दौरान विक्रय कर राशि के रूप में वाणिज्यिक कर विभाग को रू. 2,10,72,317.00 की राजस्व प्राप्ति हुई है। मेले में विक्रय किये गये वाहनों की विगत निम्न प्रकार से है :–

क. सं.	वाहन की श्रेणी	वाहनों की संख्या
1	2	3
1.	ट्रक चेसिस	473
2.	जीप	382
3.	कार	208
4.	ट्रैक्टर	156
5.	थ्रीव्हीलर्स	66
6.	टैम्पों	33
7	टू व्हीलर्स	6427
	कुल योग	7745

(2) जी, हां। इस वाहन मेले के लिए राज्य सरकार द्वारा विक्रय कर में

(30)

(वित्त मंत्री)

50% की छूट प्रदान की गई थी। अधिकांश पड़ौसी राज्यों में विभिन्न प्रकार के वाहनों पर बिक्री कर की दरें राजस्थान के मुकाबले कम होने के कारण हमारे यहां वाहनों की बिक्री काफी कम हो रही थी। और इस कारण राज्य सरकार को न केवल बिक्री कर का बल्कि रोड टैक्स का भी नुकसान हो रहा था। इस विषय में नीतिगत निर्णय लेने से पूर्व वाहन मेलों में छूट देने का प्रयोग पिछले दो वर्षों में किया गया है जिसमें बिक्री कर की दरों में 50% की छूट दी गई। गत वर्ष कोटा, भरतपुर, जोधपुर और अलवर, में तथा इस वर्ष उदयपुर, श्रीगंगानगर, कोटा जोधपुर, अलवर, भरतपुर और जयपुर में आयोजित वाहन मेलों में बिक्री कर में 50% छूट दी गई है। इस परिप्रेक्ष्य में ही जयपुर वाहन मेले में विक्रय कर में छूट दी गई है। अब राज्य सरकार द्वारा दिनांक 7. 3. 1994 से वाहनों पर कर दरों में काफी हद तक कमी करते हुए दुपहिया वाहनों पर 6% और अन्य प्रकार के वाहनों पर 4% बिक्री कर लागू किया गया है।

यह कहना सम्भव नहीं है कि जयपुर वाहन मेले में दी गई छूट से राज्य सरकार को बिक्री कर की कितनी राशि का घाटा या फायदा हुआ है। क्योंकि यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि यदि यह छूट नहीं दी जाती तो कितने वाहनों की बिक्री होती।

परिवार कल्याण एवं अल्प बचत कार्यक्रम

588. **श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)**: क्या नीति निर्धारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या परिवार कल्याण और अल्प बचत जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने और लोगों की भागीदारी पैदा करने एवं तरह-तरह के प्रोत्साहन की घोषणा करने से ही क्या यह कार्यक्रम सफल हो सकते हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या अब तक उक्त कार्यक्रमों को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है ? यदि नहीं, तो इन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जी हां। परिवार कल्याण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जनता की भागीदारी, लोकप्रियता और जन प्रोत्साहन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों से अधिक सफल बनाया जा सकता है।

(2) जी हां। परिवार कल्याण कार्यक्रम भारत सरकार के निर्देश पर ही चलता है। परन्तु राज्य सरकार ने जब भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाना, इनामी योजनाएं, राजलक्ष्मी योजनाएं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं कच्ची बस्ती के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की है, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को ज्यादा सफलता प्राप्त हुई है इस पर और ज्यादा ध्यान देकर इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए जन-जन तक इसके अच्छे परिणाम के बारे में समझाना, कार्यक्रम में जनता की भागीदारी की भावना पैदा करने से सफलता की अधिक आशा की जा सकती है। इसके लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही हैं।

लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा केन्द्र

589. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग की भांति दूसरे प्रदेशों में भी राज्य के छात्रों को स्वैच्छिक परीक्षा केन्द्र दिये जाते हैं ?

(2) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जहां तक संभव होता है, परीक्षार्थी द्वारा वांछित केन्द्र दिया जाता है और जहां सम्भव नहीं होता है अन्य निकटस्थ केन्द्र दिया जाता है। अन्य राज्यों के आयोगों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ज्ञात नहीं है।

(2) यह मामला राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्वयं के अधिकार क्षेत्र में है और राज्य सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।

रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र

590. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रीको द्वारा राज्य में कहां-कहां पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये हैं और उनमें कितने-कितने प्लाट हैं और उनकी प्रति वर्ग मीटर दर क्या है ?

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में कितने-कितने प्लाट खाली हैं तथा उनमें कितने-कितने आवंटियों ने आवंटन के लिए प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं ?

(3) भविष्य में रीको द्वारा कहां-कहां पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है और इस हेतु क्या-क्या तैयारी कर ली गई है ?

(4) औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए रीको ने कितनी-कितनी राशि व्यय की और सरकार ने कितना-कितना ऋण व अनुदान दिया ?

उत्तर

(1) रीको द्वारा विकसित स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्रों के रिक्त भूखण्डों एवं आवंटन के प्रार्थना-पत्रों का विवरण परिशिष्ट 'ब' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) रीको द्वारा भविष्य में औद्योगिक क्षेत्रों के विकसित करने की योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "स" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए रीको द्वारा अभी तक 1524.98 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। अभी तक रीको को औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी तृतीय चरण के विकास हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से 957.00 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में प्राप्त हुई है एवं राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित 4 उद्योग रहित जिलों के विकास के लिए केंद्रीय व राज्य सरकार से 582.82 लाख रुपये की राशि अनुदान

(उद्योग मंत्री)

के रूप में रीको को प्राप्त हुई है। ग्रोथ सेन्टर्स के लिए 1200 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में रीको को प्राप्त हुई है। (विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

शिक्षित बेरोजगारों हेतु वित्तीय सुविधाएं

591. श्री अमराराम (धोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों को ऋण का तथा प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत कितना लक्ष्य है? उसमें से कितना लक्ष्य पूरा हो गया तथा क्या शेष लक्ष्य मार्च तक पूरा हो जायेगा ?

(2) इस योजना के अन्तर्गत जिन्हें ऋण स्वीकार किया गया है क्या उन्हें ऋण दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इन योजनाओं के सरलीकरण हेतु सरकार क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार योजना में वर्ष 1993-94 के लिए 5300 तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए 1410 अभ्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार योजना में अभी तक 2656 तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 776 युवाओं को ऋण स्वीकृत हुआ है। शेष लक्ष्य माह मार्च तक पूरा होने की सम्भावना है।

(2) शिक्षित बेरोजगारों को स्व० रोजगार योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 732 युवाओं को ऋण वितरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत अभी तक ऋण वितरण नहीं हुआ है, क्योंकि इस योजना में ऋण वितरण से पूर्व एक माह का प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है, जिसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, प्रशिक्षण पूर्ण होने पर बैंकों द्वारा ऋण वितरण किया जायेगा।

(3) यह बिन्दु राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। चूंकि यह योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गई है अत: भारत सरकार ही इस योजना के सरलीकरण हेतु नियमों में संशोधन कर सकती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर स्वीकृत बाईपास

592. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नेशनल हाइवे नं. 11 पर महुआ के पास एक बाईपास स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो कब और कितनी राशि का एवं किस योजना के तहत ?

(2) क्या सरकार जनहित में उसका निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) नेशनल हाइवे संख्या 11 पर महुआ के पास बाईपास बनाने हेतु केवल भूमि अवाप्ति हेतु परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26.81 लाख रुपये की स्वीकृति मई, 1989 को जारी की गई है।

(2) उक्त बाईपास का निर्माण परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर ही सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र जैतारण के पंचायत मुख्यालयों हेतु सम्पर्क सड़कें

593. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले के जैतारण विधान सभा के कितने पंचायत मुख्यालयों को अब तक मुख्य सड़कों से जोड़ा जा चुका है तथा कितने शेष हैं ?

(2) क्या शेष पंचायत मुख्यालयों को भी मुख्य सड़कों से जोड़ने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पाली जिले के जैतारण विधान सभा क्षेत्र में 34 पंचायत मुख्यालय विभिन्न प्रकार की सड़कों से जोड़े जा चुके हैं तथा 3 पंचायत मुख्यालय सड़कों से जोड़ना शेष है ।

(2) केकीन्दड़ा व रातड़िया पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने के कार्य को स्वीकृति दी जा चुकी है तथा शेष एक पंचायत मुख्यालय प्रतापगढ़ को सड़क से जोड़ना वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा ।

अजमेर नगर परिषद् क्षेत्र की सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित सड़कें

594. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर नगर परिषद् क्षेत्र की कितनी सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन रख-रखाव के लिए स्थानान्तरित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) ये सड़कें इस विभाग के अधीन कब-कब ली गईं ?

(3) इन सड़कों पर सड़कवार रख-रखाव पर आज तक हुए व्यय की सूचना सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) अजमेर नगर परिषद् क्षेत्र की 26 सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन रख-रखाव के लिए स्थानान्तरित हैं । सूची संलग्न है ।

(2) उपरोक्त 26 सड़कों में से 20 सड़कें वर्ष 3/80, में एक सड़क 83-84 में, 2 सड़कें 5/88 में, दो सड़कें 8/88 में एवं एक सड़क 89-90 में स्थानान्तरित हुई है । सूची संलग्न है ।

(3) इन सड़कों पर सड़क वार रख-रखाव पर हुए माह 2/94 तक के व्यय की सूचना संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

पंचायत मुख्यालय को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने हेतु विश्व बैंक से प्राप्त सहायता

595. श्री रामस्वरूप (टोडा-भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने के लिए सरकार को विश्व बैंक से सहायता मिलती है ? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय जिला दौसा की पंचायत समिति के ग्राम पंचायत जसोता को वर्ष 1992-93 में विश्व बैंक द्वारा सम्पर्क सड़क से जोड़ने के लिए चुना गया था ?

(3) वर्ष 1992-93 में चुनी गयी सड़कों को ग्राम पंचायत मुख्यालय से अब तक न जोड़ने के क्या कारण रहे ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत को वर्ष 1994 तक सम्पर्क सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(श्री रामस्वरूप)

(5) सरकार तहसील दौसा में वर्ष 1994 तक कितनी ग्राम पंचायतों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां ।

(3) विश्व बैंक सहायता परियोजना के अन्तर्गत 1992-93 में चयनित सड़कों का निर्माण राजस्थान कृषि विपणन मण्डल द्वारा प्रगति पर है एवं अगले दो साल में पूर्ण होने की संभावना है ।

(4) उक्त ग्राम पंचायतों को वर्ष 1994 तक सम्पर्क सड़क से जोड़ना संभव नहीं है ।

(5) उपरोक्त वर्णित विवरण के अनुसार विश्व बैंक सहायता परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्राम पंचायतों को आले दो साल में पूर्ण करना प्रस्तावित है । वर्ष 1994 में कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकेगा ।

खानपुर झालावाड़ मार्ग की मरम्मत

596. श्री भरत सिंह (खानपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या खानपुर से झालावाड़ तक के मार्ग को ठीक करवाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या कार्य प्रस्तावित है तथा इन पर कितनी लागत आयेगी ।

(2) क्या इस मार्ग पर आने वाले नालों पर नये पुलों का निर्माण करवाना भी प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कहां-कहां व इन पर कितनी लागत आयेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

खानपुर से झालावाड़ तक के मार्ग को ठीक करवाने के लिए प्रस्तावित कार्य निम्न प्रकार हैं :-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत
1.	रिनिवल 20 एम. एम. पी. एम. सी. किमी. 55/0 59/0 एवं किमी. 61/0 से 64/0 कुल 7 कि.मी.	9.00
2.	किमी. 65 में रिमेटलिंग का कार्य ।	2.50

(2) जी, नहीं । वित्तीय संसाधनों के अभाव में कोई नये पुल का निर्माण प्रस्तावित नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की रोघई से करनपुर एवं करनपुर से बालेर सड़क निर्माण

597. श्री रंगजी (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा को रोघई से करनपुर एवं करनपुर से बालेर

(श्री रंगजी)

सड़क निर्माण के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(2) उक्त सड़कों पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है एवं कुल कितने किलोमीटर सड़क पर डामर होना दर्शाया गया है ? मौके पर कितने किलोमीटर डामर सड़क मौजूद है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा (सवाई माधोपुर) में रोधई से करनपुर एवं करनपुर से बालेर की सड़कों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न प्रकार से है :-

(स्वीकृत राशि लाखों में)

(i) रोधई से करनपुर सड़क किमी. 0/0 से 24/350 210.18

(ii) करनपुर से बालेर सड़क को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दो खण्डों में निम्न प्रकार है :-

(अ) बालेर से ऊंटगिरी किमी.

0/0 से 16/600 84.00

(ब) ऊंटगिरी से करनपुर किमी.

16/600 से 29/800 63.00

147.00

योग :-357.18

(2) रोधई से करनपुर सड़क पर 166.07 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है एवं 15 किमी. की लम्बाई में डामर का कार्य हो चुका है।

बालेर से करनपुर सड़क पर 131.83 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है एवं 10.50 किमी. की लम्बाई में डामर का कार्य हो चुका है।

इंजीनियरिंग श्रेणी के उद्योगों से प्रदूषण

598. श्री रामनारायण (नैनवा) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में इंजीनियरिंग श्रेणी के उद्योग हैं ? यदि हां, तो कितने ? वर्गवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल ने ऐसे उद्योगों के निस्तारित प्रदूषित जल एवं वायु के मानक निर्धारित किए हुए हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ऐसे उद्योगों के निस्तारित जल एवं वायु की जांच की गयी है ? यदि हां, तो कब-कब ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब जांच कब तक करवाली जावेगी ? अंतिम बार आये जांच परिणामों का नतीजा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य में जल एवं वायु प्रदूषण की दृष्टि से वृहद मध्यम वर्ग के 65 जनरल इंजीनियरिंग श्रेणी के उद्योग

(पर्यावरण मंत्री)

चिन्हित किये गये हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य मण्डल द्वारा जनरल इंजीनियरिंग श्रेणी के उद्योगों पर पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित एवं मण्डल द्वारा अधिमान्य मानक अधिरोपित किये जाते हैं। मानक परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। उद्योगों से निस्त्रावित प्रदूषित जल एवं उत्सर्जित वायु की जांच की दिनांक परिशिष्ट 'अ" पर उपलब्ध है। वर्तमान में 65 उद्योगों में से 10 उद्योग बन्द हैं। शेष 55 उद्योगों में से 43 उद्योगों से जल प्रदूषण की एवं इन्हीं 55 उद्योगों में से 46 से वायु प्रदूषण की समस्या है। 43 जल प्रदूषक उद्योगों में 7 उद्योगों ने प्रदूषण नियन्त्रणार्थ प्रदूषित जल के निकास की मात्रा शून्य कर ली है। शेष 36 उद्योगों से निस्त्रावित जल के जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां संलग्न हैं। 46 वायु प्रदूषक उद्योगों में से 30 उद्योगों में समुचित ऊंचाई की चिमनी लगाकर वायु प्रदूषण को नियन्त्रित किया गया है। 6 उद्योगों से उत्सर्जित वायु के जांच प्रतिवेदनों की प्रतिलिपियां संलग्न हैं। शेष 10 उद्योगों से उत्सर्जित वायु की जांच नियमित जांच कार्यक्रम के अन्तर्गत की जायेगी।

(सूची एवं सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

वन विकास हेतु आरक्षित भूमि

599. **श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कितनी हैक्टेयर भूमि वन विकास हेतु आरक्षित की गई है तथा कितनी भूमि में वन विकसित किए जा चुके हैं, कितनी भूमि पर विकास कार्य जारी है ?

(2) वर्ष 1993-94 में वन विकास हेतु कितनी राशि की योजना थी तथा कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नागौर जिले में सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाये जाने हेतु किस-किस जगह, कहां-कहां कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? वर्ष 1992-93, 1993-94 में आवंटित धन से कराये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वन विकास हेतु भूमि पृथक से आरक्षित नहीं की गई है। वन भूमि, सरकारी पड़त भूमि एवं सामुदायिक भूमि पर वन विकास कार्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत करवाये जा रहे हैं। वर्ष 1992-93 के अन्त तक 10.66 लाख हैक्टेयर भूमि पर वन विकास कार्य करवाये गये हैं। वित्तीय वर्ष 1993-94 में 65,000 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है।

(2) वर्ष 1993-94 में राज्य योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं एवं क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल

(37)

(वन मंत्री)

11297.51 लाख रुपये के संसाधन उपलब्ध थे, उपलब्ध संसाधन के विरुद्ध माह जनवरी, 1994 तक 6849.80 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। कार्यक्रमवार विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट–"क" के अनुसार रख दिया गया है।

(3) वर्ष 92–93 एवं 93–94 में नागौर जिले में सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने के लिए आवंटित एवं व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "ख" के अनुसार रख दिया गया।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

वन विकास निगम को जारी निर्देशों की पालना

600. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने राज्य वन विकास निगम को गत तीन वर्षों में कोई डायरेक्टिव्ज, आदेश अथवा निर्देश जारी किए हैं ? यदि हां, तो किस–किस विषय में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निगम ने सरकार द्वारा दिए गए डायरेक्टिव्ज, आदेशों एवं निर्देशों का पालन किया है ? यदि नहीं, तो किस-किस डाइरेक्टिव, आदेश अथवा निर्देश का पालन नहीं किया और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने निगम द्वारा पालना नहीं किये जाने के संदर्भ में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार ने वन विकास निगम को बन्द करने के निर्णय सम्बन्धी निर्देश दिये। निर्देश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां।

(3) निगम द्वारा पालना कर दिये जाने के कारण कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं रही।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें।)

राज्य में विभिन्न योजनान्तर्गत वृक्षारोपण

601. श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़) एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य में इस वर्ष विभिन्न योजनाओं में प्रत्येक जिले में कितने-कितने पेड़ लगाये गये, कितने पेड़ लगाने की योजना थी इस पर कुल कितना धन खर्च किया गया, कितने श्रमिकों को रोजगार दिया गया; कितने मानव दिवसों को उपयोग किया गया तथा इसमें कितने पेड़ बचे तथा कितने नष्ट हो गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में इस वर्ष वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगाये गये पेड़ों की जिलेवार संख्या, लक्ष्य, व्यय धन राशि, सृजित मानव दिवस एवं जीवित/नष्ट पौधों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

पंचायत समिति मूण्डवा में एल.टी. योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन

602. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मूण्डवा में वर्ष 1993-94 में कृषि हेतु एक पोल दो पोल (एल-टी) योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो कितने मांग-पत्र अब तक जारी किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) पंचायत समिति मूण्डवा में वर्ष 1993-94 में कृषि कनेक्शन का आवंटन का लक्ष्य क्या था, अब तक कितने मांग-पत्र जारी किये, तथा कितनों की राशि जमा हुई है, इनमें से कितने कनेक्शन दिये जा चुके है ? क्या शेष कनेक्शन 31 मार्च, 1994 तक सभी मांग-पत्र की जमा राशि वालों को दे दिये जाएंगे ? सूची मांग-पत्र की जमा राशि वालों का नाम एवं ग्राम सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि पंचायत समिति मूण्डवा में वर्ष 1993-94 में कृषि हेतु एक पोल योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन करने का लक्ष्य 87 निर्धारित किया गया है। अभी तक एक भी मांग-पत्र जारी नहीं किया गया। क्योंकि टेक्नीकल फिजिबिलिटी की जांच का कार्य चल रहा है और मांग-पत्र शीघ्र जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है। दो पोल (एल. टी.) हेतु कनेक्शन दिये जाने की कोई योजना नहीं है।

(2) पंचायत समिति मूण्डवा में कृषि कनेक्शन का लक्ष्य 368 था। अब तक 281 मांग-पत्र जारी किये गये तथा 279 की मांग-पत्र की राशि जमा हुई है। इनमें से 198 कनेक्शन दिये जा चुके हैं। शेष कनेक्शन 31 मार्च, 1994 तक दिये जाने की संभावना है। मांग-पत्र की जमा राशि वालों का नाम एवं गांव की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

भैरुंदा (नागौर) में 132 के. वी. ट्रांसफार्मर की स्थापना

603. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 132 के. वी. जी. एस. एस. भैरुंदा (नागौर) में 20 एम. वी. का केवल एक ही ट्रांसफार्मर कार्यरत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ट्रांसफार्मर पर लोड अधिक है ?

(3) क्या सरकार 132 के. वी., जी. एस. एस. भैरुंदा में एक बड़ा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर और लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। उक्त ट्रांसफार्मर पर क्षमता के अनुरूप ही लोड है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) उपरोक्त ट्रांसफार्मर पर क्षमता के अनुरूप ही लोड होने के कारण अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने की अभी आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में घाटा

604. श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को 31 जनवरी, 1994 तक कितना घाटा था ?

(2) विद्युत मण्डल ने किन-किन सूत्रों से जनवरी, 1994 तक कर्जा ले रखा है ? गत 5 वर्षों में प्रतिवर्ष मूल व ब्याज सहित कितना-कितना चुकारा किया गया ?

(3) विद्युत मण्डल पर ऋण के अलावा किस-किस की कितनी-कितनी कब-कब से देनदारी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल के लेखा विवरण प्रति वर्ष 31 मार्च को बन्द किये जाते हैं। अतः बजट घाटा 31 जनवरी, 1994 तक बताना संभव नहीं है। वर्ष 1992-93 तक अर्थात् 31 मार्च, 1993 तक यह घाटा 529.49 करोड़ रुपये का था।

(2) विद्युत मण्डल ने जनवरी, 1994 तक विभिन्न सूत्रों से पुनः भुगतान के बाद शुद्ध कर्जा 2678.07 करोड़ रुपये लिये हुए हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। मण्डल द्वारा गत 5 वर्षों में चुकाये गये मूलधन व ब्याज का ब्योरा परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) उपरोक्त ऋणों के अतिरिक्त विद्युत मण्डल की 31-1-94 तक देनदारियां निम्न प्रकार है :-

	(राशि करोड़ रु. में)
1. विद्युत क्रय	34.15
2. भाखरा-ब्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड (सतपुड़ा सहित)	5.97
3. सप्लायर्स को भुगतान	68.70
4. कोयला-कोल इण्डिया	32.22
5. रेलवे	64.44
6. गारंटी कमीशन	5.68
7. अन्य	24.59
कुल योग	235.75 करोड़

विद्युत मण्डल के सामान्य कार्यकलापों के दौरान आर्थिक कठिनाईयों की वजह से उक्त देनदारी रह जाती है जो कि समय-समय पर बदलती रहती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

डग पंचायत समिति का विद्युतीकरण

605. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डग पंचायत समिति के कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ?

(श्री बाबूलाल वर्मा)

(2) विद्युतीकरण हेतु कितने ग्राम शेष हैं ?

(3) शेष ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने के बारे में सरकार की क्या योजना है एवं इनका विद्युतीकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जनगणना पुस्तिका 1981 के अनुसार पंचायत समिति डग, जिला झालावाड़ में कुल 232 ग्राम हैं जिनमें से माह मार्च, 1993 तक 119 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है तथा 7 ग्राम चालू सत्र में अब तक विद्युतीकृत घोषित किये जा चुके हैं। इस प्रकार पंचायत समिति डग में अब तक कुल 126 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(2) पंचायत समिति डग जिला झालावाड़ में माह फरवरी, 1994 के अन्त तक 106 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष है।

(3) पंचायत समिति डग जिला झालावाड़ के शेष बचे 106 ग्रामों का विद्युतीकरण योजना मद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित वित्त एवं घोषित वार्षिक लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में किया जाना संभव होगा।

निर्वाचन क्षेत्र पुष्कर में कुओं का विद्युतीकरण

606. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुष्कर निर्वाचन क्षेत्र की किस-किस तहसील के किस-किस गांव में कितने-कितने कुओं को विद्युतीकृत करने का वर्ष 1992-93 एवं 1994 में लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इन लक्ष्यों की पूर्ति किस सीमा तक हो सकेगी ?

(2) क्या सरकार द्वारा 1994-95 में पुष्कर निर्वाचन क्षेत्र के कुओं को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति श्रीनगर एवं पीसांगन पंचायत समितियों में कृषि कुओं का लक्ष्य एवं उपलब्धियों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां	
	पीसांगन	श्रीनगर	पीसांगन	श्रीनगर
1991-92	162	102	162	99
1992-93	47	91	51	89
1993-94	146	90	55	35
				(15-2-9? तक)

वर्ष 1993-94 में आवंटित लक्ष्यों को इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) जी, नहीं. वर्ष 1994-95 में कृषि कुओं का लक्ष्य अभी आवंटित नहीं किया गया है।

तहसील कोटड़ा (उदयपुर) में विद्युत आपूर्ति नियंत्रण

607. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील मुख्यालय की विद्युत आपूर्ति का नियंत्रण सिरोही जिले के अधीन एवं प्रशासनिक नियंत्रण उदयपुर जिले के पास है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस दोहरी नियंत्रण व्यवस्था से कोटड़ा जनजाति तहसील में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था समुचित नहीं है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार इस दोहरी व्यवस्था को समाप्त कर एक ही स्थान से नियंत्रण की व्यवस्था का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं किस रूप में ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। बिजली व्यवस्था सिरोही जिले से समुचित हो रही है एवं किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है।

(3) विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। अतः नियंत्रण व्यवस्था में परिवर्तन करने की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है।

कर्मचारियों की विद्युत करन्ट से मृत्यु प्रकरण

608. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1990-91 व 92-93 में कितने कर्मचारियों की विद्युत करन्ट से कहां-कहां पर मृत्यु हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या उपाय किये गये ?

(3) क्या इन दुर्घटनाओं के बारे में किन्हीं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) जोधपुर जिले में ऐसी कितनी घटनाएं हुई ? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 व 1992-93 में कमशः 52 व 56 कर्मचारियों की विद्युत करन्ट से दुर्घटना से मृत्यु हुई। विस्तृत विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) सामान्य रूप से विद्युत दुर्घटना कर्मचारियों की लापरवाही एवं सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने से होती है। अतः कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरणों के उपयोग व सुरक्षा नियमों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर आवश्यक निर्देश भी दिये गये हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जी, हां। इन दुर्घटनाओं के लिए मण्डल द्वारा जांच के पश्चात् दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है जिसका विवरण संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शा दिया गया है।

(4) जोधपुर जिले में उक्त अवधि में कुल 6 कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु हुई है। इन सभी मामलों में मृतकों के आश्रितों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि दी गई है। विवरण प्रपत्र "ब" संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम बस्सी (जयरामपुरा) में 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन की स्थापना

609. श्री महादेव सिंह (खण्डेला): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के ग्राम बस्सी (जयरामपुरा) में 132 के. वी. ग्रिड का स्टेशन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? क्या यह निर्णय पूर्व में लिया जा चुका है? यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में 132 के.वी. ग्रिड सबस्टेशन कहां-कहां हैं? यदि कहीं भी नहीं है तो क्यों? क्या सरकार इस क्षेत्र में कहीं भी उक्त स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां व कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में खण्डेला क्षेत्र के ग्राम बस्सी में 132 के. वी. का ग्रिड सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) बस्सी (जयरामपुरा) श्रीमाधोपुर 132 के. वी. ग्रिड से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। श्रीमाधोपुर में 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण इसी वर्ष (1993-94) में करके दिनांक 31-12-93 को चालू कर दिया गया है। इससे बस्सी (जयरामपुरा) को सही वोल्टेज पर उचित मात्रा में विद्युत उपलब्ध हो सकेगी।

भूतपूर्व राजा-महाराजाओं तथा जागीरदारों की भूमि

610. श्री अमराराम (धोद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में भूतपूर्व राजा-महाराजाओं तथा जागीरदारों के पास कितनी-कितनी भूमि है एवं क्या इन पर सीलिंग कानून लागू किया गया है?

(2) क्या सरकार सीलिंग कानूनों को कड़ाई से लागू करके उससे प्राप्त जमीन को गरीबों में बांटना चाहती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में भूतपूर्व राजा-महाराजाओं एवं जागीरदारों की संख्या 2,98,896 (लगभग 3 लाख) है। अत: उनके कब्जे में भूमि की सूचना उपलब्ध कराने में काफी समय लगेगा एवं प्रश्न विस्तृत है।

(राजस्व मंत्री)

उक्त पर भी सीलिंग कानून लागू किया गया है।

(2) जी, हां। सीलिंग प्रकरणों को न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है एवं इसमें समय लगना सम्भव है। जब भी भूमि प्राप्त होगी तब ही आवंटन की कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

जिला भरतपुर में राजस्व अपील अधिकारी कैम्प कोर्ट की स्थापना

611. श्री अरुणसिंह (डीग): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार डीग सब डिवीजन की तहसील-कामां, पहाड़ी नगर तथा डीग के अपीलीय कार्य निपटाने बाबत भरतपुर जिले में राजस्व अपील अधिकारी के दो कैम्प कोर्ट (आर. ए. ए.) खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक ?

उत्तर

भरतपुर जिले के उपखण्ड डीग की तहसील कामां, एवं पहाड़ी-क्षेत्र की राजस्व अपील सुनने का अधिकार भू-प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर को दिया हुआ है, तथा तहसील डीग एवं नगर के क्षेत्र की राजस्व अपीलें सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर को दिया हुआ है। उक्त दोनों अधिकारियों का कैम्प कोर्ट उपखण्ड मुख्यालय अथवा तहसील मुख्यालय पर लगाने का कोई विचार नहीं है।

उदयपुर शहर कृषि भूमि का आवासीय भूमि में नियमितीकरण

612. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कृषि भूमि को आवासीय भूमि में नियमन करने के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उदयपुर नगर में कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन करने के लिए वर्ष 1991, 1992 व 1993 में कितनी राशि जमा हुई ? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किस-किस योजना के अन्तर्गत कितने आवासों का या कालोनियों का नियमन कर दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ? शेष भवनों के नियमन के कितने प्रार्थना-पत्र अभी तक विचाराधीन हैं ? इनका कब तक निस्तारण कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) राज्य में नगरीय क्षेत्रों के लिए कृषि में नियमन करने के नियम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि को आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आबंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1981 राजपत्र में दिनांक 26.12.1961 को प्रकाशित किये जा चुके है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1992 के नियम बनाये गये जिनका प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 27.4.92 को हुआ है।

(राजस्व मंत्री)

(2) उदयपुर नगर में कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन करने के लिए वर्ष 1991 में 51676/- रु0, 1992 में 29181/- रु0, 1993 में 71488/- रु. की राशि विभिन्न आवेदकों द्वारा जमा कराई गई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वर्ष 1991, वर्ष 1992 एवं वर्ष 1993 में जिन आवेदकों द्वारा आवास नियमन हेतु राशि जमा कराई गई एवं जिसकी सूची परिशिष्ट "क" पर हैं, में मात्र दो मामलों में नियमन अब तक नहीं किया गया है। इनकी सूचना परिशिष्ट "ख" पर है। इन शेष दो विचाराधीन मामलों में क्रमशः वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस सुनने एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर व नगर विकास न्यास, उदयपुर की राय प्राप्त होने पर निर्णय कर दिया जायेगा। परिशिष्ट "क" में दर्ज शेष समस्त मामलों में नियमन कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

ग्राम लालपुर (अलवर) के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण

613. श्री **एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम लालपुर पंचायत समिति कोटकासिम तहसील किशनगढ बास जिला अलवर में स्थित राजकीय मिडल स्कूल की खसरा नं. 519 में से साढ़े तीन बीघा भूमि जिलाधीश अलवर द्वारा खेल मैदान हेतु आबंटित की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण है ? यदि हां, तो अभी तक अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

(3) भविष्य में स्कूल की आबंटित भूमि पर से अतिक्रमण कब तक हटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) उक्त भूमि ख. नं. 519/841 के 3 बिस्वा रकबे पर मु. रामगिरी बेवा जगमालसिंह हाल पत्नी सहजराम द्वारा अपने पूर्व पति जो 1962 में भारत-चीन युद्ध में शहीद हुआ था की स्मृति में शहीद स्मारक बनाकर तारकशी कर अतिक्रमण कर रखा है। अतिरिक्त कलक्टर, अलवर के न्यायालय के निर्णय दिनांक 25-2-92 के तहत मु. रामगिरी के कब्जे युक्त भूमि में से क्रीड़ांगन के लिए कोई रकबा नहीं दिया जाने का निर्णय हुआ।

(3) अतिरिक्त कलक्टर, अलवर के निर्णय के विरूद्ध अपील राजस्व अपील अधि. अलवर के यहां विचाराधीन हैं। अपील के निस्तारण उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

तहसील परबतसर में भूमि की जमाबन्दी

614. श्री **रामेश्वरलाल चौधरी (नावां)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(श्री रामेश्वर लाल चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि परवतसर तहसील में संवत् 2031 से 2033 के दौरान भू-प्रबन्ध विभाग की ओर से भू-सुधार कराया गया तथा राजस्व नक्शों व जमाबन्दियों में मौके अनुसार इन्द्राज किये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उसी भू-सुधार कार्य के दौरान राजस्व ग्राम मकराना का भी भू-सुधार (पुनः भू प्रबन्ध) किया गया था ? यदि हां, तो उक्त भू-सुधार में मकराना के राजस्व खसरा नं. 604 के राजस्व नक्शे व जमाबन्दी में क्या-क्या परिवर्तन किया गया ? भू-सुधार के बाद की नक्शा व जमाबन्दी की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भू-सुधार में भू-प्रबन्ध विभाग को नक्शा व जमाबन्दी में मौके के अनुसार टुकड़े दर्ज करने का अधिकार था ?

उत्तर

(1) जी, नहीं ।

(2) जी, नहीं । चूंकि कोई भू-प्रबन्ध नहीं किया गया, अतः शेष सूचना का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(3) यह सही है कि भू-प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू-प्रबन्ध विभाग को मौके के अनुसार टुकड़े दर्ज करने का अधिकार है लेकिन चूंकि इस मामले में कोई भू-प्रबन्ध कार्यवाही नहीं की गई है, अतः टुकड़े आदि दर्ज करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम कानोता (जयपुर) की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण

615. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कानोता तहसील बस्सी के आर. जी. खसरा नम्बर 86 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा जो राजकीय गैर मुमकिन पाल है, उस पर कुछ लोगों द्वारा बुल्डोजर से भूमि समतल की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सरकारी भूमि पर किन्हीं प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कब्जे किया जाकर प्लाट काटे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि जनता की शिकायत होने के बावजूद भी पटवारी हल्का ने समय पर रिपोर्ट नहीं की तथा तहसीलदार एवं पटवारी अपने हल्के से नदारद रहे तथा भूमि पर बुल्डोजर चला कर राजकीय पाल ध्वस्त कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) इस भूमि को किन व्यक्तियों द्वारा व किसे बेचा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त तालाब की पाल को तोड़ने की तहसीलदार बस्सी द्वारा जिला कलक्टर को सिफारिश की गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त पाल के टूटने से काश्त कारों की खेती प्रभावित होगी व मवेशियों के पीने के पानी की समस्या के साथ वर्षा में राजमार्ग पर पानी

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

भर जाने से यातायात में व्यवधान आयेगा ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या के समाधान हेतु क्या प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

उक्त पाल के समीप के खातेदार श्री मोहन सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह राजपूत निवासी कानोता द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में मिट्टी डालने के लिए 8–2–94 व 9–2–94 को पाल तोड़ने की कार्यवाही की गई थी।

(2) जी, नहीं। यह सही नहीं है। मौके से पाल तोड़ी गई है। जिसकी मिट्टी खुली पड़ी है। वहीं प्लाट आदि के लिए डिमारकेशन किया हुआ नहीं है।

(3) इस संबंध में एक प्रार्थना-पत्र, जो कि उप खण्ड अधिकारी को सम्बोधित था, दिनांक 14-2-94 को अति. कलक्टर (प्रथम) जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह सही नहीं है कि प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुतीकरण से पूर्व दिनांक 9-2-94 एवं 11-2-94 को कार्यवाही की गई तथा दिनांक 13-2-94 को श्री मोहनसिंह पुत्र श्योनाथ सिंह एवं श्री रामू पुत्र रामनाथ मीणा बुलडोजर चालक निवासी श्यामपुरा के खिलाफ पुलिस थाना बस्सी में प्रथम सूचना रिपोर्ट पत्र राजस्व/94/542 दिनांक 11-2-94 के द्वारा दर्ज कराई गई जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 49 दिनांक 13-2-94 की धारा 447 व 427 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज की गई। दिनांक 3-3-94 को बुलडोजर के मालिक द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर रुपये 10,000/– के मुचलके पर उक्त बुलडोजर रिलिज किया गया। वर्तमान में कार्य बन्द है।

(4) जी, नहीं मुताबिक पंजीयन रिकार्ड कोई बेचान नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(5) जी, हां यह सही है कि पाल तोड़ने की अनुशंसा तहसीलदार द्वारा की गई थी। परन्तु पाल के टूटने से पानी निर्धारित स्थान से हटकर बहने पर अन्य काश्तकारों की भूमि प्रभावित होने की संभावना नहीं है वर्तमान में तोड़ी गई पाल सड़क की ऊंचाई तक ही हैं अतः पानी एकत्रित होने की क्षमता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग को कोई क्षति होने का अंदेशा नहीं है।

जिला दौसा के भूमिहीनों को भूमि का आवंटन

616. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दौसा जिले की सीलिंग में अवाप्त भूमि में से कितनी भूमि भूमिहीनों को आवंटित की गयी एवं कितनी भूमि का आवंटन शेष है ?

(2) क्या सरकार शेष भूमि का शीघ्र आवंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) दौसा जिले में सीलिंग में अवाप्त भूमि में से 1561 एकड़ भूमि भूमिहीनों को आबंटित की गई एवं कृषि योग्य 94 एकड़ भूमि का आबंटन शेष है।

(2) जी, हां। आबंटन के लिए उपलब्ध कृषि भूमि का आबंटन विधान सभा सत्र के बाद किया जायेगा।

जिला बांसवाड़ा के कृषकों का खाता प्रकरण

617. श्री दलीचन्द (दानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में कुछ ऐसे कृषक हैं जिनका वर्षों से एक ही खाता चल रहा है और एक-एक खाते में 10 से 15 व्यक्ति कृषि कर रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के खातों के बंटवारे के बारे में कोई विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां संयुक्त खातों की अधिकता का कारण खातेदार के फौत हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरण द्वारा संयुक्त हो जाते हैं।

(2) इस तरह के संयुक्त खातों का बंटवारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार सह खातेदारान द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर सहमति से तहसीलदार द्वारा एवं खातेदारों के मध्य विवाद होने की स्थिति में राजस्व न्यायालयों द्वारा किये जाते हैं।

तहसीलों के पुन: भू-प्रबन्ध के प्रकरण

618. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या तहसील दांतारामगढ़, नोखा, जालौर, कपासन, टोडाभीम, शाहपुरा, अजमेर एवं नसीराबाद में पुन: भू-प्रबन्ध की कार्यवाही की गई ?

(2) यदि नहीं, तो इन तहसीलों के भू-राजस्व में वृद्धि होने का क्या कारण है?

(3) क्या भूमि की लगान दरों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है ? यदि हां, तो बिन्दु संख्या एक में उल्लेखित तहसीलों के लगान में की गई वृद्धि की स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) बिन्दु संख्या एक में उल्लेखित तहसीलों का कुल लगान सम्वत् 2048 में कितना-कितना कायम हुआ तथा बारानी भूमि के लगान की माफी के अन्तर्गत कितना लगान संदाय से मुक्त रहा ?

(5) क्या अब इन तहसीलों की भू-प्रबन्ध कार्यवाहियां बन्द हो चुकी हैं ? यदि हां, तो अब कितना भू-राजस्व कायम किया जायेगा तथा कितना संदाय से मुक्त रहेगा ?

(6) क्या सरकार भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत

(48)

(श्री अमराराम)

अधिकारियों द्वारा बढ़ाये गये लगान को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(7) क्या सम्वत् 2048 के अभिलेख में अंकित बारानी भूमि को अगर कृषक द्वारा अपने निजी साधनों से चाही किया गया है, तो क्या सरकार द्वारा उस बारानी भूमि का लगान वसूल किया जाता है ? यदि नहीं, तो बिन्दु एक में उल्लेखित तहसीलों में चाही होने पर चाही की लगान दर क्यों लगाई गई है तथा अधिनियम की धारा 159 के अन्तर्गत छूट क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) इन तहसीलों में भू-राजस्व दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई परन्तु भूमि वर्गीकरण में परिवर्तन के कारण कुल भू-राजस्व में वृद्धि हुई है।

(3) जी, हां। परन्तु चूंकि लगान दर में कोई वृद्धि नहीं की गई, अतः राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी।

(4) बिन्दु संख्या 1 में उल्लेखित क्रमशः तहसील (1) दांतारामगढ़ में सम्वत् 2048 में कुल 2,96,402 रु. मांग कायम हुई एवं 1,91,568 रु. बारानी भूमि का लगान संदाय से मुक्त रहा। (2) नोखा में 2,52,725.75 रु. मांग कायम हुई एवं 2,52,725.75 रु. लगान संदाय से मुक्त रहा (3) जालौर में 6,74,864.90 रु. कुल मांग कायम हुई एवं 3,69,172 रु. लगान संदाय से मुक्त रहा (4) कपासन में 5,00,041 रु. कुल मांग कायम हुई एवं 1,49,341 रु. लगान संदाय से मुक्त रहा (5) टोडाभीम में 7,97,510.67 रु कुल मांग कायम हुई एवं 1,76,015.39 रु. लगान संदाय से मुक्त रहा (6) शाहपुरा में 3,28,673 रु. लगान कायम हुआ एवं 1,20,800 रु. लगान संदाय से मुक्त रहा (7) अजमेर में 3,04,669 रु. कुल मांग कायम हुई एवं 69,572 रु. लगान संदाय से मुक्त रहा (8) नसीराबाद में कुल लगान 1,29,821 रु. कायम हुआ एवं 29,020 रु. लगान संदाय से मुक्त रहा।

(5) इन तहसीलों में भू-प्रबन्ध कार्यवाही वास्तव में नहीं की गई थी परन्तु भू-प्रबन्ध कार्यवाही करने की अधिसूचना जारी करने के कारण तहसील नोखा में कार्य अभी चालू है। दांतारामगढ़, कपासन, शाहपुरा, अजमेर व नसीराबाद में भू-प्रबन्ध कार्यवाही 10-12-93 को बन्द कर दी गई, किन्तु इनमें राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में कार्य प्रारम्भ की अधिसूचना पुनः 11-1-94 को जारी की गई। तहसील जालौर में अक्टूबर, 93 में व टोडाभीम में सितम्बर, 93 में भू-प्रबन्ध कार्य बन्द घोषित किया जा चुका है। तहसील टोडाभीम में 6,21,695 रु. लगान संदाय किया जायेगा तथा 1,76,015 रु. संदाय से मुक्त रहेगा। तहसील जालौर में 9,55,486 रु. लगान संदाय किया जायेगा तथा 3,77,410 रु. संदाय से मुक्त रहेगा।

(6) जी, नहीं। कोई भू-प्रबन्ध की कार्यवाही इन तहसीलों में नहीं हुई बल्कि

(राजस्व मंत्री)

सर्वे एवं आंशिक भू-अभिलेख पुनरीक्षण की कार्यवाही हुई थी जिसके अन्तर्गत भूमि की लगान दरों में परिवर्तन नहीं होता। भूमि वर्गीकरण के परिवर्तन के कारण सम्बन्धित भूमि की लगान दर लगाये जाने के कारण ही कुल भू-राजस्व में परिवर्तन हुआ है।

(7) यदि भूमि का वर्गीकरण बदलता है तो बदले हुये वर्गीकरण के अनुसार लगान वसूल किया जाता है।

बैंकों के लेखों का आडिट

619. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बैंकों की आडिट हर साल समय पर की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) राजस्थान के कौन-कौन से जिला सहकारी बैंक ऐसे हैं कि जिनकी वित्तीय स्थिति नाजुक दौर से गुजर रही है? यदि हां, तो उसके सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) समस्त जिला सहकारी बैंकों (केन्द्रीय सहकारी बैंक) के गत 3 वर्षों (90-91, 91-92, 92-93) का आडिट राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत समय पर हुआ किन्तु बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार गत 3 वर्षों में निम्नलिखित बैंकों का आडिट समय पर नहीं हो सका है :-

1. राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (वर्ष 91-92)
2. जयपुर सैंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. (वर्ष 90-91)
3. जयपुर सैंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. (वर्ष 91-92)

इनका समय पर आडिट नहीं होने का कारण बैंकों द्वारा अन्तिम लेखे एवं आडिट हेतु वांछित अन्य स्टेटमेंट्स व सूचनाएं समय पर उपलब्ध नहीं कराना हैं।

(2) राज्य की 26 केन्द्रीय सहकारी बैंकों में से 13 केन्द्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति नाजुक दौर से गुजर रही है। इन बैंकों के नाम की सूचना परिशिष्ट-एक पर संलग्न है।

सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए एक "कार्य योजना" तैयार की गई है जिसमें उक्त 13 बैंकों का विशेष ध्यान रखा गया है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

ग्राम सेवा सहकारी समिति जोजावर व भगोड़ा में व्यवस्थापक

620. श्री हरिसिंह (महुआ): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति, जोजावर व भगोड़ा, जिला पाली की स्थापना के बाद कौन-कौन व्यवस्थापक कितने समय तक कार्यरत रहे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(50)

(श्री हरिसिंह)

(2) क्या इनमें से किसी व्यवस्थापक के विरुद्ध कभी कोई शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) इन समितियों के वर्तमान व्यवस्थापक कौन व कितने समय से हैं ?

(4) इन समितियों द्वारा वर्ष 1993 में कितनी राशन सामग्री वितरित की गयी एवं क्या सभी सामग्री राशन कार्ड धारी उपभोक्ताओं को ही वितरित की गयी है ?

उत्तर

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति जोजावर व भगोड़ा जिला पाली की स्थापना के बाद रहे व्यवस्थापकों का समयावधिवार विवरण परिशिष्ट-1 में सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जी हां । फरवरी, 83 में दलपतसिंह व्यवस्थापक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर श्री हनुमन्तसिंह, सहायक अधिशासी अधिकारी को 24-2-83 को जांच अधिकारी बनाया गया था । श्री सिंह द्वारा अपने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30-12-89 तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी । अब जांच कार्य हेतु श्री हीरासिंह चौहान, ऋण पर्यवेक्षक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है । जांच रिपोर्ट अपेक्षित है । जांच में विलम्ब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

श्री भागीरथसिंह, व्यवस्थापक के विरुद्ध दिनांक 3-5-93 व 1 -5-93 को शिकायत प्राप्त हुई थी जो गुमनाम थी तथा किसी के भी हस्ताक्षर नहीं थे । फिर भी तथ्यों की जानकारी बाबत श्री हीरासिंह चौहान को जांच अधिकारी लगाया गया है । जांच रिपोर्ट अपेक्षित हैं ।

(3) वर्तमान में जोजावर ग्राम सेवा सहकारी समिति में श्री दलपतसिंह दिनांक 26-10-86 से एवं भगोड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति में श्री भागीरथसिंह दिनांक 9-1-79 से व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत हैं ।

(4) (अ) जोजावर समिति द्वारा वर्ष 1993 में किसी भी प्रकार की राशन सामग्री का वितरण नहीं किया गया है, क्योंकि इस क्षेत्र की राशन सामग्री का वितरण का कार्य जिला रसद अधिकारी द्वारा निजी वितरक को दिया हुआ है ।

(ब) भगोड़ा समिति द्वारा वर्ष 1993 में (1-1-93 से 31-12-93 तक) राशन सामग्री के वितरण में 939.40 क्विंटल गेहूं एवं 243.00 क्विंटल चीनी का वितरण किया गया है ।

उक्त समस्त राशन सामग्री कार्डधारी उपभोक्ताओं को ही वितरित की गई है । (विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा

621. **श्री विश्वेन्द्र सिंह (नदबई) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को बिना नगद

(51)

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

भुगतान किये एलोपैथिक दवाइयां प्राप्त करने की सुविधा मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज, जयपुर स्थित राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की दुकान पर उपलब्ध है ?

(2) क्या सरकार यह सुविधा जयपुर महिला होलसेल सहकारी उपभोक्ता भंडार लि. मालवीय नगर, जयपुर पर भी दिलाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी नहीं, चूंकि मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर में उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित दवा की दुकान पर उक्त सुविधा उपलब्ध है, जो महिला भंडार, जयपुर के पास ही अवस्थित है।

अतारांकित प्रश्नसंख्या- 622
(स्थगित)

केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., डूंगरपुर की भूमि की नीलामी

623. **श्री भीमराज मीणा (आसपुर)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही हैं कि केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, डूंगरपुर की भूमि गेप सागर की पाल पर तहसील चौराहा एवं बस स्टैण्ड के बीच स्थित है ?

(2) क्या इस भूमि की नीलामी की कोई कार्यवाही की गई थी ? यदि हां, तो अब उक्त भूमि की क्या स्थिति हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, वर्तमान में कोई भूमि नहीं हैं।

(2) पूर्व में जो भूमि थी, उसकी सर्वप्रथम नीलामी दिनांक 13-4-88 को की गई थी, जिसमें अंतिम उच्चतम बोली 17,11.000/-रु. की लगी थी, किन्तु अंतिम उच्चतम बोली दाता द्वारा बोली की राशि जमा नहीं कराने के कारण बैंक द्वारा पुनः द्वितीय नीलामी दिनांक 30-4-88 को निश्चित की थी, जिसमें उच्चतम बोली (अन्तिम) रुपये 6,81,000/-की लगी थी, जिसे बैंक द्वारा स्वीकार कर अंतिम उच्चतम बोली दाता के पक्ष में छोड़कर भूमि विक्रय कर दी गई। उक्त नीलामशुदा भूमि की रजिस्ट्री क्रेता के पक्ष में दिनांक 5-5-1989 को करा दी गई।

जिला सहकारी संघों के कर्मचारियों को वेतनमान

624. **श्री अजय (नोहर)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला सहकारी संघों में अस्थायी एवं स्थायी वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कर्मचारियों का वेतनमान क्या है ? लम्बे समय से चले आ रहे स्थायी वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित वेतन

(श्री अजय)

श्रृंखला देने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी है।

(2) वेतन/वेतनमानों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। ये जिला सहकारी संघ के कर्मचारी हैं फलस्वरूप इनके स्थायी कर्मचारियों को नियमित वेतन श्रृंखला देने या नहीं देने का निर्णय संबंधित सहकारी संस्था द्वारा ही लिया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

ग्राम वा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों का सेवा प्रकरण

625. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों को राज्य कर्मचारी या बैंक कर्मचारी बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1991 में राजस्थान में सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी ? यदि हां, तो उक्त हड़ताल को इस आश्वासन पर तोड़ा गया था कि उन्हें बैंक कर्मचारी बना दिया जावेगा ? यदि हां, तो अब तक क्यों नहीं बनाया गया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति के ही कर्मचारी है।

(2) जी हां। जी नहीं।

पंचायत समिति, बोली एवं बामनवास के आय-व्ययक लेखे

626. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति, बोली और बामनवास की निजी आय वर्ष 1991-92, 92-93, 1993-94 में कितनी-कितनी रही ? किस किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पंचायत समिति, बोली और बामनवास की निजी आय वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 (दिसम्बर, 93 तक) में जो राशि प्राप्त हुई तथा खर्च की गई उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

जिला जालौर में प्राथमिक विद्यालयों को स्थापना

627. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(1) जालौर जिले में ऐसे कितने गांव हैं जिनकी आबादी 250 से अधिक होते हुए भी वहां प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ? उक्त ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय कब तक खोलने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) जालौर जिले में ऐसे कौन-कौन से पंचायत मुख्यालय हैं जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा कन्या प्राथमिक विद्यालय नहीं है ? सरकार वहां कब तक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जालौर जिले में वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 250 से अधिक जनसंख्या वाले विद्यालय विहीन राजस्व ग्राम एक है जहां वर्ष 1994-95 में प्राथमिक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी है। वर्ष 1994-95 में बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर निर्धारित मानदण्ड रखने वाले विद्यालयों को क्रमोन्नत करने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ग्राम सोलवियाताला (शेरगढ़) के विद्यालय की चार दीवारी का निर्माण

628. श्री खेत सिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि शेरगढ़ क्षेत्र के ग्राम सोलवियाताला में सिन्धियों का बेरा प्राथमिक शाला काफी पुरानी है और अभी तक उसकी चार दीवारी बनी हुई नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक शाला की चार दीवारी बनाने का इरादा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, ग्राम शेरगढ़ क्षेत्र सोलवियाताला में सिन्धियों की ढाणी प्राथमिक विद्यालय है जो सिन्धियों के बेरे पर स्थित है। यह प्राथमिक विद्यालय वर्ष 1985 से स्वीकृत है जिसकी चार दीवारी अभी तक बनी हुई नहीं है, किन्तु वर्ष 1994-95 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत इसकी चार दीवारी का कार्य करवाने का प्रस्ताव है।

ग्राम रोजवाड़ी (बस्सी) की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण

629. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बस्सी तहसील के ग्राम रोजवाड़ी में आम रास्ते पर अतिक्रमण का प्रकरण गत कई माह से चल रहा है? यदि हां, तो अतिक्रमण किसने व कब से कर रखा है?

(2) उक्त प्रकरण में पंचायत समिति के निर्णय की प्रति एवं जिलाधीश, जयपुर के द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री कुबेर सिंह) :

(3) क्या सरकार इस रास्ते से प्रभावित तीन गांव एवं पांच ढाणियों के किसानों एवं मवेशियों के आवागमन की समस्या को हल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रास्ता कब तक खोल दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, श्री बाबूलाल, रामप्रसाद, चिरंजीलाल, मूलचन्द पुत्र हर सहाय ब्राह्मण निवासी रोजवाड़ी के द्वारा दि. 21-6-91 के पूर्व से ही अतिक्रमण कर रखा है ।

(2) पंचायत समिति, बस्सी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, जयपुर के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी हां । यह सही है कि सरकार आवागमन की समस्या को हल करने का विचार रखती है । प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें बहस नहीं हो सकी है । प्रकरण में आगामी तिथि दिनांक 22-3-94 नियत की गई है । निर्णय-अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें ।)

जिला बून्दी की उन्नत चूल्हा योजना

630. श्री रामनारायण(नैनवां) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उन्नत चूल्हा योजना के तहत अब तक बून्दी जिले में कितनी राशि खर्च करके कितने चूल्हे निर्मित करवाये गये हैं । चूल्हा निर्मित करने वालों की सूची मय पते के सदन की मेज पर रखें ।

(2) अब तक बनाये गये उन्नत चूल्हों में से कितने चालू हालत में हैं, कितने मौके पर मौजूद नहीं है तथा कितने मौके पर खराब हालत में है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि तकनीकी कमियों एवं अनियमितताओं के कारण उन्नत चूल्हा योजना को आशातीत सफलता नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बाबत विस्तृत जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या मौके पर चूल्हे नहीं होने पर भी भुगतान करने के रेकार्ड तैयार करने बाबत जांच करवाई गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार चूल्हों का भौतिक सत्यापन करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बून्दी जिले में इस योजना के तहत 1984-85 से अब तक 10,08,577 रुपये की राशि खर्च की जाकर 24147 फिक्स चूल्हों का निर्माण कराया गया है । चूल्हा निर्मित करने वालों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) इस योजना के तहत अब तक लगाये गये चूल्हों में 24147 फिक्स चूल्हों में से 2148 चूल्हे चालू हालत में है । 20502 मौके पर मौजूद नहीं है क्योंकि ऐसे चूल्हों को निर्मित किये काफी समय हो

(राज्य मंत्री, पंचायत राज)

गया है। 1497 चूल्हे मौके पर खराब हालत में हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। योजना में कोई तकनीकी कमी अथवा अनियमितता नहीं है। अतः किसी प्रकार की जांच करवाने का राज्य सरकार का विचार नहीं है।

(4) जी नहीं, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

प्रदेश में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु सर्वे

631. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) एवं **श्री रामेश्वरलाल भाटी** (सुजानगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि प्रदेश के ऐसे भी ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्राम हैं जहां तक एक भी प्राथमिक विद्यालय अथवा अन्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वे कराया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार सभी ग्राम स्तर पर कब तक समुचित शिक्षा व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की सूचना के आधार पर प्रदेश में 5449 आबाद राजस्व ग्राम हैं जिनमें एक भी प्राथमिक विद्यालय अथवा शिक्षा की अन्य व्यवस्था नहीं है।

(2) जी हां, 1991 की जनगणना अनुसार जिला परिषदों के माध्यम से हाल ही सर्वे सूचना एकत्र की गई है।

(3) वर्ष 1994-95 में सामान्य क्षेत्रों में 1991 की जनगणना अनुसार 250 से अधिक जनसंख्या वाले तथा जनजाति क्षेत्र व रेगिस्तान क्षेत्र के 150 से अधिक आबादी वाले विद्यालय विहीन राजस्व गांवों में प्राथमिक शाला खोलने का विचार रखती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

जिला अलवर में अस्पतालों की स्थापना

632. **श्री मदन मोहन** (खैरथल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) अलवर जिले में कितने नये अस्पताल खोलने का सरकार का विचार है ?

(2) क्या अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव को दूर करने के लिए सरकार चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्तमान में अलवर में नये चिकित्सालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित नार्मस के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर योजना मद में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा।

विद्याधर नगर जयपुर में चिकित्सालय की स्थापना

633. **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशन पोल): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विद्याधर नगर, जयपुर में वर्तमान में एक भी सरकारी चिकित्सालय नहीं है? यदि हां, तो इस क्षेत्र की जनता की असुविधाओं के निदान के लिए क्या सरकार चिकित्सालय खोलने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) जब तक राजकीय चिकित्सालय के भवन तैयार नहीं हो तब तक राज्य कर्मचारियों तथा क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए क्या निजी भवन में चिकित्सक की सुविधा प्रदान करने का सरकार का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, विद्याधर नगर में चिकित्सालय हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आरक्षित की जा चुकी है और उनके चाहे अनुसार चिकित्सालय भवन का निर्माण हेतु नक्शा भी विभाग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। भवन निर्माण के उपरान्त चिकित्सालय स्थापित करने की कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी नहीं, विद्याधर नगर के समीप ही शास्त्रीनगर में स्थापित जिला चिकित्सालय एवं निकट में ही झोटवाड़ा में राजकीय औषधालय के माध्यम से विद्याधर नगर की जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

जिला बांसवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

634. **श्री जितेन्द्र नीनामा** (घाटोल): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला बांसवाड़ा में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं व सरकार, इन रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

जिला बांसवाड़ा के 41 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 14 चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त हैं।

इन रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनित चिकित्सा अधिकारियों की सूची प्राप्त हो हो चुकी है, तथा रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

राजकीय बी. डी. एम. अस्पताल, कोटपूतली में शैय्याएं

635. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के राजकीय बी. डी. एम. अस्पताल, कोटपूतली में कितने बैड हैं कितने कर्मचारी/अधिकारी (डाक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं सफाई कर्मचारी) कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल की बैड संख्या 50 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या इसके अनुसार स्टाफ भी बढ़ाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों व यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त अस्पताल में बालरोग विशेषज्ञ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ एवं उप नियंत्रक का पद है ? यदि हां, तो कब-कब से स्वीकृत है तथा कब से रिक्त हैं तथा उन्हें भरने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों व कब तक उक्त पदों पर नियुक्ति कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के राजकीय बी. डी. एम. अस्पताल, कोटपूतली में 150 बैड हैं। इस चिकित्सालय में 33 डाक्टर, 33 कम्पाउडर, 15 नर्स (स्टाफनर्स) 32 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/स्वीपर कार्यरत हैं।

(2) बी. डी. एम. अस्पताल की बैड संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करदी गई है। इस अस्पताल की शैयाओं में वृद्धि किये जाने के साथ-साथ स्टाफ भी बढ़ाया गया है, बढ़ाये गए स्टाफ की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) बाल रोग, स्त्री रोग विशेषज्ञ दिनांक 1-9-91 से एवं उप नियंत्रक का पद दिनांक 23-1-87 से स्वीकृत है। बाल रोग विशेषज्ञ का पद दिनांक 1-9-91 से, स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद दिनांक 1-9-91 से एवं उप नियंत्रक का दिनांक 3/91 से रिक्त है।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा इन्हें भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें।)

राज्य कर्मचारियों को आयुर्वेदिक एवं होमियोपैथी दवाइयों का पुनर्भरण

636. श्रीमती इंदिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कर्मचारियों को चिकित्सा बिलों का पुनर्भुगतान किया जाता है ? यदि हां, तो क्या आयुर्वेदिक एवं होमियोपैथी की दवाइयों का भी पुनर्भरण किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भी तीनों प्रकार की दवाइयों का पुनर्भरण किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां।

सरकार द्वारा कर्मचारियों को आयुर्वेदिक एवं होमियोपैथिक दवाइयों का भी पुनर्भरण किया जाता है। जी नहीं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिकृत दवा विक्रेताओं की दुकानों के माध्यम से केवल ऐलोपैथिक दवाइयां बिना किसी शुल्क के निर्धारित सीमा तक उपलब्ध करवाई जाती है। सेवा निवृत्त कर्मचारियों को आयुर्वेदिक अथवा होमियोपैथिक दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाने का "राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना" में प्रावधान नहीं है।

निर्वाचन क्षेत्र पुष्कर के चिकित्सालय में रिक्त पद

637. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

पुष्कर निर्वाचन क्षेत्र में अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेन्सरीज मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, एवं एडपोस्ट चिकित्सा सेवा केन्द्रों में किस-किस वर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और कितने स्वीकृत पदों पर डाक्टर्स एवं अन्य स्टाफ के पद भरे हुए हैं? यदि स्वीकृत पदों के अनुरूप स्टाफ नहीं लगा हुआ है तो उन्हे भरने की क्या कार्यवाही की जा रही है और स्वीकृत पदों के अनुरूप स्टाफ कब तक लगा दिया जाएगा ?

उत्तर

पुष्कर निर्वाचन क्षेत्र में अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डिस्पेन्सरीज, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक वर्ग के 16 पद नर्सिंग वर्ग के 29 पद तथा अन्य वर्ग के 84 पद स्वीकृत हैं, चिकित्सा वर्ग में 14 पद नर्सिंग वर्ग के सभी पद तथा अन्य वर्ग के 75 पद भरे हुए हैं।

चिकित्सा वर्ग के दो पद वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त हैं, जिनमें से एक पद 'केप्ट इन एवयेन्स' है तथा एक पद भरने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की जा चुकी है और रिक्त पद भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

एक पद संगणक का, एक पद ब्लाक हैल्थ सुपरवाइजर का, एक पद रेडियोग्राफर का, एक पद लैब टैक्नीशियन का एवं एक वाहन चालक का रिक्त है, जिन्हें निर्धारित योग्यता धारक पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

राज्य के अन्य चिकित्सा संस्थानों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे जाने के समय, पुष्कर निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न तीन संस्थानों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चार रिक्त पदों को भरे जाने बाबत विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

आर. एन. टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर एवं सामान्य चिकित्सालय उदयपुर में स्वीकृत पद

638. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) आर. एन. टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर एवं सामान्य चिकित्सालय, उदयपुर

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

में इस समय चिकित्सकों के कुल कितने पद कब से रिक्त हैं ? तथा इनके रिक्त रहने के कारण क्या है ?

(2) मेडिकल कालेज, उदयपुर तथा मेडिकल कालेज, बीकानेर, में गत 3 माहों में एसोसिएट प्रोफेसर, रीडर, प्रोफेसर के पदों पर कुल कितने व्यक्ति पदोन्नत हुए और उनमें से कितने व्यक्तियों ने कार्यभार ग्रहण किया तथा कितने अवकाश पर चल रहे हैं? यदि पदोन्नति के बाद अवकाश पर हैं तो उस पद की पूर्ति के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है ?

(3) आर. एन. टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर में न्यूरोसर्जन का पद कब से सृजित है और इस पद पर नियुक्ति कब होने की सम्भावना है ? अब तक पदस्थापन नहीं होने का कारण क्या रहा ?

उत्तर

(1) रिक्त पदों की सूची भाग 'अ' पर संलग्न कर दी गयी है। जहां तक नव सृजित पदों को भरे जाने का प्रश्न है, इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को अर्थनाएं भिजवा दी गयी हैं, आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। चयनित चिकित्सक उपलब्ध होते ही रिक्त पद भर दिये जावेंगे।

(2) सूची संलग्न कर दी गई है। जो पदोन्नति के बाद नियमानुसार अवकाश पर हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

(3) मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी का एक पद दिनांक 1-7-91 से सृजित है। इस पद पर पदोन्नति हेतु पात्र चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में रेफरल अस्पताल की स्थापना

639. **श्री अमरचन्द मिड्ढा** (सूरतगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर रेफरल अस्पताल बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र की अनूपगढ़ व घड़साना तहसील मुख्यालयों पर रैफरल अस्पताल निर्माण कब तक किया जा सकेगा ?

(2) रेफरल अस्पताल की विजयनगर का बजट रैफरल बनने से पूर्व कितना था और रैफरल अस्पताल बनने के पश्चात् बजट कितना बढ़ाया गया है ?

(3) क्या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी राजकीय अस्पताल श्री विजयनगर को बजट का आहरण वितरण अधिकारी बनाया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? समस्त विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) रेफरल अस्पताल श्री विजयनगर का बजट रेफरल अस्पताल बनने से पूर्व

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

1,65,800/- रुपये था और रेफरल अस्पताल के पश्चात् बजट में 4,02,200/- रु. की वृद्धि की गई।

(3) जी नहीं। आहरण वितरण अधिकारी ए. बी. सी. श्रेणी चिकित्सालय के अधिकारी तथा प्रभारी, ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ही आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया जाता है।

बिजोलिया (भीलवाड़ा) में चिकित्सालय की स्थापना

640. **श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बिजौलिया खनन क्षेत्र में करीब एक लाख मजदूर कार्य करते हैं क्या सरकार इनकी चिकित्सा के लिए कोई चल चिकित्सा इकाई स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार इन मजदूरों के लिए ई. एस. आई. स्कीम के अन्तर्गत कोई अलग से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं,

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं।

खान/खनन में कार्यरत मजदूर इस योजना में सम्मिलित नहीं है।

जिला डूंगरपुर के चिकित्सालय में रिक्त पद

641. **श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या डूंगरपुर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र चिकित्सालयों में चिकित्सकों के लम्बे समय से पद रिक्त हैं ? दवाइयां भी गांवों में उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे स्थानों पर कब तक चिकित्सक व दवाइयां उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ?

(2) क्या रैफरल अस्पताल सीमलवाड़ा और बिछीवाड़ा में एम्बुलेन्स की व्यवस्था है ? यदि हां, तो इन रोगी वाहनों का उपयोग किस अस्पताल में किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां, चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है। जी नहीं, डूंगरपुर जिले में स्थित चिकित्सा संस्थाओं के लिये दवाइयां निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

(2) जी हां।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर की रिपोर्ट के अनुसार इन रोगी वाहनों का उपयोग क्रमशः सीमलवाड़ा व बिच्छीवाड़ा अस्पतालों में ही किया जा रहा है।

प्रदेश के चिकित्सालयों में कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति प्रकरण

642. **श्री माधवसिंह दीवान (सोजत):** क्या चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चिकित्सा विभाग में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कितने-कितने कर्मचारी अपने पोस्टिंग के स्थान से अन्यत्र डेप्यूटेशन पर लगाये हुए हैं ? पदवार, जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। इनमें से 6 माह से अधिक समय वाले कितने-कितने हैं ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस डेप्यूटेशन में कई लोगों को अगेंस्ट पोस्ट जो उनके या तो समकक्ष नहीं है या जिनमें Speciality अलग भी हो तो भी डाक्टरों को इनकी इच्छा अनुसार किसी भी खास जगह पर रहने की सुविधा देने हेतु कई स्थानों पर लगा रखा है ? नामवार, पदवार तथा कब से सम्बन्धित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्राप्त सूचना के आधार पर चिकित्सा विभाग में डेप्यूटेशन पर लगे हुए कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। 6 माह से अधिक समय वाले डेप्यूटेशन पर लगे हुए कर्मचारियों की नाम सहित सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, विभिन्न विशेषज्ञों तथा वरिष्ठचिकित्सकों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा समय पर निर्णय नहीं हो पाने के कारण चिकित्सकों को विभिन्न विशेषज्ञों तथा वरिष्ठ चिकित्सकों के रिक्त पदों के विरूद्ध कार्य सम्पादन हेतु डेप्यूटेशन पर लगाया हुआ है। प्राप्त सूचना के आधार पर चाही गई सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

आयुर्वेद महाविद्यालयों में एम. डी. के अध्ययन की व्यवस्था

643. **श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा):** क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या प्रदेश के किसी भी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में प्रसूति एवं स्त्री रोग के सम्बन्ध में एम. डी. तक के अध्ययन की व्यवस्था है ? यदि नहीं तो क्या सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर और कब तक ?

(2) प्रदेश के आयुर्वेदिक महाविद्यालय के कितने पद कहां-कहां और किस-किस विषय में विभागाध्यक्षों, आचार्यों एवं व्याख्याताओं के रिक्त हैं ? यदि हां, तो इन्हें कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) क्या सरकार इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान में भी रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

राजकीय मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में प्रसूती रोग विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है किन्तु राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के 'मास्टर प्लान फोर डवलपमेन्ट' में भविष्य में प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विषय में एम. डी. अध्ययन की व्यवस्था की योजना है तथा चालू पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह व्यवस्था सम्भावित है।

(2) राजकीय मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में विभागाध्यक्षों, आचार्यों एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

राजकीय मदनमोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(3) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में है। संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही चल रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें।)

प्रदेश के आयुर्वेद चिकित्सालयों में रिक्त पद

644. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने आयुर्वेद चिकित्सालय हैं? इनमें से कितने चिकित्सालयों में वैद्यों के पद रिक्त हैं? रिक्त पद अब कब तक भर दिये जायेंगे?

(2) उक्त चिकित्सालयों में उप-वैद्य आदि स्टाफ के कितने पद रिक्त पड़े हैं?

(3) उक्त चिकित्सालय में कुल कितने मूल्य की दवाइयां सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और रोगियों की संख्या को देखते हुए प्रति रोगी कितने रुपयों की दवाई सप्लाई की जा रही है?

(4) आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या भावी योजना है?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में 3497 विभागीय आयुर्वेद औषधालय व चिकित्सालय स्वीकृत/संचालित हैं। इनमें दि. 1-3-94 को आयुर्वेद चिकित्सक के 110 पद नवीन नियुक्ति हेतु स्पष्ट रिक्त हैं।

रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है। प्रक्रिया पूर्ण होते ही नियुक्ति आदेश जारी कर रिक्त पद भर दिये जावेंगे।

(2) वर्तमान में विभागीय आयुर्वेद औषधालयों/चिकित्सालयों में नर्स कम्पाउण्डर के 97 पद नवीन नियुक्ति हेतु स्पष्ट रिक्त हैं।

(3) विभागीय औषधालयों/चिकित्सालयों को वित्तीय वर्ष 1992-93 में 1.35 करोड़ रुपये मूल्य की औषधियां सप्लाई की गई थी।

(आयुर्वेद राज्य मंत्री)

विभागीय रसायनशालाओं द्वारा निर्मित औषधि की उपलब्धता, औषधालयों की संख्या आदि को ध्यान में रखते हुए, निम्न मापदण्ड के अनुसार यथा सम्भव निर्धारित सीमान्तर्गत औषधियां सप्लाई की जाती हैं:-

बहिरंग विभाग-एक रुपया प्रति रोगी प्रतिदिन।

अन्तरंग विभाग-तीन रुपये प्रतिरोगी प्रतिदिन।

(4) राज्य में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रसार, विकास व बढ़ावा देने के लिए विभाग की निम्न भावी योजनाएँ विचाराधीन हैं:—

1. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक नवीन औषधालय खोलना।

2. प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर कम से कम 5 शैय्यायुक्त चिकित्सालय की स्थापना।

3. औषधालयों के लिए स्टाफ के निवास सहित औषधालय भवनों का निर्माण।

4. कम से कम 2 नवीन रसायनशालाओं की स्थापना एवं रसायनशालाओं का आधुनिकीकरण करना।

5. अनुसंधान कार्य को अधिकाधिक प्रोत्साहन देना।

6. पंचकर्म पद्धति को राज्य में लागू करना।

7. विभागीय औषधालयों के माध्यम से टीकाकरण, शिशु स्वास्थ्य रक्षा व परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना।

8. ग्रामीण व पिछड़े तथा दूरस्थ क्षेत्रों में अधिकाधिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन।

9. नारू उन्मूलन कार्य में सक्रिय सहयोग देना।

10. जड़ी-बूटियों व अन्य घटकों की उपलब्धता आसान करने हेतु वनोषधी उद्यानों की स्थापना करना एवं वन विभाग के माध्यम से आयुर्वेदिक औषधियों के पेड़-पौधे लगाना।

11. विभागीय बजट में पर्याप्त वृद्धि करना।

12. विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करना।

13. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर औषधि वितरण केन्द्रों की स्थापना वाहन सहित।

14. ग्रामीण क्षेत्रों तथा दूरदराज क्षेत्रों में जहां अन्य चिकित्सा पद्धति उपलब्ध नहीं है आयुर्वेदिक दवाइयां अधिक मात्रा में आपूर्ति करना।

हाड़ौती क्षेत्र के बेरोजगार युवक

645. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या हाड़ौती क्षेत्र के उद्योगों में प्राथमिकता के आधार पर हाड़ौती के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाता है?

(64)

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(2) क्या सरकार इन उद्योगों में हाड़ौती के युवकों को रोजगार दिलाने के संबंध में कोई विचार कर रही है यदि हां तो क्या ?

उत्तर

(1) रोजगार के कार्यालय (अनिवार्य रिक्त ज्ञापन)अधिनियम 1959, के प्रावधानों के अनुसार नियोजकों को रिक्तियों की सूचना अनिवार्य रूप से नियोजन कार्यालयों को देनी होती है। उद्योगों में नियुक्तियां उसी क्षेत्र के आवेदकों में से किये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) हाड़ौती क्षेत्र के उद्योगों में केवल हाड़ौती के युवकों को ही प्राथमिकता से रोजगार दिये जाने की कोई योजना नियोजन विभाग में विचाराधीन नहीं है।

जिला बारां की माडा योजना

646. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा)**: क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में माडा योजना के अन्तर्गत कितने चयनित ग्राम हैं ?

(2) छबड़ा व छीपाबड़ौद में कौन-कौन से ग्राम इस योजना के अन्तर्गत चयनित हैं ?

(3) माडा योजना के अन्तर्गत छबड़ा-छीपाबड़ौद में चयनित गांवों में सरकार द्वारा क्या विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं ? सूची मय गांव नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) माडा योजना में ग्राम चयन की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर

(1) बारां जिले में माडा योजनान्तर्गत 197 ग्राम चयनित हैं।

(2) छबड़ा में 57 एवं छीपाबड़ौद में 68 ग्राम चयनित हैं। चयनित ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) माडा योजना के अन्तर्गत अन्य माडा लघु खण्डों की भांति ही छबड़ा एवं छीपाबड़ौद के चयनित ग्रामों में सरकार द्वारा जनजाति समुदाय के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित कार्यक्रमों के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता मद से विशेष सुविधाएँ दी जा रही हैं। इन सुविधाओं में कृषि प्रदर्शन, सब्जी बीज पेकेट्स वितरण, कूप ब्लास्टिंग, सामुदायिक डीजल पंपसेटों का वितरण, पशु चिकित्सा शिविर आयोजित करना, हिस्सा पूंजी अनुदान उपलब्ध कराना, एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर आयोजित करना एवं मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने आदि के कार्यक्रम इन खण्डों में लिये गये हैं। विशेष सुविधाओं की सूची मय ग्राम नाम के सहित सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "ब")

(4) माडा योजना के अन्तर्गत ग्राम चयन की निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है :-

1. प्रत्येक लघु खण्ड में 10,000 से कम आबादी नहीं होनी चाहिये।

2. सम्मिलित ग्रामों की कुल आबादी का 50 प्रतिशत जनजाति की आबादी होनी चाहिये।

3. लघु खण्ड की सीमाएं एक ही जिले में होना आवश्यक हैं।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

4. ग्रामों की सीमाओं में निरन्तरता होना आवश्यक है।

5. लघुखण्ड के ग्रामों के बीच के सभी ग्रामों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

6. लघु खण्ड के ग्रामों की जनसंख्या एवं सीमाएं जनगणना 1981 के अनुसार होनी चाहिए।

7. ग्रामों में निरन्तरता बनाये रखने के लिए एक या दो ग्राम जिनमें 50 प्रतिशत से कम जनजाति के व्यक्ति निवास करते हैं, को सम्मिलित किए जा सकते हैं, परन्तु इससे अधिक नहीं।

8. लघुखण्ड की सीमा पर स्थिति प्रत्येक ग्राम की जनजाति की आबादी का 50 प्रतिशत होना आवश्यक है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

मेवों को भूमि का आवंटन

647. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कितने मेवों को क्लेमों के बदले में कितनी जमीन आवंटित की गई हैं ?

(2) क्या इन सभी को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं। यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) 13, 313 मेवों को क्लेम के बदले में 2, 35,336 बीघा 12 बिस्वा भूमि आवंटित की गई है।

(2) जी नहीं। जिन व्यक्तियों ने निर्धारित पूर्ण राशि जमा नहीं कराई है उनको खातेदारी अधिकार नहीं दिए गये हैं।

स्थगित प्रश्न

(शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 1994)

अधीक्षक, संयुक्त चिकित्सालय संघ उदयपुर एवं नर्सेज एसोसिएशन के मध्य हुए समझौते की क्रियान्विति

64. श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय संघ, उदयपुर के कार्यकाल में चिकित्सा कर्मियों ने कब-कब कितने-कितने समय आन्दोलन किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नर्सेज एसोसिएशन, उदयपुर एवं विभाग के मध्य कोई समझौते हुए ? यदि हां, तो समझौते की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त समझौते की पालना कर दी गई? यदि हां, तो कब-कब एवं क्या-क्या? इस सम्बन्ध में प्रसारित आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

66

(श्री दयाराम परमार)

(4) क्या विभाग शेष रहे समझौते की क्रियान्विति अभी भी करने का इरादा रखता है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान अधीक्षक, संयुक्त चिकित्सालय संघ, उदयपुर के कार्यकाल में निम्नांकित आन्दोलन चिकित्सा कर्मियों द्वारा किये गये:-

1- दिनांक 16-9-92 से 20-9-92 तक (5 दिवस) प्रातः 7.30 से 9.30तक

दो घण्टे की सांकेतिक हड़ताल।

2- दिनांक 15-12-93 से 20-12-93 तक (6 दिवस) सांकेतिक हड़ताल दो घण्टे प्रतिदिन।

(2) नर्सेज एसोसिएशन एवं प्रशासन के मध्य समय-समय पर जो समझौते हुए उनकी छाया प्रतियां निम्नानुसार हैं:-

1- पत्रांक 973, दिनांक 27-4-91
2- पत्रांक 877, दिनांक 28-6-92
3- पत्रांक 683, दिनांक 15-9-93
4- पत्रांक 971, दिनांक 17-12-93 एवं
5- पत्रांक 936, दिनांक 20-12-93 संलग्न है।

(3) जी हां, अधिकांश समझौतों की पालना कर दी गई है। समझौतों एवं किये गये आदेशों का विवरण संलग्न अनेक्सर संख्या 1 से 4 में दिया गया है।

प्रसारित आदेशों की प्रतियां संलग्न है।

(4) राज्य सरकार समझौतों की क्रियान्विति करने में सदैव तत्पर रही है एवं भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेगी। प्रशासन की कर्मचारियों के प्रति सदैव ही सहयोग एवं उदारतापूर्ण कार्य करने की नीति रही है और रहेगी।

(प्रतियां एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

कर्मचारियों के वेतन बिलों में आवास किराये की कटौती

648. **श्री जीतराम** (मालपुरा) एवं **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल): क्या सम्पदा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रायः सभी कर्मचारियों के वेतन बिलों से प्रतिमाह जयपुर स्थित राजकीय आवासों के किरायों की वसूली की जाती है? यदि हां, तो कटौती पत्रों को समय पर समायोजन नहीं करने के लिए कौन-कौन दोषी हैं तथा दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विशेष अभियान चलाकर सभी कर्मचारियों को राजकीय आवास के किराये की प्रति वर्ष अदेयता प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) अब कर्मचारियों की राशि का समायोजन सरकार कब तक करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां, सभी कर्मचारियों के वेतन बिलों से किराया कटौती के शेड्यूल प्राप्त होने पर किराया वसूली की प्रविष्टि कर ली जाती है। रिकार्ड के आधार पर किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही की सूचना शून्य है।

(2) जी नहीं।

(3) जैसे-जैसे कर्मचारियों के आवास किराये की कटौती पत्र आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित विवरण कर्मचारी द्वारा नकद राशि जमा करवा कर किराये का पूर्ण चुकारा करने पर अदेयता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है। एक निरन्तर प्रकिया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें।)

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, दिनांक 28 फरवरी, 1994)

राज्य के अप्रशिक्षित अध्यापकों को चयनित वेतनमान

60. **श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा):** क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में 1-9-1976 से 31-8-1981 तक नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 20-7-1991 के द्वारा उन्हें तृतीय वेतन श्रृंखला दिये जाने के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो उसके उपरान्त भी स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा ऑडिट पैराज बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त अवधि के नियुक्त अध्यापकों को 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान शिक्षा विभाग में देय है ? यदि हां, तो यह लाभ पंचायत राज अध्यापकों को क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

(4) क्या उक्त अवधि तक के नियुक्त अध्यापकों को 9-18-27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतन देय है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारी अभी तक इस लाभ से वंचित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त चयनित वेतनमान नहीं देने को लेकर कर्मचारियों ने विभिन्न न्यायालयों में सरकार के विरुद्ध मुकदमे कर रखे हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के संबंध में कोई उचित निर्णय लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 1-9-76 से 31-8-81 तक नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों की कुल संख्या 191 है। सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 20.7.91 तृतीय वेतन श्रृंखला दिये जाने के बारे में न होकर तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के सम्बन्ध में संशोधित

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

नवीन वेतनमान 1976 एवं 1983 के लिए विद्यमान कर्मचारी माने जाने के सम्बन्ध में था। इसी परिपत्र के आधार पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पत्र संख्या एफ. 1 (9) लेखा/संस्था/ग्राविप/वे. नि./88-89/3317 दिनांक 22.7.92 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जो भी अध्यापक तृतीय वेतन श्रृंखला में नवीन वेतनमान 1976 और 1983 के लिए विद्यमान कर्मचारी मानने बाबत था। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आडिट पैरा नहीं बनाया है।

(3) उक्त अवधि में पंचायत समितियों में नियुक्त अध्यापकों को भी नियमित नियुक्ति होने की दिनांक से 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान देय है व दिया जा रहा है।

(4) उक्त अवधि तक के पंचायत समितियों में नियुक्त अध्यापकों को नियमित नियुक्ति की दिनांक से 9, 18 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान देय है। जिन कर्मचारियों को लाभ नहीं मिला है इसकी सूचना पंचायत समितियों से एकत्र करवाई जा रही है।

(5) जी हां। सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(6) माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में दि. 16-12-89 को पंचायत समितियों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को उन्हीं के खर्चे पर पत्राचार के माध्यम से 3 वर्ष के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

(सोमवार, दिनांक 28 फरवरी, 1994)

जल संसाधन विकास निगम

86. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने जल संसाधन विकास निगम को गत तीन वर्षों में कोई डायरेक्टिव्ज, आदेश अथवा निर्देश जारी किए हैं ? यदि हां, तो किस-किस विषय में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निगम ने सरकार द्वारा दिये गए डाइरेक्टिव्ज, आदेशों एवं निर्देशों का पालन किया है ? यदि नहीं, तो किस-किस डायरेक्टिव्ज, आदेश अथवा निर्देश का पालन नहीं किया है और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने निगम द्वारा पालना नहीं किए जाने के संदर्भ में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 1994)

अरावली सामाजिक वानिकी

276. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में कौन-कौन से जिले अरावली सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में लिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वनरोपण कार्यक्रम के तहत किस-किस जिलेमे कहां-कहां पौधे लगाये गये? इनमें से वर्ष 1985 से अब तक कितने पौधे जीवित रहे? जिलेवार तथा रेंजवाइज हैक्टयरों में सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा पांच साल तक केटल गार्ड के लिए बजट रखा जाता है तथा बाद में प्लान्टेशन में लगाये गये पौधे बिना रखवाली के नष्ट हो जाते हैं?

(4) क्या सरकार वनों के रख-रखाव के लिए पौधों की रखवाली हेतु दस साल के लिए बजट प्रावधान रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अरावली वृक्षारोपण परियोजना में सम्मिलित किए गये जिलों का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) राज्य में वनारोपण कार्यक्रम के तहत 1985 से अब तक लगाये गये पौधों का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "ख" के अनुसार रख दिया गया है।

(3) विभाग द्वारा 5 वर्ष तक ही केटल गार्ड के लिए बजट रखा जाता है, उसके पश्चात लगाये गये पौधों की सुरक्षा सम्बन्धित क्षेत्र में पदस्थापित वनकर्मियों द्वारा की जाती है।

(4) स्थान विशेष की आवश्यकतानुसार सामान्यत: जितने समय के लिए रख-रखाव जरूरी होता है, उतने समय के लिए बजट प्रावधान रखा जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:–

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले के ग्राम हनोत्या के रास्ते में सिंचित क्षेत्र विकास की हनुत्या माइनर से आने वाले घोरे से कतिपय ग्रामों का आवागमन अवरुद्ध हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिसिंह कुम्हेर, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के गांव खेड़ली गड़ासिया के जगतावरसिंह के हत्यारों का पुलिस थाना बयाना द्वारा पता नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री किशन मोटवानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से आर्य समाज शिक्षा सभा, अजमेर द्वारा पांच सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं को बन्द किये जाने के नोटिस से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री श्रवण कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनू जिले की चिड़ावा क्रय-विक्रय सहकारी समिति की कथित बकाया राशि की वसूली करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमराराम (धोद), सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से बेगूं विधान सभा क्षेत्र के रावत भाटा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान कम्प्यूटर निदेशालय, जयपुर द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर के पद हेतु लिये गये साक्षात्कार में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों के साथ भेदभाव करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र के सांवलपुरा ग्राम के एक व्यक्ति द्वारा अजीतगढ़ थाने में 18-2-94 को रात्रि 9 बजे हुई वारदात की दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की कोटड़ी तहसील के ग्राम मंशा तथा हाजीवास की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में।

(7) श्री बनवारीलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सेपऊ बाड़ी नदी मार्ग में बड़े-बड़े पत्थर पड़े होने से आवागमन में हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

(8) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुनेल (झालावाड़) को पुनः नगरपालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र जैतारण के के ग्राम आनन्दपुर कालू के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसूती गृह खुलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर में पुलिस की कथित अराजकता एवं बढ़ती चोरियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि कल जो अकाल राहत पर बहस अधूरी रह गयी थी उसको यदि आप पूरा करना चाहते हैं तब तो आज शून्यकाल में मैं किसी को भी बोलने का मौका नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास 15 बी. जे. पी. के सदस्यों की सूची आनी बाकी है। 15 सदस्यों के नाम मेरे पास अकाल राहत पर बोलने के लिए आ चुके हैं, और भी आ जाएंगे। इसके अलावा आज खनिज की मांग पर भी सारी पार्टियों के सदस्यों के नाम आयेंगे। इसके अलावा तीन आपके काल अटेन्शन मोशन लगे हुए हैं। मंत्रीजी भी आज वक्तव्य दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो मेरे पास शून्यकाल में बोलने वालों की चिट आई हैं वह 15 की है। मैं समझता हूं यह दोनों सम्भव नहीं है। इसलिए आज शून्यकाल में किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं होगी। मैं आगे के लिए पेंडिंग कर देता हूं और अकाल राहत जो इम्पोर्टेंट मामला है उस पर शुरू करेंगे। फिर स्पेशल मेंशन के भी 10 मैंने आज लगाये है। इसलिए पहले स्पेशल मेन्शन शुरू करेंगे। श्री श्रवण कुमार !

श्री श्रवणकुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, झुंझुनू जिले की चिड़ावा क्रय विक्रय सहकारी समिति की बकाया राशि की वसूली के सम्बन्ध में....(व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : जिसके ऊपर बोलना चाहते हैं उस पर 5 सदस्यों के हैं इसलिए हंगामा होगा। कल कर लेना आप।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, जिस बात के लिए 5 आदमियों के नाम हो उस बात पर हंगामा हो ही नहीं सकता। यह संजय खान जो 'दी ग्रेट मराठा' बना रहा है जाटों पर जो अत्याचार किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय जाट युवा सभा के अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : अब आप मेरी व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : मान्यवर, यह एक ऐसा मुद्दा है राजस्थान सरकार ने उसको सहूलियत दे रखी है....

श्री अध्यक्ष : मैंने और सदस्यों को जब रोका है तो यह कोई इम्पोर्टेन्ट मसला नहीं है। देखिये, आप कह रहे है हंगामा नहीं होगा, यह शुरू हो गया है, ...(व्यवधान) इसलिए आज नहीं कल कर लेना।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आपकी सरकार संजय खान को मदद कर रही है उसको तो रोकिये और गृह मंत्रीजी बैठे हैं आप निर्देश दीजिये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह लिखिये मत....

श्री अरूणसिंह : महाराज सूरजमल को एक डाकू कहा गया है यह हमारी शान के खिलाफ है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो मेरी व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं उनका नोट नहीं किया जाये। जब मैंने शून्यकाल में बोलने के लिए मना कर दिया है, सब को मना किया है।

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अरूण सिंह : XXX

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार, आप बोलिये, आपका लिखा जायेगा। मैं जिनका नाम बोल रहा हूं उसी का लिखा जायेगा। श्री श्रवण कुमार।

कई माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : मैंने अपनी व्यवस्था दे दी कि आज शून्यकाल में किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। कल हो सकता है। यह प्रश्न ऐसा नहीं जो आज उठाया जाये। श्री श्रवणकुमार आप बोलिये। आपका लिखा जा रहा है।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

चिड़ावा क्रय विक्रय सहकारी समिति की बकाया राशि की वसूली

श्री श्रवणकुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं झुंझुनूं जिले की चिड़ावा क्रय विक्रय सहकारी समिति की बकाया राशि की वसूली के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

झुंझुनू जिले की चिड़ावा क्रय विक्रय सहकारी समिति की आडिट होने पर बड़ी रकम सोसायटी के अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश सैनी व अन्य कर्मचारियों में बकाया होना पाया गया है। कुल रकम 7,43,623 रु. की आती है लेकिन अभी तक वसूली के कोई प्रयत्न नहीं किये गये हैं। जिससे समिति को बहुत नुकसान हो रहा है। समिति के अध्यक्ष हर प्रकार से समिति को नुकसान पहुंचाने के अन्दर लगे हुए हैं। समिति के पास चीनी पड़ी थी जिसको पानी से भिगोकर खराब कर दिया गया जिला रसद अधिकारी ने इस भीगी हुई चीनी को नीलामी की बोली लगाकर रुपया जमा हो जमा हो चुका है लेकिन बोली लगाने वाली फर्म को चीनी सुपुर्द नहीं की जिसके लिए पुलिस को आदेश दिये गये कि पुलिस सहायता देकर चीनी सुपुर्द करवाएं।

इसी प्रकार अन्य कई गलत कार्य किये जाकर अध्यक्ष द्वारा समिति को घाटा पहुँचाया जा रहा है। सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर समिति को बरबाद होने से बचाये और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि श्रीओम-प्रकाश सैनी 1991-92 के 7,43,623 रु. बाकी हैं। इस 1992-93 में कुल 21 लाख रुपये का घोटाला पाया गया और सरकार अभी तक क्या कार्यवाही की यह बताने का कष्ट करें। श्री चिरंजीलाल झण्डीप्रसाद ने दिनांक 5-3-93 एक लाख पचपन हजार रुपये चिड़ावा क्रय विक्रय में चैक द्वारा बैंक में जमा करवाये और अभी

XXX माननीय अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री श्रवण कुमार)

तक तो रुपये वापिस मिले; न ही चीनी दी गई। 29-8-92 को नीलामी के आदेश दिये थे अतः श्रीमान् जिला रसद अधिकारी ने 17-4-93 को आदेश भी दे दिये थे कि उक्त चीनी बेच कर पैसे दे दिये जायें लेकिन अभी तक न चीनी दी गई, और ना ही पैसे दिये गये। श्रीमन् मैं निवेदन करता हूं कि उक्त फर्म को मय ब्याज पैसे दिलवाये जायें या चीनी दिलवाई जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरा राम।

परिवहन निगम में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी किया जाना

श्री अमरा राम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा संचालन नियम 295 के तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी किये जाने बाबत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

(12.10)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कर्मचारी, ड्राइवर, परिचालक, हैल्पर एवं मिस्त्री इत्यादि काफी समय से दैनिक वेतन भोगी के रूप में थे उनको 280 दिन पूर्ण करने के बाद स्थायी कर देना चाहिए जब कि सालों बीत जाने के बाद भी निगम पूर्ण कार्य लेकर, दैनिक वेतन देकर कर्मचारियों का शोषण कर रहा है। निगम में बहुत-से आगारों में बगैर परिचालक के बसें चलायी जा रही है जिससे निगम को भी नुकसान होता है तथा जनता को भी परेशानी होती है। अतः निगम में किसी भी कर्मचारी को दैनिक वेतन भोगी के रूप में 280 दिन जिस दिन हुए हैं उसी तारीख से स्थायी करते हुए सभी लाभ दिये जाकर कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाय। निगम में जो परिचालकों की कमी है, जिससे परिचालक रहित बसें चल रही है, परिचालकों की नियुक्ति की जाय।

परिवहन निगम का जो चल स्टाफ आउट नाइट करता है उसका आठ रुपये प्रति नाइट का है जो बहुत ही कम है तथा पड़ौसी राज्यों से एक तिहाई है। गाड़ी की रखवाली के लिए मात्र पचास पैसे दिये जाते हैं जो अपर्याप्त है। इसको बढ़ायें तथा निगम द्वारा कर्मचारियों के शोषण को समाप्त किया जाय।

श्री सभापति : यह नोट नहीं होगा, आपने जो पढ़ा है वही नोट होगा। बोल लें आगे ही पर आएगा नहीं।

श्री अमराराम : XXX

श्री सभापति : परन्तु यह विषय 295 के अन्तर्गत ही बोला जाता। इसमें दूसरा काउन्ट नहीं होगा आपका। बोलिये आप, मनाही नहीं है, पर काउन्ट नहीं होगा।

श्री अमराराम : XXX

श्री सभापति : देखिये, 295 लिखित में दिया जाता है वही रहता है। वह है लिखा हुआ, लिखा हुआ ही इसमें काउण्ट होगा।

श्री अमराराम XXX

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल धाकड़ ।

रावतभाटा (बेगू) को पूर्ण तहसील का दर्जा

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगू) : सभापति महोदया, नियम 295 के तहत बेगू विधान सभा क्षेत्र में रावत भाटा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने बाबत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि बेगू विधान सभा क्षेत्र में रावतभाटा एक महत्वपूर्ण नगर है जहां की आबादी करीब 45000 है यहां अणु शक्ति की इकाइयां कार्यरत हैं, हैवी वाटर प्लाण्ट है, राणा प्रताप सागर बांध है, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कार्यालय हैं जहां भारत के कोने-कोने से लोग सर्विस करते हैं। रावतभाटा के आस पास के कुण्डाल क्षेत्र जो 30-35 किलोमीटर है, जावदा-नीमड़ी जो करीब 50-60 किलोमीटर है तथा बारवां क्षेत्र जो 30 किलोमीटर दूर है रावतभाटा में लगते हैं। वर्तमान में रावत भाटा में अतिरिक्त तहसीलदार की पोस्ट है किन्तु फिर भी काश्तकारों को अपने काम के लिए बेगू जो कि 75 किलोमीटर दूर है, मध्य प्रदेश पार कर जाना पड़ता है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त परेशानियों और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार रावतभाटा को पूर्ण तहसील का दर्जा देकर जनता को राहत पहूंचाये। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री परसादी लाल मीणा ।

कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद हेतु साक्षात्कार

श्री परसादीलाल मीणा (लाल सोट) : सभापति महोदया, मैं नियम 295 के अन्तर्गत टैक्निकल एजूकेशन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान कम्प्यूटर निदेशालय, जयपुर द्वारा विज्ञप्ति संख्या 1/93-94 में डाटा एण्ट्री ऑपरेटर पद हेतु अंकित पदों का ब्यौरा सामान्य-117, अनुसूचित जाति -30, जनजाति-22 एवं पद संख्या-1 कम्प्यूटर आपरेटर पद हेतु अंकित रिक्त पदों का ब्यौरा सामान्य-28, अनुसूचित जाति-12 एवं जनजाति -9 पद भरा जाना निर्धारित किया गया था। इसी के अनुसार डाटा एण्ट्री के पद हेतु 23 जनवरी, 1994 से 29 जनवरी, 1994 तक गति परीक्षा आयोजित की गयी। इसी क्रम में कम्प्यूटर आपरेटर पद हेतु 6 फरवरी 1994 को लिखित परीक्षा हुई। कम्प्यूटर ऑपरेटर पद का परीक्षा परिणाम 20 फरवरी, 1994 को घोषित किया गया जिसमें आरक्षित पदों का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया।

कम्प्यूटर ऑपरेटर पद के लिए साक्षात्कार 1, 2 व 3 मार्च, 1994 तक लिया गया जिसमें मात्र एक ही अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया जब कि शेष बचे हुए आरक्षित पदों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार ले लिया गया। इस प्रकार अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अभ्यर्थियों के अधिकारों का घोर उल्लंघन किया गया है। प्रशासन द्वारा शासन सचिवालय में धांधलियां हो रही है

तो समस्त शासन का क्या हाल होगा. इस बात का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

एक निवेदन और है कि जिस भी पद के लिए यह पवित है " आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ये पद सामान्य व्यक्तियों से भर लिये जाएंगे " ये कानून तोड़ने वाले अधिकारी अपना रास्ता पहले ही साफ कर लेते हैं ताकि अपनी मनमानी कर सकें। अत: आपसे निवेदन है कि उपरोक्त पदों एवं भविष्य में सभी आरक्षित पदों को केवल उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाय, अन्यथा खाली रखें। सामान्य से नहीं।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल मोदी।

वारदात की दर्ज रिपोर्ट पर समुचित पुलिस कार्यवाही

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : सभापति महोदया, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख में गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता कि नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में सांवलपुरा निवासी हनुमान पुत्र श्री खेताराम जाट ने अजीतगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है कि तारीख 18-2-1994 को रात के 9 बजे चार-पांच व्यक्ति हथियारों से लैस होकर डकैती के लिए आये। जाग होने पर तीन फायर करते हुए भाग गये। उनमें से एक व्यक्ति कृष्णदास को पहचान लिया गया है तथा रिपोर्ट में कृष्णदास का नाम भी दर्ज किया गया है लेकिन आज तक मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुए। आज चारों तरफ भय का वातावरण बन रहा है। कोई व्यक्ति अपने आपको सुरक्षित नहीं समझता। जगह जगह विवाद बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर पाती है। जब एक व्यक्ति को पहचान लिया गया तो बाकी व्यक्तियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। बाकी लोगों की तुरन्त गिरफ्तारी की जाए। इस बिन्दु पर भी ध्यान दें कि कोई आपसी विवाद तो रिपोर्ट कुनिन्दा के परिवारों से नहीं है। यदि किसी प्रकार का आपसी विवाद है तो जांच के वक्त इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। पुलिस विभाग को सक्रिय किया जाए और आज तक की गई कार्यवाही से सदन को अवगत कराया जाए।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी।

कोटड़ी तहसील के ग्राम मंशा तथा हाजिवास की पेयजल समस्या

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदया, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की कोटड़ी तहसील के ग्राम मंशा तथा हाजिवास में खारा तथा फ्लोराइड युक्त पानी और भी स्तर नीचे जाने से हैंडपम्प नकारा हो गये। पानी की समस्या गम्भीर है। वहां जन-जीवन पीड़ित है। मगर राज्य सरकार द्वारा दोनों ग्रामों में उत्पन्न पेयजल समस्या की गम्भीरता को अनदेखी करने से समूची जनता बुरी तरह प्रभावित है।

(76)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

अतः मैं राज्य सरकार से तुरन्त ही इन मंशा तथा हाजिवास गांव की समस्याग्रस्त स्थिति के लिए नलकूप खोदकर वहां पाइप लाइन डालकर समस्या के तत्काल युद्ध स्तर पर समाधान की मांग करता हूं। वहां की जनता की इस मूलभूत समस्या के प्रति विभाग एवं प्रशासनिक उदासीनता को लेकर जनता में जन आक्रोश बढ़ रहा है। वे आन्दोलनात्मक स्थिति के लिए तत्पर हो रहे हैं।

इसलिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी तत्काल दोनों की त्वरित योजना बनाकर समाधान के आदेश दें। ताकि इन ग्रामों की जनता को समुचित राहत मिल सके।

श्री सभापति : श्री बनवारी लाल शर्मा।

सेपऊ बाड़ी नदी मार्ग में पत्थरों से आवागमन में हो रही असुविधा

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : सभापति महोदया, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

सेपऊ बाड़ी मार्ग में पार्वती नदी पड़ती है। इस नदी मार्ग में इतने बड़े बड़े पत्थर डले हुए हैं कि साधनों को जाने आने में भारी असुविधा उठानी पड़ती है। रास्ता इतना अधिक उबड़ खाबड़ हो गया है कि हर वक्त दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। इसी मार्ग से काफी मात्रा में खनन भी बाहर जाता है।

कुछ ही दिनों पूर्व यहां पर एक विशाल सुविख्यात शिवरात्री का मेला भी लगा है लेकिन मार्ग इतना खतरनाक है कि मेले के समय में हर वर्ष एक या दो व्यक्तियों की मौत निश्चित होती हैं। यहा के आस पास के ग्रामिण प्रशासन की इस लापरवाही से काफी क्रुद्ध हैं एवं वे कभी भी आन्दोलन कर सकते हैं।

मैं इस सार्वजनिक जनहित की मांग को विशेष उल्लेख के जरिए उठाना चाहता हूं, कृपया अनुमति प्रदान कर कृतार्थ करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, मुझे पत्र मिल जायेगा, मैं तुरन्त अविलम्ब व्यवस्था करूंगा।

श्री सभापति : श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

सुनेल (झालावाड़) को पुनः नगरपालिका बनाया जाना

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : सभापति महोदया, सुनेल नगर की आबादी 14000 है और वहां स्टेट टाइम से ही नगर पालिका कार्यरत रही है। अभी ग्राम पंचायत बना दिया गया है जो जन भावना के विरुद्ध है।

सुनेल से कम आबादी वाली नगरपालिकाओं को भी ग्राम पंचायत बनाया गया था मगर उन्होंने स्टे लेकर नगर पालिका कायम रखली है, सुनेल से स्टे की कार्यवाही नहीं की गयी इसलिए उसे ग्राम पंचायत बना दिया गया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जन भावनाओं के अनुरूप

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

सुनेल नगर में वापस नगरपालिका की स्थापना की जावे ताकि नगर की व्यवस्था ठीक ढंग से चल सके।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र गोयल।

आनन्दपुर कालू (जैतारण) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसूति गृह

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम आनन्दपुर कालू के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसूति गृह खोलने की स्वीकृति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।

निर्वाचन क्षेत्र जैतारण के ग्राम आनन्दपुर कालू के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसूति गृह की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं किये जाने से इस क्षेत्र के लोगों को ईलाज के लिए दूरस्थ जैतारण या मेड़ता जाना पड़ता है। जिससे समय एवं धन की बर्बादी होती है तथा रोगियों को ईलाज करवाने में देरी होती है. जिससे रोगी की हालत बिगड़ जाती है, इस अस्पताल के आसपास 50-60 ग्राम भी लगते हैं जहां पर भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इस प्रसूति गृह के निर्माण हेतु दानदाता भवन बनाकर देने को तैयार है इसलिए प्रसूति गृह की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा नहीं दिये जाने से भयंकर आक्रोश है।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र गहलोत (अनुपस्थित)।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री फूलचन्द ध्यानाकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सलूम्बर में अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय खोला जाना

श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री): माननीय सभापति महोदय, सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस विषय की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है उस पर मैं प्रारम्भ से ही चिन्तन कर रहा हूं। हमारा प्रारम्भ से ही यह प्रयत्न रहा है कि व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण हो ताकि उससे प्रभावी पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखा जा सके। इस दृष्टि से जहां जहां कार्य अधिक पाया गया है अथवा जहां लम्बी दूरियां पार करनी पड़ती है वहां हमारा सोच यह रहा है कि खण्ड स्तर पर, उप खण्ड स्तर पर और यदि आवश्यकता पड़े तो वृहत स्तर पर भी कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण किया जाय और उनका पुनः सीमांकन किया जाय। माननीय सदस्य ने वनवासी क्षेत्र की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए चाहा है कि सलूम्बर में अधिशासी अभियन्ता का खण्ड कार्यालय हो। मैंने भी इस विषय में अध्ययन किया है और मेरा मानना है कि वनवासी क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सलूम्बर में सराड़ा, धरियावद, लसाड़िया और खैरवाड़ा क्षेत्र में सब वनवासी क्षेत्र जुड़े हुए हैं

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

और सलूम्बर से इनका प्रभावी पर्यवेक्षण हो सकता है। अतः हमने निश्चय किया है कि आगामी वित्तीय वर्ष से अधिशासी अभियन्ता जिला खण्ड-एक का कार्यालय मुख्यालय सलूम्बर स्थापित कर दिया जाय। वर्तमान में जिला खण्ड एक के नियंत्रणाधान गिर्वा तहसील को अन्य खण्डों के साथ जोड़ दिया जायेगा।

श्री सभापति : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री रामकिशन वर्मा, सदस्य, विधान सभा चम्बल नदी में कोटा शहर की सीवरेज लाइन पर ध्यान आकर्षण करेंगे।

कोटा शहर में सीवरेज लाइन

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी): सभापति महोदया, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के तहत सरकार का ध्यान निम्न उल्लेखनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (पर्यावरण मन्त्री) : सभापति महोदया, राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा चम्बल नदी के जल गुणवत्ता की जांच विभिन्न स्थानों पर कोटा बेराज से लेकर धौलपुर तक की जा रही है। उक्त जांच द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि कोटा बांध से लेकर केशोरायपाटन तक नदी का हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक प्रदूषित हुआ है। शहर का घरेलू जलमल उच्छिष्ठ वर्तमान में नगर निगम/जन स्वा. अभि. विभाग की सीवर लाइनों द्वारा बिना किसी उपचार के नदी में विभिन्न स्थानों पर प्रवाहित किया जा रहा है।

कोटा शहर की नालियों में मरे हुये जानवरों की हड्डियां व कसाइयों द्वारा जानवरों को काटे जाने से अवशेष खून, मांस आदि की नालियों तथा सीवर लाइनों से होते हुए चम्बल नदी में मिलने की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

कोटा से केशोरायपाटन के बीच श्राम स्रोतों जैसे उद्योगों से उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र से निकले उपचारित जल, धोबियों द्वारा कपड़े धोने, घाटों पर नहाने व जानवरों के पानी में उतर जाने से भी प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है।

भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गंगा नदी शुद्धिकरण परियोजना के अनुरूप देश की अन्य प्रदूषित नदियों के लिए "राष्ट्रीय नदी कार्य योजना" तैयार की जा रही है। इसमें प्रदेश के कोटा बैराज व केशोरायपाटन के बीच 15 किलोमीटर के हिस्से को अत्यधिक प्रदूषित मानकर इस कार्य योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के दो शहर कोटा व केशोरायपाटन शामिल किये गये हैं जिसकी भारत सरकार के निर्देशानुसार फिजिबिलिटी रिपोर्ट राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मंडल द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के सहयोग से तैयार की जा रही है। भारत सरकार ने इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 2.50 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार को स्वीकृत कर प्रदान की है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होने पर यह भारत सरकार को [illegible]

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

जावेगी और भारत सरकार द्वारा इसका अनुमोदन प्राप्त होने पर चम्बल नदी के ऊपर उपरोक्त संदर्भित हिस्से को प्रदूषण मुक्त (शुद्धिकरण) की योजना तैयार की जायेगी। जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार को आधी-आधी राशि वहन करनी होगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को ग्राह्य योग्य न मानकर रद्द किया जावे।

श्री रामकिशन वर्मा : सभापति महोदया, चम्बल नदी कोटा-हाड़ौती की गंगा है जिसका माननीय मंत्रीजी ने जल भी पीया है और उसके जल में स्नान भी किया है। कोटा बैराज से लेकर केशोरायपाटन तक जो चम्बल नदी पहले बहती थी बैराज से पहले, कोटा के इष्ट देव भगवान मथुराधीश, भगवान ब्रजनाथ के स्नान के लिए जल गड्डियों में जल ले जाकर स्नान करवाया जाता था लेकिन उस समय से, जब से बैराज बांध बना है उसके बाद प्रदूषण बढ़ता चला गया और कोटा के सारे नाले सारी सीवरेज लाइनें, नगर निगम के नाले सब उसमें आकर गिरते हैं, सारी गन्दगी उसके अन्दर गिरती है जिसकी वजह से यह पानी अब प्रदूषित हो चुका है और यहां के घाटों पर धोबी लोग और रंगाई-छपाई करने वाले लोग तेजाब से अपनी साड़ियां धो धो कर उसे और प्रदूषित कर रहे हैं। उसके पानी में स्नान करने पर वहां के लोगों में खुजली और चर्म रोग पैदा हो चुके हैं। ऐसी हालत में कार्तिक महीने में माताएं-बहनें धार्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत होकर वहां स्नान करने के लिए आती हैं तो मछली मारने वाले लोग, ठेकेदार उसके अन्दर बम ब्लास्टिंग करते हैं जिससे हजारों लाखों मछलियां मर जाती हैं उसके कारण वह स्नान करने लायक नहीं रहती है। इसी प्रकार से केशोरायपाटन में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक मेला लगता है उसमें भी हाड़ौती की जनता हजारों-लाखों की संख्या में स्नान करती है, लेकिन प्रदूषित होने की वजह से यह स्नान के लायक नहीं रही है। मैं राज्य सरकार से इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि जब भारत सरकार ने ढाई लाख रुपये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए पहले से ही आपको प्रदान कर दिया है तो कितना समय और लगेगा। मैं, माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्रीजी से भी इस बात की प्रार्थना और निवेदन करूंगा कि आपके पास नगर निगम भी है और जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भी है तो नगर निगम के नाले गिरते हैं, आपकी सीवरेज लाइने, सारी गन्दगी कूड़ा-करकट भी उसमें आता है, तो कृपा करके आप लोग धार्मिक भावनाओं के लोग भी हैं तो इस चम्बल को प्रदूषण से मुक्ति दिलवायें यह मेरा आपसे आग्रह है।

मैंने इस सम्बन्ध में श्री भुवनेश जी चतुर्वेदी, केन्द्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार को भी पत्र लिखा है और उस पत्र में यह लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा दिलवाएं ताकि इस चम्बल को प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। मैं राज्य सरकार से भी इस मामले में पुरजोर निवेदन करूंगा कि वह इस मामले में बड़ा हृदय रखकर ज्यादा से ज्यादा पैसा दिलवाएं ताकि चम्बल को प्रदूषण से मुक्ति दिलवाएं, यही मेरा निवेदन करना है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदया, यह जो भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

लगभग तैयार है और भारत सरकार एवं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के सहयोग से तैयार की जा रही है. आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस साल के बजट में इस पर बार राजस्थान सरकार ने, यदि मैं गलत नहीं होऊं तो 20-25 लाख रुपये का प्रोविजन कर भी दिया है

श्री रामकिशन वर्मा : बजट में तो नहीं है, साहब ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह करीब-करीब 30 करोड़ की योजना है जिसकी निकट भविष्य में स्वीकृति मिलने की आशा है । इसमें तो व्यवहारिक बात है तो धोबी नदी में कपड़े न धोवें लेकिन....

श्री रामकिशन वर्मा : मंत्री महोदय, कोटा में तो तालाब है, कोटा में पानी बहुत है कपड़े नदी के बाहर भी धो सकते है, पुलिया के दूसरी साइड वह कपड़े धो सकते हैं ।

श्री सभापति : इसके लिए जन चेतना जरूरी है ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल: इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध सीवर लाइनों को चालू करना, अधूरी पड़ी सीवर लाइनों का कार्य पूरा करना नदी के ड्रेनेज जोन में स्थित कच्ची बस्तियों हेतु सुलभ शौचालय बनवाना, पुराने श्मशानों को विकसित करना एवं विद्युत शवदाह गृह बनवाना, स्नान घर विकसित करना, नदी में जा रहे घरों के जल को रोक कर एकत्रित करना एवं उपचारित करना प्रस्तावित है । यह सभी कार्य चम्बल नदी की गुणवत्ता में सुधार लाने और शुद्धिकरण के लिए प्रस्तावित हैं ।

श्री सभापति : धन्यवाद । अकाल राहत पर चर्चा । श्री किशनगोपाल कोगटा । (व्यवधान).. जबाव आ गया है ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : (केशोराय पाटन) : सभापति महोदय, स्थानीय अखबारों में यह आया है कि प्रधान मंत्री कार्यालय के मंत्री महोदय माननीय श्री भुवनेश जी चतुर्वेदी ने अपने माध्यम से अखबारों में दिया है कि 25 लाख रुपये स्वीकृत कर दिए गए हैं तो, क्या यह बात सही है ? जैसा कि अभी आपने बताया कि अभी योजना है ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही जब अभी पूरी तैयार नहीं हुई है तो रुपया मंजूर होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : दूसरा केशोरायपाटन में केवल धार्मिक स्थान, स्नान, ध्यान ही नहीं, सारा पीने का पानी चम्बल से ही लिया जा रहा है और केशोरायपाटन से नीचे अधिकांश गांव में पेयजल समस्या है और चम्बल का पानी पीते हैं । इसलिए पेयजल समस्या को मद्देनजर रखते हुए इसका समाधान शीघ्र हो उसके लिए पूरे प्रयास किए जायें । जैसा मंत्री महोदय ने बताया, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इस तरह की स्कीम बनायी जिससे लोगों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका समाधान होगा । धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री किशनगोपाल कोगटा । (व्यवधान)....

श्री रामकिशन वर्मा : बजट के अन्दर तो कहीं ऐसा प्रावधान नहीं था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसके अन्दर करवाएं यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं भारत सरकार से भी, माननीय श्री भुवनेशजी चतुर्वेदी से मिलकर कोशिश करूंगा कि राजस्थान सरकार को इसके लिए आर्थिक दृष्टि से ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले ताकि चम्बल का प्रदूषण समाप्त हो और चम्बल का पानी गंगा की तरह निर्मल और पहले जैसा पीने और स्नान योग्य और देवताओं के चढ़ने योग्य फिर से बन जाय।

श्री सभापति : विराजिए। धन्यवाद। श्री किशनगोपाल कोगटा। (व्यवधान) नहीं, अब अकाल पर चर्चा होगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदया, अकाल राहत मंत्रीजी को तो बुलवाएं, सरकार नहीं है, मंत्रीजी कहां है ?

श्री सभापति : चर्चा होने दीजिए मंत्रीजी भी आ जाएंगे, चर्चा तो होने दीजिए।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रीजी को तो बुलवाएं, सरकार नहीं है कोई।

श्री भंवरलाल शर्मा : बैठे हैं ना सब।

श्री सभापति : सरकार सामने है। सरकार कैसे नहीं है ?

श्री परसादीलाल मीणा : बताइए कहां है अकाल राहत मंत्रीजी। आप जवाब देंगे क्या ? आप जवाब देंगे ? आप से थोड़े ही सम्बन्धित है। मंत्रीजी देंगे।

श्री सभापति : सम्बन्धित मंत्रीजी आ जाएंगे, माननीय सदस्य आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आ जाएंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, यह कायदा है। .. (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सम्बन्धित मंत्रीजी होने चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सरकार की जोइंट रेस्पोन्सिबिलिटी होती है।

श्री सभापति : अभी चर्चा चालू होने दीजिए, आ जाएंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य, सरकार की जोइंट रेस्पोन्सिबिलिटी भी होती है।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय सदस्य जो बोलेंगे कौन जवाब देगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सरकार की जोइंट रेस्पोन्सिबिलिटी भी होती है। आप बोलिए सब जवाब मिलेगा।

श्री परसादीलाल मीणा : आप नहीं देंगे जवाब, जवाब नहीं यह कायदा है। यह परम्परा रही हैं हाउस के मंत्री यहां बैठेंगे (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह परम्परा रही है, अभी आ रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं नहीं, ऐसे कैसे कहेंगे, सम्बन्धित मंत्री बैठेंगे, यह परम्परा है। श्री भंवरलालजी साहब, आप तो जानते हैं।

(82)

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा कोई विवाद नहीं है। बुलवा रहे हैं अभी आ जाते हैं, आ रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : अकाल राहत का मामला है, गंभीर मामला है,

श्री सभापति : माननीय सदस्य क्यों आप समय जाया करते हैं, आ जाएंगे अकाल राहत मंत्रीजी, आप तो बिराजिए। चर्चा तो चालू होने दीजिये। आपका नाम है, चर्चा चालू होने दीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी आ गये हैं।

प्राकृतिक आपदाओं से राहत पर विचार

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : सभापति महोदय, राजस्थान में अकाल की स्थिति और डिमाण्ड पर चर्चा हो रही है उस पर मैं अपनी बात प्रारम्भ कर रहा हूं। वर्तमान में राजस्थान में अकाल की जो स्थिति बनी है उसकी अगर तुलना की जाय तो जितने भी अकाल पड़े हैं उनमें से सबसे अधिक प्रभावित करने वाला संवत् 96 का अकाल कहलाता है, उस समय जो अकाल पड़ा था जब कभी भी अकाल पड़ते हैं तो उसकी चर्चा जरूर होती है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आज जो वर्तमान वर्ष में अकाल की स्थिति है वह उससे भी बदतर है और ऐसी स्थिति में जब बारिश बिल्कुल नहीं हो और कुछ-कुछ क्षेत्रों में 4 इंच और 4 इंच से भी कम बारिश हो तो स्थिति बहुत भयावह है और सितम्बर-अक्टूबर में ही ऐसी स्थिति लगने लगी है कि मई-जून निकलना बहुत मुश्किल है। न पानी और चारे की व्यवस्था, चारा तो उगा ही नहीं। खेतों में, जंगलों में बारिश नहीं होने से यह स्थिति बनी है और इस स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन में महामहिम राज्यपाल ने भी एक नवम्बर से अकाल राहत कार्य खोलने की घोषणा की थी और यह घोषणा वस्तु स्थिति को देखते हुए, आकलन करते हुए की लेकिन यह घोषणा राजनैतिक रह गयी। चुनाव होने वाले थे, वस्तु स्थिति यह थी कि ये अक्टूबर-नवम्बर में ही खुल जाने चाहिये थे। राजस्थान में नयी सरकार चुन कर आयी और सारी स्थिति का आंकलन किया और एक फरवरी से अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये। जिला अजमेर के 1022 से ज्यादा गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये और जो स्थिति अजमेर की है वह पूरे राजस्थान में सबसे विकट है। पूरे जिले में औसत से 10 प्रतिशत भी बारिश नहीं हुई और उसकी वजह से सितम्बर-अक्टूबर से ही लोगों का पलायन शुरू हुआ, साथ ही साथ चूंकी बारिश नहीं होने से चारा भी नहीं हुआ और जानवरों का पलायन भी शुरू हुआ। इस स्थिति को सम्भालने के लिए जो कार्य प्रारम्भ किये, उससे अजमेर जिले की स्थिति कन्ट्रोल में आयी लेकिन सन्तोषजनक नहीं रही। अजमेर जिले में सीलिंग 25 000 तक की वर्तमान में चल रही है। 1022 अभावग्रस्त गांवों के लिए यह बहुत कम है, खासकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां पूरी की पूरी विधान सभा क्षेत्र अभावग्रस्त घोषित हैं, मसूदा पंचायत समिति और जवाजा और यह कहा जाय कि ब्यावर

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

तहसील के जितने भी गांव हैं वे सभी अभावग्रस्त घोषित हुए हैं और स्थिति यह है कि अजमेर जिले के 1022 से ऊपर गांव हैं, अभावग्रस्त हैं, 550 गांव तो इसी तहसील में हैं। जहां तक कार्य प्रारम्भ करने की स्थिति है वह लगभग 10,000 श्रमिकों का कार्य वहां चल रहा है। खराब, दयनीय स्थिति होते हुए और जो श्रमिकों की सीलिंग है, वह इतनी कम है, इसको देखने की बात है। जहां जिले के 50 प्रतिशत गांव अभावग्रस्त घोषित उस क्षेत्र में हैं. वहां 25-30 प्रतिशत जितनी आपने सीलिंग दी है, 25-30 प्रतिशत तक ही उस क्षेत्र में दी गयी है. यह जो अन्तर है माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करता हूं कि जो क्षेत्र है वह पहाड़ी क्षेत्र है, बारिश भी नहीं होती, वहां कोई रोजगार का साधन नहीं है, केवल एक ही साधन है कि सरकार सहायता उनका मुहैया कराये और रोजगार दे, इसके लिए आप मसूदा और जवाजा पंचायत समिति के लिए सीलिंग बढ़ाने की कृपा करें।

मेरे कुछ सुझाव हैं, प्रत्येक गांव में राहत कार्य खोले जायें, अभी जो कार्य खोले जा रहे हैं, वह पंचायत के अनुसार खोले जा रहे हैं। पंचायत में बड़े-बड़े गांव भी हैं और एक पंचायत में 8-8, 10-10 गांव हैं। अब आप एक पंचायत में 100 श्रमिकों को लगाने के लिए आदेश देते हैं तो वे एक ही गांव तक सीमित रहते हैं, जबकि प्रत्येक गांव में कम से कम 400-500 घरों की आवादी है तो प्रत्येक गांव में राहत कार्य तुरन्त खोले जायें। अभी एक स्थिति है, अगर सहायता ही देनी है तो निश्चित रूप से इसका निर्णय तुरन्त लिया जाय।

दूसरा, मेरा सुझाव है, प्रत्येक परिवार से एक-एक व्यक्ति को रोजगार मुहैया होना ही चाहिये। अब आपकी संख्या अगर नहीं बढ़ी, आपने इसमें दिलचस्पी नहीं ली तो यह पूर्ति नहीं हो सकेगी तो मेरा, यह आग्रह है कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को अकाल राहत के माध्यम से रोजगार मिलना चाहिये।

तीसरा, मेरा सुझाव है, बहुत बार देखा गया है कि कार्य चल रहा है, मस्टर-रोल टाइम पर नहीं आये, काम रुक गया, वहां के नागरिक काम करने जाते हैं तो वापस आते हैं, मेरा यह आग्रह है ऐसी चौकसी रहे, ऐसी व्यवस्था रहे जिससे कि कार्य प्रारम्भ किये गये वे लगातार चलते रहें, किसी प्रकार की बाधा नहीं आये या किसी कारणवश कार्य बन्द होता है तो जिस व्यक्ति पर, जिस अधिकारी पर यह दायित्व बनता है, उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाय और उसके ऊपर एक्शन लिया जाये।

इसके साथ-साथ पुरानी रपटें जो टूट गयी हैं उनको मरम्मत के लिए भी आपको इसमें जोड़ना चाहिये। अधिकांशतः यह देखा गया कि अभी तक जिला स्तर पर आपके आदेश पहुंचे नहीं हैं और रपटें जो टूटी हुई हैं, जिसमें पहले से ही खूब पैसा लगा हुआ है केवल किसी कारणवश एक पोर्शन टूटा हुआ है एक तरफ से रास्ता टूटा है, पानी निकलने का रास्ता बना हुआ है, उसके

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

लिए अगर आप आदेश देंगे तो आने वाली बारिश के समय में जो पानी बहकर चला जाता है, वह निश्चित रूप से रुकेगा, उसका नागरिकों को फायदा होगा।

अकाल की स्थिति के साथ-साथ पानी की जो स्थिति है वह भी भयावह है। वैसे पूरे राजस्थान में सब जगह पीने के पानी की समस्या है और इसके लिए पानी दो प्रकार से अवेलेबल हो सकता है, या तो बारिश से हो या जमीन से निकाला जाय लेकिन जमीन से निकालने की भी एक सीमा होती है। वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है। जितने ट्यूब वेल खोदेंगे, जितने हैण्ड पम्प खोदेंगे, पानी का लेवल नीचे जा रहा है तो इसके लिए जो पानी बारिश का बहकर जाता है, उसकी कोई स्थायी योजना बनायी जाये जिससे पानी स्थान-स्थान पर रुके जिससे कुओं में पानी का स्तर बढ़े और अजमेर जिले के खासकर अजमेर, ब्यावर, विजय नगर की स्थिति बहुत खराब है। अजमेर में 5 दिन में पानी आ रहा है....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ससुराल का ध्यान रखो।

श्री किशन गोपाल कोगटा : नसीराबाद भी, मैं सोच रहा हूँ कि आप रखेंगे। नसीराबाद, क्योंकि माननीय सदस्य मेरे ससुराल पक्ष से हैं....

श्री सभापति : अकाल पर और भी बोलने वाले हैं....(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : अजमेर, ब्यावर, विजय नगर में पानी की भयावह स्थिति है, अगर योजनाबद्ध तरीके से तुरंत काम प्रारम्भ नहीं किया गया, अकाल राहत में कुछ पैसा देकर तो आने वाले 2-3 महीनों में स्थिति बहुत भयंकर हो जायेगी। अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद में 5 दिन में पानी आ रहा है और पानी का साधन केवल बीसलपुर, बनास की योजना है। तुरन्त कंटीजेंसी बनाकर पानी की व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालत बहुत ही खराब है क्योंकि वहां हैण्ड पम्प एक मात्र साधन रह गया है कि उनके माध्यम से लोग पानी पी सके लेकिन पानी का स्तर जमीन में नीचे जा रहा है और उसकी वजह से....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति : देखिये, चर्चा में समस्या लें, भाषण कम दें तो सबको अपने क्षेत्र की बात कहने का मौका मिलेगा।

श्री किशनगोपाल कोगटा : हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं और अगर कोई ठीक भी है तो पानी का लेवल इतना नीचे चला गया हैं, उसमें पानी नहीं निकल रहा है, मेरा यह कहना है कि हैंड पैंप ठीक कराने का अभियान चलाया जाये, चल भी रहा है लेकिन जब तक एक परमानेन्ट व्यवस्था हैंड पम्प ठीक करने की नहीं होगी तब तक मैं जानता हूं उसमें सफलता प्राप्त नहीं करेंगे लेकिन नये हैण्ड पम्प खोदने की व्यवस्था, जहां 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है वहां टैंकर से पानी की व्यवस्था करें। खासकर रामगढ़. नंदवाड़ा, तख्तपुरा किशनगढ़, शेरगढ़ पंचायत के कानपुरा, बरल, आरुण, मसूदा, जहां हर साल टैंकर

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

से पानी की व्यवस्था होती है इतना भयंकर अकाल है, फिर भी प्रशासनिक दृष्टि से जो कार्य तुरन्त होना चाहिये था, उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। मेरा यह कहना है, ऐसे गांव में जहां 2–2 किलोमीटर से पानी लाने की जरूरत पड़ रही है, वहां से लोग ला रहे हैं. वहां टैंकर से पानी मुहैया कराया जाय तो निश्चित रूप से यह सफलता मिलेगी पानी की व्यवस्था में और आने वाले समय में जनता का सहयोग रहा तो।

(12.40)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी सभापति, पदासीन,।)

अब मैं चारे के संबंध में दो बातें कहना चाहूंगा। बारिश कम होने से चारा बिल्कुल पैदा नहीं हुआ और जंगल से, खेती से जो चारा आता है वह बिल्कुल नहीं हुआ और यह हालत थी कि बारिश के बाद जो हरा चारा था वह भी सुलभ नहीं हुआ।

श्री सभापति : बिराजिए एक मिनट।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, एक निवेदन करना था। समय की कमी है, आज अकाल पर भी चर्चा हो रही है और खनिज पर भी है। यदि सदन ठीक समझे तो दोनों डिमाण्ड्स को एक साथ ही डिस्कस कर लें ताकि समय बच जायेगा और सबको कहने का मौका मिल जायेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपने यहां यह परम्परा रही है कि दो-दो, तीन-तीन डिमाण्ड्स एक साथ डिस्कस होती रही है दोनों पर साथ-साथ चर्चा चलती रही है। जिन माननीय सदस्यों को जिस डिमाण्ड पर बोलना है वह उस डिमाण्ड पर बोल सकते हैं। जितने भी कटौती प्रस्ताव हैं वे प्रस्तुत किये हुए मान लिये जाते हैं। सरकार उनके लिखित में जवाब भिजवा देती है और जो कल की सचेतकों की सूची आयी है, आज खनिज के बारे में अन्य सूची शासन को भेज दें ताकि उनके नाम पुकारे जा सकें। साथ ही एक निवेदन और करूंगा कि खनिज और अकाल बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं इसलिए माननीय सदस्य 5-5, 7-7 मिनट का समय लें ताकि अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को मौका दिया जा सके। दोनों बहस साथ-साथ होगी। प्रारम्भ करिए।

श्री कैलाश मेघवाल : वह तो सामान्य चर्चा है, वह डिमाण्ड नहीं। लेकिन अगर खनिज को आप साथ-साथ लेना चाहते हैं तो मैं मांग मूव करने की औपचारिकता पूरी कर लूं।

श्री सभापति : हां, आप पूरा करिए, पहले यह काम है। आपको अनुमति है, आप करें।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-43 खनिज की प्रस्तुति पर

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43, खनिज के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61 करोड़ 66 लाख 52 हजार तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान की जावे।

श्री सभापति : दोनों पर साथ साथ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हुए माने जावेंगे।

मांग संख्या 43- खनिज पर की कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 43 मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय –

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

1. खनिज विभाग द्वारा भूतपूर्व सैनिकों तथा बेरोजगार युवक एवं युवतियों के आवेदन पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खेत सिंह राठौड़ (शेरगढ़)

2. राजस्थान में खनिज पट्टों और लाइसेन्स देने की नीति तथा खनिज के लीज पट्टे देने में अनियमितताओं से से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)

3. राज्य में खानों के दोष पूर्ण आवंटन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

4. राज्य में खनिजों के खोज एवं पूर्वेक्षण के कार्यों में समुचित प्रगति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

5. खनिजों की खोज के लिए छिद्रण मशीनों तथा उपकरणों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

6. खनिजों के गैर कानूनी उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खेत सिंह राठौड़ (शेरगढ़)

7. अवैध खनन को रोकने व नई लाइसेन्स प्रथा को शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. बालेसर में अवैध खनन चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

9. ग्राम रामगढ़ तहसील रायपुर जिला पाली में मारबल खनिज लीज स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. ब्यावर में सहायक खनिज अभियन्ता कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल(केशवरायपाटन)

11. केशवरायपाटन (बून्दी) तहसील में चम्बल नदी से अथाह पत्थर एवं रेती की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित कापरेन टाकरवाड़ा वाया पीपल्दा खनन सड़क प्राथमिकता से बनवाई जाकर 70 से 80 गांवों को राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. खनिज विभाग में विभिन्न पदों के आरक्षित पदों को विशेष भर्ती अभियान एवं पदोन्नति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. केशवरायपाटन के सूनगर पीपल्दा, जाडला, गेन्डोली, इन्द्रगढ़ आदि गांवों से पत्थर एवं रेती ले जाने वालों से मनमानी कर राशि वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

14. बून्दी जिले में हो रहे अवैध खनन की जांच कर दोषी व्यक्तियों को उचित दण्ड दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. प्रदेश में खनिज विभाग द्वारा श्रमिकों की भागीदारी एवं अनुसूचित जाति/जन-जाति के व्यक्तियों को विशेष खाने आवंटित कर गरीब लोगों को राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) :

16. खनिज विभाग में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़)

17. खनिज का समुचित दोहन एवं उपयोग की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा)

18. खनन क्षेत्र में अपेक्षित सुविधाओं के अभाव एवं ऊपर माल क्षेत्र में प्रभावशाली लोगों द्वारा नाजायज खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

19. राजस्थान में खनिज संपदा के दोहन का मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़)

20. खनिज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या प. 9 (I) खान (II) 90-8 दिनांक 7-7-92 के कारण छोटे खनन व्यवसाइयों को हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवम्

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

21. खनिज सम्पदा के समुचित दोहन के सम्बन्ध में नीति निर्धारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. खानों के पट्टे दिये जाने की नीति के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. झुन्झुनू जिला मुख्यालय पर खनिज विभाग का कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) एवम्

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) :

24. खनिज विभाग में व्याप्त घोटालों की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

25. झुन्झुनू जिले में हो रहे अवैध खनिज दोहन पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल)

26. अवैध खनन पर रोक लगाने एवं क्वारी लाईसेन्स प्रार्थना पत्रों व नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों पर लगने वाले छायाचित्र को बन्द करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

27. राज्य में समुचित खनिज सर्वेक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):

29. जे. के. सफेद सीमेन्ट गोटन द्वारा हाईग्रेड लाइम स्टोन शर्तों का उल्लंघन करके बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. ग्राम ओडीट तहसील लाडनूं जिला नागौर की पत्थर की खानों का विभाग द्वारा गलत सीमांकन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. जे. के. व्हाइट सीमेन्ट गोटन को हाई-ग्रेड लाईम स्टोन का खनन पट्टा नियम विरूद्ध देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

32. किसानों व कमजोर वर्ग के व्यक्तियों से बेचा पत्थर व बजरी पर रायल्टी नहीं लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

33. खनिज उत्पादन, दोहन व उसके विकास संबंधी योजनाओं को मूर्तरूप देने पर सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

34. राज्य में 46 किस्म के खनिज भंडारों का पूरा-पूरा दोहन करने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

35. खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. राज्य में खनिज दोहन हेतु विशेष रियायतें व खनन संबंधी नियमों का सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. देश के निर्यात व्यापार में राज्य की क्षमता व उपलब्धता के बावजूद नगण्य योगदान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल)

38. बांसवाड़ा जिले में अधिकांश मारबल का अवैध खनन की रोक थाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. बांसवाड़ा जिले की अधिकांश मारबल की बंद खानों को वापस चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. घाटोल क्षेत्र में खनन क्षेत्र को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. घाटोल क्षेत्र बांसवाड़ा में खनिज सर्वेक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. घाटोल में सोने की खान का सर्वेक्षण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण), श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार), श्री गोपीराम जाट (आमेर) एवम्

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल)

43. ग्राम साऊ जिला जयपुर में उत्पन्न होने वाले सफेद पाउडर की खान के खनन कार्य में आने वाली कठिनाई को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. राज्य के खनिजों के दोहन की आव-श्यकता पर चर्चा के लिये।

45. खनिज आधारित उद्योगों को वन विण्डो सिस्टम से समस्त सुविधाएं पहुंचाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. पंचायत समिति जमवारामगढ में विभिन्न खनिजों का सर्वे कराकर खनन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. रॉक फास्फेट के शोधन संयंत्र को आधुनिकतम बनाकर पर्याप्त मात्रा में उक्त खनिज अन्तरराज्यीय स्तर पर विक्रय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द (दानपुर)

48. बांसवाड़ा जिले में ग्रेनाइट की अधिकता होते हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को खनिज पट्टे देने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

49. बांसवाड़ा जिले में सीमेन्ट के पत्थर होते हुए भी खनिज पट्टे लोगों को आवंटित करने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

50. दानपुर क्षेत्र में खनिज सम्पदा के माध्यम से मजदूरों को रोजगार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)

51. बांसवाड़ा जिले में खनिज सम्पदा के माध्यम से मजदूरों को रोजगार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. बांसवाड़ा जिला के माचा मोलन में सीमेन्ट के पत्थर होते हुये क्षेत्र के लोगों को पट्टे देने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल चन्द (सलूम्बर)

53. सलूम्बर क्षेत्र में अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. सलूम्बर क्षेत्र के आदिवासियों को खनन के पट्टे दिये जाने की आव-श्यकता पर चर्चा के लिये।

55. माईनिंग क्षेत्रों में सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़)

56. राज्य में मारबल खनन के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(90)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

57. राजस्थान खनिज विकास निगम की कोटपूतली परियोजना में हो रही गम्भीर अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ)

58. खनिज सम्पदा के विदोहन के लिए वन विभाग की स्वीकृती प्राप्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अमरराराम (धोद)

59. राज्य में अवैध खनन को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरतसिंह (खानपुर)

60. खनिज रायल्टी की चोरी व विभाग में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)

61. ग्रेनाइट के ब्लॉक पर लगने वाली रायल्टी को ग्रेनाइट उत्पादक अन्य राज्यों में लगने वाली दरों के समान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री किशनगोपाल कोगटा : सभापति महोदय, में अकाल पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहा हूं । चारे की स्थिति ...

श्री रामनारायण चौधरी : बोलने का मौका भी देंगे या वे प्रस्ताव पढ़े हुए माने जायेंगे।

श्री सभापति : नहीं, ऐसा है सूची आप भिजवा दें । जिन-जिन माननीय सदस्यों की सूची आयेगी और उसके अलावा भी आप निवेदन करेंगे तो आसन हमेशा उदार रहा है जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे उनको अवसर देंगे और आप सब पर बोले। धन्यवाद ।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, सूची में तो नाम नहीं दिया है लेकिन हमें भी बोलने का मौका मिले।

श्री सभापति : आपका नाम भी सूची में होगा।

श्री रामनारायण डूडी : सभापति महोदय, जो कटौती प्रस्ताव दिए हुए हैं वे ही बोलेंगे।

प्रक्रिया

कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री सभापति : आपका नाम तो कल का है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हुए मान लिये गये हैं। माननीय सदस्य, बिराजिये। अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में गत कुछ वर्षों से अपनायी जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि मांग समूह में प्रस्तुत की जायेंगी मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती है और समयाभाव के कारण यह संभव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को [illegible] दिया जा सके

(श्री सभापति)

जैसा कि पिछले वर्षों में यह परिपाटी रही है सभी मांगों पर दिये गये कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया हुआ समझा जाय और उन्हें सदन में पृथक से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाय वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य को उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें तो वे अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण इजाजत नहीं मिली हैं उनसे आग्रह कर सरकार की ओर से सबंधित माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिल जाय, ऐसा मेरा निवेदन है। अब आप प्रारंभ करें।

प्राकृतिक आपदाओं से राहत एवं मांग सं. 43 पर विचार

श्री किशनगोपाल कोगटा : सभापति महोदय, चारे की स्थिति इतनी भयावह है, मनुष्य तो फिर भी जब उसको भूख लगती है या पानी की आवश्यकता होती है तो बोलकर मांग सकता है या व्यवस्था कर सकता है लेकिन जानवरों की स्थिति इतनी भयावह है कि जब पशुओ के मेले लगते है तो बहुत से जानवर 100-50 रुपये में बिके और तो लोग उन्हें छोड़कर चले गए लेकिन न बिके न . . . . ही ले गए। यह स्थिति हमारे क्षेत्र की है और माह सितम्बर, अक्टूबर में भी चारे के लिए त्राहि- त्राहि मची हुई है कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने चारे की व्यवस्था के लिये घोषणा की और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से चारा खरीदकर उस क्षेत्र में यह सुविधा प्रारम्भ करनी थी लेकिन स्थिति यह है कि अभी तक चारे की व्यवस्थित और व्यापक व्यवस्था नहीं हो पायी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो स्थिति अभी बनी हुई है और आप खुद भी देखकर आये हैं इस पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही हो और एक कमेटी बने चाहे वह विधान सभा स्तर पर पर बने। वह चारे की व्यवस्था के सम्बन्ध में चौकसी रखे और जहां कहीं भी समस्या आए, उसको दूर करे और चारा मुहैया कराये।

श्री सभापति : समय सीमा रखें माननीय सदस्य आज।

श्री किशनगोपाल कोगटा : एक समस्या आदेश। कि इसके पहले जब चारे की व्यवस्था स्वयसेवी संस्थाओं ने की या अन्य संस्थाओं ने की। उनका पैसा बाकी रहा इसके कारण से इस बार ये संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं और सरकार यह सोच रही है कि इन संस्थाओं को आदेश दे दिया, इन्होंने कार्य प्रारम्भ कर दिया होगा लेकिन स्थिति यह है कि आज तक इन संस्थाओं ने कार्य प्रारंभ नहीं किया है और जानवरों की जो स्थिति वर्तमान में देखने को मिल रही है वह बहुत भयावह है और इसकी ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री महोदय की कार्यकुशलता की तारीफ करूंगा कि इन्होंने तत्परता से इस विभाग में और

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

स्थान-स्थान पर जाकर वस्तुस्थिति को देख कर निर्णय लिये हैं और उसका लाभ पूरे राजस्थान को मिल रहा है, उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ-साथ जो सीलिंग अभी तक राजस्थान में हैं उसको तत्काल बढ़ाया जाय और कम से कम अजमेर की सीलिंग तो डबल की जाय तब कुछ राहत कार्य होंगे।

इसके साथ-साथ मैं मांग संख्या 43, खनिज पर भी दो शब्द बोलना चाहूंगा।

श्री सभापति : नहीं, आप एक पर बोलें, दोनों पर नहीं। समाप्त करें।

श्री किशनगोपाल कोगटा : माननीय सभापति महोदय, खासकर मेरे क्षेत्र में अभी 60 पर्सेन्ट खनन अवैध हो रहा है और राजस्थान में जितना अवैध खनन हो रहा है उसका सबसे ज्यादा पर्सेन्टेज मसूदा विधान सभा क्षेत्र में है। इसके साथ-साथ जहां धार्मिक स्थल हैं और जहां चारागाह है, साथ ही वन विभाग की जमीन है उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा है और यह सब अधिकारियों से मिलीभगत करके ये अवैध खनन करने वाले लोग कर रहे हैं। कम से कम जहां धार्मिक स्थल हैं, जहां चारागाह है और जो वन विभाग का क्षेत्र है वहां तो रोकें ताकि अन्य क्षेत्रों में आप इसके लिए उसी हिसाब से चल सकें और इन तीन बातों में, खासकर मसूदा क्षेत्र में जो 60 पर्सेन्ट से ज्यादा अवैध खनन हो रहा है उसको कन्ट्रोल करे, उसके लिए मुझे आश्वासन दें और उसको चैक अप करेंगे इसके लिए मुझे आश्वासन दें। मंत्री महोदय को यह कहना है। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : मैं एक निवेदन कर रहा था कि बहस बहुत जल्दी प्रारम्भ हो गई है इसलिए अकाल और माइन्स के सैक्रेटरीज व अन्य अधिकारीगण को बुला लें तो नोट जल्दी हो जायेगी।

श्री रिछपाल चौधरी (अनुपस्थित)।

श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, आज अकाल पर सामान्य चर्चा के रूप में यहां पर चर्चा हो रही है। राजस्थान में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण 23 फरवरी को पढ़ा गया था। तो माननीय राज्यपाल महोदय से कहलवाया गया कि हम एक जनवरी से या इस महीने में काम शुरू कर देंगे, अकाल राहत कमेटियां बना देंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि पहले जो अधूरे काम रहे थे किसी भी विभाग के चाहे पी. डब्लू. डी. के हों, चाहे सिंचाई के हों, या दूसरे काम हो अब प्राथमिकता से पहले उनको शुरू करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि दौसा जिले की पांच में से चार तहसीलें पूर्णतया अभावग्रस्त हैं। करीब सात सौ गांव दौसा जिले में सूखे से पीड़ित हैं और आपने वहां 3500 लेबर मंजूर की है। पहली हमारी अकाल राहत की मीटिंग 5 फरवरी को हुई उसमें हमने तय किया की जो अधूरे काम रह गये उनको शुरू करा दें। दूसरी मीटिंग हमारी 21 फरवरी को हुई, जिलाधीश स्तर से कुछ सिंचाई विभाग के काम मंजूर किये गये, कुछ पी.डब्ल्यू. डी. के किये गये पर 21 फरवरी तक एक भी काम कहीं शुरू नहीं किया गया है और जब सिंचाई विभाग के अधिकारी जिले की मीटिंग में गये, माननीय मंत्रीजी

(श्री परसादीलाल मीणा)

तो बातों में मस्त हैं, जैसे गम्भीर नहीं हैं अकाल के बारे में, आप मेहरबानी करके बात सुनें तो ठीक रहेगा और यदि बातें करेंगे तो हमारे बोलने से कोई मतलब नहीं।

श्री सभापति : नहीं, आप बोलिये।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, 21 फरवरी को जब अकाल राहत कमेटी के सामने कलक्टर ने यह कहा कि सिंचाई विभाग के इतने काम अपने जिले में अधूरे थे, इतने नये लिए जा रहे हैं, एनीकट, तालाब, दूसरे जो भी काम थे, सिंचाई विभाग के वहां अधिशासी अभियंता गये और हमारी मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में 19 फरवरी को एक मीटिंग हुई है सचिवालय में, उसमें यह कह दिया कि कोई भी एनीकट का काम नहीं कराया जाय। सारे काम मंजूर हो गये। मैं आपको गंभीरता से कह रहा हूं, आज तक सिंचाई विभाग ने दौसा जिले में एक भी काम शुरू नहीं किया और इन्होंने 24 फरवरी को एक आदेश निकाला किन्तु-परन्तु लगा कर कि इसमें कैचमेंट नहीं है इसमें यह नहीं है तो शुरू कर दें। सिंचाई विभाग के अधिकारी एक भी काम शुरू करने को तैयार आज भी नहीं हैं। ऐसी हालत में जब अकाल पड़ता है, हमारा पानी नहीं रुकता है, तालाबों की मरम्मत नहीं है, कुओं के पानी की मैं आपको क्या हालत बताऊं दौसा जिले की, आज 95 प्रतिशत कुए सूख गये हैं। आप कहीं भी चले जाइये, लालसोट में एक भी कुए में आपको पानी नहीं मिलेगा। आखिर पानी का क्या होगा। आखिर पानी हम रोकेंगे नहीं एनीकट तालाब बनाकर, नाड़ियां बना कर फिर यह काम कराने से फायदा क्या है। मत्री महोदय, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। आप एकदम नये हैं, मैं आपको ज्यादा वह भी नहीं कहता। जो 86, 87, 88 में अकाल राहत के काम जिस लेवल के हुए, जिस तरीके के हुए, आप उनको दिखवा लीजिए कि किस तरह के काम वहां हुए। मैं आपको उदाहरण देकर बता रहा हूं। 86-87 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव था, वहां से नदी का पानी बहकर निकल जाता था, हमने उस पर एनीकट बनाया, भिवासली कलां अगर आप अनुभव लेना चाहते हैं, वहां पर एनीकट इस तरह का बनाया, दस-बारह लाख रुपये लगे, उस गांव के और आसपास के दो-तीन चार गांवों के कुओं में एक बूंद पानी नहीं था। आज वहां पर दिखवा लीजिए आपके अधिकारियों से उदाहरण के तौर पर, आज बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस फीट उस गांव के कुओं में पानी है। अगर हम एनीकट नहीं बनायेंगे, तालाबों की मरम्मत नहीं करायेंगे तो फिर करेंगे क्या अकाल राहत में कौनसा काम आप कराना चाहते हैं? आपकी तो यह सिंचाई विभाग वाले अधिकारी मानते नहीं। भाटीजी बैठे हैं आपके पास कोई एजेन्सी नहीं है मैं आपको कोई उलाहना नहीं देना चाहता कि आपके पास कोई एजेन्सी नहीं काम करने की, आप काम सैंक्शन कर सकते हैं। आज दौसा जिले में आपने 3500 की लेबर सैंक्शन की। सात सौ गांव अकाल से पीड़ित हैं, 1276 गांव तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र लालसोट के हैं। वहां पर आपने तीन काम सैंक्शन किए हैं और सिंचाई विभाग के तीन चार काम आपनें किये हैं उनमें से एक शुरू भी नहीं हुआ। 3500

(श्री परसादीलाल मीणा)

में से दौसा जिले में चार सौ लेबर भी आज काम पर नहीं हैं। आप काम सैंक्शन नहीं करेंगे, आपने पी. डब्ल्यू. डी. के काम नहीं किए, दूसरे काम नहीं किए, आखिर काम होगा कैसे ? मेरा आपसे पहला तो यह निवेदन है कि सिंचाई विभाग के मंत्रीजी बैठे हैं, आप इनसे सम्पर्क करिये कि हमारे जो काम अधूरे रह गये अकाल राहत के, जैसे एनीकट, चाहे पांच-पांच, चार-चार लाख रुपये उनमें लग गये, पर आज सिंचाई विभाग के अधिकारी करने को तैयार नहीं हैं। दौसा जिले में क्यों नहीं करते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि सिंचाई विभाग का अधिशासी अभियन्ता यहां बैठता है, उसको तकलीफ होती है दौसा जाने में, उसको तकलीफ होती है लालसोट जाने में। दौसा जिला बने आज इतने साल हो गये, आपने सिंचाई विभाग का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय क्यों नहीं खोला। कैसे काम करायेंगे आप सिंचाई विभाग के ? पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी यह कहते हैं कि हमारे पास तो जो रेगूलर काम आते है हम उन कामों को नहीं कर पायेंगे अगर इनको करेंगे तो! आखिर लेबर कैसे लगायेंगे। आपने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन या चार काम खोले हैं, 270 गांव अकाल से पीड़ित हैं जैसे डीडवाना, है, मण्डावरी है, दौलतपुरा है, इतने बड़े-बड़े कस्बों मे आपने एक भी काम नहीं खोला है आखिर काम होगा कैसे ? मेरा आपसे निवेदन है कि आप गम्भीरता से इस बात को लें, सिंचाई मंत्री जी, आप और पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब, पंचायत विभाग को आप कोई काम न दें, सब घपला करेंगे यह। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा काम कराने हैं पानी को रोक कर और ऐसे महत्वपूर्ण काम कराओ, पक्के काम कराओ, यह नहीं कि बरसात में बह जायें, आप नये एनीकट बनाओ, सैंकड़ों तालाब हैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, दौसा जिले में सैंकडों तालाब है, आप उनकी मरम्मत करा दें, पानी रुकेगा, कुओं का जल स्तर ऊंचा होगा। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अब तक आपके काम शुरू नहीं हुए। अकाल राहत कमेटियों के बारे में आपने कह दिया, एक दिन बहुत बड़ा आपका अखबार में.... ....

श्री सभापति : संक्षिप्त में करिये माननीय सदस्य। समय सीमा सबके लिए लागू है।

श्री परसादीलाल मीणा : आपका बहुत बड़ा स्टेटमेंट था अकाल राहत मंत्रीजी, हमने पंचायत समिति लेवल पर अकाल राहत कमेटियां बना दीं, जिला लेवल पर बना दीं। एम. एल. ए. के अलावा आपने दूसरे मेम्बर आज तक कमेटी में नहीं बनाये, पंचायत समिति लेवल पर आज तक आपकी कमेटी नहीं बनी है। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में आपने कहीं पंचायत लेवल की कमेटी नहीं बनायी है। आप गंभीर नहीं हैं। इसका मतलब आप काम करना नहीं चाहते, आप बाई-पास करना चाहते है कि कैसे न कैसे 30 जून आ जाय और यह आफत टले। यह बहुत गम्भीर सवाल है। आज चारे की कमी है और मजदूरों को गेहूं पांच सौ रुपये क्विंटल मिल रहा है आपने कहां गेहूं की व्यवस्था की ? मैं आपसे गम्भीरता से कह रहा हूं कि दौसा जिले में एक क्विंटल गेहूं की भी आपने व्यवस्था नहीं की है कि मजदूरों को हम गेहूं पहुंचायेंगे। आपने न कहीं मजदूरों के लिए काम खोले,

(श्री परसादीलाल मीणा)

की व्यवस्था की है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप दौसा जिले में, जयपुर जिले में, आप यहीं जयपुर राजधानी में रह रहे हैं, आप मीटिंग बुला कर देख लीजिये, अधिकारियों को बुला कर देख लीजिये कि कितने काम शुरू किये। सिंचाई मंत्रीजी को मैं कहना चाहूंगा कि दौसा जिले में या कहीं भी राजस्थान में सिंचाई विभाग में अधिकारी बिल्कुल आनाकानी कर रहे हैं, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने अधूरे काम छोड़ दिये तो मेहरबानी करके आप अकाल राहत मंत्रीजी से सहयोग करते हुए जो काम अधूरे रह गये हैं उनको पूरा करायें। कामों की सैंक्शन हो गई, 10 फरवरी को काम सैंक्शन हो गये मेरे इलाके में एनीकट वगैरह के, आज तक शुरू नहीं किये, आखिर हम करेंगे क्या ?

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल मीणा : मेरा आपसे निवेदन है कि सब विभागों का, इसमें आप कृषि मंत्रीजी को भी ले लीजिये, आप मैटीरियल का पैसा उनसे ले लें, सिंचाई मंत्रीजी को आप पैसा दे दें और पानी का तो बहुत गम्भीर मामला है। मेरे को तो कल सैक्रेटरी साहब कह रहे थे कि हमने पैसा भिजवा दिया। आज तक जलदाय विभाग वालों ने अकाल राहत कमेटी को जानकारी नहीं दी कि पेयजल के लिए पैसा आ गया। कंटीजेंसी प्लान आज तक नहीं बना कि हम एक निर्वाचन क्षेत्र में कितने हैण्ड पम्प लगायेंगे, कितने ट्यूबवैल बनायेंगे कैसे-कैसे पानी की व्यवस्था करेंगे। आज हालत यह है कि गांवों में कि वहां पीने को पानी नहीं है। हजारों ढाणियां ऐसी हैं, जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है तो जो यह कंटीजेंसी का प्लान है, आप पैसा दे रहे हैं, अकाल राहत मंत्रीजी, जलदाय विभाग वाले क्या जुलाई और अगस्त में बनायेंगे उस प्लान को। अगर जुलाई-अगस्त में बनेगा तो आपके उसको पैसा अकाल राहत के फण्ड से देने से क्या फायदा हुआ। आप उनको यह कहिये कि अप्रैल और मई में यह काम हो जाना चाहिये, चाहे ट्यूब वैल हों, चाहे हैंड पम्प हो, चाहे दूसरे काम हों। आपके रिलीफ फण्ड का जो पैसा है, उसका उपयोग वह जुलाई और अगस्त के लिए न रखें। वह इसको अपने रेगूलर कामों के काम में लेते हैं। आप राहत देने के लिए जहां पेयजल का ज्यादा संकट है, जहां पर ट्यूब वैल बनाये जा सकते हैं, जहां पर हैंण्ड पम्प की बात है, आप कम से कम एक-एक निर्वाचन क्षेत्र में जहां पूरे का पूरा विधान सभा क्षेत्र, दौसा जिले के चार विधान सभा क्षेत्र अकाल से पीड़ित हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, एक भी तालाब में कहीं पानी हो, एक भी जगह कहीं पानी हो, आज मवेशी कैसे पानी पीयेंगी। कहां पानी पिलाओगे आप उनको ? आज मवेशी पानी के बिना मर रहे हैं। सौभाग्य से अगर बिजली आ जाय तो आज मवेशी पानी पी सकते हैं। तब तक मवेशी को पानी पीने को नहीं मिलेगा, जब तक बिजली नहीं आयेगी।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

96

श्री परसादीलाल मीणा : मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार ने जो अब तक अकर्मण्यता दिखाई है, प्रशासन ने जो लापरवाही की है जिसकी वजह से काम शुरू नहीं हो सके, आप उनसे कहिये कि यह काम इसी वीक में शुरू हो जायें और यह 30 जून तक जो अधूरे काम पहले अकाल राहत में हो गये उनको पूरा करायें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : समाप्त हुआ। श्री कन्हैयालाल मीणा (अनुपस्थित)

श्री पराक्रम सिंह माननीय सदस्य, समय सीमा सात मिनट रखें।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, अभी खेतसिंह जी और हम लोग मिले थे तो उसमें अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि अकाल की डिमाण्ड, अकाल पर ही कर लें, समय आपके पास उपलब्ध है।

श्री सभापति : मैंने व्यवस्था दे दी। माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री विष्णु मोदी : क्या व्यवस्था दे दी, श्रीमन्।

श्री सभापति : साथ-साथ चलेगी।

श्री विष्णु मोदी : साथ-साथ चलने का कोई औचित्य ही नहीं है, श्रीमन्।

श्री सभापति : मैंने व्यवस्था दे दी, आप बिराजिए।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, आपने व्यवस्था दे दी तो इससे, जो कार्यसूची दी थी....

श्री सभापति : मैं उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूं। बिराजिए!

श्री विष्णु मोदी : नहीं, कार्यसूची जो भेजी है आपने...

श्री सभापति : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, मैं तो बैठ जाऊंगा, श्रीमन्, लेकिन जो कार्यसूची भेजी है उसमें अकाल राहत की अलग से डिमाण्ड है और खनिज की अलग से है।

श्री सभापति : चर्चा साथ-साथ होगी। माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : XXX जिस तरह से सरकार एडहाकिज्म पर चल रही है...

श्री सभापति : चर्चा साथ-साथ होगी। माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री विष्णु मोदी : जैसे XXX वैसे चर्चा एडहाकिज्म पर चल रही है। आप उसको क्यों इन्टर-मेश, अकाल भी इम्पोर्टेन्ट है और खनिज भी इम्पार्टेन्ट है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य; आसन पर आप आक्षेप नहीं करें, बिराजिए। सरकार की बात आप कहें।

श्री विष्णु मोदी : मैं आप से निवेदन कर रहा हूं...

श्री सभापति : मैंने निवेदन सुन लिया और अस्वीकार कर दिया। बिराज जाइये।

XXX अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलेपित की गयी।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, लेकिन उसका कोई परिप्रेक्ष्य नहीं रहेगा। कोई औचित्य नहीं रहेगा।

श्री सभापति : श्री पराक्रम सिंह। अंकित नहीं होगा आसन के प्रति कहा हुआ।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अकाल राहत कार्य चालू करके, किसी भी सरकार ने इतने लम्बे समय के लिए आज दिन तक अकाल राहत कार्य चालू नहीं किये और आपके माध्यम से सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि जो कार्य चालू हुए हैं उनका चुकारा भी चालू हो गया है और चुकारे के अन्दर मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाकर आया हूं और वहां गेहूं और सब हो रहा है परन्तु गम्भीर अकाल की समस्या को देखते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मजदूरों की संख्या बढ़ायी जावे, पर्याप्त नहीं है, मेरे इलाके में भयंकर समस्या है। भीलवाड़ा जिला अकाल से ग्रसित है और यही स्थिति न सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र में है लेकिन सहाड़ा, रायपुर, जहाजपुर और मांडलगढ़ के अन्दर भी है और इन 5 विधान सभा क्षेत्रों में मंत्री महोदय विशेषकर मजदूरों की संख्या बढ़ाने की कृपा करेंगे। अकाल राहत कार्यों के अन्दर सिंचाई से सम्बन्धित तालाब हैं उनके ऊपर तो डिपार्टमेंट काम करा रहा है परन्तु पंचायत के अधीन जो तालाब हैं उनकी दयनीय स्थिति होती है। पंचायतों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह इस कार्य को करा सके इसलिए इस अकाल के माध्यम से पंचायतों के तालाबों में अधिक से अधिक काम करा कर उन तालाबों की देखरेख के लिए उन तालाबों के ऊपर पैसा खर्च करने का ज्यादा प्रावधान बनाया जाय।

सड़क निर्माण के लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पिछले अकाल के अन्दर और कितनी ही योजनाओं में सड़कों का निर्माण हुआ था, मिट्टी डाली गई थी परन्तु इस अकाल के समय में इनको पक्का कराया जाय। अगर डामरीकरण नहीं करा सके सरकार तो उनको ग्रेवल रोड बनाकर उनके ऊपर अकाल का पैसा खर्च किया जाय।

एक और सुझाव निवेदन करना चाहूंगा कि इस अकाल के दौरान डिपार्टमेंट द्वारा ठेकेदारी से काम कराया जा रहा है उसे बन्द कराया जाय ताकि अधिक से अधिक मजदूरों को अकाल के अन्दर जोड़ा जा सके। ठेकेदार पैसा भी कम देता है और मजदूरों को काम पर भी कम लगाता है। अधिक काम वे मशीनों के द्वारा करते हैं तो इससे मजदूरों की संख्या कम होती है। इसलिए निवेदन है कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके यह कार्य डिपार्टमेंट या अकाल राहत में लिये जायं। मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, अकाल और खनिज दोनों पर आपने साथ ही चर्चा प्रारम्भ की है। मैं बहुत संक्षेप में अकाल के मामले में झुंझुनूं जिले में खास तौर से····

श्री सभापति : आप प्रमुख रूप से खान पर बोलने वाले हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : खान पर भी मेरा कटौती प्रस्ताव है। मैं माननीय सहायता मंत्रीजी का ध्यान झुंझुनूं जिले और खास तौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र मण्डावा की ओर, जिसकी पूरी पंचायत समिति में 70 से 100 पर्सेंट अकाल हैं, आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, पिछली बार मैं नहीं था तो उन्होंने जवाब में बताया था कि दो जगह ही काम हुआ है, तीन जगह काम चालू नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि अकाल नहीं है, लोग आ नहीं रहे हैं। यह स्थिति नहीं है। मजदूर इसलिए नहीं आ रहे हैं कि परिचय पत्र आपकी सरकार जारी नहीं कर रही है और एक घर के पीछे एक मजदूर को काम के ऊपर लगाया जा रहा है और क्योंकि इस मामले में अधिकारी गम्भीर नहीं हैं। सहायता मंत्रीजी आप काबिल हैं, जवान हैं, एनर्जेटिक हैं। जिस स्पीड से आप पिछली बार अकाल सहायता का पेपर पढ़ रहे थे उसी स्पीड से आप काम करवा कर दिखायें तब आपकी काबिलियत और आपकी कार्य-क्षमता का आकलन होगा। आप प्रोफेसर हैं, जवान हैं और जवानी का काम करके आपकी जवानी किस काम की, आपकी प्रोफेसरी किस काम की, आपने एक जिले में जाकर एक काम का आपने स्वयं निरीक्षण नहीं किया। आज से पहले जब विधान सभा चालू हो रही थी, आपको हर जिले का दूर करना चाहिए था, हर क्षेत्र को देखना चाहिए था, हर एम. एल. ए. से आपको सम्पर्क करना चाहिए था वह तो नहीं किया और जो अधिकारी रिपोर्ट आपको बनाकर दे देंगे तो आपकी ऊंचाई और सारा स्टेट्यूर की साइज में पड़ता है तो यह पता नहीं चलता कि आप खड़े-खड़े पढ़ रहे हो या बैठे-बैठे पढ़ रहे हो। आप इसमें दिलचस्पी लीजिए और अधिकारी से पूछिए, आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए घर पर और ऑफिस में दोनों जगह पर, कि आपके पास रिपोर्ट आनी चाहिए हर शाम को कि कितनी लेबर आपने वहां बढ़वाई, आप पुराना हिसाब देख लीजिए।

मैं, आपसे प्रार्थना करूंगा, सभापति महोदय, कि अकाल में सबसे बड़ा काम पी. डब्ल्यू. डी. के मार्फत होता है। पी. डब्ल्यू. डी. के मंत्रीजी भी नहीं हैं और मेरे ख्याल से पी. डब्ल्यू. डी. के सम्बन्ध में कोई चर्चा करें उसको कौन नोट करेगा यह व्यवस्था शायद आपने करवा दी होगी क्योंकि सिंचाई मंत्रीजी तो बिराज रहे हैं। यह तो वैसे भी बहुत बुलन्द मंत्री हैं, दबंग हैं तो उसकी भी आप व्यवस्था करवाइये। सड़कों का काम ही हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, सिंचाई का काम नहीं है सड़कें आप ऐसी बनायें जो 15 जुलाई से पहले-पहले काम के आने लायक बन जायें इस तरह की और आप एक पाइंट पर पूरा काम खोलें, उसमें 50 आदमी से ज्यादा नहीं लगायेंगे और 5 पाइंट यह हैं, 5 पाइंटों में से दो पर आपने काम चालू करवाया, बाकी के ऊपर परिचय पत्र का काम बाकी है। आज तक मुझे नहीं मालूम मैं दो दिन पहले आया था तब तक परिचय पत्रों के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने भी कह दिया, आपने भी कह दिया, कोई आदेश यहां से नहीं गये, कल तक कोई आदेश नहीं गये। अब आप इस बात से गम्भीरता आंक लीजिए कि यहां सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया और अकाल राहत मंत्रीजी ने कह दिया, उसके बाद परिचय-पत्र के आदेश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। परिचय पत्रों के वह आदेश यहां से

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रसारित ही नहीं हुए। इससे ही पता चलता है, नहीं गये हैं तो मैं चाहता हूं मान्यवर....

श्री शिवनाथ सिंह : उस सर्कूलर की बात नहीं कही है, आप कलक्टर से मालूम कर लीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : हर जिलाधीश के पास में वह गया है उसमें हर एक के पास है।

श्री शिवनाथ सिंह : आपका सर्कूलर तो आपकी कृपा से चलता है आपका सर्कूलर आगे नहीं जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप पार्टी के चीफ व्हीप हैं। मंत्री स्वयं बैठे हुए हैं। वे भी काबिल हैं, सक्षम हैं, सर्कूलर अगर गये हों तो कह देंगे। आप चीफ व्हीप साहब, आज टाइम नहीं बढ़वाना है। सरकार की तरफ से आप जवाब नहीं दे सकेंगे।

सभापति महोदय, आपसे यह चाहता हूं....

श्री सभापति : माननीय चौधरी साहब यह कह रहे हैं कि आपका काम समय बढ़ाना है।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, आपका काम समय बढ़ाने का है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : चौधरी साहब को बहुत सारी गलत फहमियां हैं। एक तो ये सरकार में रहे हैं। आपको यह जानकारी नहीं है, जैसा आपने कह दिया यहां जवाब ही कौन देगा, फिर आपने कह दिया कि मेरा काम ही केवल समय बढ़ाना है। आप सरकार में रहे हैं, कम से कम आप तो ऐसी बात न कहें जो गैर-जिम्मेदाराना हो।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, मुझे पता है। और आपको भी पता है। आप कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं दे सकते और केवल समय बढ़ाने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं सरकार की तरफ से समय बढ़ाने का प्रस्ताव भी दे सकता हूं, सरकार के विषय में कोई भी वक्तव्य भी दे सकता हूं और सरकार की स्थिति को स्पष्ट भी कर सकता हूं।

श्री सभापति : यह प्रश्न अभी मेरे सामने विचाराधीन नहीं है कि आप वक्तव्य दे सकते हैं या नहीं दे सकते। यह प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है कि सचेतक का क्या कर्तव्य है? आप बोलिए।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, पीने के पानी की हमारे इलाके में.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य सुनें, आपस में चर्चा न करें व गम्भीरता से सुनें।

श्री रामनारायण चौधरी : बड़ी समस्या है। मेरे इलाके के अन्दर सौ गांव ऐसे हैं, जिन गांवों का पानी पिया नहीं जा सकता खारा है और पीने लायक नहीं है ड्रिंकेबल नहीं है और एक नगरपालिका ऐसी है जिसका पानी पीने लायक नहीं है उसमें भयंकर समस्या पैदा हो जायेगी जून के महीने में, मई के महीने में। तो मैं

(श्री रामनारायण चौधरी)

अकाल सहायता मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस स्थिति के अन्दर पानी को कहां से ट्रान्सपोर्ट करेंगे, कैसेक्ष क्या करेंगे ? इसकी व्यवस्था के संबंध में कोई आदेश अभी तक अधिकारियों के पास में नहीं पहुंचे, तो इसकी आप व्यवस्था करवाइये, चारे की आप व्यवस्था करवाइये। चारा अब की बार हमारे झुंझुनू जिले के अन्दर हुआ ही नहीं है, बाजरे की फसल नष्ट हो गयी थी। उधर चूरू जिला पूरा अकाल के अन्दर है और सूरतगढ़, खेतड़ी यह पूरा इलाका अकाल के अन्दर है. उधर रतनगढ़, चूरु यह पूरा इलाका, बीकानेर, इधर गंगानगर यह पूरा क्षेत्र अकाल में है। हरियाणा, पहले हरियाणा से हमें मदद मिलती थी। हरियाणा में भी अबकी बार अकाल है, तो चारे की व्यवस्था करें। पीने के पानी की व्यवस्था करवाइये। मैं अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गांवों के अन्दर गांववाई सांड है, गाय और भैंसें, उनको अकाल सहायता में पहले सब्सिडी दी जाती थी, उस सम्बन्ध में कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं पहुँचे और उस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं हुई। पशुधन ऐसा है कि गांवों के अन्दर, आप तो स्वयं गांवों की इकॉनोमी के बारे में जानते हैं, इकॉनामिस्ट हैं, गांवों के बारे में दिलचस्पी रखते हैं और जहां से आप निर्वाचित हुए हैं, टोटल ग्रामीण एरिया है। गांव का धन नष्ट हो जायेगा अकाल में, तो उसकी पूर्ति होने वाली नहीं। जो गांववाइ बुल्स हैं, उनकी सब्सिडी की व्यवस्था होनी चाहिए। गांवों के अन्दर वह लोग अपाहिज, गांवों में असहाय लोग, जिनका सरकार के अलावा कोई सहारा नहीं है, आप बोलते हुए चाणक्य का जिक्र कर रहे थे। यह सब बातें हैं चाणक्य शास्त्र के अन्दर कि राज असहाय, निर्धन, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, और जिनको काम नहीं है, उनको काम, यह सब चाणक्य शास्त्र के अन्दर लिखे हुए हैं कि उसकी व्यवस्था राज करेगा। अब राज के अन्दर राजकीय प्रतिनिधि आप हैं, राज आप चला रहे हैं, इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, सभापति महोदय, इसकी आप व्यवस्था करें। अब मैं अकाल के बाद संक्षेप में खनिज पर आता हूं।

मान्यवर, मेरे कटौती प्रस्ताव तो आपने पढ़े हुए मान लिये और प्रस्तुत किये हुए मान लिये। मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान वह प्रदेश है, जो भारत वर्ष के अन्दर उड़ीसा के बाद सबसे अधिक खनिज सम्पदा वाला है, जिसका दोहन, एक्सप्लायटेशन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। यहां कोई नीति नहीं है, जिन लोगों का खानों पर कब्जा है, एक पट्टा किसी ने ले लिया, उस पट्टे से दस गुना खाने उसने दबा रखी है। अवैध खनन जितना राजस्थान में हो रहा है, उतना सम्भवतः कहीं भी नहीं हो रहा है। इस अवैध खनन को रुकवाइये और रुकवाने के बाद आप कुछ नीति तय करवाइये। खनिज के पट्टों के अलाटमेंट में भूतपूर्व सैनिकों, बेरोजगार युवक और युवतियों के आवेदन-पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने के लिए आपको कार्यक्रम बनवाना चाहिए। वह लोग जो देश की सेवा बोर्डर पर, हमारी सीमाओं पर करते हैं। हमारे नौजवान जो 15 साल की नौकरी के बाद में रिटायर होकर आ जाते हैं, वह पढ़े लिखे जवान हैं, घर पर आकर बेकार हो

(श्री रामनारायण चौधरी)

जाते हैं, उनको दुबारा एम्प्लायमेंट मिलेगा। फौजियों का कोटा तय हो जाना चाहिए कि इतने प्रतिशत हम खनिजों के अन्दर हमारे भूतपूर्व सैनिकों का कोटा देंगे। इससे बड़ा भारी एम्प्लायमेंट मिलेगा और ऐसा ही बेरोजगार युवक और युवतियों, युवतियां 50 प्रतिशत हमारे प्रदेश में है, 50 प्रतिशत युवतियों को, युवकों के बराबर आप नहीं दे सकते तो युवकों और युवतियों का, जो अब पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं, उनका भी एक कार्यक्रम बनाना चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अगर बेरोजगारी इसी तरह से बढ़ेगी जिस तरह जनसंख्या बढ रही है। आज जनसंख्या नियन्त्रण का सबसे बड़ा मसीहा कहूं या न कहूं, सबसे बड़ा हृदय परिवर्तन आपका हुआ है, इन वर्षों के अन्दर इस जनसंख्या नियन्त्रण के बारे में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, सभापति महोदय कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या में बढ़ते हुए पढ़े-लिखे युवक और युवतियों को और फौज से रिटायर होने वाले हमारे भूतपूर्व सैनिकों को यदि आप काम नहीं देंगे तो आज नहीं तो पांच साल हमारी और आपकी तो उम्र अभी बहुत है मैं कहता हूं कि मेरे और घासीरामजी की उम्र में देखते-देखते समाज के अन्दर केओस ही पैदा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप लोग हमारा ही नाम लेओ जी। आप तो अमर रहो।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपका नाम नहीं बोल रहा हूं। मैं घासीरामजी का नाम और मेरे समकक्ष जो लोग बैठे हैं, हमारी उम्र के अन्दर हम देखेंगे केओस पैदा हो जायेगा। आज बड़े-बड़े कंट्रीज, हम ही नहीं, वह देश जो दुनियां पर आर्थिक साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, उनके यहां आज यह स्थिति पैदा हो गयी, अमेरिका जैसे देश के अन्दर, रूस तो तबाह हो गया, लेकिन दूसरे मुल्कों में, इंगलैंड, यूरोप में, अमेरिका में सब जगह भयंकर बेरोजगारी है। वहां स्थिति यह है, पोपुलेशन स्टेटिक है, जापान में पोपुलेशन नियन्त्रण में है, बढ़ नहीं रही है, जो वर्ल्ड-वार के वक्त में थी, वह की वह चल रही है। जर्मनी और यूरोप में वह की वह चल रही है। अमरीका के अन्दर कुछ बढ़ी है लेकिन वहां भी नियंत्रण में है। अब चायना ने भी नियंत्रण में करली है, हम नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगारों को काम नहीं दे पा रहे हैं, तो समाज की क्या स्थिति होगी ? मैं अधिक भाषण नहीं देकर के आपके माध्यम से पांच चीज, खनिज मंत्री महोदय के ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों को और बेरोजगार पढे-लिखे युवक और युवतियों को आप समयबद्ध कार्यक्रम, आगे के अलाटमेन्ट में आप उनको प्राथमिकता दें। पहले जितनी एप्लीकेशन्स हैं, उनको आप नष्ट करवा दीजिए, खतम करवा दीजिए' रिजेक्ट करवा दीजिए और नये सिरे से एप्लीकेशन लें। एक वाक्य और कहूंगा आपको कि होता क्या है कि जो पहले एप्लीकेशन्स खनिज विभाग में देता है, उसका नाम लिस्ट में पहले लिख लेते हैं, कहां अलाटमेन्ट होना है,' वह खनिज विभाग वालों को पता रहता है। अपने रिश्तेदारों, गैंग है उनकी जो ऑलरेडी खनिज विभाग में बैठे हुए है उनको पता चल जाता है, वह अपनी

(श्री रामनारायण चौधरी)

एप्लीकेशन सर्वे कराकर के नक्शा बनाकर लगा देते हैं। इसलिए उनके मुकाबले दूसरा टिकता नहीं है, कोई देता है तो उसकी रिजेक्ट हो जाती है, यह प्रोपर प्रफोर्मा में नहीं है, रेगूलर वे में नहीं है, इसलिए रिजेक्ट कर दी गयी है और जिसको देना चाहते हैं उनको दे देते हैं। इन सबको बन्द करके, इसके तहत तीन कैटेगरीज को आप प्राथमिकता दें। इसके बाद कोई बची रहती हो तो आप दूसरे तरीके देखिए। अवैध खनन को आप रोकिए, पट्टा एक का है और उससे 10 गुना जमीन उसने दबा रखी है, अवैध खनन कर रहा है और सरकार को कोई आमदनी नहीं हो रही है। अव्यवस्था समाज में फैल रही है, इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, आपने मुझे समय दे दिया उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री फतेहसिंह जी।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : सभापति महोदय, आज अकाल के ऊपर चर्चा हो रही है। मैं भी इसमें यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में अकाल है और सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने जिले का और अपने-अपने क्षेत्र के बारे में बताया लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि सबसे मोटा अकाल पहाड़ी इलाका, आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है मैं यह नहीं कह सकता कि दूसरे जिलों में अकाल नहीं है, लेकिन वहां अकाल दूसरे तरीके का है, बरसात की कमी से वहां पर लोगों को खेती में काफी नुकसान हुआ, उस इलाके के लोग सिर्फ खेती के ऊपर ही निर्भर है। न तो वहां कोई कारखाना है, न कोई उद्योग है, सिर्फ खेती के आधार पर वह जिन्दा रहते हैं। इस साल अकाल पड़ने से वहां के काफी लोग गुजरात और कोटा की तरफ चले गये, और आधे लोग वहां पर रहे, कई लोग मकान छोड़कर भी चले गये। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा जो लोग वहां पर अभी हैं, उनको मजदूरी देना जरूरी है। इस बार बांसवाड़ा जिले में पांच हजार मजदूर दिये हैं। लेकिन पांच विधान सभा क्षेत्र पड़ते हैं। अब अन्दाजा लगाइये कि पांच हजार मजदूरों से पूरे क्षेत्र की भरपाई नहीं होती उस मायने में काम चले भी हैं, लेकिन किसी साइड में 100 मजदूर, 50 मजदूर और 25 मजदूर हैं। मैं इस मौके पर राज्य सरकार को और माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वास्तव में इस मौके पर गरीब मजदूरों को राहत आप देना चाहते हैं तो वहां पर मजदूरों की संख्या बढ़ाएं और मजदूरों की संख्या बढ़ाकर उन लोगों को जिन्दा रखें और मैं यह कहूंगा कि आप ऐसे काम करें जो स्थायी काम हो।

हमारे इलाके में अकाल राहत के अन्दर पिछली बार के कई सिंचाई के तालाब हैं। सिंचाई के तालाब अगर लिये जाएं तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अधूरी जो योजनाएं हैं वह पूरी भी होंगी; आने वाले वर्षों में वहां पर पानी भरेगा, लोगों को पीवत मिलेगा, सिंचाई के साधन बढ़ेंगे उत्पादन बढ़ेगा। मैं यह कहता हूं कि उस इलाके में अधिक से अधिक सिंचाई के जो अधूरे काम हैं उनको हाथ में लिया जाय।

(श्री फतेहसिंह)

अकाल में पिछली बार अकाल राहत के तहत हजारों की तादाद में कुएं खोदे हैं। वह कुएं बंधे नहीं, अधूरे रह गये तो मैं कहना चाहूंगा कि पिछले अकाल राहत के अन्दर जो कुएं व्यक्तिगत किसानों के खोदे गये थे और वे अधूरे रह गये, उन कुओं को पूरा करने के लिए उनका भी काम चालू कराया जाए। एक कुएं के ऊपर अगर दस या बीस मजदूर आप लगायेंगे तो इधर तो लोगों को रोजगार मिलेगा उधर उस काश्तकार का भी व्यक्तिगत लाभ होगा। कुआं गहरा होगा पानी निकलेगा और पानी की समस्या भी हल होगी, लोगों को पानी भी मिलेगा, और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

दूसरी बात, वहां जो अधूरी सड़कें हैं उनको भी हाथ में लिया जाए। पचास प्रतिशत रेश्यो अकाल राहत में मैटीरियल और लेबर का आपने दिया है तो मैं समझता हूँ कि एक सड़क के ऊपर अगर एक पुलिया आप बनायेंगे तो वह रास्ता क्लियर होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अकाल राहत के अन्दर ग्रेवल सड़क बने व सड़क के ऊपर पुलिया बने और एक दूसरी पंचायत से उनको जोड़ा जाए। किसी मैन रोड से पंचायत को जोड़ा जाए। आपकी यह नीति है कि ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर तक सड़क जोड़ी जाए। कुशलगढ़ विधान सभा के अन्दर ऐसी कई पंचायतें हैं जहां अब तक बैलगाड़ी भी नहीं चलती है तो मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि मैन रोड से पंचायत हैडक्वार्टर तक उस सड़क को जोड़ा जाए।

दूसरा, मेरा यह कहना है कि अकाल के अन्दर हम लोगों को मजदूरी देंगे। सरकार की अगर हिम्मत है तो सब लोगों को मजदूरी देनी ही पड़ेगी। मजदूरी नहीं देंगे तो लोगों में भुखमरी उभरेगी तो लोग यहां तक तो नहीं आ पायेंगे; हम सिर्फ विधायक के नाते आपके यहां पर उनकी आवाज बुलन्द करेंगे लेकिन लोग कलक्ट्री पर धरना देंगे, सारे आफिसों को घेरेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। मजबूरी के बाद आप काम देंगे, इसके बजाय मैं यह चाहूंगा कि कि उस इलाके में अधिक से अधिक मजदूरों को रोजी दी जाए और अकाल राहत के अन्दर अनाज की व्यवस्था की जाए। खाद्यान्न सामग्री की व्यवस्था आपने कर रखी है। कहीं कहीं तो प्राइवेट डीलर या फिर आपके लैम्पस की जो व्यवस्था है वहां पर अनाज आपने समय पर भेजा नहीं है और अभी भी नहीं है।

पिछली बार मैंने विधान सभा में एक क्वेश्चन किया था कि एक व्यवस्थापक ने अकाल राहत के समय में 100 क्विंटल गेहूं और 18 बोरी शक्कर बेच दी। हमको जवाब दे दिया कि आपके प्रश्न के ऊपर हमने छान-बीन की, जवाब यह आया है कि उसने वास्तव में 100 क्विंटल गेहूं बेच दिये, 18 बोरी शक्कर बेच दी। उस व्यवस्थापक के खिलाफ हमने इस्तगासा दायर कर दिया। इस तरह का जवाब मुझे मिला है लेकिन उससे वहां की जनता को राहत नहीं मिली है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो राशन की व्यवस्था आपने बना रखी है, वहां पर बराबर अनाज पहुंचता रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे, समय पर लोगों

(श्री फतेहसिंह)

को मजदूरी मिले। मजदूरी मिलने के बाद राशन का माल वह लेते रहें और अपने जीवन का भरण पोषण पूरा करें।

एक बात और, उस इलाके में एक दूसरी बीमारी पैदा हुई है कि एक तरफ तो हमने अकाल माना है, तो अकाल के पीरियड में सरकारी वसूली नहीं होनी चाहिए, यह आपके प्रावधान में है, नियम में है लेकिन अकाल राहत के अन्दर वहां पर सारा प्रशासन एक तरफ वसूली के ऊपर दौड़ पड़ा है और दूसरी तरफ लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो यह दोहरी नीति सरकार की है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जो वसूलियां अभी हो रही हैं उसको अकाल राहत में स्थगित किया जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए और रोजगार के अन्दर उनसे पूरा काम लिया जाए और 22 रुपये का रेट है वह 22 रुपया आप दें। यह तो मैं मानता हूं लेकिन इस अकाल राहत में बहुत बड़ा घपला होगा। यह सारी मशीनरी ईमानदारी के साथ काम करेगी यह मुझे लगता नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा यह अकाल राहत के अन्दर आपने जो कमेटियां बनाने की बात कही थी वह कमेटियां अभी तक बनी नहीं है और अकाल राहत में जो बेईमान होगा वह आपकी पकड़ में आयेगा नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि अकाल राहत की कमेटियां बनायी जाए, उसके ऊपर निगरानी रखी जाए और अधिक से अधिक सिंचाई के काम लिये जाए, एनीकट भी शुरू किये जाए। मैंने पिछली बार भी यह कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछली बार भी अकाल राहत के अन्दर कच्चे और पक्के स्टाप डैम बनाये हैं और बरसात का पानी आता है तो पहाड़ियों के बीच में रुकेगा। वह कब रुकेगा जब आप स्टाप डैम बनाये, एनीकट बनायें। यह दोनों बनायेंगे तो बरसात का पानी उसमें रुकेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री फतेहसिंह : मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूं और जब बोल रहा हूँ तो आप मुझे रोक रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अकाल राहत के अन्दर स्टाप डैम भी बांधे जाएं उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा।

अब एक और बात आती है मवेशी के लिए। हम व्यक्ति, इन्सान के लिए तो सारी बातें करते हैं लेकिन मवेशी के लिए कुछ नहीं करते हैं। एक तो घास की कमी आयेगी जिसकी कमी के लिए भी आपको डिपो खोलना पड़ेगा या हर पंचायत के ऊपर या तहसील स्तर के ऊपर घास इकट्ठा करना पड़ेगा और मैं यह मांग करता हूं कि घास के अन्दर आप सब्सिडी दें। जब मवेशी जिन्दा रहेगा और उस इलाके में सिर्फ ट्रैक्टरों से खेती नहीं होती है बैलों से खेती होती है। वहां के अगर बैल, गाय, भैंस मर जायेंगे तो एक तो दूध की कमी आयेगी और दूसरी तरफ लोग खेती नहीं कर पायेंगे। आज तक स्थिति यह है कि अन्त्योदय योजना के तहत दो आदमी मिलकर के खेती करते हैं। मेरी सरकार से यह मांग है कि अकाल राहत में अधिक से अधिक मजदूर बढ़ाये जाएं, लोगों को रोजगार

(श्री फतेहसिंह)

दिया जाए, लोगों को जिन्दा रखा जाए। जय हिन्द।

श्री सभापति : भाषण समाप्त हुआ। श्री रामप्रताप कासनियां (अनुपस्थित) श्री कालूलाल गुर्जर।

श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल): सभापति महोदय, मैं खनिज विभाग की मांग के ऊपर मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि राजस्थान की धरती खनिजों के मामले में रत्नगर्भा है। राजस्थान में मेजर और माइनर दोनों प्रकार के, 64 प्रकार के खनिज पाये जाते हैं।

श्री विष्णु मोदी : 66 हैं। आप तो मंत्री रहे हैं ना।

श्री कालूलाल गुर्जर : 66 मान लें। दो और बढ़ा दिये होंगे आपने। मैं था तब तक 64 ही थे, आपने दो और खोल लिये होंगे राज्यपाल के शासन में।

श्री सभापति : एक विष्णु जी को जोड़ लीजिए; रतन ही रतन हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर : हां एक यह है और एक और भी है मोहन जी मोदी।

श्री विष्णु मोदी : मैं कालूलाल जी को इण्टरप्ट नहीं करना चाहता लेकिन जो प्रतिवेदन राज्य सरकार का आया है उसमें, सजावटी पत्थरों के लिए राजस्थान विश्व प्रसिद्ध है, यहां विभिन्न प्रकार के 68 किस्म के खनिज उपलब्ध है।

श्री सभापति : दो दिखाई नहीं दिये कालूलालजी और विष्णु कुमार जी। सरकार की आंख से बच गये आप लोग।

श्री कालूलाल गुर्जर : सभापति महोदय, इसमें कोई वाद विवाद का विषय नहीं है, कोई झगड़ा भी नहीं है। माननीय सदस्य अगर 68 कहते हैं तो 68 मान लिया जाए, 66 कहते हैं तो 66 मान लिया जाए, उसमें कहां दिक्कत आ रही है। मेरे से भी भूल हो सकती है, मैं कोई चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं कि मैं कह रहा हूं वही शाश्वत सत्य है। मैं तो मुझे जो जानकारी है और जितना ज्ञान है वही बता रहा हूं। हो सकता है माननीय सदस्य ने ज्यादा इसमें गहरा ज्ञान ले रखा हो क्योंकि इनका बिजनेस भी यही है।

सभापति महोदय, मैं तो यही निवेदन कर रहा था कि खनिज विभाग के बारे में खनिजों को लेकर जिस तरह से दोहन शुरू किया हमने राजस्थान में, आज उस पर हमें थोड़ी चिन्ता करने का अवसर आया है और चिन्ता करनी चाहिए क्योंकि आज सब तरफ से एक आवाज उठती है कि ज्यादा से ज्यादा खानें आबंटन हो। ज्यादा से ज्यादा मिनरल का एक्सप्लायटेशन किया जाय। ज्यादा से ज्यादा इस धरती में छिपी हुई सारी खनिज संपदा को निकाला जाय। लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि जिन खनिजों को हम आज एक्सप्लायट करके, खनिज को निकाल कर राजस्थान की आय में वृद्धि करना चाहते हैं, राजस्थान का विकास करना चाहते हैं यह तो एक बात रही। परन्तु इसके अलावा हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि यदि हमने भविष्य की नहीं सोची और अनाप-शनाप तरीके से खनिज के दोहन में हम लगे रहे तो आने

(श्री कालूलाल गुर्जर)

वाले सालों के बाद में क्या स्थिति बनेगी, इस पर भी हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

सभापति महोदय, आज दिन तक खनिजों के बारे में, आजादी के बाद या उससे पहले जहां जब से खनिज निकलता, एक रवैया रहा है वह प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रकृति ने धन छिपाया है मिनरल के रूप में इस धरती में परन्तु उसको अगर हम सही तरीके से, सिस्टेमेटिक तरीके से दोहन नहीं करेंगे और केवल मनुष्य के स्वार्थ के लिए अनाप-शनाप इस धरती को हम खोदेंगे तो आने वाले समय में हमें पश्चाताप करना पड़ेगा और इसका बहुत बड़ा नुकसान हमें हो सकता है। आज भी हम देखते कि जहां पर मिनरल है जैसे मार्बल का मिनरल है या और भी मिनरल है उनको हम किस तरह दोहन करें कि एक के बाद एक मिनरल सही तरीके से व्यवस्थित रूप से उसको एक्सप्लायट करें तो उससे मिनरल की मात्रा भी बढ़ती रहेगी और जितना आज वेस्ट जा रहा है वह वेस्ट भी नहीं जायेगा। परन्तु होता यह है कि जिस व्यक्ति को जहां भी खान आबंटन होती है, अच्छा अच्छा माल उसको लगता है बीच में इधर उधर से निकाल लेता है। वेस्ट माल थोड़ा बहुत उसके साथ निकलता है उसको अनाप-शनाप तरीके से तोड़ कर खराब करके फेंकते हैं। आज जैसे मार्बल का उदाहरण हम लें। यदि हम वैज्ञानिक तरीकों से मशीनों से माइनिंग करें, यदि हम सही तरीके से एक्सप्लायट करें तब तो हम बहुत बड़े डिपोजिट, अच्छे आकार के ब्लाक हम बिठा सकते हैं। परन्तु एक ब्लाक के लिए चाहे हमें चार ब्लाक मार्बल वेस्ट करना पड़े हम अनाप-शनाप तरीके से वेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा माल जो हम चाहते हैं अच्छा हम प्राप्त कर रहे हैं। यह पद्धति अच्छी नहीं है। यदि हम इसी तरह से मिनरल का नुकसान करते रहे तो मिनरल तो एक लिमिटेड सम्पदा है। ऐसा तो है नहीं कि यह खेती है एक बार काट लेंगे वापस नया बो देंगे, फिर उग जायेगी फिर बढ़ जायेगी फिर काट लेंगे फिर बो देंगे मिनरल तो हमारी धरती में लिमिटेड है। जितने भी डिपोजिट हैं वह फिक्स हैं। यदि हम अन्धा-धुन्ध तरीके से इस तरह करते रहे, जैसे रामगंज मण्डी के अन्दर भी बहुत बड़े-बड़े डम्प, वेस्ट मिनरल के मलबे के ढेर के ढेर लग गये हैं। बिजोलिया में चले जाइये, सड़क के दोनों तरफ लम्बे चौड़े ढेर के ढेर टुकड़े पट्टी-फर्शी के पड़े हुए मिल जायेंगे। इसी तरह से राजसमन्द के आस-पास, मकराना में जहां भी जायेंगे बड़े-बड़े टुकड़े ऐसे पड़े हुए मिलेंगे जबकि यदि उनको सिस्टमेटिक माइन किया जाये तो उनका सदुपयोग हो सकता था। फिर जो टुकड़े थे उनको अगर हम एनेलिसिस करके उसकी क्या चीज बन सकती है जैसे मकराना के अन्दर तो अच्छा मार्बल है उसमें छोटे-छोटे कई प्रकार के आर्टिकल्स बन सकते ह और जगह के जो मार्बल निकल रहे हैं उनको भी अगर हम टेस्ट करें तो उसका दूसरे तरीके से सदुपयोग किया जा सकता है। मेरा निवेदन करना यह है कि जिस तरह मिनरल को एक्सप्लायट कर रहे हैं और आज दिन तक करते आये है, बिगाड़ते हैं उसके ऊपर रोक लगनी चाहिये। मैं यह कहता हूं कि....

श्री सभापति : दो मिनट का समय है। आज समय सीमा सब पर लागू है।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, मैंने तो आज पहली बार शुरू किया है। मैं तो आज पहली बार बोल रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमको खानों के जो खनन कार्य हैं उसको वैज्ञानिक तरीके से मशीनों के द्वारा उसको सिस्टेमिक तरीके, अच्छे कुशल कारीगरों से कुशल श्रमिकों के साथ उसका एक्सप्लायटेशन कराना अनिवार्य है वरना यह सारा मिनरल बेकार हो रहा है।

श्री सभापति : आप टैक्स रेवेन्यु बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ विचार व्यक्त करें। टैक्स रेवेन्यु इसमें कुछ बढ़े उस पर विचार व्यक्त करें।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था खनिज दोहन को हम व्यवस्थित करें। इसके साथ-साथ जितना डम्प है उसको भी व्यवस्थित रूप से डालें उसका भी सदुपयोग करें और तीसरा यह........(व्यवधान) डम्प हट रहा है लेकिन फिर भी कई एनक्रोचमेंट जगह-जगह हो रहे हैं। सड़कों के ऊपर डम्प पड़ा हुआ है उसको हालांकि सही करने के तरीके भी किये जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि खानों से बहुत बड़ी इनकम सरकार को होती है। 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब कुल मिलाकर 71 करोड़ की इनकम राजस्थान सरकार की खनिज विभाग की थी। एक साल बाद में वह इनकम 71 करोड़ से 78 करोड़ हुई फिर एक साल बाद 108 करोड़ और तीसरे साल में 156 करोड़ के लगभग इनकम हुई जो राजस्थान के इतिहास में काफी अच्छी इनकम थी और भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, सरकार ने काफी काम ऐसे किये जिसकी वजह से खनिजों के मामले में इनकम बढ़ी....

श्री घासीराम यादव : माननीय सदस्य ने कहा था कि गड़बड़ी हो रही है। आपके सामने कहा था।

श्री कालूलाल गुर्जर : घासीरामजी आपके बस की बात नहीं है। आप बैठ जाओ।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में इतनी इनकम बढ़ी थी, इसका कारण यह था कि विभाग में सरकार ने कुछ परिवर्तन किये थे और नये तरीके लागू किये। जैसे लीकेज डिपार्टमेंट में जितना होता था उसको रोकने का प्रयास किया गया। जगह-जगह पर ऐसी नीति को लागू किया कुछ नाके जिसमें ज्यादा चोरियां होती थीं उनको नीलाम किया। इसके अलावा नये एरिये को ढूंढ करके उनका आवंटन भी किया। कुछ रेट आफ रायल्टी बढ़ायी जिसकी वजह से इनकम बढ़ी थी। लेकिन मेरा मानना यह है कि सही तरीके से अभी भी इस डिपार्टमेंट में परिवर्तन किया जाये, चोरियां रोकी जाये, नाके मालूम किये जाये और भी रायल्टी के ठेके हो सकते हैं वह दिये जाये तो इस डिपार्टमेंट की इनकम पांच सौ करोड़ रुपये हो सकती है। ऐसा मेरा विचार है।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि माइन्स और इण्डस्ट्रीज दोनों सम्बन्धित डिपार्टमेंट है और दोनों का मिला-जुला कार्यक्रम शुरू होना चाहिये। मैं निवेदन कर रहा हूं कि सीमेंट उत्पादन में

(श्री कालूलाल गुर्जर)

राजस्थान हिन्दुस्तान में दूसरे तीसरे नम्बर का प्रदेश है। सीमेंट उत्पादन में उसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयास किया था।

श्री सभापति : पहले नम्बर पर नहीं है क्या ?

श्री कालूलाल गुर्जर : पहले नम्बर पर आ सकता था लेकिन बीच में गैप लग गया, हो सकता है वापस आ जाये। यही मैं निवेदन कर रहा हूं। जब पहले सरकार थी उस समय मैं मंत्री था उस समय 14 सीमेंट के बड़े प्लांट एक सीमेंट प्लांट की कीमत लगभग साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये होती इस तरह के नये स्थापित करने हेतु हमने भूमि का पता लगाया उसके लिए एरिया ढूंढा और आबंटन की सिफारिश के साथ गवर्नमेंट आफ इण्डिया को भेजा उसके बाद सरकार चली गई और बीच में राज्यपाल का शासन आ गया इसलिए पता नहीं उसमें क्या हुआ वरना मैं तो यह कह सकता हूं कि वह सरकार एज इट इज चलती तो अब तक वे 14 कारखानें लगते।....

श्री सभापति : 2 मिनट में समाप्त कर दें।

श्री कालूलाल गुर्जर : तो इसमें 50 अरब रुपये के करीब तो पूंजी विनियोजन होता और राजस्थान सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से हिन्दुस्तान में सबसे आगे आ जाता लेकिन अब बीच में गैप हो गया और वापस सरकार प्रयास करेगी तो वह अलग बात है।

माननीय सभापति महोदय हमने कुछ शुरुआत की थी अच्छे कामों की। राज्यपाल के शासन में उन अच्छे कामों को रोक दिया गया। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं, 2-3 सुझाव देना चाहता हूं कि उनको वापस शुरू करें। एक तो यह है कि खनिज का कार्य करने वाले बड़े-बड़े खनिपति या पट्टाधारी हैं उन्होंने कई जगह गिरोह बना रखे हैं। वहां जैसे क्वेरी लाइसेंस दिये जाते हैं, बिजोलिया में है, जोधपुर में है। उन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, मेनुअल लेबर है या भूतपूर्व सैनिक है उनका कुछ रिजर्वेशन है। उसमें माफिया गिरोह के लोग फर्जी नाम से एप्लीकेशंस लगा देते हैं। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें उस नाम के आदमी इस दुनिया में नहीं हुए कभी और उसके नाम एप्लीकेशन लगा कर खान आबंटन कर लेते हैं....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री कालूलाल गुर्जर : और उस पर खनन कार्य पावर ऑफ अटार्नी फर्जी बना कर उसके आधार पर करते है। तो मैं जब खान मंत्री था तो मैंने एक आदेश जारी किया....

श्री सभापति : इसकी व्याख्या मत करिये, संक्षिप्त करिये। मैं समाप्त कर दूंगा।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, मैं पांच-दस मिनट में खतम कर दूंगा।

श्री सभापति : नही, पांच-दस मिनट नहीं मिलेंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर : दो मिनट में ही करता हूं। सभापति महोदय, उस समय हमने एक आदेश जारी किया था कि जितने

(श्री कालूलाल गुर्जर)

भी नये क्वेरी लाइसेन्स जारी किये जाये उसकी प्रार्थना पत्र पर फोटो लगायी जाए या रिन्युअल किया जाय उस पर भी प्रार्थी का फोटो लगाया जाय, ताकि फिजिकल वैरीफिकेशन हो सके कि क्वेरी लाइसेन्स होल्डर आदमी जिन्दा है या मर गया है, और कम से कम ऐसे मरे हुए आदमी के नाम से या जो दुनिया में हुए ही नहीं, ऐसे आदमियों के नाम से जो कमा के खा रहे हैं उनकी खाने कैंसिल हो सके और गरीब आदमी को मिल सके और जो वास्तव में शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब्स के आदमी हैं उन गरीबों को लाभ मिलना चाहिए वह मिल सके। इसलिए मैंने यह आदेश जारी किया था जिसको राज्यपाल का शासन आते ही पहले बन्द कर दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी से कि अभी मैंने एक क्वेश्चन रखा उसमें जवाब आया कि ऐसा आदेश जारी नहीं किया जब कि बिजोलिया के अन्दर कोर्ट में स्टे लिया हुआ है और जवाब दे रहे हैं डिपार्टमेन्ट कि ऐसा आदेश ही जारी नहीं हुआ और जारी ही नहीं हुआ तो फिर उस पर स्टे किस बात का लिया गया है, तो यह वापस चालू करें और रिजर्वेशन में ओ. बी. सी. का भी क्लोज डालें। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन है उसमें ओ. बी. सी. वालों का भी क्वेरी लाइसेन्स में रिजर्वेशन में क्लॉज डाले .... (व्यवधान)

यह मेरा निवेदन है। दूसरा ....

श्री सभापति : धन्यवाद । समाप्त हुआ।

श्री कालूलाल गुर्जर : सभापति महोदय, हमने एक नई पद्धति बनायी थी, ग्रेनाइट की नयी पॉलिसी बनायी थी और उसमें यह कहा गया कि बिना नई मशीनों के खनन कार्य के किसी भी व्यक्ति को ग्रेनाइट का खनन का पट्टा नहीं दिया जायगा और हमारी उस समय यह मंशा थी कि हम ज्यादा से ज्यादा मिनरल के ऊपर इस तरह के प्रतिबन्ध लगाएँ ताकि सही तरीके से माइन हो सके और व्यवस्थित रूप में माइन होकर वैज्ञानिक तरीके से खनन कार्य हो और इसकी वजह से जो फालतू मैटीरियल होता है....

श्री परसादीलाल मीणा : यह मंत्रिमण्डल की बातों को यहां रख रहे हैं, सभापति महोदय, जो बातें यहां नहीं कह सकते, जो मंत्रिमण्डल में मंत्री रहते हुए इन्होंने की है, यह गोपनीयता भंग कर रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजें आप।

श्री कालूलाल गुर्जर : मिनरल वेस्ट नहीं हो, सभापति महोदय, इसलिए यह नीति लागू की थी....

श्री सभापति : आप समय समाप्त नही करें।

श्री कालूलाल गुर्जर : लेकिन उस नीति को भी राज्यपाल के शासन में बन्द कर दिया गया और केवल महज जिनको इस तरह की नीति में नहीं आना है और जो लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे,

(श्री कालूलाल गुर्जर)

उन्होंने विभाग से मिल करके उस नीति में भी परिवर्तन करवा दिया। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उस नीति को वापस चालू करें ताकि सही तरह से खनन कार्य हो सके।

श्री सभापति : भाषण समाप्त हुआ। श्री राजेन्द्र चौधरीजी....(व्यवधान)....

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, मेरा एक और सुझाव है कि राजस्थान सरकार के खनिज के जो दो कारपोरेशन हैं वह दोनों घाटे में जा रहे हैं ....

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि दो बजे मुझे प्रवर समिति में जाना है उसके लिए मुझे समय दे दें....(व्यवधान)....

श्री सभापति : समाप्त हुआ, बिराजिये।

श्री कालूलाल गुर्जर : और उनका कोई प्रोफिट नहीं है इसलिए उन दोनों कारपोरेशन को एक करके एक कारपोरेशन बना दी जाए....(व्यवधान) तो इससे राज्य सरकार को इनकम भी होगी और जो कारपोरेशन घाटे में है....

श्री सभापति : बिराजें, कालूलालजी, बिराजें, समाप्त हो गया आपका भाषण। मैंने आपका भाषण समाप्त कर दिया है। श्री राजेन्द्रजी चौधरी .... (व्यवधान)....

श्री कालूलाल गुर्जर : सभापति महोदय, मैं तो कभी बोला नहीं, पहली बार बोल रहा हूं....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, दो बार विधायक रहने के बाद पहली बार बोल रहे हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर : एक मिनट, सिर्फ अकाल पर....(व्यवधान)....माननीय सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं अकाल पर। इस साल भयंकर अकाल है.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया बैठ जाइये। सभी माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। देखिये, मैंने आज कहा कि 50 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और समय सीमा 7 मिनट की है और इसकी सब को पालना करनी है। मैंने आपको तीन मिनिट अधिक दिये है इसलिए आप जिद नहीं करें। माननीय सदस्य, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं दो बार इधर से उधर बोलने के लिए आपको पुकार रहा हूं मुझे आप सब के नाम ध्यान हैं, मैं सब को समय दूंगा, पांच बजे पहले ही आपको सब को अवसर मिल जाएगा। श्री राजेन्द्र चौधरी !

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापति महोदय, हमारा नम्बर बोला जा रहा था कल और उससे पहले ही हाउस छूट गया और अब तक मेरा नम्बर नहीं आ रहा है। क्या आज वह लिस्ट चेन्ज हो गयी ? मैं, सभापति महोदय, आपसे यह उम्मीद नहीं करता था .... (व्यवधान)....

श्री सभापति: नहीं, मैंने कोई चेन्ज नहीं किया है.... (व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा): सभापति महोदय, राजस्थान में अकाल की भयंकर स्थिति है और करीब 25 जिलों के अन्दर

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

अकाल की स्थिति को देखते हुए सरकार ने एक फरवरी से अकाल राहत कार्य शुरू करने की घोषणा की थी। पहले तो सरकार ने एक जनवरी से अकाल राहत कार्य शुरू करने की बात कही थी पर यहां विधान सभा के अन्दर जो शॉर्ट सेशन हुआ था उसके अन्दर मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि 10 जनवरी को हम मीटिंग कर रहे हैं और उसके अन्दर अकाल राहत की घोषणा कर देंगे परन्तु एक फरवरी को आखिर में जाकर 'सरकार ने घोषणा की और एक फरवरी से जब अकाल राहत कार्यों की घोषणा की और यह भी कहा कि पानी की जहां से दिक्कत है वहां पर हम पेयजल के टैंकर लगाएँगे और पशु के चारे की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की जाएगी। सभापति महोदय, यह मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकार अकाल के बारे में और पशुओं के चारे की व्यवस्था के बारे में कितनी संवेदनशील है, मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया सरकार की ओर से.......

श्री सभापति : आर्डर, माननीय सदस्य सुनें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : कि जोधपुर जिले में पूरे फरवरी माह में एक भी चारे का डिपो सरकार की तरफ से नहीं लगाया गया, यह सरकार की संवेदनशीलता है, अकाल राहत के मामले में, मुझे यह जवाब दिया गया। सभापति महोदय, आप देखिये अकाल राहत के कामों की आज जो मैंने प्रश्न पूछा और उसका जो उत्तर मिला है आप इसमें देख सकते हैं कि हर जिले के अन्दर इन्होंने अपनी संख्या दी है अकाल राहत के ऊपर का काम करने की। सब से ज्यादा संख्या माननीय मंत्रीजी जिस जिले से आते हैं वहां पर सब से ज्यादा अकाल का प्रभाव है और 15924 वहां पर श्रमिक काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अजमेर जिले में काम कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि दूसरी जगह जो स्वीकृत किये गये हैं, दूसरी जगह की स्थिति क्या है, आप यह देखें, मैं जोधपुर जिले की बात करूंगा वहां 6387 कुल काम कर रहे हैं और उन्होंने जो अपनी तरफ से सेंक्शन दी है वह 14943 को दी हुई है, यह इन्होंने जवाब में बताया है, सभापति महोदय, आप देखिये कि इतना अन्तर है। क्या वहां पर कोई लेबर नहीं है? क्या वहां पर स्थिति है? पंचायत समिति की बात है, मेरी पंचायत समिति के अन्दर आप देखिये, 450 लगाये है बिलाड़ा में, भोपालगढ़ में 173 आदमी लगाये हैं और फलौदी-ओसियां में 750, इस तरह से बहुत ही नगण्य से पंचायत समिति में राहत कार्यों को स्वीकृत किया है और मंत्रीजी का बहुत प्रभाव है, मंत्रीजी खुद के क्षेत्र के अन्दर जो पंचायत समिति में काम कर रहे है, वह 2315 आदमी अकेले पंचायत समिति में मंत्रीजी के काम कर रहे हैं। उनके पास वाली समिति के अन्दर दो हजार ढाई हजार के ऊपर काम कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। मंत्रीजी मैं चाहता हूं कि जिस दृष्टि से अपने क्षेत्र को देखते हैं, अकाल राहत के अन्दर दूसरे क्षेत्रों में भी वैसी ही हो क्योंकि मैं तो लिस्ट के आधार पर बोल रहा हूं। मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। यह हालात हैं और जिस तरह से पेयजल टैंकर्स की जो स्थिति है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे को जवाब मिला; केवल एक समिति में एक

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

टैंकर लगाया हुआ है. अब आप देखिये, बिलाडा, भोपालगढ़ में एक टैंकर लगाया हुआ है, कल माननीय खेतसिंहजी राठौड़ अपने शेरगढ़ की बता रहे थे वहां पर पांच टैंकर लगाये हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जो पेयजल की अपने पास में दूसरी व्यवस्था की हुई है कि ट्रैक्टर और ऊंट गाड़ियों के माध्यम से वहां लेकर के क्या उनको आप पेयजल की सुविधा दे रहे हैं? अभी तक इस तरह की कोई व्यवस्था शुरू नहीं की गयी है।

सभापति महोदय; मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो छोटी नगरपालिकाएं हैं, पहले भी अकाल राहत के काम शुरू हुए थे, माननीय मंत्री महोदय, इस बात को जानते हैं और उन्होंने इस बात का जवाब भी दिया था, मैं यह चाहता हूं कि छोटी नगरपालिकाओं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके अन्दर भी अकाल राहत के कार्य शुरू किये जाने चाहिये क्योंकि वहां पर भी हालात अच्छे नहीं हैं। बिलाड़ा है, पिपाड़ है, फलौदी है, जोधपुर के अन्दर तीन नगरपालिकाएं छोटी आती है उनका भी इन्होंने जवाब दिया कि हम अकाल राहत कार्य शुरू करेंगे पर उनमें कोई काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। मैं यह चाहता हूं कि यह जरूर इस पर कार्यवाही करेंगे और राजस्थान के लिए इस बात को लागू करेंगे और जहां तक अकाल राहत में पेयजल की स्थिति है, इतनी खराब हालत है और यह माननीय कौशल जी, ऊर्जा मंत्री जी से जुड़ा हुआ मुद्दा है अकाल का क्योंकि पानी तो जब तक बिजली नहीं आएगी तो मुश्किल है। सभापति महोदय, ऐसी स्थिति है कि पानी के विभाग वालों से कहते हैं कि पानी क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वह आरोप लगाते है कि बिजली हमारे पास आती नहीं है और बिजली वालों को बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हम तो बिजली देते हैं यह पानी वाले पानी नहीं देते हैं। अब इस तरह की समस्या के अन्दर हम लोग कौन से विभाग के पास जाए? हम यह चाहते हैं कि पानी उपलब्ध हो और बिजली वाले और पानी वाले आपस में एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं, हालात इस तरह से बने हुए हैं और जो योजनाएं पेयजल की चल रही है पूर्व से, मेरा यह निवेदन है....

आप जलदाय मंत्रीजी से इस बारे में बैठकर बात करें। जो पेयजल योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं उनके अन्दर आप इस तरह का कोआर्डिनेशन करें कि उनको पूरी बिजली सप्लाई मिले और पानी की जो भी उपलब्ध स्थिति है उसके अनुसार तो कम से कम दिया जा सके। और जो कुएं आलरेडी चल रहे थे जिनमें पानी कम पड़ गया है उनको प्राथमिकता के आधार पर खुदवाने की बात की जाय और जो कुएं जहां पर गांवों में पहले से ही स्थित हैं और जो पहले पुराने पानी के स्रोत थे ऐसी जगहों का पता लगाया जाय और हमने प्रस्ताव दे भी रखे हैं उन प्रस्तावों के ऊपर कार्यवाही करके यदि उनको पेयजल स्रोत उपलब्ध कराकर चालू करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। हमारा सुझाव देने का मकसद है कि हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि यदि काम करना चाहते हो तो हम काम करने को तैयार हैं, सुझाव देने को तैयार है परन्तु

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

हमारा कोई विरोध करने का मकसद नहीं है। अकाल की विभीषिका पूरे राज्य की है मैं यह चाहूंगा कि इतनी भयंकर समस्या के बारे में जिस तरह से सरकार काम कर रही है धीमी गति से, उस गति को तेज करें।

जहां तक खानों के मामले में सवाल है इस बारे में मैं खान मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रेनाइट के बारे में सरकार ने पहले नीति बनायी थी एम. ओ. यू. के माध्यम से कि दो लाख रुपये जो जमा कराएगा वह माइन्स के 20 तक पट्टे ले सकता है। उसमें सभापति महोदय, इस तरह की समस्या पैदा हो गयी है, मेरे पास इस तरह की जानकारी

(14.02)

(श्रीमती तारा भंडारी सभापति,पदासीन)

आयी है। आप भी इसका पता लगा लेना कि लोग अच्छी-अच्छी खानें ले लेते हैं और बाकी वो खान लेते नहीं और उसमें मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टेंडिंग में यह बात भी तय की गयी थी कि वे रा-मेटीरियल को वहां पर इण्डस्ट्री बनायेंगे और उसका उपयोग करेंगे। आज तक जितने लोगों को एम. ओ. यू. के माध्यम से ग्रेनाइट की खानें दी है, क्या उन्होंने दो सालों के अन्दर वहां पर कोई उद्योग लगाये हैं ? यदि नहीं लगायें है तो उस रॉ-मेटेरियल का क्या करेंगे ? वह उपयोग नहीं कर सकते। आपने अपने हिसाब से यह तय किया है। इस तरह की स्थिति है, आप इसको देखें। इससे जो छोटे लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं हैं, जो खनन करना चाहते हैं इस बात के लिए दब रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं है इसलिए वे नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप इस बात को देखिए।

दूसरा मैं चाहूंगा कि सड़कों का कार्य जहां पर खनन होता है, वहां पर सड़कों के निर्माण की बात विभाग पहले से करता है, सरकार करती रही है। जो मेरा प्रश्न था उसमें मैंने पूछा था कि जोधपुर जिले के अन्दर खान विभाग के माध्यम से कौन-कौनसी सड़कों के प्रस्ताव आये हैं ? सभापति महोदय, मुझे खान विभाग के माध्यम से जवाब मिला है कि जोधपुर जिले में माइन्स डिपार्टमेन्ट की तरफ से जो सड़कों के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं उसमें एक तो खोजों की ढाणी गुर्जरों की ढाणी से सिल्ला वाली सीमा तक। दूसरा पटेल नगर से हरियाढाणा। तीसरी है घोडावर खनन क्षेत्र से गोगुन्दा मुख्य सड़क और चौथा पालड़ी से पटेल नगर वाया मादलियां, खत्रास पुरा घोड़ा और कोकूंदा भाकरों की ढाणी। मैं यह चाहूंगा कि वहां अपार खनन हो रहा है। वहां पर हाई ग्रेड लाइम, चूने के भट्टे हैं। वहां पर खानों का बहुत मात्रा में विस्तार है। उसमे खूब इनकम हो रही है। मैं मन्त्री महोदय से यह चाहूंगा कि यदि वहां जन साधारण को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रेफिक और ट्रकों का भारी आवागमन है। इसके ऊपर आप जरूर सोचेंगे, ध्यान देंगे जनता के हित में और खान विभाग के हित में, सरकार के हित में भी यदि आप इन सड़कों का निर्माण करवाते हैं और उनको ठीक करवाते हैं तो यह जनता के हित में होगा। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल गरासिया

श्री घासीराम यादव : सभापति महोदया, मेरा नाम पुकारा था।

श्री सभापति : आप बिराजें। पूछकर बताती हूं।

एक माननीय सदस्य : साहब, बुजुर्ग आदमी हैं।

श्री सभापति : बुजुर्ग आदमी हैं तभी तो धैर्य की परीक्षा होती है।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदया मैं अकाल की इस हालत पर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। पूरे राजस्थान में अकाल की विभीषिका है। लेकिन राजस्थान में दक्षिणांचल में, जो हमारा ट्राइबल एरिया कहलता है।

श्री सभापति : देखिए, एक बात ध्यान रखें बिना भूमिका के सुझाव और शिकायत दे देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और बहुत लोगों को बोलने का मौका मिलेगा।

श्री शिवनाथसिंह : बहुत अच्छा सुझाव दिया।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : आपके आदेश की पालना करता हूं, सभापति महोदया। लेकिन थोड़ी भूमिका पैदा करेंगे तो....

श्री सभापति : सबको अपनी-अपनी बात कहने का मौका मिल जाय।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय सभापति महोदया की एडवाइस के आधार पर मैं विशेष रूप से माननीय सदस्य अगर सुनेंगे तो ठीक रहेगा। मैं ऐसे क्षेत्र की बात कहने जा रहा हूं जो कभी आपने देखा नहीं होगा, कल्पना नहीं की होगी। मैं चाहूंगा कि एक बार सारा सदन डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र का दौरा करें। जहां आज भी उस क्षेत्र के वनवासी आदिवासियों को दो जून की रोटी भी नसीब नहीं होती है। देश की आजादी के 46 साल बाद यह हालत हमारे समाज की है। वास्तव में यह एक शोचनीय विषय है। वहां अकाल समस्या है। ऐसा नहीं है कि एक साल अकाल ही पड़ा हो। वहां मानसून हमेशा नाराज रहता है। जगंल कट जाने के कारण केवल दीपावली तक वहां का आदिवासी अपने घरों में रहता है उसके बाद गुजरात की तरफ पलायन करता है। उसके पीछे मुख्य कारण है कि वहां उनके पास जितनी जमीन है उस जमीन के अनुपात में मानसून पर आधारित होने के कारण उतना पकता नहीं है। सिचाई की सुविधाएं नहीं है और सिचाई की सुविधाओं के लिए बड़े-2 बांध बनाए जरूर हैं लेकिन सारे ट्राइबल उससे लाभान्वित न होने के कारण आज भी जनजाति क्षेत्र 90% गरीबी के नीचे है। मैं सरकार से चाहूंगा कि अकाल की विभीषिका है, अकाल एक वर्तमान में जो समस्या है, अस्थायी समस्या है, उसका निराकरण तो सरकार करेगी ही लेकिन आने वाले समय में स्थायी समस्याओं का निराकरण कैसे हो उसके लिए मैं सरकार को अपनी तरफ से सलाह देना चाहूंगा। हमारा जनजाति क्षेत्र जो अरावली पहाड़ियों के बीच में रहता है, आदिवासी भाई रहता है वहां जीवन धारा के न्तगत कई कुएं खोदे गए। लेकिन उनका लक्ष्य केवल पैस

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

रखा, केवल कार्य नहीं रखा कि कार्य पूर्ण होना चाहिए। सरकार की मानसिकता होनी चाहिए कि आदिवासी अगर कुआं खोदता है तो उसमें पानी आना चाहिए चाहे उसमें 50 हजार क्यों नहीं लगे। क्योंकि सरकार कोई योजना बनाती है, बांध बनाये या कहीं और एनीकट बनाते हैं तो उसको पूरा कराती है तो क्यों नहीं एक आदिवासी का कुआं पूरा हो, यह सरकार की मानसिकता रही है कि आदिवासी का कुंआ पूरा हो, चाहे उसके लिए कितनी ही लागत आए। मैं सरकार से विनती करता हूं कि विशेष रूप से इस विषय पर ध्यान देकर के आदिवासी क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से उनके सिंचाई साधनों का हमने ध्यान रखा तो आदिवासी गरीबी की रेखा से ऊपर उठेगा। इसलिए अकाल राहत में जो अतिरिक्त कुए हैं उनको पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर हम लेंगे तो इससे एक तरफ आदिवासियों को रोजगार भी मिलेगा दूसरी तरफ पानी की आज जो विभीषिका है, पीने के पानी का जो संकट है वह दूर होगा और तीसरा एक कारण बनेगा, उसकी छोटी-छोटी जमीन के जो कब्जे हैं, जमीन के जो अधिकार हैं, उनमे उसको सिंचाई सुविधा मिलेगी। इस प्रकार एक काम से तीन लाभ उस आदिवासी भाई को मिलेगा। सरकार से मैं चाहूंगा गुजारिश करूंगा कि इस काम को अकाल के तहत लें ताकि जो पानी की विभीषिका है उसके तहत उसको अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

दूसरा, मैं सरकार को यह भी सलाह देना चाहूंगा कि आज मेरे उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में दो चुनाव पोलिंग ऐसे हैं जहां ऊंटों पर कर्मचारी, वोटिंग कराने जाते हैं यानी यह हालत हमारे जनजाति क्षेत्रों में है। अकाल राहत के तहत हम छोटे-छोटे गांव छोटी छोटी ढ़ाणियों को कच्ची सड़क से भी जोड़ लें, अगर जीप भी चली जायेगी तो वास्तव में उस गांव का शहर तक आना होगा और अकाल राहत अगर वहां शुरू नहीं हुए रोजगार नहीं होगा। वहां से शहर 25 या 30 किलोमीटर दूर है, शहर में आकर के अपनी रोजी-रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक उदयपुर के आसपास के जो गांव हैं, उनको सड़कों से जोड़ने के लिए इस अकाल राहत में प्राथमिकता देंगे तो उन लोगों को हम ज्यादा लाभ दे पायेंगे।

तीसरा, मैं सजेशन देना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्र में इस समय सिंचाई विभाग ने एनीकट के लिए प्रतिबन्ध लगाए हैं क्योंकि जनजाति क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कुएं हैं लेकिन कुओं का स्तर तभी बढ़ेगा जब पानी का जल स्तर जमीन के ऊपर उठेगा। जल स्तर ऊपर नहीं होगा तो कुओं का जल स्तर भी नीचे चला जाएगा। कुए सूख जायेंगे। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि एनीकट पर जो प्रतिबन्ध लगाए हैं क्योंकि वहां हमारी कोई बड़े बांध बनाने की योजना नहीं है। एनीकट बन्द करने के पीछे या न बनाने के पीछे शायद सरकार की मानसिकता है कि उनका जो बड़े तालाब में पानी आता है वह रूके नहीं। लेकिन मेवाड़ में अभी ऐसी कोई बड़े तालाब बनाने की योजना नहीं है। इसलिए सरकार कम से कम जन जाति क्षेत्र राजस्थान का जो दक्षिणांचल क्षेत्र है वहां पर एनीकट

(श्री छुन्नीलाल गरासिया)

पर जो प्रतिबंध लगा है उसको हटाकर अकाल राहत में एनीकट के कार्य को भी प्राथमिकता दें। आदिवासी क्षेत्र में जमीन, पहाड़ी है, पानी गिरता है और पूरा नीचे चला जाता है। अगर जमीन के जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं खेत के, उसको भू-संरक्षण के माध्यम से मेड़बंदी का काम भी हम करायेंगे तो पानी जमीन में एबजोर्ब होगा, जमीन उसको सोखेगी और जो रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, वह फसल ठीक होगी क्योंकि पानी पूरा बह कर चला जाता है। वह जमीन भूखी रह जाती है, तरसी रह जाती है उस कारण से जो फसल करता है किसान खेती करता है वह फसल अच्छी तरह पकती नहीं है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि अकाल राहत में मेड़बन्दी के कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर लेंगे तो रोजगार भी मिलेगा और उसके पानी का सोर्स जमीन में बढ़ेगा तो उसकी आने वाली फसल अच्छी रहेगी। यह भी मेरी सरकार से एडवाइस है।

मैं सरकार को यह भी एडवाइस देना चाहूंगा कि वास्तव में आदिवासियों के पास पशुओं की संख्या कम होती है और खेती भी पशुओं पर निर्भर है। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने ट्रैक्टरों से खेती करें। वह बैलों के आधार पर अपनी खेती करता है। अगर इस समय पशुधन खत्म हो गया तो खेती का जो समय आने वाला है पशुधन नहीं होने से, बैल न होने के कारण से उसकी स्थिति और ज्यादा खराब हो जायेगी। आने वाला समय अंधकारमय न आये इसलिए चारे की व्यवस्था जो हमारी सरकार करती है आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी भाई को चारे का उसमें अधिक से अधिक अनुदान देकर चारे की व्यवस्था करें ताकि उसके पशुधन को बचा सके और आने वाला जो खेती का समय है उसमें पशुओं की रक्षा कर सकें, अपने गाय, भैंस, बैलों की रक्षा कर सके। यह मैं सरकार से गुजारिश करता हूं।

अकाल के साथ-साथ मैंने खनिज के बारे में भी कटौती प्रस्ताव दिया था। माननीय सभापति महोदया, मुझे आदेश देंगे तो मैं दो मिनट खनिज पर बोलना चाहूंगा वास्तव में राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर खनिज निकलता है तो राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और उदयपुर में निकलता है। पहले आदिवासी के पास संपत्ति के रूप में वन थे और छोटी-छोटी खेती थी और वहां आदिवासी लोगों का आर्थिक स्रोत था, जंगल स्रोत थे। परन्तु आज जंगल नहीं रहे। उसको लकड़ी की आज वही समस्या है। वह आधी रोटी कच्ची और पक्की खाता है। लेकिन आज जंगल कटने के बाद वहां जमीन के अन्दर, भू-गर्भ के अन्दर खनिज है परन्तु उसमें भी आदिवासी का कोई अधिकार नहीं है। सरकार की तरफ से उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। राजस्थान के लोग जो पैसे से अच्छे हैं जिनके पास आर्थिक स्रोत अच्छे हैं जिनका अच्छा एप्रोच है उन लोगों ने वहां पर लीज पर जमीनें ले ली और आज खनिज का दोहन बाहर के लोग कर रहे हैं। वहां पर अनुसूचित जाति का एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास लीज हो या उसके कारण से उसका आर्थिक आधार बढ़ा हो। मैं प्रश्न की लिस्ट देख रहा था। 200 खनिज लीजों में केवल तीन

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

आदिवासी व्यक्तियों के नाम से खनिज लीज दी गयी है। क्या प्रतिशत है ? यानि एक तरफ हम आदिवासी या जन जाति क्षेत्र के बारे में मन में भावना रखते है कि उसको अधिक से अधिक ऊपर उठाये लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा नहीं होता है। वे केवल घड़ियाली आंसू होते हैं। इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्र में कम से कम 50 प्रतिशत आदिवासियों को कानूनी हक, कानूनी रिजर्वेशन मिले ताकि वहां का व्यक्ति, वहां का आदिवासी अपने अधिकारों के आधार पर अपनी आर्थिक स्थिति को उठा सके। यही मैं सरकार से गुजारिश करता हूं। धन्यवाद। आपने जो समय दिया माननीय सभापति महोदया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री बनवारी लाल बैरवा।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : माननीय सभापतिजी, आज हम लोग यहां पर अकाल के संबंध में चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं। अकाल राजस्थान के लिए एक पर्मानेण्ट फीचर है उसमें सिर्फ फर्क इतना ही होता है कि कभी ज्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है लेकिन राजस्थान में उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण यह बार बार रहता है। अब क्वेश्चन यह है कि किस तरीके से इसका मुकाबला किया जाय। इस बारे में, राजस्थान के लोग भी जानते हैं, राजस्थान की सरकार भी जानती है। लेकिन मुझे इस समय कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि राजस्थान सरकार इसको गम्भीरता से से नही ले रही है जितना लेना चाहिए। अकाल के सिलसिले में हमारे जिले में जब चर्चा हुई तो उस समय प्रशासन के लोगों ने यह बात कही कि काम कितना भी लिया जा सकता है, मजदूर कितने भी लगाये जा सकते हैं इस बात की कोई कमी कहीं नहीं रहने दी जायेगी। लेकिन आज जो मुझे सूचना दी गयी है मेरे क्षेत्र के बारे में कुल मिलाकर सिर्फ प्राइमरी स्कूल के जो डण्डे थे उनके काम सात मन्जूर हुए हैं। उन पर सात-सात आदमी काम कर रहे हैं। इस प्रकार 49 आदमी कुल मिलाकर काम कर रहे हैं। यह स्थिति वहां पर काम की रह गयी है। आप जानते हैं सभापति जी, कि जब अकाल होता है तो गांवों के गरीब पर और गो धन पर सबसे पहले गाज गिरती है। आज स्थिति यह है कि वहां का हरिजन, वहां का अनुसूचित जनजाति का आदमी, अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिला छोड़ कर, अपने स्थान को, घर को छोड़ कर काम की तलाश में भाग रहा है और सरकार को कोई उसकी चिन्ता, फिक्र नहीं हो रही है। यह बड़ी दुःखद स्थिति है। इसको सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए। अकाल के ऊपर सदैव काम होते रहे हैं। इसलिए सैट प्रिंसिपल हैं, सैट नार्म्स हैं जिनके तहत यह काम होते हैं। मेरा माननीय सभापति जी, सरकार से निवेदन है कि जो सैट नार्म्स हैं उसके हिसाब से ही इन कामों को लिया जाना बहुत आवश्यक है। हमारे जिले में अकाल की

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

स्थिति के साथ-साथ एक बात और है कि रोज-रोज यहां बनास के ऊपर बीसलपुर के ऊपर चर्चा होती है उससे लोग यह समझते हैं कि यह गाज और गिरने वाली है । जब बीसलपुर के बांध की योजना बनी थी और बांध का निर्माण चालू हुआ था तब हमारा काश्तकार बहुत प्रसन्न हुआ था । उसके मन में एक आकांक्षा जगी थी, आशा जगी थी कि हम लोग भी अब खुशहाली का जीवन गुजारेंगे लेकिन अब रोज-रोज सुनते हैं कि बनास का पानी पेयजल के लिए जयपुर को दीजिये, बनास का पानी चित्तौड़ को दीजिये, बनास का पानी फलां जगह दीजिये । मूल रूप से 1983 के अन्दर इसका उद्घाटन हुआ था । हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो इस समय यहां विराजमान हैं, इनकी अध्यक्षता के अन्दर शिलान्यास हुआ था । माननीय शिवचरण माथुर ने उसका शिलान्यास किया था । उस समय मूल भावना यही थी कि अजमेर को पेयजल की व्यवस्था की जाये, ब्यावर का, अजमेर, किशनगढ़, केकड़ी को और शेष जो पानी है उससे टोंक जिले की सिंचाई की व्यवस्था की जाये, उसमें 66 हजार हैक्टेयर जमीन की सिंचाई की जाये । लेकिन जब रोज यह सुनते हैं, जब जिले में जाते है तो लोग हम से यह प्रश्न करते हैं कि भाई यह गाज और गिरने वाली है क्या ? यह सुन कर बड़ा आश्चर्य होता है । मैं आसन के माध्यम सरकार से बात कहना चाहूंगा। इस समय मेरे प्रडीसेसर जो निवाई से पहले प्रतिनिधि रह चुके हैं उसका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इस वक्त खास तौर से वह हमारे रेस्क्यु के लिए आये और मदद करें इस बात के लिए कि हमारे लोगों का जो भय है उसका निराकरण हो और इस तरीके से जो बादल छा रहे हैं उससे बच सकें ।

माननीय सभापतिजी, अकाल के लिए जब काम होते हैं तो सबसे पहले पीने के पानी की व्यवस्था का इन्तजाम होता है। बीसलपुर बांध के बनने के बावजूद हमारी स्थिति इस समय यह हो गयी कि जो डाउन स्ट्रीम पानी आ रहा है उसका एकदम से बहाव रुक गया जिसके कारण से जमीन के पानी का स्तर नीचे चला गया है । देवली में बीसलपुर का बांध बना रहे हैं और देवली के अन्दर पानी उपलब्ध नहीं हैं । वहां से आगे आप चलिये थांवला है, सांडला है, मण्डावर तक का पानी सूख गया है । यह बहुत हमारे लिए भयावह स्थिति हो गयी है । पानी के पीने का इन्तजाम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है । उसके लिए सरकार को बहुत प्राथमिकता के आधार पर देखना चाहिऐ । खास तौर से निवाई की स्थिति और भी ज्यादा खराब है । चूंकि वहां का आधा एरिया तो बिलकुल रेगिस्तानी है और आधा एरिया दूसरे तरीके का है। जहां रेगिस्तानी इलाका है वहां पर पानी नीचे है और बहुत कड़वा है जिसके पीने से लोगों के गड़बड़ी होती है । मुझसे पहले जो माननीय विधायक रहे और उन्होंने भी इस बात को बहुत गम्भीरता से लिया है और निवाई के लिए एक व्यवस्था मासी डैम से करायी थी । मैं यह चाहता हूं कि मासी डैम से निवाई के बीच के जो भी और गांव हैं उनमें भी व्यवस्था

(श्री बनवारीलाल बैरवा)
इसी स्रोत से कराई जाय ताकि उन लोगों को राहत मिल सके अन्यथा तो लोग कुबड़े होते जा रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। बाहोली से लगाकर खंडेडा तक नीचे पानी बिलकुल नहीं है। उसके लिए एक विशेष व्यवस्था कराई जाय ताकि वह पीने का पानी लोगों को उपलब्ध हो सके। मण्डावर पर, देवली पर, धांची पर यह रीजनल स्कीम्स बना कर वहां के देहातों को पानी सप्लाई किया जाय। वरना तो आज पीने के पानी की बहुत भारी समस्या होगी, पीने का बहुत भारी संकट होगा।

दूसरी बात यह है कि सरकार ने जो भी नार्म्स तय किये हैं उनके अन्दर मुख्य बात यह रखी गयी है पानी के संचयन के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिये। उसके लिए एनीकट्स हैं, तालाब हैं, बड़े बांध हैं, इनकी मरम्मत की जाये, उनको ठीक किया जाये और उनके अन्दर पानी सुरक्षित रखा जाये। आज की तारीख में स्थिति यह हो गयी कि उन तालाबों में पानी नाम को कहीं नजर नहीं आता और वहां हमारा जानवर प्यासा मर रहा है। जो व्यवस्था पश्चिमी राजस्थान के अन्दर की हुई है जो नार्म्स तय किये गये हैं वहां पानी के आज हमारे जिले को भी उसी व्यवस्था की आवश्यकता होगी कि सवा सौ आदमियों के ऊपर जो वहां पर एक हैण्ड पम्प अलाउ होता है, वह की वह व्यवस्था हमारे यहां की जाये अन्यथा हमारे यहां के लोग भूख से, प्यास से मारे जायेंगे। पीने के पानी की व्यवस्था टॉप प्रायोरिटी पर की जाती है। के ऐसी सूचना दी गयी है प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की तरफ से आदेश गये हैं जितने हैण्ड पम्प खराब हुए हैं। ऐसे खराब जो बिलकुल ठीक नहीं हो सकते, जिनके रीप्लेस की बात है तो उनमें से सिर्फ आधे रीप्लेस किये जायें। सभापति महोदया, यह कैसा न्याय हो रहा है कि जहां पर विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये, ज्यादा से ज्यादा हैण्ड पम्प दिये जाने चाहिये, वहां उनको आधा कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जायेगी। इस पर सरकार विचार करे और विचार करके जितने हैण्ड पम्प खराब हुए हैं उन सबको रीप्लेस करवा कर भेजें। कंटीजेंट प्लान के लिए जो आपको स्कीम्स भेजी है, उनको तत्काल प्रभाव से मंजूर करके भेजें ताकि वहां लोगों के सामने असुविधा खड़ी न हो।

दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि तालाबों की मरम्मत बहुत आवश्यक है। चूंकि आज तालाबों के माध्यम से काम दिया जा सकता है, सड़कों के माध्यम से काम दिया जा सकता है। वह भी इस तरह से दिया जा सकेगा कि जैसे कोई सड़क मंजूर होती है तो उसके अन्दर तीन पाइण्ट्स के ऊपर, चार पाइण्ट्स के ऊपर काम खोला जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें लग सकें और उसी तरीके से गंवई तालाब है। यह हर पंचायत में मौजूद हैं और जहां-जहां

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पंचायतें हैं वहां वहां इनको, हर जगह पंचायत के अन्दर तालाब हैं तो उन सभी तालाबों के ऊपर काम खोला जाये।

(120)

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

मैं इस समय एक बात और सरकार के ध्यान मे लाना चाहता हूँ कि जल के साथ साथ अनाज की भी बहुत भारी दिक्कत हमारे सामने है। चूंकि खरीफ की फसल खराब हो गई और आगे वाली फ़सल के लिए हम थोड़ी यह उम्मीद करते थे कि कुओं से थोड़ा बहुत पानी निकाल कर अनाज पैदा कर लेंगे तो उनमें इतना भयंकर पैमाने पर बीमारियां लगी हुइ हैं। सरसों हमारी खत्म हो गयी, जीरा हमारा खत्म हो गया, अलसी खत्म हो गयी और गेहूं के अन्दर भी हवा पास हो गई तो लिहाजा आज अनाज की हम लोगों के सामने बहुत भारी दिक्कत है। तो जो काम कराया जाय उसकी एवज में बजाय मजदूरी के आप अनाज वाली पुरानी व्यवस्था थी. उसको पुनर्जीवित करें और काम के बदले अनाज वाली व्यवस्था को आप चालू करवायें। यह मैंने अकाल के बारे में बात कही।

खान के ऊपर भी आज बहस हो रही है, तो बात भी इसके ऊपर में अपनी बात कहना चाहता हूं। अभी एक माननीय सदस्य यह बता रहे थे कि [illegible] नियम खान [illegible] है कि फर्स्ट [illegible] फर्स्ट सर्व [illegible] जो लोग खानों [illegible] करते [illegible] जिनके इन्ट्रेस्ट [illegible] करते हैं, जो महकमे के लोग हैं वहाँ सबका आपस में तालमेल है और तालमेल से उनको जो कोई नयी डिपोजिट्स नई जगह, नई बात की जानकारी होती है तो उनके एक दूसरे के सम्पर्क सूत्र ऐसे हैं कि उनकी दरख्वास्तें भी पहले से तैयार होती है और दूसरा कोई [illegible] आदमी [illegible] उसको लेने के लिए कोई नया आदमी खड़ा हो, उसको कह देते हैं कि यहां तो पहले से इनकी दरख्वास्तें हैं पहले इन पर विचार होगा, आप तो बाद में है। इस पर सरकार गंभीरता से विचार करें। सरकार ऐसी क्या मजबूर हो गई और इस पर दुबारा विचार कीजिये, दुबारा विचार करके इस बात को देखिये कि क्या हो रहा है। जैसे हमारे जिले के अन्दर पहले से ग्रेनाइट के बारे में

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जानकारी नहीं थी पिछले दिनों मुझे जानकारी हुई कि हमारे यहां ग्रेनाइट के डिपोजिट निकल आये। जब हम चर्चा करने लगे कि कोई अपने यहां से एप्लाई करेगा? पता लगा कि वह तो सभी अलॉट हो चुकी हैं। कोई रही नहीं है उसके अन्दर। कौन कहां से आ गये? कोई हरियाणा से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई जोधपुर से आ रहा है, कोई बीकानेर से आ रहा है, हमारे जिले के तो बिलकुल नदारद हो गये। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह बात कहना चाहता हूं कि वे इस पर बहुत विचार करें कि इसके अन्दर कम से कम आप अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, जो खासतौर से मजदूर हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों के लिए आरक्षण जरूर दें और वेस्टेड इन्ट्रेस्ट वाले जो लोग हैं उनसे उनको आप चर्चा करें और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए आयें।

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री बनवारी लाल बैरवा : इस वक्त एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

हमारे यहां मालपुरा में एक देवल गांव है। वहां पर जो लोग रहते चले आ रहे हैं और खासतौर से हरिजनों के मकान हैं, हरिजनों के बाड़े हैं। उनके अन्दर कुछ लोगों ने पट्टे ले लिये और उनके रिहायशी मकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके बाड़ों को हटाया जा रहा है। वे मना करते हैं तो उनको पीटा जा रहा है और उनके खिलाफ केस दर्ज किये जा रहे हैं। शहरों से गुण्डे लाये जा रहे हैं। औरतों को चोटी पकड़ पकड़ कर घर से फेंका जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे मामलात के अन्दर आप जरूर उनकी मदद करिये। उन गरीबों को आप सहायता पहुंचाइये। एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे टौंक

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

जिले में बनास नदी प्रायः चारों तरफ घूम रही है। इसके अन्दर छोटे छोटे जो गरीब लोग थे उनको पार्केट्स के ऊपर पट्टे दिये हुए थे, कुछ लीज दी हुई थी जिससे वह अपनी गुजर बसर कर रहे थे। वह आपको सब पैसा चुका रहे थे। शायद उन पर किसी पर कोई बाकी पैसा भी नहीं होगा। लेकिन पता नहीं सरकार ने क्या एक ऐसी व्यवस्था की कि हम तो बड़े ठेकेदारों को ही लाकर खड़ा करेंगे....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : पूरी बनास....

श्री सभापति : बहुत लोग बोलने वाले हैं। आज की चर्चा में सब भाग लेना चाहते हैं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : तो पूरी बनास के ठेके उन लोगों को दे दिये और करोड़ों के ऊपर ठेके जा रहे हैं। वह महीने दो महीने काम करते हैं और जो नफा है उसको लेकर भाग गये और सरकार अब टटोलती रहे उनको फिर दूसरों को देते हैं तो दूसरे भी यही हरकत करते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उस बात पर पुनर्विचार करें और वही छोटी छोटी लीजेज जो पहले आपने दिये हुए थे, उन लीजेज को दीजिये ताकि हरिजन गिरीजन, बैकवर्ड क्लासेज के लोग उसके अन्दर अपनी गुजर बसर कर सकें। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री महावीर भगोरा !

श्री शिवनाथ सिंह : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : एक मिनिट।

श्री घासीराम यादव : मेरा भी नाम था।

श्री सभापति : देखिये, मेरे सामने जो लिस्ट है, उससे मैं पुकार रही हूं। आपके सचेतक महोदय की ओर से जो लिस्ट आयी है वह मेरे सामने पड़ी है। उसके अनुसार चल रही हूं मैं।

श्री घासीराम यादव : घनश्याम जी तिवाड़ी ने मेरा नाम दो बार पुकारा था। पूछ लीजिये।

श्री सभापति : मुझे नहीं पता। दो बार पुकारा तो आप क्यों नहीं मौजूद थे। बोल लेना चाहिये था। आप विराजें।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदया, अभी आसन की तरफ से यह व्यवस्था दी गयी थी कि इस दल की तरफ से, उस दल की तरफ से दो-दो सदस्य बोल लेंगे तो हम जो कोई किसी भी दल में नहीं हैं, उनमें से बुलाया जायेगा....

श्री सभापति : नहीं अभी आपका नम्बर आ रहा है।

श्री शिवनाथ सिंह : पिछली बार भी जब बजट पर भाषण हो रहा था, उस वक्त भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ और इसलिए....

श्री सभापति : अब न्याय होगा।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह जो व्यवस्था आसन की तरफ से दी गयी थी उसमें आप अव्यवस्था न फैलाएँ।

श्री सभापति: मैंने अव्यवस्था नहीं की। मुझे दो इधर दो उधर के लिए कहा था। अभी तक एक इधर से एक उधर से बोले। कोई अव्यवस्था मैंने नहीं की।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए यह व्यवस्था रखी है आप ..

श्री सभापति : मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी-आपकी बात का। श्री महावीर भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (सोमुन्डा): सभापति महोदया, सर्वप्रथम तो मैं सरकार और अकाल राहत मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि उदयपुर जिला जो जनजाति बाहुल्य जिला है, इसमें अब तक करीब 15 करोड़ 64 लाख रुपये के काम स्वीकृत हो चुके हैं और उन पर 21 हजार मजदूर कार्यरत हैं। साथ ही मैं सरकार का और मंत्री महोदय का आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए सरकार ने जिला, तहसील और स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण समितियों का गठन किया है। हमारे जिले पर तो सभी स्तर की कमेटियों का गठन हो चुका है, स्थानीय स्तर पर कमेटियों के गठन का थोड़ा सा अभाव महसूस हो रहा है इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे जिला प्रशासन को निर्देश दें कि स्थानीय स्तर पर भी कमेटियों का गठन करें। अकाल प्रतिवर्ष क्यों पड़ते आ रहे हैं इस पर भी हमें चिन्तन करने की जरूरत है। हमारे यहां आजादी के बाद जिस कदर वनों की कटाई हुई है और आज जो पहाड़ी क्षेत्र हम देख रहे हैं, बिल्कुल वीरान है उनको रोकने के लिए वन विभाग की तरफ से तत्परता से कार्यवाही करवाई जानी चाहिए और साथ ही साथ अकाल राहत कार्यों में वृक्षारोपण के कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह मेरा एक मंत्री महोदय से और शासन से निवेदन है।

साथ ही अकाल राहत कार्यों में जो व्यावहारिक कठिनाई महसूस की जा रही है उसके सम्बन्ध में निवेदन करने जा रहा हूं कि जितने-जितने काम विभागवार खोले जा रहे हैं परन्तु तकनीकी दृष्टि से वर्तमान में जो स्टाफ है वह पर्याप्त नहीं है। पूर्व में ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं कि अकाल के समय में अतिरिक्त स्टाफ लगाये जाते रहे हैं। साढ़े सात सौ की लेबर पर एक जे. ईएन. साढे तीन हजार पर एक ए.ई.एन. और सात

(श्री महावीर भगोरा)

हजार की लेबर पर एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का प्रावधान किया गया है तो मैं चाहता हूं कि वर्तमान में भी ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि तकनीकी दृष्टि से सही मार्ग दर्शन मिले, सही नपती होवे, समय पर नपती होवे और लेबरों को पेमेण्ट भी सही समय पर होवे। इसी तरह से एक निवेदन और करना चाहता हूं, सड़कों के जो कार्य शुरू किए हैं और उस पर परमानेण्ट असैट तैयार करने की बात हुई है तो रोड रोलरों की बड़ी कमी है। रोड रोलर भी पी. डबल्यू. डी. डिपार्टमेण्ट चाहे ठेके पर ले, चाहे किराये पर ले, इसके लिए भी पर्याप्त निर्देश जारी होने चाहिएं। एक और डिफीकल्टी जो हमने महसूस की है कि हम लोग यहां विधान सभा में बैठे हुए हैं और जिला स्तर पर कमेटियों की बैठकें होती हैं तो आप सरकार, प्रशासन से यह निर्देश देवें या निवेदन करें कि यह बैठकें शनिवार या रविवार को करें ताकि माननीय सदस्य भी अपने सुझाव या प्रस्ताव रख सकें। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष रूप से गर्मी के मौसम में अभी लू आदि चलने की शुरूआत हो जायेगी तो मजदूरों के लिए पर्याप्त छाया की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो और दवाइयों की व्यवस्था हो, यह भी मेरा आपसे निवेदन है। साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा अकाल राहत में मजदूरी का जो भुगतान है, एक्जीक्यूशन करने वाले दूसरे डिपार्टमेण्ट हैं, मजदूरी रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट कर रहा है। पुरानी ऐसी परम्पराएं रही हैं अधिकारियों की या जो भी काम कराने वाली एजेंसियां हैं उनमें ऐसी आदत सी पड़ गई है कि वह उसमें गड़बड़ घोटाला करते आ रहे हैं तो भुगतान तो दूसरा डिपार्टमेन्ट कर रहा है और काम कोई और करा रहा है जिससे वे लोग नपती कम करते हैं और मजदूरों का नुकसान हो रहा है इससे तो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देकर के और प्रभावी सुपरवीजन के कार्य हाथ में ले और जो स्थानीय लेवल पर कमेटियों का प्रावधान है उनका गठन तत्काल करवाएं। यही बात कहकर मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री राम स्वरूप मीणा।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, मुझे......

श्री सभापति : मैं बराबर हूँ, अब आपका है आपने जो व्यवस्था दी उसका मैंने पालन किया है। दो इधर से, दो उधर से, फिर आप....

श्री शिवनाथ सिंह : चार-चार कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप भोजन कर आइए फिर आपका नाम लिस्ट में ले लूंगी। आप शुरू कीजिए।

एक माननीय सदस्य : एक हजार वर्ष तक बोलते रहेंगे।

श्री सभापति : भोजन के बाद।

श्री रामस्वरूप (टोडा-भीम) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में अकाल के बारे

(श्री रामस्वरूप)

में जो बहस चल रही है उसमें भी अपने आपको शरीक करते हुए निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्दर बहुत-बड़ा भेदभाव बरता गया है। सारे राजस्थान में अधिकांश जिलों को आपने अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया माननीय मंत्री महोदय, लेकिन आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो जिला सवाई माधोपुर में आता है, टोडाभीम उसकी एक तहसील को आपने अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया, नांदोती को तो, और उसके साथ लगती हुई दूसरी तहसील जो टोडाभीम है, उस तहसील को आपने अकाल से बाहर कर दिया। जबकि मैंने पिछली बार भी इस सदन के अन्दर माननीय मेघवाल साहब जो अकाल मंत्री रहे, उनसे कहा है। यह हालत मेरे साथ पिछली बार भी हुई थी। अगर माननीय मंत्री महोदय आप यह चाहो कि सदन में आकर के इस आवाज को उठायें, इस आवाज को कोई नहीं सुने तो हम धरना दें और कुछ करें। माननीय सभापति महोदय, तब आप अकाल घोषित करो। अगर आपने ऐसी मंशा बना रखी है तो बात दूसरी है। पिछली बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, पिछली बार भी मेरा क्षेत्र छोड़ दिया गया था। माननीय सभापति महोदय, मैं अकाल राहत मंत्रीजी की बहुत बड़ी मेहरबानी मानता हूं, वे तो, बहुत अच्छे आदमी निकले, यह+++कि इन्होंने वास्तव में बिना भेदभाव के बहुत अच्छे निकले, हिम्मतवार निकले, न्यायप्रिय निकले, इसी सदन के अन्दर इन्होंने जब मैंने मांग की थी कि मेरे क्षेत्र को क्यों छोड़ दिया गया अकाल से तो इन्होंने तुरन्त घोषणा की कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम को अकाल ग्रस्त घोषित किया जाता है। माननीय भूतपूर्व अकाल राहत मंत्री हमारे बैठे हुए हैं जो आज होम मिनिस्टर हैं राजस्थान के, उसी के कारण होम मिनिस्टर बन गए और नहीं तो आप बनते भी नहीं.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप अब अकाल की घोषणा कर दो तो चीफ मिनिस्ट्री का नम्बर भी आने वाला है।

(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इसलिए मैं माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नांदोती के साथ मेरे टोडाभीम को भी अकाल ग्रस्त घोषित किया जाए। आपकी तीन शर्तें होती हैं अकाल घोषित करने के बारे में। पहली शर्त होती है कि वह अनुसूचित जन जाति क्षेत्र होना चाहिए, वहां अकाल घोषित पहले किया जाता है। एक आपकी शर्त है कि 50% नुकसान होना चाहिए फसल में तो अकाल घोषित किया जाता है। तीसरा आपने बताया था कि रेगिस्तानी एरिया होता है, वहां हम अकाल घोषित करते हैं। तीनों शर्तें मेरा क्षेत्र कवर करता है। मेरा विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति की रिजर्व सीट है, मीणाओं की, इसलिए पहली शर्त वह पूरी करता है। दूसरा मेरा निवेदन है कि 50% से अधिक नुकसान मेरे क्षेत्र में हुआ है जिसकी गिरदावरी है, सारी गिरदावरी की नकलें, कम्पलीट रिपोर्टें मैं मेरे साथ लाया हूँ माननीय मंत्री महोदय

+++ शब्द अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)
माननीय सभापति महोदया, अगर आपका आदेश हो तो सदन के पटल पर मैं गिरदावरी रख सकता हूं। मेरे यहां 50% नहीं बल्कि 60 % नुकसान फसल को हुआ है फिर भी इसको अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है, इतना बड़ा भेदभाव। तीसरा मैं निवेदन करूं, आपने कहा कि रेगिस्तानी एरिया होना चाहिए। आप मेरे साथ चलिये, आपको टीले, टीले नजर आएं मेरे क्षेत्र के अन्दर तो मान लेना, नहीं तो मत मानना....

श्री हरिसिंह (महुआ): इनका खुद का गांव टीलों पर बसा हुआ है। (

श्री रामस्वरूप : मेरा खुद का गांव टीलों पर बसा हुआ है। यह तीनों शर्तें जब मेरा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम कवर करता है तो माननीय सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र के साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों बरता जा रहा है? मुझे उम्मीद है इस सदन में मेरे क्षेत्र को अकाल ग्रस्त घोषित किया जाएगा। दूसरा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है....

एक माननीय सदस्य : रेगिस्तान हो गया टोडाभीम (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : रेगिस्तान की कोई शर्त नहीं है अकाल से प्रभावित हुआ है क्षेत्र, चाहे वह रेगिस्तानी भी हो सकता है और पहाड़ी भी हो सकता है वह डबल क्रोप एरिया भी हो सकता है, रबी का सिंचित क्षेत्र हो सकता है। यह कहा है कि वहां पर थार डेजर्ट हो जाएगा तभी अकाल ग्रस्त होगा, वह तो फसल को क्रोप को नुकसान होने के बाद में आप भी उतने ही एनटाइटल हैं। मेरी समझ में आप रेगिस्तान को भेज सकते हैं मंत्रीजी वहां.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप : पूर्व मंत्री महोदय ने जो मुझे जवाब दिया था उसमें यह तीनों शर्तें लिखी हुई थीं, इसके लिए मैंने वर्णन किया था (व्यवधान) रिटर्न में मुझे जवाब दिया था उसमें....

श्री परसराम मदेरणा : अनभिज्ञता में लिख दी होगी।

श्री रामस्वरूप : तो मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस बार अकाल पड़ा हुआ है। माननीय सभापति महोदया, अकाल भी इतना भयंकर पड़ा हुआ है कि अब जब मैं मेरे क्षेत्र का दौरा करने गया, मिलने गया लोगों से, वहां की हालत जब देखने गया तो जिस गांव में घुसा था, माननीय सभापति महोदया, आज इस सदन को इस बात को सुनकर के रोना आयेगा कि धर्म की बात करने वाली हमारी सरकार, गऊ और ब्राह्मणों की बात करने वाली हमारी सरकार, आप जानेंगे कि जिस गांव में मैं गया, सबसे पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र में, वह गांव था, जब जाते ही गांव में मैं घुसने लगा तो माननीय सभापति महोदया, मेरे गांव के सामने ही वहां हड्डियों के ढेर पड़े थे। मैंने गांव वालों से पूछा कि हड्डियों के ढेर किस बात के हैं, कौन व्यक्ति के हैं या कौन से पशुओं की हड्डियां हैं? यह तो गांव वालों ने कहा कि विधायक महोदय, हम रो रहे हैं आपको, प्रकृति रूठ गई हमसे, अकाल पड़ गया। ये जानवर, गायें मर गई अकाल

(126)

(श्री रामस्वरूप)
के कारण, चारा तक नहीं मिल रहा है इनको, माननीय सभापति महोदया.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : वह तो ऐसा है कि हड्डी ठेके वाले ने कोई ढेर लगा रखा होगा। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पिछले साल की हड्डियां तो नहीं रखी हुई थीं ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदया, बड़ा गम्भीर मसला है। मजाक सूझ रही है माननीय सदस्यों को। मैं बड़ी गम्भीरता से यह निवेदन कर रहा हूं कि यह हालत मेरे क्षेत्र में है, जहां पशुओं के ढेर के ढेर हड्डियों के पड़े हों, प्यास और भूख से जहां जानवर मर रहे हों, गऊ माताएँ जहां पर मर रही हों उस क्षेत्र को अकाल से वंचित रख दिया जाये। माननीय अकाल राहत मंत्री जी आप सोच लेना इसके बारे में।

दूसरा मेरा निवेदन है कि ठीक है आपने जहां अकाल घोषित किया है वहां पर कामों में भी भेदभाव बरता है मेरी एक तहसील आपने जरूर अकालग्रस्त घोषित की है लेकिन माननीय सभापति महोदया, आप आश्चर्य करेंगे सुन कर कि कितने मजदूर मेरे यहां लगाये हैं-केवल मात्र 41 मजदूर। और माननीय मंत्री महोदय, आपके यहां 1500 के लगभग मजदूर तो लग चुके हैं और मेरे क्षेत्र में केवल मात्र 41 मजदूर। इस प्रकार का भेदभाव वहां पर कामों में बरता जा रहा है बड़े ताज्जुब की बात है, इसलिए मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि सरकार इसमें भेदभाव नहीं बरते और लोगों को मजदूरी दे और ईमानदारी से दे।

तीसरा मेरा निवेदन है कि इस समय सबसे बड़ी समस्या चारे की आ रही है। माननीय सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने चारे के बारे में क्या व्यवस्था की है, क्या नीति अपनाई है, हरा चारा कहां से खरीद रहे हैं, कैसा चारा खरीद रहे हैं, किस रेट पर खरीद रहे हैं और कितने समय में वह क्षेत्र के अन्दर आ जायेगा ? क्या यह अकाल जब निकल जायेगा, बरसात हो जायेगी शायद उसके बाद आपका चारा आ जायेगा? क्योंकि आग लग जाती है, आपकी फायर ब्रिगेड तब पहुँचती है जब आग लग-लगा जाती है, जब आग बुझ जाती है। यही हालत आप इसमें करोगे। जब अकाल के समय चारे की जरूरत है तब तो आप चारा दिला नहीं रहे हैं। अभी तो आपने नीति ही तय नहीं की है। किस भाव से खरीदोगे, कहां से खरीदोगे इसलिए माननीय सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि आप सदन में इस बात की घोषणा करें कि चारा आप कब भिजवा रहे हैं और वह कैसा चारा होगा, वह कहां से आयेगा ? (व्यवधान)

चौथा आपने इस जिले को हमेशा उपेक्षित रखा है। पूरा जिला अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है। पूरा जिला ही रिजर्व सीट है लेकिन इस जिले में मात्र आपने चार ही अकाल राहत कार्य दिये हैं। हमारे गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य भी यहां विराजमान हैं। यह बहुत बड़ा हमारे साथ अन्याय है

(श्री रामस्वरूप)

पांचवां मेरा निवेदन है कि आप अकाल राहत में जितने भी कार्य करें पिछली बार आपने कुछ कार्य हमारे यहां करवाये थे जो अधूरे रह गए। मेरा निवेदन है कि आप नये कार्य हमें चाहे मत दें लेकिन पिछले जो अधूरे कार्य मेरे क्षेत्र में आपने दिये हैं कृपया आप उनको पूरा करवा दें। सड़क भी आपने पिछली बार दी है। बढ़िया रास्ता था गांव के अन्दर और ऐसे मोटे-मोटे रोड़े आपने पटका कर रख दिये और सड़क तो पूरी करवाई नहीं और उल्टे रास्ता खराब करके रख दिया। क्या फायदा है ऐसी सड़कें बनाने से ? उस पर रोड़े और डाल दिये आपने रास्ते के अन्दर। इसलिए मेरा निवेदन है सभापति महोदय, कि आप उन सड़कों को पूरा करवायें। उनके ऊपर डामर बिछवायें और अगर ग्रेवल की हुई है तो उनको मशीन से कुटवायें इंजन से। यह मेरा आपसे निवेदन है।

छठा मेरा निवेदन है कि जो तालाब हैं जिनके अन्दर पानी भरता है वर्तमान में तो पानी उनमें नहीं है लेकिन बरसात में जब पानी उनके अन्दर आता है तो कृपया उन तालाबों पर आप मिट्टी डलवायें उनकी मरम्मत करवायें ताकि मजदूरों को मजदूरी मिल सके और आने वाली बरसात में उनमें पानी भर सके। मेरे सवाई माधोपुर जिले के अन्दर 6 हजार तालाब हैं और वे तालाब आज सूखे पड़े हैं जिनके ऊपर कोई किसी प्रकार की आपने मजदूरी नहीं दी है। न उनके ऊपर एक भी मजदूर लगाया वहां पर इसलिए मेरा निवेदन है कि आप तालाबों पर मजदूर लगवायें।

मेरा सातवां निवेदन है कि जो भी अकाल राहत कार्य हैं पिछली बार हमारे यहां इनमें भ्रष्टाचार हुआ था जिसकी शिकायत मैंने विभाग को की थी और आपने 10 हजार रुपये केवल मात्र मन्जूर किये पर काम केवल 5 हजार रुपये का मौके पर हुआ। कई जगह तो बिलकुल ही काम नहीं हुआ। काम ही नजर नहीं आया मंत्री महोदय आपको, मैं चलकर दिखा सकता हूं। मेरे साथ चले चलना भंवरलाल जी भी जा रहे हैं मेरे साथ, वहां पानी की समस्या को हल करने के लिए। आप दोनों मंत्री जोड़े से चले चलना। ले चलो अपनी-अपनी घर वालियों को भी और दिखा दो उनको. पानी की हालत मेरे क्षेत्र की। दोनों मंत्री महोदय पधारें मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : कंक्लूड करें।

श्री रामस्वरूप : एक मिनट। यह समस्या तो रही मेरी अकाल के बारे में मंत्री महोदय। अब मैं खनिज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं केवल 5 मिनट लूंगा मैं खनिज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरा जिला सवाई माधोपुर खनिज में सबसे आगे है। सारे हिन्दुस्तान में कहीं भी अगर पत्थर जाता है तो यहां से जाता है। दिल्ली के लालकिले में भी अगर कोई पत्थर लगा हुआ है तो वह हिन्डोन का और करोली क्षेत्र का लगा हुआ है ऐसा खनिज का भण्डार सबसे बड़ा मेरे जिला सवाई माधोपुर में है लेकिन आज वहां की हालत यह हो रही है कि सारी खानें बन्द हो चुकी हैं। लोगों को पत्थर नहीं मिल रहा है।.......

श्री सभापति : आप अपने सुझाव दे दीजिए।

श्री रामस्वरूप : सरकार को रायल्टी नहीं मिल रही है। कितना नुकसान सरकार को इसमें हो रहा है। मेरा निवेदन है आपसे कि वहां पर आतंक छाया हुआ है डाकुओं का। आप रायल्टी को सही वसूल करवायें और खनन विभाग जो बन्द पड़ा है उसको चालू करवायें। खानें बजाय मालिकों के वहां के मजदूरों को मिलनी चाहिए, गरीबों को मिलनी चाहिए। एस. सी और एस. टी. के लोगों को खाने मिलनी चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन है कि इस विभाग के अन्दर बड़ा भारी घोटाला है। विभाग में आय की कोई कमी नहीं है। घोटाला सबसे ज्यादा खनिज विभाग के अन्दर है। मेरा निवेदन है माननीय सभापति महोदय, इस घोटाले को आप उजागर करें और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही करवायें। यह सारे हिन्दुस्तान की प्रेस इस बात को बोल रही है और वह ईमानदारी से लिखा जा रहा है

श्री सभापति : आप कृपया कंक्लूड करें।

श्री रामस्वरूप : भ्रष्टाचार का अड्डा खनिज विभाग। विभाग में राजस्व में लाखों की हानि। अधिकारियों ने लाखों रुपये डकारे। भ्रष्टाचार का अड्डा खनिज विभाग. नम्बर दो।

श्री सभापति : आपकी बात हो गयी [illegible] ती भ्र[illegible] है

श्री रामस्वरूप : भ्रष्टाचार का अड्डा खनिज विभाग........

श्री सभापति : श्री शिवनाथसिंह जी नम्बर चार, कोटपूतली, भैंसलाना में भ्रष्टाचार का नंगा नाच, भ्रष्टाचार का अड्डा खनिज विभाग। नम्बर पांच, माइन्स का मामला सामने आ रहा है....

श्री रामस्वरूप : मेरा निवेदन है कि एक डाइरेक्टर तो ऐसे हैं कि जो सारे खनिज विभाग को ही पी गए और रात दिन++ ऐसे-ऐसे अधिकारी हैं जो राजस्थान के खनिज विभाग के सारे पैसे को पी रहे हैं और रात दिन शराब पीकर मस्त रहते हैं और++ सोते रहते हैं।

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री रामस्वरूप : आप सभापति महोदय, उनके खिलाफ कार्यवाही करवायें....

श्री सभापति : हां, करेंगे।

श्री रामस्वरूप : और खनिज विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको समाप्त करवायें। आप चाहें तो मैं अखबार पढ़ कर सुना सकता हूँ.......

श्री सभापति : आप बिराजें,

श्री रामस्वरूप : सारे भ्रष्टाचार के अड्डे की किताब हिन्दुस्तान की प्रेस ने मुझे दी है। सारे हिन्दुस्तान को पता है कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार खनिज विभाग के अन्दर हो रहा है।

+ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : यह कोई तरीका है क्या ? समय पूरा हो गया है।

श्री रामस्वरूप : आपने मुझे समय दिया है बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप इसकी इन्क्वायरी करवाएंगे और खनिज विभाग में भ्रष्टाचार को मिटायेंगे। जयहिन्द।

श्री सभापति : हां, विराजें। श्री शिवनाथ सिंह जी

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभापति जी, मैं पहले खनिज विभाग के संबंध में दो बात कहना चाहूंगा। उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से आ चुके हैं पट्टे जारी करने के संबंध में बेरोजगार युवकों को पट्टे देने के लिए। मैं संक्षेप में यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज खनिज विभाग में जो रायल्टी का लीकेज हो रहा है उसको रोका जाये और वह लीकेज इसलिए हो रहा है कि आपके अधिकारी मिले हुए हैं ठेकेदारों से बहुत कम कीमत पर ठेका लेकर वह लोगों से बहुत बड़ी रकम वसूल करते हैं। मैं अपने जिले के बारे में कह सकता हूं। मेरे जिले से करीब-करीब 100 ट्रक रोजाना बजरी के लगते हैं और एक ट्रक के ऊपर 80 रुपया रायल्टी ली जाती है। कितनी रकम हो सकती है आप अन्दाजा लगाइये। मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी चैकिंग जहां म्यूनिसिपल चेक पोस्ट से होकर वह ट्रक निकलते हैं म्यूनिसिपलिटी की वहां रसीद कटती है। उन रसीदों से आपको अन्दाजा लग सकता है कि कितने ट्रक बजरी वहां से निकलती है और रायल्टी आपको कितनी आती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बजरी की रायल्टी का मामला है इसमें भयंकर घोटाला है। आप इस पर चैक लगाइये और आप चाहेंगे तो हम आपको बैठकर सुझाव और दे देंगे।

दूसरा-मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि झुंझुनू जिला आधा भाग पहाड़ी है और खनिज बहुत है और पास ही नदी बहती है। बहुत बजरी है लेकिन हमारे यहां कोई खनिज विभाग का कार्यालय नहीं है। मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि किन्हीं कारणों से हमारे जिले को नीम का थाना कार्यालय में लगा दिया गया है। वह खनिज विभाग का कार्यालय नीम-का-थाना में रहे मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन झुंझुनू जिले में एक कार्यालय भी खोलें। झुंझुनू जिले में अनेक स्थानों पर ग्रेनाईट के पत्थर हैं। उनको देखते हुए आपके विभाग के इस कार्यालय का जो खर्चा होगा उससे कई गुना अधिक रायल्टी आपको मिलेगी। मैं खनिज विभाग के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप उसको चैक कीजिए। आप रायल्टी के लीकेज को देखते हुए हमारे यहां एक ए. ई. एन. का आफिस झुंझुनू में खोलिए।

माननीय सभापति जी, जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके संबंध में संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा। आज अकाल छाया हुआ है। दूसरी प्राकृतिक आपदाएं भी इस मांग में हैं। मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि आपके मापदण्ड जो राहत देने के हैं। अग्निपीड़ितों को राहत देने के लिए जो राशि अपने निर्धारित की है वह बहुत कम है। इसी तरह से बाढ़ के मामले में है, इसी तरह से

(श्री शिवनाथसिंह)

ओला वृष्टि के मामले में है और इसी तरह ठंडी लहर चलने से सरसों की पूरी फसल बरबाद हो जाती है, गेहूं और जौ की फसल बरबाद हो जाती है उसके लिए भी आपने कोई प्रावधान नहीं रखा है। उनके अन्दर भी इस प्रकार का एक प्रावधान रहे। इन आपदाओं से जो फसल नष्ट होती है उसका मुआवजा उचित रूप से आप निर्धारित करें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति जी, आज अकाल की विभीषिका सब जगह है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप जवाब दें तो मुझे कम से कम यह बताएं कि झुंझुनू जिले में आज के दिन कितने मजदूर काम पर लगे हुए हैं। 650 गांव हमारे अकालग्रस्त हैं और 10 लाख से अधिक की आबादी उस अकालग्रस्त एरिये में आती है। आपने जो काम खोले हैं बहुत कम हैं। 20-25 से अधिक मजदूर नहीं लग पाये हैं। मैं चाहूंगा कि जिलाधिकारियों को आप आदेश दें कि इतने बड़े एरिया में, इतने गांवों में जो अकाल है उनके अन्दर मजदूरों की संख्या बढ़ायी जाए। मैं आपकी क्षमता में विश्वास नहीं करता लेकिन आपके आदेश जिला स्तर तक नहीं पहुँच पाते हैं। इस बात को मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं। आज दिन तक आइडेण्टिटी कार्ड के प्रावधान को हटाने के लिए आपके आदेश वहां नहीं पहुँचे हैं न उसका पालन हो रहा है।

माननीय सभापति जी, अकाल के समय में अनाज की समस्या है लेकिन सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी दूर-दूर से लोगों को लाना पड़ता है। आधे इलाके में खारा पानी है वहां भी आपके कोई काम नहीं हैं। माननीय पी. एच. ई. डी. मंत्री महोदय ने बहुत बड़ी कृपा करके हमारे जिले में 10 हैण्ड पम्प दिये हैं। हम सात विधायक है, या तो तीन वापस ले लो, या कम से कम चार और दो। दो-दो तो हम अपने इलाके में कर लें। क्या आपने रेश्यो बैठाया है? 10 हैण्ड पम्प की आपने बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी। सात करोड़ रुपये में से मुझे पता नहीं, लाख-दो लाख भी हमारे हिस्से में आये हैं कि नहीं आये हैं। दूसरे जिले- चूरू है, बीकानेर है, झुंझुनू है, ये इलाके ऐसे हैं जो पानी से पीड़ित हैं। अनाज आप नहीं दें तो हमारी समझ में आ सकता है, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था आप कराएं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कराएंगे तो अनाज काम में नहीं आएगा।

श्री परसराम मदेरणा : दस के दस हैण्ड पम्प बी.जे.पी. के एम.एल.एज. को दे दो आप।

एक माननीय सदस्य : एक भी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : कोई नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : यही पीड़ा है। माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी कह रहे है कि बी.जे.पी. को दे दें। माननीय भंवरलाल जी गये थे हमारे जिले में, वहां जिले वालों के सामने उन्होंने कहा, मुझे बहुत पीड़ा है कि काठ की हाण्डी एक बार तो चढ़ती है लेकिन इस जिले में तो बार-बार चढ़ रही है। हम तो काठ की हाण्डी है लेकिन सोने

(श्री शिवनाथसिंह)

की हाण्डी, लोहे की हाण्डी न तो जम पायी है न जम पाएगी झुंझुनू जिले में।

हम किसको बांटें ? बी.जे.पी. के हारे हुओं के लिए आप प्रावधान रखें तो हम बांट दें, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारे हिस्से तो वह नहीं आता है। हमारे जिले में बहुत बड़ी संख्या में गांव ऐसे हैं जो पानी की समस्या से ग्रस्त हैं। कुछ साल पहले टंकियों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे जिले में हाथ में लिया गया था, स्वीकृत किया गया था। लेकिन उक्त रकम हमारे जिले से निकालकर दूसरे जिले में ले जायी गयी। उसकी भी हमें पीड़ा नहीं लेकिन जो काम हमारे स्वीकृत थे, आज तो आप उनको स्वीकार कराएं। एक जिले के अन्दर सौ से अधिक टंकियां बनी है जो ग्राम पंचायतों ने बनायी हैं, पंचायत समितियों ने बनायी है और विभाग ने भी बनायी हैं। उनमें आज बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा है, पाइप लाइन नहीं पड़ रही उसकी वजह से जो गांव वालों ने श्रम कर और पंचायत समिति ने धनराशि देकर टंकियां बनायी थीं आज वे टूट रही हैं, बिना पानी के प्यासी हैं और लोग भी प्यासे हैं। सरकार इस ओर ध्यान दे, पानी की समस्या का निराकरण करे और उन टंकियों को पाइप लाइन से जोड़ें और बिजली के कनेक्शन देकर पानी की व्यवस्था कराए।

माननीय सभापति जी, जो काम खोले गये हैं उनकी स्थिति मैं बतलाता हूं। पांच-पांच, सात-सात, दस-दस किलोमीटर की दूरी पर काम खोले गये हैं और उनमें भी 20-25 से अधिक मजदूर नहीं लगे हैं। एक पाइण्ट पर काम शुरू किया गया है। आप इस समय में क्या सोच सकते हैं कि जहां कोई साधन नहीं हो रात को रहने का, जहां खाने-पीने का साधन नहीं हो, मजदूर कहां रहेंगे ? या तो उनके रहने की वहां व्यवस्था कीजिए या फिर एक सड़क का जो काम है उस काम को तीन या चार पाइण्ट पर शुरू कीजिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। बहुत-सी स्कूलें ऐसी हैं अधूरे काम पड़े हुए हैं, बहुत-सी टंकिया ऐसी हैं बहुत से औषधालयों के काम हो सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि 250 करोड़ रुपये हम अकाल में लगाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उनका मन 25 करोड़ रुपये भी अकाल में लगाने का है नहीं। आदेश गये हैं कि दूसरी योजनाओं में जैसे जे. आर. वाई. वहां है, प्राइम मिनिस्टर योजना है या दूसरी हैं, काम करवाया जाएगा। उनमें आपका लेना देना क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : 1994-95 में प्रावधान क्या है रिलीफ का ? यह जो प्रगति विवरण डिपार्टमैण्ट ने हमको सर्कुलेट किया है इसमें आखिरी पेज का योग गायब है। मंत्री जी, अनुदान की मांग संख्या 34 जो 16 तारीख को इस हाउस से पारित करायी है, जो अमाउण्ट 1994-95 में व्यय होने वाला है, आपने वह पूरा का पूरा अमाउण्ट ले लिया है वोट आन अकाउण्ट में। मैं यह जानना चाहता हूं, सदन जानना चाहता है। केलेमिटी रिलीफ फण्ड में 124 करोड़ रुपये का प्रति वर्ष प्रावधान रखते हैं आप 93 करोड़ गवर्नमैण्ट आफ इण्डिया और 24 करोड़ राजस्थान की राज्य सरकार। जहां 22,700 गांव अकाल से पीड़ित हैं, सिर्फ

(132)

(श्री परसराम मदेरणा)

अकाल से पीड़ित नहीं है आपको वहां व्यवस्था चारे की भी करनी है रिलीफ वर्क की भी करनी है, पीने के पानी की भी करनी है, तो आपने प्रावधान क्या रखा है ? इस प्रगति विवरण में तो आपके प्रावधान का कुछ पता नहीं लग रहा है । बता सकेंगे आप ?

श्री सांवरलाल जाट (राज्य मंत्री सहायता एवं पुनर्वास) : माननीय सभापति महोदया, मैं यही निवेदन करूंगा आपसे कि अभी जो बैलेंस है वह 209 करोड़ है और एक अप्रैल के बाद और पैसा आ जायेगा जितनी आवश्यकता होगी वह पूरी की पूरी राहत देने की सरकार कोशिश करेगी। चूंकि यह राहत से रिलेटेड मामला है कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी इसलिए मैं एजेक्ट फिगर बता दूं । लोगों को रोजगार दिया जाएगा, पेयजल के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाएगा, असहाय लोगों की मदद की जाएगी, चारा-बांटा सब पर सब्सिडी दी जाएगी, गोशाला या असहाय पशुओं के शिविर लगेंगे। इसलिए मैं आपको यह भरोसा दिला सकता हूँ कि जहां पर जनता को जिस तरह राहत देने की आवश्यकता होगी उसी प्रकार सरकार खर्च करने की कोशिश करेगी ।

श्री परसराम मदेरणा : आप सप्लीमेण्ट्री ग्राण्ट लेंगे बाद में ? डिमाण्ड 34 का पूरा का पूरा अमाउण्ट रखने जा रहे हैं उस साल में । वह सब आपने बजट के एब्सट्रेक्ट में दिया है और 54 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है । 124 करोड़ जो प्रति वर्ष आपको मिलता है उसके अगेन्स्ट आपने पेज नम्बर 56 पर प्राकृतिक आपदाओं से राहत में 178 करोड़ रुपये लिखा है । लेकिन ये जो 124 करोड़ रुपये हैं ये तो जाएंगे सी. आर. एफ. में क्योंकि यह बजट का एक टेक्निकल मैटर है । यह तो जायेंगे सी.आर.एफ. में और उसमें से आप कंसोलिडेटेड फण्ड आफ स्टेट में जो आप एप्रोप्रिएट करने जा रहे हैं वह है केवल 54 करोड़ रुपये । मैं सदन की जानकारी के लिए इत्तला कर दूं, ग्राण्ट में तो आपका योग कट गया है लेकिन मैंने अभी देखा है बैठे-बैठे, कि सिर्फ 54 करोड़ रुपये रखने जा रहे हैं 124 के अगेन्स्ट में, यह बहुत ही नाम मात्र की धनराशि का इतने बड़े अकाल में प्रावधान किया है। बड़े शर्म की बात है ।

श्री सभापति : अब आप भी सम्पूर्ण करें ।

श्री शिवनाथ सिंह : कर रहा हूं, बीच में बड़े-बड़े...

श्री परसराम मदेरणा : आप प्रावधान का पूछ रहे थे जो मैंने कहा, बहुत रेलेवेण्ट मैटर था ।

श्री सभापति : आपने तो ज्ञानवर्द्धन किया है ।

श्री शिवनाथसिंह : हां, ज्ञानवर्द्धन हुआ है ।

मैं निवेदन कर रहा था कि आपने जो रुपया रखने की बात की है उसमें और जो वास्तव में रखा है उसमें बड़ा अन्तर है । 250 करोड़ की आपने घोषणा कर दी और 54 करोड़ का आपने प्रावधान रखा । खर्च कितना कर पाएंगे मुझे समझ में नहीं आता । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि

(श्री शिवनाथसिंह)

हम सब राहत देंगे, चारे की भी देंगे, खाने की भी देंगे, काम भी देंगे, सब कुछ देंगे। देओगे कहां से ? कल तो आपने डिमाण्ड पास करायी है उस डिमाण्ड से अधिक रुपया आप कहां से लाओगे ? कहां से खर्च करोगे ? इन थोथी घोषणाओं से इस अकाल की विभीषिका का निवारण आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ठोस काम करने पड़ेंगे, उदार नीति से काम करने पड़ेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति जी इस प्रदेश में अकाल आज नया नहीं पड़ा है, पहले भी बहुत पड़े हैं लेकिन उस वक्त अकाल की विभीषिका को मीट आउट करने के लिए बहुत सख्त कदम उठाये जाते थे। मंत्रीगण जिलों के इन्चार्ज हुआ करते थे और मुख्य मंत्री सहित कैबिनेट की बहुत सी मीटिंगें जिलों को देखने जाया करती थीं। आज सब बिलकुल निराधार है, कुछ भी नहीं है। एक जिले का एक मंत्री इन्चार्ज आज तक नहीं बना पाये। न तो मंत्री उसका इन्चार्ज बना है, मोनीटरिंग के लिए कोई काम नहीं है और यहां बैठे-बैठे कागजों से काम नहीं चल सकता, अकाल की समस्या का निवारण नहीं किया जा सकता।

मैं माननीय सभापति जी, अन्त में माननीय मंत्री महोदय से पता नहीं वे कहां है, निवेदन करना चाहूँगा कि हनुमानजी की तरह से उनकी ताकत का स्मरण उन्हें कराना चाहूंगा, उनके सरनेम की तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जाट उनका सरनेम है। मुझे पीड़ा होती है कि जाट के घर में जन्म लिया हुआ आदमी और अकाल इतना विभीषक हो, अकाल की भयंकर पीड़ा है और वे शांति से सो पाये, मुझे आश्चर्य है इसलिए माननीय सभापति जी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय अकाल राहत मंत्री को हर जिले में जाना चाहिये, लोगों की समस्या सुननी चाहिये और उनका मौके पर निराकरण करना चाहिये। कहां, कब वहां से प्रस्ताव आयेगा कब मन्जूरी होगी और मन्जूरी की आप बात कहते हो लेकिन वास्तव में आपके अधिकारियों को आदेश दे रखे हैं, टेलिफोन के आधार पर दे रखे हैं, गुप्त आदेश दे रखे हैं कि अकाल के काम शुरू नहीं किये जाय, उन पर खर्च नहीं किया जाय और साल के अन्त में हमारे मुख्य मंत्रीजी कह दे कि 340 करोड़ रुपये के घाटे के बजट को मैंने 670 करोड़ रुपये वृद्धि में बदल दिया है। जब आप खर्च नहीं करोगे तो वह तो बदल जायेगा ही। आज के जमाने में इस अकाल के समय में आप रुपये खर्च नहीं करो तो किसी मद में आप करना चाहोगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल की विभिषिका को मीट आउट करने के लिए सक्रिय कदम उठाये।

श्री सभापति: श्री शम्भूदयाल बडगूजर।

श्री शम्भूदयाल बडगूजर (केकड़ी) : माननीय सभापति महोदया, अकाल के विषय पर सदन में कल से सामान्य चर्चा चल रही है और सदन के सभी माननीय सदस्य, राज्य सरकार और प्रदेश की जनता इस अकाल की विभीषिका से चिन्तित है और राज्य सरकार ने जिस प्रकार गम्भीरता से इसको, संवेदनशीलता से अकाल को लिया और एक फरवरी से प्रदेश के अकाल से प्रभावित सभी जिलों में अकाल राहत कार्य

(श्री शम्भू दयाल बड़गूजर)

प्रारम्भ किये इसके लिए सरकार की संवेदनशीलता का एक तरह से उत्तम उदाहरण है। माननीय सदस्यों ने कल से जो अपने सुझाव दिये अकाल से निपटने के लिए। उनमें सबसे अत्यधिक सुझाव ये आये हैं कि जिन जिलों में श्रमिकों की संख्या निर्धारित की गयी है और जहां निर्धारित संख्या पर श्रमिक नियोजित कर लिये गये हैं उन जिलों में श्रमिकों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये। दूसरा यह है कि प्रदेश में यह सामान्य परम्परा रही है कि जितने भी अकालग्रस्त गांव हैं, उन गांवों में राज्य सरकार की समस्त वसूलियां स्थगित की जानी चाहिये।

इस समय पेयजल की समस्या प्रदेश में व्यापक है, गम्भीर है। मानव और पशुधन के लिए भी पेयजल की समस्या है। चारे की समस्या माननीय सदस्यों ने रखी है, चारे के डिपो बहुत ही कम खुल पाये हैं। इसमें चारे के डिपो जहां पर चारे की समस्या है वहां ज्यादा खोलने चाहिये। पेयजल की समस्या के लिए मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि पिछली बार 3-3 हैण्ड पम्प एक-एक विधान सभा क्षेत्र में दिये हैं, ये बहुत ही कम है। कम से कम 50-50 हैण्ड पम्प एक-एक विधान सभा क्षेत्र में इस समय अकाल की दृष्टि को देखते हुए स्वीकृत किया जाना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदया, आपके माध्यम से हैण्डपम्प भी प्रदेश में अधिकांश भाग में सूख गये और उन सूखे हुए हैण्डपम्पों को भी दुरुस्त करना जरूरी है और सार्वजनिक कुओं को भी गहरा करवाने का सरकार को निर्णय लेना चाहिये। इसी के साथ मैं यह चाहूंगा कि पिछले दो साल से अतिवृष्टि और बाढ़ से पंचायत समितियों और सिंचाई विभाग के अधिकांश तालाब और बंधे क्षतिग्रस्त हुए। मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में अम्बापुरा बांध उस समय टूटा था जब माननीय कैलाशजी मेघवाल सिंचाई मंत्री थे। मैं मेघवाल साहब का हार्दिक आभारी हूं कि उन्होंने उस समय बाढ़ से पीड़ित लोगों को सरकार जो राशि देती थी उसको दुगनी की और बाढ़ पीड़ितों की उस समय त्वरित गति से आपने मदद की और उस बांध को भी देखा जो पहली बनने के बाद पहली बार अत्यधिक वर्षा से 16 जगह से टूट गया था। आपने द्रुतगति से तीन अभियंताओं को निलंबित किया, एक सराहनीय कदम उठाया और उनकी गुणवत्ता को परखने के लिए आपने जांच भी बिठायी। उस समय तक जनता एक आशा बांधकर बैठी थी और बांध का निरीक्षण करते समय बात भी कही थी कि मेघवाल आया मेघा लेकर आया। लेकिन आपने उनको जो विश्वास दिलाया था कि इस बांध को कैलाश मेघवाल पूरा करवायेगा, इसकी मरम्मत करवायेगा। वे लोग आज हैं, आज मेघवाल साहब सिंचाई मंत्री आप नहीं है लेकिन आप मेरे क्षेत्र के किसानों को जो भरोसा दिलवाकर आये थे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा सभापति महोदया, उस क्षतिग्रस्त बांध को जो बाढ़ से टूटा था बाढ़ सहायता कोष से स्वीकृत कराकर के उन पीड़ित किसानों को जो सिंचाई सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं, पुन बनवाने का निर्णय करायें। उसी के साथ पंचायत समितियों और सिंचाई विभाग के तालाब भी क्षति-

(श्री शम्भू दयाल बडगूजर)

ग्रस्त हुए हैं, मैं आपके माध्यम से सहायता मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर उन बांधों और तालाबों की भी मरम्मत करवाने का काम हाथ में लें।

एनीकट्स की सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता की है। सिंचाई विभाग के माध्यम से एनीकटों पर रोक लगी हुई है लेकिन जहां सिंचाई विभाग ने बजट में कोई बड़े बांध बनाने का प्रावधान नहीं रखा, निश्चित रूप से गांवों के छोटे-छोटे किसानों को जिनकी सैंकड़ों बीघा एक एनीकट बनने से भूमि सिंचित हो सकती है। काफी एनीकट इस प्रदेश में एप्रूव्ड भी हैं, मेरे क्षेत्र में 4 एनीकट एप्रूव्ड हैं उनमें काफी धनराशि खर्च कर दी गई है, एनीकट जो एप्रूव्ड हैं और नये बनाये जा सकते हैं, उन एनीकट की स्वीकृति राज्य सरकार जल्दी से जल्दी करे तो छोटे-छोटे किसानों का बहुत बड़ा लाभ होगा और उनकी सैंकड़ों बीघा जमीन सिंचित हो जायेगी और उसी के साथ कुओं का जल स्तर भी बढेगा। किसानों में खुशहाली लाने के लिए और सभी माननीय सदस्यों की चिन्ता को देखते हुये एनीकट्स पर लगी रोक को राज्य सरकार तुरन्त हटाये, विलम्ब नहीं रखा जाये।

इन्हीं के साथ मेरा निवेदन है कि सड़कों के लिए जो धनराशि दी जाती है, कहीं दो लाख रुपये दो कि. मी. के लिए दिये जाते हैं इससे सड़क तो पूरी बन पायेगी नहीं लेकिन गांव वालों को उसके बीच में पड़ने वाली पुलिया को बना दिया जाय तो बारिश के समय ग्रामीण लोग उस पुलिया के माध्यम से आने-जाने का पहले प्रयास करे। राज्य सरकार ने सड़कों को प्राथमिकता देने का पंचायत हैडक्वार्टर को और एक हजार की आबादी का है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि छोटे-छोटे एप्रोच रोड भी ऐसे हैं जहां वर्षा ऋतु में ग्रामीणजन आ-जा नहीं सकते। इसलिए छोटे-छोटे एप्रोच रोड्स को भी इसमें लेना चाहिये।

सार्वजनिक कुओं को गहरा कराने में प्राथमिकता और उसी के साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 125 गांव ऐसे हैं। जो फ्लोराइडयुक्त पानी वहां के लोग पी रहे हैं। पिछली बार जलदाय मंत्री जी बीसलपुर गये थे और मंत्री महोदय ने एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया, उसमें करीब 95 गांवों को ले लिया गया है। मैं मंत्री महोदय को अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा लेकिन मेरे कम से कम 25-30 गांव ऐसे भी हैं जहां आज भी पानी की विकट समस्या दो माह पहले से हो गयी। जिला प्रशासन ने एक टैंकर उपलब्ध कराया और काफी टैंकर सहायता विभाग के अभी भी खराब पड़े हैं। सूखे की विभीषिका को देखते हुए सहायता विभाग को उन टैंकरों को पहले दुरस्त करा लेना चाहिये था माननीय मंत्री महोदय आपने जो राशि स्वीकृत की हैं टैंकरों से ज्यादा की मरम्मत के लिये, वह भी जिला अधिकारी कहते हैं कि 50 हजार से तो एक टैंकर भी ठीक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सारे टैंकर जिला प्रशासन के पास खड़े हैं इसलिए उनके माइनर और मेजर रिपेयर्स के लिए ज्यादा धनराशि के लिए आज ही आप आदेश करें और उन्हे आवंटित करें ताकि पेयजल की समस्याओं से ग्रस्त जो गांव हैं उनको

(श्री शम्भूदयाल बड़गुजर)
टैंकरों के माध्यम से या स्थानीय स्तर से वे पेयजल के संकट से निजात पा सकें।

माननीय मंत्री महोदय, खान विभाग पर भी मैं दो मिनट निवेदन करना चाहूंगा। खान मंत्रीजी मेघवाल साहब पिछली बार जब 1977 से 1980 में भी रहे और आपने अनुसूचित जाति और जन जाति के बंधुओं के लिए खान विभाग में बहुत ही अच्छी सुविधाएं दीं लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज उन आदेशों का कहीं पालन नहीं हो रहा। जब पूर्व में खान मंत्री रहे कालूलालजी गुर्जर ने कहा कि राष्ट्रपति शासन में उस आदेश को रद्द कर दिया गया है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा मेरे क्षेत्र केकड़ी में और भिनाय में अभी दो तीन वर्ष से जो खनन क्षेत्र जिनको आंवटित किया गया है उनमें स्थानीय लोगों को कोई तवज्जह नहीं दी गयी, न उन्हें कोई सूचना दी गयी और जितने भी लोग वहां खनन के पट्टे ले चुके हैं वे या तो मकराने से आये हैं या बाहर से आये हैं मतलब जिले के बाहर के लोगों को खनन पट्टे दिये गये हैं। इसलिए इस विभाग में आप यह निश्चित प्रावधान करें कि जहां भी खान निकलती है वहां के स्थानीय लोगों को अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को और बेरोजगार लोगों को प्राथमिकता दी जाय, ओ.बी.सी. के लोगों को भी उसमें प्राथमिकता दी जाय तभी बेहतर होगा, नहीं तो आपकी खनन को वे खनन माफिया लोग ही खाते रहेंगे। कभी गरीब बेसहारा लोगों की आज तक मैंने खान नहीं देखी। अनुसूचित जाति. जनजाति के अधिकांश लोग इस पर मजदूरी ही करते हैं, कभी खान का मालिक हमने नहीं सुना कि ये गरीब मोहताज लोग खान के मालिक बन गये। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय, आपके कार्य की तो सभी जगह सराहना है, सिंचाई विभाग में भी आप रहे, अभियंताओं को निलम्बित भी किया गृह मंत्रालय भी आपके पास है और मैं यह सोचता हूं कि खान विभाग भी जब तक आपके पास है, यह प्रावधान कर दें कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ. बी.सी. के लोग और शिक्षित बेरोजगार लोगों को प्राथमिकता मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीया सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भीमसेन चौधरी।

श्री घासीराम यादव : सभापति महोदया, मेरा नाम भी है।

श्री सभापति : आपकी स्लिप आयी हुई है, आपके नेता की तरफ से आपका नाम नहीं आया।

श्री घासीराम यादव : लेकिन मुझे उन्होंने कह दिया था कि आप बोलोगे।

श्री सभापति : किसने कह दिया था? आप बिराजें।

श्री घासीराम यादव : सभापति महोदया, मैं बोलूंगा या नहीं।

श्री सभापति : आपके नेता की तरफ से आपका नाम नहीं आया।

श्री घासीराम यादव : मैने खुद दिया था, आप घनश्यामजी तिवाड़ी से पूछ लीजिए। आपके पास नहीं हो तो मैं घर जाऊं अपने।

श्री सभापति : अभी इनको तो बोलने दीजिए आप। देखिये, मेरे पास लिस्ट है उससे पहले बुलवाऊंगी, बाद में स्लिप से बुलवाऊंगी।

श्री घासीराम यादव : मेरी स्लिप आपके पास है।

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : सभापति महोदया, बीकानेर जिला भयंकर अकाल की चपेट में है। बीकानेर जिले के 664 गांवों में से 549 गांव अकाल से प्रभावित हैं। बीकानेर जिले की करीब 12 लाख जनसंख्या में से करीब 9 लाख जनसंख्या अकाल से प्रभावित है। बड़ी भयंकर स्थिति है हमारे इलाके में और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वहां पर जो अधिकारी हैं वे बड़े बेरहम अधिकारी हैं। एक तरफ अकाल की स्थिति है और दूसरी तरफ हमारे वहां के गरीब लोगों से, हरिजन लोगों के ट्रेक्टर्स और जमीनें नीलाम करके बैंक के ऋण की वसूली की जा रही हैं। बड़े निष्क्रिय अधिकारी हैं कोई बात सुनते ही नहीं हैं वहां पर और जो वहां पर एस.डी.ओ नार्थ हैं वे नये अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, नये जोश में केवल एक ही रट लगा रखी है कि मुझे वसूली पूरी करनी है बैंक ऋण की और उनको यह ध्यान नहीं कि कितना बड़ा अकाल इस इलाके में पड़ा हुआ है, लोगों को इस वक्त राहत की आवश्यकता है। उस राहत देने की तरफ कोई ध्यान नहीं है। वहां पर पुराने टाइम पर सरपंच हुआ करते थे जो जनता की रखवाली, अकाल के टाइम में सहायता के काम आते थे। आज वहां पर न कोई सरपंच है काम करने वाला और केवल अधिकारी हैं वे गांवों में जाते नहीं, दौरा करते नहीं, उनको अकाल की स्थिति का कोई ध्यान नहीं। ऐसी हालत में आज जनता के सामने बहुत बड़ी तकलीफ है और यह सरकार जिस तरह से काम करती है, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस अकाल के अन्दर हमारे गरीब लोगों का कैसे रोजगार का साधन होगा। आज गांवों में भुखमरी की स्थिति है, आज पशुओं के लिए चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, आज पीने के पानी के लिए जो कर्मचारी रखे हुए हैं वे मौके पर हाजिर नहीं रहते, पीने का पानी लोगों को नहीं मिलता, यह गांवों की स्थिति है। अकाल राहत कमेटी की मीटिंग हुई। मैं बीकानेर जिले का मेरी पार्टी की तरफ से अकेला प्रतिनिधि हूं कोई बात सुनी नहीं जाती, देख लेंगे और बी.जे.पी. का कोई अदना सा आदमी आकर कहता है, यह काम हो जायेगा तो आप सोचिए सभापति महोदया, मैं ऐसी हालत में गरीब लोगों को कैसे राहत दिला सकता हूं। मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। मैंने सरकार के सामने और जिला कलक्टर को अकाल राहत कमेटी के अन्दर यह सुझाव दिये थे कि मेरे जिले के अन्दर जगह-जगह जहां अच्छे जोहड़े हैं जहां 4 महीने का 6 महीने का बरसात का पानी इकट्ठा हो सकता है ऐसे जोहड़ों की खुदाई का काम किया जाय. मैंने

(138)

(श्री भीमसेन चौधरी)

उनको सुझाव दिया था कि ढाणी छीला, ढाणी राइकान रानीसर, खोखराना, अजीतनाना, सुलेरा, करनाकी, कालवास, हरिजन बस्ती काकरालिया, एम.एफ.आर की, इन जोहड़ों की खुदाई के लिए मैंने सुझाव दिये थे। इसके अलावा, अकाल राहत कमेटी में पहले टाइम की जो अधूरी सड़कें पड़ी हुई हैं उन सड़कों को पूरा करने के लिए मैंने सुझाव दिये थे। खास तौर से उदासर से बगलू, रामसर से मूड़सर, नोरंगदेसर से नापासर, सेरेरा से राजेरा, पुरासर, रानीसर से कनरियासर, लाखूसर से कालासर, गुसाईसर से सेरेरा, महादेववाली से खारबास वाया रामसर कृष्णनगर, भलसेरा से खोखराणा ये अधूरी सड़कें हैं जिनके बारे में मैंने सुझाव दिये थे कि इनको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाय जिससे कि हरिजन भाइयों को और गांव में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको रोजगार के साधन मिल जाएं। लेकिन वहां पर कुछ पक्के काम शुरू किये हैं केवल स्कूल बिल्डिंग के और वे भी ठेके से काम शुरू किये जा रहे हैं। जो ग्राम सेवक काम करते हैं वे केवल ठेकेदारी से ठेका देकर काम शुरू करा रहे हैं लोगों को कोई मजदूरी नहीं मिल रही है। यह वहां पर स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और इस मुसीबत के समय में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया मेरे कुछ इलाके में नहरों का काम है और वहां पर कुछ नई माइनर, नई डिस्ट्रीब्यूटरीज मंजूर की हुई हैं जिनको बनानी है। तो मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि इससे उपयोगी कोई काम नहीं हो सकता कि वहां पर माइनिंग का काम शुरू किया जाय अकाल राहत के माध्यम से, मिट्टी का काम अकाल राहत में शुरू हो जाय तो मैं समझता हूं कि उपयोगी काम होगा और इसके साथ-साथ दो-तीन माइनर्स का काम स्वीकृत किया हुआ है वह आपको बनाना है, निर्माण करना है और उन काम को अगर आप अकाल राहत के कार्यों में शुरू कर सकें तो लोगों के लिए उपयोगी काम होगा और आइन्दा भी अकाल के सही हल के रूप में सहायता मिलेगी। ये जो काम हैं जैसे खारी माइनर है, शेरपुरा माइनर है कंवरसेन लिफ्ट नहर की आर. डी. 110 से वाटर कोर्स का विस्तार करना है, लाडेरा माइनर है, मेवाना वितरिका है, नगासर माइनर है यह काम प्रस्तावित हैं, अगर अकाल राहत के समय यह काम शुरू किये जा सकें तो मैं समझता हूं कि इससे उपयोगी काम दूसरा हो नहीं सकता। इसके अलावा हमारे इलाके में सारी संस्याएँ हैं ···· ···

श्री नरपतसिंह राजवी : सभापति महोदया, माननीय सदस्य जो लूणकरणसर क्षेत्र से आये हैं मेरे ख्याल से उनको यह ध्यान नहीं है कि लेफ्ट ओवर वर्क्स जितने भी सी. ए. डी. के 74 किलोमीटर के अबव के हैं उनका अलग से प्रोजेक्ट बन रहा है जितने भी सैक्शंड हैं, उनको उसी के आधार पर बनाएंगे। नहरी क्षेत्र के अन्दर अकाल के सम्बन्ध में कह रहे हैं जो समझ नहीं पा रहे।

श्री भीमसेन चौधरी : सभापति महोदया, मैं अपनी बात कह रहा हूं....

श्री सभापति : अकाल राहत मंत्री समझ लेंगे ।

श्री भीमसेन चौधरी : कि जिस इलाके में अकाल है जो गांव अकाल से प्रभावित हैं, और जहां पर माइनर के काम होने हैं....

श्री विष्णु मोदी : एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री सभापति : बोलने दीजिए, क्या व्यवस्था का प्रश्न है, बिराजिए आप ।

श्री विष्णु मोदी : आदरणीय राजवी साहब ने किस कैपेसिटी में जवाब दिया है अभी, जरा बता दें....

श्री सभापति : नहीं, वह जवाब नहीं दिया है ।

श्री नरपतसिंह राजवी : मैंने जानकारी दी है, कैपेसिटी तो एक विधायक की है । जिस कैपेसिटी से आपने पूछा है उसी कैपेसिटी से मैंने बताया है ।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय सभापति महोदया, मेरा टाइम जा रहा है । मैं निवेदन कर रहा था, माननीय राजवी साहब ने जो सुझाव दिया वह मेरे ध्यान में है लेकिन राजवी साहब को यह मालूम नहीं है कि मैं जो सुझाव दे रहा हूं वह अकाल प्रभावित गांव है, वह काम अकाल प्रभावित कामों में होने हैं । इसलिए अकाल के रूप में यह काम होना चाहिए । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सम्वत् 2025 में अकाल पड़ गया था और मैंने सुखाड़िया साहब से निवेदन किया था कि लिफ्ट कैनाल का काम शुरू कर दिया जाय । उन्होंने बड़ी मेहरबानी करके अकाल राहत के काम में लिफ्ट कैनाल का काम शुरू किया और सौ किलोमीटर इलाके में जगह-जगह कैम्प खोले और उसमें अर्थवर्क का काम हमने करवाया अकाल राहत के टाइम पर और दूसरे साल भी लगते साल ही अकाल पड़ गया । इस तरह से केवल 60 प्रतिशत काम कंवरसेन लिफ्ट नहर का अकाल राहत काम शुरू किया । इस तरह से मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो यह माइनर्स प्रस्तावित हैं इन माइनर्स के काम अकाल राहत के काम में लिए जायं, इस तरह से तो यह काम हो सकते हैं ।

एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि मेरे इलाके में खादी संस्था है, खादी संस्था बड़ा उपयोगी काम करती है । गांवों में महिलाओं को, बुनकरों को कताई का काम दिया जाय । खादी संस्थाओं के माध्यम से अकाल राहत के तहत सहायता दी जाय तो खादी संस्थाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार के साधन दिये जा सकते हैं ।

इसके अलावा उरमूल डेयरी है मेरे इलाके के अन्दर । सभापति महोदय, मुझे यह कहने में बड़ा दुःख हो रहा है कि आर. सी. डी. एफ. ने इंतजाम किया है एन. डी. डी. बी. को उसे दे दिया है, उरमूल डेयरी हमारी जो मुनाफे में चल रही थी उस उरमूल डेयरी के पैसे को एन. डी. डी. बी. को दे दिया गया । हमारे किसानों का पौने तीन करोड़ रुपया उरमूल डेयरी का आर. सी. डी. एफ. में बकाया है, वह किसानों को नहीं मिल रहा है ।

(श्री भीमसेन चौधरी)
एक तरफ अकाल की मार है और दूसरी तरफ पशुपालकों को उनके दूध का वाजिब पैसा नहीं मिल रहा है, आर. सी. डी. एफ. द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इतना बड़ा अन्याय उन किसानों के साथ हो रहा है इस अकाल के टाइम में, इस तरफ ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बीकानेर जिले में किसानों ने कुएं खुदवा रखे हैं, कुओं में पानी आ गया है, किसानों ने पैसे जमा करवा रखे हैं बिजली का कनेक्शन लेने के लिए, उनके मगर इस अकाल के टाइम में कनेक्शन मिल जायं तो मैं समझता हूं कि वह चारा पैदा कर सकते हैं और अपने पशुओं को बचा सकते हैं, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। विशेष तौर से जब अकाल के टाइम पर जो कुएं खुदे हुए हैं उनमें पानी आ रहा है उनको अगर आप कनेक्शन दे दें तो 15 दिन के अन्दर वह चारा पैदा कर सकते हैं और पशुधन की रक्षा की जा सकती है। सरकार द्वारा इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मेरे इलाके में 7 गांव ऐसे हैं जिनमें अण्डर ग्राउण्ड पानी मीठा है जहां खेती के काम के लिए उस पानी का उपयोग किया जा सकता है। लूणकरणसर तहसील में शेखसर, खोडाला, गोपलान, धीरदार, मनाफरसर, अंगपुरा, पांडूसर, करणीसर, इन गांवों में खूब पानी है। यहां पर कुओं से सिंचाई के लिए अकाल सहायता के रूप में सरकार पैसा दे सके एक विशेष संगठन योजना द्वारा योजना बनाकर नाबार्ड के सहयोग से इन सात गांवों के लिए योजना बनायी जा सके और कुछ किया जा सके, क्रियान्विति की जाय तो मैं समझता हूं कि अकाल का स्थायी हल होगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : आदरणीय सभापति जी, अलवर अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बहुत ही सुन्दर है हरियाली के नाम से जाना जाता है। अलवर में खानों का सबसे बड़ा महत्व है। व्यापार के मामले में खानों में ऐसी चीजें और पत्थर निकलते हैं जिन्हें अलवर से बाहर सप्लाई किया जाता है, काफी अच्छा बिजनेस है। डोलामाइट है, सोप-स्टोन है, ग्रेनाइट है, मकान निर्माण का है, स्लेब्स का है, सीमेन्ट वगैरह का पत्थर वहां पर है। मगर सबसे बड़ी परेशानी सामने आ जाती है कि कुछ कच्ची बस्तियों में वह फैक्टरियां लगी हुई हैं उनके कारण से पर्यावरण, प्रदूषित हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना है कि ऐसी जगहों पर जो खानें लगी हुई है, कच्ची बस्तियों के अन्दर लगी हुई हैं उनको बन्द करवाया जाय, फैक्टरियों को वहां से हटाया जाय ताकि वहां पर कोई बीमारियां और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर न पड़े।

दूसरा सुझाव और देना चाहती हूं कि खानों और फैक्टरियों में मजदूरों को दिन भर वहां मेहनत करने के बाद 15 रुपये से ज्यादा नहीं मिलते हैं। वहां पर

(श्रीमती मीना अग्रवाल)
जो महिलाएं और बच्चे काम करते रहते हैं उनके साथ भी शोषण हो रहा है जबकि हमारे नियमों में है कि 22 रुपये एक मजदूर को कम से मजदूरी मिलनी चाहिए मगर वहां उनको नहीं मिलती है। नियमों के आधार पर न दवाइयां मिलती हैं और न उनके साथ आने वाले छोटे-छोटे बच्चों के लिए बैठने आदि की व्यवस्था होती है न स्कूल की व्यवस्था है, इस प्रकार से खान मालिकों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। खान मालिकों से कई बार इस बारे में मिला गया मगर वहां पर कोई सुनवाई नहीं है। महिलाओं ने इस बारे में वहां पर हड़ताल भी की।

अकाल राहत कार्यों के तहत एक सुझाव यह भी देना चाहती हूं कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, न कोई टैंक की व्यवस्था है, न मजदूरों की, सड़कों की, दवाइयों वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है। मैं मांग करती हूं कि यह सब मजदूरों को मिलनी चाहिये।

अलवर के पहाड़ों का पानी बरसात के दिनों इतना बहकर आता है कि सारी सड़क रुक जाती है। उस पानी को इकट्ठा करके तालाब में भरें ताकि पशु-पक्षी व अन्य के काम आ सके, वह पानी व्यर्थ नहीं जाये।

इसके अलावा एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि आज मैंने पेपर में पढ़ा। अलवर के बारे में 3 दिन पहले मैंने एक काण्ड यहां पर रखा था कि 8 साल की बच्ची, जूली नाम की लड़की के साथ वहां पर बलात्कार हुआ था, उस सम्बन्ध में अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई, कोई अरेस्ट नहीं हुए, और परसों फिर खैरथल में, जो अलवर जिले में है वहां पर गांव में फिर एक लड़की, 8-9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है। बलात्कार करने वालों को पकड़ लिया गया लेकिन पकड़ने के बाद भी पुलिस हिरासत से भाग गया। पुलिस प्रशासन बहुत निष्क्रिय है, पुलिस प्रशासन इस बारे में कोई कारवाई नहीं कर रहा है। आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि पुलिस विभाग जो निष्क्रिय है, दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाय। और उस थाने में कार्यरत व्यक्तियों को निलम्बित किया जाय। मैं यह भी मांग करना चाहती हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अलवर के बारे में यह कहना चाहती हूँ कि वहां बच्ची, बूढ़ी, जवान किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है, हर तरह से उनका शोषण हो रहा है। मैं इस सम्बन्ध में आपसे यह मांग भी करना चाहती हूं कि....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : सभापति महोदया, पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्रीमती मीना अग्रवाल : सुनिए, आप महिलाओं के बीच में क्यों बोल रहे हैं ? आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री जगदीप धनखड़ : एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, सरकार है ही नहीं। सरकार का कोई कैबिनेट मिनिस्टर सदन में नहीं है।

श्री नरपतसिंह राजवी : सभापति महोदया, सरकार के बारे में धनकड़ साहब को चिन्ता कैसे हुई ? .... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनकड़ : सीट पर माने जाते हैं।

श्री नरपतसिंह राजवी : सरकार के बारे में आपको चिन्ता कैसे हुई ?

श्री सभापति : आप मीनाजी को बोलने नहीं दे रहे हैं (व्यवधान)

माननीय सदस्य, एक बात का ध्यान रखिए.... (व्यवधान) माननीय सदस्य, एक बात का ध्यान रखिए.... (व्यवधान) .... आप सुनिए। देखिए, यह विषय चल रहा है, आप सुन लें पहले यह विषय है अकाल का और खनिज विभाग का, आप विषयान्तर बात नहीं करें। बिराज जायं आप।

श्रीमती मीना अग्रवाल : जरूरी समझती हूं ... (व्यवधान)

श्री सभापति : यह विषयान्तर बात नहीं करें। बिराजिए। (व्यवधान)

श्री भगवान दास डोसी। (व्यवधान) देखिए अलवर से महिला जीत कर आई हैं वह सब सम्भाल लेगी। आप बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह कितनी अफसोस की बात है।

श्री सभापति : आप पैरवी नहीं करें।

श्री जगदीप धनकड़ : पैरवी राजस्थान की जनता की करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : जब खान मंत्री हैं ही नहीं तो बस क्या करें।

श्री सभापति : आप बिराजें, अलवर से महिला जीत कर आई हैं वह सारा सम्भाल लेंगी। आप चिन्ता नहीं करें।

श्री घासीराम यादव : खान मंत्री हैं ही नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप उनको कहने ही नहीं देते हैं अपनी बात। (व्यवधान) आप बिराजें।

श्री घासीराम यादव : खान मंत्रीजी आ गए हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या को मौका दें उनकी बात अधूरी रह गई है।

श्री सभापति : आप माननीय सदस्य बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बात अधूरी रह गई है उनको पूरी करने दें।

श्री सभापति : आप वकालत नहीं करें, बिराजें। देखिए, आप सुनिए, श्री डोसीजी बोल रहे हैं।

श्री भगवान दास (चौहटन) : सभापति महोदया, बाड़मेर जिले में भयंकर अकाल है, लगातार अकाल है और मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन में भी भयंकर अकाल है। अभी तक अकाल के नाम पर थोड़े काम खोले गए हैं। पूर्व वर्षों में जितने अकाल कार्य खोले जाते थे वैसे नहीं खोले गए हैं। पहले के अकाल के वर्षों में मार्च माह में एक लाख के करीब मजदूर बाड़मेर जिले में लगते थे। आबादी बढ़ी है फिर भी बाड़मेर जिले की सीमा अभी

(श्री भगवान दास)
14–15 हजार की है और पर्याप्त मात्रा में अकाल कार्य नहीं खोले गए हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, अकाल की व्यवस्था पहले के मुकाबले ठीक नहीं है। पहले हमारे इलाके में मंत्रीजी आकर अकाल के कार्य खोलते थे और सुचारू रूप से चलते थे। अभी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। मई, जून, जुलाई तक दो लाख तक बाड़मेर जिले से मजदूर लगते थे, अभी तक उसके मुकाबले कुछ नहीं है। मजदूरी के रेट भी

श्री परसराम मदेरणा : जून में लगते थे ना, जून तो अभी आगे है।

श्री भगवान दास : एक लाख मजदूर तो इन दिनों में लग जाते थे।

श्री परसराम मदेरणा : "लाख लखारो देखसी क्यूं बड़-पीपल सा" लाख कहां हो जाते हैं ?

श्री भगवान दास : आप भी अकालमंत्री थे और वहां आकर कार्य खोले थे।

श्री परसराम मदेरणा : राई का भाव रात गया।

श्री भगवान दास : यह हकीकत है, जो कहनी पड़ती है। बाड़मेर जिला एक ऐसा जिला है जिसमें कोई 100 साल में 7 जमाने आते हैं, बाकी अकाल और करवरिये-करवरिये पड़ते हैं 100 साल में संख्या है कि "सात सुकाल, 27 अकाल, 63 किया काचा, तीन भयंकर ऐसा पड़े जो मां-पूत मरे न पाछा" इसलिए बाड़मेर जिला अकाल का घर है वहां अन्य जिलों के मुकाबले अकाल के काम नहीं खोले गये, न पानी की व्यवस्था है न चारे की व्यवस्था है। चौहटन तहसील में सिर्फ दो टैंकर हैं वे भी खराब पड़े हुए हैं। अब तक इनकी मरम्मत नहीं हुई है, टैंकर खराब पड़े हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है। सुना है, चारे का डिपो खुलेगा। मजदूर तो गुजरात और पता नहीं कहां-कहां गये हैं। चारे की व्यवस्था....

श्री सभापति : आप आपस में बातचीत नहीं करें। सुनिये।

श्री भगवानदास : 43-44 संवत् में भयंकर अकाल पड़ा था। 70,000 गायों को शिविरों को बचाया गया था, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : उसके मुकाबले बहुत काम हो गया।

श्री भगवान दास : अकाल राहत कार्य में सड़कें बनती थीं, वे 7-8 साल से बन्द कर दी। सड़कों का भारी अभाव है। 43-44 संवत् में सिंचाई के 6,000 कुएं बाड़मेर में बने थे, टांके बने थे, पीने के पानी के टैंकर लगे थे मेरा निवेदन है, उसके मुकाबले बहुत कम काम खोले हैं।

श्री परसराम मदेरणा : काम तो बहुत कम खुले हैं लेकिन आदमी जो गुजरात में मजदूरी के लिए पलायन कर गये हैं वे कितने गये हैं बाड़मेर जिले से ?

श्री भगवान दास : काफी गये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : एक लाख लोग गये हैं।

श्री भगवान दास : खूब आदमी बाहर गये हैं।

१५५

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य जो काश्तकार गुजरात गये हैं वे सिवाना होते हुए भी गुजरात जाते हैं....

श्री हरिसिंह सोढ़ा (शिव) : गुजरात से आते हैं (व्यवधान)....

श्री सभापति : आदत है जाने की ।

श्री परसराम मदेरणा : जब लोग गुजरात जाने वाले हैं तो आप यहां किसलिए काम खुलवा रहे हैं? गुजरात इसलिए गये कि आपके काम के लिए इन्तजार कर रहे थे दीवाली तक, उसके बाद तक इन्तजार कर रहे थे । आपकी सरकार ने उसके बाद में काम नहीं खोले तो वहां मजदूरी करने के लिए गये हैं । बाड़मेर से रोज जाते हैं ।

श्री भगवानदास : गुजरात जाने का एक कारण यह भी है कि हमारे यहां अभी तक मजदूरी की रेट बहुत कम है । यहां 22 रुपये की मजदूरी है जबकि बाहर से लोग 40-50 रुपया कमाकर लाते हैं मजदूरी की रेट आज महगाई के हिसाब से बहुत कम होने के कारण 3 साल में अकाल के काम नहीं खुलेंगे तो लो बाहर जायेंगे ही अकाल तो पडते ही रहते हैं लोग जाते ही रहते हैं । इस वास्ते लोग बाहर गये और चौहटन क्षेत्र की एक ओर बात कहूं जैसे वहां 40-60 के रेशिओं में रोड्स का काम हुआ है एक ही खान है मुरड की चौहटन में वह भी खतम होने जा रही है तो 40-60 मे रोड्स नहीं बनी । हमारे इलाके में रोडस की बड़ी भारी कमी है तो रोडस के वास्ते पूरे जिले में 40 60 का रेशिओ रखा जाय तो रोड हो सकती है ।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि पर्याप्त मात्रा में पानी का इन्तजाम नहीं किया गया तथा आने वाली गर्मी में ट्रेक्टर ठीक नहीं कराये और ट्रेक्टर की मरम्मत नहीं कराई, ऐसे तो दो ट्रेक्टर हैं तहसील में, लेकिन तहसील में 5-6 ट्रेक्टर होने चाहिये लेकिन जो दो हैं वे दोनों भी खराब हैं और पानी की पूरी दिक्कत रहती है । आधी तहसील खारे पानी की है और ट्रेक्टरों से हमेशा पानी पहुँचता है इसलिए पानी की पूरी व्यवस्था की जाय । पानी के टैंकर ठीक कराये जाय, मरम्मत कराई जाय । अन्त में यह भी कहूंगा कि अकाल से पहले पूरी व्यवस्था की जाय । जय हिन्द ।

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता): सभापति महोदय आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी मातृ भाषा में, राजस्थानी में बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री रामनारायण डूडी। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : धन्यवाद पर तो बात ठीक है, वो तो ग्रोथ का मामला दूसरा था । माननीय सदस्य अपनी भाषा में बोल सकते हैं । आप डाइलेक्ट में भी बोल सकते हैं । (व्यवधान) यहां पर सबको छूट है । हां हां, बिल्कुल बोल सकते हैं ।

श्री भंवरसिंह चौधरी : आपको भी धन्यवाद ।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : सभापति महोदय, आज सदन में अकाल और खनिज पर चर्चा हो रही है । मुझे यह लगता है कि सरकार अकाल के मामले में

(श्री रामनारायण डूडी)

बिलकुल ही विजिलेन्ट नहीं लग रही है, इनका कोई मानस नहीं है कि राजस्थान के अन्दर और विशेषकर जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिला, जहां बहुत ही इफेक्टेड एरिया है और उस एरिया के अन्दर यह फेमिन जिस प्रकार से आज दिन तक, फेमिन का मतलब है भादवा-आसोज के महीने में बरसात नहीं होवे और उस समय में पता लग जाय कि अकाल पड़ा या नहीं पड़ा और जब दिसम्बर में सरकार बनी, मान लो अक्टूबर-नवम्बर में ये गिरदावरी नहीं करा सके, परन्तु दिसम्बर में पूरी गिरदावरी हुई और कौन-कौनसे गांव फेमिन इफेक्टेड हैं, यह सारी जानकारी सरकार को मिली और उसके उपरान्त भी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे भोपालगढ़ क्षेत्र के अन्दर ......(व्यवधान)...... मंत्री महोदय, जरा सुनें आप। भोपालगढ़ क्षेत्र के अन्दर 19 पंचायतें हैं भोपालगढ़ पंचायत समिति की और 22 पंचायतें ओसियां पंचायत-समिति की है और इन पूरी 41 पंचायतों में फेमिन के कितने आदमी लगे हुए हैं ? आपने अधूरे कामों की लिस्ट दी और वह लिस्ट मेरे पास भी है जो स्वीकृत किये पंचायत, समिति के माध्यम से। पंचायतों के माध्यम से जो काम चल रहे हैं उन पर कहीं 10 लेबर, कहीं 5 लेबर, कहीं 15 लेबर, और कुल लेबर मेरी पंचायत में अभी वह करीब 440 लेबर, 440 लेबर भी आप पता करवा लें, फेमिन में अधूरे काम, पक्के काम थे, ये वे ही काम हैं जो पहले ही या तो टांका करना बाकी रह गया या सीमेण्ट करनी बाकी रह गयी या कुछ दरवाजे बाकी रह गये और 440 आदमी भी लगे या नहीं लगे, यह हकीकत है और इसी को यदि आप समझते हैं कि फेमिन के अन्दर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, फेमिन में काम हो रहा है, आपका कहीं सड़कों के काम नहीं खोला है, कहीं आपका चारे का डिपो नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। जहां ढाणियों के अन्दर लोग रहते हैं, कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं। साथ ही जो आपका फेमिन कोड है, उनके मुताबिक सब व्यवस्था फेमिन मंत्रीजी के अधीन होती है। चाहे चारा हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो यह सारी की सारी एक दूसरे से मिलीजुली व्यवस्था है। आपकी स्कीम्स बनी हुई हैं, अकाल के समय मे आदमी मजदूरी को जाते हैं तो पानी की व्यवस्था नहीं। सड़कें जो लम्बी-लम्बी, आपको मजदूर लगाने के लिए सड़कें स्वीकृत करनी होंगी जिससे 10-10, 5-5 गांव कवर हो और यदि वास्तव में आपकी फेमिन खोलने की मंशा है तो आप सड़कों की स्वीकृति देकर कलक्टर्स को आदेश दीजिये। आपने एनीकट्स और छोटे-छोटे बांध के ऊपर रोक लगा रखी है, जो भी काम जिसमें मजदूर एंगेज हो सकता है, उन सारे कामों पर आपने सीलिंग लगा रखी है और एक भी स्वीकृत नहीं है। आप फेमिन कहां खोलना चाहते हैं ? यदि फेमिन खोलना है, तो जिस दिन से एरिया फेमिन इफेक्टेड है उस दिन से आपको फेमिन के अन्दर असिस्टेंस देनी चाहिये। आप कहते हैं एनीकट्स के अन्दर बी.सी. रेशियो नहीं बैठता है। आपको मजदूर लगाना है या बी. सी. रेशियो की बात करनी है ? जो भी एनीकट्स बनाने हैं, पहले जो बने उनका फ्रूटफुल रिजल्ट है, वे अच्छे सफल हुए हैं. उनका इन्डायरेक्टली एग्रीकल्चर पोटेन्शियल बढ़ा है,

(श्री रामनारायण डूडी)
इन्डाइरेक्टली वाटर लेवल बढ़ा है और जहां चारों तरफ से पानी का डिस्चार्जेज हो रहा है, डिवाटरिंग हो रहा है तो ऐसे समय में आप ये छोटे-छोटे एनीकट्स हैं, बंधे है, नाले हैं उनको टेप नहीं करेंगे तो आपका डिस्चार्ज होगा कैसे ?

मंत्री महोदय, आपको उन दिनों की ओर वापस देखना पड़ेगा । जब सन 1925-26 में अकाल पड़ा । चाहे बाड़मेर जिला हो जोधपुर या जेसलमेर हो, जो आज कहते हैं कि फेमिन के नाम पर लूट-खसोट हुई । मैं आपको कहता हूं लूट-खसोट नहीं बड़ी-बड़ी सड़कें बनीं और आवागमन के साधन बढ़े और आज जो काली डामर की सड़कें हैं ये फेमिन की ही देन है । पक्के काम हुए बांध बने, पानी के डिस्चार्ज से जो एरिया डवलप हुआ है वह फेमिन के पक्के काम से हुआ है । जो काम नहीं करना चाहते हैं वे ऐसी थोथी बातें करते हैं ।

सभापति महोदया, मैं पानी के संबंध में भी निवेदन करना चाहता हूँ । आज जहां कहीं भी अपनी स्कीम बनी है बिजली की कमी के कारण पूरे वोल्टेज नहीं मिलने की वजह से वे चल नहीं पा रही हैं । जहां कहीं भी पानी की पी.एच.ई.डी की स्कीम्स हैं वहां अलग से लाइनें डालकर उन कुओं को बिजली दी जाय ताकि वोल्टेज ज्यादा मिले जिससे पानी की व्यवस्था की जा सके ।

मैं खनिज के मामले में भी निवेदन करना चाहता हूं । खनिज के मामले में जो पुरानी व्यवस्था है जो भी लीजेज हैं, जो भी लीज होल्डर्स हैं जिनका कि आधि-पत्य है । मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि सर्वे कराकर जिन गांवों के बेरोजगार लड़के जो पीढ़ियों से उस जमीन का उपयोग करते आये हैं उनकी प्रायरिटी दी जाय और दूसरा खनिज काश्तकार की खेती के अन्दर, काश्तकार के रकबों, खसरा के अन्दर है, वे दो नम्बर से निकालकर दूसरों को बेचते हैं । क्यों नहीं उन लोगों को, काश्तकारों को वहां खनिज है चाहे चूने का भण्डार हो या दूसरे और कोई खनिज हो उनको आप व्यवस्था कर के लाइसेंस दीजिए ताकि वे अपना धन्धा कर सकें, यही मेरा निवेदन है ।

श्री सभापति : श्री जगदीश चन्द दरक !

श्री जगदीश चन्द्र दरक (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदया, अकाल राहत कार्य के अन्दर राजस्थान सरकार ने काफी काम खोले उसके लिए तो मैं उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं । अकाल राहत कार्य का अगर विवेचन किया जाय तो तीन चीजें प्रमुख आती हैं । मेरा विधान सभा क्षेत्र, जो करीब 3 लाख की आबादी का क्षेत्र है, उसमें किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहां का व्यक्ति तीन चीजों की मांग करता है । पीने के लिए पानी, जीविका के लिए मजदूरी और अपने पशुओं के लिए चारा । बाकी बहुत सी कुछ आवश्यकताएं हैं परन्तु अकाल राहत कार्य चूंकि 31 जुलाई तक माना जा रहा है इसलिए तीन चीजों की परिपूर्ण करना परमावश्यक है । आज की स्थिति यह है कि भीलवाड़ा जिला पूर्ण रूप से अकाल से ग्रसित है । भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र भी अकाल से पूर्ण रूप से ग्रसित है ।

(श्री जगदीश चन्द्र दरक)

जहां 30-35 इंच बरसात होती थी वहां इस साल 10-12 इंच भी बरसात नहीं हुई है और शहरी क्षेत्र भीलवाड़ा नगर भी पानी की समस्या से पूर्ण रूप से ग्रसित है। मेजा डैम में जिस समय 32 फीट पानी भर जाता था जिससे सारे शहर को पानी पीने को मिलता था, साथ में सिंचाई का भी थोड़ा बहुत साधन उपलब्ध हो जाता था। आज वाली 8 फीट पानी से भरा हुआ है जिसके अन्दर 4-5 फीट मिट्टी जो वर्षों से आज तक जमा हो गई है वह भरी हुई है। पानी की समस्या भीलवाड़ा नगर क्षेत्र में भयंकर रूप से है। उसके निदान के लिए पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उसकी कुछ योजना ए जो इमीडिएट सोल्व के रूप में यहां प्रान्त में भेजी गई हैं विभाग में पड़ी हैं वे तत्काल लागू की जाय, तत्काल उनका निवारण किया जाय और पानी की सुविधा शहरी क्षेत्र को भी आसानी से उपलब्ध करायी जाय। वहां का नागरिक जो आराम से पानी पीता था वह 2-3 फीट गहरे खड्ड खोदकर किसी तरह एक आध घण्टा पानी से ही जीवन निर्वाह कर रहे हैं। उनको सही ढंग से पानी उपलब्ध कराया जाय।

ग्रामीण क्षेत्र में सारे कुएं, तालाब भयंकर रूप से सूख गए हैं। हैण्ड पम्प भी जहां 100-150 फीट में आराम से पानी आ जाता था आज 300-200 फीट के बाद भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है। डिपार्टमेंट की जो ड्रिलिंग मशीनें आती हैं वे 200-250 फीट से ऊपर खोदने में असमर्थ रहती हैं। यहां डिपार्टमेंट के आफिसर्स बिराजमान हैं और पी एच.ई.डी. के मंत्री महोदय से निवेदन है कि अगर डिपार्टमेंट के पास हैवी ड्रिलिंग मशीन नहीं हो तो कहीं से भी लायी जाय और नहीं तो प्राइवेट क्षेत्र में इस तरह के इमीडियट टेण्डर्स काल करके ज्यादा से ज्यादा हैण्ड पम्प ग्रामीण क्षेत्र को उपलब्ध कराये जाय। क्योंकि अगर किसी तरह से इजिली पानी उपलब्ध हो सकता है तो वह हैण्ड पम्प से किया जा सकता है।

दूसरा है, ट्यूब वैल्स। ट्यूब वैल के अन्दर भी स्थिति यह बनती जा रही है कि वाटर लेवल नीचे जाने से जितना ट्यूब वैल में पानी आता था उसमें पाइप लाइन्स भी योजना की लगाई गई थी। परन्तु मेरा एक निवेदन है कितने ही हैण्ड पम्प्स और ट्यूब वैल्स पाइप की शोर्टेज की वजह से पानी निकाल नहीं पाते हैं। हैण्ड पम्प पर औरतें तंग हो जाती हैं, बहुत मुश्किल में पानी निकलता है। तो डिपार्टमेंट उन सभी जगह पर ज्यादा से ज्यादा स्पेयर पाइप्स भी उपलब्ध कराये ताकि जहां पाइप्स की कमी हैं उनको इमीडिएट पाइप लाइन डालकर राहत दी जा सके। ट्यूब वैल्स में भी ग्रामीण क्षेत्र में टी. एस. एस. योजना के अन्तर्गत पंचायत स्तर पर जो पाइप लाइन लगायी गयी है वहां भी एस. सी., एस. टी. की बस्तियों में पाइप लाइन नहीं गयी है जबकि एक प्रोविजन है कि एस. सी. एस. टी. की बस्तियों के लिए पाइप लाइन तत्काल प्रोवाइड की जानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि एस. टी., एस. सी. हरिजनों के लिए जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पाइप का

(श्री जगदीश चन्द्र दरक)

भेजी जाय ताकि टी. एस. एस. योजनाएं जिन पंचायतों में लगी हुई हैं एस. सी., एस. टी. की बस्तियों में पानी सुलभ हो सके। इसके साथ जो काश्तकार पानी की उपलब्धि के लिए कुएं खुदवाना चाहता है, सिंचाई के लिए, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि वे किनसे खुदवाये। ट्रैक्टर कम्प्रेसर जो यूज होने हैं उनको तो वहां पर एक्सक्लूजिव पर बेन होने से कोई अलाउ नहीं करता, कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि ट्रैक्टर कम्प्रेसर कहीं ले जाने की कोशिश करते है, खोदने की कोशिश करते हैं।

(15.49)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी उनको पकड़कर नाजायज रूप से पैसा वसूल करते हैं और आज जो सबसे बड़ी समस्या है उनको लीगल रिपोर्ट नहीं होने से ट्रैक्टर कम्प्रेसर अपने एरिया से बिलकुल भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं और डिपार्टमेंट के पास ये कम्प्रेसर की मशीनें इतनी कमजोर और इतनी कम हैं कि वे कुआं खुदवाने वाले किसान भाइयों को प्रोवाइड नहीं कर सकते महाराष्ट्र में मैंने देखा है कि वहां पर गवर्नमेंट लेवल पर ज्यादा से ज्यादा कुएं खोदने के लिए वहां मशीनें उपलब्ध कराई जाती हैं। मेरा निवेदन है कि डिपार्टमेंट से कम्प्रेसर की मशीनें जो उनके ट्रक्स पर लोडिंग होती है ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र को अच्छे ढंग से कुआं खोदने के लिए उपलब्ध कराये या एक्सक्लूजिव का यूज सही ढंग से हो सके। काश्तकार को लाइसेंस दें या ट्रैक्टर कम्प्रेसर को लाइसेंस दें, लीगल रूप में उनको काम करने के हिसाब से देखें और उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय।

तीसरा, जो अकाल राहत की आवश्यकता है वह यह है कि हर व्यक्ति काम मांग रहा है। क्योंकि खेती सूखी हुई है, खाने-पीने के अनाज की कमी है, श्रमिक बेकार हैं, किसान बेकार हैं, मजदूर बेकार है। वह यह चाहता है कि मुझे किसी तरह से अकाल राहत पर मजदूरी मिले ताकि वह 22-24 रुपए प्राप्त कर सके, 14 से 22 की रेंज में जो भी प्राप्त हो जाए उससे किसी तरह से अपनी जीविका का उपार्जन कर सके। मजदूरी जो उपलब्ध करायी जाती है वह मुख्य रूप से सड़कों के रूप में, एनीकट बनाने के रूप में, विद्यालय भवन के रूप में, होस्पिटल रूम बनाने के रूप में और स्कूल्स् के कमरे बनाने के रूप में है। परन्तु हमें ज्यादा से ज्यादा इस काम के अन्दर कलक्टर महोदय के जरिये यह निर्देश मिलते है कि पक्के से पक्का काम इस अकाल राहत में कराया जाय। मैं अपने से पूर्व वक्ता की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि श्रमिकों को वाजिब मजदूरी मिलती रहे ज्यादा से ज्यादा श्रमिक यूज हों, क्योंकि इस अकाल राहत का जो मैन मुद्दा है वह यह है कि किसी भी तरह से ग्रामीण जनता जिसकी खेती-बाड़ी नष्ट हो गई है, जो काम नहीं कर पा रहे है उसको श्रमिकता के रूप में पारितोषिक देकर किसी तरह से उसकी आजीविका चलाई जाए। तो इसमें ऐसे कार्य ज्यादा लिये जायं जिसमें वहां के क्षेत्र के श्रमिक ज्यादा यूज हों और उनको पारिश्रमिक मिले और ज्यादा से ज्यादा सड़कों का निर्माण हो सकता है। सड़कों के निर्माण में कंकरीट की रोड्स हम ज्यादा लें, एनीकट्स

(श्री जगदीश चन्द्र दरक)

बनवायें । एनीकट्स के मामले में भी मेरा एक निवेदन है कि आज कितने क्षेत्र में एनीकट अधूरे बने हुए पड़े हैं, सात-सात लाख रुपये डिपार्टमेंट ने लगाये हैं और अधूरे पड़े हैं। परन्तु एक सर्कुलर की वजह से सिंचाई विभाग आज उन एनीकट्स को अकाल राहत कार्य में लेने से हिचकिचा रहा है। वह यह कहता है कि हमारे को एनीकटस बनाने की परमीशन नहीं है। पर पूर्व मंत्री महोदय ने जैसा कहा, अधूरे एनीकट के लिए नया सर्कुलर भेजकर डिपार्टमेंट को वह आगाह कर देगें कि इनको हाथ में लिया जाय। एक सबसे बड़ी बाधा सिंचाई विभाग और कर रहा है, वह कहते हैं कि हम आपके जो दूसरे तालाब हैं उनका काम तो ले सकते हैं परन्तु उसमें एक क्लाज है नीचे, कि 'इसकी देख रेख भी आप करते रहेंगे, हम करते रहेंगे। इस क्लाज को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो एक छोटी सी टेक्नीकल मिस्टेक की वजह से कितनी बार तालाब जो गांव के अन्दर बने हुए हैं जिनमें आज काम कराना आवश्यक है, अकाल राहत कार्यों के तहत वह सारे तालाब सही ढंग से बन जायेंगे, उनकी मोरियां अच्छी हो जायेंगी, उनकी जो रपट्स है वह सही बन जायेंगी तो कार्य के लिए इस तरह के जो छोटे-मोटे क्लाज लगाये गये हैं उनको अवाइड कराया जाय और कोई भी डिपार्टमेंट जो इसको कर सकता है उसको सक्षम करके इस कार्य को जल्दी हाथ में लेना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

चौथा, अकाल राहत के कार्य में जो सबसे बड़ा आहार है पशुओं का घास और चारे की समस्या है, मेरा क्षेत्र भी इससे पूर्ण रूप से ग्रसित है। वहां पर जिले के अन्दर छह-सात चारा केन्द्र खोलने की घोषणा हुई है, कलक्टर महोदय के द्वारा आदेश भी जारी हुए हैं पर छह-सात केन्द्र खोलने से काम नहीं चलेगा। आठ तहसीलें हैं, कम से कम 16 केन्द्र, एक तहसील को दो केन्द्र चारे के अवश्य मिलें और उनके प्रमुख स्थानों पर घास की उपलब्धि नहीं कराई जायेगी तो पशुधन बरबाद हो जायेगा और किसान का जो परम साथी पशु होता है उसको अगर हमने नहीं बचाया, उसके प्रति हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो यह भी एक बहुत बड़ा अपने आप में इस देश का और इस राज्य का नुकसान होगा। अतः मेरा निवेदन है कि प्रत्येक तहसील को दो चारा केन्द्र अवश्य मिलने चाहिए और उसी तरह से वहां से आदेश प्रसारित होने चाहिए।

पांचवां, मैं खनिज के मामले में बोलना चाहता हूं। मैं उस क्षेत्र भीलवाड़ा से आया हूँ जहां राजस्थान में खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और उस खनिज में मेरी तो यह मान्यता है कि अगर हम कानून का सही ढंग से पालना करायें जिस तरीके से सी. बी. आई. और दूसरे तरह के इन्स्टीट्यूशन अपनी चैकिंग के रूप में बनते हैं उसी तरह से इन्टेलीजेंस ब्यूरो फोर माइन्स एक अलग डिपार्टमेंट बनना चाहिए। आज सीधे यह देखा जा रहा है कि जिस क्षेत्र में माइन्स हैं वहां का पुलिस डिपार्टमेंट भी उसमें मिल जाता है, वहां के माइन्स इंजीनियर भी उसमें मिल जाते हैं, आफिसर्स भी उसके साथ

(150)

श्री जगदीश चन्द्र दरक)

मिल जाते हैं और अनाप-शनाप रूप से अवैध खनन हो रहा है और मेरी तो यह मान्यता है कि 3040 करोड़ रुपये का जो घाटा इस बजट में दिग्दर्शित है अगर हम इस माइन्स पर सही और अच्छे ढंग से नियंत्रण कर लें तो इन्कम इतनी हो सकती कि राजस्थान सरकार के बजट में घाटा कहीं प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं रहे। इसलिए इसके लिए अलग से एक ब्यूरो बनना चाहिए और वह इमीजियेट जितने माइनिंग एरियाज हैं वहां चैकिंग शुरू करें। इसको न तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट को सौंपा जाय, न माइनिंग इंजीनियर पर डिपेण्ड रहा जाय, न उस जिले के आफिसर्स पर डिपेण्ड रहा जाय। इसके लिए एक अलग से ब्यूरो निर्माण किया जाना चाहिए। माइंस डिपार्टमेंट के मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है इस माइन्स में जो भयकर चोरी हो रही है, रायल्टीज की, सेल्स टैक्स की और विभिन्न तरह की, जिससे अरबों रुपयों का नुकसान राजस्थान सरकार को हो रहा है उसको रोकने का इसी तरह का एक प्रबन्ध अवश्य किया जाना चाहिए। इसी निवेदन के साथ आपने जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री फतेह सिंह।

श्री फतेह सिंह : श्री दलीचन्द का नाम है।

श्री अध्यक्ष : आप बोल लिए ? श्री पूंजा लाल [आ रहा है नाम, आ जायेगा। आप बोल चुके हैं।

श्री पूंजा लाल (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, आज जो अकाल से संबंधित चर्चा हो रही है उसमें मैं भी अपने आप को सम्मिलित करते हुए निवेदन करता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा, जो जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत आता है, वह क्षेत्र भी अकालग्रस्त घोषित हो रखा है यद्यपि अकाल हर दूसरे-तीसरे साल पड़ते आये हैं और हमेशा यह स्थिति बनती रहती है। लेकिन कभी किसी सरकार ने उसके स्थायी समाधान के लिए कोशिश करने का इरादा नहीं किया। मैं यह चाहता हूं कि वह पहाड़ी क्षेत्र है, वहां नदी-नाले भी बहते हैं, बारहों मास पानी नदियों और नालों में रहता है और माही डैम भी उस क्षेत्र के अन्दर है, लेकिन उस जिले के दो पंचायत समिति क्षेत्र, जो मेरे क्षेत्र में आते हैं, पंचायत समिति आनन्दपुरी, वहां पर पिछले अकाल में नहरों के निर्माण का काम सन् 1986 87 में हाथ में लिया गया। उसका बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा काम कराया पर अभी भी स्थिति यह है कि वहां पर अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो सिंचाई के लिए जो पानी माही का मिलेगा उसको बीस-पच्चीस साल भी लग सकते हैं। अगर उस क्षेत्र मे युद्ध स्तर पर नहरों का निर्माण करके माही का पानी पहुँचाया जाय तो चार-पांच साल में भी अगर वहां पर यह नहरें पक्की बन जाती है, चाहे वह पैसा अकाल सहायता मद से लेकर, चाहे माही परियोजना के फण्ड से लेकर, चाहे टी. ए. डी. के मद से लेकर लगायें, तो पंचायत समिति आनन्दपुरी, जो गुजरात की सीमा से लगी हुई है, मेरा आधा विधान सभा क्षेत्र, जो पश्चिम और

(श्री पूंजालाल)

दक्षिण एरिया है वह पूरा गुजरात से लगा हुआ है और बीच में अनास नदी बहती है। उस अनास नदी के जो पश्चिम-दक्षिण भाग का क्षेत्र है वह एक प्रकार से राजस्थान से कट ऑफ है. ऐसा लगता है और उसकी स्थिति भी बड़ी दयनीय है। वहां पर लोगों की हालत, आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। जमीन जोत की बहुत कम रह गई है। तो फिर उनका अपनी खेती पर निर्वाह करना वैसे भी बड़ा दूभर है, मुश्किल है। लोग गुजरात को पलायन करते हैं। उसका कारण यह है कि यहां पर समय पर मजदूरी अकाल राहत या अन्य कामों पर नहीं मिलती है। रोजगार नहीं मिलने से वह गुजरात को चले जाते हैं और दूसरा कारण यह है कि वहां पर चालीस-पचास रुपये दिन का वह लोग कमा लेते हैं इसलिए भी गुजरात को चले जाते हैं। तो हमारे यहां अकाल राहत के अन्दर भी मजदूरी बढ़ाई जाय और अभी तो केवल बारह रुपये, चौदह रुपये मिलते हैं जबकि मिनिमम वेजेज उसको बाइस रुपये देने का है, उसको बढ़ाया भी जाय और बाइस रुपये तो कम से कम उनको दिये जाएं, उसे टास्क बेस्ड नहीं रखा जाय। कारण यह है कि आज हम जो इस स्थान पर बैठे हुए हैं अगर काम पर जायें, मैं एक दिन, वन विभाग का काम चल रहा था, वहां गया और दोपहर बारह साढ़े बारह बजे एक किलोमीटर पैदल चल कर भी गया, वहां पर जंगल में उन लोगों से मिला। पसीने से उनकी हालत बदतर हो रही है और रोटी खाने के लिए कुछ के लिए वहां आ रहे हैं, कुछ वहां जा रहे हैं, पानी की भी समस्या है। वह गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी गर्मी में, इस ऊंचाले में काम कैसे करेंगे और उनको फिर हम कहें कि माप पूरा करो तब जाकर पैसा पूरा मिलेगा, तो यह भी सम्भव नहीं हो सकता है। इतनी गर्मी है, कहीं पेड़ भी नहीं; छाया भी नहीं, पास में पानी भी नहीं है और पसीने में बिलकुल भीगे हुए, इस प्रकार के समय में मजदूरी करते हैं और पूरा दिन वहां रहते हैं। तो उनको दिन की मिनिमम जो मजदूरी है वह दी जाय, यह मेरा सरकार से अनुरोध है।

मैं सिंचाई के सम्बन्ध में जो स्थायी बात समाधान की कर रहा था, उसमें जो माही की नहरों का पानी जहां-जहां नहीं पहुंचा है, माही की नहरें खुद गई हैं और काम बाकी चला आ रहा है, उसको पूरा नहीं कर रहे हैं उसको पूरा करके पानी जल्दी से जल्दी आनन्दपुरी क्षेत्र और बागीडोरा तहसील का जो क्षेत्र छूट गया है वह और गडी क्षेत्र भी, गडी क्षेत्र में कुछ गांवों में जो क्षेत्र छूट गया है और विभाग ने, माही परियोजना वालों ने नहरें नहीं बनाईं, वहां पास में पानी जा रहा है, लोग उसको अपने गांव तक ले जाने के लिए खुद भी अपनी मेहनत से एक-दो स्थानों पर खुदाई कर रहे थे नहरों की। मैंने विभाग से माही परियोजना वालों से कहा लेकिन उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो लोगों की इस प्रकार की समस्याएं हैं। पानी डैम में भी है, अगर वह पहुंचा दिया जाए तो लोगों को सिंचाई की सुविधा मिल सकती है, स्थायी रूप से उसका समाधान हो सकता है। बागीडोरा पंचायत समिति का फिर वो अनास नदी के उस पार का एरिया है, गंगातलाई, सललोपाट, शेरगढ़ वहां पर

(152)

(श्री पूंजालाल)

भी माही की नहरों से ही लिफ्ट लगाकर के या अनास नदी से लिफ्ट लगा करके उसके किनारे-किनारे के गांवों में, नदी के किनारे वाले गांवों में लिफ्ट योजनाएं दो-दो चार-चार गांवों के बीच लगा करके, यानी चार-पांच किलोमीटर की दूरी पर नदी के किनारे-किनारे लिफ्ट योजनाएं लगा दी जाए तो वह क्षेत्र हरा-भरा हो सकता है और हमेशा के लिए यह जो हमारा अकाल के लिए, यहां पर भी और क्षेत्रों में भी और लोगों की जो समस्याएं हैं उनके साथ जूझना पड़ता है वह सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि हर वर्ष और इस अकाल के मद पर पैसा खर्च करने के बजाए हम किसी भी मद से, चाहे वह बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारी जनजाति का एरिया है, 80-90 प्रतिशत लोग आदिवासी वहां रहते हैं, तो उस क्षेत्र को जनजाति के मद से भी सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण के लिए पैसा दिया जा सकता है। अकाल सहायता के लिए इस साल जैसे माही नहरों का तीन हजार हेक्टेयर बताया है यह तो बहुत ही कम है, जबकि अभी तो बांसवाड़ा जिले का नहर निर्माण का पानी पहुँचाने का काम आधा रकबा भी नहीं हुआ है तो इस कस्बे को बढ़ाया जाए। साल में माही वाली 10 हजार हेक्टेयर जमीन सिंचाई के लिए अपने प्लान में, अपनी योजाना में लेवें तब तो पांच साल, सात साल में यह सारा क्षेत्र कवर हो सकता है और उस क्षेत्र के लोगों को अकाल से राहत हमेशा के लिए मिल सकती है और दूसरी समस्या जो चारे की ऐसे जो नोन कमाण्ड एरिया है, माही का, उस क्षेत्र में चारे की भी समस्या आती है। रबी की फसल पूरी उत्पादन होगी तो चारा मिलेगा, उस क्षेत्र में भी और आस-पड़ोस वाले, जहां अभी सिंचाई होती है, कमांड एरिया है, वहां से उनका चारा बिकाऊ है, वह ले जाते हैं। अभी उन्होंने अपनी बसों में, ठेलों में भर-भर के भूसा वगैरह ले जाना शुरू भी कर दिया है, लेकिन वह तो वहां पर उपलब्ध है, आधे क्षेत्र में तो वह भी आपसी संबंधों के हिसाब से या थोड़ा खरीद करके इसी तरह से ले लेते हैं, लेकिन सरकार की ओर से वहां जो क्षेत्र छूटा हुआ है, सिंचाई के अभाव में, वहां पर चारा डिपो भी खाले जाने चाहिए और यह हमारा जो क्षेत्र है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर यह सारा बिखरा हुआ है, लोग एक साथ एक समूह में नहीं रहते हैं, तो उनको बिजली बड़ी मंहगी पड़ती है, वह भी नहीं मिल पाती। पानी के लिए हैण्डपम्प, बिखरे-बिखरे क्षेत्र में रहने से, आठ-दस घरों की आबादी है, कुल आप पांच-सात परिवारों की गिनो, तो 50-60 की आबादी के ऊपर या 100 के ऊपर एक कुआं हो, हैण्डपम्प हो, तो उनको सुविधा पानी की मिल सकती है, तब वह कहीं आधा किलोमीटर क्षेत्र तक चलकर के, लाकर के पानी की व्यवस्था कर सकते हैं बाकी उस तरह की बिखरी आबादी में जो प्रतिबन्ध जनसंख्या का लगा रखा है उससे उन लोगों को बहुत भारी असुविधाएं होती हैं, तो हैण्डपम्पों के मामले में आबादी का जनसंख्या का नियंत्रण लगा रखा है, वह कम किया जाए, तो अकाल राहत में लोगों को सुविधा होगी और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुन्दरलाल।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, अकाल के ऊपर चर्चा चल रही है.... (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार स्टेटमेंट देगी।

श्री अध्यक्ष : विष्णुजी कुछ कह रहे हैं, उनसे बात कर लीजिए। आप उनसे बात कर लें।

श्री विष्णु मोदी : मंत्रीजी और अपने चीफ-व्हिप साहब के बीच में कुछ बात हुई है।

श्री सुन्दरलाल : माननीय अध्यक्ष जी, अकाल के ऊपर चर्चा चल रही है। मैं आपके जरिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, कि मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसी पंचायतें हैं, जो पंचायत हैडक्वार्टर सड़क से नहीं जुड़ी हुई हैं, जैसे श्यामपुरा, मेनाना, सरहदपुर, शाहपुर पंचायतें। उनमें पहले इस सड़क का काम भी शुरू हो गया था, वह दो साल, तीन साल से पड़ा है इसलिए आपके जरिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह काम शुरू कर दें, ताकि आदमी सड़क पर लग सकें। मैं तीन-चार दिन पहले 11, 12 तारीख को गया था, तो तीन आदमी बैठे थे सड़क पर, एक जना तो धूली में कांकरा घाल राख्यां थोड़ा सा और एक जना एक छोटा सा डोलिया में डामर घाल राखीं में देख्यो रे ये के करो हो। बोल्या सड़क ठीक करां हां। इतना सारा कांकरा और सेर डामर अब बताओ के सड़क ठीक हुई होगी। इसलिए यह तीन आदमी लेकिन यह इकत्तीस बताये छा, पण मेरे क्षेत्र में यह तीन आदमी थे और तीन में से भी दो पी. डब्ल्यू. डी. के बेलदार थे, एक आदमी मजदूरी पर लगा रखा था। धूली में कांकरा घाल राख्यां और एक डोलिया में एक सेर डामर, तो मैं कहूं यह काम सही है, हो जायेगी सड़क पूरी? एक सेर डामर से कितनी सड़क ठीक होगी और के करेगा थोड़ा सा कांकरा ले, राख्या, हो गया सड़क का काम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके लिए रखे हुए थे उन्होंने।

श्री सुन्दरलाल : इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के काम, मैं, अकाल राहत में झुन्झुनूं जिले में कहीं भी कोई आदमी नहीं लगा रखा। इसके अलावा एक नयी परम्परा पंचायत समितियों में भेजी कि अपना-अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवाओ, आइडेंटिटी कार्ड बनेंगे उनको लगवाएंगे। वहां कभी ग्राम सेवक नहीं मिले कभी बी. डी. ओ नहीं मिले, आइडेंटिटी कार्ड बनवायेंगे उसको वह मजदूरी पर लगायेंगे पर कहीं काम शुरु नहीं हुआ है। मेरे कहने का मकसद यह है कि आप सरकार को आदेश दें कि काम शुरू करें और मंत्रीजी को जब एसेम्बली खत्म हो तो हर जिले में जाकर देखें कि काम पर आदमी लगे हैं कि नहीं लगे हैं। यह अन्धेरा कितने दिनों तक चलेगा, यह कोई बिल तो है नहीं कि अचानक बोलेंगे और पास करवाकर के चले जायेंगे। यह तो काम सड़क का पानी का, बिजली का, आपको करना ही पड़ेगा। पहले मंत्री हर इलाके में मुख्य मंत्री का पावर लेकर जाया करते थे और घोषणा कर देते थे कि यह-यह काम आज मैं स्वीकृत

(श्री सुन्दरलाल)

करके जाता हूं, तो वह बात आज नहीं है। इसलिए आप इस बात के ऊपर इनको पाबन्द करवाये। मैं आपके जरिए सरकार से कहना चाहता हूं कि इस काम की व्यवस्था करो नहीं तो, एक जना कह रहा था, एक सदस्य बोल रहा था, मेरे तो मरे हुए जानवरों की बहुत सारी हड्डियां पड़ी हैं, अबके जो मरे तो, कोई मर गया जानवर तो वह हड्डी ठेठ जाकर तेरे घर गेरूंगों, तो मेरे ऊपर नाराज हो जाना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वह चलने नहीं दूंगा बात तो आप इस पर कार्यवाही कराओ। आपको मैं बताऊं, यहां एक भी आदमी झुन्झुनू जिले में कहीं भी लगा रखा हो, तो मुझे बताओ पूछ लो, आपके तो सारे साधन हैं कितने आदमी लग रहे हैं? जिन गांवों में पानी नहीं है, हमने कई बार कहा है, नहारपुरा, करोठड़ा, कादला-का वास, बालोठ की ढ़ाणी, उनमें किसी प्रकार की पानी की व्यवस्था नहीं है। तो इस अकाल राहत में पानी की व्यवस्था करवायें, पंडितजी ने कह दिया की जलदाय विभाग वालों से मिल लिया करो। मीटिंग लेकर कई बार बैठाये रखे और कुछ भी नहीं हुआ हमारे तो बात समझ में नहीं आ रही है कि कब करेंगे? लगातार तीन महीने हो गये, कई बार कलक्टर मीटिंग में बुला ले, वहां बैठे रहे, आधे घंटे बाद में चाय पिला दी, दो-दो बिस्किट दे दें और उठ जावें, हो गया काम, तो इस तरह नहीं चलेगा काम। आप जिले में मंत्रीजी को भेजो, सब अधिकारियों को बुलवाओ, कहां काम चल रहा है, नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है? सड़कों का ऐसा ढंग है, एक सड़क तो सीकर से लुहारू, कोई जर्मन कम्पनी को दी थी, उसको फोड़ डाली थी उन्होंने छोड़कर कह दिया कि हमारे ठेके में गड़बड़ हो गयी, उसमें इतने-इतने खड्डे खोद दिये, कभी जाकर देखिए आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : देख आये।

श्री सुन्दरलाल : देख आये तो उसकी हालत क्या है, बताओ? जो थी वह तो फुड़वा दी कि अच्छी बनवाकर देंगे, चौड़ी सड़क बनेगी, लेकिन जो थी वह भी खोद दी। जो छोरी थी वह भी मर गयी और छोरा हुआ नहीं, खराब कर दिया काम। जो थी उसको फुड़वा दी, दूसरी बनवायी नहीं। सीकर, झुन्झुनूं, लुहारू सड़क की व्यवस्था करायें, डबल नहीं तो सिंगल तो करवाओ उसकी व्यवस्था तो करवाओ। वह कम्पनी भी गयी और सड़क भी गयी। इसलिए अकाल राहत में अगर उस सड़क पर भी आदमी लग जाएं तो इनका भी गुजारा हो सकता है, वह भी फेमिन में आती है। अब कोई नई बात मत बताओ मुझे। इसलिए आप इस पर व्यवस्था करवायें। गांवों में अकाल है और जिन हैडक्वार्टर को, कभी 70 में, कभी 80 में, कभी 90 में करवा देंगे उनको सड़कों से जोड़ना चाहिए और इस अकाल राहत के जरिए उन सड़कों का काम करवाये, ताकि मिट्टी, रोड़ी पड़ जाए तो बाद में काम हो जाए। आपका और हमारा तो जिला मिलता-जुलता है, आपको पता ही है परन्तु कुर्सी पर बैठने के बाद देख लेंगे बनेगी कि नहीं बनेगी, यह चलेगा नहीं वोट आपको भी मांगना है।

श्री अध्यक्ष : मेरे को तो आपने अलग कर दिया। मैं यहीं बैठा हूं आप तो इतनी बात बोल रहे हैं, मैं तो बोल ही नहीं सकता।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा ससुराल आपके इलाके में है, उसके बारे में भी कुछ बोलें।

श्री सुन्दरलाल : इसलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं जितनी भी पंचायतें हैं, उन पंचायतों को हैडक्वार्टर से जोड़ने का काम अकाल राहत के अन्दर चलाया जाए। मेरे इस्माइलपुर झाटड़ा में तीन हजार की आबादी है, सड़क नहीं मिली। पण अभी तक चाहे फेमिन में हो, चाहे कुछ में भी हो, सड़क नहीं मिली है। इसलिए आप लोगों से मैं यह निवेदन करूं कि आप 200-300 आदमी इलाके वाइज 500 आदमी क्षेत्रवाइज लगाने की घोषणा करवाइगे आज शाम को मंत्री जी से कि हर क्षेत्र में पांच हजार, दो हजार आदमी अकाल राहत में इतने दिन के अन्दर लग जायेंगे। चार-पांच दिन पहले शिवनाथसिंह जी के प्रश्न पर एक बात कही थी, हमने यह आदेश दे दिये हैं कि बिना आइडेंटिटी कार्ड आदमी लगेंगे तो वे आदेश म्हारे जिले में कोनी पहुंच्यो, ऊपर के तो पंजाब में चला गया वो आदेश या हरियाणा में, हमारे जिले में नहीं गया वह आदेश। या तो जोर से भगा दिया उस आदेश को तो आगे निकल गया और गंगानगर में पड़ा जाकर के इसलिए उस आदेश को वापस लें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

घण्टी क्यूं बजाओ हो, मैं तो बोलूं ही कोनी, कदे कदे ही बोलूं हूं।

श्री अध्यक्ष : आप दस मिनट बोल चुके हैं।

श्री सुन्दरलाल : अब दूसरा यह खनिज का मामला है। खनिज के मामले में एक पट्टा ले जावे नीमकाथाना से और पीछे तीन सौ पहाड़ा ने रोक लेवे है कि मेरी खनिज है, यह भाटा, पत्थर मेरा है और कोई भी नाम नहीं है। एक जने ने मुहूर्त किया कि किसके नाम से पट्टा ले लिया, बोला द्रोपदी के नाम से, तो द्रोपदी तो कोई नाम ही कोनै काढे है महाभारत के बाद, तू कठे द्रोपदी के नाम से पट्टा ले लिया; दुर्योधन द्रोपदी तेरे से ही सुण्यो, कोई नाम ही नहीं काढता। तो बोल्यो द्रोपदी का का पट्टा है और सारा पत्थर को रोककर बैठ गया। इसलिए इस पर भी व्यवस्था होनी चाहिए। खनिज विभाग गृह मंत्रीजी आपके पास भी रहा है। एक भी हरिजन का पट्टा नहीं है। अगर कोई है तो दूसरा ही उसको लाटता है हरिजन नहीं लाटता है, यह जानकारी करवा लीजिए। कोई नौकर था हरिजन उसका, तो उस नौकर के नाम से पट्टा ले लिया, वह वहां रोटी खाता है चार धोती दे दी, दो कुर्ता दे दिया उंको पट्टो ले लियो, इसलिए इस पर भी जानकारी करवाओ। उसके नाम का पट्टा उसको बुलाकर के जो गलत करा रखा है वह मत कराओ, इसमें अपंग हैं, हरिजन है एस.सी. हैं एस. टी. हैं उनको कोई तो पट्टा दो बता दो कहीं हैं तो और जो एक आध को है तो वो आई. ए. एस. और आई. पी. एस. से कम नहीं है, साधारण हरिजन का कोई पट्टा नहीं है। तो हरिजन का नाम की दुहाई देकर के कितना दिन जीओगा। पहले तो कांग्रेस हाला जिया अब थे भी जीवणो शुरू कर दियो, चालेगो नहीं काम। असल में लायो सामने कि इसको पट्टा दिया और वो यह काम

(सुन्दरलाल)

कर रहा हूं इसलिए मैं इस बात पर जानकारी चाहता हूं।

बजरी, एक नदी का ठेका एक आदमी ने ले लिया, 400-500 रुपया देकर लेगा, पाछे ग्यारह नदियां पर कब्जा करके बैठ्यो है। और कहा 80 रुपया लूंगा ट्रक भरोगे तो मेरे कने पट्टो है, तो इसलिए इसकी जानकारी करवाओ और जानकारी करवाकर इस पर कार्यवाही करवाओ। हमारे जिले में तो दुर्भाग्य से इसका दफ्तर भी नहीं है। नीम का थाना कोणा में दे राख्यो है जो कोई जावे ही कोनी। इसलिए हमारे जिले में आप दफ्तर तो खुलवाओ, दफ्तर तो होना चाहिए, ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो तो मिल तो लेवे कि दफ्तर हैं उसको कह तो दें कि या खान किका नाम से है द्रोपदी का नाम से है, किसके नाम से है, गान्धारी के नाम से हैं तो बताओ सही किसके नाम से है, पता तो लगे इसलिए हम यह ही बात कहना चाहते हैं। घण्टी बज गई, दुबारा बजा दी, यूं कह देगा कि मेरी बात कोनी मानी, नाराज हो जाई, बस इतना ही कहना है। धन्यवाद।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल शाम को मेरा नाम दिया था, अमराराम जी के तुरन्त बाद मेरा नाम था। अमराराम जी की तो बारी आ गई कल ही और मैं आज सुबह से यहां आराम से बैठा हूं और जब कोई बहस करने के लिए अकाल पर तैयार नहीं था तो मैं सबसे पहले दौड़कर नाम देकर आया था। माननीय घनश्याम जी यहां विराजमान थे।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम ही नहीं है।

श्री भीमराज भाटी : मैंने स्वयं ने कल अमराराम जी का और मेरा दोनों का नाम दिया। कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। कोई पर्ची, कागज कहां का कहां चला जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप मेरा निवेदन सुनिये। कुल नाम मेरे पास 60 हैं उसमें से अभी आपके केवल तीस सदस्य हो बोले हैं। अब मैं आपको पूरी लिस्ट सुना देता हूं जो बोलने वाले हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं नाम सुनाते की क्या जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : नहीं सुनाऊं। इसका मतलब यह है कि आप में से अधिकांश लोगों के नाम हैं इसलिए कृपया बैठे रहें और डिमाण्ड पर यदि कोई बच भी जायेगा तो अपन सबको बुलायेंगे। एक घण्टा और थोड़ा लेट कर देंगे कोई चिन्ता की बात नहीं है लेकिन इसमें थोड़ी देरी-सबेरी तो होगी। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यदि आप अब टाइम बचाना चाहें तो जो बोलने वाले माननीय सदस्य हैं वह समय का ध्यान रखें। अब आज दोनों साथ चल रही हैं तो नाम सबका है अब भाटी जी का नाम बताया नहीं तो अब मैं उसमें जोड़ लेता हूं।

श्री भीमराज भाटी : मेरी पर्ची कहां गई। मैंने माननीय सभापति जी को स्वयं ने दी थी। चौबीस घण्टे पहले की पर्ची का कोई पता नहीं चलता है तो फिर क्या भरोसा है।

श्री अध्यक्ष : मुश्किल यह हो रही है कि आपका नाम कई बार शिवनाथसिंह जी

(श्री अध्यक्ष)

देते हैं वह लिस्ट दे दी। उसमें आपका नाम नहीं हैं। मुझे क्या पता अब आप लोगों ने ऐसा अरेंजमेन्ट कर रखा है। अब उस लिस्ट में नाम नहीं है अब कल होगा। आज जो लिस्ट आई है उनके नाम बराबर आ रहे हैं। सुन्दरलालजी को बुला दिया। फतेहसिंह जी बोले हैं आपका नाम भी लिखा लूंगा, आपको निश्चित रूप से बुलाया जायेगा।

श्री भीमराज भाटी : 24 घण्टे होगये, केन्सिल की है तो बताना तो चाहिये ना।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं केन्सिल नहीं की मैं आपका नाम अब जोड़ लेता हूं। क्या फर्क पड़ेगा ? कृपया मैं समझता हूं यदि आप सात मिनट लें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्रीमती कमला : हमारा भी नाम है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : हैं। जिनको जिज्ञासा है उनका सबका नाम है और कोई रह गया हो तो बाद में बोल लेंगे चिन्ता मत करिये। लेकिन सात मिनट से ज्यादा समय नहीं लें तो ज्यादा सही रहेगा। श्री धनखड़।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ससुराल के लिये भी बोल लेना।

श्री जगदीप धनखड (किशनगढ़): मैंने बड़ा प्रयास किया कि सुन्दरलालजी मेरे ससुराल का भी कुछ ध्यान रखेंगे। जोरदार भाषण दिया है।

श्रीमती कमला : थ्हे बांका पीहर को बोल देश्रो (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय इस सदन में चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने 6 जुलाई, 1989 को एक बात कही और उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्योगों के विकास में प्रयास न करने का कोई सवाल नहीं है। उनके लिये यात्राएं करना, लोगों को आमन्त्रित करना, घोषणाएं करना, इन सब बातों में "माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसी भी राज्य के मुख्य मंत्री से राजस्थान को पीछे नहीं रखा है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं"। अनकोटा

श्री भंवरलाल शर्मा : कौन थे मुख्यमन्त्री?

श्री जगदीप धनखड : यह कहा तो था कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री के लिये पर इनको क्या पता था इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री पर यह बात शत प्रतिशत लागू होगी।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री का पद है इसलिये कोई भी मुख्य मंत्री होगा तो उसी पद पर होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लेकिन उस समय मैं सीकर से आता था इस समय चौमूं से आया हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष जी, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य को जब मंत्री नहीं बनाया तो इन्होंने अपने आप एक मंत्री पद ग्रहण कर लिया यह इन्टरप्शन मंत्री हो गये इन्टरवेन्शन मंत्री हो गये, व्यवधान मंत्री हो गये। आगे कहते हैं, मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं अध्यक्ष जी, कि आलोचना से कोई काम नहीं चलता है। आप जब इधर बैठते थे

(158)

(जगदीप धनखड़)

किस प्रकार की आलोचना करते थे । मैं फर्दर इनको कोट करता हूं । अध्यक्ष जी, जहां तक माईन्स का सवाल है यह घनश्यामजी तिवाड़ी का वक्तव्य है माइन्स ऐसा विभाग है जिसकी खुदाई करने में माननीय मुख्य मंत्री जी दुवारा इस आसन पर प्रतिष्ठित हुए है और माइन्स ऐसा विभाग है जिसकी और गहरी खुदाई की गई तो यही माननीय मुख्य मंत्री का पद छोड़ने को बाध्य करेगा, अनकोट ।

अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी आये और माइन्स विभाग की कई फाइलें मंगा ली घण्टों में । पता नहीं उन फाइलों का क्या हुआ, अखबार में खबर आई अनियमितताएं बताई गईं और फिर पता नहीं कौनसे बस्ते में उनको बन्द कर दिया गया । मेरा मूल मुद्दा माननीय अध्यक्षजी यह है कि राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्री कहते रहे हैं कि राजस्थान के दो दुश्मन हैं । फेमिन और फाइनेन्स कमीशन । वह इस बात को भूल जाते हैं कि राजस्थान के इन दोनों दुश्मनों को कभी काबू करने के लिये राजस्थान की जो मिनरल वैल्थ है उसकी ओर यदि ध्यान दिया जाय तो निश्चित रूप से राजस्थान की बहुत सी समस्याओं का हल निकल सकता हैं । ...

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से उस सरकार से अनुरोध करूंगा कि केन्द्र सरकार की सही नीतियों की वजह से डाक्टर मनमोहन सिंह की सही आर्थिक नीति की वजह से पूरे विश्व में एक वातावरण बना है कि देश में इन्वेस्टमेंट किया जाय । राजस्थान में यह इन्वेस्टमेंट मिनरल बेस्ड उद्योग के लिये हो सकता है पर विश्व में इस बात की जानकारी अभी कोई ज्यादा नहीं है कि राजस्थान में क्या मिनरल बेस्ड है ? मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि विश्व को यह बताने के लिये एक अच्छा टेक्नीकल ग्रुप सेटअप करे और इस बात पर एक व्हाइट पेपर जारी करे कि राजस्थान किमिनरल बेन्ड क्या है और उस टेक्नीकल ग्रुप में विश्वविख्यात टेक्नीशियन को लिया जाय, एक्सपर्ट्स को लिया जाय ताकि उस रिपोर्ट की अच्छी क्रेडिबिलिटी हो और उसके बाद वह रिपोर्ट राजस्थान में विश्व के इन्वेस्टमेंट का एक आधार बनेगी ।

माननीय अध्यक्षजी राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी समस्या है पावर जेनरेशन की । फोरच्यूनेटली पावर जनरेशन हम राजस्थान की मिनरल वेल्थ से नहीं कर सकते हैं और जिससे हमारे एम्पलायमेन्ट की समस्या का भी हल हो सकता है पर वर्तमान सरकार इस मामले में ज्यादा लगनशील लगती नहीं हैं वरना लिग्नाइट बेस्ड पावर जनरेशन के लिये इस सरकार को चाहिये कि ग्लोबल टेण्डर के माध्यम से विश्व में श्रेष्ठ कम्पनी है । वह इस मामले में आगे आये । राजस्थान की मिनरल वेल्थ के मामले में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करने के लिये भी राज्य सरकार को एक नीति अपनानी चाहिये । गृह मंत्री जी जब सिर्फ गृह मंत्री थे दिल्ली गये थे । माइन्स मिनिस्टर की मीटिंग के अन्दर इन्होंने हिस्सा लिया था और जैसी मुख्य मंत्री जी की नीति है इन्होंने भी नीति अपना ली । हमें ज्यादा अधिकार दे दो । मैं मानता हूँ की राजस्थान के कान्टेक्ट्स में कुछ अधिकार हमको चाहिये । कुछ मैजर मिनरल्स हैं, जिन पर राजस्थान का अधिकार इसलिये

(श्री जगदीप धनखड़)

हो कि उनका एक्सप्लायटेशन सही तरीके से हो, साइंटिफिक तरीके से हो और जल्दी हो पर इसका अर्थ यह है कि क्यों नहीं राजस्थान सरकार ऐसे कार्य करें जो अन्य सरकारें करती है और वह कार्य कि केन्द्र में एक स्ट्रांग लॉबी डवलप करें। पार्टी हित से ऊपर उठकर उस लॉबी को डवलप करें ताकि एक तरीके से समयावधि से उसके समक्ष बातें रखें। मुझे याद है 1990 में जब भैरोंसिंह जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने सभी सांसदों की मीटिंग बुलाई थी मैं भी उस समय सांसद था। वर्तमान गृह मंत्री भी थे। एक शुरूआत हुई। उद्देश्य था कि एक स्ट्रांग लॉबी बनेगी। स्ट्रांग लॉबी सेन्ट्रल में होने से राजस्थान के हितों पर कुठाराघात नहीं होगा पर वह बात आगे नहीं बढ़ पायी।

(16.25)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

एक मीटिंग के पश्चात दूसरी मीटिंग नहीं हुई। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आज के कांटेक्ट्स में सेन्ट्रल में स्ट्रांग लॉबी होना बहुत जरूरी है और उस लॉबी को किसी पोलिटिकल पार्टी से आइडेंटीफाई नहीं किया जा सकता। आज के दिन राजस्थान सरकार के सामने समस्या है। राजस्थान सरकार के सामने समस्या है कन्जरवेशन ऑफ फोरेस्ट एक्ट 1980 के उपयोग के मामले में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के मामले में, कुछ समस्याएं वाजिब है। एनवायरमेंट का भी ध्यान देना पड़ेगा। फोरेस्ट का भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार उस बात का इन्तजार क्यों करती है कि किसी को माइन्स अलाट करे। कन्जरवेशन आफ फोरेस्ट एक्ट, 1980 के सेक्शन 2 का ध्यान दे। क्यों नहीं सरकार एक बात सामने रखे कि हम कभी भी माइन्स अलाट करेंगे वह बात अलग है पर हम उस धारा के तहत एक रिजर्व सिचुएशन के अन्दर फोरेस्ट को पहले से डवलप करेंगे ताकि राजस्थान में उस पर्टिकुलर एरिया में आप माइन्स अलाट करना चाहते हैं तो आप बाध्य कर सकते हैं। सरकार के माध्यम से कुछ कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने इस हित को सुरक्षित रखने के लिये पहले से ही उस फोरेस्ट को डवलप कर लिया है। माननीय सभापतिजी, राजस्थान में एक बात देखी गई है कि मिनरल एक्सप्लायटेशन है वह साइंटिफिक तरीके से नहीं हो रहा है। मिनरल एक्सप्लायटेशन राजस्थान में बहुत इंटेन्सिव तरीके से होने की दरकार है। आजकल क्या हो रहा है माइन्स ज्यादा दी जा रही है इक्विपमेंट्स के ऊपर किसी प्रकार की सब्सिडी वह नहीं दे रहे हैं बहुत जगह अच्छे इक्विपमेंट्स मिल नहीं पा रहे हैं। जो आदमी माइन्स लेते हैं वह जब उसको यूज करते हैं तो एक्सप्लायटेशन के अन्दर काफी नुकसान हो जाता है इसके लिये सरकार को अच्छी नीतियां करनी चाहिये। ज्यादा इसमें एनकरेजमेन्ट देना चाहिये ताकि साइंटिफिक इन्टेंसिव एक्सप्लायटेशन मिनरल वेल्थ का हो सके। सभापतिजी, मिनरल एक्सप्लायटेशन का सीधा लगाव उस इलाके की जनता से होना चाहिये। देखा गया है कि जहां-जहां मिनरल वेल्थ है वह इलाका मिनरल वेल्थ के बावजूद कमजोर स्थिति में है आर्थिक दृष्टि से उस इलाके के अन्दर रोड्स का विकास नहीं हो पाता है। उस इलाके की जनता को उससे

160

(श्री जगदीप धनखड़)
फायदा नहीं हो पाता है। माननीय गृह मंत्रीजी सर तो हिला रहे हैं, उसमें कुछ कीजिये और एक नीति यह कीजिये कि.... .... (व्यवधान)

श्री सभापति : बाधा नहीं डालें। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समय सीमा तय की है माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापतिजी, मेरा सुझाव है कि उस इलाके की जनशक्ति को, उस इलाके की जनता को फायदा देने के लिये आप इस प्रकार की कण्डीशन रखें कि जितनी उस पर्टिक्युलर माइन्स से रेवेन्यू आती है उसका एक निश्चित हिस्सा उस इलाके के विकास में खर्च किया जाये। इसके अलावा माइन्स में जो लोग काम करते हैं उनकी समस्याएं बड़ी अजीब हैं। दुर्घटनाएं होती हैं। उनके विकास का कोई ध्यान नहीं देता, उनका उपचार हो नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में उस पर्टिक्युलर एरिया के डवलपमेंट के लिये अच्छी सड़कें, अच्छा ट्रान्सपोर्ट और उनके लिये सुविधाएं होना जरूरी है जिस पर भी आप ध्यान करें।

माननीय सभापति महोदय, महज कोई बात कहने से काम नहीं चलता है। इस बात को यदि आलोचना की दृष्टि से देखेंगे तो राजस्थान के विकास में बाधा आयेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान मुख्य मंत्री ने 6 जुलाई, 1989 को पता नहीं किस जोश में यह बात कह डाली, मैं उनको कोट करता हूं "सभापति महोदय, इसी प्रकार से और आज सांभर साल्ट है। मुख्य मंत्रीजी जानते हैं कि सांभर साल्ट," हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी के नाम से भारत सरकार ने राजस्थान के रिसोर्सेज पर एनक्रोचमेंट कर रखा है। प्योरली एनक्रोचमेंट है। अगर राजस्थान की सरकार चाहे तो हिन्दुस्तान साल्ट राजस्थान की सरकार को ट्रान्सफर हो सकता है, आई अनकोट। ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। माननीय सभापतिजी, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही उसका क्या नतीजा निकला। क्यों वह सो गये। क्या इधर से ही भाषण होता है उधर से काम नहीं किया जा सकता है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है कि राजस्थान को देश के रियली डवलप स्टेट्स की केटेगरी में लाने के लिये यदि वह सरकार एक काम कर दे और वह काम है कि राजस्थान की मिनरल वेल्थ के ऊपर ऐसा एक साइंटिफिक व्हाइट पेपर निकाले जिसकी अन्तरराष्ट्रीय मार्केट में क्रेडिबिलिटी हो। जिसमें इन्टर नेशनल लेबल के एक्सपर्टस हों, टेक्निशियन्स हों, तो आप देखेंगे कि राजस्थान इंवेस्टमेंट की कोई कमी नहीं आयेगी। पावर जनरेशन का संकट भी दूर होगा और एम्पलायमेंट की भयानक समस्या है उसका समाधान भी आप और हमारे समय में हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के सन्दर्भ में यह कहा गया, है कि अवैध खनन कार्य काफी हो रहे हैं। इसकी शिकायतें समय-समय पर आ रही है। यह शिकायतें कहां आ रही हैं? माननीय गृह मंत्रीजी माइन्स मंत्रीजी स्वास्थ्य मंत्रीजी से बात कर रहे हैं, पर मैं उनका ध्यान इस बात के लिए आकर्षित करना चाहूंगा कि अवैध खनन कार्य रोकने के लिए मात्र

(श्री जगदीप धनखड)

कानून मत बनाइये, अवैध खनन कार्य को रोकने के लिए इसको डाइग्नोस कीजिए और आप पाएंगे कि जहां गरीब तबका रहता है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते हैं उनको इस मामले लिप्त किया जा सकता है। आप उनको खनन पट्टा देने में सरलीकरण का कार्य कीजिए जैसा सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, लीपापोती इसमें मत कीजिए, इसको सही तरीके से विकास वाली बात को आगे बढ़ाइये।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में रायल्टी का जो बकाया है उस मामले में भी सख्ती की जाए क्योंकि उस मामले में अनेक धारणाएं बन गयी हैं कि कुछ लोग हैं जो रॉयल्टी वाले मामले को आगे ही आगे खिसकाते रहते हैं, इस मामले के अन्दर सख्ती की जाए। नहीं, माननीय सभापति महोदय, किधर इशारा कर रहे हैं? मेरा इशारा उधर है।

श्री सभापति : आप किधर देख रहे हो, किधर इशारा कर रहे हो इससे मुझे मतलब नहीं है और यहां इशारा करना भी नहीं चाहिए आपको। व्यवधान

माननीय सदस्य अध्ययन कर रहे हैं, आप उधर क्यों इशारा कर रहे हैं?

श्री जगदीप धनखड : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि उनका स्वास्थ्य और राजस्थान का स्वास्थ्य एकदम दुरुस्त हो जायेंगे यदि जिस प्रकार का एक इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट ब्यूरो उन्होंने बनाया है उसी तरीके से यदि अगर राजस्थान मिनरल वेल्थ के ऊपर भी इन्टरनेशनल अटेंशन को फोकस करने के लिये कार्यवाही करें। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान किधर कुछ भी देखें राजस्थान में कितना भी संकट हो, कितना भी बड़ा अपने यहां डेजर्ट हो मिनरल वेल्थ में जो ईश्वर ने आप और हम पर कृपा की है जिसका एक्स्प्लायटेशन आज तक सही तरीके से नहीं हो पाया है, उसको साइंटिफिक तरीके से करें।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र की कुछ नीतियां हाल में हुई हैं जिन से राजस्थान पर कुछ संकट आ सकता है। खेतड़ी कोपर कॉम्प्लेक्स जो देश में कोपर मैन्युफैक्चर करता है उसके करीब 20 हजार से ज्यादा कर्मचारी संकट की स्थिति में आ सकते हैं यदि राजस्थान सरकार ने इस मामले में केन्द्र सरकार से शीघ्र बात नहीं की तो आज के दिन, माननीय सभापति महोदय, स्थिति यहां तक आ चुकी है कि केन्द्र ने जो नयी नीति की है अधिकांश अच्छे नतीजे उस नीति के निकले हैं वह नीति आवश्यक है पर उस नीति को लागू करने में कहीं थोड़ी बहुत चोट राजस्थान के हित को लग रही है और वह खेतड़ी कोपर कॉम्प्लेक्स को भी लग रही है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में उच्च स्तर पर विचार-विमर्श कर ऐसी स्थिति न आने दें.......

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री जगदीप धनखड : कि 20 हजार से ज्यादा कर्मचारी जो खेतड़ी कोपर

(श्री जगदीप धनखड़)
कॉम्प्लेक्स में कार्यरत हैं वह कहीं बिना काम के न हो जाएं ।

श्री सभापति : संक्षिप्त में । माननीय अध्यक्ष महोदय ने आज समय सीमा तय की है ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं विधान सभा में किशनगढ़ इलाके का प्रतिनिधित्व करता हूं । किशनगढ़ विधान सभा का क्षेत्र पूरे राजस्थान में एक इस प्रकार की इण्डस्ट्रियल लोकेलिटी डवलप हुई है जो विश्व की किसी भी इण्डस्ट्रियल लोकेलिटी का मुकाबला कर सकती है । मार्बल उद्योग के मामले में आप देखेंगे आंखों को बड़ा अच्छा लगेगा, उसका विकास हो रहा है । राजस्थान सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही है । मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मार्बल उद्योग जो राजस्थान में इतना पनप रहा है उसमें रिसर्च एण्ड डवलपमेंट का कार्य क्यों नहीं हो रहा है ? मैं तो कैलाशजी मेघवाल की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । माननीय सभापति महोदय, इसमें रिसर्च एण्ड डवलपमेण्ट की बड़ी भारी आवश्यकता है यदि मार्बल प्रोसेसिंग के अन्दर जो वेस्ट निकलता है, जिस वेस्ट को डम्प करने की समस्या है उसके मामले में यदि सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से रिसर्च की जाए तो निश्चित रूप से उसको पाउडर के रूप में उपयोग किया जा सकता है या लोड बियरिंग ब्रिक्स के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है । थोड़ी शुरूआत पहले जरूर हुई थी पर पता नहीं उसको क्यों छोड़ दिया गया । जहां मिनरल वैल्थ इण्डस्ट्रीज हैं

श्री सभापति : अब, माननीय सदस्य समाप्त करेंगे आप ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, एक ऐसा मामला जिस से किशनगढ़ का हित जुड़ा हुआ है, किशनगढ़ क्षेत्र में औद्योगिक बस्ती तो इस तरफ है और जनता उधर रहती है । रोज औद्योगिक बस्ती में वर्कर्स को जाना पड़ता है, उद्योगपतियों को जाना पड़ता है और उसके बीच में रेलवे लाइन आती है यह इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए बाधा बन गयी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां केन्द्र सरकार के समक्ष किशनगढ़ शहर में रेलवे लाइन पर ब्रिज बनाने की योजना प्रेषित करें ताकि इससे उस ईलाके का विकास हो सके और जो परेशानी विकास में आ रही है उसको किसी तरीके से कम किया जा सके । अन्त में, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि विशेष ध्यान जहां आप लिग्नाइट पर देंगे और स्टील ग्रेड लाइम स्टोन पर भी दें । क्योंकि यह दोनों मिनरल इस प्रकार के हैं जिन पर यदि आप ध्यान देंगे, तो राजस्थान के अन्दर इन्वेस्टमेंट इस तरीके से आएगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को बम्बई ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा ।

धन्यवाद ।

श्री सभापति : धन्यवाद । श्री ओम प्रकाश शर्मा ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदय, मैं खनिज के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मुख्य मंत्रीजी ने यहां एक बात कही, किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि राज्य की आमदनी कैसे बढ़े, मैं इस ओर भी सुझाव दूंगा। बूंदी जिला खनिज की दृष्टि से बहुत अच्छा जिला माना जाता है। वहां पर पहले 60 बाई 120 मीटर की खान दी जाती थी और उसका डेडरेण्ट भी चार हजार रुपये था। तो 60 बाई 120 की खान लगभग चार बीघा की होती है परन्तु इसी की लीज को 1985 में पहले वहां दूसरा सिस्टम अपनाया गया उसके बाद खानें बंद कर दी गयीं और 1987 के अन्दर उस लीज को बड़ा कर दिया 12 बीघा की कर दी, दो स्क्वायर मीटर की कर दी गयी उससे छोटा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, खान नहीं चला सका और धनवान व्यक्ति ही खान को ले सके। 10 जून, 1992 को इसका डेडरेण्ट बढ़ा दिया गया, 30 रुपये इसका डेडरेण्ट कर दिया गया और जब इसकी रेट बढ़ायी उस समय तक लगभग 500 आवेदन पत्र ऐसे खनिज विभाग में थे जिन्होंने खानों के लिए आवेदन किया था परन्तु आज तक 10 जून, 1992 से लेकर केवल 5 लोगों ने खाने अलॉट करवाई है, क्योंकि ऊपर तो डेडरेण्ट बढ़ा दी, और खान भी बड़ी कर दी अब उस खान को कौन ले, छोटा व्यक्ति खान ले नहीं सकता, क्योंकि डेडरेण्ट इतनी करदी, और वो भी चार और पांच साल बाद फिर उसकी कीमत बढ़ायी जाती है। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि खान छोटे हिस्से में दी जाए, टुकड़ों में दी जाए, जिस प्रकार पहले दी जाती थी। इसके साथ ही बड़ी खान करने से स्टाम्प ड्यूटी, एन. एस. सी., पंजीयन शुल्क यह भी नहीं खरीदे जा सके यह सारा सरकार को नुकसान हुआ है और जब बड़ी खान हो गयी तो लोगों ने अवैध खनन कार्य शुरू कर दिया। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि लगभग 70 और 80 ट्रक रोजाना अवैध खनन कार्य हो रहा है और जब बाहर से उदयपुर के अधिकारी या जयपुर से फ्लाइंग जाती है तब, तो लोग पकड़े जाते हैं परन्तु बूंदी के अधिकारी कभी पकड़ने हो नहीं जाते और वह इसलिए नहीं जाते कि जो खान चला रहा है वह व्यक्ति और खनिज विभाग में कार्यरत व्यक्ति उन दोनों की मिलीभगत है वह मिल कर के कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं जहां पर अवैध खनन हो रहा है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। जवाहर सागर बांध, जिसको करोड़ों रुपये लगाकर बांधा गया है, धनेश्वर के बांध, धनेश्वर पंचायत के अन्दर, जहां पर वन विभाग है, वहां खानें चलाकर, उस खान का मलबा जवाहर सागर बांध में डाला जा रहा है। अगर उस बांध को इस मलबे से भर दिया गया तो आपके राजस्थान को बिजली नहीं मिलेगी। उस बांध के पानी से बिजली पैदा होती है और खनिज विभाग के अधिकारी, जिला प्रशासन सब इस बात को जानते हैं। जिला प्रशासन ने वहां मौका देखा है परन्तु उस पर कुछ कार्यवाही नहीं की। आज भी वहां पर अवैध खनन कार्य चालू है। इसके साथ ही सतूर, जहां सीमेण्ट का पर्याप्त मात्रा में पत्थर है, ऊपर के अधिकारियों ने वहां पर सर्वे भी करवाया था। 41% वहां सीमेण्ट का पत्थर मौजूद है। उद्योग लगाना

(164)

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

तो दूर, वहां के पत्थर को, मिलिभगत से कोटा, डी.सी.एम. फैक्ट्री में भेजा जा रहा है। जिससे कि बून्दी में सीमेण्ट का उद्योग नहीं लग सके। मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा 14 वर्ष पूर्व जब मुख्य मंत्री भैरोसिंह जी शेखावत थे उस समय भी और प्रधानमंत्री जी मोरारजी भाई देसाई थे, जब कोटा में आये तब मुख्यमंत्रीजी ने इसी कारण यह घोषणा की थी कि आप मुझे रेल दो, कोटा से चित्तौड़ को जोड़ दो, मैं सीमेण्ट आपको 100 साल तक पर्याप्त मात्रा में दूंगा। वह इसी आधार पर कहा गया था कि यहां सीमेण्ट पर्याप्त मात्रा में है परन्तु दुर्भाग्य से आज वहां का सीमेन्ट का पत्थर डी.सी एम फैक्ट्री में जा रहा है, इसको रोका जाए और वहां पर सीमेंट का उद्योग लगाया जाए। इसी प्रकार गैण्डोली, मांडपुर, सुनगर, पीपल्दा, झाड़ला, दुर्वासा महादेव या नारायणपुर, धनेश्वर, गुढ़ा, कंवरपुरा थड़ी, खड़ीपुर, रातकोट, बागलीया, पलका यहां तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि उच्च अधिकारी और यहां तक भी कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका में बैठे हुए अधिकारी भी अवैध खनन कार्य करवा रहे हैं। बून्दी का कोई भी अधिकारी वहां जाकर देखता नहीं है। हजारों रुपए की रायल्टी, डेडरेण्ट लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, इसको तत्काल रोका जाए। सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं यह सारा का सारा राज्य सरकार का पैसा है, जो अवैध कटाई से जा रहा है। वन विभाग और खनिज विभाग........

श्री सभापति : समय सीमा है, माननीय सदस्य।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : सभापति महोदय, राज्य के हित में निवेदन कर रहा हूं। आज वन विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर कुछ नक्शे बनाए और नक्शे इस प्रकार से बनाएं हैं जमीन थोड़ी छोड़ दी गयी और नक्शे बना दिये। आज भी वह नक्शे वन विभाग के कुछ कर्मचारियों के पास हैं और वह कर्मचारी उन नक्शों को पांच-पांच लाख रुपए लेकर दे रहे हैं। खनिज विभाग और वन विभाग के कर्मचारी मिलकर यह सारा दोहन कर रहे हैं और अवैध कार्य करवा रहे हैं। मैं उस पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। इसमें गणेशपुरा एक गांव है जो भीलों का गांव है। उसका स्कूल तक अलाट कर दिया गया क्योंकि वहां नीचे पत्थर है और उसके बारे में जब जिला प्रशासन से निवेदन किया तो आज तक जिन लोगों ने उस जमीन को स्कूल को अलाट किया उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। एक निवेदन और करना चाहूंगा। दोहरी नीति इस विभाग द्वारा अपनायी गयी है एक ओर तो 30 हजार रुपये की रायल्टी 12 बीघा के बीच और दूसरी ओर गैप एरिया, गैप एरिया बहुत है, सभापति महोदय, जितनी बड़ी खान होती हैं उससे आधी जमीन, जैसे बीस हजार स्क्वायर मीटर है तो दस हजार स्क्वायर मीटर तक की अगर लीज है तो उसको गैप एरिया माना जाता है। परन्तु 23 तारीख को बून्दी में जो नीलामी बोली होने जा रही है वह दस हजार स्क्वायर मीटर से ऊपर की जमीन है। केवल अपने चहेतों को देने के लिए वह भी तीस हजार रुपये से कम कीमत पर उनको दी जा रही है। इस दोहरी नीति के कारण विभाग को नुकसान होगा, राज्य सरकार

(श्री ओमप्रकाश शर्मा

को नुकसान होगा। एक मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। मेरा निवेदन करना यह है कि अगर छोटी लीज बड़ी लीज के बजाय दी जाए तो राज्य सरकार को आमदनी होगी, अवैध खनन कार्य रुकेगा। इसके साथ ही खनिज विभाग द्वारा इन गांवों में सडकें बनायी जाय। एक पुलिया केवल बची हैं, अगर वह पुलिया बनती तो बिजोलिया से बून्दी आने वालों को दिक्कत नहीं रहेगी। गेड़दा की पुलिया है जो महोवतपुरा से बून्दी आया जा सकता है। अभी नीमकाखेड़ा, जुपड्या से बिजोलिया जाते है वहां घाट आता है वहां ट्रकों का, बसों का आना जाना बड़ा मुश्किल है। बहुत चढ़ाई हैं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। इस दोहरी नीति को समाप्त करेंगे और छोटी लीज देंगे, जय हिंद।

श्री सभापति : श्रीमती कमला जी।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय सभापति महोदय, आज इस विषय पर बहुत समय से चर्चा हो रही है। मैं कोई भूमिका में न जाते हुए सीधे ही अपने समय का पूरा उपयोग करके कुछ मुद्दे आपके सामने और सदन के सामने रखना चाहती हूं। सबसे पहले मेरा निवेदन यह है कि आज....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

श्रीमती कमला : कार्य सूची समाप्त होने तक।

श्री सभापति : डिमाण्ड है नाआज तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : डिमाण्ड पास होने तक।

श्री सभापति : हां।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय डिमाण्ड पास होने और अकाल राहत पर माननीय मंत्री महोदय के जवाब देने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की राय है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

प्राकृतिक आपदाओं से राहत मांग संख्या 43 पर विचार

श्रीमती कमला : सबसे पहले मेरा यह निवेदन है कि जिन क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है, उन क्षेत्रों में काम बहुत पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है, घोषणा के मुताबिक। लेकिन स्थिति यह है कि जिन एजेन्सीज को काम करना है, उन एजेन्सीज की अभी तक प्रारम्भिक तैयारियां नहीं हैं। यानि कि सर्वे करना, एस्टीमेट बनाना, कामों की सैंक्शन जारी करना। ये जो प्रारम्भिक काम हैं, जिन एजेंसीज को, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. एजेंसी है, चाहे इरिगेशन एजेंसी है, चाहे पंचायत की एजेन्सी है, तीनों एजेन्सीज की अभी इतनी तैयारियां नहीं हैं कि वह तमाम वर्क्स जो कि आज प्रस्तावित हुए हैं, उनकी सैंक्शन भी अभी पूरी उन डिपार्टमेण्ट से जारी नहीं हुयी। मैं आपको बताना चाहती हूं मेरे क्षेत्र के गांवों का हमने प्रस्ताव बनाया अकाल समिति में और जिसको मैंने भी भेजा,

166

(श्रीमती कमला)

उन्होंने भी भेजा और उसमें सड़कें भी हैं, एनीकट भी हैं, स्कूल भी हैं, धर्मशालाएं भी हैं और तमाम चीजें जो भी की जा सकती है वो सब भेजी उन्होंने अभी तमाम एजेन्सीज को उनकी कॉपीज भेजी, कि आप उनको तुरन्त एस्टीमेट बनाकर तैयार करके इनकी मंजूरी कराएं। अभी तक वह कार्यवाही इसलिए नहीं हो पायी है, उसमें एजेन्सी का भी इतना कसूर नहीं है जितना कि इस बात का है कि उनके पास जो इस काम को चलाने के लिए एडिशनल स्टाफ होना चाहिए, एडिशनल फण्ड्स उनको डाइवर्ट होने चाहिए, सैंक्शन होने चाहिए वह भी अभी तक नहीं किए गए हैं। इसलिए मेरा सबसे पहला निवेदन यह है कि सचमुच में हम तमाम इलाकों में सिन्सियरली समय को देखते हुए बहुत ज्यादा समय हो गया है कि जब हमको यह काम तेजी से चला लेना चाहिए था। उसको देखते हुए फण्ड्स का, स्टाफ का मानीटरिंग का इंतजाम बहुत सख्ती के साथ में हमें करना चाहिए। दूसरी जो आम शिकायत आ रही है वह यह है कि एजेन्सीज कई जगह पर, ज्यादातर जगह पर, क्योंकि जितने मेम्बर्स बोले हैं, उस हिसाब से वह अकाल राहत में एक व्यक्ति को भी ठेके पर नहीं लगा सकते। लेकिन कई एजेन्सीज इस तरह का काम कर रही है कि अकाल राहत के तहत मजदूरों को न लगाकर ठेके के ऊपर काम करा रही है। अकाल राहत का काम ठेके पर नहीं किया जाना होता है। सीधा मजदूरों को एजेन्सी लगाएगी और उसका पैसा देगी। इसलिए इस बारे में भी आपको सोच-विचार करके पाबन्दी लगानी चाहिए। जहां कहीं भी इस तरह की हरकत हो रही है उनके ऊपर बहुत सख्ती के साथ में कार्यवाही की जानी चाहिए।

तीसरा माननीय सभापति महोदय, एनीकट्स। यह उस दिन भी काफी डिस्कस हुआ था। मैं आपके मार्फत, सदन के मार्फत सम्बन्धित मंत्री महोदय से और सरकार से, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि एनीकट्स बनाए जाने की जो पाबन्दी लगा रखी है, इससे ज्यादा घातक और कोई निर्णय किसी सरकार का नहीं हो सकता है क्योंकि आज के दिन अगर हमारी यह स्थितियां बन रही हैं, जबकि मैं यह कह सकती हूं जो डेजर्ट एरियाज हैं, वेस्टर्न एरियाज हैं, भीलवाड़ा जैसे एरियाज हैं जिनमें बहुत भयकर अकाल पड़ते आ रहे हैं। उनके मुकाबले में जयपुर, अलवर जैसों के अन्दर अकाल पड़ने भयंकर शुरू हो जाएंगे। आज भी काफी अकाल है जयपुर जिले में। लेकिन आगे और भी ज्यादा अकाल पड़ेंगे। अगर हम लोगों ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि जो वाटर रिसोर्सेज हमारे पास है, उनको हम सही ढंग से अगर अपने साथ में लेकर नहीं चलेंगे, उनको रोकने की, उनको संरक्षण करने की, वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स छोटी-छोटी हमको हाथ में लेकर और जो पुराने बंधे टूटे पड़े हुए है या मरम्मत के लायक हैं या अपूर्ण हैं, उनके ऊपर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इन इलाकों को भी हम डेजर्ट बना देगें हमारी इस नीति के अन्तर्गत। इसलिए मैं इस नीति का विरोध भी करती हूं और यह अपेक्षा भी करती हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी इस प्रतिबन्ध को हटायेगी और उनको अगर कहीं यह आशंका है कि वाटर सप्लाई स्कीम्स के केचमेन्ट में

(श्रीमती कमला)

उससे दिक्कत हो रही है तो आप उसके, ऊपर पाबन्दी लगा दें। आपने सारे एरिया पर ही आंख मींचकर पाबन्दी लगा दी कि आप किसी जगह भी एनीकट नहीं बनायेंगे। राजस्थान से बाहर पानी जा रहा है, उस पर भी लगा दी और जो एरिया के अन्दर ही फैल करके रह जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है उस पर भी आपने पाबन्दी लगा दी। वहां कोई भी वाटर स्कीम नहीं है फिर भी लगा दी। तो यह इस तरह अंधाधुंध आंख मींचकर पाबन्दी लगाना अपने आप में बहुत ही घातक चीज है। इसको हमें वापस बदलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे इलाके में कम से कम 20 बंधे और एनीकट ऐसे हैं जो अलग-अलग समय पर बने थे जो अपूर्ण बने हुए हैं और उनकी मरम्मत के लिए वह बड़ी से बड़ी उपयोगी स्कीम आज बरबाद होती चली जा रही है। आखिर फिर इसका क्या बनेगा ? अगर इन इलाकों का हमारे पास कोई पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, हमारे पास कोई इन्दिरा कैनाल नहीं है, कोई चम्बल नहीं है जयपुर जिले के अन्दर तो फिर क्या हमारे इन छोटे-छोटे रिसोर्सेज को बांधने का हमको हक नहीं होगा। तो क्या हम को भी भूखा मरने के लिए छोड़ेंगे ? राजस्थान के और हिस्से, को तो आपने छोड़ ही रखा है। यहां पर भी आप अकाल लाकर के खड़ा कर दीजिये। एक तरफ यह आपकी नीति हमको अकाल-ग्रस्त कर देगी, दूसरी तरफ जो सिंचित अकाल होगा वह हो जायेगा। नील गायों से और आवारा पशुओं से आज इतनी भयंकर हालत हो रही है अकाल की लोगों के पास पशुओं को खिलाने के लिए चारा नहीं है और नतीजा यह है कि उन्होंने अपने सारे जानवर एक आधा कोई दुधारू जानवर को अपने घर में रख रखा है बाकी सारे जानवरों को छोड़ दिया। वे सारे जानवर मिल कर खेती के अन्दर नुकसान कर रहे हैं। नील गायों के झुण्ड के झुण्ड घूमते रहे तो नतीजा यह होगा कि आपकी नीतियां एक तरफ यह हालात और दूसरी तरफ प्रशासन की नेग्लिजेंस और भेदभाव होता है तो यहां कर दो वहां मत करो, यहां करने को भी कह दिया तो भी मत करो। तो यह सारा नतीजा इन इलाकों के ऊपर जाकर बहुत गम्भीर असर डालने वाला है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप मेहरबानी करके एक तरफ हिसाब दीजिये, पैसा दीजिये, निगरानी कीजिये और इन एनीकट को बनाने की इजाजत दीजिये।

तीसरी बात, मेरी इसमें यह कहनी है कि आपने मजदूरों को लगाने की क्या नीति करी ? आप कितने एरिया के अन्दर, कितनी पोपुलेशन के ऊपर, कितना-कितना लेबर देंगे। हमारे पास अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। न तो हमको डिस्ट्रिक्ट कमेटी से कोई मिली है न कलेक्टर के यहां से मिली है कि कितने मजदूर आप लगा पायेंगे। मेरा यह निवेदन है कि जितने भी गरीब आदमी लगाने को तैयार हैं जो मजदूरी के बिना परेशानी में है, उसको लगाया जाना चाहिए। जिस गांव को आपने अकालग्रस्त घोषित किया है उसके मजदूर तो लगने ही चाहिए, प्राथमिकता से लेकिन मेरा यह भी निवेदन है अकाल राहत मंत्री जी से कि उस समय यह कन्सेशन करें कि जो लोग हम पहले करते आये हैं कि पांच किलोमीटर के अन्दर अगर कोई ऐसा गांव है जिसमें आम तौर पर कमजोर वर्ग के

(श्रीमती कमला)

लोग और गरीब स्थिति के लोग रह रहे हैं जिनका कोई और आजीविका का साधन नहीं है उनको भी हमें लेना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, अलवर रोड़ के पास एक गांव कुहाड़ा जो अकाल में डिक्लेयर हुआ है उसके एक तरफ मासिंग का बास है जो कम से कम 95 प्रतिशत शिड्यूल्ड कॉस्ट का गांव है उसके दूसरी तरफ इस्माइलपुर है जिसमें 50 परसेण्ट ओ. बी. सी. है तथा 50 परसेन्ट शिड्यूल्ड कॉस्ट हैं वह फेमिन में डिक्लेयर नहीं है। आज वहां के लोग कहां जायेंगे अगर पास के गांव में अकाल का काम चल रहा हैं तो फिर आप छोटे गांव के लिए 10-20 लोगों को रोजगार दे देंगे, नहीं तो वह कहां जायेंगे। छितोली रोड के पास 2-3 गांव अकाल में मन्जूर हुए हैं लेकिन गोगेराय टोला भी शिड्यूल्ड कॉस्ट का गांव है उनको कोई जाने की जगह नहीं है। एक पहाड़ी के टेकड़ी के ऊपर बसा हुआ है न वहां पर कोई कमाई का जरिया है, न खेत है, न मजदूरी है, कुछ भी नहीं है और पड़ोस में मजदूरी का साधन खुला है तो आप उसमें कह देंगे कि आपका गांव तो घोषित नहीं है इसलिए आपको मजदूरी नहीं मिलेगी। तो मेरा यह निवदेन है कि जैसा हम लोग हमेशा करते आये हैं जिस तरह के इलाके में काम चले उसमें आसपास के इस तरह के इलाके के लोगों को भी मजदूरी दी जानी चाहिए।

इसके बाद आइडेन्टिटी कार्ड है। माननीय सभापति महोदय मजदूर अगर आइडेन्टिटी कार्ड लेने के लिए पंचायत समिति, पी. डब्ल्यू. डी. और इरिगेशन के दफ्तरों में घूमता रहेगा तो वह मजदूरी कब करेगा और क्या खायेगा? इसलिए यह जरूर आप पाबन्दी करिये और इस तरह के नियम सरकार बनाये कि जिन कामों के ऊपर मजदूर लग रहे हैं उन कामों के उच्च स्तरीय अधिकारी की जैसे पी. डब्ल्यू. डी. है तो ए. ईएन. की, छोटे मेट वगैरह की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए वह गलत मस्टर रोल बनाते हैं। इसलिए आपने यह पाबन्दी लगाई यह बात सही है लगानी भी चाहिए। करोड़ों-करोड़ों रुपये फेमिन में लोग महल बना लेते हैं और यह इस तरह की स्थिति बीती हैं इसलिए वह न गुजरे उसके लिए यह तो ठीक है लेकिन जो मजदूर हैं वह खुद आइडेन्टिटी कार्ड के लिए नहीं फिरे। इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मौके पर जाकर के जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको आइडेन्टिटी कार्ड इश्यू करें।

इसी तरह मेरा यह निवेदन है कि आपकी कम कीमत की दुकानों का जो काम है, अनाज पहुँचाने का काम है। आज आपका खाद्य विभाग है, आपूर्ति विभाग है वह बहुत सतर्क होना चाहिए। वह सामान अपनी दुकान में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं और उनके पड़ोस में अगर फेमिन रिलीफ का काम चल रहा है तो डिपार्टमेंट और नोडल एजेंसी का यह काम होना चाहिए कि मौके पर जाकर उनको वितरण करें जिससे कि उन्हें कोई एक्स्प्लायटेशन नहीं करें और जो थोड़ा सा पैसा मिलता हैं वह इसी के अन्दर खर्च नहीं हो जाना चाहिए। यह मेरा आपसे निवदेन है। इसके अलावा मजदूरी में जो भुगतान की व्यवस्था है वह भी बहुत सही होनी चाहिए। अभी तो मैं समझती हूं कि हमारे यहां तो शुरू ही नहीं

(श्रीमती कमला)

हुए। मैंने बहुत समय तक सुखाड़ियाजी के जमाने में फेमिन रिलीफ का महकमा सम्भाला है और इण्डिपेण्डेण्ट वे में सम्भाला है। करोड़ों रुपयों का काम हुआ है उस वक्त में अगर कोई खास चीज करने की होती तो वह कि समय पर उनको पैसा मिलना चाहिए। अगर समय पर पैसा नहीं मिलता है, माननीय मंत्री महोदय क्या होता है कि वह बोहरे से उधार लेता है सामान और बोहरा उससे डेढ़ा पैसा चार्ज कर लेता है। जो रिलीफ आप फेमिन रिलीफ के नाम पर देना चाहते हैं वह रिलीफ बोहरे को मिलती है, उस गरीब आदमी को नहीं मिलती है। वह इसलिए कि आप उसको अनाज की सप्लाई सही ढंग से नहीं करते इसलिए नमक मिर्च, गुड़, धनिया, और अनाज जो कुछ भी जरूरी चीजें हैं रोटी खाने के लिए इतनी सी चीजें दुकान में होनी चाहिए। मौके पर उसको मिलनी चाहिए, सही कीमत पर मिलनी चाहिए ताकि वह बोहरे का दखेल नहीं हो। इस तरह की व्यवस्था आपको इस समय में करनी चाहिए।

तीसरा मेरा निवदेन है कि जितनी भी आपके चारे की व्यवस्था है, अभी तक कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे कहा, लोगों ने डांगर छोड़ दिये हैं वे दूसरों को भी नुकसान कर रहे हैं, खुद भी दुखी हो रहे हैं, मवेशी मर रहे हैं और अगर थोड़े दिनों में आपने व्यवस्था नहीं की तो खेत वाले तो वैसे ही निकाल देंगे और अभी तो खेती की फसल कट जायेगी वैसे भी कुछ खाने को नही रहेगा तो फिर उसके बाद इन जानवरों की क्या स्थिति होगी! अभी वेस्टर्न राजस्थान में आपने कंकाल देखे हैं थोड़े दिनों में आप जयपुर जिले के अन्दर भी कंकाल देखने लग जायेंगे क्योंकि उनको खड़ा रहने की जगह नहीं है।

श्री सभापति : सरकार तीन रुपया दे रही है।

श्रीमती कमला : किस बात का तीन रुपया ?

श्री सभापति : आवारा पशुओं के जो कैम्प लगे हैं उनको।

श्रीमती कमला : किस को दे रहे हैं? अभी तो दे ही दे रहे हैं यहां पर आसन से ही दे रहे हैं और तो कहीं नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जो आप देने की बात कह रहे हैं वह पहुंचनी चाहिये। पहुँचने का कोई जरिया, माध्यम तय नहीं किया गया है। कहां पर आप फोडर डिपो खोलेंगे कहां से चारा मिलेगा ? चारा नहीं लेना चाहे तो पैसा मिलेगा या पैसा नहीं लेने चाहे, चारा नहीं लेना चाहे तो आपके मवेशी को फलां जगह ले जाया जायेगा। कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। वह व्यवस्था नहीं हो रही है। कहने-सहने की बातें हैं, करने के नाम पर बहुत बड़ा सा जीरो है जिसको बालक लोग अपनी भाषा में अण्डा कहते हैं।

चौथी बात मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि जो पानी की व्यवस्था है। उस पानी की व्यवस्था के बारे में तो बिलकुल भी गम्भीरता नहीं है। हालत यह है कि जो सुधार करने के लिये अगर 100-50 फीट भी नीचे खोदते हैं तो आज विभाग के पास पाइप नहीं है। मैंने खुद मंत्री

(170)

(श्रीमती कमला)

महोदय से कल बात की कि मैंने आपको बहुत मेहनत करके माननीय सभापति महोदय, यह देखिये, 29 गांवों की योजना हैं, 3 मेरे नगरीय जगह की योजना है ।....

श्री सभापति : कल पेयजल पर विचार होगा ।

श्रीमती कमला : नहीं, मैं बता रही हूं और इसके अलावा 445 हैण्ड पम्प एक-एक ढाणी-ढाणी में, गांव में मीटिंग करके जा करके, लेकर के तैयार करके विभाग को मैंने दी है, मुख्य मंत्रीजी को भी दी है और मंत्री जी को भी दी है, लेकिन् आज तक इनके ऊपर कहीं इक्का-दुक्का कोई मेहरबानी हो गई हो तो हो गई बाकी न तो कोई स्कीम मन्जूर हुई न कोई हैण्ड पम्प सुधरे हैं. न कोई नये हैण्ड पम्प मिले हैं और कहते हैं, हमको कह दिया कि बड़ा भारी काम करना है पर पैसा भी नहीं हमारे पास। यह सही बात है, मैं आपसे कह रही हूं सभापति महोदय, विभाग के पास तो इतने बड़े संकट को हल करने के लिये बहुत बड़े पैमाने पर जो धनराशि चाहिये आज उनके पास उपलब्ध नहीं है । हम उनको जोर दे सकते हैं कि जितना सा कर सकते हैं वह तत्परता से नहीं कर रहे लेकिन उनके पास धनराशि ही नहीं है तो करेंगे कैसे ? आज सुधारने के लिये ही पैसा नहीं है तो जो नल योजनाएं टूटी पड़ी है. मोहल्लों में पाइप लाइन तक नहीं पहुंच रही हैं, पानी का कन्जर्वेशन का कोई हिसाब नहीं हैं तो फिर विभाग के लिए अपन क्या दोष दे सकते हैं ? इसलिये मैं आपसे निवेदन करती हूं. मैंने अध्यक्ष महोदय से भी कहा था कि वह भी अपना प्रभाव डालें सरकार पर कि वह ज्यादा से ज्यादा इस मामले में पैसा दिलाएं और इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए कार्यवाही करायें । इसके बाद में आखिर में मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूं कि जो नये हैण्ड पम्प लगाने हैं उनकी नीति निर्धारण की जानी चाहिये ।

श्री सभापति : कल पेयजल पर बहस होगी लेकिन....

श्रीमती कमला : कल होगी, वह ठीक है । लेकिन अकाल के साथ जुड़ा हुआ है इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि मुख्य मुद्दा व्यवस्था का और पैसे का है । दूसरा एनीकट की परमीशन जारी करने का है । तीसरा यह है कि आप रोजगार देने के लिए, मजदूरी देने के लिए मजदूरों की कैटेगरी, उनके आइडेंटिटी कार्ड भुगतान और अनाज के वितरण की पुख्ता व्यवस्था करिये और काम शुरू करवाइये । सिर्फ अभी कागजों पर इधर-उधर चिट्ठी पत्रियां हो रही हैं । काम कुछ नहीं हो रहा है । मेहरबानी करके, कहीं शुरू कर दिया तो मैं उनको मुबारकबाद देती हूं कि वह बड़े सौभाग्यशाली हैं, किधर के भी होंगे । लेकिन अभी तक हमारे जिले में तो काम शुरू नही हुआ है । कहीं-कहीं शुरू कर दिया है बाकी सब ऐसा ही चल रहा है । इसलिए एजेन्सीज को पैसा हो, स्टाफ हो, कार्यवाही हो, इस बात के लिए मैं आपसे निवेदन करती हूं । धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री शिवकिशोर सनाढ्य (अनुपस्थित), श्री शांतिलाल खोईवाल ।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद): सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिये जो मापदंड बने हुए हैं, वह मुझे उपयुक्त नहीं लग रहे है। इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि यदि किसी क्षेत्र में बरसात अपर्याप्त हुई हो, खरीफ की फसल में ज्यादा बिगाड़ा हो गया हो तो उस क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया जाता है लेकिन मेरा इसके बारे में दूसरा कहना है कि यह तो एक तरीका हो सकता है लेकिन कुछ ऐसे स्थायी तौर तरीके हैं, स्थायी कारण हैं, जो सरकार ने उपयुक्त ढंग से निर्णय नहीं लिये हैं। वह भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे स्थायी अकालग्रस्त क्षेत्र बनते जा रहे हैं।

मैं रेलमगरा तहसील के बारे में आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि रेलमगरा में इस वर्ष मात्र पांच इन्च बरसात हुई है। राजसमंद में सात इन्च बरसात हुई है। बरसात नहीं हुई तो खरीफ की फसलें भी नहीं हुई बिगाड़ा हुआ और उसको अकालग्रस्त घोषित कर दिया गया। किसी वर्ष कम बरसात होगी तो निश्चित तौर से यह अकालग्रस्त घोषित हो जायगा। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हैं कि ज्यादा बरसात होने के बावजूद भी स्थायी तौर से अकालग्रस्त क्षेत्र है। इसका नमूना मैं आपके समक्ष पेश करना चाहूंगा रेलमगरा तहसील में हिन्दुस्तान जिंक की दरीबा माइन्स है। वह लगभग 15 सौ मीटर गहरी है। 15 सौ मीटर गहरी होने के कारण खूब बरसात होने के बावजूद भी सारा पानी रिसाव के माध्यम से खनन में चला जाता है और उन खानों में जो पानी जाता है उसको पम्प आउट करके बाहर फेंक दिया जाता है। उस पानी की कोई उपयोगिता नहीं रहती। तो पानी ज्यादा बरसने के बावजूद भी वहां पर वाटर लेवल नीचे रहता है। नीचा रहेगा तो खेती नहीं होगी। अब आप देखिये कि मात्र बरसात का क्या लेना देना है इसमें। मैं नहीं समझता कि एक मात्र जो तरीका आप अपनाते हैं, कि बरसात कम हो खरीफ की फसल नहीं हो, उसी को अकालग्रस्त घोषित कर दिया जाये। दूसरा कारण यह है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से जिस तरह के आदेश प्रसारित किये गये हैं कि जहां बड़े-बड़े बांध बने हुए हैं। उसके कैचमेंण्ट एरिये में किसी तरह का एनीकट वगैरह का निर्माण नहीं किया जाये क्योंकि उन बांधों में पानी नहीं पहुंचेगा। उनका कहना बिलकुल ठीक है लेकिन राजसमन्द, चित्तौड़, उदयपुर जो लगभग तीन सौ, साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर हैं वहां पहली बात तो बहुत कम बरसात होती है और कम बरसात का पानी भी बहकर निकल जाता है। वहां पर एनीकट्स बना कर पानी को रोकेंगे नहीं वहां कुंओं का वाटर लेवल ऊंचा उठाने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप बताइये श्रीमन् वहां की जनता, वहां के किसान जिनकी आजीविका खेती-बाड़ी पर निर्भर करती है, उनका काम कैसे चलेगा.? मैं नहीं समझता इस तरह के निर्णयों से एक क्षेत्र को आप उभारना चाहते हैं और दूसरे क्षेत्र को आप साफ मारना चाहते हैं। यह नीति किस तरह की है। इस नीति के बारे में आपको विचार करना चाहिये ? दूसरा मेरा निवेदन यह है कि अकाल राहत के जिस तरह के कामकाज शुरू किये गये हैं

श्री शांतिलाल (खोईवाल)

उसमें भी बड़ी मोटी-मोटी विसंगतियां हैं। मेरे क्षेत्र में लगभग दो सौ गांव अकाल की स्थिति में है। मैंने एक प्रश्न पूछा था मंत्रीजी से तारांकित प्रश्न के माध्यम से उनको मैंने यह निवेदन किया था कि क्या आपने दो सौ गांवों के लोगों को राहत पहुंचाने के लिये पर्याप्त संख्या में अकाल राहत के काम शुरू कर दिये? उन्होंने कहा हमने 19 काम शुरू कर दिए। यह 19 काम शुरू कर दिये तो क्या इससे दो सौ गांव की जनताकवर हो जाती है? तो इसके बारे मेंभी आप बिलकुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ इस तरह से मेरे प्रश्न का जवाब दिया है, उसी तरह से अभी जवाब दे देंगे। इससे मेरी समस्या का निवारण नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मेरा अकाल राहत मंत्रीजी से बहुत स्पष्ट शब्दों में निवेदन है कि आप अकालग्रस्त क्षेत्र दोनों ही तरीके से मेरे यहां ज्यादा बरसात होती है तो भी अकाल होगा क्योंकि वह हिन्दुस्तान जिंक की माइन्स बहुत गहरी है, 15 सौ मीटर और एनीकट नहीं होने के कारण सारा पानी बहकर चला जाता है। आप बीलसपुर परियोजना को जिन्दा रखना चाहते हैं.......

श्री सभापति : तो परमानेन्ट........

श्री शांतिलाल खोईवाल : आप मेजर डैम को जिन्दा रखना चाहते हैं ..

श्री सभापति : परमानेन्ट अकालग्रस्त कर दें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : परमानेन्ट अकालग्रस्त आप कहेंगे श्रीमान्। नहीं कहेंगे तो भी वह परमानेन्ट अकालग्रस्त क्षेत्र हो जायेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि इसके बारे में उचित ढंग से चिन्तन नहीं किया गया तो निश्चित रूप से आने वाले पांच साल बाद राजसमन्द जिला स्थायी तौर से अकालग्रस्त क्षेत्र बन जायेगा और वहां के लोगों को पलायन करना पड़ेगा। वहां के लोग जिन्दा रह नहीं सकते। आज स्थिति वहां की यह है कि पांच सौ फीट गहरा करने पर भी किसी गांव में पानी नहीं है। कल मैंने शून्यकाल के समय में निवेदन किया था कि रेलमगरा तहसील में आज पेयजल की दृष्टि से एक भी स्रोत नहीं है: सारे स्रोत सूख चुके हैं। इसका कारण क्या है? क्या स्थायी तौर से इस समस्या का निवारण करने के लिए विभाग कोई चिन्तन कर रहा है? मैं नहीं समझता हिन्दुस्तान जिंक के बारे में कभी चिन्ता नहीं की। मैं पिछले चार साल से इसके बारे में बराबर निवेदन करता आया हूं। आज दिन तक इसका कोई निदान निकालने का प्रयास नहीं किया गया। कोई अटेम्पट ही नहीं किया गया। एनीकट्स के बारे में रोज चर्चा हो रही है अपने इस सदन में लेकिन इसके बारे में भी सिर्फ जवाब दे दिया जाता है क्योंकि बीलसपुर परियोजना को जिन्दा रखना है, मेजर डैम को जिन्दा रखना है इसलिए एनीकट के निर्माण नहीं होंगे। अधूरे होंगे, वह भी नहीं बनेंगे। तो आप चाहते क्या हैं? आखिर उस क्षेत्र को इतनी बुरी तरह से नजरदांज क्यों कर रहे हैं? अब मुझे लग रहा है कि सीधे-सीधे मारना चाहते हैं। आप फरमा रहे हैं। मैं इसको हां भर रहा हूं, ना नहीं कर रहा हूं। इसके बारे में यदि विभाग अपनी ओर से किसी कमेटी

श्री शांतिलाल (खोईवाल)

का गठन करके हाइड्रोलोजिक सर्वे कराये और इसके बारे में चिन्तन करे। इसके कारणों का पता लगाकर इसके निवारण का प्रयास करे तभी कुछ हो पायेगा। नहीं तो उस क्षेत्र को बरबाद होने से आप नहीं रोक पायेंगे।

जहां तक माइन्स का प्रश्न है। मैं राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां पर जितनी रायल्टी के रूप में वह क्षेत्र पैसा देता है। आज लगभग चार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष रायल्टी के रूप में राजस्थान सरकार को राजस्व के रूप में मिलता है। चार करोड़ में से उस क्षेत्र के विकास के लिए आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। 1991-92 का जब माननीय मुख्यमंत्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया था उसमें एक आदेश निकाल दिया सड़कों के निर्माण में 50 प्रतिशत माइन्स ओनर्स का कन्ट्रीब्यूशन होगा। मैं पूछना चाहूंगा विभाग के अधिकारियों और खनन मंत्रीजी से कि इस आदेश के प्रसारित होने के बाद कितने लोगों ने 50 परसेण्ट कन्ट्रीब्यूशन करके सड़क का निर्माण कराया ? मेरा दावा है कि एक भी सड़क का निर्माण उसके बाद में नहीं हुआ होगा। पता लगा लीजिये अपने अधिकारियों से और इसका जवाब दीजिये मेहरबानी करके। एक भी क्षेत्र में, तो क्या आप क्षेत्र का दोहन करने से जो रायल्टी सरकार को मिलती है, उस क्षेत्र का कोई हक नहीं बनता है क्या ? उस क्षेत्र के विकास के लिए आप कुछ पैसा वहां खर्च करें। आज दिन तक इसके बारे में भी कोई चिन्तन नहीं किया गया और मैं दुबारा रिपीट कर रहा हूं कि पता लगा लीजिये कि इस तरह के आदेश प्रसारित होने के बाद कितनी सड़कों की मंजूरी मिली है। एक भी सड़क की नहीं मिली है। इसी तरह से कुछ माइन्स

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

की लीजेज अलॉट करने में बड़ी विसंगतियां हैं। मार्बल की लीजेज ग्रान्ट करने के लिए सौ बाई सौ मीटर का पट्टा दिया जाता है। अब यदि किसी व्यक्ति के पास स्वयं की जमीन है, खातेदारी की जमीन है और उसके एग्जेक्ट सौ मीटर लम्बा और सौ मीटर चौड़ा नहीं हो और लगभग वर्गमीटर की दृष्टि से दस हजार वर्गमीटर हो जाता है, तो इसमें आप अड़चने क्यों लगाते हैं ? इसमें आपको किस तरह की दिक्कतें आती है ? क्या यह विसंगति नहीं है ? इस तरह की विसंगतियों को भी आपको दूर करना पड़ेगा और एक सबसे बड़ी दिक्कत राजसमन्द क्षेत्रको जो है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रायल्टी, माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है रायल्टी का मामला है....

श्री सभापति : यह समाप्त हुआ।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : रायल्टी का जहां तक प्रश्न है, ब्लोक्स....

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए है।

श्रीशांतिलाल खोईवाल : वहां पर ब्लॉक्स में रायल्टी लग रही है श्रीमान् और मेरा दावा है कि जो चार करोड़ रुपया रयाल्टी के रूप मे राजसमंद क्षेत्र देता है, मैं छह करोड़ रुपये का आपको वायदा करता हूं, अगर रॉयल्टी ब्लॉक्स से स्लेब्स में कन्वर्ट कर दे और ब्लॉक्स में रायल्टी

(174)

श्री शांतिलाल (खोईवाल) के कारण वहां पर रायल्टी की चोरी हो रही है बड़ी भारी मात्रा में और उस चोरी को यदि आपको रोकना है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का ऐसा हेतु है, ध्येय भी है कि आप इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं तो वह ब्लॉक्स में जानबूझकर के, क्योंकि ब्लकास में कितने स्लेब्स निकलेंगे यह कोई गारण्टी नहीं है, कितना टूट-फूट हो जाता है, कितना खराब हो जाता है इस खराबा को बचाने के लिए, यदि आप स्लेबस में कर देते हैं तो निश्चित तौर से वहां रयाल्टी की जो चोरियां हो रही हैं वह चोरियां होना बंद हो जायेगी और आपकी स्टेट को अच्छी रेवेन्यू मिलेगी और आपकी सरकार में विकास के काम में वह पैसा आएगा। मैं सभापति महोदय, दो चार बिन्दू है जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, मैं समझता हूं कि मैंने जो बातें रखी हैं इसके बारे में माननीय खनिज मंत्रीजी से राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा, राहत मंत्रीजी ने जिस तरह का जवाब दिया है मेरे प्रश्न का, वह बहुत अनर्गल जवाब है। मैंने उनसे मांगा था कि दो सौ गावों के लोगों को जो अकाल ग्रस्त क्षेत्र है, उसको क्या रोजगार मुहैया करवा दिया। उन्होंने कहा मैंने 19 काम खोल दिए। अब 19 काम कहां खोले है, क्या दो सौ ही गांव के लोगों को राहत मिल गई है ..

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री शांतिलाल खोईवाल : इसके बारे में विचार करें चिन्तन करें। इसका जवाब दें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी। ....(व्यवधान).... माननीय सदस्य सुनें।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मेरा नाम....

श्री सभापति : आप, जिन माननीय सदस्यों को पुकारा गया था, वे नहीं थे, उनका क्या करूं, आपका नाम पुकारा गया था, (व्यवधान) आप नहीं थे। (व्यवधान.... आपका भी पुकारा गया था। आप भी नहीं थे।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस विभीषिका के दौर से....

श्री शिवकिशोर सनाढय : सभापति महोदय, मेरा नाम .. ....

श्री सभापति : आपका भी पुकारा गया था, आप भी नहीं थे....

श्री शिवकिशोर सनाढय : उन्होने कहा था कि आपका नाम सबसे पीछे है तो मैंने कहा कि किसके बाद है . .(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चलो ठीक है, समय बरबाद न करें।

एक माननीय सदस्य : पूछकर गए हैं।

श्री सभापति : बिराजिए माननीय सदस्य, अब सबके बाद में हैं तो सबके बाद में ही आएगा। बिराजें . . (व्यवधान) श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी : जिस विभीषिका के दौर से राजस्थान गुजर रहा है। अकाल की जो भीषण परिस्थितियां हैं, सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं और उस वक्त मैंने अकाल की स्थिति पर मैंने हर सदस्य की बात सुनी कि पर्याप्त अकाल राहत कार्य आप नहीं खोल पा रहे हैं, मैं भी ....

श्री सभापति : आप खनिज पर आइए।

श्री विष्णु मोदी : दो ही मिनट। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके साधन हैं उनको बीयर अप करके और ज्यादा से ज्यादा आप हर परिवार में से एक आदमी को नौकरी दिलाने की, अकाल राहत में काम दिलाने की व्यवस्था करिए। एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पक्के काम करायें और उन कामों को प्राथमिकता दें जो कि इस अकाल के पीरियड में पूरे हो जाएं और इसके साथ सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी के ऊपर यह आरोप भी लगाना चाहता हूं कि यह अजमेर जिले से हैं तो अजमेर जिले में कम से कम अकाल में पोलिटिक्स न करें। अजमेर से चार जने हम कांग्रेस से जीतकर आए हैं और चारों के विधान सभा क्षेत्र में एक चारा डिपो आपने अभी नसीराबाद में खोला है जिस गांव में आपका स्वागत हुआ है और आज तक आपने बाकी जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतकर आए हैं वहां आपने सब जगह चारे के डिपो खोल दिए हैं लेकिन आपने दूसरी जगह चारे के डिपो नहीं खोले हैं। मगर चारा तो वोट देने वाले लोग नहीं खाते आप उनसे बदला नहीं निकाले कि आप उनके क्षेत्रों में चारे के डिपो न खोले।

श्री टीकमचन्द कान्त : भाजपा सरकार पक्षपात नहीं करती।

श्री विष्णु मोदी : वह तो आप देख लें, आप खुद बता दें, आप यह खुद देख लें.......

श्री सभापति : आप बोले माननीय श्रीमान् विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी : पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़ में आपने कितने डिपो खोले हैं ?

(व्यवधान)

और इसके साथ में, मैं माननीय सभापति महोदय, यह भी एक और आरोप लगाना चाह रहा हूं कि सामाजिक कार्यकर्ता की जो कमेटी बनी है ....

श्री सभापति : आज समय सीमा तय है चाहे आप आरोप लगा ले .'.

श्री विष्णु मोदी : एक सैकण्ड में लगा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के जो तीन एम. एल. ए. हारे, देहात के उन तीनों को आपने जिला स्तरीय कमेटी के अन्दर मेम्बर बना दिया तो क्या आप इस विभीषिका के दौर में आप राजनैतिक कम से कम न करें और मानवीय आधार पर इस के ऊपर कार्य करें।

माननीय सभापति महोदय; अभी मैं सभी सदस्यों को जो खनिज के बारे में बात कर रहे थे उनको बहुत गौर से सुन रहा था और सभी लोग यह चाहते हैं, मुख्य

(श्री विष्णु मोदी)

मंत्री जी भी यह चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का विकास हो और उसमें संसाधन जुटाए जाएं। दुर्भाग्य है राजस्थान का कि जो खनिज के अन्दर हमारा स्टेट जो खनिज में जितना रिच है वह हिन्दुस्तान में पिछड़ा हुआ तो बहुत जगह है लेकिन खनिज जो सम्पदा है वह हमारे प्रदेश की एक एक बहुत बड़ी सम्पदा है लेकिन उसमें उसका दोहन ठीक तरह से नहीं हो रहा है और उसके अन्दर जो सबसे पहली बाधा आ रही है जिसको दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मेनिफेस्टो की बात कही है कि जो कंजरवेशन एक्ट हैं, लेकिन उससे बड़े दुर्भाग्य की बात है माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट तो सिर्फ इस बात को बोलता है जो फोरेस्ट लैण्ड है उसके अन्दर-अन्दर देना अगर फोरेस्ट के काम करेंगे तो भारत सरकार की मंजूरी लेंगे और फोरेस्ट लैण्ड कौन बताता है, फोरेस्ट लैण्ड है राजस्थान फोरेस्ट लैण्ड एक्ट, 1953। यह समझ में नहीं आया कि पिछले इतने दिनों से तुगलकी फरमान तो जारी हुए इस विभाग के कि यह फोरेस्ट की एन. ओ. सी. ली जाय, ट्रांसफर नहीं किया जाय, एप्लीकेशन नहीं दिया जाय, छह महीने का, पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जाय कि खाने कैन्सिल की जानी हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह बात विभाग की ओर माननीय [illegible] महोदय को बताना चाहता हूं कि [illegible] फोरेस्ट के अलावा [illegible] फोरेस्ट हो वह राजस्थान फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट, 1953 के तहत आप इसको डिनोटिफाई कर सकते हैं और उसमें राजस्थान सेण्ट्रल कंजरवेशन फोरेस्ट एक्ट कहीं भी आड़े नहीं आता है जो खाने सन् 80 के पहले की हैं उसके अन्दर आपका फोरेस्ट अब आप बनाते हैं तो पूरी प्रक्रिया है। मैं उन बारीकियों में समय सीमा के कारण नहीं जाना चाहता हूं लेकिन आप उस राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 का अध्ययन करेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे और खाली एक तलवार को जो फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट ने अपने हाथ में ले रखी है कि यह कंजरवेशन एक्ट आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते। उनको दोनों को आप रिलेक्ट करके देखेंगे तो आज जो सन् 80 के पहले की और चाहे वह अलवर की समस्या हो, चाहे रणसीसर की समस्या हो, चाहे किसी भी एरिया की फोरेस्ट की प्रॉब्लम आ रही हो वह अपने स्तर पर ही 80 से 90% प्रॉब्लम आप अब सोल्व कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, एक एन्वारमेण्ट एक्ट और आ गया जिसमें अलवर इफेक्टेड है और उसके ऊपर अभी एक नोटिफिकेशन और आ गया, उसके अन्दर सीमेण्ट नहीं है। नोटिफिकेशन एक्ट होता है उस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के वक्त में जो फाइल नोटिफिकेशन होता है उसमें वह बात नहीं आ सकती है जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में नहीं हो सकती है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को के आप कम कर सकते हैं लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन में आप उसको बढ़ा नहीं सकते। मैं सरकार का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि उन्होंने पहले एक सीमा बनाई थी कि रिजर्व फोरेस्ट से प्रोटेक्टेड फोरेस्ट से पांच किलोमीटर पच्चीस किलोमीटर की रेडियस में आप कुछ नहीं करेंगे वह तो उन्होंने

(श्री विष्णु मोदी)

हटा दी लेकिन इसके अलावा सारा खनिज पहले उसमें एज माइन्स नहीं था लेकिन एज माइन्स को पूरी को वे उसके तहत ले आए और उसमें सीमेण्ट को विशेष रूप से उसके अन्दर ले आए। आज अगर हम हमारी खनिज सम्पदा का क्लासीफिकेशन करेंगे तो मेजर मिनरल के अन्दर हिन्दुस्तान कॉपर हिन्दुस्तान जिंक, उसके बाद में सीमेण्ट ही एक ऐसा है जो उनसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को इस बारे में लीगल ओपीनियन भी लेकर और हमें हाइकोर्ट में भी जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़े तो राजस्थान सरकार को नहीं हिचकना चाहिए........

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मान्यवर, मैंने अभी शुरू ही नहीं किया......

श्री सभापति : बोलिए, बोलिए। नहीं, आप बोलिए यह तो वैसे ही वाइ-द-वे बज गई, बोलिए आप। घबराओ मत।

श्री रोहिताश्व कुमार : आज आप पहली बार अनुशासन में नजर आए।

श्री विष्णु मोदी : हैं ?

श्री रोहिताश्व कुमार : आज आप पहली बार अनुशासन में नजर आए।

श्री सभापति : आप बोलिए माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी एम. एम. आर. डी. एक्ट के अन्दर अमेण्डमेण्ट हुआ उसमें जो कुछ बातें, बहुत दिनों से लोगों को इस फील्ड में, इस सेक्टर में जो परेशानियां हो रही थीं, उनमें कुछ को हल करने की कोशिश की गई है लेकिन उसके अनुरूप हमें हमारे यहां भी उसको जल्दी से जल्दी वह उस अमेण्डमेंट से एम. एम. सी. आर. में भी अमेण्ड करें और एम. सी. आर. के अन्दर भी जो लीज पीरियड बढ़ाने का है रिन्यूअल पीरियड बढ़ाने का है। उसके ऊपर जल्दी से जल्दी करें तो उसके अन्दर हमारी एक स्टेब्लिटी आएगी और उसमें रेवेन्यू बढ़ाने का ही काम होगा, कम नहीं होगी।

इस सदन में खनिज की डिमाण्ड के ऊपर शायद ही कोई माननीय सदस्य था जिसने यह नहीं कहा हो कि रायल्टी की चोरी हो रही है। मैं जो अनआथोराइज्ड माइनिंग है उस पर तो बाद में आऊंगा लेकिन माननीय सभापति महोदय, जो राजस्थान सरकार ने अपना कानून बना रखा है वह कानून ही इस तरह का बना रखा है कि चोरी होगी ही होगी। मैं आपका ध्यान राजस्थान एम. एम. सी. आर. के डेडरेन्ट के फार्मूले को पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"Provided further that the competent authority may revise the dead rent after 5 years from the date of initial grant or renewal of the mining lease in accordance with the following formula:

(श्री विष्णु मोदी)

Revised dead rent : Existing dead rent + 40% of the existing dead rent + average excess royalty of the first 4 years of each span of the 5 years.

'Provided further also that the lessee shall be liable to pay either dead rent or royalty in respect of each mineral, whichever is higher, but not both"

यह एम. एम. सी. आर. माननीय सभापति महोदय, एम. एम. आर. डी. जो एक्ट है, उसमें हमें पावर्स देता है स्टेट गवर्नमेन्ट को जिससे यह बनता है। उसमें भी डेडरेन्ट का फार्मूला है । मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि हमारे जो एम. एम. सी. आर के अन्दर डेडरेन्ट का फार्मूला है वह एक्ट की स्प्रिट के अगेन्स्ट है और उन लोगों को बढ़ावा देता है जिस से कि रायल्टी की चोरी होती है।

"The Third Schedule : Ist year-nil. IInd year to Vth year-Rs. 12.30 per hectare. VIth to Xth year-Rs. 25.00 per hectare. XIth year and onwards-Rs. 37.50 per hectare."

मैं माननीय सभापति महोदय, यह जो डेडरेन्ट का फार्मूला जो एम. एम. सी. आर. में वह बढ़ावा देता है रायल्टी की चोरी का आज एक आदमी यदि ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसका डेडरेन्ट तो हर पांचवें साल बढ़ रहा है और वह फिर 5 साल बाद में बढ़ जायेगा। फिर 5 साल में बढ़ जायेगा और जब उसका रिन्यूअल आयेगा तो स्टाम्प ड्यूटी में, रजिस्ट्रेशन में उसे उससे ज्यादा एन. एस. सी. में और सिक्योरिटी में खर्च करना पड़ेगा और अगर कोई आदमी चोरी से काम कर रहा है तो उसको सिर्फ 40 परसेन्ट ही बढ़ेगा, उसका नहीं बढ़ेगा। माननीय सभापति महोदय, खनिज सम्पदा तो लिमिटेड है। एम. एम. आर. डी. एक्ट के अन्दर 11 साल के बाद रोक लगा दी है कि डेडरेन्ट नहीं बढ़ेगा इसलिए कि एक्ट को स्प्रिट यह है। यह डिप्लिटिंग रिजर्व है। रिजर्व बढ़ नहीं रहे हैं और 5 साल में जितना काम किया आपने उसमें कुछ मिनरल निकाल लिये और अब उसमें उतने नहीं हैं लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि हमारी सरकार, मैं किसी पर्टीकुलर पार्टी की सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं लेकिन निरन्तर जब से यह चला आ रहा है तब से क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया गया। मैं यह समझता हूं कि अगर आप इसको रियेलिस्टिक टर्म पर बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी रेवेन्यु बढ़ेगी और निश्चित रूप से आप उन व्यक्तियों को जो चोरी नहीं करना चाहते हैं लेकिन इस क्लाज के कारण चोरी करते हैं वह नहीं करेंगे।....

एक माननीय सदस्य : प्रेक्टिकल अनुभव है।

श्री विष्णु मोदी : हां, हां प्रेक्टिकल अनुभव ही बता रहा हूं। मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में।

(विष्णु मोदी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो हमारे प्लान को पूरा करने के लिए....

श्री सभापति : आज अध्यक्ष महोदय ने कुछ समय सीमा तय कर रखी है। आपको उससे अधिक समय दे दिया अभी तक।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, अगर मेरे भाषण में कहीं भी आपको इर्रेलेवेन्ट नजर आए उसी वक्त आप घंटी बजा दें मैं बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य मैं समय दे रहा हूँ मेरी मजबूरी है। आप बोलिये।

श्री विष्णु मोदी : मेरी स्कूल के जमाने से ही आदत है कि घंटी बजते ही मैं अपना थैला उठाकर भाग जाता था। तो जब भी आप घंटी बजाएंगे और मैं इर्रेलेवेन्ट हूँ घंटी बजा देना।

श्री सभापति : बोलिये बोलिये।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि एक तरफ प्लान को पूरा करने के लिए आपके रिसोसेस मोबीलाइज करने हैं राजस्थान के अन्दर पिछले दो साल के अन्दर कितने खनिज पट्टे दिए गए और किन-किन आर्डर से वह बन्द किये गये हैं और कौन से कानून के तहत बन्द किये गये हैं। यह आपने राठौड़ी कर रखी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजस्थान एक ग्राइन्डिंग हाल्ट, की सिचुएशन पर है, चाहे वह राजसमन्द हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे वह आंधी हो, चाहे कहीं भी हो यहां पर खनिज पट्टे देना बन्द कर रखा है क्योंकि कानून नहीं प्रोवाइड करता है लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि यहां तो तुगलकी फरमान जारी हो हैं कि जिसकी समझ में आया वही कर दिया और जो सबसे पहले समझ में आया तो बन्द कर दिया। तो बन्द करना तो किसी चीज का हल नहीं है हमारी स्टेट को रिसोर्सेस चाहिए। जहां तक कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि जो हमारी लिजिंग पालिसी हैं कहीं तो कर रखा है तो बाई सौ मीटर, कहीं तीन सौ मीटर, बाई तीन सौ मीटर कहीं पचास मीटर बाई पचास मीटर। इसमें कोई रेशनेलिटी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस रेशनेलिटी को इन्टरएक्शन करके इन्डस्ट्रीज को जब तक आप रेशनेलाइज नहीं करेंगे तब तक इन्डस्ट्रीज का इन्टर-एक्शन नहीं होगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन्डस्ट्रीज इन्टर-एक्शन करके कि क्या साइज होना चाहिए, क्या लिजिंग पालिसी होनी चाहिए उस पर भी सरकार विशेष ध्यान दे।

(17.26)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रतिवेदन मिला उसमें फ्लाइंग स्क्वेड जो कि अनआथोराइज्ड या इल्लीगल माइनिंग को रोकने के लिए है उसमें 25 लाख रुपया आपने वसूल किया और उसके पहले 10 लाख हुआ। तो इससे ज्यादा पैसा तो आपने इस विभाग कि ब्रान्च बना रखी है उस पर ही खर्च हो जायगा। फ्लाइंग स्क्वेड के नाम पर मैं आपको यह अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि कोई भी माइनिंग इन्जीनियर या कोई भी

सुप्रिन्टेन्डिग माईनिंग इन्जीनियर अपने सर्कल के एरिया के अन्दर कि अनआथोराइज्ड माइनिंग कहां होती है, लीकेज कहां हो रहा है, चोरी कहां हो रही उसको तो देखने का उसका काम नहीं है और उसका काम तो केवल आफिस का ही रह गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा समय चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : आउट आफ टर्न आपका नम्बर आया है। आपने गोविन्दसिंह जी गुर्जर के भाषण में हस्तक्षेप किया। आप प्लीज कम्पलीट,

श्री विष्णु मोदी : मैं 5 मिनट में कम्पलीट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप दो मिनट में कम्पलीट करिये।

श्री विष्णु मोदी : अच्छा मैं कोशिश करता हूं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर जिस माननीय सदस्य का जो व्यवसाय है वह उस विषय पर यहां सदन में नहीं बोल सकते हैं। माननीय सदस्य का जो व्यवसाय है वह खनिज ही है।

श्री अध्यक्ष : इनका ज्ञान ज्यादा है, क्यों नहीं बोल सकते है ? बोल सकते हैं आप दो मिनट मे ही समाप्त करिये।

श्री विष्णु मोदी : मैं कोशिश कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 157 करोड़ का बजट का टारगेट है। कम से कम 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की चोरी तो इस खनिज विभाग के अन्दर ही है और खुले रूप से है। आपका विभाग पूरी तरह से जानता है धौलपुर' भरतपुर सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर में कटोपुतली, बिजौलिया यहां ऐसा नहीं है कि खनिज की चोरी हो रही है वह विभाग की जानकारी में है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसको आप किस तरह कानून बनाकर रोक सकते हैं और विभाग में चुस्ती लाकर भी रोकें तो इसमें हमारी सरकार की आमदनी बढ़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लिग्नाइट जिस दिन निकलने लग जायेगा उस इस दिन स्टेट का एक माइलस्टोन होगा। हमारे पास तमिलनाडु से ज्यादा रिजर्व है लिग्नाइट के और लिग्नाइट एज पावर जनरेशन और इसके साथ ही साथ एज फ्रुअल, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि लिग्नाइट का दोहन जितनी जल्दी से जल्दी शुरू होगा उतना ही हमारी स्टेट का इन्डस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा और इसके साथ मैं माननीय अध्यक्ष महोदय कितना सारा वेस्टर्न राजस्थान में है और जी.एस.आई. ने जो ड्रिलिंग की है उसमें पोटेशियम क्लोराइड जो कि हमारे कन्ट्री में 15 सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का इम्पोर्ट हो रहा है उसके सिमटम्स मिले है। तो यह भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि गैस आयल और पोटेशियम क्लोराइड जहां यह मिनरल्स हैं उनके दोहन के ऊपर सरकार विशेष रूप से अलग से सैल बनाकर इसमें कोशिश करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त में

(श्री विष्णु मोदी)

मैं कहना चाहता हूं कि आर. एस.एम.एम. और आर.एस.एम.डी.सी. दो कार्पोरेशन आपने बना रखे हैं। आर. एस.एम.एम. में तो आज हालत यह है कि 1 करोड़ टन ओवरवर्डन आप हटाते हैं और पांच लाख टन रॉक फास्फेट पैदा कर रहे हैं। वह पांच लाख टन राक फास्फेट भी आपका बिक नहीं रहा है। मेरा एक स्पेसिफिक चार्ज है कि आपने इस आर. एस.एम.एम. में चेयरमैन एक्स आफीशियो चीफ सैक्रेटरी को बना रखा है। आप यह सदन को बताने की कृपा करें कि वास्तव में चीफ सैक्रेटरी खुद के ऊपर कितना खर्च होता है? यह एक करोड़ टन आज इसलिए उठाना पड़ रहा है कि पहले पूरी रिपोर्ट थी कि किस प्रतिशत में मिनरल निकाला जाएगा और किस प्रतिशत में ओवरवर्डन हटाया जाएगा। लेकिन पीछे नहीं किया गया और स्थिति ऐसी आ गयी कि कल व कार्पोरेशन घाटे में जा सकता है। और घाटे में गया भी है। एक वेनिफिकेशन प्लाण्ट लगा दिया, 150 करोड़ से ऊपर का खर्चा किया। आज राकफास्फेट की कीमत 1500–1700 रुपए टन है और उसकी बेनिफिकेशन कास्ट छह हजार रुपए टन आती है। इस आर.एस.एम.एम. के वर्किंग को कृपा कर किसी आई.ए.एस. के ऊपर नहीं छोड़ें। किसी टैक्नोक्रेट को लेकर आएं जो इस प्राइम कार्पोरेशन को आगे चला सके।

दूसरा कार्पोरेशन है आरएसएमडीसी, उसका तो भगवान ही मालिक है। आपने उस कार्पोरेशन को क्या मूल भावना से बनाया था और आज उस कार्पोरेशन की हालत क्या है? राज्य सरकार का बेसिक आब्जेक्टिव था कि वह कार्पोरेशन कोई ठेकेदारी प्रथा से काम नहीं करेगा, लेकिन आज अगर सबसे ज्यादा अनियमितताएं खनिज विभाग के द्वारा किसी में हैं तो वे आर.एस.एम.डी.सी. के अन्दर हैं। बगैर लीज दिये हुए वर्किंग परमिशन से, जिसका कहीं एक्ट में जिक्र नहीं है, अधिकांश काम कर रहे हैं। उनको तुरन्त बन्द कराया जाए और इस विभाग के अन्दर जो ठेकेदारी प्रथा है उसको तुरन्त बन्द कराया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : प्रभुराम गरासिया। (अनुपस्थित)।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : बोल लिया।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : असीम कृपा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आखिर मेरी बारी आयी। मैं सुबह से यहां अनुशासन में बैठा हूं। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि यह जो आपकी व्यवस्था है, मेहरबानी करके इस व्यवस्था की हमको कम से कम जानकारी रहनी चाहिए। नहीं तो हमको पता ही नहीं रहता कि कब स्लिप दी, कब गया।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा था, आप लोगों ने मना कर दिया। मैं तो नाम पढ़ रहा था पूरे। आप जब कहो पढ़ दूंगा मैं। मेरे पास जितने नाम आये, सब के नाम हैं। अब आगे-पीछे है, वह तो है।

(182)

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नवम्बर से राज्यपाल शासन के समय से अकाल-अकाल के बारे मेंआवाज आ रही है और यह सरकार भी एक फरवरी से अकाल की बात कर रही है। जब इस दरमियान स्थिति ऐसी बिगड़ती है तो हमारे पाली जिले के लोग गांव छोड़कर अपना कारोबार करने के लिए अपने-अपने ट्रैक्टर लेकर इधर-उधर जाना चालू हो जाते हैं। जो अकाल की इस तकलीफ के कारण अपना गांव छोड़कर गये थे उन लोगों को वहां मौत का भी सामना करना पड़ा, उन निर्दोष लोगों को नेपाल में मार दिया गया। आज 18 मार्च का दिन है, लेकिन इतनी खराब स्थिति होने के बावजूद पाली जिले में, जिस जिले से माननीय मुख्य मन्त्री महोदय आते हैं, मात्र साढ़े सात हजार मजदूर लगाने की इजाजत दी गई है और साढ़े सात हजार मजदूर लगाने लायक भी काम अभी तक नहीं खुले हैं। मैं तो सोच रहा था मैं ही ज्यादा दुखी हूँ लेकिन मेरे से ज्यादा भाई रामस्वरूप जी मीणा दुखी थे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो छह-सात सौ मजदूरों के लायक ही काम खोले गये हैं। अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी के जिले में साढ़े सात हजार मजदूरों को ही लगाया गया है तो फिर पता नहीं दूसरे जिलों की क्या हालत हुई होगी ? हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में जो मजदूरों की संख्या आपने निर्धारित की है उस संख्या को आप बढ़ाने की कृपा करें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि अकाल राहत के काम में पीने के पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जब से यहां अकाल राहत पर चर्चा चल रही है बहुत कैजुअल एटीट्यूड अपनाया जा रहा है। जो सम्बन्धित मन्त्री हैं वे आते हैं और आधा घण्टा रुकते हैं फिर चले जाते हैं और जो असम्बन्धित मंत्री हैं वे लगातार यहां बिराजमान हैं। कला और संस्कृति मंत्री महोदया यहां बिराजमान हैं, गृह मंत्री जी यहां विराजमान हैं लेकिन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जो हैं वे यहां बिराजमान नहीं हैं। पानी की तकलीफ है तो कौन उसको सुनने वाला है ? कोई सुनने वाला नहीं है तो कौन नोट करने वाला है ? कौन देखनेवाला है ? सिंचाई मंत्री इतनी देर से विराजमान थे, हम जो यहां गीत गाएं तो वे गीत गाएं तो वे किसके सामने गाएं ? क्या सरकारी अधिकारियों के सामने ही गाएं ? जो सम्बन्धित मंत्री हैं उनको इस अकाल की विभीषिका पर पूरा ध्यान देकर कम से कम यहां विराजमान....

श्री अध्यक्ष : आपका टाइम बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है।

श्री भीमराज भाटी : है लिमिटेड, लेकिन आप सात मिनट की लिमिट करते हैं और लोग 70-70 मिनट बोल जाते हैं। उसका कुछ होता नहीं तो फिर मैं भी इतने दिनों से अनुशासित रहने की कोशिश कर रहा हूँ...

श्री अध्यक्ष : मेरी अनुपस्थिति में बोलते होंगे।

श्री भीमराज भाटी : लेकिन जब अनुशासन से कुछ होता नहीं तो फिर मेरे को भी मजबूरी है। जो दुःख-दर्द की बात है वह यहां सदन में नहीं कही जा सकती तो फिर किसके सामने कही जाएगी।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे इलाके में और दूसरे लोगों के इलाके में

(श्री भीमराज भाटी)

जो तालाब टूट-फूट जाते हैं उन टूटे-फूटे तालाबों को पिछले तीन साल में रिपेयर नहीं किया गया है। अगर अकाल राहत के नाम पर उन तालाबों को रिपेयर कर दिया जाय तो गांव में पीने के पानी की व्यवस्था होगी। उन तालाबों को रिपेयर नहीं करने की वजह से अगले बरसात की मौसम में फिर वहां पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं जिस इलाके से आता हूं वह रेगिस्तानी इलाका है। उस रेगिस्तानी इलाके में जवाई नहर से सुमेरपुर से जोधपुर तक पानी पीने को दिया जाता है उस जवाई नहर से अगर हमारे इलाके के तालाबों को नहीं भरा गया, मैं आज आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूं, सदन के सामने निवेदन करता हूं, कि हमारे यहां न सिर्फ आदमियों के मरने की स्थिति पैदा हो जाएगी, मूक पशुओं को तो कोई देखने-भालने वाला ही, नहीं होगा। अगर उन तालाबों को तुरन्त नहीं भरवाया गया तो जानवरों की देखभाल के लिए आधा इंच की जलप्रदाय योजनाओं से जो टूंटियां दे रखी हैं उनसे उन जानवरों को पेट नहीं भरने वाला है। मुश्किल से आदमियों को पीने का पानी मिल सकता है, उन जानवरों की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। अपन जिन गायों की बात करते हैं उन गायों की आज रामस्वरूप जी के इलाके में हड्डियां इकट्ठी हुई थी, मेरे इलाके में पता नहीं क्या हालत होगी।.... (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) सिंचाई मंत्रीजी यहां विराजमान थे, मेरे इलाके में रंगाई छपाई की फैक्ट्रियों की वजह से जल प्रदूषण से पूरी कृषि भूमि खराब हो रखी है। केरला, बल्दों की ढाणी, चाटेलाव, जैतपुर माण्डावास और चेण्डा आदि जिन 24 गांवों में कृषि भूमि खराब हो रखी हैं उन गांवों में गांव के लोग यह सलाह देते हैं कि हमारे यहां एनीकट बन जाए तो वर्षा का पानी होगा उस पानी को रोकने की हम सामर्थ्य रखते हैं। उस पानी की वजह से हमारी जमीन में थोड़ा बहुत अनाज पैदा हो सकता है। नहीं तो वह-पहले ही एक फसली इलाका था, पहले ही हमारे वहां एक फसल होती थी, आज अगर उस पानी को रोकने का इन्तजाम नहीं होता है तो उस इलाके में लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं रहेगा। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) अब आप मुझे अनुशासित करना ही चाहते हैं तो मैं मेरे अनुशासन पर कायम रहूंगा, सिर्फ एक ही मिनट में बन्द करूंगा यह जो धर्मप्रिय सरकार है, धर्म की रक्षा करने वाली सरकार है इस सरकार से धर्म से सरकार धर्म के नाम पर निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय सुन लें। आप पाली पधारे थे तब भी आपको निवेदन किया था, पत्र के द्वारा भी आपको निवेदन किया था कि जो धार्मिक स्थान हैं उन धार्मिक स्थानों को अकाल राहत के काम के तहत सड़क से जुड़ा दीजिए। जितने लोगों को मजदूरी मिलेगी उतने लोगों की मजदूरी हम सहन कर लेंगे लेकिन कम से कम उन धार्मिक स्थानों को तो जुड़वा ही दीजिए। माननीय अध्यक्षजी, आपकी आज्ञा हो तो आधे ही सैकण्ड में जो मैंने निवेदन किया है सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से, सदन में पुन: एक बार निवेदन कर देता हूं। एक पुनागर माताजी की सड़क है, दूसरी अमरतिया नाडा जो मेघवाल समाज का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है, तीसरा गढ़वाड़ा का एक मन्दिर है बहुत अच्छा, चौथा काला पीपल की ढाणी से भीतड़ा तक जोधपुर दरबार की कुल देवी का मन्दिर

(श्री भीमराज भाटी)

है, इन स्थानों को सड़क से जुड़वा दीजिए। मेरे पड़ौसी क्षेत्र के जो मंत्री महोदय है उनके इलाके से मेरे इलाके को जोड़ने वाला विजयनाड़ी का मन्दिर है, कम से कम इन धार्मिक स्थानों को तो धर्म प्रिय सरकार से यह करबद्ध निवेदन करता हूं, इस सदन के मार्फत निवेदन करता हूं कि अकाल राहत में उन सड़कों को तो कम से कम करवा ही दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद

श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पाइण्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान पत्रिका जो सत्ता पार्टी का मुख पत्र है और चूंकि मैं एक ही पत्र मांगता हूं। आज सवेरे मैंने यह न्यूज पढ़ी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुःख हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय कल जब हम वाकआउट करके चले गये उसके बाद में श्रीमान के ये रिमार्क्स थे बाद में अध्यक्ष श्री हरिशंकर भाभड़ा ने प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी में इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया है नियम प्रक्रिया और परम्परा के आधार पर किया है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि प्रतिपक्ष के नेता ने अपनी पार्टी की अन्दरूनी दरार और दबाव की वजह से आसन पर इस तरह के आक्षेप लगाये और उनका यह कहना था कि यदि ऐसी परम्परा बनी तो सदन कैसे चल पाएगा। मैं इस पर निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय इस प्रकार से यह पत्र में तो आया ही है और इससे सारे राजस्थान में और सारे भारत में हमारी पार्टी की दरार और हमारी आपस की फूट की बात जो आपने कही है यह सब जगह मालूम हुई है और हकीकत में यह जो कुछ भी आपनेकहा और वह हमारी एबसेन्स में यह बात कही और इससे हमें बहुत दुःख हुआ है और निश्चित तौर से हमारी पार्टी के ऊपर यहबहुत आपने अन्याय की बात की है निश्चित तौर से, मैं आपसे कहता हूं कि आपने इस वक्त में भी प्रोसिडिंग्स में भी यह बात आयी है, वह बात मैं आपको सुना देता हूं, अखबार की बात मैं आपको सुना देता हूं, अखबार की बात नहीं है आपने खुद ने जो यह कल की प्रोसिडिंग्स है और वह हमारी एबसेन्सी में जो बात कही है उसमें आपने यह कहा है कि मुझे खेद है कि आज प्रतिपक्ष के नेता अपनी पार्टी की जो रिफ्ट है उनकी पार्टी में है उसके दबाव में आकर उन्होंने ऐसी बात कही है ये दोनों बातें, आपके जो पेपर में आया है वह बात और जो बातें आपने यहां पर फरमाया वह भी मैंने आपके सामने रखा है। हमने हमेशा आपके साथ में ब त कॉर्पोरेशन रखा हैं, हमने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया। जब कभी भी किसी सदस्य ने कुछ कहा है तो हमने आपसे निवेदन किया है और आपका हमेशा साथ दिया है लेकिन कल जिस प्रकार की आप जैसे विद्वान ने, अनुभवी व्यक्ति ने जो इस प्रकार की बात आपने कही उससे हमें बेहद दुःख हुआ है और हम इसके लिए आपसे यह चाहेंगे कि आप निश्चित तौर पर या तो इस प्रोसिडिंग्स से निकालिये वरना आप खेद प्रकट कीजिए। यह आपको कहने का कोई अधिकार नहीं था और आपने जो कुछ

(श्री खेतसिंह राठौड़)

भी कहा है, हमारी पार्टी की अन्दरूनी बात से आपको क्या ताल्लुक है और हम कैसे चलते हैं कैसे नहीं चलते हैं इसका दायित्व अध्यक्ष का नहीं है कि पार्टी किस प्रकार से चलती है और आपने हमारे यहां कहां फूट देखी उसके आप उदाहरण दीजिये कि यह आपकी फूट थी और इस वजह से मैंने आपके लिये यह बात कही है। जब हम सब एक हैं .... (व्यवधान) हमारा एक मत है हमारे एक मात्र नेता परसराम मदेरणा है दूसरा कोई नेता नहीं है, हम सब उनकी राय से चलते हैं और हमारी पार्टी के अन्दर, पूरे भारत में सबसे बड़ी पार्टी और जिसके बारे में आपने इस प्रकार के अल्फाज प्रयोग में किये हैं वे सही नहीं थे और उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप निश्चित तौर पर खेद प्रकट कीजिये और यह कहिये कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइण्ट आफ आर्डर तो उनका है, पहले उनको बोलने दीजिये। आपने पाइण्ट आफ आर्डर उठाया, आप उस पर बोलना चाहते हैं (व्यवधान) आप बाद में बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : जो कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप माननीय खेतसिंहजी ने जिस प्रकार की भावना प्रकट की हैं। क्या यह सही है कि यहां कोई बात कही जाय यह अलग बात है पर स्वयं खेतसिंहजी क्या यह अनुभव नहीं करते और क्या उन्होंने अपने नेता से अपने इस्तीफे के लिए नहीं कहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने अपने नेता से इस्तीफे के लिए कहा है और वह आपकी मार्फत कहा है। आप मेरे वकील बनकर के वहां बात सुन रहे थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं सुन रहा था माननीय खेतसिंहजी, आज आप....

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कब से आपने सी. आई. डी. का काम शुरू किया है और आपको अधिकार क्या है हमारी बात सुनने का और यहां पर बात कहने का....

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कथनी और करनी में इतना बड़ा अन्तर है ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह क्या है। आप सब खड़े हो रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं आप खड़े हो रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : स्वयं खेतसिंहजी इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि हमारा कण्ट्रोल नहीं है, माननीय सदस्य हमारा गला घोटा जा रहा है और हमारा किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि आपके चीफ व्हिप इतने दुःखी हैं कि आप अपना व्यवहार ठीक करिये और सदन की गरिमा है (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी इस संसदीय प्रक्रिया में सबसे बड़ा यह हाउस है और इस हाउस के प्रति हम इतना जवाबदेह और सारी जनता हमारी तरफ देखती है कि हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : रामेश्वरजी और आपके क्या हुआ था।

186

श्री अध्यक्ष : यह हो क्या रहा है, परसादीलालजी यह क्या हो रहा है। मैं मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि अपनी पार्टी के सदस्यों को कन्ट्रोल में रखें ये बोल रहे हैं, इनमें से जो बोलेंगे, मैं मौका दूंगा, आप जो यह बोलेंगे उसका जवाब देंगे ....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : लेकिन इतनी असत्य बात क्यों कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : जो भी बात वे कहेंगे इस का जवाब देने के लिए जगदीपजी धनखड़, मैंने मान लिया है कृपया उनको कण्ट्रोल करें (व्यवधान) कण्ट्रोल करें, माननीय नेताजी कण्ट्रोल करें, इनको कम्पलीट करने दीजिये, माननीय नेता महोदय से निवेदन है कि कण्ट्रोल करें, इनको बोलने दीजिये। Let him complete. You will be given chance. जब आपने प्रश्न उठाया है तो उस पर आप जितने विचार हो, आने दीजिये Let them come interruption). Let him complete. ऑडर प्लीज, शांति से सुने कृपया। मुख्य सचेतक महोदय से मेरा निवेदन है कि कण्ट्रोल करिये। माननीय नेता महोदय से मेरा निवेदन है कि कण्ट्रोल करिये ....(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : उधर भी तो कण्ट्रोल कराइये।

श्री अध्यक्ष : वे तो अकेले बोल रहे हैं ....(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : अभी राजेन्द्र सिंहजी राठौड़.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं बोल रहा है, एक भी नहीं बोल रहा है।

श्री चन्दन मल बैद : आप नहीं देखना चाहते हैं आपकी मर्जी की बात है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको कह रहा हूं तो आप कर लीजिये। वे करेंगे उनको भी करूंगा। आप तो कण्ट्रोल में रहिये।

श्री चन्दन मल बैद : क्योंकि हम प्रतिपक्ष में बैठे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी हम प्रतिपक्ष में बैठते हैं कभी आप प्रतिपक्ष में बैठते हैं, इसकी कोई बात नहीं है, सवाल इस बात का है कि संसदीय लोकतंत्र में यदि हमने कोई परम्पराएं इस प्रकार की बनाई, वेल में आना परम्परा के विरूद्ध है ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, और कोई सदस्य बोल रहा है उसके बीच में आना संसदीय परम्पराओं के विपरीत है। आसन से कई बार इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो गई है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लेकिन आप असत्य स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आपके ध्यान में नहीं है, आपको मालूम नहीं, आप उसमें ख्वामख्वाह पंचायती....(व्यवधान) असत्य बोल रहे है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह भी जानते हैं कि संसदीय परम्परा में आसन का सर्वोच्च स्थान है और आसन पर की गई टिप्पणी अवमानना की तारीफ में आती है। लेकिन हम यह रोज देख रहे हैं कि आसन पर लगातार टिप्पणी होती है और कई

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

बार उस समय सदन में जिस प्रकार का दृश्य उपस्थित होता है, ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार प्रतिपक्ष के माननीय नेता को मजबूर किया, जिस प्रकार आये दिन आपकी पार्टी के चीफ व्हिप को इस प्रकार जलील करने की कोशिश की जाती है, मैं जानता हूं कि यहां पर यह नहीं कहा जायेगा, चीफ व्हिप महोदय भी यही कहेंगे कि हमारे यहां पर बड़ा अनुशासन है और यहां पर यही कहेंगे कि सारी पार्टी एक है। लेकिन मैंने इस प्रकार दुःखी होते हुए देखा है चीफ व्हिप को कि वे एक मिनट चीफ व्हिप नहीं रहना चाहते। जहां पर इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जाय, इससे ज्यादा और इस लोकतंत्र के लिए आघात नहीं हो सकता। और आप अपने दिल पर और मन पर हाथ लगा कर यह कहें कि क्या वास्तव में आपके हित में है ? केवल इतना ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, आज तो हालात इस प्रकार की हो गई है कि आपकी, जो यहां पर सूची पेश की जाती है, चाहे डिमाण्ड्स की हो, चाहे अकाल राहत के मामले में आपको सूची पेश करनी होती है, चाहे बजट भाषण में कौन बोले, उस बारे में भी निर्णय लेने में आप सक्षम नजर नहीं आते हैं। कई बार आप और हम बैठकर यह तय करना चाहते हैं कि कौन बोले और कौन नहीं बोले, कई बार हम यह तय करना चाहते हैं कि कौन किस कमेटी में रहेगा, लेकिन मैं देखता हूं कि कई बार आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहते, अपने आपको आप मजबूर पाते हैं। इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बस हो गया. आप बैठिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वास्तव में यह कमी आई है जिसको तो दूर किया जाना चाहिए यदि हमको लोकतंत्र में रहना है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए, हो गया आपका। श्री जगदीप धनखड़। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय श्री रामपालजी उपाध्याय जब बोल रहे थे .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री जगदीप धनखड़ *(किशनगढ़)* : आसन की व्यवस्था को मानिए थोड़ा।

सम्माननीय अध्यक्षजी, जो मुख्य सचेतकजी ने मामला उठाया है वह अत्यन्त गम्भीर और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चिन्ता का विषय है। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब आपका निर्वाचन हो रहा था सतापक्ष के किसी भी नेता ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया कि आपका यूनानिमस इलेक्शन हो। संसदीय परम्पराओं को निभाते हुए हमारे शीर्ष नेताओं ने और खास तौर से प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान परसरामजी मदरेणा ने प्रयास किया कि आपका चुनाव युनानिमस हो यह हमारे दल ने इसलिए किया कि संसदीय प्रणाली में स्पीकर का एक विशेष स्थान है और आपके अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए, आपकी विद्वता को दृष्टिगत रखते हुए यह विश्वास जागा कि आप निष्पक्ष रहेंगे और दलगत राजनीति की दृष्टि से

(श्री जगदीप धनखड़)

न हमको आंकेंगे और न सत्ता पक्ष को आंकेंगे। यह वास्तव में उल्लेखनीय बात है कि वह नहीं चाहते थे कि आपका यूनानिमस इलेक्शन हो, वह नहीं चाहते थे कि आपका कद वह रहे जो संसदीय प्रणाली अनुरूप हो। उसके पश्चात,...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपने प्रथम भाषण में एक ऐकेडेमिक इश्यू को रेज किया, आपने एक इंडिकेशन दिया।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पाइन्ट आफ आर्डर है या डिबेट है यह मुझे बता दीजिए पहले ?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जैन साहब ने बात कही उस समय क्या कोई कानून उन पर लागू नहीं था?

श्री अध्यक्ष : नहीं आपसे पूछ रहा हूं कि यह डिबेट है या यह पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, नहीं पाइन्ट आफ आर्डर बोल रहा हूं, मैं पाइन्ट आफ आर्डर को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जिस प्रकार की बात उन्होंने यहां पर की....

श्री अध्यक्ष : हां, तो आप पाइन्ट आफ आर्डर एक्सप्लेन करिए। यही मैं कह रहा था। आप यदि 4 साल पहले की कथा से शुरू करेंगे तो पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होगा। तो आप पाइन्ट आफ आर्डर पर आइए। दिस इज वाट आई एम सेइंग।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, रीसेंट आकरेंस है....

श्री अध्यक्ष : इसलिए पाइन्ट आफ आर्डर पर बोलिए।

श्री जगदीप धनखड़ : इतना रीसेंट आकरेंस है. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 4 महीने की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह रीसेंट आकरेंस वहां 119 नहीं है। आप पाइन्ट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुद्दा गम्भीर इसलिए है और उसका बैकग्राउण्ड इसलिए देने की आवश्यकता पड़ गई कि कलेक्टिवली एज ए पार्टी एज इंडिवीजुअली हम महसूस करने लग गए कि आसन की जिस तरह की दृष्टि हम पर होनी चाहिए वह धीरे-धीरे सख्त होती जा रही है और यह चूंकि हम सब को पीड़ा में डाल रही है इसलिए इसके बैकग्राउण्ड की बात कर रहा हूं। उधर से जो उन्होंने कहा मैं समझता हूं कि गम्भीरता से यदि उसका विश्लेषण किया जायगा तो उसमें रिलेवेंस की कोई बात थी नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते थे कि जो भावनाएं आपने पद ग्रहण करते समय व्यक्त की थीं, आप पूरा प्रयास करेंगे कि निष्पक्ष कहेंगे उस स्थिति में लगातार परिवर्तन होता आया है ...(व्यवधान)....

श्री भंवरलाल शर्मा : नो, नो।

श्री जगदीप धनखड़ : पहले परिवर्तन हुआ इंडिविजुअल्स के मामले में।........ (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : प्लीज हियर हिम।

श्री जगदीप धनखड़ : इतना गम्भीर मसला है उसको आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप मुझे इंगित करिए। (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : आसन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से बात करिए।

श्री जगदीप धनखड़ : हम हर बात कह रहे हैं वह सीमाओं में कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसे मौके आए हैं पर हमारे सम्माननीय नेताओं ने इस सदन के बाहर भी हम पर अंकुश लगाया, उन्होंने बार-बार हमको कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्य कुछ भी करें प्रतिपक्ष एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएगा और हरेक सदस्य को संसदीय प्रणाली में जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। पर, अध्यक्ष महोदय, कल का दिन इस विधान सभा की प्रोसिडिंग्स में एक काला दिवस इसलिए होगा कि पहली बार, मुझे और कोई एग्जाम्पल नजर नहीं आ रहा है अनप्रेसीडेण्टेड स्टेप कि आपकी तरफ से यह घोषणा की गई कि किसी राजनैतिक दल के अन्दर विभाजन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप डिबेट्स में जाते हैं कभी यह हवाला नहीं दिया जाता कि कौन सा सदस्य कौनसे राजनैतिक दल का है, इंडिकेशन मात्र उसकी कान्स्टीट्यूएंसी का होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका जो इस प्रदेश का प्रमुख समाचार पत्र है उसमें जब जनता ने यह पढ़ा होगा, कितना जबर्दस्त इंडिकेशन जनता के बीच में गया है कि प्रतिपक्ष के नेता श्री परसराम जी मदेरणा आसन से मनमाने तरीके से विधेयक पारित का आरोप लगाते हुए सम्पूर्ण विपक्ष के साथ मिल गए और इसके जवाब में आप कहते हैं कि यह पार्टी में फूट की वजह से हुआ। रिकार्ड के हिसाब से देखिए। मुझे खेद है, आप जो कहते हैं, आसन से, मुझे खेद है कि आज प्रतिपक्ष के नेता अपनी पार्टी में जो रिफ्ट उनकी हो रही थी उसके दबाव में आकर उन्होंने ऐसी बात कही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कमेंट्स संसदीय प्रणाली में स्पीकर से आना कितना गैर वाजिब है, यह आपकी विद्वता को देखते हुए हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर महसूस करते हैं कि महज आपका ध्यान आकर्षित करने से ही आप अपनी निष्पक्षता का परिचय देंगे और आप इस विषय पर ज्यादा डिबेट लम्बी न करके इस पाइन्ट आफ आर्डर को इसी तरीके से निर्णीत करेंगे-Everyone has weak moments. It could be one of those actions....वीकर मोमेन्ट भी कह दिया होगा, पर स्पीकर की चेयर से इस प्रकार के आब्जर्वेशन निकलना तो प्रश्न उठता है कि, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आधार है, आपके पास क्या मटीरियल है, आपने यह कंक्लूजन किस आधार पर कर लिया, किसी पालिटिकल पार्टीज के इण्टरनल अफेयर्स में आप क्यों इण्टरफियर कर रहे हैं? और क्या आपके रूल्स में इस प्रकार का विवेचन है, क्या आपके रूल्स में इस प्रकार का कोई प्रावधान है जिसके तहत आप इस चीज को डिटरमिन कर सकते हैं इस पार्टी में यह रिफ्ट है और उस पार्टी में यह रिफ्ट है?

(श्री जगदीप धनखड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, कोई हैजिटेशन नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की रिफ्ट से ज्यादा आपकी व्यक्तिगत जानकारी उधर की रिपट की है। इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। और रिफ्ट का ही यदि प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह बात हमारे और उनके बीच की है, आसन को इस बात में किसी भी हालत में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में, माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय परम्पराओं को निभाते हुए जैसा हमारे मुख्य सचेतकजी ने कहा है, हम आप में पूरी आस्था रखते हैं, आपकी विद्वता में हम विश्वास रखते है। हम मानते हैं कि यह बात गलती से हो गयी है, इसमें सुधार आवश्यक है और यह ऐसे व्यक्ति के आचरण पर धब्बा लगाती है जिसको पूरा राजस्थान जानता है हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान् परसरामजी मदेरणा नियमों से बंधे हुए अपने आपको मानते हैं। उन्होंने जो बात आपसे मांग की वह नियमों के अन्तर्गत की। आपने निराधार कारणों से एक आब्जर्वेशन किया निराधार कारणों से आपने एक इण्टरप्रेटेशन किया और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर आपने भारतीय जनता पार्टी की इकलौती सरकार जो हर प्रकार से विफल हो चुकी है, जो किसी प्रकार से अपने वायदे नहीं निभा सकती है उस सरकार को माइलेज देने की दृष्टि से किया। ऐसा इम्प्रेशन जनता में गया है। मान्यवर, आपकी भावना ऐसी नहीं हो सकती है, आपकी भावना दोनों को बराबर देखने की है।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिए। अब आप इमोशनल हो रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : तो, माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : आ गया, बस सुन लिया।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं कहता हूं कि आपकी भावनाएं ऐसी हो नहीं सकती हैं और मैं आब्जेक्टिवली कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री जगदीप धनखड़ : इमोशनल नहीं।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिए। बैठना नहीं चाहते हैं?

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा आपसे अनुरोध है....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका अनुरोध, हो गया, वही है जो खेतसिंहजी ने किया है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर डिबेट को लम्बी न करके आसन की तरफ से व्यवस्था दी जाय जो भी आब्जर्वेशन आए हैं उनको एक्सपंज किया जाय और हमको अन्य कार्यवाही के लिए बाध्य न किया जाय।

श्री नरपतसिंह राजवी : एक मिनट साहब, मेरा निवेदन है *(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर....

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं। मैं डिबेट नहीं करना चाहता। मैं डिबेट नहीं कराता।

श्री जगदीश धनखड़ : पाइंट ऑफ आर्डर पाइन्ट ऑफ़ आर्डर नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : आप भी बैठिये, आप भी बैठिये। नहीं, नहीं। आप बैठिये ना। आई विल नोट अलाउ।

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, सदन में अध्यक्ष पर जब आरोप लगा है तो सत्ता पक्ष भी चुप नहीं बैठ सकता।

श्री अध्यक्ष : यह मामला...एक मिनट बैठिये।

श्री नरपतसिंह राजवी : मैं कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मुझे एक मिनट का समय चाहिये, अध्यक्ष महोदय। मैं बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं। यह प्रश्न अगर सेंक्टिटी (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही अखबार में आया है "भामड़ा शेखावत में मतभेद पनपे" जयपुर, 18 मार्च। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत और विधान सभा अध्यक्ष श्री हरिशंकर भाभड़ा के मध्य एक बार पुनः मतभेद पैदा हो गये हैं.... (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : ये हम संभाल लेंगे, आप चिन्ता मत करो।

श्री विष्णु मोदी : राजनैतिक हल्कों में चल रही चर्चा के अनुसार मुख्य मंत्री....

श्री अध्यक्ष : यह दर्ज नहीं होगा। यह दर्ज नहीं होगा। नहीं करिये दर्ज।

श्री विष्णु मोदी : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। प्लीज, सिट डाउन। वे बोल रहे हैं, आप उनको बोलने दीजिये। आप बैठिये। आप शान्त रहिये। आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं। (व्यवधान) यह तो आरोप मेरे ऊपर लग रहा है। मैं उसका जवाब दूंगा। (व्यवधान) आप चुप रहिये। शांति से बैठिये आप।

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय,....

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह आपका मामला नहीं है, पूरे सदन का मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ तो लीजिये, आप बैठिये तो सही। आप बैठिये। (व्यवधान)।

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि यह आप पर आरोप लगाये गये हैं और इसको एक्सपंज ....(व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिये आप। मैं कह दूं, उसके बाद में आपको जो फरमाना है, फरमा दीजिये।

श्री भीमराज भाटी : यह आप डिबेट अलाउ कर रहे हैं क्या? Are you allowing the debate on this issue?

श्री अध्यक्ष : नो, नो।

श्री भीमराज भाटी : Then why he is speaking?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये मैं अलाउ नहीं करता। हां, नहीं करता।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(192)

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि स्पीकर के आइवर जेनिंग्स की ट्रायल पर और मेग्नाकार्टा के बाद में, 1235 या 1248 की बात होगी when it was first said that Speaker can say no wrong can do no wrong. तो कम से कम स्पीकर को अपने हिसाब से एक्ट करने का, within the rules, within the provisions एक्ट करने का मौका मिलना चाहिये। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : यह प्रजातान्त्रिक व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : एक पंज किस मैटर को करना है....

श्रीमती कमला : The king can do no wrong. यह स्पीकर के लिए अभी नहीं है।

श्री नरपतसिंह राजवी : आप एक मिनट सुनिये। आपको जो बोलना है। आप बहुत वरिष्ठ हैं। मेरी उमर से ज्यादा आपने इस हाउस में बिताया है लेकिन जिस प्रकार के कमेन्ट्स यहां पर हुए हैं स्पीकर के चेयर पर वह मेरे ख्याल से मैंने तो हा नहीं है इतिहास में 1 15 से लेकर आज तक ... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : ऐसा है, रूल 295 में माननीय सुरेन्द्रजी व्यास ने जब मुद्दा उठाया था, तब स्पीकर के खिलाफ क्या कमेन्ट्स हुए थे आपको याद करना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 295 का मामला सुरेन्द्रजी व्यास का तय किया था तब सदन के नेता माननीय भैरोंसिंह जी ने आपके खिलाफ अभिव्यक्ति की थी.... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आदरणीय भैरोंसिंह जी ने माननीय गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी के सामने यह कहा था कि हम आपके खिलाफ सेंशर मोशन ला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : धनखड़ साहब, जब आप बोल रहे थे। आई थिंक धनखड़ साहब, मैंने भी आपको पेशेंस से सुना है और पूरा सत्ता पक्ष आपकी बात को अच्छी तरह से सुना है। माननीय अध्यक्ष महोदय एक निवेदन करना चाहता हूं कि चेयर के टोलरेंस को टेस्ट अगर किया जायगा तो सत्ता पक्ष भी चुप नहीं बैठेगा। प्रश्न इस बात का है कि.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये, बैठिये। ठीक है। प्लीज। (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : Can a member of this house....

श्री अध्यक्ष : I do not want to prolong it. देखिये, यह मामला ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत लम्बी डिबेट की जाय। प्लीज। (व्यवधान) सीधा सा सवाल है (व्यवधान) आप बैठिये ना। अब मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। मैं इसमें डिसिजन दे रहा हूं। यह मैं डिसीजन दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : यह आप पहले भी कह चुके हैं और उसके बाद आपने राजवी जी को अलाउ कर दिया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं पाइन्ट आफ आर्डर पर डिसिजन दे रहा हूं। आप बैठिये। मिस्टर धारीवाल, आप बैठिये। मैं पाइन्ट आफ आर्डर पर डिसिजन दे रहा हूं। आप भी बैठिये श्रीमन्। (व्यवधान)

श्री शिवनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, बैठेंगे लेकिन हमारी सुन तो लो।

श्री अध्यक्ष : अब मैं नहीं सुनुंगा। मैं नहीं सुनुंगा। I am to explain, this is my action. आपका नहीं है। आपसे किसी ने जवाब नहीं मांगा है। जवाब मेरे से मांगा गया है। आप बैठिये।

श्री शिवनाथसिंह : I want to enlighten the House, sir. नहीं नहीं, मांगा नहीं गया है। जो पाइन्ट आफ आर्डर है, उस पर हाउस के हर सदस्य अपने आपको....

श्री अध्यक्ष : कोई जरूरी नहीं है बिना मेरी परमिशन के नहीं बोलेगा। यह कोई अधिकार नहीं है।

श्री शिवनाथसिंह : Let me enlighte. the House sir.

श्री अध्यक्ष : This is the pleasure of the Speaker to ask opinion of the member if he wants यह आपका अधिकार नहीं है।

श्री शिवनाथसिंह : I havo a right to express myself.

श्री अध्यक्ष : यह अधिकार नहीं है।

श्री शिवनाथसिंह : एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं आप बैठिये। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। नहीं, बैठिये।

श्री शिवनाथसिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं........

श्री अध्यक्ष : आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं खड़ा हूं। प्लीज। आप बहुत पुराने हैं।

श्री शिवनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप खड़े भी क्यों हैं। हम खड़े हैं ना। हम खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। प्लीज, प्लीज, प्लीज। बैठिये। प्लीज, बैठिये। मैं इस बात को सिद्धान्ततः मानता हूं कि स्पीकर को पार्टीबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिये, बिल्कुल सिद्धान्ततः मानता हूं और मेरा आचरण इस प्रकार का रहे कि मैं निष्पक्ष रहूं, इसका मैं निरन्तर प्रयास करता रहता हूं। इस सदन में इस प्रकार के बहुत अवसर आये हैं कि जब मुझे ऐसा लगा है कि आपकी पार्टियों में अलग-अलग विचार आ रहे हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं सुनता रहा हूं। कल जिस प्रकार का दृश्य उपस्थित हुआ उसकी तत्काल जो प्रतिक्रिया थी, यह कोई परमानेंट विचार नहीं है मैं न समझता हूं कि आपको, आई एम नोट बाउण्ड मैं बाउण्ड भी नहीं हूं कि उन परिस्थितियों का विवरण रखूं जिसने मुझे बाध्य किया यह बात कहने के लिए। मैं नहीं चाहता क्योंकि सारा प्रोसीडिंग्स में आयेगा और इसलिए तत्काल मेरे ऊपर जो रिएक्शन हुआ उस रिएक्शन के मुताबिक मैंने अपनी बात कही।

जहां तक खेद का प्रश्न है, यदि माननीय सदस्य थोड़ा सा, विशेष रूप से

श्री अध्यक्ष

हमारे लर्नेड एडवोकेट जिनसे मैं अपेक्षा करता हूं कि वे एक-एक शब्द को गौर से पढ़ते होंगे, यदि गौर से पढ़ते होते तो मैंने यह बात खेद के साथ ही कही है। मैंने खेद पहले ही प्रकट कर दिया। यदि आप इसको पढ़ेंगे तो मैंने खेद शुरू में ही प्रकट किया है कि मुझे खेद है, यहां से मैंने शुरू किया है। इस तरह के दृश्य हैं वे भी खेदपूर्ण हैं और मुझे कुछ कहना पड़े वह भी खेदपूर्ण है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसलिए मुझे इसमें आपत्ति नहीं। यदि आप दृश्य उपस्थित नहीं करें कि जिसकी तत्काल, आखिर मेरी भी सीमा है। किस सीमा तक मैं टोलरेट कर सकता हूं और कल जिस प्रकार का दृश्य हुआ, सबने देखा है, प्रेस ने भी देखा है और लोग भी यहां जो उपस्थित थे, उन्होंने भी देखा है। उन सब पर जो एक सामान्य प्रतिक्रिया होनी चाहिये थी, मेरे ऊपर और गम्भीर हुई क्योंकि सदन की गरिमा का ध्यान मुझे सबसे ज्यादा रहता है। सदन की गरिमा यदि किन्हीं माननीय सदस्यों के आचरण से गिरती हुई नजर आती है, तब मुझे दुःखी होकर इस प्रकार की बात कहनी पड़ती है और इस लिए मैंने खेद शुरू में ही कर दिया।

आपने पढ़ा है कि मुझे खेद है, यहां से शुरू किया है तो खेद तो मैं प्रकट कर चुका, अब फिर मैं कहता हूं यदि इस तरह की बार-बार घटनाएं होंगी तो मैं, आप जितनी बार कहेंगे, खेद प्रकट करता रहूंगा लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं जब मैंने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि मैं आपकी पार्टीबाजी में नहीं पड़ूंगा, उस पर मैं अडिग हूं लेकिन मैंने यह सिद्धान्त भी स्वीकार किया है और मैंने अपने प्रथम भाषण में कहा था कि इस सदन की गरिमा अपना आसन छोड़कर के भी रखूंगा। इस सदन की गरिमा को नहीं गिरने दूंगा और जब माननीय सदस्य ऐसा दृश्य उपस्थित करते हैं कि जिसमें जनता की सदन के प्रति प्रतिक्रिया ठीक नहीं हो, लोगों के मनों में इसकी प्रतिक्रिया विपरीत होती हो, तब मुझे इस प्रकार की बात कहनी पड़ती है। सदन की गरिमा रखना, यह मेरा कर्त्तव्य है और इसलिए सदन की गरिमा रखने के लिए ही मैंने जो कुछ कहा है। मेरा किसी पार्टी से मतलब नहीं है। आपमें रिफ्ट है कि नहीं है, यह आपका आपस का मामला है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। यह बात सही है कि एक दिन श्रीमन् खेतसिंह जी मेरे पास आये थे, बोले, हमारे सदस्य बोलते हैं तो आप इस तरह जबरदस्ती नहीं करिये मुझे कह दिया करिये, मैं उनको बैठा दूंगा। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, मुझे तो यह काम करना है। फिर उसके बाद अनेकों ऐसे प्रसंग आए, जिसमें वे नहीं बैठा सके, मैंने बार-बार उनसे निवेदन किया लेकिन वे नहीं बैठा सके लेकिन इससे भी मुझे, रिफ्ट से कोई मतलब नहीं है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं उसके लिए रिफ्ट होना जरूरी नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है लेकिन सदन में जब इस प्रकार के दृश्य उपस्थित होते हैं तो जो इम्प्रेशन होता है और सदन की गरिमा रहे, यह मेरा प्रमुख उद्देश्य है, मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है। न कोई पार्टी में

(श्री अध्यक्ष)

रिफ्ट है कि नहीं, इससे कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है और मैं फिर इस बात की घोषणा करता हूँ मेरा पार्टी बाजी से कोई सम्बन्ध नहीं है और न मुझे आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, से सम्बन्ध है और इनकी पार्टी में क्या हो रहा है उससे सम्बन्ध है। इसलिए जो कुछ भी मैंने कहा है वह तात्कालिक प्रतिक्रिया, मेरे ऊपर जो इम्प्रेशन उस समय उस दृश्य को देखकर हुआ, उसकी प्रतिक्रिया में कहा और कहते ही मैंने खेद प्रकट कर दिया पहले ही। इसलिए बार-बार खेद प्रकट कराकर आप मुझे जलील करना चाहें तो आप कहो तो मैं खेद ही खेद करता रहूँ। इसलिए मैंने अपनी स्थिति एक्स्प्लेन कर दी है और मैं समझता हूँ यह कोई पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं है। इसलिए a sa point of order, I reject it. औरजो आपने कहा उसका मैंने जवाब दे दिया। श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत : (मावली) माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खनिज सम्पदा का दोहन हो। राजस्थान में खनिज सम्पदा विपुल मात्रा में है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ, बूंदी, नागौर, अलवर सारे जिले खनिज सम्पदा से भरे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, खनिज सम्पदा का दोहन पिछले कई वर्षों से नहीं हो रहा है। पिछले कई वर्षों से खनन का काम

[18.10]

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति पदासीन)

तो करते है किन्तु उसकी जगह वेस्ट टमीरियल ज्यादा आ जाता है। ठीक ढंग से टेक्नोलोजी काम में नहीं लेने के कारण खनिज सम्पदा का अपव्यय कर रहा है। बड़े-बड़े खण्डे, बड़े-बड़े पत्थर उसमें जाते हैं और इसकी वजह से खनिज सम्पदा की एक सीमा है। उसका दोहन यदि उचित मात्रा में और ढंग से नहीं किया गया तो यह खनिज सम्पदा समाप्त हो जायेगी। उसके पश्चात् किस तरीके से हम अपना काम चलायेंगे। (व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहिए। आपस में बातचीत न करें।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदय, इस खनिज सम्पदा की वजह से हिन्दुस्तान भर में राजस्थान का नाम हुआ है किन्तु ठीक ढंग से उसका दोहन नहीं होने की वजह से आधे मटीरियल से ज्यादा वेस्ट में जा रहा है। अभी तक हमने उसका सिस्टेमेटिक ढंग से, किस तरीके से खनन किया जाय, किस तरह से ओवर बर्डन को हटाया जाय उसके लिए उपाय नहीं कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, बड़े-बड़े खण्डों से जो वेस्टेज जा रहा है, उसकी टाइलस बन सकती है, उसकी चिप्स बन सकती है, उसकी फ्रिजिंग सिस्टम से टाइल बनाने की एक विधि है किन्तु उसको डवलप नहीं किया जा रहा है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा

196

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

कि खनिज का उचित दोहन करने के लिए ठीक ढंग से कोई कारगर उपाय किया जाए। इसके साथ-साथ खनिज में किस प्रकार का विकास किया जा सकता है, खनिज का दोहन किसढंग से किया जा सकता है उसके लिए कोई एक उच्च स्तरीय कमेटी विभिन्न दलों से और बड़े लोग जो खनिज को समझते हों, उनकी सरकार एक कमेटी बनाये और समय-समय पर उनकी राय लेकर काम करे कि किस तरीके से खनिज का दोहन किया जाना चाहिए।

माननीय शांतिलाल जी खोईवाल ने एक बात रखी कि राजसमंद में खनिज का दोहन हो रहा है। राजसमंद जिले में रेलमगरा में, दरीबा में जिस तरीके से खनिज का दोहन किया गया है, जिंक स्मेल्टर द्वारा पानी नीचे से नीचे चला जा रहा है। 1500 हजार मीटर तक नीचे गया है। सारा इलाका चौपट हो गया है। इसी तरीके से खनिज दोहन होने से जहां काश्तकार बरबाद हो रहे है, खनिज सम्पदा का भी विनाश हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा खनिज सम्पदा के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट बनायी जाय, एक चार्ट बनाया जाय।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ इस तरीके से बड़े-बड़े पट्टे दिए हुए हैं। पहले एक था 100x100 के पट्टे होंगे, एक बार यह था कि 50x50 के पट्टे होंगे। वहीं यह भी है कि 50x150 के होंगे। उसकी कोई नीति निर्धारित की जाए। कहीं कहीं 15-15, 20-20 किलोमीटर के पट्टे दिए हुए हैं। कहीं बहुत छोटे पट्टे दिए हुए हैं। मेरा निवेदन है कि इतने छोटे भी नहीं दिये जाय जिससे वेस्ट मटीरियल ज्यादा हो जाय और इतने बड़े भी नहीं दिये जाय कि किसी व्यक्ति का एकाधिकार कायम हो जाय। उसके लिए आवश्यक है कि उसका ठीक ढंग से सरलीकरण करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टे दिये जाय तो ज्यादा लाभ होगा।

सभापति महोदय, हमारे राजसमंद इलाके में खनिज सम्पदा निकलती है और खनिज सम्पदा जब निकलती हैं, मार्बल जब निकलता है, उसके मुकाबले जो रायल्टी वसूल की जाती है वह ब्लाक पर वसूल की जाती है। मैं चाहूंगा कि वहां यह जो पट्टियां है, यह जो पत्थर हैं उसकी चिराई के पश्चात् यदि उस पर रायल्टी ली जायेगी तो मैं समझता हूं ज्यादा उपयुक्त होगा और और हमारे यहां काफी कारगर तरीके से हम रेवेन्यू कलक्ट कर पायेंगे।

इसके साथ-साथ माननीय सभापति महोदय, राजसमंद, केवल एक राजसमंद माईनिंग एरिया से 12 करोड़ 44 लाख रुपया प्रतिवर्ष आता है जिसमें हिंदुस्तान जिंक को छोड़ दिया जाय तो चार करोड़ से ऊपर आता है। किन्तु आज तक खनिज विभाग ने किसी प्रकार का रोड का काम वहां प्रारम्भ नहीं किया है। यह कैसी विडम्बना है, आप जिस इकाई से कमाते हैं, वहां ओवर बर्डन डाल देंगे, लोगों के रास्ते जाम कर देंगे, पानी भी वेस्ट कर देंगे, वहां उनकी सुख सुविधा का किसी प्रकार का ध्यान नही रखेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहाता हूं कि वहां रोड्स की जरूरत है। एक नीति निर्धारित करें कि इसएरिया से 12करोड़की रायल्टी आ रही है तो उसका 10 प्रतिशत

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

प्रतिवर्ष कम से कम रोड्स पर खर्च किया जायेगा। आखिर कोई न कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, बड़े-बड़े लोग कमाते हैं परन्तु छोटों के लिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के गरीब व्यक्ति हैं, आर्टिजन्स हैं, छोटे वर्कर हैं जो खुद पत्थर काटकर अपना काम चलाना चाहते हैं उनके लिए भी कोई आरक्षण की व्यवस्था यहां होनी चाहिए। यदि यह आरक्षण हो गया तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहां ज्यादा कारगर तरीके से काम भी करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, आर. एस. एम एम. करोड़ों टन माल निकाल रहा है। 1500 रुपये टन का भाव है। इससे भी ज्यादा बढ़ते रहते हैं पर आज ओवर बर्डन की समस्या हो गयी है। आर. एस. एम. बी. सी. और ये दोनों आज घाटे की स्थिति में आ गये हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के गोरख धन्धे से हिन्दुस्तान का मार्बल व्यवसाय इटली के हाथों में आ गया है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के गोरख धन्धे से आर.एस.एम. एम. और आर. एस. एम. बी. सी. डूबते जा रहे हैं, इनमें घाटा हो रहा है। मेरा निवेदन है कि इन दोनों को एक साथ किया जाय, दोनों को एमालगामेंट कर दिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि फोरेस्ट में जो जमीन आती है उसका कोई क्राइटेरिया तो होगा। फोरेस्ट में जमीन आ गयी, फोरेस्ट का एक घोंचा लगाकर हमारी सम्पदा का विकास रोका जा रहा है उसको खोदने के लिए मनाही की जाती है। जाओ, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो, रिलेक्सेशन लो। ये छोटे-छोटे व्यक्ति हैं पट्टेदार हैं उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो एरिया फोरेस्ट के डिमार्केशन किया गया है उसका वापस रि-उर्वे किया जाय कि वाकई वहां फोरेस्ट है भी या नहीं। फोरेस्ट नहीं पर फोरेस्ट में नाम लगा दिया, इसलिये उसका चुकता हो गया और वहां कोई काम करने नहीं देते। इसलिए जो करोडों अरबों रुपये की रायल्टी हमें मिल सकती है वह इन फोरेस्ट के नाम से राजस्थान के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है। इसलिये उस एरिया का डिमार्केशन हो, उसका पिन पाइंट किया जाय और कौनसा एरिया फोरेस्ट में है उसका स्पष्ट डिमार्केशन होना चाहिए।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। देवस्थान की भूमि में कई माइनिंग की लीजेज है परन्तु वहां देवस्थान विभाग की तरफ से परमिशन नहीं मिलती है। इसकी वजह से रायल्टी का नुकसान होता है। माननीय सभापति महोदय, इस पर सरकार को किसी न किसी प्रकार की नीति निर्धारित करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि आपका आदेश है मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लिग्नाइट का हमारे यहां विपुल भण्डार है। उसका हम दोहन नहीं कर पा रहे हैं। हम उसका समुचित उपयोग नहीं कर पाये। चाहे कोई भी सरकार हो, पर उसने अभी तक उसके उपाय के लिये कोई काम कारगर तरीके से नहीं किया।

(१९८)

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

यदि इस लिग्नाइट का ठीक प्रकार से हम उपयोग करेंगे और उसका ऊर्जा में किसी प्रकार का उपयोग कर पाएंगे जल्दी से जल्दी, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का विकास होगा। राजस्थान का दो लाख चालीस हजार किलो मीटर क्षेत्र केवल रेगिस्तान है जो सारे हिन्दुस्तान के रेगिस्तान का 89 प्रतिशत है। किस तरीके से हमारा विकास हो सकता है। यदि हमने जो हमारे पास विपुल सम्पदा है उसका ढंग से दोहन नहीं किया, उसका कोई कारगर तरीके से कारखाना लगाने की चेष्टा नहीं की है, राक फास्फेट हमारे पास है, करोड़ों टन हमारे पास राक फास्फेट हैं किन्तु उदयपुर में राक फास्फेट का कोई बड़ा कारखाना नहीं लगाया गया। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अरबों रुपये की जो सम्पदा राक फास्फेट के नाम से उदयपुर में आ रही है, सल्फयूरिक एसिड मात्र चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड यदि राकफास्फेट में मिला दिया जाय तो वह खाद बन जाता है। हम गुजरात से ले रहे हैं, दूसरी जगहों से ले रहे हैं, हमारे यहां हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। माननीय सभापति जी अकाल की विभीषिका है। हमारे यहां ताण्डव नृत्य हो रहा है। अकाल के मामले में, चार इंच बरसात हुई, जैसा मेरे साथी शांतिलाल जी ने कहा है

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें, आप खूब बोल चुके हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : एक मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। मैं बोल भी नहीं पाया हूं। मुश्किल से सातवां मिनट है मेरे को।

श्री सभापति : पहले नहीं बोल रहे थे क्या आप।

श्री शांतिलाल चपलोत : नहीं बोला आपने पाइंट आफ आर्डर उठा दिया इसलिए बोलने से वंचित रह गया।

श्री सभापति : बोलिए।

श्री शांतिलाल चपलोत : सभापति महोदय, अकाल की हालत बहुत खराब है और उदयपुर जिला, राजसमन्द जिला इस साल विशेष अफेक्टेड है। उदयपुर डिवीजन में राजसमन्द जिला सबसे ज्यादा खराब हालत में है और उदयपुर जिले में सारा आदिवासी इलाका और मावली पर्टीकुलर और माननीय शक्तावत साहब का इलाका बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एनीकट का काम रोका गया है, यदि एनीकट का काम रोका गया तो किस तरीके से हम पानी का कंजर्वेशन करेंगे, किस तरीके से हम कुओं का जल स्तर बढ़ायेंगे, यदि हमारे एनीकट बन्द कर दिये। मैं सौराष्ट्र भी गया था। वहां पानी की बड़ी भारी कमी है। अकाल होते रहते हैं। सौराष्ट्र में हमने देखा कि एक कुआं है, बीस फीट दूर एक खड्ढा खोदा जाता है। बीस तीस फीट गहरा खोदा जाता है और उसको भरा जाता है और उसके साथ एक नली लगा कर उस कुएं में डाली जाती है उससे कुआं रिचार्ज किया गया। मेरा आपसे निवेदन है, मैं यह नहीं कहता कि सारे राजस्थान में हम यह कर पायेंगे पर प्रयोग के तौर पर ही सही, दो चार जिलों में, एक तहसील में ही कर देखे कि वाकई में ही क्या वाटर लेबल इससे बढ़ता है और अकाल राहत में हम क्या कर सकते हैं।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

यदि हमने कुओं से सिंचाई की सुविधा कर दी, कुओं को रिचार्ज करने की कोई व्यवस्था कर दी तो मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की जनता के लिए बहुत कल्याणकारी काम होगा। सभापति महोदय, पीने के पानी की भारी समस्या है पर अभी हमारे किसी व्यक्ति ने इस प्रकार सोचने की चेष्टा नहीं की है कि जिस-जिस गांव में पीने के पानी कीसमस्या हैवहां बड़े-बड़े कुएं खुदवाये जायें अकाल राहत में। एक गांव है, उस गांव में एक कुएं से पानी की सप्लाई हो सकती है। बड़ा कुआ दस बाई दस मीटर जिसका रेडियस हो या पांच मीटर की रेडियस हो, इस तरीके का कुआ खुदवाया जाय, नीचे से पूरा चौड़ा खुदवाया जाय तो मैं समझता हूं कि जो ट्यूब वेल खुदवाये जाते हैं उससे ज्यादा कारगर और सार्थक परिणाम हम बड़ा कुआ खोदकर निकाल पायेंगे। सभापति महोदय, मैं आपको और निवेदन करना चाहूंगा। एनीकट के साथ-साथ जहां पानी की समस्या आ गई है, पीने के पानी की, वहां ट्यूब वेल भी खुदवाये, अतिशीघ्र किये जायं। नौ दिन चले ढाई कोस, इस तरीके से काम करने से राजस्थान की बहबूदी नहीं होगी। ट्यूब वेल के साथ-साथ हैण्ड पम्पों की भी विशेष स्वीकृति कराई जाय। हमारे यहां हालात बहुत भीषण हैं। मैं आज से पांच साल पहले कालीवास नामक एक गांव है, वहां मैंने 88 में लोगों को पोखर से पानी पीते देखा हमारे आदिवासी इलाके के भाई और उदयपुर जिले के लोग पानी के लिए क्या तरसते रहेंगे और जिससे पशु पानी पीता है उसी से क्या आदमी पानी पीकर अपनी जिन्दगी चलायेंगे। यह बहुत विचारणीय बात है। आज से आठ साल सात साल पहले जब वहां अकाल पड़ा था, चार किलो एक घर में गेहूं नहीं था। एक घर में आठ मौतें हुई हैं, कालीवास गांव में, जो उदयपुर से बीस किलोमीटर दूर है। आठ मौतें हुई, प्रशासन को जब कहा गया, सरकार तो सोचती है, मैं सरकारों की बात नहीं कह रहा हूं पर सरकारी अधिकारी किस प्रकार की बात कहते हैं, वहां गये, टीम गई और उन्होंने कहा कि जिस घर में आठ मौते हुई उसमें चार किलो अनाज था। क्या मजाक है यह। चार किलो अनाज मिला।

भूख से तो नहीं मर सकते आदमी। मैं, सभापतिजी, एक बात और कहना चाहूंगा अभी जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी, महामारी बढ़ेगी। मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि हैजे का प्रकोप होगा। किसी प्रकार की गोलियों का इन्तजाम किया जाय, तो ताकतवर गोलियां हों लोगों की ताकत बराबर बनी रहे कार्य की क्षमता बनी रहे उनके लिए पिल्स किसी प्रकार की बटवाई जा सके तो उनको बंटवाया जाना चाहिए। अन्त में, जितने एनीकट बनाये जायं, आदिवासी इलाके में, उदयपुर जिले में और सारे राजस्थान में बनाये जायं। सभापति महोदय और भी सदस्यों को बोलना है और आप मेरी तरफ बार-बार मुखातिब हो रहे हैं, इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया उसके लिए आभार पर मैं फिर भी एक प्रार्थना करूंगा कि खनिज के उचित दोहन के लिए उदयपुर में राक फास्फेट का कोई इन्तजाम कियाजाय, उसके लिए कोई कारखाना लगाया जाए और आदिवासी इलाके में एनीकट का निर्माण तीव्र गति से किया जाय। धन्यवाद।

200

(शांतिलाल चपलोत)

श्री सभापति : श्री हरिसिंहजी (महुआ)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, लिस्ट तो पता लगे ताकि हमें पता लग जाय कि हमारा कब नम्बर रखा है।

एक माननीय सदस्य : आपका नम्बर आ गया था, आप थे ही नहीं।

श्री सभापति : यह अगर पता लग जायेगा तो आपकी उत्सुकता खत्म हो जायेगी। श्री हरिसिंहजी महुआ, माननीय सदस्य सुनें।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, कल वालों का ही नाम नहीं है अभी तक, कल से ही बैठे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय मैं खनिज विभाग की मांगों के संबंध में अपने कुछ विचार रखना चाह रहा हूं।

राजस्थान में वर्षा की कमी है, विशाल थार का मरूस्थल है और दूसरी सब बातों की कमी है लेकिन यहां की धरती रत्नगर्भा वीरप्रसूता है। दो बातें तो स्पेशल फीचर्स हैं हीं और यहां की धरती में अनेक ऐसे बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं जो हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया में दूसरी जगह नहीं मिलते जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे निवेदन करू, बोलेस्टोनाइच एक खनिज है जो सिर्फ अजमेर और पाली में मिलता है, एशिया में और कहीं नहीं मिलता।

श्रीमती तारा भंडारी : आपको ज्ञान ही नहीं है, सिरोही में उसका भंडार है, एशिया में सबसे बड़ा है।

श्री हरिसिंह : महुआ, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि एशिया में सबसे बड़ा भंडार है।

श्रीमती तारा भंडारी : पाली में नहीं है, सिरोही में है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अच्छा आपने दुरुस्त कर दिया, ठीक है।

श्री सभापति : रत्नगर्भा है, इसमें रत्न ही रत्न है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, हमारे यहां लाइम स्टोन हिन्दुस्तान में ही नहीं, मैं यह कहूंगा कि विश्व में सबसे ज्यादा है और लाइम स्टोन का जो सर्वे हुआ है विभाग के द्वारा, उसकी रिपोर्ट यह है कि अगर चार करोड़ सीमेंट प्रतिदिन हम उत्पादित करें तो 60 वर्ष तक हमारा लाइम स्टोन काम देगा। तो अभी तो हम उसका कुछ विदोहन कर ही नहीं रहे। अभी तो हमारे यहां जितने भी सीमेंट के उद्योग हैं उसमें करीब पचास-साठ इतनी बड़ी-बड़ी फैक्टरियां और चालू कर दें तो हिन्दुस्तान के नक्शे पर राजस्थान प्रथम स्थान पर जा सकता है। जहां तक हमारी इससे आय का सम्बन्ध है, करीब 650 करोड़ रुपये की बिक्री कर की हम आय प्राप्त करते हैं राजस्थान में और तीन लाख पच्चीस हजार लोगों को यहां रोजगार मिला हुआ है और कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें हमारी मोनीपोली है जैसे माइका है, सोप स्टोन है।

सवाल यह है, सभापति महोदय, कि आज हमें हमारे राजस्व से जो आय होती है, वह डेढ़ सौ करोड़ रुपये से ऊपर खनिज सम्पदा से प्राप्त होती है, और उसको हम प्रचुर मात्रा में, खूब बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज तक सरकार ने यहां के खनिज उद्योगों के आधार पर खनिज सम्पदा के बेस पर

(श्री हरिसिंह)

उद्योग नहीं लगाये। मैं आप से थोड़ा सा निवेदन करूं, राजस्थान की सिलिकासेन पर मोनोपोली है और फिरोजाबाद में 400 कारखाने चुड़ियों के और कांच के गिलास के हमारी सिलिका से चल रहे हैं, जबकि राजस्थान में एक मात्र छोटा सा कारखाना धौलपुर में है। खुरजा में करीब 450 यूनिट्स राजस्थान के खनिज के आधार पर चल रही हैं, जिसमें बीकानेर की क्ले, फायर क्ले चायना क्ले है, यू. पी. में उनका भरपूर फायदा हो रहा है, वहां उद्योग स्थापित हो रहे हैं। हमारी सरकार खनिज सम्पदा के आधार पर यहां उद्योग स्थापित अगर करती तो हमारे राजस्थान की बहबूदी, लोगों को रोजगार मिलता और हमारी राजस्व आय में इतनी बढ़ोत्तरी हो जाती कि खनिज सम्पदा से होने वाली आय राजस्थान में शराब और सैल्स-टैक्स के ऊपर पहुंच जाती।

सभापति महोदय, मैं अब थोड़ा सा यह निवेदन करना चाहूंगा कि 7-5-1992 को केन्द्रीय सरकार का एक नोटिफिकेशन निकला और उसमें हरियाणा का गुडगांव, और राजस्थान का अलवर इन दोनों को उसमें कवर किया और कवर करने से यह हुआ कि अलवर का जो हमारा नेशनल पार्क है, उसकी पेरीफेरीज में और उसके क्षेत्र में आने वाले करीब 400, 425 यूनिटें हमको बन्द करनी पड़ी। मैं सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब सत्ता में नहीं रहे तो हमारे सदन के नेता अलवर गये, एजीटेशन किया कि यह काला कानून है, कोटा पहुंचे एजीटेशन किया राजनीतिक लाभ तो उठाया लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्होंने कभी केन्द्रीय सरकार को प्रोटेस्ट के रूप में एक चिट्ठी तक नहीं लिखी और अगर चिट्ठि लिखी गयी तो वह राष्ट्रपति शासन के तहत, जो महामहिम राज्यपाल महोदय के एडवाइजर थे, उन्होंने पत्र लिखा और शासन में बैठे अब कई महीने हो गये, उस पत्र पर क्या प्रतिक्रिया केन्द्र सरकार की है यह भी जानने की कोशिश नहीं की। नोटिफिकेशन का राजनीतिक लाभ आपने लिया, आप थानागाजी जीत गये, अलवर में एक दो सीटों में आप और इजाफा कर गये, यह राजनीतिक लाभ तो आपने लिया, लेकिन आपकी कथनी और करनी में रात-दिन का अन्तर है, आपको राजस्थान की बहबूदी की कोई चिन्ता नहीं है। अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की आपको चिन्ता है। सभापति महोदय, बड़ी ताकत के साथ यह मुद्दा आपने अलवर में उठाया, यह मुद्दा आपने सवाईमाधोपुर में जाकर उठाया, यह करोली क्षेत्र में जाकर उठाया और सब जगह इसका बहुत प्रचार किया और रामगंज मण्डी में उठाया, दुसरी जगह उठाया।

सभापति महोदय, आज दुनिया में प्रसिद्धि की ओर जा रहा है धौलपुर स्टोन और बहुत ख्याति अर्जित कर रहा है बिल्डिंग मैटीरियल के रूप मे, सरकार ने उसके प्रमोट करने के लिए क्या किया है ? सरकार के अपने प्रयास क्या रहे है ? कोटा स्टोन के उत्पादन से लेकर के खनन तक सरकार के क्या प्रयास रहे हैं? जो लीज होल्डर हैं। वह अपने तरीके से उत्पादन कर रहे हैं। कुलमिलाकर बात यह है कि धौलपुर और करौली, चाहे बिजौलिया हो, चाहे भीलवाड़ा, चाहे कोटा हो, यहां जितना भी खनन कार्य है वह साइंटिफिक आधार पर नहीं हो रहा है। होच-पोच तरीके से हो

(202)

(श्री हरिसिंह)
रहा है और जो होच-पोच तरीके से खनन कार्य हो रहा है उसमें सतही माल हमें जो मिल रहा है, उसका तो हम विदोहन कर रहे हैं लेकिन उसके नीचे और कितना माल रह जाता है, उसको वेस्ट करके यूं का यूं छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इससे हमको दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो एरिया में जैसे-जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हम फोरेस्ट की तबाही करते हुये चले जा रहे हैं अगर साइंटिफिक आधार पर हम खनन करें और उन खानों का विदोहन करें तो हम कम क्षेत्र में ही अधिक उत्पादन ले सकते हैं। सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार को ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आप से एक और निवेदन करूं। चाहे सरकार वह रही हो, यह रही हो एम. एम. सी. आर. में जो माइन्स में काम करने वाले लेबर हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर लीजेज देने का प्रावधान हैं। मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, आपके माध्यम से माइन्स मिनिस्टर से कि आप अंगुलियों पर गिना सकते हैं कि कितनी माइन्स, लेबर को आपने लीजेज दी? दो चार पांच भी नहीं है, और अगर हैं तो बेनामी हैं। वह कोई या तो बड़े सेठों ने अपने नौकरों के नाम से ले रखी है या कोई बड़े राजनेताओं ने अपने किसी मिलने-जुलने वालों के नाम से ले रखी है। उसका खुल्ला उल्लंघन हो रहा है, इसलिए मंत्रीजी, मैं आप से यह निवेदन करूं कि इन रूल्स का सख्ती के साथ पालन करवाया जाए, जिससे खनिज का काम करने वाले जो लेबर हैं, श्रमिक हैं उनको रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आज बड़े-बड़े मगरमच्छ, आज बड़े-बड़े सेठ इन खानों पर कब्जा किये हुए बैठे हैं, अनाप शनाप पैसा कमा रहे हैं और अनाप-शनाप तरीके से खानों का विदोहन करके हमारी राष्ट्रीय क्षमता को नुकसान पहुँचा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं विशेष समय नहीं लेकर के एक थोड़ा सा निवेदन करूंगा. ..

श्री सभापति : आप तो समय सीमा में रहने वाले हैं।

श्री हरिसिंह : सरकार अगर वाकई यहां खनिज का सही तरीके से विदोहन करना चाहती है और वाकई राजस्थान को हिन्दुस्तान के मैप में एक सर्वोपरि स्थान पर एस्टेब्लिश्ड करने की कोशिश करे, तो सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि स्टील ग्रेड का लाइम सिर्फ हमारे पास है, हिन्दुस्तान में और दूसरी जगह नहीं है और लिग्नाइट का भी वहीं भण्डार है और 200 करोड़ टन का भण्डार है। हमारे पास लाइम स्टोन है हमारे पास पावर है। तनोट और जैसलमेर के दूसरे जो इलाके हैं, वहां पर हमें गैस उपलब्ध है, तो हमारी यह भी शिकायत नहीं रही कि हम शक्ति कहां से लायेंगे? ताकत कहां से लायेंगे? पावर कहां से लायेंगे? हमारी खनिज सम्पदा का पावर के रूप में अगर हम विदोहन करे, तो आज हम ऐसी जगह पर कारखाने स्थापित कर सकते हैं जहां पर कभी आदमी ने कल्पना नहीं की थी, थार के मरुस्थल को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते थे, वह कृषि के क्षेत्र में तो अपना एक स्थान मानचित्र पर बना रहा है, लेकिन सरकार

(हरिसिंह)

की इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो तो आप बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रीज कायम करके विश्व नक्शे में थार के मरुस्थल का एक स्थान औद्योगिक विकास की दृष्टि से कायम कर सकते हैं। मैं इतना ही कहकर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : अर्जुनदास मदान (अनुपस्थित) ।श्री राकेश मेघवाल

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यन मेरे क्षेत्र, विश्व विख्यात मार्बल की मण्डी है मकराना, उसकी दुर्गति,की ओर दिलाना चाहता हूं। आज सबसे ज्यादा आय राजस्थान में मेरे ख्याल से सरकार को खनिज सम्पदा में मकराना से होती है। लेकिन मकराना की सभी सड़कों की स्थिति इतनी खराब है जितनी शायद किसी भी क्षेत्र में नहीं होगी। आज दिन भर यही चर्चा चल रही थी खनिज सम्पदा, खनिज सम्पदा। जितनी खनिज सम्पदा से आय मकराना में हो रही है वह शायद किसी भी क्षेत्र में नहीं हो रही है लेकिन फिर भी यह सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? मैंने सरकार को पहले भी आग्रह किया था और उस आग्रह को फिर वापस दोहराता हूं कि जितनी आय होती है उसका 25 पर्सेण्ट हिस्सा........

....(व्यवधान)....

मैं सरकार का ध्यान मकराना की तरफ आकर्षित करता हूं। हमारे नागौर जिले में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र मकराना है, पूरा नागौर जिला मकराना के ऊपर निर्भर है, उससे रोजी-रोटी कमाते हैं। वहां के सभी लोग, आस-पास के जितने भी गांव हैं, क्षेत्र हैं, मकराना में सुबह से शाम तक आते-जाते रहते हैं इसलिए वहां की सड़कों की दशा बहुत खराब है। उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। इसमें मुख्य सड़क जो मकराना से गच्छीपुरा जाती है, इसके बीच में देवस्थान भी आता है जो नागौर जिले का करणी माता जी का मन्दिर है, इस रोड के माध्यम से गुजरती है यह रोड तो, इस रोड को अति शीघ्र बनवाने का मैं सरकार से आग्रह करता हूं।

हमारे मुख्य मंत्री जी एक बार करणी माता के मन्दिर गये थे और उन्होंने घोषणा भी की थी कि यह सड़क, चाहे मैं मुख्य मंत्री बनूं या नहीं बनूं, चाहे बी.जे.पी. की सरकार आये या नहीं आये, यह सड़क जरूर बनेगी लेकिन वह सड़क आज तक नहीं बनी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि यह सड़क अति-शीघ्र बनवाई जाए। मकराना से बोराबड़ और देवस्थान जो करणी माताजी का मन्दिर आता है उससे गच्छीपुरा जाती है, यह सड़क अति-शीघ्र बनवाने का आदेश फरमावें।

सभापति महोदय, राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिज सम्पदा मकराना में निकलती है इसलिए मैंने माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी से भी इस बारे में बात की थी, उनको प्रपोजल बनाकर भी भेजा था, इस रोड के बारे में। उन्होंने मुझे दो शब्दों में वापस एक चिट्ठी डाल दी हमारे पास बजट नहीं है। इस

(204)

(श्री राकेश मेघवाल)

बजट के लिए आप खनिज मंत्री जी से मिलकर बजट दिलवाइये ताकि यह सड़क आपकी बनवाई जाये । आजकल खनिज विभाग हमारे माननीय कैलाश जी मेघवाल को दे रखा है इसलिये मैं उनका ध्यान इस रोड की ओर बार-बार आकर्षित करता हूं । जितनी भी खनिज से आपको आय मिलती है उसका 25 प्रतिशत हिस्सा आप मकराना की सड़कों पर लगवायें । जो मुख्य सड़कें हैं मकराना में उनकी ओर आप ध्यान दीजिए । माननीय गृह मंत्री जी आप खनिज मंत्री भी हैं और सबसे ज्यादा राजस्थान में खानों से आय होती है यह आपको अच्छी तरह मालूम है ।

दूसरा, सभापति महोदय मेरे क्षेत्र में आज सब लोग यह कहते हैं अकाल, अकाल । मैं यह मांग कर रहा हूं कि अगर पानी नहीं होगा तो अकाल में लोग काम कैसे करेंगे । सब लोगों की एक ही चर्चा थी अकाल राहत के कार्य, अगर पानी नहीं होगा, कोई आदमी अगर पानी ही नहीं पियेगा तो अकाल राहत कार्य में काम कैसे करेगा ? तो सबसे मेन मुद्दा यही है कि अकाल राहत कार्य से पहले उस क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराया जाए । आज बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पीने को पानी नहीं है । अगर पीने को पानी नहीं है तो सड़कों पर कैसे चलेंगे यह गरीब जनता, जिनको आप 22 रुपया देते हैं अकाल राहत कार्य में काम करने के लिए तो अगर पानी नहीं होगा तो 22 रुपये लेने जायेगा कौन ? इसलिए सबसे पहले अकाल राहत कार्य में पैसा पानी पर लगाइये ताकि घर-घर में शाम को पीने को पानी हो, खाने से पहले पानी हो और अकाल राहत कार्य करने से पहले पानी हो । हमारे क्षेत्र में पानी मोल बिकता है । यहां तक कि बहुत से गांवों में 25 पैसा एक मटकी पानी का लिया जाता है और आप सिर्फ 22 रुपये देते हैं । सभापति महोदय, सुबह से शाम तक कितनी मटकियां, कितने घड़े पानी लायेंगे तो जो 22 रुपया मिलता है वह तो पानी में ही चला जाता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि मुख्य बजट जो अकाल राहत कार्य है वह सबसे ज्यादा पहले पानी पर लगाया जाए और जो तालाब खुद रहे हैं उनको पानी से भरवाया जाए ताकि जानवर और मवेशी कोई पानी की वजह से मृत नहीं घोषित की जाए । नहीं तो अकाल राहत कार्य के चक्कर में तालाब सूखे खुदते रहेंगे और उनमें पानी नहीं आयेगा तो अकाल राहत कार्य का पूरा पैसा ही बेकार चला जायेगा । जब पीने वाला ही नहीं है तो खोदेगा कौन तालाब को अकाल राहत कार्य में पानी का सबसे से मुख्य मुद्दा है, तो मैं यह मांग करता हूं कि हमारे क्षेत्र में सबसे मैन समस्या पीने के पानी की है ।

सभापति महोदय, लम्बा-चौड़ा पहाड़ी इलाका है, मकराना में सौ-सौ फीट गहरी खानें हैं उनमें हमारे जैसे या और किसी बड़े पैसे वालों की खानें वहां हैं लेकिन उसमें अनुसुचित जाति के सभी मजदूर, बंधुआ मजदूर काम करते हैं उनके अन्दर मर जाते है तो उनको कुछ नहीं मिलता है । पुलिस वालों से मिलकर हजार, पांच हजार रुपया देकर उनके केस को रफा दफा कर दिया जाता है तो इस आधार पर आप कोई

(श्री राकेश मेघवाल)

ऐसे नियम बनाइये ताकि खान में मरने वाले आदमी को उचित राशि दी जाए उचित मुआवजा दिया जाय या उस खान में से कुछ हिस्सा उसके परिवार को दिया जाए। एक-एक आदमी के पांच-पांच, दस-दस खानें हैं। कोई आदमी मर जाता है तो पाच हजार रुपया दिया और मामला रफा-दफा।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राकेश मेघवाल : अकाल राहत कार्य में सभी ग्राम सेवक इतने भ्रष्ट हैं कि सीधा यही कहते हैं कि हमें मजदूर नहीं मिलते हैं। मेरे क्षेत्र में, मेरे घर के सामने एक किलोमीटर सड़क है, आज दो महीने से सेंक्शन आई हुई पड़ी है एक ही लफ्ज है कि मजदूर नहीं मिलते हैं, 22 रुपये में, जबकि मजदूर वहां मिलते हैं लेकिन उनको फुर्सत नहीं है रिश्वत खाने से इसलिए अगर मेरे घर के सामने एक किलोमीटर सड़क समय पर नहीं बन सकती तो, सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि कोई अकाल राहत कार्य नहीं चल सकता। यह सिर्फ एक असत्य दिलासा है कि अकाल राहत कार्य चल रहा है। खाली फोरमलिटीज पूरी होती हैं। कागजों में सेंक्शन मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा है नागौर जिले में लेकिन कार्य कहीं नहीं चल रहे हैं। वहीं थोड़े पत्थर डाल दिये, थोड़ी गिट्टी डाल दी, थोड़ा मलबा डाल दिया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि जो सेंक्शन मिली है उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाय। मैं अकाल राहत मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूँ कि जहां सेंक्शन मिली है वहां कार्य अति शीघ्र प्रारम्भ कराये जाये और उसकी समयावधि होनी चाहिए कि यह कार्य इतने समय में पूरा होना चाहिए।

आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरड़क (अनुपस्थित)। श्री खेतसिंह राठौड़ (अनुपस्थित)। श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : सभापति महोदय, आज अकाल राहत और खनन के बारे में चर्चा हो रही है। मैं भी इस सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव दूंगा और समस्याएं बताऊंगा। डूंगरपुर जिला हर दूसरे साल अकाल से ग्रसित रहता है। वहां पर पहाड़ी एरिया होने के कारण.....

श्री सभापति : अभी बहुत से माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने हैं, आप अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में बात कहिये।

श्री नाथूराम अहारी : वही तो बोल रहा हूं। तो वहां पर 70 से 80 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं और उनके पास जमीन बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे-छोटे नालों में या पहाड़ों के बीच में होती है या तो अतिवृष्टि अनावृष्टि से फसल प्रायः नष्ट होती है। इस साल दोनों फसलें अनावृष्टि के कारण नष्ट हो गई तो अकाल के कार्य अभी जो खुले हैं वह समान रूप से नहीं खुले हैं। लोग रोजगार के अभाव में पलायन कर रहे हैं। आदिवासी

206

(श्री नाथूराम प्रहारी)

एरिया इस तरह से है कि जिसकी आबादी समुदाय में नहीं होकर अलग-अलग हैं इसलिये हमारा मापदण्ड है इतनी आबादी का है तो हैण्ड पम्प, सड़के या अन्य कोई सुविधा दी जावेगी, इस मापदण्ड को, मैंने पहले भी कहा हैं और अभी भी कह रहा हूं, कि उस मापदण्ड को आदिवासी एरिये में पहाड़ी एरिये में समाप्त किया जाय। चाहे 10 घर हों, चाहे 5 घर हों तो भी उनको हैण्ड पम्प की और सड़कों की और पानी की व्यवस्था उपलब्ध की जाये। यह मेरी मांग है।

अकाल के अन्दर जो मजदूरों की सीलिंग कर रखी है उस सीलिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाये और जिनको भी मजदूरी की जरूरत है उन्हें मजदूरी पर रखा जाय और हर 15 दिन में मस्टररोल खत्म होते ही उनको पेमेण्ट कर दिया जाय। नदी, नालों और तालाबों में अभी पानी नहीं है, बिलकुल सूख गये हैं इसके फलस्वरूप जमीन का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। उचित मूल्य की दुकानों में 4-5 किलो अनाज दिया जाता है, इस अकाल के टाइम में जो 10 किलो पूर्व में मिलता था उतना अनाज दिया जाय ताकि कम से कम इस उचित मूल्य का कोई औचित्य भी हो सकेगा।

मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। इस कार्य में ज्यादा से ज्यादा रोडस मन्जूर की जायें। जो अधूरी रोड हैं और एप्रोच रोडस हैं उनको भी मन्जूर किया जाय। रोड मन्जूर करने में छोटे-छोटे जो नाले हैं उन नालों में पाइप रख कर पानी के निकास की उसके साथ ही व्यवस्था करदी जाये ताकि बरसात में वह नाले अवरूद्ध ना हों और उस नाले में पानी का निकास हो सके जिससे हमारी जो सड़क बनी है वह सड़क यथावत रहे। पचायत समिति स्तर के तालाब, एनीकठ, रपटे भी ज्यादा से ज्यादा हर गांव में खोदे जाये ताकि लोगों को समय पर मजदूरी मिल सके। उसके द्वारा पंचायत भवन, मिडल स्कूल भवन, प्राइमरी स्कूल के भवन, सेकण्डरी स्कूल के भवन भी बनाये जायें। आदिवासी छात्रावास जहां चलते हैं उनके भवन नहीं होने से वह किराये के भवन में चलते हैं उनके भी भवन बनाये जायें। पुलिस के जो थाने हैं उन थानों पर कोई व्यवस्था नहीं है, सांप और गोहरे रहते हैं, ऐसी हालत है, उनको भी सरकार मंजूरी देकर आज के युग में जैसा चल रहा है भवन बनाने का, तो पुलिस विभाग के जो थाने हैं, उन्हें भी मन्जूर करके बनाया जाय। सिंचाई विभाग में अभी एनीकट के लिये बताया कि उसे एनीकट नहीं बांधे जाये, लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि कम से कम डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा जहां भी बड़े बांध नहीं हैं, उसके अन्दर पानी आता है बड़े बांधों में जाता है उसके अलावा जो नाले हैं उन नालों पर एनीकट छोटे बांध, छोटे तालाब बांधे जायें जिससे जल स्तर कायम रहे। विगत वर्षों में आदिवासियों के और जनरल कास्ट के हजारों कुएं खोदे हैं। अभी हम नये कुएं ले रहे हैं, 27 हजार या इसके आसपास लेकिन जो अधूरे कुएं हैं, उन कुओं को पूर्ण करने के लिये नये कुएं नहीं लिये जायें यह मेरी मांग है। इसके साथ ही 1987-88 में जो ग्रामीण बावड़ियां थी, कुएं थे उनमें वर्षों से मलबा था। उस

(श्री नाथूराम मृहारी)

समय चलाया था इस तरह अभी भी अकाल के टाइम में इन कुओं को बावड़ियों को साफ किया जाय। इनमें मलबा भरा है और सार्वजनिक होने के कारण उसे निकाला नहीं जा रहा है। इसलिये मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि इन कुओं को भी लिया जाय और आदिवासियों के जो कुएं हैं उनको अकाल राहत में मन्जूर कर दिया जाये जिससे उनको मजदूरी मिलेगी, उनका कुआं पूरा होगा और अकाल राहत के मजदूर भी उसमें लगेंगे। यह मेरी आपसे मांग है। भू-संरक्षण में आदिवासी काश्तकारों की जो जमीन है उस जमीन में भू-संरक्षण के लिये मेड़बन्दी बनाई जाये। जो पहाड़ी एरिया है उसमें भी मेड़बन्दी की जाय जिससे बरसात में जो पानी आता है वह समुद्र में चला जाता है, वह रुक जायेगा और जल स्तर कायम रहेगा। अकाल के टाइम में अधिकतर घास की व्यवस्था नहीं हो रही है। पशु मर रहे हैं। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने अभी बताया कि हड्डियों के ढेर पड़े हुये थे, तो इस तरह मेरा जहां तक ख्याल है पानी की और घास की व्यवस्था नहीं होगी तो हर जिले में यह हालत होने वाली है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जैसा कांग्रेस की सरकार ने आठ आने किलो घास लाकर दी थी और हर पटवार, सर्कल पर घास के डिपो खोले थे, मैं आपसे मांग करता हूँ कि आप ज्यादा नहीं तो गिरदावल सर्कल में ....(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : मोपेड के नम्बर ट्रकों के लगाये थे और खूब फर्जी अनुदान उठाया।

श्री नाथूराम मृहारी : फर्जी अनुदान आप तो डूंगरपुर को जानती ही नहीं। आपको पता ही नहीं है किस दशा में है डूंगरपुर। यह आपको पता नहीं है। ....(व्यवधान) हां, यह शहर की हैं इनको मालूम कहां है। यह गांव का मामला है शहर का मामला नहीं है। मैं कहता हूँ कि घास की व्यवस्था की जाय। ....(व्यवधान) तो क्या घास की व्यवस्था नहीं की जाय, आप यह चाहते हैं ? घास की व्यवस्था युद्ध स्तर पर की जाय।

श्री सभापति : मृहारी साहब मेरी तरफ देखें। मेरी ओर ही देख लो आप।

श्री नाथूराम मृहारी : पानी की व्यवस्था पूरी की जाए, घास की व्यवस्था पूरी कराई जाये। अभी जो काम चल रहा हैं उनमें काफी धपलेबाजी भी है बी.जे.पी. के स्थानीय कार्यकर्ता हैं (व्यवधान)....मजदूरों की चिट्ठी लेकर जाता है और लगे हुए मजदूरों को बंद करते है मेरे और मजदूर यह रवैया आपके ऊपर के लेवल के लीडर है उनको हर जिले में, यह देख कर उन कार्यकर्ताओं के जो इस तरह के विचार हैं उनको कम से कम बदलने की कोशिश करें। आप ऐसा नहीं करेंगे आप जिस तरह से ढाई-ढाई साल में जाते रहे है ऐसे ही जाते रहेंगे। क्योंकि आपकी मनोवृत्ति खराब हैं। आप एम.एल.ए. बन कर आये हैं आपकी यह मनोवृत्ति हैं कि यह मजदूर मेरा और वह मजदूर मेरा, तो चिट्ठी से मजदूर लगाया करते है क्या ? जो मजदूर भूखा मरता है, जिसको मजदूरी की जरूरत है वह मजदूर लगना चाहिये। यहां तक कि काम मन्जूर होते हैं, यह काम कांग्रेस के लोगों का है इसको

(श्री नाथूराम अहारी)

बन्द कर दिया जाये इस तरह की प्रवृत्ति रखते है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि चूंकि हम इस राजनीति से ऊपर उठकर के लाख, दो लाख जन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये आते हैं। हम इतने संकुचित विचार रखें तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा जनता का दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। मेरा आपसे यह निवेदन हैं आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो संकुचित विचार के हैं, उन्हें बदला जाए और एरिये में अकाल के लिये युद्धस्तर पर काम कराया जाए। घास की व्यवस्था कराई जाय, पानी की व्यवस्था कराई जाये। आदिवासियों के जो कुए हैं उनमें अकाल राहत के काम मन्जूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाने की कोशिश करें। आपने जो सीलिंग लगा रखी है उसको हटाया जाएं जिनको मजदूरी चाहिये उनको मजदूरी दी जाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय अकाल पर और खनिज पर हम चर्चा कर रहे हैं। समय को देखते हुए मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ सुझाव और कुछ स्थितियों से आपको अवगत कराना चाहता हूं। राजस्थान में अकाल हमेशा पड़ते आये हैं, अकाल का योजनाबद्ध काम नहीं होता है, न कोई मास्टर प्लान है और पुराने फेमिन कोड के आधार पर राजस्थान की अकाल संहिता है उस आधर कामों का सही ढग से निर्माण नहीं होता है। ऐसा काफी लगता है पर क्वालिटी के हिसाब से वह ठीक नहीं बनते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य व्यवस्था बनाये रखिये, सदन में आपस में वार्तालाप नहीं करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिए मेरा यह आग्रह है कि 1987-88 में राजस्थान की सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया था। उस समय पक्के निर्माण के कार्य सारे राजस्थान में अच्छे हुए थे, कामों में क्वालिटी थी, उस आधार पर मैं चाहता हूं कि उस उदाहरण को आप देखें और जहां सैकण्डरी स्कूल, मीडल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, पटवार भवन, औषधालय जो-जो भवन गांव में आवश्यक हैं और उपलब्ध नहीं है सबसे पहले उनकी योजना तैयार करके वह शुरू की जाएं ताकि वह आवश्यकता सब जगह पूरी हो सके।

अकाल पड़ रहा है, 22 हजार से अधिक गांव अकाल से पीड़ित हैं उसके बाद माननीय सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा अभी राजस्थान की सरकार ने जो अल्पकालीन ऋण होते हैं सहकारिता के और गांव में वसूली के उनमें मध्यकालीन परिवर्तन नहीं किया है, मैं चाहूंगा कि उनमें परिवर्तन कर के वसूली रोकी जाए और इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं और मैं समझता हूं इस मामले में ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है। राजस्थान में कई 15 और 20 हजार की जनसंख्या की नगरपालिकाएं है और वह ग्रामीण परिवेश की एक तरह से मानी जानी चाहिये, उसी संस्कृति और गांव के हिसाब से कई लोग उसमें रहते हैं और मवेशी पालन करते हैं, आज तक उन नगरपालिकाओं में काम प्रारम्भ नहीं किया गया। पिछली सरकार ने भी, आप उठा

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कर देख लें, इस तरह की नगरपालिकाओं में अकाल राहत कार्य शुरू किये थे और इस प्रकार कार्य शुरू करने के लिये मैं चाहूंगा कि इस साल भी निर्देश जारी किये जाएं। प्रभावी जनसंख्या को देख कर यह आप हर क्षेत्र का अन्दाजा लगा लें, उसके अनुसार काम नहीं चल रहे हैं। मैं यह कह सकता हूं राजस्थान में एक जिला चाहे बाड़मेर लें, चाहे भीलवाड़ा जिला ले लें, उनमें जितने काम, पिछले वर्षो के रिकार्ड को देख लें उस समय जो काम चलते थे उसके मुकाबले सारे प्रदेश में काम चल रहे हैं। एक-एक गांव में जहां पर पांच-पांच सौ, एक-एक हजार परिवार हैं वहां 20 आदमियों का मस्टररोल देने से कैसे काम होगा; कौन लोग आएं, कैसे आएं, यह हमेशा झगड़ा हुआ है। आपके निर्देश बहुत हैं शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, गरीबी की रेखा में चयनित को और अनुसूचित जन जाति के लोगों को काम पर लगाया जाए, वह निर्देश किस हालत में कितने पालन हो रहे हैं आज उसको देखने की आवश्यकता है। परसों शाम को मैं जहाजपुर में था वहां तीन ट्रैक्टर भर कर के आदमी गांव से आए जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट के लोग थे और जनजाति के भील परिवारों के लोग थे, दिनभर 16 तारीख को उनको बैठाया रखा, उन्होंने दिनभर काम किया और उस दिन सुबह नाम न लिख कर के शाम को भी नाम नहीं लिखे और वह सब के सब लौट के वापस आ गये जो पिछले सप्ताह काम कर रहे थे। इसलिए इस प्रकार की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। गरीब तबके के लोग आज परेशान हैं और उनको पर्याप्त काम मिले, यह मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं।

पंचायत समिति के तालाबों का सवाल है, एनीकटों का सवाल है, माननीय अकाल राहत मंत्री जी से मेरी जब-जब भी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा एनीकटों में कोई रोक नहीं, तालाबों के काम छोटे-मोटे सब लिये जा सकते हैं। अधूरे काम बहुत हैं, बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाएं भी जो पहले अकाल राहत में शुरू हुई थीं वह अधूरी पड़ी हैं। विभाग वाले कहते हैं जब तक आगे की गारंटी हमारे पास पैसे लगाने की नहीं हो तो हम ऐसे काम हाथ में नहीं ले सकते हैं। जिलाधीश को अगर हम प्रस्ताव यह देंगे तो विभाग में भेजेंगे, विभाग वाले कहते हैं अगली लाइबिलिटी हम नहीं ले सकते, तो उस प्रकार के कामों के बारे में कोई निश्चित नीति नहीं है। इसके बारे में, माननीय अकाल राहत मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो चर्चाओं में आप बात करते हो, हां भरते हो उस तरह के निर्देश नीचे तक जाएं यह मैं निश्चित रूप से आपसे मांग करना चाहता हूं। जब इतने काम चलते हैं, टैक्निकल स्टाफ नहीं, कोई विभाग कहता है हमारे पास ओवरसियर नहीं, जे ई एन. नहीं, ए. ई. एन. नहीं है, हम इस तरह के काम हाथ में नहीं ले सकते, तो यह मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक राजस्थान में सितम्बर तक गिरदावरी होती थी, अक्टूबर में घोषणा होती थी, प्रशिक्षण कार्य शुरू होते थे, आपने फरवरी में मामूली से काम शुरू किये। मार्च का महीना भी लगभग आधे से ऊपर व्यतीत

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हो चुका है उसके बाद भी राजस्थान में काम की अभी गति नहीं पकड़ पायी है और पूरे तौर से काम नहीं हे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों क हालत बहुत खराब है। इस तरह के मामले में मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक व्यवस्थित ढंग से अकाल राहत कार्य चलाएं पर्याप्त संख्या में मजदूर लगाएं और एजेंसी को सब को सक्रिय कीजिए, उसमें पर्याप्त स्टाफ दीजिए, यह मेरा आप से अनुरोध है।

अब मैं थोड़ा-सा खनिज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह सही है कि राजस्थान में खनिज सम्पदा इस धरती में विपुल मात्रा में है। उसका दोहन चाहे इस पक्ष के हो, चाहे उस पक्ष के हो कभी वैज्ञानिक ढंग से नहीं हुआ। मनमाने ढंग से होने पर जो इसकी उपादेयता होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। मैं यह चाहता हूँ कि राजस्थान में खनिज की नीति स्पष्ट हो। आज भी राजस्थान में कई उद्योग लग सकते हैं, लाइम स्टोन के, सोफ्ट स्टोन के, चाइना क्ले की काफी डिपोजिट्स हैं। वह कहीं फोरेस्ट में, फोरेस्ट वहां कुछ नहीं है पहाड़ियां हैं, कहीं भूगर्भ विभाग भारत सरकार का है वह, वैज्ञानिक सर्वे विभाग है उसमें आरक्षित कर रखे हैं, 30 साल पहले आरक्षित कर लिये और 30 साल में उनका न अनुसंधान किया, न सर्वेक्षण पूरा हुआ और वह क्षेत्रों में आज ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश में जहां पर वन क्षेत्र 31 559 वर्ग किलोमीटर है उसमें 18,727 वर्ग डिग्रेडेड फोरेस्ट है और खानों में 1070 वर्ग किलोमीटर कुल मिलाकर यह एरिया उसमें आया हुआ है। मैं यह चाहूंगा कि जहां बहुत सारी जगह वन क्षेत्र घनाये जा सकते हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, जहां पर वन नहीं हैं और खानें हैं तो इस की स्थिति से राजस्थान की बहुत बड़ी आय बढ़ सकती है, बेरोजगारी मिट सकती है। खनिज क्षेत्र का जहां सवाल है, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा सोफ्ट स्टोन की एशिया की सबसे बड़ी जो खानें हैं गोलेछा की चैनपुरा और घेवरिया वह मेरे इलाके में हैं उन मानी हुई खानों में आज सड़कें नहीं हैं। हमारे जिले के भी खनिज राज्य मंत्री रहे थे, आज मैं उनके इलाके की सड़कों की लिस्ट देख रहा था, मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके इलाके में कहां कितना खनिज था, कहां सड़कों की आवश्यता थी मगर इसके बावजूद भी मुझे इससे कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत अब इस बात की है कि जहां 22 सड़कें पहले ली गयी हैं वहां पर इस प्रकार के क्षेत्र उसमें शामिल नहीं किये गए तो मैं चाहूंगा कि चाहे चैनपुरा हो, घेवरिया हो, उनको सड़कों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाय और विशेष प्रायोरिटी जहां इतनी बड़ी तादाद में खनिज डेड रेण्ट, रॉयल्टी मिल रही है वह लिया जाए।

श्री सभापति : संक्षिप्त में माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूं, सभापति महोदय। अब मैं नाजायज खनन पर आना चाहता हूँ। सभापति महोदय, यह चर्चा हमेशा आती है। नाजायज खनन बड़ी मात्रा में

211

(श्री रतन लाल ताम्बी)

राजस्थान में हो रहा है। डेड रेण्ट और रॉयल्टी की जो राशि आपको मिल रही है उससे अधिक राशि यदि उनको किसी भी ढंग से नियमित कर के आप दे दें या उनको आप बिलकुल हटा दें, कोई एक नीति तो तय करें। इधर आपकी कोई नीति स्पष्ट नहीं है और दिन प्रतिदिन नाजायज खनन बढ़ रहा। मैं भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र के बारे में आपसे अनुरोध करना चाहूंगा हूं। तभी पिछले महीने निदेशक महोदय वहां गये तीन सौ टन करीब एक दिन में उन्होंने दो-तीन खानों से नाजायज खनन पकड़ा, 30 ट्रक। पूरे क्षेत्र में यह होता है, पूरे क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं आपके सामने खनिज मंत्री महोदय, आप गृह मंत्री भी हैं, मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपका पुलिस डिपार्टमेंट, आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट और माईनिंग डिपार्टमेंट भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया क्षेत्र में एक लाख रुपया प्रति दिन लेता है, एक लाख रुपया प्रति दिन तीनों डिपार्टमेंट लेते हैं और नाजायज खनन उनकी मिलीभगत से होता है, इसकी आप जांच करवा लें और कितनी बड़ी राजस्थान सरकार को आय हो सकती है यह आप देख लें। मगर आप खनिज मंत्री पहले भी रहे हैं, गृह मंत्री पहली बार आप बन गये, अभी तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप इस बात का जिम्मा लें कि नाजायज खनन को मैं रोक दूंगा और खनिज का काम भी अभी आपके लिए रखा है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने....

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : तो काफी बड़ी तादाद में वह व्यवस्था ठीक हो सकती है। इस इलाके में गरीबों के साथ शोषण होता है, छोटे लोगों को नहीं मिलती और इस तरह बड़ी बड़ी...

श्री सभापति : भाषण समाप्त हुआ। श्री नारायणलाल !

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं, सभापति महोदय, दो बात और कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : नहीं, माननीय सदस्य। श्री नारायणलाल।

श्री रतनलाल ताम्बी : दो पाइण्ट, सभापति महोदय।

श्री सभापति : बहुत लम्बे समय से बोल रहे हैं। नहीं, बहुत माननीय सदस्य हैं। विराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपके आदेश मान रहे हैं, सभापति महोदय।

श्री नारायणलाल (लसाड़िया) : सभापति महोदय, आज अकाल और खनिज पर चर्चा हो रही है मैं मेरे विधान क्षेत्र लसाड़िया की ओर से मेरे कुछ विचार रखना चाहूंगा। लसाड़िया क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से उबड़-खाबड़ एरिया है उसमें नायब तहसील लसाड़िया और सलूम्बर की पंचायतों में आने वाली पंचायतों में बड़ी भयानक अकाल की स्थिति है। मैं अभी 12 तारीख को वहां जाकर आया हूं और सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वहां अकाल के काम चालू किए हैं लेकिन जो काम शुरू किये हैं उनमें लेबर की संख्या बहुत कम है। जो काम चले उसमें सौ लेबर

(श्री रतन लाल ताम्बी)

हैं, साठ हैं वहां 90 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं जो रोड पर आकर वापस जाते हैं, बड़ी दुःख की बात है कि वहां लेबर हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है। वहां लेबर की संख्या बढ़ाई जाए।

दूसरा, लसाड़िया एरियामें छोटे-छोटे एनीकट बने और जो तालाब बने इससे हमेशा पड़ने वाले अकाल का मुकाबला कर सकते हैं। एनीकटों की संख्या कम है बाकी उस एरिये में मेढ़बन्दी का काम अकाल राहत कार्यों में लिया जाए तो उससे रोजगार भी मिलेगा और बरसात में पानी से जो जमीन कटती है उसे भी रोका जा सकेगा। खनिज के बारे में पोंगापुर, परकुंड देवला, लावागढ़, उटन में जोसोप स्टोन की माइन्स हैं उस एरिये में आज मजदूरों के लिए पैदल जाने का रास्ता नहीं है। उस रास्ते में लोहागढ़ के पास से रोड लाया जाए तो खनिज से रोड भी जुड़ जाएगी और आने-जाने का साधन जनता को मिलेगा। जो हमेशा तकलीफ होती है उसमें राहत मिले। मैं यह बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री घासीराम जी यादव (अनुपस्थित)

श्री भंवरसिंह (मेड़ता) : मेरा नाम है कि नहीं है, मैं पहले भी ऐसे ही रह गया और अभी भी वही हालत है।

श्री सभापति : बिराजिए। बिराजिए।

श्री भंवरसिंह : कृपया सबको नाम बता दीजिए, ताकि मालूम होगा कि बोलना है।

श्री सभापति : श्री बनवारीलाल शर्मा (अनुपस्थित)। श्री खेतसिंह राठौड़।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदय, जैसाकि आपका निर्देश है कि आप अपनी कांस्टीट्एन्सी की बात कहें, और संक्षेप में कहें, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी कांस्टीट्न्युसी शेरगढ़ जोधपुर जिले के पश्चिम में आई हुई है और जैसा कि आप जानते हैं जोधपुर के अन्दर सूर सागर की जो कांस्टीट्एन्सी है उसके अन्दर इमारती पत्थर समुचे राजस्थान में सबसे ज्यादा निकलता है, उसकी रायल्टी भी करोड़ों में है।

श्री सभापति : मजबूत भी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और मजबूत भी है। इसी प्रकार का पत्थर बालेसर के अन्दर भी निकलता है और धीरे-धीरे जोधपुर का पत्थर तो खत्म होने जा रहा है और शेरगढ़ के अन्दर जो 19 गांवों के अन्दर इमारती पत्थर की खानियां है वो आज बढ़ती जा रही हैं और इस साल का जो ठेका हुआ है 65 लाख रुपए का एक गांव बालेसर के अन्दर रायल्टी का ठेकाइस डिपार्टमेंट का है लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि यह 65 लाख रुपए तो वसूल किए जा रहे हैं लेकिन उन मजदूरों को और वहां के खान पर काम करने वालों को किसी प्रकार की सहूलियत नहीं हैं। न कोई वहां पानी की व्यवस्था है, न वहां पर कोई सड़क बनी हुई है, न वहाँ पर कोई चिकित्सा की व्यवस्था है। डिपार्टमेंट का यह भीतो फर्ज है, आपको इतना रेवेन्यू मिलता हैं तो वहां कुछ आप खर्च भी कीजिए। और बेतहाशा खानें इस तरह से कट रही हैं कि रबिश,

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जिसे आप मलवा कहेंगे, । वो खान के पास ही डालते जा रहे हैं और वह मलवा जहां डाल रहे हैं वहां पर भी अच्छी खान है । लेकिन वहां पर कोई इस प्रकार का अभी तक न तो उनका ध्यान गया है न डिपार्टमेंट ने इस तरफ सोचा है और उसका नतीजा यह होगा कि जोधपुर की खानें भी आज जिस तरह से खतम हो रही हैं उसका मुख्य कारण यह है कि मलवे के नीचे सेंकड़ों खानें आ गयी हैं । क्योंकि वह मलबा वहां का वहां खान काटता है तो अपनी खान के पास का जो एरिया है उस पर वो मलबा डाल देता है और इस प्रकार के हीप्स एण्ड हीप्स लगे हुए हैं मलवे के । मैं खासतौर से डायरेक्टर माइन्स से यह निवेदन करूंगा, उनके डिपार्टमेंट के सारे अधिकारियों से, मेहरबानी करके आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मलवा डालने के लिए कोई अलग से ···· (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए । माननीय बहुत पुराने सदस्य हैं ।

श्री टीकमचन्द कान्त : कैसे करेंगे ।

श्री सभापति : जैसे ये कर रहे हैं, वैसे ही करेंगे । इन्होंने जिस तरीके से किया हैं वैसे ही करेंगे ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, वह विभाग के ही हैं डायरेक्टर और दूसरे डिपार्टमेंट के डेयरी के डिपार्टमेंट से तो मैं कह नहीं रहा हूं । मेरा यह निवेदन है कि माननीय मंत्री जी, जिनके पास यह पोर्टफोलियो तो नहीं है लेकिन आज जब वह जवाब देंगे उनसे ही यह निवेदन करूंगा कि वह जिनके पास यह डिपार्टमेंट है, उनको यह जाकर के सारी बात कहें कि मेहरबानी करके वह मलबा वगैरह हटाने की बात है, वह आप कहें ।

दूसरी बात एक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैंने आपसे निवेदन किया कि 19 गांव ऐसे हैं और उन गांवों में से आठ गांव ऐसे हैं, माननीय मंत्रीजी, कि जहां पर खनन हो रहा है और वहां कोई परमिशन नहीं है और लोग अपनी मर्जी से काट रहे हैं। आपको रेवेन्यू भी नहीं है और अवैध खनन हो रहा है, आप मेहरबानी करके, इन 19 गांवों की सूची में आपको दूंगा, आप इन 19 गांवों के अन्दर आपके डिपार्टमेण्ट के उच्च अधिकारी को भेजकर जांच कराएं । वहां उनका नक्शा बनाकर और ज्यादा से ज्यादा आप अगर खानियां काटेंगे तो वहां के लोगों को मजदूरी मिल जाएगी और यह बात मैंने मुख्य मंत्रीजी से भी एक दफा निवेदन किया था यहीं पर हाऊस में....

श्री सभापति : तब तो काम पूरा हुआ, आपका ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : थोड़ा सा, संक्षिप्त में कहना चाहता हूं । मैंने यह कहा था कि अकाल शेरगढ़ के अन्दर हर तीसरे वर्ष पड़ता है । डेजर्ट है और डेजर्ट में अकाल हर तीसरे, चौथे वर्ष पड़ता ही रहता है । अगर आप इन खानियों का आवंटन वहां के काम करने वाले मजदूरों को आवंटित कर दें, लाटरी सिस्टम से करें, ताकि किसी को शिकायत न हो । लेकिन उसमें प्रिफरेंस वहीं के लोगों को दिया जाए और उसमें खास तौर से अनुसूचित जाति, जनजाति और एक्स सोलजर्स हैं, इनको प्रायोरिटी दें और उसके बाद में उस तहसील के लोगों को

(214)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

देगें तो आपको आज करोड़ों रुपए फेमिन में खर्च करने पड़ रहे हैं और बरसों से अपन करते आ रहे हैं और अगर आप इस तरह से दो हजार खानियां काट दें तो वहां के कम से कम 15 हजार मजदूरों को हर खान पर 10 मजदूर लगते ही लगते हैं और इसलिए उनके साथ ट्रक भी लगता है। उनके साथ में ट्रक भरने वाले भी लगते हैं। उनके साथ फिर उतारने वाले भी लगते हैं और यूं करके उन लोगों को इतनी मजदूरी मिल जाएगी कि फेमिन की डिमाण्ड पर फिर मुझे बोलने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि आपको लाभ होगा और आप यह काम कीजिए और इसके अन्दर एन.ओ.सी. दिलवाइए और ज्यादा से ज्यादा यह काम करवाइए जिससे यह काम हो सके।

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह (अनुपस्थित) श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, सदन में खनिज पर चर्चा हो रही है इसीलिए मैं इस बात की चर्चा नहीं करूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शांत रहें। कुछ माननीय सदस्य बोलेंगे, पांच-पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे। पांच मिनट में ही समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : सिर्फ पांच मिनट। मेरे गांव की बहुत चर्चा हुई है बिजौलिया की। मुझे थोड़ा बोलने दीजिए।

श्री सभापति : हां, बोलिए पांच मिनट।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मैं इस बात की चर्चा नहीं करूंगा कि अवैध खनन हो रहा है, मैं इस बात की भी चर्चा नहीं करूंगा कि माइनिंग इंजीनियर्स माइन्स फोरमैन इससे अपनी पीढ़ियों का पूरा इन्तजाम कर रहे हैं, मैं इस बात की भी चर्चा नहीं करूंगा इस कारण से मेरा क्षेत्र उजाड़ हो जाएगा, मैं इस बात की भी चर्चा नहीं करूंगा कि अंधाधुंध खनन से आने वाले 20 वर्षों में ऊपरमाल क्षेत्र, जो आज लहलहाती फसल व अच्छे जंगलों के रूप में जाना जाता है, वहीं नजर नहीं आएगा। मैं इस बात की भी चर्चा नहीं करूंगा कि सरकार के इस अंधाधुंध खनन के कारण ऊपरमाल क्षेत्र के 119 गांवों को अन्यत्र बसाना पड़ेगा।

श्री सभापति : मैंने आपको चर्चा करने के लिए खड़ा किया है, माननीय सदस्य।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मैं इस बात की भी चर्चा नहीं करूंगा कि इसी विधान सभा में माननीय मनोहरसिंह जी मेहता ने यह कहा था कि जिस प्रकार से उस क्षेत्र में खनन क्षेत्र दिए जा रहे हैं तो ऊपरमाल क्षेत्र की यह स्थिति हो जाएगी कि जैसे आज मेरे सिर पर एक बाल भी नहीं है इसी प्रकार ऊपरमाल क्षेत्र गंजा हो जाएगा। मैं, माननीय सभापति महोदय, एक आदेश जो सरकार ने 7-7-1992 को दिया, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा

(श्री बद्री प्रसाद गुरुजी)

मूल रूप से। मेरे क्षेत्र में कई प्रकार के प्रचलित साइज की बाउण्ड्रियां हैं। 200x200 फीट भी हैं 100x200 फीट की भी हैं और 50x50 फीट की भी हैं। राज्य सरकार ने 16-12-80 को एक आदेश निकाल कर उनके ग्राउट ऑफ बाउण्ड्री के लिए प्लाट देने की या गैर देने की नीति बनायी थी। उसके कारण से किन्हीं लोगो को 600 फीट तक क्षेत्रफल मिल गया, तो किन्हीं लोगों 400 फीट मिला, और कुछ लोग 50 फीट में ही रह गये। इस कारण से किसी व्यक्ति को तो एक लाख बीस हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल मिल गया, किसी को साठ हजार वर्ग फीट मिल गया। परन्तु 50×50 फीट वाले केवल दस हजार फीट तक ही सीमित रह गए। इस संबंध में राज्य सरकार ने 7-7-92 को एक अधिसूचना के जरिए बिजोलिया में खनन क्षेत्र में स्ट्रीट ग्राफ लैण्ड के बारे में एक नीति घोषित की थी परन्तु उसमें एक प्रावधान रखा था कि 60×30 मीटर से आधा क्षेत्रफल ही दिया जाएगा। परन्तु इसमें भी यह तय कर दिया कि उस बाउण्ड्री की प्रचलित साइज का आधा क्षेत्र ही दिया जाएगा। इस कारण से जो 100×200 फीट क्षेत्र वाले प्लॉट हैं उनको 50×200 क्षेत्रफल का प्लाट मिल जाता है, 200×200 क्षेत्रफल के प्लाट वाले हैं उनको 25×200 क्षेत्रफल वाला मिल जाता है। परन्तु 50×50 वाले को केवल 25×50 फीट का क्षेत्रफल मिलता है इस कारण से उसको 25×50 फीट का मतलब पाव प्लाट मिला और उनको 4-4 प्लाट मिलते हैं। इसलिए एक तो मेरा निवेदन यह है, माननीय खनिज मंत्रीजी जो इसमें कार्यभार सम्भाल रहे हैं, कि इस नीति में परिवर्तन किया जाय। 60×30 मीटर का जो आधा क्षेत्रफल है वह चाहे प्लाट की साइज कोई भी हो, चाहे 50×50 हो, चाहे 100×200 हो, चाहे 200×200 हो प्लाट की प्रचलित साइज कोई भी हो परन्तु उसका आधा मतलब 50×50 वाला हो उनको भी मिलना चाहिए। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : डा. जितेन्द्र सिंह।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : सभापति महोदय, अकाल राहत की जो घोषणा है, वह महज एक ऐसी दावत मालूम हो रही है जिसमें खुशबू जाफरान की है और इसका स्वाद कुनैन जैसा है।

महोदय, मैं अकाल राहत पर आने से पहले खनिज से सम्बन्धित एक अति-आवश्यक मामला उठाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा तांबे का कारखाना है, आप जानते है बहुत अच्छी तरह से खेतड़ी में है। जिसमें 31 हजार मैट्रिक टन तांबा प्रति वर्ष पैदा होता है। 3 टन सोना पैदा होता है, करीबन 15 टन चांदी और जिसमें कम से कम 11 हजार मजदूर हैं और 50 हजार लोगों का पेट भरता है। महोदय, एक ऐसी विकट स्थिति पैदा होने वाली है, खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ने मुझे सुबह-सुबह कागज दिया है जो अति महत्व का है और इस पर आपके माध्यम से यह बात केन्द्र सरकार

(डा. जितेन्द्र सिंह)

तक नहीं गई तो दो महीने बाद खेतड़ी ताम्बा संस्थान बन्द होने के कगार पर आकर खड़ा हो जायेगा। महोदय, यह इससे सम्बन्धित नहीं है लेकिन अति-आवश्यक मैटर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।

महोदय राजस्थान में ब्रोडगेज बन रही है हर जगह सारे ट्रेक ब्रोडगेज कर रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि रींगस और फुलेरा में जो मीटर गेज है वह ब्रोड गेज में परिवर्तित नहीं हो रही है। अगर इसको परिवर्तित नहीं किया गया तो काण्डला पोर्ट से जो रा-मैटीरियल कापर प्रोजेक्ट में आ रहा है और जो मथुरा रिफाइनरी से प्रोजेक्ट में आ रहा है वह बन्द हो जायेगा और रिजलटेंट 50 हजार आदमी भूखे मरने की कगार पर आ जायेंगे महोदय मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को यह उनकी गुजारिश भेजने की इल्तजा करता हूं।

महोदय, दूसरी माइन्स डिपार्टमेन्ट से जुड़ी हुई एक अहम बात कर रहा हूं। खानें सिर्फ बपौती उनकी नहीं हैं जो धन्नासेठ हैं। माइन्स के ऊपर एक गरीब भी पल रहा है। महोदय, बड़े दुःख की बात है, अरावली योजना क्या एक अन्तरराष्ट्रीय साजिश है ? इस बात को मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं उसकी तह में जाना पड़ेगा। आज अरावली के अन्दर यूरेनियम के अथाह भण्डार हैं जिसका कि प्लूटोनियम को बनाने के अन्दर महत्वपूर्ण रोल रहता है और आज एटोमिक रिएक्टर में उनका बहुत बड़ा रोल रहता। महोदय, क्या यह अन्तरराष्ट्रीय साजिश की योजना नहीं है? यूरेनियम के जो यह अथाह भण्डार अरावली की रेन्ज के अन्दर हैं उनको महज कुछ करोड़ों रुपयों के खातिर बन्द कर दिया जाए। क्या यह सरकार की एक समझदारी होगी ? मैं आपके सामने यह सवाल पेश कर रहा हूँ। महोदय दूसरी बात यह है कि इस अरावली योजना में जो गरीब, छोटे-छोटे मजदूर थे, जिनकी बस्तियां बस गई थीं पहाड़ों की तलेटियों के अन्दर, जिनकी 200-200 साल से अकबर के समय की खानें खेतड़ी के अन्दर मौजूद है, नीमकाथाना में मौजूद है जो माइन्स का ड्रिलिंग करते थे। पहाड़ियों के पास छोटी-छोटी इनकी बस्तियां बसी हुई हैं लेकिन अब अरावली योजना के माध्यम से उन सबको महरूम किया जा रहा है, पत्थर के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं और गांव के गांव उजड़ जायेंगे। इस बात के लिए यह आवाज मेरी इल्तजा है कि आप केन्द्र सरकार तक, राज्य सरकार तक पहुंचाइये।

महोदय, दो महत्वपूर्ण खनिज से संबंधित बात मैंने बताई हैं। अकाल की बात जहां मैंने की, अकाल एक दिन की योजना नहीं है। अकाल के अन्दर बंगाल के अकाल की स्थिति भी खुदा न करे आ जाए। महोदय, अकाल की जो स्थिति है, पानी की कमी है उसका निश्चित एक कारण यह है कि पानी दोहन ज्यादा हुआ है और जंगलों का कटाव हुआ है। लेकिन यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद जब योजनाएं बनीं तो होलैण्ड की तरह की योजना बनायी गयी थी कि जो बाढ़ग्रस्त एरिये हों, बंगाल, आसाम, बिहू

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

उनका पानी नहरों के माध्यम से राजस्थान में लाने की योजना थी और जिस तरह के यातायात के साधन हालैण्ड में हैं या जहां हैं, नहरों के माध्यम से यह योजना थी। यह क्रियान्वित नहीं हो सकी। लेकिन, महोदय, अगर राजस्थान को बचाना है, मैंने एक दिन कहा था कि अकाल की स्थिति का सबसे बड़ा कारण बरसात की कमी होगी। महोदय, पानी के रिजरवायर को हमें कन्ट्रोल करना पड़ेगा और पानी अगर इसी तरह से जाया होता रहा तो एक दिन ऐसा भयंकर दुर्भिक्ष पड़ेगा जिसके लिए दुनिया देखती रह जायेगी। महोदय, मेरी गुजारिश है अकाल राहत मंत्री महोदय से, महज 5 या 10 मजदूरों को इकट्ठा कर देने से, दे देने से पूरी समस्याओं का निदान नहीं हो पायेगा। महोदय, पहले आपके स्टेट का पानी बाहर नहीं जाए इस बात को चैक करना पड़ेगा। आपकी बनास का पानी या बाणगंगा का पानी या आपके काठली नदी का पानी अगर बाहर निकल जायेगा हरियाणा की तरफ या उधर चला जायेगा तो राजस्थान में तो पानी वैसे ही नहीं है और जो है वहीं बाहर चला गया तो फिर क्या बचेगा? वाटर रिजर-वायर से आपको रोकना पड़ेगा। मेरे क्षेत्र की एक बड़ी गम्भीर समस्या है, आप भी शेखावाटी को बिलोंग करते हैं, सभापति महोदय, इसलिए आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा। शेखावाटी और झुंझुनूं और सीकर यह मूमल का इलाका पूरा है उसमें दो जिले हैं और बाकी राजस्थान का दूसरा एरिया है। उसके अन्दर वह सारे पानी की कमी से त्रस्त हैं. शेखावाटी में काठली नदी है, महोदय, अगर काठली नदी के ऊपर बांध बन जाए तो दोनों जिलों में प्रचुर मात्रा में पानी आयेगा और वाटर लेवल बढ़ेगा। मेरी गुजारिश है, सिंचाई मंत्री जी, इस पर गौर करें। इस तरह के बहुत से बांध हर जिले में हो सकते हैं, एनीकट्स हैं। पानी का रिजरवायर अगर नहीं बना तो आपके हैण्ड पम्प में कभी पानी नहीं चढ़ेगा। आप एनीकट के बारे में उदार रहिये और आप एनीकट जगह-जगह बनाइये। मैं मेरे क्षेत्र की बात कह दूंगा। वह तो मैं एक पत्र के द्वारा भी भेज दूंगा लेकिन एक विस्तृत योजना होनी चाहिए। एनीकट्स के ऊपर आप विशेष तौर से गौर कीजियेगा और वाटर रिजरवायर, आपको हर जिले और हर तहसील का एक वाटर रिकार्ड रखना पड़ेगा। यह अति गम्भीर विषय है। अगर इसकी तलाई तक नहीं गये तो यहां अकाल की विभीषिका कभी कम नहीं होगी और आपको वही पुराना बंगाल का अकाल याद आ जायेगी।

महोदय, अतः मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूं, आप घंटी न बजाये कृपया। महोदय मेरे क्षेत्र के खेतड़ी की मैंने पानी की समस्या आपके सामने रखी थी, हालांकि कल पानी पर बहस है लेकिन मेरी गुजारिश है उसके बारे में कि उसको गम्भीरता से लीजिये वहां इम्पप्योरिटी इस लेवल तक पहुँच गयी है कि क्या भोपाल गैस काण्ड की तरह रात के अन्दर जब हजारों लोगों की मौत हो जायगी तब सरकार की आंखें खुलेंगी? पशु मर गये पानी पी-पी कर हैण्ड पम्पस् के अभी कल की रिपोर्ट आयी है, मेरे पास सरपंच महोदय लेकर आये हैं।

218

(डॉ. जितेन्द्रसिंह)

पांच भैसें एक पर्टिक्युलर हैण्ड पम्प का पानी पीकर मर गयीं। खेतड़ी का सल्फुरिक एसिड ट्रिकल डाउन होता है कापर प्रोजेक्ट का, उसने वहां पर जबर्दस्त दूषित कर दिया पानी को कि आप एक घूंट तक पानी नहीं पी सकते। यदि इस पर गौर नहीं किया तो, सभापति महोदय, भोपाल गैस काण्ड की तरह हजारों मौतों के लिये सरकार जिम्मेदार होगी। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री भंवर सिंहजी।

श्री भंवरसिंह (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, सर्व प्रथम तो मैं राजस्थान सरकार विशेषतः मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी व अकाल राहत मंत्री श्री सांवर मलजी को धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने पूरा धन इस विभीषिका से निपटने के लिए आवंटित किया। अब मैं निवेदन करूंगा कार्य विधि के बारे में। टास्क बेसिस पर जो दर दे रहे हैं वह इतनी कम है कि सामान्य तौर पर जो लेबर मिलती है उसको ज्यादा दर मिलती है और अकाल राहत में कम मिलती है इस पर पुनः विचार करें। इलाके में मजदूरों को जितनी दर मिलती है दूसरे कामों से, वह अकाल राहत में अगर मिलेगी तो लोग बाहर नहीं जाकर अकाल राहत के कार्य करेंगे। एक योजना मैंने दी थी पेयजल को हल करने और साथ में सिंचाई जल को हल करने की। मेरे इलाके में लूणी नदी है. पहले बहती थी अब तो नहीं बहती है। अजमेर जिले में गोविन्दगढ़ बांध बना कर, उससे पहले एक और बांध बना कर तिलोरा में करीब-करीब बन्द सा कर दिया। मेरे क्षेत्र से जितना भी पानी उस नदी में आता है उसको मैंने 4 एनीकट में शनैः-शनैः रोक-रोक कर 1,2, 3, 4 फीट की हाइट पर लेकर के पानी रोक कर आस पास के 37 गांवों में कुओं का जो पानी सूख गया है उसमें पुनः पानी भरने के लिए निवेदन किया है। इस तरह से यह समस्या दो तरह से हल होगी पीने के पानी की और सिंचाई की। अकाल पड़ता है, अगर हमारे पास दूसरे साधन हैं तो हम अकाल ग्रस्त नहीं होते लेकिन वह योजना सिंचाई विभाग के मानदंड के कारण कि सिंचाई योजना हमारी इतनी मात्रा में पानी मिले सिंचाई के लिए तभी स्वीकृत करते हैं यह मुझे वहां के अभियन्ताओं ने बताया और आज तक वह खटाई में पड़ी है। मैं निवेदन कर दूं कि यह सिंचाई की बात करते हैं उन सारे 35 गांवों में अगर यह योजना स्वीकृत हो जाय तो उन उन गांवों में पानी आयेगा और कुओं का जल स्तर बढ़ेगा और उससे सारे गांवों में पीने का और सिंचाई का साधन बनेगा।

दूसरा निवेदन कर दूं, मैं रायल्टी के बारे में खनिज मंत्रीजी को बताता हूं। काश्तकार उसी क्षेत्र में अपना मकान बनाने के लिए बजरी ले जाये या कुआं बनाने के लिए बजरी ले जाये या मकान बनाने के लिये बजरी या पत्थर ले जाये, उनको रायल्टी से माफ करना चाहिये। जो व्यापार के लिए लें उनको आप दुगुनी रायल्टी लगा दें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। व्यापार के लिए पोसाती है। इन्हीं गांव की मिट्टी जिस मिट्टी में वह जन्मे, पले, बड़े हुए हैं और उसी के ऊपर टैक्स लिया जाये तो

(श्री भंवर सिंह)

थोड़ा दुःख होता है। यह मेरा निवेदन है रायल्टी के लिए। अब पानी की समस्या अकाल से जुड़ती है। ज्योंही अकाल पड़ता है, पीने का पानी........

श्री सभापति : पानी की समस्या पर कल बहस हो रही है।

श्री भंवरसिंह : मैं अकाल की इस योजना की बात कर रहा हूं सिर्फ पेयजल की बात नहीं कर रहा हूं मैं निवेदन करूं कि पहला दुःख अकाल में होता है तो पेयजल का होता है फिर रोटी का होता है। रोटी दो दिन नहीं खाये चल सकता है, पानी चौबीस घंटे बाद तकलीफ देता है। श्रीमान टैंकरों की मरम्मत होती नहीं है।

श्री सभापति : पेयजल पर आप पूरे विचार रखें........

श्री भंवरसिंह : मैंने पांच मिनट लिये हैं उसके ऊपर नहीं बोलूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : पहली बार बोल रहे हैं।

श्री सभापति : दो तीन बार बोल चुके है। बढ़िया बोलते हैं।

श्री भंवरसिंह : सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली विभाग और जलदाय विभाग का समन्वय नहीं होने केकारण जिन कुओं से पानी पीने को दिया जाता हैं वह कुएं पूरी बिजली न आने के कारण पानी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं कर सकते। अकाल राहत से ऐसी राशि दी जाय दोनों विभाग ही टोटे में हैं। न जलदाय विभाग के पास पैसा है न बिजली विभाग के पास पैसा है। अकाल राहत में से कुछ पैसा इन विभागों को दिया जाकर के अगर व्यवस्था करा दी जाय। तो पीने का जल मिल सकता है। टैंकरों की आवश्यकता नहीं है।

अन्त में मैं पुनः बधाई देता हूं, पुलिस विभाग के कुछ भवन, थाना व चौकी बनाने का प्रावधान रखा है। आप पुलिस विभाग से सेवा लेते हैं कम से कम उनको इतना तो सुख दे कि उनको आवास मिल जाय और आवास मिलने से पुलिस विभाग की कार्य क्षमता दुगनी होगी। यही निवेदन करता हूं कि आवास की व्यवस्था भी पुलिस थानों और चौकियों पर की जाय। मेरा इतना ही निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : सभापति महोदय, जिस तरीके से खनिज और अकाल पर चर्चा हो रही है इससे अकाल की जो विभीषिका है उसका महत्व अपने आप में बहुत घट गया है।

श्री सभापति : अकाल का महत्व नहीं घटा, माननीय सदस्य, सदन में तीन-तीन डिमाण्ड्स पर एक साथ बहस होती रही है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, यह मेरी अभिव्यक्ति है और मुझे अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है कि जो मैं सही मानता हूं वही मैं बोलूं। अकाल जिसमें 44 से 48 डिग्री सेन्टीग्रेड तक तापमान रहता है उसको हम 20-22

(श्री भंवर सिंह)

डिग्री सेन्टीग्रेड के तापक्रम पर रहने वाले नहीं महसूस कर सकते । न उतनी महत्ता प्रदान की जा रही है। आज तक सरकार की अकाल के बारे में जो भी घोषणाएं हुई हैं उसमें कोई भी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। जबकि एक फरवरी से अकाल के कार्य चालू हो जाने चाहिये थे राजस्थान में लेकिन मेरे दौसा जिले में कोई भी काम नहीं हुआ बल्कि मार्च महीने में तो विकास अधिकारी द्वारा ग्राम सेवकों से प्रस्ताव मंगवाये गये हैं कि आप प्रस्ताव भिजवाइये 15 दिन के अन्दर अन्दर। अभी 15 मार्च तक तो प्रस्ताव भी नहीं पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति में अकाल के कोई भी सारम्भित कार्य होना सम्भव नहीं होता है। इसके अलावा मेरा एक यह भी कहना है और एक यह सुझाव है कि प्रत्येक जिले में माननीय अकाल राहत मन्त्री, सिंचाई मंत्री और पी.डब्ल्यु.डी. मिनिस्टर और इसके अलावा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कम से कम एक-एक बार जिला हेडक्वार्टर पर जायें मीटिंग लें, अगर वास्तव में अकाल से जूझना है, वास्तव में राजस्थान में अकाल पीड़ितों को कोई सहायता पहुंचानी है तो निश्चित उपाय करना चाहिये। जैसे गेहूं के साथ मटर बो दी जाती है उसी तरह आज अकाल के साथ खनिज की चर्चा हो रही है जो कि अपने आप में विषय की महत्ता को घटाने का द्योतक है।

अकाल के बारे में जो राहत कार्य चालू किये जाने हैं उसमें क्षेत्रीय असतुलन बनाया गया है। यह नहीं देखा गया है कि पानी का जोन कहां पर नीचे चला गया है, कहां ऊपर है, कहां है ? हर जिले में कह दिया गया है कि प्रत्येक जिले में, दौसा जिले में 15 हैण्डपम्प होंगे, 15 हैण्डपम्प में हर निर्वाचन क्षेत्र में तीन तीन होंगे। यह गलत तरीका है। आपको यह देखना होगा कि कौनसा निर्वाचन क्षेत्र, कौनसे जिले में पानी का लेवल सबसे ज्यादा नीचा है और जिस जिले में पानी का लेवल नीचा है उसको ज्यादा से ज्यादा अकाल राहत कार्य की सहायता प्रदान की जानी चाहिये। इसमें समानता नहीं, इसमें आपको देखना पड़ेगा वाटर का जोन कहां नीचे गिरा हुआ है। कई कई ऐसी तहसीलें हैं जहां पर फसल खराब नहीं हुआ है। मेरी तहसील बांदीकुई निर्वाचन क्षेत्र में, गांव बताऊं कि 33 50 से 74 प्रतिशत तक फसल का खराबा रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज हुआ है और 75 से 100 प्रतिशत तक 157 गांव हैं 157 ग्रामों में अकाल राहत कार्य चालू हो जाने चाहिये थे क्योंकि राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज में 157 गांवों में अकाल घोषित किया गया है लेकिन अभी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई ना ही पशुओं के पीने के लिये पानी की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर अकाल से जूझने का एक मात्र उपाय है वर्षा के पानी को पकड़ो वर्षा के पानी को रोको, वर्षा के पानी को रोकने और पकड़ने के लिये एक मात्र तरीका है एनीकट और एनीकट के लिए सिंचाई विभाग ने रोक लगा दी है। एनीकट के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आज अकाल राहत का दौसा जिले में जो कार्य हो रहा है उसका 85 प्रतिशत इस रूप में खर्च हो रहा है स्कूल भवन, प्राथमिक शालाओं की बाउण्ड्री और प्राथमिक शालाओं के लिए कमरे बनाने में तो यह जो शिक्षा विभाग

(श्री शैलेन्द्र जोशी)
के निर्माण हैं उसको बताने के लिए, जिसमें कि स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, आज अकाल किसी किसान के यहां पड़ा हुआ है वह स्किल्ड लेवर नहीं है, उसको कोई करना नहीं आता है चुनाई करने के लिए स्किल्ड लेवर लेना पड़ेगा। जो अकाल ग्रस्त व्यक्ति है, किसान है, वह वह निर्माण नहीं कर पायेगा और उसको मजदूरी नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिये कि खुरों का निर्माण, नाली का निर्माण, एनीकट का निर्माण, यदि वास्तव में ही आपकी सरकार की नीयत साफ है, तो अधिकतम रूप से हर निर्वाचन क्षेत्र में एनीकट की भरमार की जाय। और यह भी गलत है कि यह, राजस्थान, जो अकाल के कगार पर है उसके लिए शिक्षोन्मुखी बजट बनाया गया। मैं कहता हूं कि इसको अकालोन्मुखी होना चहिये था और इसमें भी पेयजल और एनीकट की भरमार होनी चाहिये थी, तब राजस्थान की जनता के साथ न्याय होता लेकिन राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं करके यह शिक्षोन्मुखी बजट बनाया गया है, वह मात्र कुछ पाठ्य पुस्तकें दिलवाने की व्यवस्था की गयी है, केवल कुछ स्वार्थी तत्वों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से यह कार्य किया गया है जिसका कि आने वाले समय में भली भांति पर्दाफाश होगा। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि हैण्ड पम्प जो कि एक व्यवस्था है। आपने कहा पेयजल पर कल चर्चा होगी ....

श्री सभापति : कल चर्चा होगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : लेकिन अकाल से जूझ रहे व्यक्ति के लिए, एक पशु के लिए, एक आदमी के जीवन के लिए रोटी के बाद पानी चाहिये। पानी जानवरों को भी और किसानों को भी चाहिये....

श्री सभापति : पानी पहले चाहिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : और उसके लिए जो भी काम बताये गये हैं इसमें मेरा यह कहना है कि पहली बात तो जो अपूर्ण कार्य रह गये हैं और पिछली बार के अपूर्ण कार्य हैं, उनमें मैं बताऊं कि जो भी सड़कें बनी हैं या खुरें बने हैं उनके पत्थर अस्त व्यस्त हो जाते हैं। फिर उस पर उसी लागत से दुबारा उतना ही बजट खर्च कर दिया जाता है। जब तक ग्रेवल रोड रहेगी, बारिश आयेगी, खड्डे हो जायेंगे। पत्थर अस्त-व्यस्त हो जायेंगे। बड़ी-बड़ी जीप तक भी नहीं निकल पाती हैं ऐसे रास्तों में। तो पब्लिक फाइनेन्स का लोस होता है और मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति क्यों बनायी जाये। जो भी बनायी जाये तो उसका डामरी करण कियाजाय....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री रूपाराम।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि दौसा जिले को अधिकतम बजट दिया जाय क्योंकि वहां 135 से 150 फीट पानी नीचे आ गया है। धन्यवाद !

श्री सभापति : श्री रूपा राम

श्री रूपाराम : (मकराना) - सभापति महोदय, मैं मकराना क्षेत्र से निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में पहली बार विधान सभा में आया हूं।

श्री सभापति : सुनिये, पहला भाषण है माननीय सदस्य का ।

श्री रूपाराम : इतने दिनों मैंने बारीकी से यहां यह ध्यान किया देखा, सुना, और समझा तो मुझे जो महसूस हुआ, ऐसा लगा कि केवल बोलना चाहिये यहां पर आकर इसलिए ही बोला जाता है । लेकिन जब मैंने बाहर किसी माननीय सदस्य से पूछा कि बोलने से कुछ काम होता है, या विधान सभा में बोलना चाहिये इसलिए ही बोला जाता है ? तो उन्होंने मुझे बताया कि सचमुच में गांव की, अपने क्षेत्र की समस्या यहां रखने पर सरकार सुनती है और उस समस्या का समाधान होता है। जब यह मुझे पता चला तो मैंने कहा कि पिछले दिन बेकार गंवा दिए । मेरा मेरे ही क्षेत्र में रहने वाला भाई राकेश मेघवाल, परबतसर से विधायक है, वह बारबार कभी मेरे मकराने क्षेत्र का नाम लेता था । मैंने कहा, ठीक है, मेरी जगह बोल रहा है लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मेरे बोलने से कुछ हमारे क्षेत्र की समस्याएं सरकार सचमुच सुनेगी इसलिए मैंने बोलने का पहली बार यह....

अनेक माननीय सदस्य : बोलो, बोलो बोलो ।

श्री रूपाराम : महोदय, मैं मकराने का मार्बल से सम्बन्धित एक विधायक हूं और मैंने खुद ने मार्बल से सम्बन्धित राजस्थान का वह नाम किया है कि मैंने डायमण्ड गैंग्स मशीन जो इटली से आती थी उसकी नकल बिना देखे की, नई टेक्नालॉजी से बनाई । हिन्दुस्तान में मैंने सबसे ज्यादा 86 मशीनें बनाई, जो राजस्थान के बाहर भी गई जबकि मैं अनपढ़ की तरह हूं, 11वीं पास लेकिन मैंने नकल भी नहीं की और वह 86 मशीनें सफल चल रही हैं । अब मार्बल की समस्या की बात कहूं तो, महोदय, समस्या तो इतनी है, मैं पांच मिनट पहले ही बैठ जाऊंगा, मेरे जैसे आदमी का सुख यह है कि जो ज्यादा नहीं बोलना जानता उसके लिए आपको घण्टी बजाने की जरूरत नहीं है । मैं कम बोलना जानता हूं ।

महोदय, मकराने में समस्या इतनी हैं लेकिन मेरी छोटी सी आप से एक मांग है कि हमारा मकराने का नाम गिनीज बुक में लिखा दीजिए । आश्चर्यजनक किन्तु सत्य घटना जो घटती है उस हिसाब से गिनीज बुक में लोग कहते हैं कि नाम लिखाया जाता है और ठीक हमारे मकराने का यही हाल है । हिन्दुस्तान की नहीं बल्कि मैं मार्बल का जानकार हूं इसलिए आपको बताता हूं शत-प्रतिशत सही है कि मकराने की मार्बल की मण्डी दुनिया में प्रसिद्ध है । यह तो हम भारतीयों की आदत पड़ गई, एक देशी और विदेशी दो आदमी खड़े रहेंगे तो हमारी आदत यह है कि हम विदेशी से हाथ मिलाना चाहते हैं जबकि हमें हाथ मिलाना चाहिए भारतीय से । इसलिए हम विदेशों के माल को सराहते हैं । बल्कि यह कतई सच नहीं है । मेरा निजी अनुभव है कि जो मकराने का मार्बल है उसमें जो क्रिस्टल है, उसमें जो वाटर है, उसकी जो व्हाइट-नैस है वह दुनिया के किसी मार्बल में मैंने तो नहीं देखी । तो जिस मकराने शहर से दुनिया का नाम या जिस मकराने मार्बल की वजह से राजस्थान का नाम,

(श्री रूपाराम)

हिन्दुस्तान का नाम दुनिया में प्रसिद्ध है, उस मकराने को हमारे खनिज विभाग के द्वारा क्या दिया जाता है ? यह आश्चर्यजनक इसलिए है कि, महोदय, हम करोड़ों में सरकार को धन देते हैं मकराना निवासी और सरकार हमें उसके बदले इतनी सी राहत देती है तो आश्चर्यजनक किन्तु सत्य घटना हुई न । इस आधार पर हम पर दोहरा अत्याचार क्यों ? 'या तो हमारा नाम गिनीज बुक में लिखा दीजिएगा या, महोदय, हमारी समस्याओं का समाधान कर दीजिएगा ।

महोदय, मकराना ऐसी जगह है जहां बरसात में, छोटी सी दो तीन मांग रखूंगा, हम जीप और कार चलाते हैं तो एक नाव सुलभ करवा दीजिए ताकि जीप के और कार के पीछे नाव घसीटकर चलाते रहें । पानी ज्योंही कार के इंजन तक पहुंचे, कार बंद हो जाए, नाव लेकर चलते रहें आगे, रोड पर या सड़क पर । यह हमारी मकराना की समस्या है । एक बार मेरा दोस्त मोटर साइकिल से गिर गया । मैंने उसे जल्दबाजी में उठाना चाहा । कीचड़ में वह इतना भर गया कि मैं हाथ के बजाए पैर पकड़कर उठा रहा हूं और वह उल्टा लटक रहा है और मैंने कहा, अरे, तेरा हाथ कहां है ? यह तो हाल है कीचड़ का । और वायु प्रदूषण की बात, अगर सचमुच में देखा जाए तो मजाक को छोड़कर यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है, वायु प्रदूषण इतना होता है पाउडर की वजह से कि सास के द्वारा फेफड़ों में टी. बी. होने की सम्भावना है । आखें जो मैं खुद एक अच्छा खिलाड़ी आज भी हूं मुझे भी चश्मा लगाने की जरूरत पड़ गई, इतनी मिट्टी उड़ती है, वहां नहाने की जरूरत नही, नहाने के बाद तुरन्त पाउडर लग जाता है महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे मकराने की, अगर मैं बोल रहा हूं और बोलने से मकराने की समस्या के बारे में कुछ होगा तो मैं समझता हूं कि विधान सभा में बार-बार बोलना चाहिए और अगर बोलने के लिए ही ऐसी प्रथा बनी है कि बोलने से अखबार में नाम आ जाता है, यहां बोलना चाहिए तो मेरे जैसा आदमी दुबारा हिम्मत नहीं करेगा ।

रोडों की यह हालत है, महोदय अच्छा, एक बात और बताउं, महोदय, मुझे समस्या के बारे में इतनी चिन्ता नहीं जितनी हमारी कहीं आदत तो नहीं पड़ जाए कि हम बिना गन्दगी वहां नही रह सकते । अगर हम मकराने के निवासी कभी विकसित शहर में चले गए तो हमारा हाल क्या होगा ? हमारी धीरे-धीरे आदत पड़ रही है गन्दी हवा लेने की, नाली में और कीचड़ में रहने की और बिना झटका लगे हुए हम कार कैसे चलाएंगे अगर विकसित शहर में पहुंच गए तो ? हमारी टूटी-फूटी सड़कों पर हमारी आदत सी पड़ गई है कि जब तक "यू" नहीं लगे तो हम गाड़ी नहीं चला सकते । तो, महोदय, या तो सभी उन शहरों को हमारे मकराने से मिलता जुलता बना दीजिए ताकि हमारी आदत में फर्क नहीं पड़े । नहीं तो फिर हम विकसित शहर में, अब जयपुर में मैं दुःख पा रहा हूं, बिना झटका गाड़ी नहीं चला सकता । हमारे मकराने के नागरिकों ने समस्या के बारे में मुझसे बात की तो मैंने कहा कि अब आप अपनी आदत बदल लीजिए कि

(श्री रूपाराम)

विकसित गांव में या विकसित शहर में रह सकते हैं या नहीं ? उन्होंने जवाब दिया कि बिना बदबू तो हमें नींद नहीं आएगी, बिना मच्छर काटे हम आराम नहीं कर सकते और बिना झटके हम गाड़ी नहीं चला सकते, महोदय, हम पर यह दोहरा (व्यवधान) ....महोदय, मकराने की मार्बल की समस्या अनन्त है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मकराने के व्यापार पर अगर सचमुच में ध्यान दिया जाए तो जिस मकराने की वजह से हम दुनिया में नाम कमाये बैठे हैं उसका अभी और नाम चलता रहेगा। मकराने के नाम से कम से कम लाख आदमी रोज आते जाते हैं।

अकाल के बारे में, महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि वही बात है, जब पानी ही नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे और दूसरी बात है कि मकराने में मजदूरों की रेट 50 60 रुपए रोज है और अकाल राहत में 22 रुपए मिलते हैं, इसलिये हमारे वहां मजदूर नहीं मिलते हैं। बल्कि मुझे तो वहां के लोग कहते थे कि 44 रुपए एक मजदूर को देते हैं और दो नाम दिखाते हैं। मैंने कहा अगर कुछ नहीं होता है तो इससे तो यही ठीक है। इसलिए मेरा यह अनुरोध है अकाल मंत्रीजी से कि वह मजदूरों की रेट बढ़ाएं, तनख्वाह बढ़ाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री उगमराज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : सभापति महोदय, आज राजस्थान में ....(व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : इनको बोलने दें।

श्री सभापति : श्री उगम राज मेहता, श्री उगम राजजी मेहता। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्री बोला था, शिवकिशोर सनाढ्य नहीं बोला था।

श्री उगमराज मेहता : महोदय, खनिज क्षेत्र ऐसा है जो राजस्थान की इनकम का एक स्रोत है। मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो अजमेर जिले के शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी दस अर्जी लगी हुई हैं रामगढ़ तहसील रायपुर में मार्बल माइन्स की और आज तक उनकी सेंक्शनशुदा लीजेज जो हैं उनका एग्रीमेण्ट नहीं हो रहा है। उसका कारण मैं आपको बता दूं। वहां पर मेजर माइन्स के नाम से मिस्टर ठोलिया, पुखराज ठोलिया के नाम से वह अलाट थी चालीस साल से, उस का सड़क के इस तरफ एस्बेस्टोस है और इस तरफ दूसरी पहाड़ियां हैं। मिस्टर हवा, एडिशनल डी. एम. जी., उदयपुर आकर के सर्वे किया और सर्वे करने के बाद में उसने देखा यहां मार्बल है। इसलिए उसने नोटिस दिया पुखराज ठोलिया को। नोटिस देने के बाद में पुखराज ठोलिया ने वह माइन्स जो उधर की थीं, वह पहाड़ियां उन्होंने सरेण्डर कीं। सरेण्डर करने के बाद में वहां पर उसने भी दो माइन्स लगाईं, दो लीजेज लगाई और उनकी सेक्शन हुई उसके बाद में 12-13 माइन्स और लोगों ने, लगाईं जिसमें दो सेंक्शन, मतलब दो माइन्स चल रही हैं, बाकी सेंक्शनशुदा जिनके पैसे भरे हुए, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट भरे हुए हैं,

(श्री उगमराज मेहता)

उसके डेड रेण्ट भरा हुआ है । सब कुछ भरा हुआ है । एन. ओ. सी. भी हुई। उसके बीच में एक महीना ए.एम. ई. सोजत को जोधपुर लगा दिया गया। एक महीना जोधपुर लगाने के बाद वह काम पेण्डिग पड़ा रहा उसके बाद सरकार ने डेड रेण्ट बढ़ा दिया । डेड रेण्ट बढ़ाने के बाद में वह फाइल चली गई सिरोही। चक्कर काटते रहे बेरोजगार शिक्षित और उनकी अर्जी है कि कम से कम हमारे आने-जाने के दस से बीस हजार रुपए खर्च हो गए और हमारे से वहां जो सक्सेना बैठा हुआ है और डी.एम.जी. उदयपुर है वह हमें तंग करते हैं कि हमें मोटा अमाउण्ट दो तो हम तुम्हारे एग्रीमेण्ट सेंक्शन करेंगे। उसके बाद बीच में दो एग्रीमेण्ट के लिए सक्सेना ने आदेश निकाले, एक तो शशि हेड़ा के नाम से और एक मंजूसिंह गुर्जर के नाम से। दो आर्डर निकाले, जब वह शिक्षित बेरोजगार गए कि हमारा भी एग्रीमेण्ट साथ में करिए वह अब पेंडिग रख दिये और बार बार वह चक्कर काट रहे हैं। आज दस शिक्षित बेरोजगार मेरे यहां आकर धरने पर बैठे हुए है। मैं मांग करना चाहूंगा, मंत्री महोदय कि सारी फोरमलिटिज पूरी हो गई, माननीय भैरोंसिंह शेखावत ने भी माइन्स सेकेट्री को लेटर लिखा। माइन्स सेकेट्री का यह लेटर आया है कि दो बार डी.एम.जी. को लिख दिया मैंने। कोई उत्तर नहीं आ रहा है। आपके पास में राजस्थान मिनरल कंसेशन रूल्स 86, मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहूंगा लेकिन पेज 18 में देख लीजिए। पूरा है उनके ऊपर कि जो दी हुई है माइन्स उनके सारे पैसे भरे हुए हैं, वह 15 हजार रुपए डेड रेण्ट के जो बढ़ाए हुए हैं वह भी भरने के लिए तैयार हैं। आज बेरोजगार शिक्षित यहां आये हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आप के यहां लाकर उनको मिला दूंगा और कहूंगा कि यहीं बैठे रहिये, सेंक्शन करेंगे।

श्री सभापति : विराजिये।

श्री उगमराज मेहता : एक मिनट, माननीय सभापति महोदय, गत बार जब अपना राज्य था और तत्कालीन खान मंत्री ने मुझे एक पत्र दिया और मैंने लिखा था कि ब्यावर में रायल्टी के बारे में चोरियां हो रही हैं आसपास के क्षेत्र में और लाखों रुपयों की चोरियां हो रही हैं तो उन्होने एक आदेश दिया था और उन्होंने मुझे पत्र दिया था कि यहां ए. एम. ई. आफिस खोला जायेगा और अगर ए.एम ई. आफिस नया नहीं खुला तो जो अजमेर में ए. एम. ई. बैठा हुआ है उसका कार्यालय ब्यावर में स्थापित किया जायेगा। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैंने प्रश्न रखा और उस प्रश्न का जवाब आया है कि ए.एम.ई. आफिस ब्यावर में खोलने का कोई विचार नहीं है। मेरे पास तत्कालीन सरकार, जो कि भाजपा की सरकार थी उनका मेरे पास पत्र अभी मौजूद है, मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां ए. एम. ई. आफिस खोला जाये। आसपास के क्षेत्र का हजारों टन वहां पर फासफेट और क्वार्टज बिक रहा है चोरी हो रही हैं रायल्टी की, सरकार को नुकसान हो रहा है। जो रामगढ़ में दो साल से एक करोड़ रुपये की रायल्टी आती सरकार को यह रायल्टी नहीं आई और डी. एम. ई. और मिस्टर सक्सेना, सिरोही वाले थे उनसे इनकी वसूली की जाय। क्यों

(226)

(श्री उगमराज मेहता)

नहीं उन्होंने अभी तक सैंक्शन किये ? आज शिक्षित बेरोजगार बैठे हुए हैं और यहां पर उनको काम नहीं मिल रहा है। मैं मांग करना चाहूंगा। मैं मंत्री महोदय को यह भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अजमेर जिले के अन्दर आज सारी माइन्स बन्द होने जा रही हैं। 50 व्यक्ति मिनरल माइन्स एसोसियेशन के मेरे पास आये. अजमेर जिले का अध्यक्ष होने के नाते, नसीराबाद, अजमेर और ब्यावर वालों ने आकर कहा कि सेन्टर के रूल 1988 के अन्दर हमारी सारी माइन्स बन्द हो जायेंगी, हम बेकार हो जायेंगे। आपने आश्वासन दिया कि 6 महीने तक आपके कोई राज्य सरकार से कम्पीलेशन के आदेश नहीं आयेंगे। मैं यह तो धन्यवाद देना चाहूँगा परन्तु आप आदेश निकाले...

श्री सभापति : आपको भी धन्यवाद। श्री रामचन्द्र रावत।

श्री उगमराज मेहता : आपने यह भी आश्वासन दिया कि मैं दिल्ली जाकर आपके माइन्स वालों का काम कराऊंगा और मैं साथ चलूंगा। इसके लिए भी धन्यवाद लेकिन साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप जवाब दें और हमारी राजगढ़ को सेंक्शन लीज को सेंक्शन करायें। (व्यवधान) .... बेरोजगारों को रोजगार मिले।

श्री सभापति : भाषण समाप्त हुआ। माननीय सदस्य बिराजें।

एक माननीय सदस्य : कितने बोलने वाले और हैं सभापति महोदय।

श्री सभापति : आज जितने भी माननीय बोलना चाहेंगे सबको मौका दूंगा। श्री रामचन्द्र रावत।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन के अन्दर अकाल और खनिज सम्पदा के ऊपर चर्चा में मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं। यहां सरकार ने और मंत्री महोदय ने अकाल राहत कार्यों के लिए, टंकियों के लिए, हैंड पम्पों के लिए बहुत घोषणा की थी और यह कहा था कि आपके इलाके के अन्दर बहुत सारी टंकियां बनायेंगे और पंचायत हैड क्वाटर्स को सड़कों से जोड़ा जायेगा। पानी की आपको कोई किल्लत नहीं होगी। शिक्षा के केन्द्र खोले जायेंगे। दुनियां भर के सरकार ने हमें को आश्वासन दिये थे और बहुत खुश होकर हमको इलाके के अन्दर भेज दिया था। हम अपने इलाके के अन्दर गये और वहां के लोगों से हमने यह कहा कि हम आपके लिए बहुत बड़ी योजना ला रहे हैं। पानी की अब आपको कोई किल्लत नहीं रहेगी लेकिन यह काम सारे के सारे उल्टे हुए। वहां जाकर हमने तो कह दिया उनको मगर दो तीन महीने हो गए, अकाल राहत कार्य फरवरी से चलने थे लेकिन अब तक, मेरे क्षेत्र की मैं बात करूं, कोटपूतली के अन्दर 66 गांव अकालग्रस्त घोषित किये हैं सरकार ने मगर आज की तारीख में एक भी काम ऐसा नहीं है कि जो कोटपूतली क्षेत्र में आज चालू हो। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन अधिकारियों को पता नहीं यहां से निर्देश हैं या नहीं हैं कि वह अधिकारी इसमें काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगा, मैंने उन

(श्री रामचन्द्र रावत)

अधिकारियों से बातचीत भी की, उन्होंने यह कहा कि मजदूर नहीं मिलते । मैंने कहा कि मजदूर क्यों नहीं मिलते ? तो उन्होंने कहा कि मजदूरी 22 रुपया है जब कि फसल काटने के लिए वह 40 रुपये में, 35 रुपये में जाते हैं अकाल राहत के अन्दर कोई भी मजदूर आज काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार को इसमें देखना होगा। सरकार को इसमें नीति निर्धारण करनी होगी कि मजदूरों की मजदूरी 22 रुपये से काम नहीं चलेगा। या तो वह मजदूरी 35 रुपया करें, 40 या रुपया करें या 50 रुपया करें ताकि यह काम चल सके।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं, यहां पर यह घोषणा हो गयी कि हमने इतने गांवों को अकालग्रस्त घोषित कर दिया है और काम चालू करवा दिये हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र जी ने कहा कि प्रत्येक जिले और प्रत्येक तहसील के अन्दर माननीय मंत्री जी को, सिंचाई मंत्री जी को ऊर्जा मंत्री जी को जाना चाहिए और प्रत्येक अधिकारी के साथ बैठकर एक मीटिंग लेनी चाहिए और मीटिंग लेकर यह देखना चाहिए कि अकाल राहत कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।

श्री सभापति : अपने क्षेत्र की समस्या रखें, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र रावत : मेरे क्षेत्र की समस्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने पहले भी एक भाषण में कहा था कि पानी की इतनी गम्भीर समस्या है और मेरे यहां बनार और देवता गांव ऐसे हैं कि आज की तारीख में पानी खरीद कर वहां पीया जाता है और उनकी समस्या को शायद यहां सुना नहीं जाता। मैंने पहले भी कहा था और मंत्री महोदय ने मुझे आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को कह भी दिया है लेकिन शायद अधिकारी इनकी मानते नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से कहना चाहता हूं और यह निश्चित बात है कि आज की तारीख में बनार और देवता गांव कोटपूतली में ऐसे हैं कि जहां दो मील दूर से पानी ऊंटों से और बेलगाड़ियों से लाया जाता है और एक रुपये में एक मटका पानी लिया जाता है और पानी मोल लेकर पीया जाता है। मुझे बड़ा खेद है मैं उस गांव में गया....

श्री सभापति : विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र रावत : एक मिनट मेरे क्षेत्र में थोड़ा सिंचाई के बारे में और कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर। यह ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। बोलने दीजिए माननीय सदस्य को।

श्री रामचन्द्र रावत : मेरे क्षेत्र के अन्दर सिंचाई के लिए बुचारा बांध है और छिलोली बांध हैं लेकिन मिट्टी से वह इतने भर गये हैं कि कम से कम दस फीट की खुदाई करानी चाहिए ताकि उसमें पानी गहराई से आ सके और उससे सिंचाई हो सके। एनीकट बनवाये जायें, कुएं बनवाये जायें और हैंडपम्प ज्यादा से ज्यादा लगवाये

(श्री रामचन्द्र रावत)

जायें ताकि पूरे काम हो सके। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो आपने बताया था जो सड़कों का काम बताया था, मेरे क्षेत्र में सड़कें बहुत कम हैं और अधूरी सड़कें पड़ी हुई हैं एक भी काम वहां नहीं हो रहा है। वहां अकाल राहत के तहत काम हो जायेगा तो मजदूरों को मजदूरी मिल जायेगी।

श्री सभापति : शिवकिशोर सनाढ्य बिराजिये रामचन्द्रजी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी जब हमारे यहां कलेक्टर साहब ने मीटिंग बुलाई और उसके अन्दर यह समस्या पैदा हुई कि चारा किस तरीके से उन स्थानों पर पहुंचाया जायेगा जहां कि चारे की आवश्यकता होगी और तब यह बात ध्यान में आई कि 1987 और 88 में जो भयंकर अकाल पड़ा था और उसमें जो उदयपुर का वनवासी क्षेत्र है वह बहुत प्रभावित था। तो वहां पर एक मेवाड़ सहायता समिति के नाम से एक संस्था ने चारा पहुंचाने का काम हाथ में लिया और चारा पहुंचाने के काम में उन्होंने जहां पर चारा डिपो बनाये उन किसानों से दो-दो हजार रुपया एडवान्स में अपने पास लेकर रख लिया और जब अकाल समाप्त हुआ तो पता लगा और शिकायतें हुई कि जो सब्सिडी सरकार ट्रान्सपोर्ट में देती थी तो उन्होंने लूना के नम्बर लगाकर ट्रकों का पैसा चारे का वसूल कर लिया। उसकी जांच हुई जब शिकायत हुई और जांच होने के बाद लोग दोषी पाये गये लेकिन लोग दोषी पाये जाने के बाद और मेरे द्वारा उनकी शिकायत करने के बाद भी और यहां प्रश्न उठाने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि वह इतने प्रभावशाली लोग हैं और उनके कारण से क्या हुआ कि वहां जो लाखों का घोटाला हुआ और जिन किसानों ने चारा डिपो के नाम में दो-दो हजार रुपया जमा कराया था उनको यह कहकर कि हमको सरकार ने पैसा नहीं चुकाया है सबसीडी का इसलिए हम तुम्हें नहीं चुका सकते। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अकाल मंत्री जी से कि उनकी जांच तो कई बार हो गयी, अब तो मेहरबानी करके जो रुपये शेष रह गये हैं, दो हजार रुपए नहीं दे सकते तो 1500 रुपए ही दीजिए 1400 रुपए ही दीजिए, लेकिन उन किसानों को जिन्होंने रुपया एडवान्स में दिया था, उनका रुपया चुकाइये, ऐसा मेरा आग्रह है। इसकी वजह से स्वयंसेवी संस्थाएं वहां काम करने के लिए तैयार नहीं हैं।

मान्यवर, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं, इसलिए खान मंत्री जी से केवल इतना ही निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरफ संकेत दिया है, उदयपुर का निदेशालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इशारा करके छोड़ दिया। इस राष्ट्रपति शासन के दौरान जिस तरीके से राजसमन्द में चरागाह की भूमि के ऊपर पांच और तीन, आठ माइंस सैंक्शन की गयी हैं- राजसमन्द के पास पांच माइंस और तीन मोरबड़ के पास, जिन प्रभावशाली लोगों को की गयी हैं उसमें लाखों रुपु

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

का घोटाला है । उसको चुनाव का चन्दा मान लीजिए, उन प्रभावशाली लोगों के द्वारा इस तरीके से यह जो आवण्टन हुआ है यदि यह आवंटन निरस्त नहीं होता तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, उससे घटने वाला नहीं है। आज भी जिस तरीके से इशारा किया है, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर आफिस की यह स्थिति है कि अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) हैं और दूसरी तरफ अतिरिक्त निदेशक (खान) सैकण्ड हैं । इन अतिरिक्त निदेशक (खान) सैकण्ड का पुत्र वकील है । वकील होने के नाते वहीं पर उसका दफ्तर, वहीं उसका घर और वहीं सरकारी टेलीफोन । अपील की जाएगी अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) को, इसके द्वारा अपील जाएगी तो तुरन्त रिपोर्टिंग होगी, उसके बाद निर्णय हो जाएगा । अन्य वकील + + + लगते रहें ।, निर्णय नहीं होते हैं । इस तरीके के जो घंटाले, जो बेइमानियां वहां चल रही हैं जब तक ये दूर नहीं होंगी प्रशासन स्वच्छ नहीं होगा तब तक खान विभाग से बहुत कुछ प्राप्त करना मुश्किल होगा । यही बात कहते हुए आपके प्रति धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री राम गोपाल जी ।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय सभापति महोदय, आज जो इस सदन में अकाल राहत पर चर्चा की जा रही है उस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्षा की कमी के कारण अकाल की विभीषिका पूरे राजस्थान में बनी हुई है ।

श्री सभापति : संक्षेप में । आपके क्षेत्र के लिए मैं टाइम दे रहा हूं ।

श्री रामगोपाल बैरवा : मान्यवर, मैं जब खड़ा होता हूं आसन से पहले ही कह देते हो कल भी बोलने लगा तो, आप पहले ही डिस्टर्ब कर देते हो।

श्री सभापति : बोलिये, माननीय सदस्य, मैं आपको बार-बार अवसर दे रहा हूं । बोलना चाहते हैं तो बोलिये ।

श्री रामगोपाल बैरवा : बोलने के लिए ही तो बात कर रहा हूं ।

श्री सभापति : मैं इन्स्ट्रक्शन दे रहा हूं आप बोलिये ।

श्री रामगोपाल बैरवा : स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन ?

श्री सभापति : हां, स्टार्टिंग में ।

श्री रामगोपाल बैरवा : अकाल से निपटने के लिए सरकार ने योजना बनायी है कि कमेटियां बनाकर पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाएगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी और सरकार ने घोषणा की थी कि अकाल राहत कार्य एक फरवरी से चालू कर दिये जाएंगे। लेकिन अकाल राहत के जो कार्य चालू किये जाने थे आज दिन तक 50 प्रतिशत भी चालू नहीं किये गये हैं । ये कार्य दो महीने या तीन महिने निकलने के बाद चालू किये जाएंगे और इनकी समयावधि चार महीना निश्चित की गयी है जब ये बाद में चालू किये

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री रामगोपाल बैरवा)
जाएंगे तो जो कार्य स्वीकृत किया गया है वह काम पूरा नहीं होगा और उसका फायदा जनता को नहीं मिलकर प्रशासन में बंटकर रह जाएगा। सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी योजना बनायी जाए, जो समय निर्धारित किया जाए उस निश्चित समयावधि पर काम को चालू करवाया जाए ताकि वह काम पूरा हो सके निश्चित अवधि के अन्तर्गत। मान्यवर, मैं कोटा जिले की पीपल्दा तहसील से निर्वाचित होकर आया हूँ। वैसे कोटा जिले में चम्बल नदी का वरदान है, तो वहां पर अकाल की कोई ज्यादा विभीषिका नहीं है। दूरदराज के इलाकों में पानी की अव्यवस्था की वजह से कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं पहुँचा हुआ है, वहां की जनता के द्वारा लगातार इस बात की मांग की जाती रही है। इटावा ईबीसी की टेल पर प्रशासन की लापरवाही से पानी नहीं पहुँचता है। एक तरफ चम्बल नदी भरती है, दूसरी तरफ पार्वती नदी भरती है..........

श्री सभापति : नहीं माननीय सदस्य, अकाल और खान पर बोलें।

श्री रामगोपाल बैरवा : वहां पर लिफ्ट योजना के माध्यम से पानी पहुंचाया जाये। इसी तरह इन्द्रगढ़ में जो कुएं हैं वहां पर एनीकट बनवाया जाए। और पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाए।

श्री सभापति : भाषण समाप्त हुआ। श्री अर्जुनलाल जीनगर।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि सर्व विदित है आज हम राजस्थान के अकाल की समस्या के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं।

श्री सभापति : सुनें, माननीय सदस्य नये-नये हैं, बोल रहे हैं तो शान्ति से सुनिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : मैं आपका ध्यान चित्तौड़गढ जिले के गंगरार विधान सभा क्षेत्र में अकाल की विभीषिका की ओर ले जाना चाहता हूं। बुजुर्गों का कहना है कि 50 वर्षों में ऐसा अकाल पहले कभी नहीं पड़ा, ऐसा अकाल इस बार है। छोटे-बड़े लगभग सभी तालाबों में, जो पहले भरे रहते थे, एक बूंद पानी भी आज नहीं है, पानी की विकट समस्या है। जैसा कि पहले भी माननीय सदस्यों ने बताया कि पानी के बगैर किसान, पशु और जनता जीवित नहीं रह सकती, इसी तरह से यदि पानी की बूंद हमारे पास नहीं होगी तो हम किस प्रकार से जीवित रहेंगे ? मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि आपके द्वारा जितनी भी योजनाएँ बनाई गई हैं उन योजनाओं को मैं आज दिन तक समझ नहीं पाया हूं। जहां पर टंकी बन जाती है वहां ट्यूबवेल नहीं है, कुआ नहीं हैं, जहां पर ट्यूबवेल है वहां पर टंकी नहीं हैं। जहां पर ट्यूबवेल है, टंकी है, परन्तु वहां पाइप लाइन नहीं है। जहां पर पाइप लाइन है, कुआ है, ट्यूबवेल है, परन्तु वहां पर दूसरी सामग्री नहीं है। जिन स्थानों पर सभी सामग्री है वहां पर कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के अन्दर भी माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पानी के अभाव में यदि जनता मर

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

गई तो सारी जिम्मेदारी मंत्री महोदय की होगी। पशुओं के लिए चारे पानी का अभाव है। न डिपो खोला गया है। सहायता मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे चारा डिपो खोलें। विशेष निवेदन मैं यह करूंगा कि ऐसी अकाल की परिस्थितियों में राजा या सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह जनता को हर प्राथमिक सुविधा मुहैया करायें। इस हेतु मैं राज्य सरकार से विशेष निवेदन करूंगा कि वह ज्यादा से ज्यादा अकाल राहत कार्य खोलें ताकि जनता को अधिक से अधिक रोजगार मिले। मैं अभी 12 मार्च से 14 मार्च तक गांवों में व्यवस्था देखने के लिये गया था। लसाड़िया गांव में एक समस्या विशेष नजर आयी कि हैण्ड पम्पों के अन्दर पानी नहीं है, एक मटका पानी के लिए....

श्री सभापति : विराजिये, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : आधा घण्टा तक उसको हिलाना पड़ता है तब जाकर पानी आता है अतः विशेष निवेदन है कि....

श्री सभापति : कितनी बार हिलाना पड़ता है?

श्री अर्जुनलाल जीनगर : एक मटका पानी भरने के लिए आधा घण्टे खड़ा रहना पड़ता है, हिलाना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था हमारे यहां है। आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति : श्री भरतसिंहजी। पांच मिनट की सीमा।

श्री भरत सिंह (खानपुर) : माननीय सभापति जी, अकाल की समस्या राजस्थान के लिये कोई नयी नहीं है। जब से राजस्थान की स्थापना हुई है, कोई 5 या 6 साल ऐसे रहे होंगे जो सामान्य वर्ष थे और किसी न किसी भाग में अकाल नहीं था और राजस्थान की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है इसलिए जब अकाल पड़ता है, 70 प्रतिशत जनता उससे प्रभावित होती है और जिस व्यक्ति ने, मुख्य मन्त्रीजी ने जो बजट पेश किया है वह भी राजस्थान के तीसरी बार मुख्य मन्त्री बने हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इस अकाल की समस्या के बारे में इस बजट में प्रोविजन करे है वह अत्यंत निराशाजनक है। माननीय सभापतिजी, आज राजस्थान की केवल 29 प्रतिशत भूमि सिंचित है और बाकी समस्त कृषि भूमि असिंचित है। इसलिए हमें बारिश पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना पड़ता है और अकाल नहीं पड़े इसलिए हमारा प्रयास इस दिशा में होना चाहिये कि बरसात की जो बूंद आती है, जो गिरती है उसको रोका जाए और आने वाले साल में अकाल इस राजस्थान में नहीं पड़े इस दिशा में बजट पेश करने वाले का सोच इस दिशा में, उसको दर्शाया जाएं। मगर हो यह रहा है कि अकाल पर हर साल रूटीन के अन्दर हम इसकी चर्चा करते हैं, कुछ प्रोविजन्स करते हैं, और उन बातों पर ध्यान नहीं जाता जिसकी आने वाले समय में राजस्थान के लिए एक ऐसी गम्भीर चुनौती हो जायेगी कि आज जो हम सदस्य हैं इसके, हमको भी लोग-बाग गालियां देंगे कि कुछ हमारे पहले जो विधान सभा में लोग-बाग थे

(232)

(श्री भरतसिंह)

उन्होंने गम्भीरता से इस विषय पर चिन्तन नहीं किया। माननीय सभापति जी, जो 29 प्रतिशत जमीन राजस्थान में सिंचित है उसकी 60 प्रतिशत जमीन, जमीन में से पानी निकाल कर सिंचित होती है वह जमीन में से चाहे कुओं के माध्यम से हो, चाहे ट्यूबवेल्स के माध्यम से हो, जमीन में से पानी निकाल रहे हैं और जमीन के पानी की क्या स्थिति है। हैण्डपम्पों में पानी नहीं है और कुओं का स्तर बैठता जा रहा है ट्यूबवेल्स का स्तर बैठता जा है और जगह-जगह पर डार्कजोन जो हो गये हैं और सिंचाई में वृद्धि हो रही है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री भरतसिंह : 6 साल के आंकड़े जो हमारे को आपने लिटरेचर दिया, उसको पढ़ने के बाद और चिन्ता बढ़ गई कि जो हमारी सिंचाई में वृद्धि हो रही है वह सरप्लस वाटर तो वहीं का वहीं धरा हुआ है और ग्राउण्ड वाटर से जो हमारी सिंचाई बढ़ रही है उसकी प्रतिवर्ष तीन गुना अधिक सिंचाई सरप्लस वाटर से ग्राउण्ड वाटर की ज्यादा हो रही है।

श्री सभापति : संक्षिप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री भरतसिंह : तो आने वाले समय में हर वर्ष एक लाख हैक्टेयर जमीन एडीशनल ... जमीन में से पानी निकाल रहे हैं ... जैसी भी अकाल की समस्या बनी है, ... यह होगा कि मैं अकाल ... करने के लिए जमीन में से पानी निकालूं। इस प्रकार से हम जमीन में से पानी निकालते जायेंगे और बरसात का जो पानी गिरता है उसको रोकने का कोई प्रोविजन हमने नहीं किया है और न ही वह मुख्य मंत्रीजी ने 40 साल का इस सदन में बैठ कर पूरी भौगोलिक स्थिति की जानकारी है, उन्होंने अपना सोच और चिन्तन इस दिशा में लगाया है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : धन्यवाद भाषण समाप्त हुआ, श्री हरिसिंह जी। नहीं यह गलत बात विराजिये बस, भाषण समाप्त हुआ....

(व्यवधान)

श्री भरतसिंह : माननीय सभापति जी आप मत दीजिये, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा था, मैं ऐसी समस्या पर बोला जिसमें राजस्थान का भविष्य जुड़ा हुआ है

श्री सभापति : सब बोल रहे हैं, सभी माननीय सदस्य बोलेंगे श्री हरिसिंहजी....

श्री भरतसिंह : ....यह कोई तरीका नहीं है ....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापतिजी, माननीय सदस्य आसन को प्रताड़ित कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री हरिसिंहजी। रिकार्ड नहीं हो, नहीं लिखें। श्री हरिसिंहजी

श्री भरतसिंह : X X X

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठ जायं मैंने सभी माननीय सदस्यों को अवसर दिया है, इस प्रकार से नहीं दूंगा मैं। विराजिये आप विराज जायं....

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भरत सिंह : X X X

श्री सभापति : आप अवहेलना नहीं करें बिराज जायें....(व्यवधान) मैं अवसर नहीं दे रहा हूं आप बिराजिये । श्री हरिसिंहजी बोलेंगे । अंकित नहीं होगा भरत सिंहजी बोलेगें तो ।

श्री भरत सिंह : X X X

(श्री भरत सिंह, सदस्य द्वारा बहिर्गमन)

श्री परसादीलाल मीणा : पांच मिनट के लिए कहा था .... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह सोढ़ा (शिव) : माननीय सभापति जी, मैं जिस एरिये से विधायक चुनकर आया हूं .... (व्यवधान)

श्री सभापति : यह कोई तरीका नहीं है, माननीय सदस्य पूरे पांच मिनट बुला दिया मैंने । आप बिराज जायं यह कोई तरीका नहीं है इस प्रकार का व्यवहार करें जबकि मैं सब को अवसर दे रहा हूं और जितना अधिक से अधिक है उतना दे रहा हूं और फिर आप लोग उकसा रहे हैं इस बात के लिए कि बाहर चले जाय बोले अंकित नहीं है फिर आसन कोई उदार नहीं बनेगा । माननीय हरिसिंह जी ।

श्री हरिसिंह सोढ़ा : माननीय सभापति जी, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं उसकी प्राकृतिक स्थिति आप देखें जिसमें दो जिलों का हिस्सा है, चार तहसीलों का हिस्सा हैं, चार पंचायत समितियों का हिस्सा है । एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी एरिया जो राजस्थान के अन्दर सबसे रेगिस्तानी एरिया मेरा विधान सभा क्षेत्र है । उस विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक ग्राम पंचायत ऐसी है जिसका क्षेत्रफल आपके यहां पर 100 विधान सभा क्षेत्र उससे छोटे हैं । जो एक ही पंचायत का क्षेत्रफल इतना बड़ा है लेकिन वहां पर पानी की इतनी कमी है, अभी सदस्य ने फरमाया था कि हम दो कि. मी. से पानी लाते हैं तो मुझे सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि हम 15 किलोमीटर से ऊंटों पर, गधों पर पानी लाकर पीते हैं । इस तरफ भी सरकार ने सन् 52 से लेकर आज तक ख्याल नहीं किया है और जो 15-15 कि. मी. से पानी लाकर पीते हैं और यहां पर 2 कि.मी., 4 कि. मी. वाले बोलते हैं और कहते हैं उसके लिए भी अफसोस करते हैं तो मैं सभापति महोदय, आपके मार्फत इन मंत्री महोदय से कहता हूं कि आप एक टीम बनाकर विधान सभा क्षेत्र शिव में पधारकर इसकी जांच करें कि अकाल के तहत क्या-क्या तकलीफें होती है । वहां पर अफसर आना पसन्द नहीं करते क्योंकि वहां पर पक्का नहीं है. अफसर जाना पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि रात को ठहरने पर उनको सांपों का डर लगता है...

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सड़क ही नहीं है कैसे जायेंगे ।

श्री सभापति : माननीय हरिसिंहजी पहली बार बोल रहे हैं..

श्री हरिसिंह सोढ़ा : सड़क बनवाये इसीलिए तो कह रहा हूं । इसलिए आप वहां पर ठहरिये, रात को वहां ठहरिये

X X X अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

234

(श्री हरिसिंह सोढ़ा)

कि वहां ठहरने पर क्या तकलीफ होती है। इसीलिए तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। मैं आपको आमन्त्रित कर रहा हूं कि आप पधारो वहां पर आप ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कैसे व्यवस्था करोगे आप?

श्री हरिसिंह सोढ़ा : व्यवस्था वहां पर मेरे पास ऊंटों की है और दूसरा भी नहीं है तो गधों की मैं कर दूंगा गाड़ियों की आप करेंगे।

श्री सभापति : समय दो मिनट का और है आप बोलिये।

श्री हरिसिंह सोढ़ा : मैं अकाल के बारे में निवेदन करूंगा कि उस एरिये के अन्दर रुकों को प्राथमिकता देकर, दूसरे एरियों के अलावा विशेष प्राथमिकता देकर मेरे एरिये का डवलपमेण्ट करवाने के लिये मंत्री महोदय ध्यान दें और दूसरा मैं जलदाय मंत्रीजी से कहूंगा कि वहां पर अकाल राहत के तहत एक ए. ई. एन. आफिस नया खोल कर फेमिन के टाइम में काम करवाने के लिए, पानी पिलाने के लिए थोड़ी व्यवस्था कराये।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री भीखा भाई।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : सभापति महोदय मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे समय दिया और मुझे वैसे यहां पर इस सदन में जब से सदस्य चुनकर आया हूं मैंने भाषण की कोई इच्छा नहीं जाहिर की, मैं इच्छा आज भी जाहिर करता हूं लेकिन आपने यह फरमाया था अभी कि आपके क्षेत्र की कोई समस्या हो तो उसको बतायें और इसीलिए मेरे तकलीफ होते हुए भी मैं यह बात कहना चाहता हूं आपसे कि आपका यह जो अकाल का प्रबन्ध होगा वह किस प्रकार का प्रबन्ध होगा कितना प्रबन्ध होगा। क्या 87-88 की तरह से प्रबन्ध होगा जिस पर 750 करोड़ रुपये खर्च हुये थे, राजीव गांधी ने दिये थे, यह मंत्री महोदय उसका जवाब दें मुझे।

दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं वह यह है कि एक तोरावाटी....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बोलने दें बुजुर्ग सदस्य हैं।

श्री भीखाभाई : शेखावाटी और यह बीकानेरवाटी, उसमें एक तर्क इसमें बनता है मरूस्थल भूमि की समस्या है और यह पहाड़ी क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र की जो उप योजना क्षेत्र है जितने भी गरीब आदिवासी हैं, जो आदिवासी वर्षों से उसी स्थिति में हैं जब कि खान वालों ने खानें ले ली, वन वालों ने वन ले लिये मह की उपज ले ली है और कुछ भी नहीं मिलता है और +++ गरीब लोग गुजरात जाकर रहते हैं। मैं एक सवाल उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जीवन यापन के उनके साधन क्या होंगे। इनका इस साल का जो बजट आया है उस बजट में आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं माननीय मंत्री जी से मिला था उनके मन में दया

शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया

(श्री भीखा भाई)

है और उन्होंने कहा कि मैं इसको स्वीकार करूंगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी जो हमेशा हिसाब बताकर स्वायत्तता की बात करते हैं जब मैं नेशनल कमीशन का चेयरमेन था तब मैंने उनसे इस सम्बन्ध में बात की थी, स्वायत्ता के सम्बन्ध में, आदिवासी क्षेत्र को आटोनोमी दी जाय, वह आटोनामी दी नहीं है और आटोनामी नहीं होकर के इस साल के बजट में भी केवल एक छात्रवास और एक बालिका विद्यालय....

श्री सभापति : अकाल पर बोलिए माननीय सदस्य।

श्री भीखा भाई : मैं यह कह रहा था कि बहुत बड़ी चीज है, एक नहर है, उस नहर का काम शुरू हुआ था 1987–88 में अकाल के समय में, जो मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है।

श्री सभापति : उसका काम पूरा किया जाना चाहिए।

श्री भीखा भाई : नहीं, नहीं, प्रावधान भी नहीं है यह 1987–88 में नहर खुली है जैसे माही नहर है यह भी बांसवाड़ा की माही नहर होगी और तीन पंचायतों को सिंचित करेगी–आसपुर, सागवाड़ा और सिमलवाड़ा उसके लिए इसके अन्दर कोई प्रावधान नहीं है। इतने दिन तक सरकार खामोश बैठी रहे और कोई काम नहीं करवाए यह कोई हो सकता है क्या? माही की माही और बांसवाड़ा की माही यह डूंगरपुर की माही है उसकी प्रत्यक्ष में योजना बनानी चाहिए थी, कनेडियन बांध बनाया जाना चाहिए था, कोई भी बाह्य हेल्प लेकर उसका काम कराया जाना चाहिए था लेकिन न तो प्रावधान है और न प्रोविजन है न अकाल में व्यवस्था है। इसलिए अकाल राहत मंत्रीजी कृपा करके आदिवासी क्षेत्र के अन्दर जो भाग्य रेखा है, जीवन रेखा है आप इसका प्रावधान करके इसको शुरू करवा दीजिए। इस वक्त मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा निवेदन यह है कि कम्युनिटी लिफ्ट सिंचाई योजना है, हमारे यहां परेनियल वाटर नहीं। लेकिन जो कड़ाणा बांध है जिससे लोग घिरे हुए हैं, जो 117 गांव डूब में आए हैं डूब में आने वाले गांवों के आस पास पानी आ गया है, पहाड़ियां है, ऊंची पहाड़ियों पर लोग रहते हैं वहां ऐसा नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं उसके अन्दर मैं यह चाहता था कि आपकी कृपा हो, राज्य सरकार की कृपा हो तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर आपको कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम योजना बनानी चाहिए। मैं माननीय श्री चतुर्वेदीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति : अब समाप्त करें माननीय श्री भीखा भाई।

श्री भीखाभाई : वह बिजली का प्रबन्ध कर दें, लिफ्ट इरिगेशन योजना बनावें। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री कन्हैयालाल मीणा अन्तिम वक्ता होंगे।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की 51 ग्राम पंचायतें हैं उनमें से 7 ग्राम पंचायतें छोड़ दी गई हैं जिनको अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है और वह ऐसी पंचायतें हैं उन पंचायतों के नाम ऐसे गांवों के नाम मैं आपको बताऊंगा जिनमें भी गई बार भी राज्य सरकार ने टैंकरों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की थी और अबकी बार भी वैसे जिलाधीश महोदय उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं जिससे पानी टैंकरो से पहुंचेगा तब जाकर उनके पानी की समस्या हल होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ग्राम पंचायत बड़वा, पड़ासौली, टेकड़ा, बैनाड़ा और बांसखो ये ऐसी पंचायतें है जो अकालग्रस्त जो एरिया है शायद जयपुर जिले में सबसे ज्यादा अकाल से ग्रसित पंचायतें है और इनमें जो गांव हैं बाबूपुरा है, नांगल बोरा है, पईपुरा है ऐसे गांव हैं इन गांवों में गई बार भी टैंकरों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था हुई थी और अब की बार भी पेयजल की व्यवस्था टैंकरों से होगी और इन्हीं पंचायतों के ये गांव हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इन गांवों को भी अकाल ग्रस्त घोषित किया जाए।

साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल के तहत जो एनीकट के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया कि जो बनाये जाएं उनसे दूसरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पानी नहीं पहुंचता है। यह बिल्कुल निराधार असत्य है जो विभाग ने प्रश्न का उत्तर में भी बताया है वह गलत उत्तर दिया है। बस्सी में जो 9 एनीकट्स हैं जिसमें दोपर है, जटवाड़ा है, टेटड़ा है, खालियावास बांध है जो टूट गए थे और उनके अन्दर अकाल कार्यों के तहत 1-1, 2-2 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं तो उनसे करीब 10-20 गांवों का, यह एरिया डार्क जोन से ग्रसित है, उससे डार्क जोन से उस एरिया को मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन एनीकटों के लिये कोई ऐसी व्यवस्था की जाएं, उनको स्वीकृति दी जाए जिससे उन एनीकटों के माध्यम से जो कुवें सूखे हुए हैं उनमें पानी आ सके और पेयजल की समस्या हल हो। साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री सभापति : बिराजिए माननीय सदस्य। चर्चा समाप्त हुई माननीय सदस्य श्री कन्हैयालाल जी बिराजें,

श्री कन्हैयालाल मीणा : 5 मिनट तो दे दें साहब।

श्री सभापति : बिराजें। चर्चा समाप्त हुई। माननीय खनिज मंत्री महोदय। (व्यवधान).... बोल लिए, सब को बुलवा दिया मैंने। माननीय खनिज मंत्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, खनिज की मांग स्वीकार करवाने के लिए आज सार्थक चर्चा हुई है और कई कटौती प्रस्ताव आए। सारे स्वीकार किए गए, एडमिट किए गए हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितनेकटौती प्रस्ताव आए हैं, सब को मैंने देखा है और कटौती प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य जिन्होंने यहां पर अपने विचार भी रख दिए हैं और जिन्होंने अपने विचार नहीं रखे हैं।

(श्री कैलाश मेघवाल)

सभी कटौती प्रस्तावों के उत्तर कल उनको डाक के द्वारा उनके घर पर भिजवा दिए जाएंगे और यह इसलिए भी आवश्यक है कि उसमें जिस उद्देश्य से.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) :- कल ही ?

श्री कैलाश मेघवाल : कल ही, कल ही सब तैयार हैं केवल दस्तखत करके कल डाक में डाल देंगे इसके बाद, डाक तो इसके बाद ही आएगी ना। यह इसलिए आवश्यक है कि आखिर हर माननीय सदस्य ने अपने कटौती प्रस्ताव किसी न किसी उद्देश्य से दिए हैं। जैसे शेरगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने बालेश्वर में होने वाले अवैध खनन के बारे में दिए हैं इस प्रकार से आपने भी 3-4 प्रस्ताव बेरोजगारों के लिए अनुसूचित जाति जन जाति के लिए हैं, तो सब के कटौती प्रस्ताव जो हैं उनके जवाब तैयार कर लिए गए है सबके यहां भिजवा दिए जाएंगे।

मैं, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों का हृदय से आभार प्रकट करता और इसलिए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि खनिज के बारे में सब की दिलचस्पी है, खनिज विभाग का कार्य किस तरह से सुधरे, खानों का राजस्थान में किस तरह से विकास हो, खानें राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था में किस तरह से ज्यादा प्रभावी बनें इस बारे में सब के रचनात्मक सुझाव हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं। मुख्य रूप से कुछ मुद्दे उभरे हैं, एक मुद्दा जो उभरा है, माननीय सभापति महोदय, वह यह है कि राजस्थान में अवैध खनन भी चल रहा है और खानों का वैज्ञानिक दोहन भी नहीं रहा है। जब वैज्ञानिक दोहन नहीं हो रहा है इसके कुछ हिस्टोरिकल्स रीजन्स हैं। इसका कारण यह है कि आज हम वैज्ञानिक दोहन की बात करते हैं, साइन्टिफिक माइनिंग की बात करते हैं, टैक्नीकल एडवान्टेज जितने आ गए हैं लेकिन हमारे यहां खानों का काम बहुत पुराने वक्त से होता चला आ रहा है सैंकड़ों साल पहले यहां पर जो जावर की खानें हैं, जावर माइन्स कहलाती हैं यह क्रूड्स मैथड्स और ओरिजनल मैथड्स, जैसे अजमेर में लोहा खान है ताम्बा खान है इस तरह की सारे राजस्थान में आपको जगह जगह मिलेंगी। वहां से निकल कर आज हमने एक लम्बा सफर तय किया है और एक अच्छा सफर तय किया है।

सभापति महोदय। मैं माननीय सदस्यों को आपके द्वारा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रमुख स्रोत तो यह है नहीं राजस्थान की आय का लेकिन प्रमुख स्रोत बनने की ओर आगे खान का आधार बनता चला जा रहा है यह कहने में मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। उससे लगेगा कि खान के क्षेत्र में, खनिज के क्षेत्र में हम किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उसका कारण बताऊं 1956-57 में जहां पर हमारे 4 करोड़ 85 लाख की खनिज उत्पाद का सैल होता था, 4 करोड़ 85 लाख का और यह लगातार आंकड़े दूं, 1970-71 में 15 करोड़ 93 लाख का हुआ, उसके बाद 1980-81 में 281 करोड़ 24 लाख का हुआ और 1992-93 में आकर के 644 करोड़ 85 लाख का हमारे यहां उत्पाद हुआ है खानों का और वह बिका है। यह आंकड़े

(श्री कैलाश मेघवाल)

सामने इसलिये रखे हैं कि खनिज हमारा बहुत अच्छा है. आर्थिक आधार बनता जा रहा है। यह एक सौभाग्य की बात है सभापति महोदय, कई मामलों में राजस्थान खनिज के मामलों में वैसे ही रिच है, एक अजायबघर है और कुछ में हमारी मोनोपोली है। हमारे यहां अभी जैसा पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक कह देंगे कि '68' तरह के खनिज हैं या 66 तरह के उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि जिस वर्ष की जो रिपोर्ट बनती है, उस साल जिस तरह की जिन खानों का खनिजों का माइनिंग होता है, उस हिसाब से गणना होती है। कभी वह 67 होती है, कभी 66 भी होती है और खनिज व्यवसाय से संबंध रखने वाले जो माननीय सदस्य हैं, वे यह भी जानते हैं कि एक दो ऐसे भी है, जैसे लाइमस्टोन को मेजर में भी गिन लिया जाता है और माइनर में भी गिन लिया जाता है। जैसे मार्बल है वह ब्लॉक्स में हैं और खांडा में भी है तो इस तरह यह गणना है लेकिन हमारे यहां अधिकाधिक खनिज मिलते है और उसमें अप्रधान तो है 23 तरह के, उसको 24 तरह का भी कह सकते हैं और प्रधान खनिज 42 तरह के हैं। अब इन खनिजों में जैसपार में गारनेट जैक वोलेस्टोनाइट हिन्दुस्तान में केवल राजस्थान में मिलता है और कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है और राजस्थान में ही जिनका खनन होता है वे खनिज है जिंक कन्सन्ट्रेट जिप्सम, फ्लोराइड ग्रेडेड, एस्बेस्टस, केलसाइट, ये वे खनिज हैं जिनका खनन राजस्थान में ही होता है, दूसरी जगह उपलब्ध हैं लेकिन वे वाइबल यूनिट नहीं है, वे नहीं हो पाते हैं और इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कुछ ऐसे खनिज हैं जिनमें राजस्थान प्रमुख उत्पादक है जैसे लीड कंसट्रेट का 77 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में हो रहा है सारे देश का टंगस्टन कंसट्रेट 56 प्रतिशत राजस्थान में उत्पादन होता है, फोस्फोराइट्स 62 प्रतिशत उत्पादन होता है, केओक्लीन का 44 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में होता है सारे देश का, बारका 55 प्रतिशत उत्पादन होता है, सोप स्टोन 85 प्रतिशत और उसके बाद में फ्लोस्पार का 70 प्रतिशत, इस तरह टोटल अप्रधान खनिज का 50 प्रतिशत देश का हमारे यहां पैदा होता है और हम उसका उत्पादन करते हैं। यह स्थिति मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि जिस चिन्ता को माननीय सदस्यों ने कहा है कि राजस्थान में खनिज का काम बढ़ना चाहिये, वह चिन्ता उसकी वाजिब है।

[20.32]

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, 1952-53 के आंकड़े अगर आपको दूं तो हमारे यहां प्रधान खनिज की 1325 खानें थी और अप्रधान खनिज की 10851 खानें थीं, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस 234 थे और क्वेरी लाइसेन्स 17,261 यह मैंने आपके सामने आंकड़े रखे हैं इसमें करीब-करीब 17 प्रतिशत गरीब वर्गों के पास खाने हैं। मैं इस अवसर पर आपके द्वारा सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं, यहां बड़ी चिन्ता व्यक्त की गयी कि खानों के खनन में हिस्सेदारी गरीब वर्गों की होनी चाहिये, अनुसूचित जाति-जनजाति की होनी चाहिये, ओ. बी. सी. की होनी चाहिये, एक्स-सोल्जर्स की होनी चाहिये और अन्य गरीब वर्ग की होनी चाहिये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का सोच बहुत साफ है और राजस्थान में खनिज प्रमुख सम्पदा है, आर्थिक समृद्धि का आधार है, आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ने का आधार है और इस आधार पर एस. सी. एस., टी. पिछड़ी जातियां, अन्य गरीब वर्ग और समाज के प्रत्येक वर्ग की हिस्सेदारी हो इसमें, और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, अब जो खानें दी जायेंगी, जो खनन पट्टे दिये जायेंगे, उनमें इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखा जायेगा कि ये वर्ग खानों से लाभान्वित हों और आर्थिक हिस्सेदारी इनकी खनन सम्पदा में हो और अपनी प्रगति कर सकें। वैसे वर्तमान में जो व्यवस्था है अभी भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, जो चल रही है माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत के मुख्य मंत्रित्व काल में आप देखिये जो हम क्वेरी लाइसेंसेज देते हैं, अब वे क्वेरी लाइसेंसेज, आज की व्यवस्था के हिसाब से manual workers belonging to Scheduled Caste, Tribes employed in mines जो मजदूर हैं एस. सी. एस. टी. के जो खानों में काम करते हैं उनके लिए 10 प्रतिशत पट्टे रिजर्व हैं क्वेरी लाइसेंसेज के Manual workers other than Scheduled Caste, Scheduled Tribes

दूसरे खनिज मजदूर हैं उनके लिए 20 प्रतिशत रिजर्व रखे हैं क्वेरी लाइसेंसेज के Persons belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribes.

तो पहले खानों में लगे हुए थे वे, हैं, उनके लिए 20 प्रतिशत लाइसेंसेज का अलग है Persons selected under integrated rural development programme of the State Government.

उनके लिए 10 प्रतिशत पट्टे रिजर्व हैं, Village artisans and landless labourers,

उनके लिए 10 प्रतिशत पट्टे रिजर्व हैं. Ex. soldiers including members of para military forces belonging to Rajasthan who have been permanently disabled and dependents of those who have been killed in action.

उनके लिए 10 प्रतिशत पट्टे रिजर्व हैं और राजस्थान सरकार के वे कर्मचारी जो किसी एक्सीडेंट में स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं, उनके लिए 10 प्रतिशत पट्टे रिजर्व हैं। 90 प्रतिशत क्वेरी लाइसेंसेज रिजर्व में आते हैं अंदर एप्लीकेन्ट्स के लिए 10 प्रतिशत हैं तो यह भी व्यवस्था इसलिए रखी कि क्वेरी लाइसेसेन्ज छोटी खानों में होता है और उसमें हमने पर्याप्त रूप से बड़े ठेकेदार नहीं आये, या बड़े ठेकेदार नहीं आये, या बड़े धनवान नहीं आये, यह इसलिए कर रखा है।

मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो अदर माइनर लीजेज है, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा तो उसमें भी इन वर्गों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी और यह यह निश्चित किया जायेगा कि उनको हिस्सेदारी मिले (व्यवधान) नहीं, यह नहीं। मोटा जवाब दूसरा है अध्यक्ष महोदय। सवाल यह है कि यहां बहुत बड़ी चिन्ता व्यक्त की गई और वह चिन्ता लगातार

(२५०)

(श्री कैलाश मेघवाल)

1977 से 1980 तक मैं खनिज मंत्री था. उसके बाद विपक्ष में बैठते थे. उसके बाद इस बार भी, पिछली बार भी एक चिन्ता हुई थी कि अवैध खनन एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है और रायल्टी का लीकेज भी बहुत बड़ी समस्या हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, अवैध खनन के मामले जिस तरह से सामने आते हैं और जिस तरह अवैध खनन होता है, वह एक बडी गम्भीर समस्या है उस पर पार पाने के लिए, कम से कम अवैध खनन हो इसके लिए लगातार विभाग भी प्रयत्नशील है, विजिलेंट सैल भी है और रायल्टी लीकेज नहीं हो लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब हम इस निर्णय पर पहुंचे है, राजस्थान सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि एक विशेष कानून बनाया जायेगा जो अवैध खनन होता है उसमें दण्ड का प्रावधान रखा जायेगा कि वह साबित करें कि अवैध खनन है कि नहीं है और जहां खनन पाया गया तो उनको दण्डित किया जायेगा। इसके लिए विशेष कानून की व्यवस्था की जा रही है और उस कानून में जो एम. ई., ए. एम. ई., फौरमेन हैं जिसके ऊपर दायित्व हैं आखिर जो खानों में अवैध खनन हो रहा है, मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं, और खनिज मंत्री के नाते सरकारी पक्ष की ओर से मानने को तैयार नहीं हूं कि जानकारी नहीं है, जानकारी है कई कारणों से (व्यवधान) मैं यह तो नहीं कहता लेकिन जिस तरह से अवैध खनन चल रहा है देख रहा है सारा कुछ हो रहा है अब उसमें हमारे एम. ई. ए. एम. ई., फौरमैन जिनको पर्याप्त रूप से सारे साधन सुविधाएं दे रखी हैं, जिनकी जानकारी रखने की जिम्मेदारी हैं, उनके ध्यान में यह बात नहीं आये, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं और इसलिए उस कानून में इस तरह के प्रावधान रखे जाएंगे कि इस तरह की बात अगर उनकी जानकारी में है तो उनको किसी सीमा तक दायित्व निर्धारित किया जाय और किस तरह से उनको भी दण्डित किया जाय क्योंकि यह समस्या अवैध खनन की हल हो जाती है तो हमारे खानों के क्षेत्र बढ़ेंगे, खानों को अलाट करने में भी बढ़ेंगे और उसके साथ-साथ रायल्टी भी बढ़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब रायल्टी लीकेज का दूसरा मसला सामने आता है। रवन्ना कई तरह से काटा जाता है और उस रवन्ना की वजह से कई गड़बड़ियां सामने आती हैं और इस तरह की शिकायतें हैं कि एक बार रवन्ना लेकर के निकलने के बाद, उस रवन्ने से एक बार गाड़ी निकल गई तो वही रवन्ना दूसरी बार गाड़ी में निकालते हैं और जिस तरह से उसके आधार पर रवन्ने का दुरुपयोग होता है तो इस बात पर भी गम्भीर विचार चल रहा है और खनिज व्यवसाय से सम्बन्धित हमारे अनुभवी मित्र हैं मैं उनसे भी राय लूंगा और विभाग के जो अनुभवी लोग हैं उनसे भी राय लेकर यह तय किया जायेगा कि रायल्टी का लीकेज कम से कम हो और होवे ही नहीं, पहला प्रयत्न तो यही रहेगा कि होवे ही नहीं रायल्टी का लीकेज और जो हो रहा है, वह कम से कम हो, ऐसी एक फुलप्रूफ व्यवस्था हम लाना चाहते हैं जिससे सरकारी कोष में आय हो

(श्री कैलाश मेघवाल)

और वह आय विकास के काम में अधिकाधिक लगे।

इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, लीकेज तो होगा। कम से कम हो, होवे ही नहीं हमारी इच्छा है।

कुछ प्रश्न यहां पर उठे। केन्द्र सरकार की नीति राजस्थान के खनन के मामले में आड़े आ रही है। माइन्स एण्ड मिनरल्स रेगुलेशन एण्ड डवलपमेन्ट एक्ट है। इसके शिड्यूल (1) अध्यक्ष महोदय, यहां खनिज से सम्बन्धित पुराने अनुभवी लोग है। शिड्यूल (1) में जो खनिज केन्द्र सरकार ने अपने पास ले रखे हैं। मेरा यह मानना है कि शिड्यूल (1) के जो खनिज हैं वो सिवाय विलम्ब करने के और सिवाय बाधा डालने के और कोई परपज नहीं है, मैं अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करना करना चाहता हूं कि मैं 7 तारीख को खान मंत्रियों के सम्मेलन में दिल्ली गया था और मैं जब दिल्ली गया था तो मैंने एक स्पष्ट प्रश्न केन्द्रीय खान मंत्री जी और उनके सचिव से पूछा था कि आप तो मुझे एक सवाल बता दीजिए कि यह शिड्यूल (1) की जो मिनरल्स आपने अपने पास ले रखी हैं इनसे आप किस तरह से लाभान्वित होते हैं और केन्द्र सरकार का क्या नियन्त्रण रहता है। सिवाय इसके कि राज्य के खान देने की जो प्रक्रिया है उसको विलम्बित करते हो और उसमें देर करते हो और इसलिए मैंने वहां एक मांग की है और मांग इसलिए की है कि वहां एक षड्यन्त्र चल रहा है। हमारे यहां ग्रेनाइट बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। ग्रेनाइट के 3-4 हजार पट्टे हम दे चुके हैं और आगे देने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेनाइट इन्टरनेशनल मार्केट पकड़ रहा है केन्द्र सरकार ने एक षड्यन्त्र चला है दक्षिण के कुछ ग्रेनाइट लीज होल्डर्स को लाभान्वित करने के लिए कि वो शिड्यूल (1) में ग्रेनाइट को लेना चाह रहे हैं। उन्होंने सर्वे कराया है और हम जब गए तो वहां सारे खान मंत्री एक मत से इस राय के थे कि ग्रेनाइट को नहीं लिया जाय। वहां जो कोंसेसस जो डवलप हुई वह यह हुई कि आपने जो शिड्यूल (1) में मिनरल्स ले रखे हैं उन सबको शिड्यूल (1) को ही डिलीट कर दिया जाय और शिड्यूल (1) को डिलीट करने के बाद मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं अगर कोई एट्रामिक मिनरल्स हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, हमारी सुरक्षा के महत्व के हैं तो उन मिनरल्स को वे अपवादस्वरूप अपने पास रखें। बाकी मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां जैसे अभी बात उठी थी लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन तो हमारे यहां प्रचुर मात्रा में हैं और मेरे ख्याल से खनिज क्षेत्रों से आने वाले सभी माननीय सदस्यों ने विचार रखा है कि लाइम स्टोन का हमारे यहां प्रचुर मात्रा में दोहन नहीं हो रहा है। एक लम्बे अर्से से हमारी नोर्म्स एप्लीकेशन्स दिल्ली की सरकार में पड़ी है। कारखाना लगाने वाले तैयार हैं, पूंजी लगाने वाले तैयार हैं लेकिन वो वहां से क्लियर नहीं हुई। केवल लाइम स्टोन की 9 या 10 एप्लीकेशन दिल्ली में पेंडिंग पड़ी है और लाइम स्टोन के अलावा 18 एप्लीकेशंस जो दूसरे मेजर मिनरल्स हैं जिनके लिए केन्द्र सरकार में पड़ी है वहां से क्लियरेंस नहीं मिलता और मैंने स्पष्ट पूछा था कि बताइये कि कारण क्या है कि इनको आप यहां पेंडिग रखना

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहते हैं और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से और सभी सदस्यों को विश्वास में लेकर केन्द्रीय सरकार से एक बार फिर अपील करता हूं। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने तो माननीय प्रधान मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में पत्र भी लिखा है कि आप इसके औचित्य को, हमारी मांग को स्वीकार कीजिए। सारे देश के खान मंत्रियों की राय है और यह शिड्यूल (1) को डिलीट कर लीजिए और इसीलिए हमने यह मांग रखी है और मैं सदन को भी इस बारे में विश्वास में लेना चाहता हूं कि हम बार-बार यह दिल्ली में मांग रखेंगे। अभी खेतड़ी से आने वाले माननीय विधायक आपके द्वारा आसन के द्वारा दिल्ली भिजवाना चाहते थे। हमारे पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक ने तो बड़ी चिन्ता प्रकट की कि खेतड़ी कॉपर का क्या होगा। अब चिन्ता यहां व्यक्त कर रहे हैं। नीति दिल्ली की, एक्साइज ड्यूटी इंपोर्ट पर कम कर दी और एक्साइज ड्यूटी कम करने से बाहर से आने वाला कॉपर सस्ता आयेगा। आपका खेतड़ी का कॉपर महंगा जाने के साथ में मांग करता हूं कि इस तरह के जो बेस्ट मेटल्स हमारे देश में हैं उन मेटल्स का पहले दोहन होना चाहिए और पहले दोहन होने के बाद ही उनकी कांपीटीशन में बाहर की जो उदारीकरण की नीति जो इस देश में मल्टीनेशनल्स के द्वारा घुस रही है वो इस देश में बेस्ट मेटल्स और बेसिक इण्डस्ट्रीज को जो प्रभावित करती है उसको रोका जाना चाहिए और उसको किसी रूप में हिन्दुस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे।

आज हमारे यहां का खनिज दोहन नहीं कर सके हैं आप। यह हालात रॉक फास्फेट की हो रही है। जिस रॉक फास्फेट के बारे में, आसबेस्टस के बारे में हम चिंतित होते चले जा रहे हैं। तो यह जो अन्तरराष्ट्रीय उदारीकरण जो हमारी इकोनोमिक्स में आया है उस अन्तरराष्ट्रीय उदारीकरण को इस तरह फेज आउट किया जाना चाहिये कि जिससे हमारे देश के जो मेटल्स हैं उनके एक्स्प्लोयटेशन में किसी तरह की बाधा नहीं आवे। हम इस नीति को चाहते हैं और इसी पर हम लगातार चलते रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी चिन्ता का विषय है। दो एक्ट है। एक तो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 और दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986। ये दोनों एक्ट हैं इनके प्रावधान आज राजस्थान की खनिज गतिविधियों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं और हमारे खनिज के विकास में बाधक बन रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उस बात से सहमत हूं। हमारे उस पक्ष से बोलने वाले एक माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि यह अन्तरराष्ट्रीय षड्यंत्र है और मैं भी इससे इसलिए सहमत हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी कई अन्तर्राष्ट्रीय देशों की यात्रा कर चुके हैं। आज पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे अधिक कोई जिम्मेदार हैं तो ये विकसित देश हैं। इन विकसित देशों ने जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषण करके आज ओजोन परत में जिस प्रकार की कमी आती है जिस

(श्री कैलाश मेघवाल)

तरह वा उसमें छेद पड़ता जा रहा है उसकी चिंता उनको सता रही है और अपने किए कराये का वे घाटा पूरा करना चाहते हैं इन विकासशील देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाकर, यह एक षड़यंत्र है, इस बात से मैं मना नहीं करता वन बढ़ने चाहिए, वृक्षारोपण होने चाहिए, हमारे यहां वनों का भू-भाग बढ़ना चाहिए, हमारे यहां पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए लेकिन यह अन्तरराष्ट्रीय दबाव भी कुछ है जिससे वे अपने किए खरावे का सारी दुनिया में क्योंकि पर्यावरण ही एक ऐसा विषय है that if you urinate here it will affect the entire world. पर्यावरण में दुनिया एक इकाई के रूप में है और उस इकाई के रूप में पर्यावरण का हमारे पर प्रतिबंध लगा दिया। वह प्रतिबंध यह लगा दिया रिजर्व फोरेस्ट और कोई गेम सेंचुरी के 5 किलोमीटर की परिधि में कोई खान नहीं दी जायेगी और न नवीनीकरण किया जायेगा।

श्री विष्णु मोदी: यह हट गया साहब।

श्री कैलाश मेघवाल: है अभी वह। फोरेस्ट एक्ट के अन्तर्गत भी जो एक्ट आया तो हमारा यह निवेदन है कि हम यह चाहते हैं कि फोरेस्ट भी रहे लेकिन केन्द्र सरकार के दो विभाग हैं ये हर्डल्स ज्यादा पैदा कर रहे हैं। व्यावहारिक धरातल पर उनसे चर्चा करने को तैयार है। माननीय मुख्य मंत्रीजी पिछली बार भी बार-बार जाते थे, पर्यावरण मंत्रीजी के यहां भी जाते थे और उनसे स्पष्ट बात करते थे कि आप आइये। आखिर यह संतुलन बिठाना पड़ेगा कि आज खनिज विकास और औद्योगिक विकास एवं उसकी बजाय कहां पर जंगल लगाये जा सकते हैं, कितनी भूमि निकलनी है, कितनी नहीं निकलती है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को विश्वास में लेकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम केन्द्र सरकार के सामने भी इस बात को बार-बार रखेंगे कि हमारे यहां इस संतुलन को कायम रखिए। हम चाहते हैं वृक्ष हो, हम चाहते हैं पर्यावरण ठीक हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे देश की, हमारे राजस्थान की जो खनिज गतिविधियां हैं वे बिलकुल बंद हो जाय और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाय। इस मामले में हम केन्द्र सरकार से भी लड़ेंगे और मेरा विश्वास है कि केन्द्र सरकार के वर्तमान खनिज मंत्रीजी और वर्तमान खनिज सचिव दोनों का सोच इस मामले में है। पिछली बार जब मैं खान मंत्रियों के सम्मेलन में गया था तो मैंने यह चर्चा छेड़ी थी और चर्चा के आधार पर मैंने उनसे निवेदन किया था कि इस पर बैठकर व्यावहारिक धरातल पर सर्वे कराकर एक ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि जंगलात भी कायम हो, आगे बढ़े, पर्यावरण भी ठीक रहे और राजस्थान की खनिज गतिविधियां भी तेजी से आगे चले यह मेरा विश्वास है। मैं सोचता हूं माननीय अध्यक्ष, सदन इस बात को और हमारी नीति को स्वीकार करेगा।...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में कहें।

(२५५)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय सदन का मूड मैं समझ रहा हूं लेकिन मैं एक-दो बातें और निवेदन कर देना चाहता हूं । अभी कुछ खनिज ऐसे हैं जो अन्तरराष्ट्रीय बाजार को पकड़ रहे हैं। अन्तराष्ट्रीय बाजारों में हमारा वोल्लनाइट जाता है, ग्रेनाइट जाता है, मार्बल जाता है कोटा स्टोन जाता है सेंड स्टोन जाता है, एक्वाबेरिन जाता है और सोफट स्टोन जाता है । इनसे हम फोरेन एक्सचेन्ज भी अर्न करने के साथ जो अन्तरराष्ट्रीय बाजार है, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अधिक से अधिक इस तरह के जो खनिज हैं जो अन्तरराष्ट्रीय बाजार में बिकते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा दोहन यहां पर हो और इसके लिए वित्त व्यवस्था कैसे हो .... (व्यवधान)

अभी कुछ गड़बड़ है, इस माइनिंग को इण्डस्ट्री नहीं माना गया है । इण्डस्ट्रीज. की तरह से ही हालांकि कई तरह से इसको सहयोग मिलता है । तो हमारी यह भी कोशिश रहेगी कि खनिज क्षेत्र में आने वाले जो व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं उनको अधिक सेअधिक हम प्रोत्साहन दे सकें। राजस्थान में वह आये और आकर यह अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जो खनिज बिकता है उसमें वह ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और हमारे खान के इस काम को बढ़ायें । एक सवाल यहां यह भी उठाया कि बड़ी खानें, छोटी खानें किस तरह की खानें, तो माननीय अध्यक्ष महोदय ....(व्यवधान) खान के पट्टे देने की नीति ऐसी तय की जायेगी कि जिस स्तर के....

श्री परसादीलाल मीणा : पूरा जवाब दो आप तो ।

श्री कैलाश मेघवाल : इसका कारण है अध्यक्ष महोदय, जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट की कई बड़ी यूनिट लगा सकता है बड़ी पूंजी लगा सकता है और यह इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमने ग्रेनाइट की नीति जब तय की गई तो आज हमारे पास नौ सौ करोड़ रुपये के विनियोजन के कमिटमेंट्स हैं । इसमें हमको बड़ी लीज भी देनी पड़ेगी, छोटी लीज भी देनी पड़ेगी जिसकी जैसी हैसियत है । हम इसी तरीके की नीति मार्बल और दूसरे जो खनन हैं उस पर भी लागू करेंगे और इसलिए बड़ी के पट्टे भी दिये जायेंगे, छोटी के भी दिये जायेंगे, मझले भी दिये जायेंगे और छोटे-छोटे भी दिये जायेंगे और मेरा तो एक वह रहेगा इस मामले में कि छोटे-छोटे पट्टे लाटरी से और बड़े खनिज के पट्टे नीलामी से, इससे हम यह कोशिश करेंगे कि इसमें भ्रष्टाचार और जो अलॉट करने वाली एक व्यवस्था है उसमें कमी आये और भ्रष्टाचार के आरोप कम लगे, राज्य सरकार को अधिक से अधिक लाभ हो । यही हमारा निवेदन है । मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करता हूं कि...

एक माननीय सदस्य : बहुत हो गया ।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, दो सवाल पूछना चाहता हूं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसका क्या करेंगे, यह तो बता दो ।

श्री विष्णु मोदी : एक तो मेरा बहुत साफ आपके माध्यम से खनिज मंत्री महोदय से पूछना है कि राजस्थान में पिछले दो साल में जो माइन्स,...

श्री कैलाश मेघवाल : बात कर लेना, आपके ही हैं।

एक माननीय सदस्य : आपके पुराने सम्बन्ध हैं। हो गई, हो गई बात खत्म।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च ..

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, हमको कई क्वेश्चन्स पूछने हैं।

श्री अध्यक्ष : कौन पूछ रहा है? बैठ गये वह। बैठ गये। आप पूछ रहे हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कृपया आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कल सुबह लिखित में आयेगा आपके पास।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कौन ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जवाब।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, उस जवाब से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। आप हमको यह बतलायें कि आपने क्या पॉलिसी बनाई है, किस प्रकार से यह आवंटन होगा और आपने कहा कि मैं नया कानून बना रहा हूं, वह कानून कब तक प्रभावित हो जायेगा ?

एक माननीय सदस्य : यह इशारा कर रहे हैं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : यह इशारा करना संसदीय...

श्री खेतसिंह राठौड़ : और कब बनेगा? इन चार बातों का आप जवाब दीजिए। और मेरे यहां जो अवैध खनन हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या नीति रहेगी और किस प्रकार से आप बन्द करने जा रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : नियम बना रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : विस्तार से बताया है सारा।

श्रीमती कमला : बता दिया आपने।

श्री हरिसिंह महुआ : अध्यक्ष महोदय मंत्रीजी ने अवैध खनन को रोकने की जिम्मेदारी अपने स्टाफ पर डालने वाली बात कही है स्वागत है। लेकिन कुछ ऐसे खनन जिसके लिए माइन्स डिपार्टमेंट यह कह देता है कि यह फोरेस्ट एरिया में है, फोरेस्ट एरिया में जो अवैध खनन होगा उसको आप कैसे रोकेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बताइये मंत्रीजी, बोलिये।

श्री शांतिलाल चपलोत : मेरा भी एक प्रश्न है, छोटा सा ही प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री शांतिलाल चपलोत : प्रश्न यह है कि क्या हम इस प्रकार की कोई पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें कोई एडवाइजरी कमेटी माईनिंग में हो। बस इतना सा ही पूछना है।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या करोगे ?

246

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं शार्ट कट नहीं करता मेरे भाषण को, तो शायद यह सवाल भी, ऐसा है कि आपका सवाल तो बहुत साफ है, अगला विधान सभा सत्र जब भी चालू होगा उसमें हम उस लेजिस्लेशन को लेकर आयेंगे क्योंकि फुलप्रूफ करना चाहते हैं, सब तरफ से। अभी मेजर मिनरल्स तो जो है मेजर मिनरल कन्सेशन रूल, 1960 बने हुए हैं उसके अन्तर्गत दिये जाते हैं, वह व्यवस्था है और माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1986 अभी है, इस व्यवस्था के अन्तर्गत हम चल रहे हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने भी कुछ संशोधन किये हैं। वैसे वह सारे संशोधन अब मैं सुनाना चाहूं तो सुना दूंगा पर मूड में नहीं होंगे।

श्री खेतसिंह राठोड़ : नहीं।

एक माननीय सदस्य : इशारे में समझ जायेंगे वह।

श्री कैलाश मेघवाल : ऐसा है कि केन्द्र सरकार ने जैसे डीम्ड टू हैव बीन रिपयूज्ड अब जो खनिज विभाग से सम्बन्धित जितने भी हमारे माननीय विधायक या वह हैं वह चाहते हैं कि डीम्ड टू हैव बीन रिपयूज्ड का जो एक क्लाज है इन रूल्स में, वह हमारे लिए बहुत बाधा बनता है, लीज होल्डर्स को उससे बड़ा परेशान होना पड़ता है। तो हम यह विचार कर रहे हैं कि हम उसको डिलीट कर दें जैसे वहां पर यह व्यवस्था है, यह भी उठाया कि रायल्टी की वसूली में तकलीफ होती है, वह तकलीफ आती है तो रायल्टी की वसूली हम सेल्फ असेसमेंट के आधार पर, जिस तरह सेल्स टैक्स में हमने जो एक नीति अपनाई है उस तरह हम इधर भी लाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : हरिसिंहजी का सवाल है।

श्री विष्णु मोदी : लीज पीरियड।

श्री कैलाश मेघवाल : लीज पीरियड के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पांच साल....

श्री अध्यक्ष : यह उनका सवाल नहीं था। सवाल हरिसिंहजी का केवल यही है कि अवैध खनन जो हो रहा है तो माइनिंग वाले कह देते हैं उसको कि यह फोरेस्ट में है और फोरेस्ट वाले कह देते हैं कि माइन है इस तरह से वह अवैध खनन को चालू रखते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माइनिंग वाले कह देते हैं कि फोरेस्ट का है, फोरेस्ट वाले कह देते हैं कि राजस्व का, राजस्व वाले कह देते हैं, एक-दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी जो टालने की प्रवृत्ति है, इन लूप होल्स को प्लग किया जायेगा उस कानून में और जिम्मेदारी डाली जायेगी फोरेस्ट वालों पर भी, रेवेन्यू वाले आफिसर्स पर भी।

मांग संख्या 43 का पारण

श्री अध्यक्ष : हो गया आप बैठिये। प्रश्न यह है कि मांग संख्या-43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को रुपये 64,66,52,000 तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय मंत्रीजी ।

श्री सांवर लाल जाट (राज्य मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस वर्ष....

श्री रामनारायण चौधरी : इन पर तो आपने पहले ही कृपा कर दी ।

श्री सांवरलाल जाट : अब के बड़ी शांति से दूंगा । आप आराम से जो भी पूछना हो, पूछें । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हिन्दुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से प्रदेश है और राजस्थान में विभिन्न प्रकार की स्थितियां हैं । भरतपुर जाओ तो अलग, गंगापुर अलग, कोटा अलग और इधर हमारा थार का मरुस्थल और यह राज्य का दुर्भाग्य रहा है, अकाल पड़ना, यह कोई आज नहीं पड़ा है । वर्षो से 56 का अकाल मशहूर है, उसके बाद 96 में अकाल पड़ा, सम्वत् 2025.26, 29, 43, और 48, अकाल पड़ते आये हैं, यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है । अब अकाल के समय जो भी राजे-महाराजे हो या सरकार हो, अपने-अपने स्तर पर व्यवस्था करते हैं जनता के लिए, चाहे रोजगार की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो पेयजल के लिए हो, पशुओं को बचाना चूंकि किसानों का, गांव का मुख्य आधार ही पशु है, यह सारी व्यवस्थाएं सरकार करती है । इसमें सरकार के साथ सहयोग करने वाले और लोग जो स्वयंसेवी या धन्ना सेठ होते हैं वह भी उसमें सहयोग करते रहें । जहां-जहां जैसी-जैसी व्यवस्था जिस-जिस काल के अन्तर्गत रही है । सम्वत् 2025 को ले लो, 2026 को ले लो, क्योंकि काफी अकाल की छाया उस समय रही थी, खाने के लिए भी लोग तरसते थे, पता नहीं कहां-कहां से कैसा-कैसा अन्न उस समय लाना पड़ा और उसको लोगों ने खाया जिसको पशु नहीं खाता था । पर जैसी भी परिस्थितियां थीं, अब इस वर्ष भी राज्य के लगभग 22,586 गांव अभावग्रस्त घोषित हैं । सरकार की तरफ से लोगों को रोजगार मुहैया करवाने में बड़ी संवेदनशीलता बरती गई है । मैं आपसे निवेदन करूंगा, रोजगार चाहे अकाल राहत के तहत मिले, चाहे बाढ़ में तालाब टूटे, सड़कें टूटीं उनके तहत मिले या जवाहर रोजगार योजना के तहत मिले, किसी न किसी प्रकार से हमारा उद्देश्य यह है कि जहां पर लोगों को रोजगार की आवश्यकता है उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाय । मैं आपसे निवेदन करूं, सहायता विभाग के द्वारा 24 करोड़ 24 लाख रुपये....(व्यवधान) आप भी इतिहास के बैकग्राउंड में जाओगे तभी तो सारी चीज बताऊंगा मैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कैलाश मेघवाल बोले तब तो सुन रहे थे, अब अकाल पर बोल रहे हैं तब नहीं सुन रहे हैं ।

श्री सांवर लाल जाट : 24.24 करोड़ रुपये सिंचाई विभाग को उनके जो तालाब, बांध टूटे हैं 92-93 में, उनके लिए सहायता विभाग ने इस वर्ष जारी किये । इसी प्रकार पी. डब्ल्यू. डी. की जो सड़कें हैं या भवन हैं वह जो नष्ट हुए बाढ़ से, उसमें 26 करोड़ 39 लाख रुपये हमने रिलीज किये । जो पेयजल की योजनाएं विभिन्न जिलों की क्षतिग्रस्त हो गई थीं उनके लिए

२५४

(श्री सांवर लाल जाट)

हमने 3 करोड़ 90 लाख रुपये लगभग रिलीज किये। पी. एच. ई. डी. को हमने 7 करोड़ रुपये कन्टीजेंसी प्लान के अन्तर्गत दिये।

श्री रामनारायण चौधरी : अभी या पिछले साल ?

श्री सांवरलाल जाट : इसके अलावा अप्रेलसे ज्यों-ज्यों पेयजल के लिए आवश्यकता होगी, कन्टीजेंसी प्लान, वह देंगे। निश्चित रूप से हम यह प्रयास करेंगे कि उनको पैसा उपलब्ध करवायें। इसके साथ ही एक फरवरी से सरकार ने राहत कार्य खोलने के लिए घोषणा की और राहत कार्य प्रारम्भ हो गये। आप चाहें तो जिस–जिस जिले के अन्दर जिस–जिस तारीख को राहत कार्य शुरू हुए स्वीकृत हुए, वह तारीख मेरे पास टेबल पर है। तो उसको एक लाख तिरेपन हजार की सीमा हमने दी और उस महीने के अन्दर लगभग जो लेबर लगी है एक लाख तीन हजार छः सौ चौवन। मार्च के महीने में दो लाख सत्तावन हजार की सीलिंग हमने तय की है। सरकार की तरफ से जहां पर लोग रोजगार पर आना चाहें रोजगार की आवश्यकता हो पूर्ण व्यवस्था की गयी है। अलग-अलग निर्देश हमने जारी किये कि संबंधित जिला कलक्टर काम स्वीकृत करें, उसके बाद में तत्काल काम शुरू हो जाना चाहिये। [illegible] जिला कलक्टर्स [illegible] ई. ओ. [illegible] के अ[illegible] पंचायत [illegible] ी. ओ. [illegible] अलग परसन्टेज हमने निर्धारित किया कि वह कामों का सुपरवीजन करेंगे और एक निर्धारित समय के अन्दर सरकार के पास रिपोर्ट भेजेंगे कि जो काम चल रहे हैं उनकी गुणवता सही है कि नहीं है। वहां पर श्रमिक जो कार्य कर रहे हैं, वह सही है कि नहीं है। इसके अलावा, चारे के लिए जिन-जिन जिलों से हमारे पास डिमान्ड आयी है, उन जिलों को अनुदान के लिए हमने दो करोड़ रुपये रिलीज किया है। इसके अलावा चारे के लिए ऋण स्वयं सेवी संस्थाएं हों, चाहे को-आपरेटिव डेयरिज हो, कोओपरेटिव सोसायटी हो, कोई स्वयं सेवी संगठन हों ग्राम पंचायतें हों जो भी चारे की व्यवस्था कर सकती हैं, जिला कलक्टर को अधिकृत किया है कि उनको आवश्यकतानुसार चारा डिपो के लिए आप ऋण बिना ब्याज के दीजिये और यह भी व्यवस्था हमने शुरू कर दी है, कुछ जिलों के अन्दर चारा डिपो शुरू हो गये और जहां-जहां आवश्यकता है वहां पर चारा डिपो चालू किये। इसके साथ ही जिला स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर कमेटीज बनाने के लिए निर्देश सरकार ने जारी किये हैं। माननीय पुष्कर से आने वाले सदस्य ने एक आरोप लगाया है कि बी.जे.पी के जितने भी हारे, वह मेम्बर बना दिये गये। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह भैरोंसिंह जी का राज है, जिसमें कमेटी बनाने के लिए जिला कलक्टर्स को अधिकृत किया है, बाकी पहले यहां तक होता था कि कांग्रेस का अध्यक्ष जिला कमेटी का अध्यक्ष होगा। गैर राजनीतिक रूप से हमने सोचा है और यह डिस्क्रीशन कलक्टर्स को दिया है कि जिसको वह समझे इस अकाल के समय पर जनता की.... (व्यवधान) ....

श्री विष्णु मोदी : मैंने अजमेर पर स्पेसिफिक लगाया है कि अजमेर में आपने रमजान खान, मदनसिंह रावत और जगजीतसिंह उन चार में से आपने तीनों को, जिला जो समिति बनाई है, उसका सदस्य बनाया है।

श्री सांवरलाल जाट : नहीं, क्या आप यह कहना चाहते हो, हमने जिला कलक्टर के ऊपर छोड़ा है, क्या उनको समाज सेवी नहीं मानते हो जो आपसे तीन हजार वोटों में हार गया ? This depends upon the Collector. He decides कि कौन अकाल के अन्दर सहयोग करता है, कर सकता है, हमें मदद कर सकता है, जिला प्रशासन को, सरकार को, जनता को, उसको वह चुने। इसके लिए हमने यह नहीं कहा कि आप फलानी पार्टी के आदमियों को बनाइये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी को दाद दीजिए कि उन्होंने साहस के साथ स्वीकार किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जयपुर कांग्रेस के जिला प्रमुख को, प्रधानों को हमने मेम्बर बनाया। कमलाजी से पूछो वह तकलीफ नहीं हुई।.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : मुझे तो पता नहीं कमेटी कब और कैसे बनी, मुझे तो मालुम ही नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उस दिन आप कमेटी में थी मैं भी था और सुरेश जी भी थे।

श्रीमती कमला : कौनसी में ? जिले में तो हम एम. एल. ए. के नाते बने हैं।

श्री सांवरलाल जाट : मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस समस्या को राजस्थान सरकार ने मानवीय समस्या के रूप में लिया है, इसमें कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं बरता जा रहा है। कमेटी का गठन स्वतंत्र है, जिला कलक्टर और जिला कमेटी पंचायत समिति की कमेटी बनायेगी और पंचायत समिति वाली कमेटी ग्राम पंचायत में सदस्यों को, जिनका मनोनयन होना है वह करेगी। इसलिए इसमें किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं है। इसके साथ ही गौशालाओं के लिए अनुदान के आदेश हमने जारी किये हैं, असहाय पशुओं के या आवारा पशुओं के केम्प के लिये मैंने आदेश जारी कर दिये। तो मेरा कहने का निवेदन यही है कि सरकार पूरी तरह से जागरूक है और अभी दो लाख 57 हजार की एवज में एक लाख 33 हजार फेमिन में काम कर रहे हैं और इनके साथ ही टोटल राजस्थान में लगभग पांच लाख 60 हजार व्यक्ति रोजगार में हैं और मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं जहां पर भी आवश्यकता होगी, और काम खोलने के लिए सरकार वचनबद्ध है। जो परिचय पत्र का मामला आया मैंने झुन्झुनू कलक्टर से बात की, निर्देश जारी कर दिये। किसी न किसी कारण से या कन्फ्यूजन की वजह से यह बात हुई है, अगर भविष्य में यह शिकायत कहीं पर आवेगी, चूंकि हमने और रिमाइन्डर्स उनको दे दिये हैं कि अगर राहत कार्यों के ऊपर, चूंकि कुछ कन्फ्यूजन उनको यह हो गया कि भारत सरकार की योजनाओं के लिए लिए परिचय-पत्र की

(श्री सांवर लाल जाट)

आवश्यकता होती है राहत कार्यों के लिए किसी प्रकार के परिचय-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के विरुद्ध शिकायत मिलेगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या कार्यवाही होगी ?

श्री सांवरलाल जाट : क्या कार्यवाही होगी, क्या हो सकती है ? तो, माननीय अध्यक्षजी आपके राज में जो कार्यवाही होती थी उससे पुख्ता कार्यवाही होगी यह मेरा दावा है ओर मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता हूं कि 87–88 में आपकी सरकार बाड़मेर और जैसलमेर में लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं कर सकती थी, लोक दल के कार्यकताओं ने जाकर की थी। ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे भैरोंसिंह सरकार में ..

श्रीमती कमला : हमारा एक निवेदन है, एनीकट के बारे मे आप जवाब में उत्तर जरूर दें।

श्री सांवरलाल जाट : और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि एक अप्रेल से राजस्थान में पांच लाख श्रमिक सीमा तय की जायेगी और इसके अलावा भी आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से श्रमिकों की सीमा बढ़ाई जायेगी। इसके अलावा सरकार के पास विशिष्ट योजना संगठन के 200 करोड़ रुपये हैं, जिनका खर्चा हमें जून-जुलाई तक करना है। इसलिए सरकार की तरफ से मैं आप सभी माननीय सदस्यों को, चूंकि यह चिन्ता किसी एक की नहीं है ग्रामीण जनता की है और अकाल की तो भुगता है हमने, मुझे तो नींद भी नहीं आती अब आप में से कितने सदस्य उससे साक्षात हुए हों मुझे मालूम नहीं है, बाकी मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि यह सरकार जितनी संवेदनशील है, किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगी। कई माननीय सदस्यों ने कहा, पलायन हो रहा है, गुजरात में 50 रुपये मिल रहे हैं तो मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं अगर अमरीका में डाक्टर को 20 हजार रुपये मिलेंगे, यहाँ दो हजार मिलेंगे तो वह निश्चित रूप से अमरीका जायेगा। जो फण्ड हमारे पास हैं इस समय रेट बढ़ाने कि स्थति में नहीं है, चूंकि मेक्जिमम लोगों को कैसे एम्प्लायमेंण्ट इस दुर्भिक्ष के समय दिया जाय, this is the main aim of the Government. तो मैं आपको यही भरोसा दिलाता हूं।

श्रीमती कमला : एनीकट की बड़ी समस्या है....

श्री सांवरलाल जाट : एनीकट्स के बारे में, एनीकट्स राजस्थान के लिए बहुत आवश्यक है, मैं मानता हूं इसीलिए हमने एक निर्देश तो पहले जारी कर दिया कि जो टूटे हुए या अधूरे एनीकट्स हैं उन एनीकट्स को लिया जाए। अब उसके लिए ये एनीकट्स लेने हैं तो विभिन्न योजना संगठन है, पंचायत समिति है। सिंचाई विभाग के पास, चूंकि इनका कोई पर पंज सिंचाई का नहीं होता, कुओं का जलस्तर बढ़ाना या ड्रिंकिंग वाटर होता है इसलिए सिंचाई विभाग वाले पसन्द नहीं करते

(श्री सांवर लाल जाट)

कि हम एनीकट बनाये । तो दूसरी एजेन्सीज के माध्यम से अगर उनका प्रभाव सिंचाई विभाग के पास मेजर डैम के ऊपर नहीं पड़े तो निश्चित रूप से राहत विभाग को कोई एतराज नहीं है । इसके अलावा, पेयजल के लिए सामुदायिक गांवों के अन्दर कुएं खुदवाने की नहर खुदवाने की आवश्यकता होगी तो वह कार्य भी राहत विभाग स्वीकृत करेगा । इसके अलावा टांके, जहां पर पठारी एरिया, आदिवासी एरिया में टांकों की आवश्यकता होगी तो वह भी करेगा, बाकी कौन-कौन से काम इस राहत के अन्तर्गत स्वीकृत किये जा सकते हैं, इसके सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये । मैं तो आपको एक ही निवेदन करना चाहूंगा, जो भी आपके सुझाव आये उन सुझावों पर विचार करूंगा और निश्चित रूप से चूंकि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग काम की उपयोगिता हो सकती है तो जहां पर इस राहत के अन्तर्गत काम करवाया जाना जनहित में उचित होगा, निश्चित रूप से सरकार उस काम को स्वीकृत करेगी, इसमें किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिकेली वहां था....

श्री गुलाब सिंह : एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पेसिफिकेली पूछा था आज भी दिन में 12 बजे एक हजार आदमियों ने अजमेर कलेक्ट्रेट के ऊपर घेरा दिया है । मैंने अपने उसमें पूछा था कि पुष्कर, नसीराबाद और किशनगढ़ में एक चारा डिपो नहीं खोला है और उसके अलावा जो चारा डिपो, एक मिनट साहब मेरी सुन लीजिये ।

श्री सांवरलाल जाट : मैं बता दूं, आपको जवाब दे दूं इसका ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं आपको निवेदन कर दूं । जहां दो-तीन जगह खोले भी हैं, उनको एडवान्स नहीं मिला है । मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने कितने खोले हैं और अजमेर में कितने चारे के ट्रक आज तक आये हैं ?

श्री सांवरलाल जाट : एक मिनट पहले जवाब दे दूं ।

श्री अध्यक्ष : पहले गुलाबसिंहजी पूछें । मैं गुलाबसिंहजी का नाम पुकार रहा हूं, वह सवाल पूछ रहे हैं । आपको भी पुकारूंगा ।

श्री गुलाबसिंह (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार जब मैं बोला था, तो गायों के बारे में मैंने अर्ज की थी । इसलिए इस अकाल के अन्दर चारे की व्यवस्था का भी आप ध्यान रखें । दुधारू गायें चारे से बच पायेंगी वरना डेयरी का दूध तब बन्द हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सुन्दरलालजी ।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो अकाल राहत मन्त्री से

(श्री सुन्दरलाल)

आपके जरिए यह पूछना चाहता हूं कि झुन्झुनूं जिले में अकाल राहत में कितने लोगों को लगाया गया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री भीखाभाई।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यह निवेदन किया था कि डूंगरपुर जिले में माही नहर लायी गयी है 1987 में और उसका अर्थवर्क शुरू हुआ है। यह नहर 126 किलोमीटर लम्बी है। इसकी लागत 150 करोड़ रुपए की है तो उसको प्लान में लेकर के बजट में प्रोवीजन नहीं किया है मुख्य मंत्री जी ने तो माननीय अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन किया है कि कम से कम आप जितने भी अकाल राहत में तीन जिले तीन पंचायत समिति में कवरेज हो तो उस पर काम शुरु करवायें। दूसरा मैंने यह निवेदन किया है कि सामुदायिक लिफ्ट इरिगेशन योजनाएं जो कडाना में 117 गांव आते हैं उन गांवों में प्रारम्भ की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंहजी। बोल रहा हूं, आपका नाम भी आ जायेगा।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, माननीय सुन्दरलाल जी ने जो सवाल पूछा वह थोड़ा सा अधूरा रह गया झुन्झुनूं जिले के लिए आपने कितने का तो लक्ष्य रखा था और कितने मजदूर लग चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय अकाल राहत मंत्रीजी क धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा इनसे विनम्र निवेदन है कि इन्होंने सदन में जिस सहृदयता से घोषणाएं की है उन घोषणाओं को लिखित में इम्पलीमेंट करके जिला कलेक्टर्स को इन्सट्रक्शन दे दें तो बेहतर रहेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने एक अप्रेल से जो पांच लाख मजदूर लगाने की जो सीलिंग की घोषणा की है, बाड़मेर जिला जहां भयंकर अकाल है वहां कम से कम एक लाख मजदूर लगायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। श्री परसादी लाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दौसा जिले की कितनी लेबर सीमा है। कितने आदमी काम पर लगाये, कितने काम आपने सेंक्शन किये सिंचाई विभाग के उनमें से अब तक कितने चालू हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आपने और कलेक्टर महोदय ने काम स्वीकृत किये हैं लेकिन अलवर जिले की मुझे जहां तक जानकारी है ज्यादा तरपंचायत समितियों मेंकाम बिल्कुल शुरु नहीं हुये। एक दो कहीं

(श्री जुबेरखांन)

कहीं इक्के दुक्के शुरू किये हैं उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे। एक मेरा निवेदन है कि अलवर की लक्ष्मणगढ़ तहसील के के सारे के सारे गांव, सबसे बड़ी तहसील है चार पांच जिलों में, सब कर दिये और उसके 15-20 गांव छूट गये जब कि वो चारों तरफ है और उनसे ज्यादा अकाल की स्थिति है अगर कही जेन्यूइन तरीके से कोई गांव रहे हैं क्या कलेक्टर महोदय से आप जानकारी लेंगे, उचित समझेंगे तो उनको अकाल राहत घोषित करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री बुडानिया।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चूरू जिले में बहुत भयंकर अकाल है और चूरू जिले में भी रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र और सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में, आप बोल नहीं पाते हैं इसलिए में इनकी पैरवी कर रहा हूं, आप तो अपने प्रभाव से करवा ही लेगे....

श्री अध्यक्ष : आखिर यह चूरू जिले के हैं इनको पता है सारा।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : लेकिन मैं यह जानना चाहता हू कि काम निश्चित रूप से स्वीकृत हुए हैं और बहुत सक्रियता से शुरू हुए हैं लेकिन मै पर्टिकुलर दोनों तहसीलों के बारे में जानना चाहता हूं कि जितने मजदूर कार्यरत हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री गरासिया।

चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण): मैं माननीय अकाल राहत मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जनजाति क्षेत्र में अधूरे कुए जो अकाल राहत में खोदे गये थे और जीवनधारा में खोदे गये थे क्या उन कुओं को इसमें लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा

कन्हैया लाल : (वस्सी) में निवेदन करना चाहूँगा। आपने जो कार्य खुलवाये हैं उसके लिए तो आपको धन्यवाद और आपने जो पुख्ता कार्य की स्वीकृति के लिए आदेश दिये हैं, पुख्ता कार्यों में बहुत ही गलत तरीके से हाजरियां की जा रही हैं मस्टरोल को गलत भराया जा रहा है। कारीगर की जो रेट है वह 22 रुपया रखी गई है मजदूर की रेट के बराबर। कारीगर 22 रुपये में नहीं आता है, 80 रुपये, 60 रुपये से कम का कारीगर नहीं आता है पुख्ता काम में तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कारीगर की जो दर है वह 22 रुपए से बढ़ाई जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री कासनिया। वे लिख रहे हैं नोट कर रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में एक अजीब ही परिस्थिति है। गंगानगर जिले में 160-165 गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं उनके अन्दर यह 60-40 का जो रेश्यो हैं वहां नहीं बैठता क्योंकि वहाँ मेटेरियल बहुत ही महगा बैठता है इसके सम्बन्ध में भी मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय कुछ आदेश कलेक्टर को जारी जारी करें ताकि इसका समाधान हो।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रभुराम।

श्री प्रभुराम गरासिया (पिंडवाड़ा) मेरे पिंडवाड़ा क्षेत्र में टोटली आदिवासी क्षेत्र है वहां मजदूर बहुत ज्यादा हैं और काम बिल्कुल कम है जितनी भी अधूरी रोड़ हैं उनको चालू किया जाए तभी जाकर के सारे मजदूर वहां लग सकते हैं बाकी एक दो रोड़ से तो उनका हमारे वहां झगड़ा हो जायेगा कि हमको ले रहे हैं और हमको नहीं ले रहे हैं। इसलिए आदिवासी एरिये में ज्यादा से ज्यादा अधूरी पड़ी सड़कों को चालू कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : पूछिये आप भी पूछिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द): अकाल बरसात कम होने से पैदा होता है लेकिन मैंने एक दूसरा तथ्य प्रकट किया था कि हमारे यहां रेलमगरा तहसील में बरसात पर्याप्त मात्रा में कभी कभी होती है तो भी जिन कारणों का विवेचन मैंने किया है उनके कारण स्थाई अकाल की स्थिति बनी हुई है तो क्या माननीय मन्त्री जी ऐसे स्थाई अकाल जैसी स्थिति के निवारण के लिए कोई कमेटी का गठन करेंगे या कोई सर्वे करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1986-87 में हमारे यहां जो अकाल राहत खोले थे, आदिवासी क्षेत्रों में मैंने पूरे दो वर्षों में लगातार अकाल के समय में दौरा किया था। अध्यक्ष महोदय, उन क्षेत्रों में दो रुपए और ढाई रुपए टास्क बेसिस पर उनकी दैनिक मजदूरी आई थी। दूसरा उन दिनों में उनको काम के बदले अनाज भी दिया गया था। अनाज के कूपन भी दिये गये थे उनको अनाज नहीं मिला। बाद में तहसीलदारों और पटवारियों ने वह कूपन भी ले लिये। आज दिन तक उन लोगों का भुगतान नहीं हुआ। मेरा आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री जी से इतना ही कहना है कि अकाल में जो काम करते हैं वह गरीब लोग होते हैं, भूखे लोग होते हैं और कमजोर लोग होते हैं। जैसा 86-87 में हुआ....

श्री अध्यक्ष : भाषण के मूड में कोई नहीं है सवाल पूछिये नहीं तो बैठ जाइये आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : नहीं साहब सवाल ही कर रही हूँ, एक सुझाव है कि गांवों में जितने भी अकाल राहत खुले हैं वहां पर अगर उसी गांव में पढ़ा लिखा विकलांग उपलब्ध है तो उसको उसको मेट लगाया जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री भगराज जी।

श्री भगराज चौधरी (आहौर): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजस्थान में सड़कों का पूर्णतः अभाव है। खास कर के अच्छी सड़कों का तो आगमन के स्थाई साधन डवलप करने के लिए क्या वह सड़कें जो कि काफी सालों से बनी हुई पड़ी है उन पर डामर नहीं पड़ने के कारण से मेटीरियल उखड़-उखड़ कर जा रहा है। इस प्रकार की सड़कों को आप अकाल राहत कार्यों में प्राथमिकता के तौर पर स्वीकृत करके डामरीकरण करवाने का विचार रखते हैं दूसरा जिन बांधों के कमाण्ड क्षेत्र में नहरें

(श्री भगंराज चौधरी)

और खाले कच्चे पड़े हैं जिसकी वजह से पानी का रिसाव ज्यादा होता है और इरिगेशन भी कम हो जाती है तो क्या प्रायोरिटी के तौर पर आप इस प्रकार की नहरों और खालों को भी पक्का करने का विचार रखते हैं ? एक मेरा प्रश्न और है कि पूर्व के अकालों के दौरान सिंचाई के साधन डवलप करने के लिहाज से किसानों को कुआं खोदने के लिए भी हमने स्वीकृति दी है। क्या आप इस बार आप कुएं खोदने के लिए किसानों को कुछ धनराशि बजट में मंजूर करने का विचार रखते हैं। पहले अनुदान दिया था यह बात सही है। इस बार मैं चाहूंगा कि आप अनुदान देंगे तो ज्यादा सेवा हो सकेगी और किसान लोग अपने खुद के साधन, अपने खुद के कुए डवलप भी कर लेंगे। अगर कर्जा देंगे तो नहीं कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मेरे तो सीधे चार प्रश्न हैं। पहला, मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडा भीम में दो तहसील पड़ती हैं एक नादोती और टोडा भीम, नादोती को आपने अकालग्रस्त घोषित किया है उससे लगते हुए मेरे अन्य गांव हैं उनको आपने अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया है। क्या मंत्री महोदय उनको अकाल घोषित करवायेंगे ?

दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे यहां अभी तक चारे के डिपो नहीं खोले हैं जिसके कारण जानवर मर रहे हैं क्या आप जल्दी से जल्दी चारे के डिपो खोलेंगे वहां पर।

तीसरा मेरा निवेदन है कि हमारे जिले को अब तक आपने कितनी मजदूरी दी थी और कुल कितने मजदूर आप देना चाहते हैं। चौथा मेरा निवेदन यह है कि अकाल के कारण लोगों की हालत यह हो गई है कि वह अपना भेज भी नहीं दे सकते क्या आप लोगों की भेज माफ करवायेंगे, क्या ऋण माफ करवायेंगे ? यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पंचायत समिति भोपालगढ़ और पंचायत समिति ओसियां के, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो 29 पंचायतें आती हैं उनमें कितनी लेबर लगाई और कितने काम स्टार्ट किये। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जिन लोगों के पास एग्रीकल्चर, कुए वगैरह हैं और हरा चारा उगाने की आपकी कोई स्कीम है स्थानीय तौर पर ताकि इसका लोगों को स्थानीय तौर पर ही उनका डिस्ट्रीब्युशन कर दिया जाय इसमें कोई सब्सिडाइज आप देखना चाहते हैं कि नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्री गुरुजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में, मेरा उपरमाल क्षेत्र अभावग्रस्त नहीं है। परन्तु इसमें पेयजल का बहुत बड़ा संकट है।

श्री अध्यक्ष : अभावग्रस्त नहीं है तो क्या सवाल है ? आप बैठिये। पीछे वह सवाल पूछ रहे थे न आपके।

एक माननीय सदस्य : बाद में पूछ लेंगे। हमारी एडजेस्टमेंट है।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि 1880 के बाद में 114 साल हो गये, क्या फेमिन कमीशन यह सरकार लागू करना चाहती है। जिससे वास्तविकता में इसका बने।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री सांवरलाल जाट : सहायता एवं अकाल राहत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि बरसात हमारे यहां होती है फिर भी अकाल पड़ जाता है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि अकाल की जो घोषणा होती है, बरसात कम होवे ही फसल बढ़िया हो जाय और बढ़िया होते ही घटिया हो जाय तो मेन जो फसल खराबा हुआ उससे सम्बन्ध है अब आपका पानी नीचे गया कि ऊपर आया उससे कोई तालमेल नहीं है। इसलिए इस प्रकार के सवाल का मुझे कोई औचित्य नहीं लगा क्योंकि जब यह स्पष्ट है कि फसल के खराब से अकाल की घोषणा होती है पानी नीचे जाते ही फसल बढ़िया हो जाये तो इसलिए इसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा माननीय.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब लोगों को हंसते-हंसते यहा से विदा करना करना चाहते हैं।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय ताराजी का सवाल है कि पढ़ा लिखा विकलांग हो उसको मेट लगायें इसके आदेश हमने जारी कर दिये। पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य का सवाल है कि साहब आज अजमेर में प्रदर्शन हो रहा है .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको पता है माननीय मंत्री जी भी प्रोफेसर हैं।

श्री सांवरलाल जाट : इसके लिए तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आप जागरूक है, हर बात का आपको ध्यान है पर मैं आपको निवेदन करू कि अजमेर कलेक्टर को 70 लाख रुपये चारे की सब्सिडी के हमने पहले दे दिये। 10 लाख रुपये लोन के लिये दिया इसके बाद में कल 10 लाख रुपये और भेज दिया आपके डेयरी वाले जो आन्दोलन कर रहे हैं, माननीय कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको 7 लाख रुपये डेयरी को दे दिये। उनको कहा कि आप डिपो - चालू करिये हम आपको और पैसा दे देंगे और किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगे। जैसे जैसे आप खोलोगे। काम तो शुरू कीजिये एकदम आप 500 डिपो इस प्रकार चालू करेगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, वह अड़ गये वह कहे नहीं साहब हमें तो पहले करोड़ मिलता था, दो करोड़, मैंने कहा स्कूटर के नम्बर से तो चारे की सब्सिडी इस बार उठेगी यह हमारा दावा है। आप चालू कीजिये जरूरत पड़ेगी। आपको जितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी चारे के डिपो शुरू किये जायेंगे .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठियेना, No, No, No discussion.

श्री विष्णु मोदी : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : You can ask questions only. No debate, No discussion.

श्री विष्णु मोदी : Hon'ble Speaker, Sir, I need your protection.

श्री अध्यक्ष : Please, don't take undue advantage of this indulgence. Please sit down... (Interruption) No debate will be allowed. I allowed everybody to raise questions. Now let him reply to them. Otherwise, there will be no end to it. आप रात भर बैठ सकते हैं। बाकी सदस्य नहीं बैठ सकते। There must be an end to it. सब माननीय सदस्यों से सवाल पुछवा लिये और अब वे जवाब दे रहे है। अब डिबेट शुरू कर दी आपने।

श्री विष्णु मोदी : मेरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : नहीं आया तो खतम करिये आप। नहीं दिया है। खतम हुई बात। डिबेट नहीं होगी। मैं भी सुन रहा हूं आपने चारे का सवाल पूछा आपने हजार आदमियों के प्रदर्शन की बात कही उसका उन्होंने जवाब दिया है, 70 लाख रुपये दे दिये, 10 लाख और दे दिये, डेयरी के लिये कहा 7 लाख रुपये और दे दिये यह आपके सवाल का जवाब नहीं तो और क्या है।

श्री विष्णु मोदी : कितना चारा....

श्री अध्यक्ष : कितना चारा से क्या मतलब है। गवर्नमेंट तो पैसा देती है। It is for the agencies to do it. एजेन्सीज को जितना रुपया दे रही है कितना चारा इकट्ठा करेंगे यह बाद की बात है। इन्होंने 70 लाख रुपये दे दिये। कलेक्टर से पूछिये कितना चारा आया।

श्री विष्णु मोदी : लेकिन चारा नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : नहीं आया तो कोई बात नहीं। गवर्नमेंट ने रुपया दे दिया। अब आप मत मंगवाइये चारा।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं चारा कहां मिलता है। आपको यह पता नहीं कि कौन से बाड़े में से चारा आता है, चारा कोई बाहर से आना जरूरी नहीं होता। अजमेर जिले में चारे की कमी मेरे ख्याल से आज जो परपज हो, अगर उनको किसी को जरूरत हो तो दूसरे बाड़े में मिल जाता है। अजमेर कलेक्टर ने टीम्स भेज दी है और वह टीम्स जल्दी ही चारा लेगी अगर नहीं पहुँचा तो आज पहुंच गया होगा नहीं तो कल पहुंच जायेगा। एक ने बाने के सम्बन्ध में कहा। मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से खुद वाकिफ हूं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इसी महीने के अन्दर बांटा सब्सिडी पर दुधारू पशुओं को दिया जाय यह आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

झुंझुनूं जिले से सम्बन्धित सवाल है उसमें हमने साढ़े चार हजार की लेबर दी थी और इस महीने मार्च के अन्दर हमने 7 हजार किये हैं। जिसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक 744 लगे। इसके अलावा दूसरी योजनाओं में भी आपके जिले में कुल मिला कर 10 हजार और कुछ श्रमिक लगे

(श्री सांवरलाल जाट)

हुए हैं इसका कारण यह है कि आज का जिला रबी की फसल तैयार है, ट्यूब वैल खोद लिये हैं। पढ़े लिखे....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी फैक्ट्स दे रहे हैं। एप्रीसियेट करना चाहिये आपको। इन्होंने सीलिंग 7 हजार किये हैं, आपको अधिकार है लड़-झगड़ कर 7 हजार करवाइये वहां।

श्री सांवरलाल जाट : नौकरियों में बहुत है इसलिए बेलदारी करने के शौकीन कम हैं और यह हकीकत है। बाड़मेर के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने बहुत बड़ा, एक लाख लेबर हमें दे दी जाय। मुझे पता नहीं, आपने किस आधार पर सवाल किया हमने बीस हजार दी उसमें पांच हजार लगी हुई है और आपके जे. आर. वाई. स्कीम के इतने काम चल रहे हैं। अगर आप वास्तव में यह समझते हैं कि इतने काम खुलने चाहिये आप जिला कलक्टर के पास जाइये उसको कहिये। अगर काम नहीं खोले और आपकी बात नहीं माने तो फिर आप विधायक हो इतना अधिकार तो आपके पास है कि आपकी जनता काम चाह रही है। हमने श्रमिक सीमा 20 हजार दी हैं, पांच हजार लगे हुए हैं और आप यहां पर कह रहे हो कि एक लाख खोले किस आधार पर कह रहे हो आप जाकर खुलवाइये। बीस हजार श्रमिक सीमा हमने दी है पांच हजार श्रमिक वहां पर लगे हुए हैं फेमिन के इसके अलावा जवाहर रोजगार योजना, दूसरी योजनाओं में लगे हुये हैं। मैं तो आपको यही भरोसा दिलवा सकता हूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने आपको इतना बड़ा अधिकार दे दिया फिर भी आप सन्तुष्ट नहीं हैं।

श्री सांवरलाल जाट : श्रमिकों की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से दे दिये जायेंगे बाकी आपका कोटा अभी 20 हजार में में 25 प्रतिशत श्रमिक आपने एंगेज किये हैं। दूसरी योजनाओं के काम आपके बहुत चल रहे हैं। आप सारी स्कीम्स....

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 19.3.94 प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.27 बजे शनिवार, दिनांक 19 मार्च, 1994 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 416 का विवरण

केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा राजस्थान कृषि तथा ग्रामीण राहत योजना वर्ष 1990 के तहत प्रदान की गई ऋण राहत की बैंक वार स्थिति :-

(राशि लाखों में)

क्रमांक	बैंक का नाम	राहत दी गई	
		संख्या	राशि
1.	अजमेर	34576	956.07
2.	अलवर	34823	820.31
3.	बांसवाड़ा	61251	847.23
4.	बाड़मेर	91735	2129.94
5.	भरतपुर	33527	763.50
6.	भीलवाड़ा	48044	880.23
7.	बीकानेर	39809	1482.54
8.	बूंदी	21704	713.02
9.	चित्तौड़गढ़	48918	1037.06
10.	चूरू	50845	1436.92
11.	डूंगरपुर	38210	568.14
12.	जयपुर	75836	2041.86
13.	जैसलमेर	13990	509.13
14.	जालौर	35228	1067.30
15.	झालावाड़	38886	913.71
16.	झुंझुनूं	36568	888.31
17.	जोधपुर	79262	2820.08
18.	कोटा	41268	1103.62
19.	नागौर	48163	1290.02
20.	पाली	53450	1769.92
21.	सवाईमाधोपुर	39828	980.59
22.	सीकर	33899	778.68
23.	सिरोही	21784	575.06
24.	श्री गंगानगर	31153	968.75
25.	टोंक	28980	694.39
26.	उदयपुर	84134	1315.92
	योग	165871	29352.40

भूमि विकास बैंकों द्वारा राजस्थान कृषि तथा ग्रामीण राहत योजना वर्ष 1990 के तहत प्रदान की गई ऋण राहत की बैंकवार स्थिति

क्रमांक	बैंक का नाम	(राशि लाखों में) राहत दी गई	
		संख्या	राशि
1.	अजमेर	4206	183.09
2.	ब्यावर	100	5.52
3.	भीलवाड़ा	4221	148.75
4.	केकड़ी	1745	49.91
5.	टौंक	2101	51.02
6.	अलवर	2919	89.69
7.	भरतपुर	1493	54.97
8.	धौलपुर	2763	94.45
9.	हिण्डौन	3492	133.79
10.	सवाई माधोपुर	4039	117.23
11.	बीकानेर	665	18.07
12.	चूरू	2280	59.73
13.	हनुमानगढ़	469	25.99
14.	रायसिंहनगर	47	2.72
15.	श्रीगंगानगर	212	10.95
16.	जयपुर	2230	67.38
17.	झुन्झुनू	2430	117.10
18.	सीकर	1249	47.55
19.	बालोतरा	940	31.18
20.	बिलाड़ा	686	27.96
21.	जोधपुर	508	23.66
22.	नागौर	2674	110.83
23.	बारां	1207	38.50
24.	बून्दी	2025	51.19
25.	झालावाड़	6535	196.66
26.	कोटा	1748	64.90
27.	जालौर	8093	303.23
28.	पाली	5409	202.74

29.	सिरोही	3490	143.93
30.	बांसवाड़ा	5381	212.73
31.	चित्तौड़गढ़	3483	135.64
32.	डूंगरपुर	5147	214.00
33.	प्रतापगढ़	762	19.14
34.	उदयपुर	9215	208.14
	योग	94464	3262.34

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर)

राज्य के शिक्षित बेरोजगार

419. **श्री आर. पी. शर्मा** (भरतपुर): क्या श्रम व नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवक बेरोजगार हैं ?

(2) क्या सरकार के पास बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो, क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में 31 दिसम्बर, 1993 को रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर 142461 ग्रेजुएट, 16954 पोस्ट ग्रेजुएट एवं 23527 तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवक बेरोजगार थे।

(2) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातक एवं अधिस्नातक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को क्रमशः 150 व 250 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

आयुर्वेद चिकित्सालयों में पदस्थापित चिकित्सक/कम्पाउन्डर्स के विरुद्ध शिकायतें

420. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि जनता तथा जनप्रतिनिधियों की बार-बार शिकायत मिल रही है कि राज्य के अनेक आयुर्वेदिक औषधालयों में चिकित्सक, कम्पाउन्डर आदि न तो मुख्यालय पर रहते हैं और ना ही औषधालय नियमित रूप से खोलते हैं और न ड्यूटी देते हैं तथा विभागीय निरीक्षणों में भी इस प्रकार की रिपोर्ट बार-बार मिलती रही है ?

(2) गत पांच वर्षों में इस आधार पर ऐसे कितने कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई और वर्तमान में ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गत 5 वर्षों (वर्ष 1988-89 से 1992-93 तक) एवं चालू वर्ष 1993-94 में जनवरी, 1994 तक सी.सी.ए. नियमों के नियम 16 व 17 के तहत कार्यवाही कर 204 कर्मचारियों को दण्डित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में 185 व्यक्तियों को, स्पष्टीकरण प्राप्त कर भविष्य के लिये साधारण चेतावनी अभिलिखित चेतावनी व सावधानी बरतने के निर्देश दिये गये हैं।

वर्तमान में विभाग में 229 प्रकरण विचाराधीन हैं।

अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति के मानदण्ड

421. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा): क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार ने 1 फरवरी, 1994 से राज्य के अकाल ग्रस्त गांवों में राहत कार्य शुरू करने की घोषणा की है ? यदि हां, तो राज्य में कितने राहत कार्य स्वीकृत किये गये ? सरकार द्वारा इनकी स्वीकृति के क्या मानदंड तय कर जिला प्रशासन को दिये गये हैं ?

(2) राहत कार्यों पर कुल कितने श्रमिक पंचायत समितिवार एक फरवरी से कार्य कर रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य किन-किन विभागों के अन्तर्गत शुरू किये गए एवं कितने श्रमिक किस-किस कार्य पर लगे हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या स्वीकृत किये गये कार्य निर्धारित मानदण्ड के आधार पर स्वीकृत किये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। राहत कार्यों की स्वीकृति जिला कलक्टरों द्वारा की जाती है। दिनांक 15-3-94 तक 25 जिला कलक्टर्स ने कुल 4053 राहत कार्य स्वीकृत किये हैं। राहत कार्य खोले जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर्स को जिन मानदण्डों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया है उनका उल्लेख संलग्न परिशिष्ट-'क' में अंकित है।

(2) फरवरी, 94 में प्रभावित 28 जिलों में राहत कार्यों पर 92107 श्रमिक कार्यरत थे। इनका पंचायत समिति-वार विवरण परिशिष्ट-'ख' पर प्रस्तुत है। 15 मार्च को प्राप्त रिपोर्ट्स के आधार पर राहत कार्यों पर 133440 श्रमिक कार्यरत हैं।

(3) जोधपुर जिले में अकाल राहत कार्यों के तहत कुल 216 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। विभागवार कार्यों का विवरण व स्वीकृत श्रमिकों की संख्या निम्न प्रकार हैं :-

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्वीकृत	श्रमिकों की संख्या
1.	पी.एच.ई.डी.लिफ्ट केनाल कार्य	32	7150
2.	पी.एच.ई.डी.	3	325
3.	सा.नि. विभाग	19	4350
4	सिंचाई विभाग	8	760
5.	भू-संरक्षण विभाग	12	235
6.	पंचायत समितियां	142	2123
		216	14943

पंचायत समितिवार चालू कार्यों पर लगाये गये श्रमिकों का विवरण परिशिष्ट 'ग' संलग्न है।

(अकाल राहत राज्य मंत्री)

(4) जी हां।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

लसाड़िया में नये सिरे से बन्दोबस्त कार्य

422. श्री **नारायणलाल** (लसाड़िया): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र लसाड़िया (उदयपुर) में नए सिरे से बन्दोबस्त कार्य करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। लसाड़िया (उदयपुर) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की तहसील धरियावद में भू-अभिलेख पुर्ननिर्धारण कार्य शुरू कराये जाने की अधिसूचना दिनांक 11-1-94 को जारी की गई तथा इस विधान सभा क्षेत्र की तहसील सलूम्बर के 86 गांवों में केवल भू-अभिलेखों के आदिनांक का कार्य पूर्ण कराकर कार्य को दिनांक 3-7-91 को बन्द करने की घोषणा की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 पर निर्मित पुलियाएं

423. श्री **शांतिकुमार धारीवाल** (**हिण्डौली**) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टोंक जिले के देवलीनगर झालावाड़ शहर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर कितनी पुलियाओं पर काम चल रहा है ?

(2) कोटा बारां जिले की कालीसिंध, पार्वती नदी पर बनने वाली पुलिया के कार्य की क्या प्रगति है ?

(3) क्या कोटा शहर में चम्बल नदी पर दूसरे पुल बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) टोंक जिले के देवली नगर कि. मी. (161) से झालावाड़ शहर कि. मी. 310 तक राष्ट्रीय राज मार्ग 12 पर वर्तमान में 4 पुलियाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है।

(2) कोटा, बारां जिले में निर्माणाधीन पुल जो कि कालीसिंध नदी व पार्वती नदी पर हैं, प्रगति निम्न प्रकार है :–

(क) कालीसिंध पुल का निर्माण–

1. उपरोक्त पुल में 33 पीयर्स व 2 अबटमेंट हैं। 33 पीयर्स में से कुल 29 पीयर्स का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कोटा साइड के अबटमेंट का भी कार्य पूर्ण हो चुका है।

2. 34 स्थान के सुपरस्ट्राक्चर्स में से एक स्थान का गार्डर व स्लेब का कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्य दो स्थान में गर्डर का सैंटरिंग कार्य पूर्ण हो चुका है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(ख) बारां जिले में पार्वती पुल का निर्माण—

1. उपरोक्त पुल में 35 पीयर्स व 2 अबटमेंट है जिनमें से 35 पीयर्स का फाउण्डेशन व पीयर्स का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शाहाबाद की ओर वाले अबटमेंट का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बारां की ओर वाले अबटमेंट का कार्य प्रगति पर है।

2. उपरोक्त पुल में सुपरस्ट्रक्चर्स के 36 स्थान है जिनमें से 22 स्थान का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(3) वर्तमान में कोटा शहर में चम्बल नदी पर वित्तीय संसाधन के अभाव में दूसरा पुल बनाने की सरकार की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

बूंदी जिले के मृतक सिपाहियों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन

424. श्री रामनारायण (नैनवां): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बून्दी जिले में पुलिस के मृतक सिपाहियों के परिवारों को पारिवारिक पेन्शन दी जा रही है? यदि हां, तो कितने परिवारों को कितनी-कितनी? सूची सदन को मेज पर रखें।

(2) क्या पेन्शन के उक्त प्रकरणों में पेन्शन राशि का भुगतान नवम्बर, 1993 तक का हो चुका हैं? यदि नहीं, तो अब बचे हुए मामलों में कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां, 20 मृतक सिपाहियों के परिवारों के परिवारिक पेन्शन दी जा रही है जिसकी सूची संलग्न है।

(2) 19 मामलों में जिनका भुगतान राजस्थान राज्य में हो रहा है माह नवम्बर, 93 तक का भुगतान हो चुका है। शेष एक मामले में भुगतान महालेखाकार, उत्तरप्रदेश के माध्यम से कोषाधिकारी, अलीगढ़ से होना है। जिसके पारिवारिक पेन्शन भुगतान आदेश महालेखाकार, राजस्थान के मार्फत महालेखाकार उत्तर प्रदेश को भेजे जा चुके हैं। उनके भुगतान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

266

बूंदी जिले में मृतक सिपाहियों के परिवारों की पारिवारिक पेंशन स्वीकृति का विवरण-पत्र

क्र. सं.	नाम मृतक सिपाही	पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता का नाम		अधिकृत नं.	पारिवारिक पेंशन राशि एवं महगाई राहत नियमानुसार	माह भुगतान	कोष/उप कोष कार्यालय
1	2	3		4	5		8
1.	स्व. श्री बहादुरसिंह लाहै. का. 476	श्रीमती चन्द्रकान्ता देवी	(पत्नी)	92015 आर. एस. एफ.	570/- एवं	नव, 93	बूंदी
2.	स्व. श्री जोधराज सिंह मु. आर. 190	श्रीमती भंवरी देवी	(,,)	9057 आर. एस. एफ.	463/-	नव., 93	बूंदी
3.	स्व. प्रभु सिंह 524	श्रीमती काना देवी	,,	10845 आर. एस. एफ.	463/-	नव., 93	,,
4.	स्व. श्री भंवरसिंह लाहे. का. 462	श्रीमती अनब कंवर	,,	100502 आर. एस. एफ.	660/-	नव., 93	,,
5.	स्व. श्री मदन लाल का. नि. 584	श्रीमती प्रकाशी बाई	,,	101085 आर. एस. एफ.	300/-	नव., 93	,,
6.	स्व. श्री मोती लाल मीणा का. 118	श्रीमती परतीबाई	,,	101031 आर. एस. एफ.	673/-	नव., 93 हिण्डोली	,,
7.	स्व. श्री निरंजन कुमार का. नि. 111	श्रीमती सोहन बाई	,,	18174 आर. एस. एफ.	660/-	नव., 93	,,
8.	स्व. मोहन लाल ए. एस. आई.	श्रीमती लटूरी बाई	,,	101527 आर. एस. एफ.	780/-	नव., 93 (हिण्डोली)	,,

9.	स्व. श्री गुमान सिंह का, 137	श्रीमती पुष्पाबाई	,,	18445 आर. एस. एफ.	300/-	नव. 93 (नैनवा)	,,
10.	स्व. श्री कल्याण का. नि. 246	श्रीमती फूलचन्द	(पुत्र)	17500 आर एस. एफ.	300/-	5-7-93	,,
11.	स्व. श्री जुम्माव लाहे का. 25	श्रीमती शहीदन	(पत्नी)	101526 आर. एस. एफ.	710/-	नव. 93	,,
12.	स्व. कजोड़ सिंह का. नि. 250	श्रीमती पुष्प कंवर	,,	17656 आर. एस. एफ.	300/-	नव. 93 (नैनवा)	,,
13.	स्व. उमरावसिंह	श्रीमती दौलत कंवर	,,	100230 आर. एस. एफ.	648/-	नव, 93 ,,	,,
14.	स्व. जसवन्त सिंह है. का. 50	श्रीमती भंवर कंवर	,,	11099 आर. एस. एफ.	470/-	नव. 93 (निवाई)	टोंक
15.	स्व. श्री भूरा लाल उपनिरीक्षक	श्रीमती सीता देवी	,,	100767 आर एस. एफ.	800/-	नव. 93 जहाजपुर भीलवाड़ा	
16.	स्व. श्री जगदीश प्रसाद का 288	श्रीमती सोहनी देवी	,,	100907 आर. एस. एफ.	613/-	नव. 93	,,
17.	स्व. श्रवण सिंह का. 394	श्रीमती गुड्डन देवी	,,	100929 आर. एस. एफ.	300/-	नव. 93 बालीस.	माधोपुर
18.	स्व. श्री उदयमान	श्रीमती राज कंवर	,,	120181 आर एस. एफ.	576/-	नव. 93	नागौर
19.	स्व. श्री लक्ष्मी लाल जैन ए. एस. आई.	श्रीमती राजबाला	,,	101410 आर. एस. एफ	800/-	नव 93	कोटा
20.	स्व. श्री सतमाल सिंह है. का 541	श्रीमती विवेश कुमारी	,,	101235 आर. एस. एफ.	660/-	नव. 93 अलीगढ़	उ.प्र.

267

राज्य में विद्युत् उत्पादन बढ़ाने की योजना

42[illegible]. श्री जगदीप धनकड़ (किशनगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1990 के बाद कितने नये विद्युत् कनेक्शन कृषि व उद्योग के लिए दिये गये इनसे बिजली की खपत का अनुमान पृथक-पृथक कितना है ?

(2) राज्य में बिजली उत्पादन की स्थिति 1976 में क्या थी उसमें 1977 से 1979 तक कितनी बढ़ोतरी हुई ? 1990 से 1992 तक इसमें की गई बढ़ोतरी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने की क्या योजना सरकार के विचाराधीन है ? इस शताब्दी के अन्त में विद्युत् की मांग और पूर्ति की स्थिति का क्या अनुमान है ?

(4) क्या सरकार की योजना अनुसूचित जाति, जन जाति और गरीब तबके के लोगों को रियायती दर पर बिजली देने की है ?

उत्तर

(1) मार्च 1990 तक व उसके बाद कृषि व उद्योग के कुल कनेक्शन व विद्युत् खपत की स्थिति निम्न प्रकार रही :-

(उपभोक्ता संख्या में) (खपत दस लाख यू. म.)

31-3-90 तक		31-3-91 तक		31-3-92 तक		31-3-93 तक (असामयिक)		31-3-94 तक (अनुमानित)	
उपभोक्ता	खपत	उपभोक्ता	खपत	उपभोक्ता	खपत	उपभोक्ता	खपत	उपभोक्ता	खपत
कृषि :-									
341593	2072.145	372813	2321.638	495676	2542.916	519911	3062.189	534993	3575.080
उद्योग :-									
93259	3363.940	99479	3558.535	105822	3874.997	112145	4706.034	118851	4815.250

(2) राज्य में वर्ष 1976 व उसके बाद वर्ष 1992 तक शुद्ध विद्युत् उत्पादन निम्न प्रकार रहा :–

(दस लाख यूनिट में)

	वर्ष 1975–76	वर्ष 1976–77	वर्ष 1977–78	वर्ष 1978–79	वर्ष 1989–90	वर्ष 1990–91	वर्ष 1991–92
शुद्ध उत्पादन	2332.704	2356.673	2703.393	3467.651	6105.155	6215.393	7529.653
प्रतिशत वृद्धि	–	1.03	15.89	48.65	161.72	166.45	222.79

X वर्ष 1975–76 को आधार मानकर प्रतिशत वृद्धि।

(3) राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न निर्माणाधीन स्वीकृत व विचाराधीन परियोजनाओं का विस्तृत ब्योरा परि. 'क'' पर दर्शाया गया है। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में शताब्दी के अन्त में (वर्ष 1999–2000) तक (विद्युत् ऊर्जा (एम. यू.) की मांग एवं पूर्ति में 36.6 प्रतिशत का अन्तर रहेगा।

(4) जी नहीं। अनुसूचित जाति, जन जाति और गरीब तबके के लोगों को मण्डल द्वारा रियायती दरों पर बिजली देने की कोई योजना नहीं है। वर्तमान में प्रचलित बिजली की दरें मुख्यतः कृषि एवं घरेलू श्रेणी की लागत दर से काफी कम है।

(220)

विद्युत् उत्पादन बढ़ाने हेतु विभिन्न परियोजनाएं

(अ) निर्माणाधीन परियोजना

1.	कोटा तापीय विद्युत परियोजना	1×210 मेगावाट
2.	सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना	2×250 मेगावाट
3.	160 मेगावाट रामगढ़ गैस आधारित तापीय परियोजना की प्रथम इकाई	1×35.5 मेगावाट
4.	रामगढ़ में गैस आधारित परियोजना	1×3 मेगावाट
5.	बिरसल पुर लघु पन विद्युत परियोजना	1×0.53 मेगावाट
6.	इटावा ,, ,,	1×0.5 मेगावाट
7.	पूगल प्रथम ,, ,,	1×1.5 मेगावाट
8.	आर. एम. सी. माही–I ,,	2×0.4 मेगावाट

(ब) स्वीकृत परियोजना

1.	बरसिंहसर लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत परियोजना	1×1.20 मेगावाट

(स) विचाराधीन परियोजनाएं

1.	धोलपुर तापीय विद्युत परियोजना	3×250 मेगावाट
2.	चित्तौड़गढ़ तापीय ,,	1×500 मेगावाट
3.	सौर ऊर्जा आधारित तापीय विद्युत परियोजना	30 मेगावाट
4.	जाखम लघुपन विद्युत परियोजना	2×2.5 मेगावाट
5.	पार्वती पन विद्युत परियोजना– II व III चरण (हिमाचल प्रदेश)	458 मेगावाट (राज्य का हिस्सा)
6.	निजी क्षेत्र की लिग्नाईट आधारित तापीय परियोजनाएं – गुढा, बिथनोक, जालिपा, कपूरड़ी व गिरलाउइगयार	
7.	सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना चरण–II	2×250 मेगावाट
8.	अन्तर्राज्यीय परियोजनाएं :	
	I] राहुघाट पन विद्युत परियोजना	79 मेगावाट
	II] अनास पन विद्युत परियोजना	45 ,,

ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक

426. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा भीम): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या सरकार अब ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापकों को राज्य कर्मचारी या बैंक कर्मचारी के समान दर्जा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सरकारी कर्मचारी संघ की वर्ष 1991 में 6 माह की हड़ताल रही और सरकार ने राज्य कर्मचारी बनाने का आश्वासन देकर हड़ताल को समाप्त करवाया ? यदि हां, तो उनको राज्य कर्मचारी क्यों नहीं बनाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं । क्योंकि व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के ही कर्मचारी हैं ? —

(2) जी नहीं

सामुदायिक सभा भवन, बौंली (सवाई माधोपुर)

427. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले के बौंली कस्बे में सामुदायिक सभा भवन स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो कब एवं उसके लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई ? स्वीकृति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त भवन का निर्माण कार्य घटिया होने की शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उसकी जांच कब करवाई गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि जांच एक से अधिक बार करवाई गई थी तथा प्रत्येक बार ग्राम पंचायत बौंली का तत्कालीन सरपंच गबन एवं घटिया निर्माण का दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट्स की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) दोषी सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा अब क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

(5) क्या उक्त सभा भवन बन कर तैयार हो गया है ? यदि नहीं, तो यह कब तक बन कर तैयार हो जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर द्वारा मार्च, 1989 में 60,000/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। स्वीकृति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई ।

(2) जी हां, । पूर्व सरपंच के विरुद्ध सामुदायिक सभा भवन बौंली के निर्माण में कम राशि व्यय करने एवं मूल्यांकन नहीं कराने की शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राथमिक जांच वर्ष 1992 में करवाई गई।

(3) जी नहीं। पूर्व सरपंच के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की प्राथमिक व

(272)

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राजमंत्री) विस्तृत जांच करवाई गई थी। वह 6513/- रुपये गबन करने का दोषी पाया गया था। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) पूर्व सरपंच को राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत परिनिर्णय लेखबद्ध किये जाने का नोटिस जारी किया गया है। 14-10-93 को रुपये 6513/- की राशि वसूल हो चुकी।

(5) जी नहीं। पूर्ण करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर

क्रमांक दिनांक

कार्यालय आदेश

निर्बन्ध जिला योजना वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत उप शासन सचिव (आयोजना कम्प्यूटर) विभाग के पत्रांक एफ.3/1/वियो/89/1426 दिनांक 13-3-89 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार मद 2053 जिला प्रशासन/093-जिला स्थापना/ (III) निर्बन्ध जिला आयोजना व्यय) नीचे अंकित कार्यों के लिए व्यय किये जाने की एतद्-द्वारा प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	पं. स.	कार्य का नाम	स्थान	राशि (लाखों में)
1.	सपोटरा	हरिजन बस्ती में कम्युनिटी हाल का निर्माण	सपोटरा	0.60
2.	खण्डार	,, ,,	खण्डार	0 60
3.	महुवा	,, ,,	महुवा	0.60
4	बौंली	,, ,,	बौंली	0.60
5.	बामनवास	,, ,,	बामनवास	0.60
6	नादौती	,, ,,	नादौती	0.60
7.	सपोटरा	हा. सै. स्कूल में अतिरिक्त कमरों का निर्माण	सपोटरा	0.77
8.	करौली	,, ,,	करौली	0.76
			योग -	5.13

शर्तें—

1. निर्माण कार्य हरिजन बस्ती के मध्य उपयुक्त स्थान पर ही करवाया जावे।

2. स्वीकृत सीमा से अधिक राशि का भुगतान जन सहयोग से किया जावे।

3. निर्माण कार्य निर्धारित नक्शे/तकमीने के अनुसार किया जावे। नक्शा स्वीकृति आदेश के साथ संलग्न है। तकनीकी जानकारी अभिकरण से प्राप्त कर ली जावे।

4. निर्माण कार्य पं. समिति के क. अभियन्ता द्वारा सहा. अभियन्ता के सुपरवीजन में कराया जावे।

5. कार्यों का पूर्ण होने पर नियमानुसार कम्पलीशन सर्टिफिकेट सहा. अभियन्ता के प्रतिहस्ताक्षर सहित लेखा आदि अभिकरण को प्रस्तुत करने होंगे।

6. नियमित मासिक प्रगति रिपोर्ट पृथक से तैयार कर समय पर भिजवाये जावे।

ह0/
अति. कलेक्टर (विकास)
सवाई माधोपुर।

बौली कस्बे में सामुदायिक सभा भवन से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट

दिनांक 25-11-92

यह कि कम्युनिटी हाल के निर्माण पर आप द्वारा जांच में 41,233,25/-रु. का व्यय बताया गया उक्त व्यय का मूल्यांकन तक नहीं करवाया जबकि यह निर्माण कार्य वर्ष 1989 का है कार्य अपूर्ण है, निर्माण कार्य का मूल्यांकन कनिष्ठ अभियंता से कराये जाना आपके कर्त्तव्य में आता है जिसकी आप द्वारा पालना नहीं की गई है जो आपके मनमाने तरीके से कार्य करने का द्योतक है।

उक्त आरोप के सम्बन्ध में आरोपी सरपंच ने अपने बयानों में बताया कि कम्युनिटी हाल का निर्माण मेरे द्वारा कराया गया है तथा इसके लिए 60,000/-रु.

(274)

की स्वीकृति हुई थी तथा मौके पर 44,233.25/रु. का व्यय किया गया है जिसका मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता, पं. स. बौली द्वारा करा लिया गया है । आरोप निराधार है किन्तु इसके विपरीत महासचिव, अनुसूचित जाति विकास परिषद बौली श्री ओमप्रकाश डमोरिया अपने प्रा. पत्र अंकित किया है कि हरिजन बस्ती में समाज कल्याण भवन बनाने हेतु डी. आर. डी. ए. से 60,000/– रु राशि स्वीकृत हुई किन्तु श्री शिवचरण सरपंच, जी बौली द्वारा निर्माण बहुत ही घटिया कराया गया एवं इसमें हल्का मैटीरियल का उपयोग कर फर्जी बिल लगा कर राजकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है । श्री रामेश्वर मित्तल ने भी अपने प्रा. पत्र में जाहिर किया है कि सरपंच जी द्वारा 45,000/– रु. खर्च होना बताया गया है किन्तु क. अभियन्ता, पं. स. बौली द्वारा मूल्यांकन 19,000/– का किया है इस प्रकार 26,000/- का स्पष्ट रूप से सरपंच जी द्वारा गबन किया गया है ।

आरोप संख्या 5 की ताहिद में गवाहान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से आरोपी सरपंच के विरुद्ध कम्युनिटी हाल के निर्माण में अनियमितता पूर्ण कार्यवाही किया किया जाना एवं मौके पर निर्माण का मूल्यांकन नहीं कराये जाने के कारण आरोप पूर्ण रूप से सिद्ध होता है । आरोपी सरपंच अपने बचाव में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर सका ।

अत: आरोप सं. 5 आरोपी सरपंच के विरुद्ध सिद्ध होता है ।

जांच प्रतिवेदन मय रेकार्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटखावदा (चाकसू) की मृतक दाई का प्रकरण

428. श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला जयपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटखावदा, तहसील चाकसू में राजकुमारी, नर्स (दाई) के पद पर कार्यरत थी और जिसकी मृत्यु दिनांक 13-6-1989 को हुई थी ?

(2) उक्त मृतक कर्मचारी की मृत्यु के उपरान्त उसके दत्तक पुत्र श्री प्रभाती लाल सैन पुत्र श्री जोशीराम, निवासी नुआ, जिला झुन्झुनू ने अपनी माता के नौकरी सम्बन्धित वेतन, मेडिकल, जी.पी.एफ., बीमा राशि हेतु कितने प्रार्थना-पत्र प्रेषित किये और कब-कब किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त मृतक कर्मचारी की कुल कितनी राशि विभाग में कितने समय से बकाया पड़ी है ? प्रभातीलाल द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र, बीमा मनोनीत पत्र व वसीयत-

(श्री किशनराम नाई)

नामा (गोदनामा) प्रस्तुत कराने के बाद अब तक उक्त बकाया का भुगतान क्यों नहीं हो पाया ? अब यह राशि कब तक दे दी जावेगी ?

(4) उक्त मृतक के दत्तक पुत्र को नियमानुसार च. श्रे. क. के पद पर या वार्ड बॉय के पद पर सरकार कब तक नियुक्ति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कोई भी प्रार्थना-पत्र प्रेषित नहीं किया गया, वरन माननीय जिला न्यायाधीश, झुंझुनूं को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छाया प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर को दिनांक 9-7-1991 को प्रेषित की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर ने अपने पत्र संख्या 888 दिनांक 9-7-91 द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश, झुंझुनूं को वांछित प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया था जिसकी प्रति श्री प्रभातीलाल सैन को प्रेषित कर दी गई थी।

(3) मृतक कर्मचारी की रु. 3186/- की राशि का लगभग पांच वर्ष से भुगतान बकाया है।

श्री प्रभाती लाल सैन ने मात्र वसीयतनामे की छाया प्रति प्रेषित की थी। रजिस्टर्ड गोदनामा व उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए।

उक्त राशि का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार अधिकृत व्यक्ति को भुगतान किया जाना संभव हो सकेगा।

(4) दत्तक पुत्र होने के समुचित प्रमाण उपलब्ध करा दिए जाने पर नियुक्ति दिये जाने बाबत उचित कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों की लिफ्ट सिंचाई परियोजनायें

429. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) : जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विभाग की कितनी लिफ्ट सिंचाई परियोजनायें कौन-कौनसी, कहां-कहां है तथा इनकी स्वीकृति कब-कब, कितनी कितनी राशि की दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत योजनाओं में से कौन-कौनसी योजनायें अधूरी हैं? क्या सरकार इन अधूरी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

(3) क्या विभाग के पास कोई योजनायें वर्तमान में विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी एवं इनकी क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी।

उत्तर

(1) जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में विभाग की 208 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

वर्ष 1982-83 से 1993-94 तक इन योजनाओं के लिए 613.96 लाख रुपये की राशि दी गई। जिलेवार जलोत्थान सिंचाई योजना, पंचायत समिति, स्वीकृत वर्ष एवं स्वीकृति राशि की सूचना सदन की मेजे पर रखदी गई है। (परिशिष्ट '1')

(2) उक्त स्वीकृत योजनाओं में से 3) योजनाएं अधूरी हैं। जी हां। उक्त योजनाएं आगामी रबी से पूर्व विद्युत कनेक्शन उपलब्ध होने पर पूर्ण होने की आशा है। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "2")

(3) जी हां। विभाग के पास 11 योजनाएं वर्तमान में विचाराधीन हैं। बाद स्वीकृति एक वर्ष के अन्दर योजनाएं क्रियान्वित कर दी जावेगी। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "3")

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य के आयुर्वेद चिकित्सालय

430. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में नए आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक ?

(2) प्रदेश के औषधालयों में वैद्यों/कम्पाउण्डरों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं ? उन्हें भरने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) राज्य में उप निदेशक, जिला आयुर्वेद अधिकारी और उप जिला आयुर्वेद अधिकारियों के कितने-कितने स्थान रिक्त हैं तथा उन्हें अभी तक नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं ?

(4) सरकार का प्रति वर्ष एक औषधालय के लिए कितनी राशि की दवाइयां खरीदने का मानदण्ड है तथा सीकर "अ" श्रेणी औषधालय को प्रतिवर्ष कितना बजट आवंटित किया जाता है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितना-कितना ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आगामी वित्तीय वर्ष 1994-95 में केवल जनजाति क्षेत्र में 5 नवीन औषधालय खोलना प्रस्तावित हैं। स्थानों का चयन एवं चिकित्सा पद्धति का निर्धारण अभी नहीं किया गया है।

(2) विभागान्तर्गत राज्य में दिनांक 1-3-94 को आयुर्वेद चिकित्सकों के 110 पद, नर्स-कम्पाउण्डरों के 87 पद एवं परिचारक के 215 पद नवीन नियुक्ति हेतु स्पष्टतः रिक्त हैं।

आयुर्वेद चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित कर आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये थे।

नर्स-कम्पाउण्डर के रिक्त पदों पर आगामी त्रैमास में नियुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

परिचारकों के रिक्त पद भरने हेतु सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(3) वर्तमान में विभागान्तर्गत उप निदेशक का एक पद तथा जिला आयुर्वेद अधिकारी के 4 पद रिक्त हैं। उप जिला आयुर्वेद अधिकारी के नाम से कोई पद सृजित नहीं है। सहायक जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद सृजित हैं जिनका कोई पद रिक्त नहीं हैं।

इन रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) की बैठक आयोजित कर भरे जावेंगे।

(4) विभाग द्वारा औषधालयों के उपयोग हेतु दवाइयों की खरीद औषधालय-वार नहीं की जाती हैं। औषधालयों को विभागीय रसायनशालाओं में निर्मित औषधियां सप्लाई की जाती हैं। रसायनशालाओं के उपयोग हेतु "औषध क्रय" मद में एक मुश्त राशि आवंटित/स्वीकृत की जाती हैं।

औषधालयों को औषधियों की सप्लाई निर्धारित मापदण्ड के अनुसार तय सीमा के अन्तर्गत की जाती है। यह सीमा औषधालय की वार्षिक रोगी संख्या को आधार मानकर प्रति वर्ष तय की जाती है। सीमा निर्धारित करने का मापदण्ड निम्न प्रकार है :-

बहिरंग विभाग - एक रुपया प्रति रोगी प्रतिदिन।

अन्तरंग विभाग - तीन रुपये प्रति रोगी प्रतिदिन।

उक्त मापदण्ड अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में 'अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय,सीकर को 76,800/रु. की तथा सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के औषधालयों को 4,000/-रु. से 45,000/-रु. की औषध विवरण सीमा निर्धारित हैं।

उपरोक्त स्थिति में सूची सदन की मेज पर रखना अपेक्षित नहीं हैं।

रेलमगरा एवं राजसमन्द तहसीलों में राहत कार्य

431. **श्री शांति लाल खोईवाल** (राजसमन्द) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रेलमगरा एवं राजसमन्द तहसील के 75% से 100% तक ग्राम अभावग्रस्त हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार ने समस्त ग्रामों में उपयुक्त संख्या में मजदूरों को मजदूरी उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में राहत कार्य आरम्भ कर दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। रेलमगरा तहसील के कुल 94 गांवों में 50 से 74 प्रतिशत और 82 गांवों में 75 से 100 प्रतिशत खराबा आंका गया था। राजसमन्द तहसील के कुल 145 गांवों में से 32 गांवों में 50 से 74 प्रतिशत और 113 गांवों में 75 से 100 प्रतिशत खराब आंका गया था। राज्य सरकार ने दोनों तहसीलों के सभी गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है।

(2) अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य 1 फरवरी, 94 से प्रारम्भ कर दिये गये हैं। राजसमन्द जिले के लिए फरवरी,

(राज्य मंत्री अकाल सहायता)

1994 के लिए 7500 श्रमिक सीमा निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ाकर मार्च, 1994 के लिए 10 हजार कर दी गई है।

राजसमन्द तहसील में 17 एवं रेलमगरा तहसील में कुल 38 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 35 कार्यों पर 1739 श्रमिक कार्यरत हैं।

भरतपुर शहर का मास्टर प्लान

432 श्री हरिसिंह (कुम्हेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या भरतपुर शहर के मास्टर प्लान का प्रारूप बन गया है ? यदि हां, तो विश्व विख्यात घनापक्षी विहार जो राजस्थान की धरोहर है, के पर्यावरण की रक्षार्थ घने के आस-पास के क्षेत्र को मास्टर प्लान में "ग्रीन बेल्ट" के रूप में रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो "ग्रीनबेल्ट" क्षेत्र से कितने व्यक्तियों के पक्के भवन बनाये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भवन का निर्माण सम्बन्धित नियमों के अनुकूल हुआ है? और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस नियम विरुद्ध निर्माण को हटाने की कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। आस पास के क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट के रूप में रखा गया है। ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में निर्मित पक्के मकानों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) तीन भवनों, जिनका विवरण सूचि में अंकित है के अतिरिक्त भवनों का का निर्माण नियम विरुद्ध किया गया है। इन नियम विरुद्ध किये गये निर्माण के मामलों में राजस्थान भू राजस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 90 ए सपठित धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही चालू है। 8 व्यक्तियों को बेदखली के आदेश भी जारी किये जा चुके हैं।

सूची अवैध निर्माण जो घना पक्षी विहार ग्रीन बैल्ट में है।

क्र. सं.	निर्माणकर्ता	निर्माण का प्रकार	साईज (फुट में)	ख. नं.	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1.	बाबूसिंह पुत्र टीकमसिंह	होटल खुला	138X136	1213	बेदखल अन्तर्गत धारा 90 ए एल. आर एक्ट दिनांक 11-1-93
2.	देवीसिंह पुत्र रामचरण	आवास व होटल	60X40 115X75	1211 ,,	बेदखल दि. 11-1-93
3.	चन्दनसिंह पुत्र नत्थीसिंह	आवासीय	30X50	,,	,, ,, 14-1-93
4.	नत्थीसिंह पुत्र मोहरसिंह	आवासीय	30X30	,,	,, ,, 7-1-93
5.	रनवीरसिंह पुत्र सोहनसिंह	आवासीय	50X35	,,	स्टे कोर्ट
6.	रनवीरसिंह पुत्र मोहनसिंह	होटल सनवर्ड तार फैंसिग	50X37 100X37	,, ,,	,, ,, ,, ,,
7.	जगमोहन पुत्र श्यामलाल	बाउन्ड्री	118X40	,,	कार्यवाही जैरेकार
8.	कृष्णकुमार पुत्र हरचरनलाल	होटल खुला वोमिनो तार फैंसिग	425X93 75X93	,, ,,	,, ,, ,, ,,
9.	डाक्टर साहब	नींव भरी हुई	40X30	,,	,, ,,
10.	लालसिंह पुत्र सोहनसिंह	आवासीय	60X40	,,	बेदखल दि. 7-1-93
11.	कप्तानसिंह	आवासीय	60X40	,,	कार्यवाही जैरेकार

280

1	2	3	4	5	6
12.	करतारसिंह पुत्र भगवानसिंह	आवासीय	60X40	,,	,, ,,
13.	विजयपाल सिंह मालिक श्रीमती शशीदेवी पत्नी योगेन्द्रसिंह	होटल ट्यूरिस्ट	100X55	,,	,, ,,
14.	हातीसिंह पुत्र महाराजसिंह	होटल ईगलनेस्ट	260X165	,,	,, ,,
15.	महताबसिंह पुत्र महाराजसिंह	होटल संगम	170X120	,,	पुराना बना हुआ है।
16.	डा. तेजभानसिंह सहायक बीज प्रमाणिकरण अधिकारी	दुकान	50X30	,,	कार्यवाही जैरेकार
17.	,, ,,	आवासीय	170X170	,,	,, ,,
18.	तेलूराम पुत्र आशाराम	आवासीय	40X80	,,	,, ,,
19.	प्रतापसिंह पुत्र रेवतीसिंह	होटल आ. वा.	275X120	,,	बेदखल दि. 27-5-92
20.	हरभानसिंह पुत्र भीमसिंह	दुकान व आ.	40X80	,,	कार्यवाही जैरेकार
21.	नानगराम (आर. एस. ई. बी.)	दुकान	18X25	,,	,, ,,
22.	बच्चूसिंह वगैरह पि. सुक्खन	आवासीय दुकान, मंदिर	211/ बीघा	1211 व 1212	,, ,,
23.	जयपालसिंह पुत्र सुबेदार विजयसिंह	डेयरी	92X52	1212	बेदखल दि. 9-11-92
24.	सन्तोष पुत्र रायदयाल खाती	आवासीय	35X35	,,	,, ,, ,,
25.	रमेशचन्द्र पुत्र बुद्धिराम खटीक	आवासीय	35X44	,,	,, ,, 31-7-92
26.	गजराजसिंह पुत्र दीपचन्द	आवासीय	90X30	,,	कार्यवाही जैरेकार
27.	महावीरसिंह पुत्र मोहरसिंह	आवासीय	30X43	,,	,, ,,
28.	कन्डेलसिंह पुत्र हरिसिंह	आवासीय	30X45	,,	,, ,,

29.	अजयसिंह पुत्र किशनसिंह	होटल पेलीकोन	35X53	,,	,,	,,
30.	हरभानसिंह पुत्र भीमसिंह	आवासीय	40X60	,,	,,	,,
31.	हरभानसिंह पुत्र भीमसिंह	नोहरा	20X60	,,	,,	,,
32.	वासुदेव पुत्र गिरवर जाट	आवासीय	60X40	,,	,,	,,
33.	रवतीप्रसाद सिकरौदा	आवासीय	20X60	,,	,,	,,
34.	धोरीसिंह कुन्तल पुत्र करणसिंह	आवासीय	60X55	1212	कार्यवाही	जैरकार
35.	श्रीमती पार्वती पत्नी मुक्तेश्वरनाथ मिश्रा		30X44	,,	,,	,,
36.	सुजानसिंह पुत्र रामसिंह जाट	आवासीय	30X50	,,	,,	,,
37.	महादेवी पत्नी वासुदेव जाट	आवासीय	55X50	,,	,,	,,
38.	नरेन्द्रलाल सिंह पुत्र हरचरनलाल	आवासीय	55X50	,,	,,	,,
39.	तेजपालसिंह पुत्र साहबसिंह	आवासीय	35X45	,,	,,	,,
40.	लालाराम पुत्र डालचन्द कुन्तल	आवासीय	35X55	,,	,,	,,
41.	श्रीमती जयदेवी पत्नी देवीसिंह	आवासीय	30X45	,,	,,	,,
42.	निरंजनसिंह पुत्र भगवानसिंह	आवासीय	60X45	,,	,,	,,
43.	रामावतार सिंह पुत्र जिलेदार सिंग	,,	35X60	,,	,,	,,
44.	देवकीनंदन पुत्र स्वामी श्याम स्वरूप	,,	35X55	,,	,,	,,
45.	आ. ए. दीक्षित पुत्र द्वारिका प्रसाद	,,	77X52	,,	,,	,,
46.	श्रीमवती पत्नी देवपालसिंह	,,	35X55	1211	,,	,,
47.	जयपालसिंह राना पुत्र चन्द्रपाल सिंह	,,	35X55	,,	,,	,,
48.	वदनसिंह पुत्र रामकरन जाट	,,	65X90	,,	,,	,,
49.	कमलेश पत्नी कुशलसिंह एड.	,,	60X60	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	
50.	हरिसिंह पुत्र गोपीराम	आवासीय	60x40	1211	कार्यवाही	जेरकर
51.	जयवीर सिंह (न्याय विभाग)	,,	40x45	,,	,,	,,
52.	बृजेन्द्रसिंह पुत्र हरवलसिंह	,,	90x45	,,	,,	,,
53.	दीवान सिंह पुत्र श्यामा चाह	नींव	55x82	,,	,,	,,
54.	मतावसिंह होती, सिंह वगैरह	आवासीय मकान व नौहरा	311/बीघा	,,	,,	,,
55.	राजेन्द्र सिंह	आवासीय	58x43	,,	,,	,,
56.	रामदुलारी	,,	57.7x46.6	,,	,,	,,
57.	गौतम पाराशर	,,	20x13	,,	,,	,,
58.	शिवचन्द	,,	26x41	,,	,,	,,
59.	महेश कुमार	,,	26x41	,,	,,	,,
60.	डा. मसरूर अहमद	,,	30x48	,,	,,	,,
61.	रामवीर सिंह	,,	40x53	,,	,,	,,
62.	श्रीमती स्वराज फौजदार पत्नी रेवेन्द्र सिंह	होटल घना ऐजेन्सी	–	–	नियमानुसार मंजूरी है लीज रेन्ट देता है।	
63.	भवन सिंचाई विभाग	कार्यालय	–	–	सरकारी कार्यालय काफी पुराना बना हुआ है।	
64.	मन्दिर महादेव जी	–	–	–	–	
65.	ईंट का भट्टा जीवन ईंट	भट्टा	–	–	भट्टा पुराना है कार्यवाही चल रही है।	

जिला कलक्टर, भरतपुर

खेरवाड़ा-झांझरी अन्तर्राज्यीय सड़क

433. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा से झांझरी सड़क गुजरात राज्य को मिलाने वाली अन्तरराज्यीय सड़क है ? यदि हां, तो यह सड़क कितने किलोमीटर कच्ची है ?

(2) क्या यह भी सही है कि खैरवाड़ा के नेशनल हाईवे नं. 8 से अहमदाबाद पहुंचने एवं खैरवाड़ा से वाया झांझरी होकर अहमदाबाद जाने में 30 किलो मीटर की कम दूरी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग का डामरीकरण करने का विचार रखती है ।

उत्तर

(1) जी हां ।

इस सड़क का 13 कि. मी. भाग कच्ची सड़क है ।

(2) जी नहीं ।

खैरवाड़ा से रा. रा. मार्ग 8 द्वारा अहमदाबाद तथा खेरवाड़ा से झांझरी होते हुए अहमदाबाद की दूरी मात्र 10 कि.मी. का अन्तर है । वर्तमान में इस सम्पूर्ण सड़क को डामरयुक्त बनाना विचाराधीन नहीं है ।

बन्द कल्याण सुन्दरम सीमेंट फैक्ट्री का पुनर्संचालन

434. श्री दलीचन्द (दानपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांसवाड़ा जिले के दानपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत बारी लालपुरा में कल्याण सुन्दरम सीमेंट फैक्ट्री कब से बन्द पड़ी है ?

(2) क्या सरकार उक्त सीमेंट फैक्ट्री को चालू करने का विचार कर रही है । यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मैं कल्याण सुन्दरम सीमेंट फैक्ट्री अगस्त, 1989 से बन्द पड़ी है ।

(2) कम्पनी की परिसम्पत्तियों को, जो कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा 3 जनवरी, 1994 को कब्जे में ली गई है, नये उद्यमी को अंतरण/विक्रय कर चालू कराना चाहता है । इस कम्पनी के समापन के लिए वर्ष 1990 में बी. आई. एफ. आर. ने सिफारिश करने का निर्णय लिया था । बी. आई. एफ. आर. के निर्णय के विरुद्ध कम्पनी ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील दायर की थी जिसमें प्राधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 21 जुलाई, 1993 को अपील को खारिज कर दिया । कम्पनी ने बी. आई. एफ. आर. एवं ए. ए. आई. एफ. आर. के निर्णयों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में नवम्बर, 1993 में अपील दायर की है, जो न्यायालय में विचाराधीन है । राजस्थान वित्त निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

शेरगढ़ तहसील की नसंरीज

435. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(1) शेरगढ़ तहसील में गत 3 वर्षों में कितनी नर्सरियां कायम की गई व कितनी बन्द की गई ?

(2) क्या यह सही है कि इस रेगिस्तानी भू-भाग में विभाग की तरफ से जितने भी कार्य किये गये हैं वे सब असफल रहे हैं और जो पौधे लगाये गये थे उनमें से 5 प्रतिशत से ज्यादा पौधे जिन्दा नहीं रहे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि इस तहसील में जितनी भी तारबन्दी की गई थी और जितने भी टीबे स्थायीकरण किये गये थे, वे सब समाप्त हो गये हैं और कंटीले तारों को लोग चोरी कर ले गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) शेरगढ़ तहसील में गत 3 वर्षों मे कोई नई नर्सरी कायम नहीं की गई है। चोरड़िया एवं देछाला नर्सरी जो पूर्व वर्षों में कायम की गई थी लेकिन बन्द पड़ी थी उनमें वर्ष 90-91 से पुनः कार्य प्रारम्भ किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। अतः जांच का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

निर्वाचन क्षेत्र गंगरार में भूमि विकास बैंक की शाखाएं

436. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या गंगरार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में भूमि विकास बैंक की गंगरार व रासमी में कोई शाखा खुली है ? यदि नहीं तो क्या पूर्व में खुली थी ? यदि हां तो उन्हें बन्द करने के क्या कारण रहे तथा सरकार इन स्थानों पर अब तक बैंक की शाखाएं पुनः खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं। बैंक की एक शाखा पूर्व में खुली हुई थी। बैंक द्वारा शाखा बन्द करने का कारण गिरती हुई आर्थिक स्थिति एवं असक्षमता रहे हैं। भविष्य में बैंक की आर्थिक स्थिति सुदृढ होने पर बैंक से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बैंक हित में शाखा खोलने के औचित्य परीक्षणोपरांत ही उक्त स्थानों पर पुनः शाखा खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25 फरवरी, 1994)

घग्घर नदी की बाढ़ से हुआ नुकसान

56. श्री अमराराम (धोद) : क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमराराम)

(1) गत वर्ष घग्घर नदी की भयंकर बाढ़ ने जिला गंगानगर के कितने क्षेत्र में खरीफ की खड़ी फसलों को तबाह किया व कितने ट्यूबवेल व मकानात को हानि हुई? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्यपाल महोदय द्वारा बाढ़ प्रभावित किसानों की सहायता व बाढ़ से बचाव कार्यों की घोषणा की थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये व अब तक दी गई सहायता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1993 में घग्घर नदी में आई भयंकर बाढ़ से जिला गंगानगर की 9164.016 हैक्टेयर क्षेत्रफल में फसलों की क्षति हुई तथा 1076 परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए एवं 1242 ट्यूबवेल क्षतिग्रस्त हुए। सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–'क')

(2) जी हां, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा बाढ़ प्रभावित किसानों को सहायता तथा बाढ़ बचाव कार्यों की घोषणा की गई थी। इसके अन्तर्गत निम्न कार्यवाही की गई है:–

1– क्षतिग्रस्त मकानों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रभावित 1076 परिवारों को 10,87,500/– रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। तहसीलवार विवरण परिशिष्ट–'क' संलग्न है।

2– राजस्व विभाग की आज्ञा दि. 8.10.93 द्वारा बाढ़ पीड़ित काश्तकारों का चालू वर्ष का राजस्व लगान (भू-राजस्व) माफ कर दिया गया।

3– राजस्व विभाग की आज्ञा दि. 8.10.93 के द्वारा प्रभावित काश्तकारों के लिए आबयाने के चुकारे में देय तिथि से 6 माह के लिये स्थगित किए जाने की छूट प्रदान कर दी गई।

4– प्रभावित काश्तकारों को 400/– रू. प्रति हैक्टेयर की दर से एग्रीकल्चर इनपुट सबसिडी दिये जाने के लिए कृषि विभाग को दिनांक 14.9.93 को निर्देशित किया गया।

जिला श्रीगंगानगर में वर्ष–1993 में आई भयंकर बाढ़ से नुकसान का विवरण

क्रमांक	नाम तहसील	फसलों की क्षति क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	क्षतिग्रस्त ट्यूबवेल्स की संख्या	ऐसे परिवारों की संख्या जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए	क्षतिग्रस्त मकानों के लिए दी गई सहायता (रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1.	टिब्बी	1,329	153	18	13,000/-
2.	हनुमानगढ़	3.764	663	874	8,84,000/-
3.	पीलीबंगा	1,855	306	27	39,500/-
4.	सूरतगढ़	1,015	53	—	—
5.	श्रीविजयनगर	962,026	65	145	1,42 500/-
6.	अनुपगढ़	238.099	02	12	8,500/-
	योग—	9,164.016	1,24[illegible]	1,076	10,87,500/-

जिला कलेक्टर (सहायता)
श्रीगंगानगर

पंचायत समिति भोपालगढ़ व ओसिया का पुनर्गठन

437. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) पंचायत समिति भोपालगढ़ एवं ओसिया में कितने नये गांव बने ?

(2) इन दोनों पंचायत समितियों में कितनी पंचायतों का पुनर्गठन किया गया ? प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या इन पुनर्गठन की गई पंचायतों के पुनर्गठन की शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो किस-किस पंचायत के पुनर्गठन की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, ओसिया में 31 पंचायत समिति, भोपालगढ़ में 1 नया राजस्व गांव बने हैं।

(2) पंचायत समिति, ओसियां में 19 व पंचायत समिति, भोपालगढ़ में 4 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है। प्रति सदन की मेज पर रख दी है ।

(3) जी नहीं, पंचायत समिति भोपालगढ़ के ग्राम डोडियाना के पुनर्गठन के सम्बन्ध में एक सिविल रिट याचिका संख्या 6238/92 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में श्री रूप सिंह बनाम सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई है जो अभी तक न्यायालय के विचाराधीन हैं।

पंचायत समिति, ओसियां एवं भोपालगढ़ के अधीनस्थ नये राजस्व ग्रामों की सूची

क्र. सं.	नये राजस्व ग्राम का नाम
1	2
1	हुडभानसागर
2.	हणियां
3.	ओमपुरा
4.	बेटूकला
5.	विनायकपुरा
6.	भीमसागर
7.	बापिणा खुर्द
8.	भाम्बुओं की ढाणी
9.	पंडित जी की ढाणी
10.	भाखरों की ढाणी
11.	जैलू
12.	राडियाबेरा
13.	बैदाकाबेरा
14.	डिगाडी
15.	हरिपुरा
16	जाटोपुरा
17.	सिधियों की ढाणी
18.	भंवरासोड
19.	लाखेटा
20.	बासनी डांवरा
21.	भानसागर
22.	भारानगर
23.	पल्ली -I
24.	पल्ली -II
25.	पनासर खुर्द
26.	एकलखोरा
27.	भानी की ढाणी
28.	केरलानाडा

(288)

1	2
29.	करणानियां की ढाणी
30.	इन्दों की ढाणी
31.	भायांडिया

पंचायत समिति, भोपालगढ़

1.	देवनगर

पंचायत समिति, ओसियां में वे भोपालगढ़ पुनर्गठित पंचायतों की सूची

1. ग्राम पंचायत नवरासांड
2. ग्राम पंचायत निम्बा का तालाब
3. ग्राम पंचायत खिन्दाकौर
4. ग्राम पंचायत नांद रख
5. ग्राम पंचायत भीमसागर
6. ग्राम पंचायत नांदियाखु
7. ग्राम पंचायत अनवाणा
8. ग्राम पंचायत एकलखोरी
9. ग्राम पंचायत बाना का बास
10. ग्राम पंचायत भैंसरं कोटवाली
11. ग्राम पंचायत बड़ला बासनी
12. ग्राम पंचायत चौरासनी
13. ग्राम पंचायत बालरवा
14. ग्राम पंचायत उम्मेदनगर
15. ग्राम पंचायत कारटी
16. ग्राम पंचायत जोइन्तरा
17. ग्राम पंचायत खारडा भैंवासा
18. ग्राम पंचायत कजनाऊ कलां
19. ग्राम पंचायत संतोडा खुर्द

पंचायत समिति, भोपालगढ़

1. ग्राम पंचायत मलार
2. ग्राम पंचायत पालडी राणावता
3. ग्राम पंचायत गारासनी
4. ग्राम पंचायत बाडाकलां

राजगढ़ (अलवर) का रैफरल चिकित्सालय

438. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कस्बा रामगढ़ (अलवर) में रैफरल अस्पताल कब बनाया गया ?

(2) रैफरल अस्पताल में नियमानुसार किस-किस प्रकार की सुविधाएं (मय स्टाफ के) होनी चाहिये ?

(3) रामगढ़ (अलवर) के रैफरल अस्पताल में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

(4) रैफरल अस्पताल की आवश्यकतानुसार इस अस्पताल में यह सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कस्बा रामगढ़ (अलवर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 11(13)चि. स्वा. /11/दिनांक 6-4-91 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जा चुका है।

(2) रैफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 30 रोगी शैय्याएं, दो

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

कनिष्ठ विशेषज्ञ, दो चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, रोगी वाहन, एक्सरे मशीन तथा प्रयोगशाला आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

(3) रैफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ में प्रश्न के भाग दो में एक्सरे मशीन के अलावा वर्णित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

(4) समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर अन्य स्थानों के साथ-साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ में भी एक्सरे मशीन उपलब्ध कराने पर विचार करना संभव हो सकेगा।

ग्राम फिरवासी (लाडनूं) का होम्योपैथिक चिकित्सालय

439. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील लाडनूं, जिला नागौर के ग्राम फिरवासी में होम्योपैथिक चिकित्सालय कब से है और उसमें कब से कब तक डाक्टर रहा तथा वर्तमान में जो वैद्य लगा रखा है वो कब से है ?

(2) क्या होम्योपैथिक चिकित्सालय में सरकार द्वारा होम्योपैथिक दवाइयां सप्लाई की जाती है ? यदि हां, तो वहां पर आयुर्वेद चिकित्सक को लगाने का क्या औचित्य है ?

(3) क्या इस चिकित्सालय को आयुर्वेद चिकित्सालय के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर जिले की लाडनूं तहसील के ग्राम फिरवासी में होम्योपैथिक औषधालय दिनांक 28-2-76 से संचालित है, इसमें पदस्थापित होम्योपैथिक चिकित्सक का विवरण निम्न प्रकार है: —

नाम चिकित्सक	पद स्थापन अवधि
1. श्री सुरेश यादव	30-8-77 से 14-9-78 तक
2. श्री रणजीतसिंह	14-9-78 से सितम्बर, 1979 तक
3. श्री मोहनसिंह शेखावत	सितम्बर, 1979 से 15-2-83 तक
4. श्री केवलकिशोर माथुर	15-2-83 से 31-10-83 तक
5. श्री रघुनाथसिंह	20-4-84 से 30-6-89 तक
6. श्री राजबहादुर सिंह	9-8-89 से 31-8-91 तक

(राज्य मंत्री आयुर्वेद)

वर्तमान में होम्योपैथिक चिकित्सक का पद रिक्त है। वैद्य या आयुर्वेद चिकित्सक का पदस्थापन होम्योपैथिक चिकित्सालय में नहीं किया जाता है।

(2) जी हां।

होम्योपैथिक औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक नहीं लगाये जाते हैं।

(3) विभाग में किसी चिकित्सा पद्धति के औषधालय को अन्य चिकित्सा पद्धति के औषधालय में परिवर्तित करने के नियम नहीं है। फिर भी यदि स्थानीय जनता की मांग होम्योपैथिक औषधालय को आयुर्वेद औषधालय में परिवर्तित करने की प्राप्त होती है तो होम्योपैथिक औषधालय को स्थानान्तरित कर दिया जावेगा किन्तु उसके स्थान पर क्षतिपूर्ति के रूप में आयुर्वेदिक औषधालय वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही खोला जा सकेगा।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य

440. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या अकाल राहत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में प्रत्येक जिले की कितनी तहसीलों के कितने-कितने गांव अकालग्रस्त हैं ?

(2) अजमेर जिले की किन-किन तहसीलों के कितने-कितने गांवों में कितनी-कितनी प्रतिशत फसलें खराब हुई हैं ?

(3) राज्य की किन-किन तहसीलों में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं तथा इन अकाल राहत कार्यों पर कितने-कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

(4) अजमेर जिले की किस-किस तहसील में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कौन-कौन से राहत कार्य करवाये जा रहे हैं ?

(5) राज्य के किस-किस अकालग्रस्त क्षेत्र में पशुओं के लिए चारे और पानी का अभाव है ? इन अभावों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाएं हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार ने ग्राम स्तर से जिला स्तर तक ऐसी जनसतर्कता समितियों का गठन कर दिया है जो राहत कार्यों पर निगरानी रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक इन समितियों का गठन कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) अभाव वर्ष संवत् 2050 में राज्य के 25 जिलों की 148 तहसीलों के 22,586 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। सूचना परिशिष्ट "क" पर अंकित है।

(2) अजमेर जिले के कुल 1022 गांवों में से 109 गांवों में 50 से 74 प्रतिशत तथा 904 गांवों में 75 से 100 प्रतिशत फसल खराब आंका गया था। तहसीलवार खराबे की सूचना परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(3) राज्य की विभिन्न तहसीलों में प्रारम्भ किये गये अकाल राहत कार्य तथा

(राज्य मंत्री अकाल राहत

राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों की संख्या परिशिष्ट-"ख" में अंकित है।

(4) अजमेर जिले की सभी 6 तहसीलों में विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों के माध्यम से क्षतिग्रस्त तालाबों की मरम्मत/सड़क निर्माण/स्कूल के कमरों का निर्माण/चार दीवारियों का निर्माण कार्य/पटवार घर/पंचायत भवन/नाली निर्माण/खंरजा/चारागाह/मेड़बंदी आदि कार्य कराये जा रहे हैं।

(5) राज्य के 25 अभावग्रस्त जिलों में से अब तक 11 जिलों से चारे की कमी के कारण चारा व्यवस्था किए जाने की मांग प्राप्त हुई है। इन जिलों को स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से न लाभ न हानि के आधार पर राज्य के अन्य जिलों से या राज्य के बाहर से चारा मंगवाने एवं वितरित करवाने के लिए अधिकृत किया जा चुका है। चारा परिवहन अनुदान की दरें भी निर्धारित की जा चुकी है। और आवश्यकतानुसार धनराशि भी आवंटित की जा चुकी है। स्वंयसेवी संस्थाओं को चारा वितरण के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए धनराशि भी जिला कलेक्टर्स को उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध करवाई गई है।

पेयजल व्यवस्था के लिए जिन जिलों में विभागीय टैंकर्स उपलब्ध थे उन्हें मरम्मत के लिए वांछित राशि उपलब्ध करवादी गई है। इसके अलावा आवश्यकतानुसार ट्रेक्टरट्रोली ऊंट, लढ्ढे, बैलगाड़ी आदि से पेयजल परिवहन के लिए जिला कलेक्टर्स को अधिकृत किया जाकर उन्हें इस प्रयोजन हेतु राशि उपलब्ध करवादी गई है।

(6) जी हां। जिला स्तर, पंचायत समिति स्तर एवं पंचायत स्तर पर अकाल राहत पर्यवेक्षक समितियों का गठन करने के आदेश जिला कलेक्टर्स को दिये जा चुके हैं।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने की योजना

441. श्री **तैयब हुसैन** (कामां):- क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) भरतपुर जिले की कामां तहसील में कितनी एवं कौन-कौन सी ढाणियां हैं जिनकी आबादी 250 से अधिक है?

(2) क्या सरकार के पास उन ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिये प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक राजस्व ग्राम घोषित कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले की कामां तहसील में 250 से अधिक आबादी वाली निम्न नो ढाणियां है:-

1. टायरा
2. लड्डूका
3. बासनदेरा
4. धूलवास
5. खाडियाबास
6. बेईमानवास (डेरा डवास
7. मुनियकी
8. उदेलवास
9. मालीपुरा

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं। तहसील कामां का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विधानसभा क्षेत्र डीग में पंचायत मुख्यालय हेतु सम्पर्क सड़कें

442. श्री अरूणसिंह (डीग): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र डीग में पिछले 5 वर्षों में किस-किस पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ा गया ?

(2) अब किस-किस ग्राम को कब तक पंचायत मुख्यालय से जोड़ने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र डीग में पिछले पांच वर्षों में निम्नलिखित 5 पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़क से जोड़ा गया है:–

1. खेज ब्राह्मण (1136)
2. निगोही (1114)
3. श्योरावली (993)
4. बरौली चौथ (1826)
5. सामई (1173)

(2) विधान सभा क्षेत्र डीग में पंचायत मुख्यालय बरौलीधाऊ (1386), दांतलोठी (1295), जाटोली थून (1460) को सड़क से जोड़ने हेतु विश्व बैंक कृषि विकास स्कीम में सम्मिलित किया गया है तथा इन गांवों को अगले 2 वर्ष में सड़कों से जोड़ना प्रस्तावित है। जिन पंचायत मुख्यालयों की आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 से कम है उन्हें सड़कों से जोड़ना वित्तीय संसाधनों के अभाव में वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

राज्य सेवा के अधिकारियों को चयनित वेतनमान देने बाबत

443. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने दिनांक 25-1-1992 को आदेश जारी कर अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारियों को 9, 18, व 27 की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान दिये जाने का प्रावधान किया है ?

(2) क्या यह सही है कि अखिल भारतीय सेवाओं एवं महाविद्यालय के व्याख्याताओं के लिए समयबद्ध वेतनमान देने का प्रावधान पूर्व से ही है ?

(3) यदि हां, तो राज्य सेवा के अधिकारियों को ही चयनित वेतनमान/समयबद्ध पदोन्नति से वंचित क्यों किया गया है ?

(4) क्या सरकार राज्य सेवा के अधिकारियों को भी दिनांक 29-1-1992 से ही चयनित वेतनमान देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक तथा कितने

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। अखिल भारतीय सेवाओं में केवल जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक ही समयबद्ध वेतनमान देने का प्रावधान है। उससे ऊपर नहीं। इसी प्रकार महाविद्यालय के व्याख्याता के लिये 8 वर्ष एवं 16 वर्ष पर क्रमशः वरिष्ठ वेतन श्रृंखला एवं चयनित वेतन श्रृंखला देने का प्रावधान है, परन्तु पदोन्नति के पद समयबद्ध वेतनमान में नहीं है।

(3) जी नहीं। राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर प्राप्त हैं।

(4) जी नहीं। प्रश्न संख्या 3 में उल्लेखित कारण से राज्य सेवा के अधिकारियों को चयनित वेतनमान देने का औचित्य नहीं है।

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था

444. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही कि तहसील मारवाड़ जंक्शन में अनुसूचित जाति बाहुल्य जोड़दुदोड़ नामक ग्राम में बिजली पहुँचाने हेतु बिजली के खम्भे खड़े किये गये थे ? यदि हां, तो कब तथा कितने खम्भे कहां से कहां तक खड़े किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि गरीब लोगों द्वारा विभागीय अफसरों की मांग की पूर्ति न किये जाने पर खम्भे वापस उखाड़ लिये गये? यदि हां, तो कब व किन कारणों से ?

(3) जोड़दुदोड़ में कुओं पर तथा घर के विद्युतीकरण कराने बाबत कितने आवेदन किस-किस वर्ष में भरे गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम जोड़दुदोड़ दिनांक 8-3-1979 विद्युतीकृत घोषित किया गया था। यह ग्राम नोन-पोटेन्शियल है। मंडल नियमानुसार आवेदन प्राप्त होने पर उक्त ग्राम में बिजली पहुंचाने हेतु कुल 39 खम्भे पिपलिया से दुदोड़ तक वर्ष 1988-89 में खड़े किये गये थे।

(2) जी नहीं, उक्त ग्राम की लाईन के खम्भे आंधी/तूफान/वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गये थे तथा इस ग्राम में कोई कनेक्शन दिया हुआ नहीं होने के कारण क्षतिग्रस्त लाईन का सामान चोरी हो जाने के डर से स्टोर में रख लिया गया है।

(3) जोड़दुदोड़ में कृषि कनेक्शन हेतु 5 आवेदन वर्ष 1986-87 तथा एक आवेदन वर्ष 1987-88 में प्राप्त हुये थे जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है :-

क.सं.	आवेदक का नाम	वर्ष	श्रेणी	मांग पत्र राशि जमा कराने की तारीख
1.	स्वरुप राम/गुलाबी बावरी	1986-87	कृषि	—
2.	जोधाराम/चतराजी	,,	,,	—
3.	लादाराम/जैताराम बावरी	,,	,,	—
4.	प्रतापराम/पूनम	,,	,,	—
5.	चेलाराम/श्रवाजी	,,	,,	29-3-88
6.	डूंगाराम/खुशालजी	1987-88	,,	29-3-88

उपरोक्त में से चार आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा नहीं कराने के कारण प्रकरण निरस्त किये जा चुके हैं, एवं शेष दो आवेदकों द्वारा पुनः एल फार्म प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। घरेलू अथवा अन्य श्रेणी के कनेक्शन हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये।

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत रोजगार के लक्ष्य

445. **श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :** क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा जयपुर जिले में अकाल राहत कार्यों पर कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार के साधन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है ? इन्हें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी मजदूरी देना तय किया गया ? उक्त मजदूरी दिन के आधार पर देय होगी अथवा काम के आधार ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जयपुर जिले में अकाल राहत कार्यों के लिए फरवरी माह हेतु 8,000 श्रमिक सीमा निर्धारित की गई थी जिसे मार्च, 1994 के लिए बढ़ाकर 12 हजार कर दी गई है।

राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान 22 रुपये प्रतिदिन देय है।

यह मजदूरी कार्य मात्रा (टास्क बेसिस) के आधार पर देय है, परन्तु कम से कम न्यूनतम गारन्टीड मजदूरी 14/- रुपये प्रतिदिन होगी।

पंचायत समिति दांतारामगढ़ व पिपराली की प्राथमिक शालाएं

446. **श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़):-** क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

(1) पंचायत समिति दांतारामगढ़ व पंचायत समिति पिपराली में कुल कितनी प्राथमिक शालाएँ चल रही हैं तथा उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि छात्रों की संख्या के आधार पर अध्यापक नहीं होने से बहुत सी शालाओं में पढ़ाई का कार्य बिल्कुल नहीं होता है?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार इस सत्र में पर्याप्त मात्रा में अध्यापकों के पद स्वीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) पंचायत समिति दांतारामगढ़ में 173 पिपराली एवं पंचायत समिति में 100 प्राथमिक शालाएँ चल रही हैं जिनमें अध्ययनरत छात्रों की संख्या पंचायत समिति दांतारामगढ़ में 19596 तथा पंचायत समिति; पिपराली में 12827 है। पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) इस सत्र में अतिरिक्त अध्यापकों के पदों के सृजन का कोई विचार नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पाक विस्थापित आबादियों हेतु चिकित्सा व्यवस्था

447. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाक विस्थापितों की पार्वतीनगर, डेलीतलाई, अमरपुरी, ढाणी धनजी आबादियों में कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नही हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या डेलीतलाई पर जहां भवन उपलब्ध है, वहां शीघ्र ही चिकित्सालय मय एम्बुलेन्स के स्वीकृत किये जाने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, पाक विस्थापितों को जो पार्वतीनगर, डेली तलाई एवं ढाणी धनजी की आबादी में रहने वालों को चिकित्सा सुविधा पूगल एवं जयमलसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से एवं अमरपुरा उपकेन्द्र से ही उपलब्ध कराई जाती है, इनके लिए कोई चिकित्सा संस्थाएँ/पृथक से स्वीकृत नहीं है, क्योंकि ये अभी कोई राजस्व ग्राम नहीं है।

(2) जी, नहीं।

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 594 की सूची

नगर परिषद, अजमेर से सा.नि.वि. को स्थान्तरित सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	सा.नि.वि. द्वारा रख-रखाव में लेने का वर्ष	आज तक हुआ व्यय (रु.लाखों में)
1	2	3	4
1.	सक्युर्लर रोड़वेज से मेयो कॉलेज	80-81	23.51
2.	मेयो कालेज लिंक रोड, मेयो कालेज से नसीराबाद रोड क्रासिंग	,,	9.50
3.	सावित्री कालेज रोड़, कलेक्ट्रेट से लोहागढ़	,,	12.01
4.	कचहरी रोड़, आर.पी.एस.सी. से महात्मा गांधी भवन	,,	11.96
5.	श्रीनगर रोड़, कि-मी, 0 से 4	,,	29.49
6.	अजमेर अरड़का रोड़, कि.मी. 0 से 5	,,	21.07
7.	पुष्कर रोड़, महावीर सर्किल से रीजनल कालेज	,,	55.15
8.	रा.उ.मा. 8 से रिजर्व पुलिस लाईन	,,	5.98
9.	रा.उ.मा. 8 (मोडल जेल) से अजमेर-अरड़का रोड़	,,	8.68
10.	रा.उ.मा. से अरडका रोड़ (राय भवन) वाया कलेक्ट्रेट निवास	,,	8.58
11.	कलेक्ट्रेट चोराहे से रिजर्व पुलिस लाईन	,,	8.64
12.	रा.उ.मा. 8 (चांद ढुलाई खाना) से जे.एल.एन होस्पिटल	,,	4.64
13.	अजमेर पुष्कर रोड़ से फाई सागर	,,	24.51
14.	रा.उ.मा. 8 डाकबंगले से अजमेर क्लब		1.10
15.	अजमेर क्लब से सर्किट हाउस चौराहा	,,	4.49
16.	मेडिकल कालेज से आइसोलेशन वार्ड	,,	0.62
17.	आदर्श नगर कोलोनी की सड़कें	,,	1.49

1	2	3.	4
18.	जान्सगंज अजमेर की सड़कें	,,	1.07
19.	भगवान गंज की सड़क	,,	0.23
20.	क्रिश्चियन गंज कोलोनी की सड़क मय एल.आई.सी. कालोनी	,,	1.79
21.	अलवर गेट से जी.सी.ए. क्रासिंग	83-84	2.44
22.	धोलाभाटा नयाघर से गुलाबबाड़ी	88-89	1.20
23.	लिंक रोड़ ब्यावर रोड़ से बिहारी गंज वाया जान्सगंज	..	5,75
24.	जोन्सगंज से एच.एम.टी. वाया गड्डीमालयान	,,	7.51
25.	उत्तरी गेट से अजयनगर	..	9.76
26.	जी.सी.ए. क्रासिंग से डिग्गीचौक	89-90	5.30

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 599 का विवरण

वर्ष 1993-94 में वन विकास कार्यों पर व्यय राशि

(रुपये लाखों में)

क्र. सं	नाम योजना कार्यक्रम	उपलब्ध संसाधन (संशोधित प्रावधान)	व्यय राशि माह जनवरी, 1994 तक
राज्य योजना			
(अ)	वानिकी सेक्टर	4500.00	2972.54
(ब)	भू-संरक्षण सेक्टर	90.00	66.00
(स)	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (पुष्कर विकास)	31.40	21.50
केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं			
(अ)	वानिकी सेक्टर	1215 98	611.87
(ब)	भू-संरक्षण सेक्टर	1011.58	538.00
क्षेत्र विकास योजनाएं			
(अ)	डी.डी.पी.	2304.58	1350.00
(ब)	डी.पी.ए.पी	221.27	155.00
(स)	सी.ए.डी. इ.गा.न.. परियोजना	1404.92	889.16
(द)	विश्व खाद्य कार्यक्रम 2773 (जनजातिक्षेत्र)	205.25	115.00
(य)	अन्य योजनाएं	312.53	130.73
	योग	11297.51	6849.80

नागौर जिले में सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाये जाने हेतु आवंटित राशि एवं कराये गये कार्यों का विवरण

(क) वर्ष 1992-93 में आवंटित राशि एवं कराया गया कार्य

क्र. सं.	कार्य स्थल का नाम	आवंटित राशि	व्यय राशि	कराये गये कार्य का विवरण
1	2	3	4	5
1.	बागोठ–भखरी	0.969 लाख	0.954 लाख	वर्ष 1989-90 में 37 रो.कि. मी. में कराये गये वृक्षारोपण का संधारण।

1	2	3	4	5
2.	रेण–ग्यारसनी	0.316 लाख	0.315 लाख	वर्ष 1990-91 में 10 रो.कि.मी. में कराये गये वृक्षारोपण का संधारण।
3	कायमसनी धनेरिया	0.316 लाख	0.304 लाख	,, ,,
4.	मैंरुदा–हरसौर	0.316 लाख	0.308 लाख	,, ,,
5.	गोगेलाव–सोगड़	0.316 लाख	0.316 लाख	,, ,,
6.	माताजी–दुगस्ताऊ	0.316 लाख	0.292 लाख	,, ,,
7.	दौलतपुरा–डीडवाना	0.316 लाख	0.297 लाख	,, ,,
8.	नॉवा-पांचोता	0.316 लाख	0.316 लाख	,, ,,
9.	मंगलाना–नारायणपुरा	0.316 लाख	0.312 लाख	,, ,,
10.	खीवसर–पीपला	1.661 लाख	1.614 लाख	वर्ष 1991-92 में कार्य स्वीकृत परन्तु 20 रो.कि.मी. अग्रिम कार्य व वृक्षारोपण के 92-93 में करवाये गये
11.	मण्डावरा-मीठडी	1.661 लाख	1.649 लाख	,, ,,
12.	बोरावड़–कालवा	1.857 लाख	1.808 लाख	,, ,,
		8.676 लाख	8.485 लाख	

(ख) वर्ष 1993-94 में आंवटित राशि एवं करवाया गया कार्य

1	2	3	4 व्यय 2/94 तक	5
1.	बागोट-भवरी	0.869 लाख	0.556 लाख	वर्ष 89-90 में 37 रो. कि.मी. में कराये गये वृक्षारोपण का संधारण।
2	गोगेलाव-सोगड़	0.262 लाख	0.1[illegible]6 लाख	वर्ष 90-91 में 10 रो. कि.मी. में कराये गये वृक्षारोपण का संधारण।

(300)

1	2	3	4	5
3.	मंगलाना-नारायणपुरा	0.262 लाख	0.167 लाख	,, ,,
4.	माताजी-डुगस्ताऊ	9.262 लाख	0.225 लाख	,, ,,
5.	दौलतपुरा-डीडवाना	0.262 लाख	0.231 लाख	,, ,,
6.	हरसोर-भैरूंदा	0.622 लाख	0.221 लाख	,, ,,
7.	नांवा-पांचोता	0.262 लाख	0.238 लाख	,, ,,
8.	कल्यासनी-धनेरिया	0 262 लाख	0.206 लाख	,, ,,
9.	रेण-ग्यारसनी	0.262 लाख	0.196 लाख	,, ,,
10.	खीवसर-पांचला	0.632 लाख	0.592 लाख	वर्ष 92-93 में 20 रो. कि.मी. में कराये गये वृक्षारोपण का संधारण ।
11.	मण्डावरा-मीठड़ी	0.632 लाख	0.609 लाख	,, ,,
12.	बोरावड़-कालवा	0.632 लाख	0.496 लाख	,, ,,
13.	निम्बीजोधा-भरनांवा	5.244 लाख	2.241 लाख	अग्रिम कार्य ऐंगल आयरन व बारवड़ वायर क्रय खड्डे खुदवाना व पौधे तैयारी कार्य 30 रो.कि,मी.
14.	दौलतपुर-चौलूखा	3,496 लाख	1.497 लाख	अग्रिम कार्य ऐंगल आयरन व बारवड़ वायर क्रय, खड्डे खुदवाना व पौधे तैयारी कार्य 20 रो. कि. मी.
15.	सीठड़ी-नावां	4.370 लाख	1.869 लाख	अग्रिम कार्य ऐंगल आयरन व बारवड़ वायर क्रय, खड्डे खुदवाना व पौधे तैयारी कार्य 25 रो. कि. मी.
16.	नारायणपुरा-कुचामन	4.370 लाख	1.707 लाख	,, 25 रो.कि.मी
17.	मंगलाना-नारायणपुरा	4.370 लाख	1.87 लाख	,, 25 रो. कि.मी.
18.	पीपलाद-करकेड़ी	3,370 लाख	1.082 लाख	,, 25 रो. कि.मी,
19.	कलरू-मोकाला	3.466 लाख	2.163 लाख	,, 20 रो. कि.मी.
20.	हरसोर-मोड़ी	5.244 लाख	2.211 लाख	,, 30 रो. कि,मी.
		39.801 लाख	18.563 लाख	

301

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 600 की प्रति

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक :-प. 7 (61) राजस्व/8/84 पार्ट-1 जयपुर, दिनांक 26-11-91

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

विषय --वित्त शीर्ष समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित कर निदेशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार विमर्श किया जाकर मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 186/91 द्वारा राजस्थान विकास निगम के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिया गया है :-

राजस्थान विकास निगम को तुरन्त प्रभाव से बन्द कर दिया जावे और स्टाफ इस निगम में कार्यरत हैं उसे वापस ले लिया जावे। अब राजस्थान वन विभाग निगम हेतु कोई योजनायें विभाग तैयार कर सत्यापन वित्त की व्यवस्था कर लेगा तब इस निगम को पुनर्स्थापित करने पर विचार किया जावेगा।

कृपया उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में आवश्यक प्रस्ताव इस विभाग को अति शीघ्र भेजने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

उप-शासन सचिव

(302)

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 601 का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	पेड़ लगाने का लक्ष्य	लगाये गये पेड़ों की संख्या	व्यय राशि	सृजित मानव दिवस	जीवित वृक्षों का अनुमानित प्रतिशत	नष्ट पौधों का अनुमानित प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बीकानेर	54,17,350	45,75 843	1,53,47,300	3,38,702	85-90	10-15
2.	झुन्झुनू	24,70,000	24,66,600	1,78,92.721	4 26,886	82-87	13-18
3.	झालावाड़	9,91,000	9,91.000	56.91,100	2,061949	70-75	25-30
4.	सवाईमाधोपुर	8,14,500	8,14,500	33,70,811	85.478	77 82	18-23
5.	बांसवाड़ा	30,68,500	32,55,500	1,23,47,968	6,84 682	80-85	15-20
6.	सिरोही	12,67,325	12 67.325	49,91 031	2,01,777	78-83	17-22
7.	चित्तौडगढ़	36,56,700	31,53 900	1,36,29 200	4,49,661	75-80	20 25
8.	बाड़मेर	8,15 000	8,15.000	93,90,000	2,56,000	91-95	4-9
9.	धौलपुर	2,69,800	2.69 826	1,16,512	38,649	76-81	19-24
10.	पाली	11,40,000	11,40,000	42,39,000	1,53.511	71-76	24-29
11.	चूरू	6,90,000	6,90,270	84,03,000	2,67,217	75-80	20-25
12.	भरतपुर	2,76,000	2,76,500	10,83 663	44,233	74-79	21-26
13.	भीलवाड़ा	6,96,500	7,00,500	58,16,000	2,11,514	77-82	18-23

14.	गंगानगर	10,96,700	8,62 100	19,05.636	1,30,717	77–82	18–23
15.	टोंक	6 84,500	6,84,500	22,20,792	1,00,944	71–76	24–29
16.	राजसमन्द	4 29 800	4,29,800	14,30 400	58,510	65–70	30–35
17.	बारां	17 45,900	17,67,000	40,60 500	1,47,565	85–90	10–15
18,	दौसा	7 09,000	7 15,000	25,91,000	58,861	79–84	16–21
19.	डूंगरपुर	9.16,000	9 13,000	34,31,000	1 49,000	85–90	10–15
20.	नागौर	22,24,000	22.22,810	82 38,822	4,62,992	72–77	23–28
21.	जोधपुर	23,87.595	19 25,295	61,83,331	1,78,655	77–82	18–23
22.	कोटा	17,83,000	19,26,400	89 55,000	3 07,444	84–89	11–16
23.	बूंदी	4 43,500	4,43,500	19,37,900	46,714	82–87	13–18
24.	अजमेर	8,78,200	8,66.911	41,94,730	99,331	72–76	24–28
25.	जालौर	10 43,000	0,26,500	93 87,000	3,17,000	75–80	20–25
26.	जैसलमेर	25.37,125	20 75 125	79,71,624	1,75,246	60–65	35–40
27.	जयपुर	28,22,200	27,92,700	1,70,42 136	8,04,846	76–78	22–27
28.	अलवर	11 90 000	10 69 900	55,63 430	2,44,452	84–89	11–16
29.	सीकर	23.23,000	23,23,0.0	1,65,77,305	3,85,751	75–80	20–25
30.	उदयपुर	72,63,150	72,63 150	4.83,29 900	7,91,225	85–90	10–15

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 604 का विवरण

31 जनवरी, 1994 तक राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की ओर बकाया ऋणों की स्थिति का विवरण

राशि करोड़ रुपयों में

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	विवरण	बकाया 31-3-93 को	प्राप्तियां 31-1-94 1993-94 तक	योग 3+4	पुनर्भुगतान 31-1-94	शेष 31-1-94
	ऋण :—					
1.	खुले बाजार से (बोंड्स)	424.50	38.15	462.65	—	462.65
2.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/लघु भारतीय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	76.62	27.76	104.39	18.20	38.19
3.	जीवन बीमा निगम	162.76	42.06	204.82	11.35	193.47
4.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	321.22	24.97	346.29	5.12	341.07
5.	कृषि पुनः वित्त विकास निगम	0.02		0.02	—	0.02
6.	विशेष भारती क्षेत्र	24.51	4.17	28.68	3.75	24.93
7.	ऊर्जा वित्त निगम	45.79	34.23	80.02	10.58	69.44
8.	राज्य व्यापार निगम	0.11	—	0.11	0.06	0.05
9.	मुख्यमन्त्री कोष	1.50		1.50	0.19	1.31
10.	राज्य सरकार	1178.62	339.30	1517.92	21.48	1496.44
11.	कृषि विपणन बोर्ड	—	2.50	2.50	—	2.50
	योग :—	2235.66	513.14	2748.80	70.73	2678.07

गत 5 वर्षों में विद्युत् मण्डल द्वारा ऋण व ब्याज का पुनर्भुगतान किया गया की स्थिति का विवरण–

(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	पुनर्भुगतान		कुल योग
	वर्ष (वित्तीय संस्थाओं को)	ब्याज	
1988-89	49.69	76.85	126.55
1989-90	39.91	75.55	115.45
1990-91	60.82	101.56	162.38
1991-92	43.30	249.95*	293.15
1992-93	34.95	372.80*	407.75

*उपरोक्त राशि में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 में समायोजित राज्य ऋण पर ब्याज की राशि 162.81 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1992-93 में समायोजित 281.58 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

306

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 612 की सूची

वर्ष 1991

क्र. सं.	नाम ग्राम	प्रकरण संख्या	नाम आवेदक	राशि जमा
1	2	3	4	5
1.	पारडा	1/91	श्री ज्येष्ठाराम	6672=00
	पारडा	251/91	श्री कैलाश चन्द्र बघेरवाल	9597=00
2.	उदयपुर शहर	9/91	श्री खेमराज नीलकण्ड	16871=00
3.	भुवाणा	17/91	श्री ईकबाल हुसैन	3290=00
				51676=00

वर्ष 1992

1.	मनवा का खेडा	17/92	श्रीमती भारती	15200=00
2.	आयड	21/92	श्री राजकुमार कोठारी	5320=00
3.	बडगांव	100/92	श्री ओमप्रकाश	3548=00
	बडगांव	102/92	श्री इनायत अली	5105=00
				29181=00

वर्ष 1993

1.	आयड	5/93	श्रीमती कमला देवी	4668=00
2.	आयड	16/93	डा. मंजू जैन	18079=00
3.	आयड	49/93	श्री हरीप्रसाद	6881=00
4	आयड	65/93	श्रीमती सरोज	6067=00
5.	आयड	99/93	श्रीमती मंजू	6443=00
6.	आयड	101/93	श्री रमेश सोंलकी	15320=00

1	2	3	4	5
(2)	मनवा का खेडा	6/93	श्री भेरूलाल भोई	10050=00
(3)	सिसारमा	103/93	श्री कयूम अली	4950=00
(4)	देवाली	144/93	श्री निर्मल बापना	9030=30
				71488=00

क. सं.	ग्राम	प्रकरण सं.	नाम आवेदक	नियमन न होने का कारण
1.	पारडा	1/91	श्री ज्येष्ठाराम	आपसी विवाद होने से वकील प्रार्थी/अप्रार्थी की की बहस होनी है।
2.	सिसारमा	103/93	श्री कयूम अली	वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर एवं नगर विकास प्रन्यास से राय प्राप्त नहीं हुई है।

(308)

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 619 की सूचना

कमजोर बैंकों की सूची

क्र. सं.	नाम बैंक
1.	अजमेर
2.	बांसवाड़ा
3.	भरतपुर
4.	बून्दी
5.	चित्तौड़गढ़
6.	डूंगरपुर
7.	जयपुर
8.	झुंझुनू
9.	सवाई माधोपुर
10.	सीकर
11.	सिरोही
12.	टोंक
13.	उदयपुर

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 620 का विवरण

(अ) जोजावर समिति की स्थापना दिनांक 8-10-58 को हुई है, स्थापना के बाद समिति में निम्न व्यवस्थापक कार्यरत रहे हैं:-

क्रमांक	नाम व्यवस्थापक	कार्य अवधि
1.	श्री नन्हें खां/खुदा बक्स	14-7-59 से 19-5-61
2.	श्री जवाहरसिंह/किसानसिंह	20-5-61 से 6-7-61
3.	भोपालसिंह/देवीसिंह	7-7-69 से 25-6-73
4.	श्री दलपतसिंह/धूलसिंह	26-6-73 से 26-12-85
5.	श्री दलपतसिंह/धूलसिंह	27-12-85 से 31-1-86 श्री दलपतसिंह के पास जोजावर समिति का अतिरिक्त चार्ज रहा। नियुक्ति राणावास ग्राम सेवा सहकारी समिति में थी।
6.	श्री भूराराम चौधरी/कूपाराम	1-2-86 से 25-10-86
7.	श्री दलपतसिंह/धूलसिंह	26-10-86 से लगातार

(ब) भगोड़ा समिति की स्थापना दिनांक 10-4-59 को हुई है। स्थापना के बाद समिति में निम्न व्यवस्थापक कार्यरत रहे हैं:-

क्रमांक	नाम व्यवस्थापक	कार्य अवधि
1.	श्री मोहनसिंह/मगनसिंह	15-4-60 से 21-5-65
2.	श्री कृपाराम/भानाराम	22-5-65 से 18-6-68
3.	श्री भंवरनाथ/शैतान‍नाथ	19-6-68 से 20-6-77
4.	श्री दलपतसिंह/धूलसिंह	21-6-77 से 8-1-79 (अतिरिक्त चार्ज)
5.	श्री भागीरथसिंह/हीरासिंह	-1-99से लगातार

(310)

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या–624 की सूची

क्रमांक	नाम जिला सहकारी संघ	वेतन भोगी कर्मचारी अस्थाई	वेतन भोगी कर्मचारी स्थाई
1.	अजमेर जिला सहकारी संघ	एक	नहीं
2.	भीलवाड़ा ,, ,,	एक	नहीं
3.	टोंक ,, ,,	नहीं	नहीं
4.	नागौर ,, ,,	नहीं	नहीं
5.	भरतपुर ,, ,,	नहीं	नही
6.	सवाईमाधोपुर ,, ,,	नहीं	नहीं
7.	धोलपुर ,,	नहीं	नही
8.	अलवर , ,,	नहीं	नहीं
9.	जयपुर ,, ,,	दो	नहीं
10.	सीकर ,, ,,	नहीं	नही
11.	झुन्झुनू ,, ,,	नहीं	नहीं
12.	बीकानेर ,, ,,	नहीं	नहीं
13.	गंगानगर ,, ,,	नही	एक
14.	चूरु ,, ,,	नहीं	नहीं
15.	जोधपुर ,, ,,	एक	नहीं
16.	बाड़मेर ,, ,,	एक	नहीं
17.	जैसलमेर ,, ,,	नहीं	नहीं
18.	सिरोही ,, ,,	नहीं	नहीं
19.	जालौर ,, ,,	नहीं	नहीं
20.	पाली ,, ,,	नहीं	नहीं
21.	कोटा ,, ,,	नहीं	दो
22.	बून्दी ,, ,,	नहीं	नहीं
23.	झालावाड़ ,, ,,	नहीं	नहीं
24.	उदयपुर ,, ,,	नहीं	नहीं
25.	डूंगरपुर ,, ,,	नहीं	नहीं
26.	बांसवाड़ा ,, ,,	एक	नही
27.	चित्तौड़गढ ,, ,,	नहीं	नहीं

क्रमांक	नाम जिला सहकारी संघ		वेतन भोगी कर्मचारी अस्थाई (मासिक)	स्थाई (मासिक)
1.	अजमेर जिला सहकारी संघ		300/-प्र.मा. निश्चित पारिश्रमिक	-
2.	भीलवाड़ा	,,	250/-निश्चित वेतन	-
3.	जयपुर	,,	(1) 750/-प्रतिमाह	-
		,,	(2) 22/-प्रतिदिन	-
4.	गंगानगर	,,	-	1200-2050 वेतन श्रृंखला प्र. माह मूल अन्य भत्ते कुल योग 1260/- 1279- 2539/-
5.	जोधपुर	,,	500/- स्थिर वेतन	-
6.	बाड़मेर	,,	150/-मासिक पार्ट टाईम	-
7.	कोटा	,,	-	फिक्सवेतन अंतरिम राहत योग (1) 1050/-420/-1470/- (2) 675/- 270/- 945/-
8.	बांसवाड़ा	,,	600/-प्रति माह	-

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 626 की सूची

पंचायत समिति, बामनवास (सवाई माधोपुर) की निजी आय व्यय विवरण

[राशि रूपयों में]

वर्षों में आय 1991-92	1992-93	1993-94 (31 दिसम्बर 93 तक)	मद	वर्षों में व्यय 1991-92	1992-93	1993-94 (31 दिसम्बर 93तक)
1	2	3	4	5	6	7
53216.00	41469.00	75496.00	जलधारी भत्ता	28065.00	21267.00	9510.00
			शाला सामग्री	4976.00	8643.00	3260.00
			अन्य व्यय	7115.00	42.00	12849.00
			अतिरिक्त स्टाफ पर व्यय	7763.00	7693.00	6101.00
			सदस्यों के भत्ते	2620.00	—	—
			जीप पेट्रोल खर्च	7093.00	12956.00	6636.00
			स्टेशनरी व्यय	28464.00	17320.00	1200.00
			जीप मरम्मत	6815 00	16116.00	2699.00
			जीप किराया	—	8019.00	19.00.00
			जीप रजिस्ट्रेशन	—	—	19329.09
			कार्यालय भवन मरम्मत	18713.00	—	11.169.00
			विविध	25863.00	5458.00	—
			टी.आर.ए. भत्ता	—	763.00	—
			लेखा आडिट फीस	—	2000.00	6000.00
			वसूली (कमीशन)	—	—	75.00
			अन्य व्यय	105.00	74.00	43.00
53216.00	41469.00	75496.00		1,30,794.00	106,949.00	80,770.00

पंचायत समिति, बौली (सवाई माधोपुर) की निजी आय-व्यय का विवरण

(राशि रुपयों में)

वर्षों में आय 1991-92	1992-93	1993-94 (31 दिस 93 तक)	मद	वर्षों में व्यय 1991-92	1992-93	1993-94 (31 दिस 93 तक)
228389.00	320687.00	70200.00	शिक्षाकर	52155.00	75385.00	44179.00
			अतिरिक्त स्टाफ पर व्यय	75725.00	36213.00	12763.00
			सदस्य भत्ता	5711.00	1573.00	–
			डाक टिकट	5848.00	–	–
			कानूनी सलाह भत्ता	4607.00	–	2259.00
			स्टेशनरी	24703.00	18072.00	10910.00
			आडिट फीस	6000.00	2000.00	7500.00
			शिक्षाकर व्यय	12498.00	–	–
			जीप मरम्मत व्यय	10066.00	–	11123.00
			जीप किराया	1925.00	–	300.00
			जीप डीजल	3955.00	–	–
			पत्र पत्रिका	2085.00	1080.00	759.00
			बिजली पानी व्यय	–	857.00	1182.00
			बैठकों में अल्पाहार	–	195.00	461.00
			टेलीफोन	–	–	986.00
			गोदाम किराया	–	–	1400.00
			टी. आर. ए. भत्ता	–	–	149.00
			क्रीड़ा प्रतियोगिता	–	–	2500.00
			विविध व्यय	–	20180.00	4100.00
228389.00	320687.00	70200.00		204979.00	155555.00	100571.00

(314)

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 629 की प्रति

कार्यालय प्रशासक एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति, बस्सी, जिला जयपुर (राजस्थान)

वादी	प्रतिवादी
1. श्री चिरंजीलाल पुत्र श्री हरसहाय शर्मा, रोजवाड़ी	1. ग्राम पंचायत भूड़ला 2. श्री हजारीलाल शर्मा वगैरह रोथवाड़ी

फैसला (अपील संख्या 58)

23.10.92 पत्रावली पेश हुई, दोनों पक्ष हाजिर हैं, प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत भूड़ला के ग्राम रोजवाड़ी में एक आम रास्ता बाबत ग्राम पंचायत भूड़ला में दिनांक 18.11.91 को एक निर्णय किया था, इस निर्णय से असन्तुष्ट होकर श्री हजारीलाल शर्मा वगैरह रोजवाड़ी ने पंचायत समिति वस्सी में अपील दायर कर दी, इस अपील पर पंचायत समिति वस्सी ने निर्णय कर पत्रावली ग्राम पंचायत भूड़ला को पुनः विचार हेतु रिमाण्ड कर दी। ग्राम पंचायत भूड़ला ने दिनांक 15.5.92 को इस पर अपना निर्णय कर दिया। ग्राम पंचायत भूड़ला के उक्त निर्णय दिनांक 15.5.92 से असन्तुष्ट होकर श्री चिरंजीलाल शर्मा, रोजवाड़ी ने अपील दायर कर दी है।

दोनों पक्षों को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत भूड़ला के निर्णय दिनांक 15.5.92 को बहाल रखते हुये अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। पंचायत मिसल मय नकल फैसला पंचायत को लोटाई जावे, मिसल नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर

क्रमांक/अपील/92/6703-6704 दिनांक 24-11-92

1. प्रशासक एवं विकास अधिकारी,
   पंचायत समिति, बस्सी।

2. प्रशासक एवं सचिव,
   ग्राम पंचायत भूड़ला, पंचायत समिति बस्सी।

विषय : बाबूलाल, चिरंजीलाल शर्मा पुत्र श्री हरिनारायण शर्मा निवासी रोजवाड़ी

बनाम

1. पंचायत समिति-बस्सी जरिये प्रशासक
2. ग्राम पंचायत भूड़ला तह. बस्सी जरिये सचिव
3. 5, हजारीलाल, मथुरालाल, रामकिशन शर्मा पुत्र श्री श्रवण निवासी रोजवाड़ी
   निगरानी विरुद्ध आज्ञा पंचायत समिति बस्सी दिनांक 23-10-92 एवं ग्राम पंचायत भूड़ला दिनांक 15–5–92

उपरोक्त विषयक निगरानी में प्रार्थना पत्र स्थगन पेश होने पर लेख है कि पंचायत समिति के आदेश 23–10–92 एवं ग्राम पंचायत भूड़ला द्वारा मि. न. 1/91 में दि. 15-5-92 को पारित आदेश की क्रियान्विति में वर्तमान स्थिति दि. 20·1·93 तक यथावत कायम रखें ।

आपके यहां की सम्बन्धित पत्रावलियां दि· 20–1–93 से पूर्व इस न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवा दें ।

316

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 631 की सूची

विद्यालय विहीन ग्राम पंचायत व ग्रामों की जिलेवार सूची

नाम जिला	विद्यालय विहीन राजस्व ग्राम
1	2
1. अजमेर	31
2. अलवर	253
3. बारां	288
4. बांसवाड़ा	247
5. बाड़मेर	315
6. भरतपुर	144
7. भीलवाड़ा	309
8. बीकानेर	40
9. बून्दी	132
10. चित्तौड़गढ़	593
11. चूरू	28
12. दौसा	127
13. धोलपुर	
14. डूंगरपुर	132
15. गंगानगर	674
16. जयपुर	273
17. जैसलमेर	121
18. जालौर	14
19. झालावाड़	339
20. झुन्झुनूं	14
21. जोधपुर	317
22. कोटा	49
23. नागौर	64
24. पाली	53
25. राजसमन्द	143
26. स. माधोपुर	221
27. सीकर	15
28. सिरोही	38
29. टोंक	267
30. उदयपुर	497
	5449

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 635 की सूची

नाम पद	पद संख्या
1. वरिष्ठ विशेषज्ञ	
स्त्री रोग	1
बाल रोग	1
नेत्र	1
2. चिकित्सा अधिकारी	5
3. मैल नर्स श्रेणी प्रथम	4
4. सिस्टर	2
5. मैल नर्स श्रेणी-द्वितीय	5
6. स्टाफ नर्स	3
7. रेडियोग्राफर	1
8. लेब टैक्निशियन	2
9. फिजियोथैरापिस्ट	1
10. टैलर	1

परिशिष्ट–16.

अतारांकित प्रश्न संख्या 643 की सूची

मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर राज्य सरकार द्वारा संचालित एक मात्र आयुर्वेद महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय में अध्यापक वर्ग के विषयानुसार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार हैं :-

विषय/विभाग	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
मौलिक सिद्धान्त	प्रोफेसर	1	–
(स्नातक स्तरीय)	लेक्चरर	1	–
	लेक्चरर (विज्ञान)	2	–
	लेक्चरर (संस्कृत)	1	–
	विवेचक	1	–
रसशास्त्र	प्रोफेसर (स्नातकोत्तर)	1	1
	प्रोफेसर (स्नातक)	1	–
	रीडर (स्नातकोत्तर)	1	1
	लेक्चरर	3	1
	इन्चार्ज फार्मेसी	1	1
	विवेचक	2	–
द्रव्यगुण विज्ञान	प्रोफेसर (स्नातकोत्तर)	1	1
	प्रोफेसर (स्नातक)	1	–
	रीडर (स्नातकोत्तर)	3	2
	लेक्चरर	4	2
	विवेचक	1	1
स्वस्थवृत्त	प्रोफेसर	1	1
(स्नातक स्तरीय)	लेक्चरर	1	–
	विवेचक	1	–
शल्यशालाक्य	प्रोफेशर	1	–
(स्नातक स्तरीय)	लेक्चरर	2	1
	विवेचक	2	–

1	2	3	3
प्रसूति स्त्रीरोग	प्रोफेसर	1	–
	लेक्चरर	2	1
	विलेचक	–	–
काय चिकित्सा	प्रोफेसर (स्नातकोत्तर)	1	1
	प्रोफेसर (स्नातक)	1	1
	रीडर (स्नातकोत्तर)	1	1
	लेक्चरर	5	2
	आर. एम. ओ.	1	1
	विवेचक	1	–
रोग विज्ञान	रीडर	1	1
(स्नातक स्तरीय)	लेक्चरर	1	–
	विवेचक	1	–
शारीर	प्रोफेसर	1	1
(स्नातक स्तरीय)	लेक्चरर	2	1
	विवेचक	2	–
		56	21

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में दिनांक 11-3-94 तक रिक्त पदों की स्थिति —

प्रोफेसर	8
एसोसियेट प्रोफेसर	14
असिसटेन्ट प्रोफेसर	12
लेक्चरर	7
	41

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 648 की सूची

क. सं.	आवास संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	बकाया राशि	नोटिस का क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	एच. 541 गांधी न.	श्री मोहन सिंह	च. श्रे. कर्म.	1,018.77	1341 दिनांक 29.10.93
2.	,, 523 ,,	श्री गुलाब सिंह	,,	640.50	1338 दिनांक 29.10.93
3.	,, 570 ,,	श्री मोहम्मद इस्लाम	,,	2,200.00	1426 दिनांक 2.11.93
4.	,, 592 ,,	श्री साबुराम	,,	563.00	1452 दिनांक 3.11.93
5.	,, 588 ,,	श्रीमती रान बाली देवी	,,	1,871.00	1449 दिनांक 3.11.93
6.	,, 590 ,,	श्री ज्ञाना राम	जमादार	1,332.00	1450 दिनांक 3.11.93
7.	,, 591 ,,	श्री रामेश्वर प्रसाद	च. श्रे. कर्म.	1,811.00	1451 दिनांक 3.11.93
8.	,, 652 ,,	श्री भीम सिंह	,,	1,709.00	1491 दिनांक 5.11.93
9.	,, 599 ,,	श्री मोहन लाल	स्वीपर	1,468.00	1494 दिनांक 5.11.93
10.	,, 654 ,,	श्री गजानन्द	च. श्रे. कर्म.	1,684.00	1512 दिनांक 6.11.93
11.	,, 562 ,,	श्री भोलाराम	,,	3,137.00	1514 दिनांक 6.11.93
12.	,, 561 ,,	श्री गगन सिंह	,,	1,465.00	1515 दिनांक 6.11.93
13.	,, 655 ,,	श्री कंवर सिंह	,,	720.00	1521 दिनांक 6.11.93
14.	,, 654 ,,	श्री गजा नन्द	,,	1,684.00	1522 दिनांक 6.11.93
15.	,, 857 ,,	श्री राधेश्याम	,,	2,049,00	1667 दिनांक 23.11.93

321

16.	,,	900 ,,	श्री गंगासिंह	,,	941.00	1713	दिनांक 24.11.93
17.	,,	886 ,,	श्री पुरण चन्द	,,	1,854.00	1706	दिनांक 24.11.93
18.	,,	888 ,,	श्री गोविन्द राम	वार्ड बाय	1,671.00	1703	दिनांक 24.11.93
19.	,,	901 ,,	श्री प्रभुसिंह	च. श्रे. कर्म.	647.00	1711	दिनांक 24.11.93
20.	,,	534 ,,	श्री चौथमल	,,	2 664.00	1820	दिनांक 10.12.90
21.	,,	562 ,,	श्री किशन सिंह	,,	881.00	1378	दिनांक 1.11.93
22.	,,	559 ,,	श्री दामोदर लाल	,,	813.00	1371	दिनांक 1.11.93
23.	,,	510 ,,	श्री मदन लाल	,,	738.30	1202	दिनांक 20.11.93
24.	एच.	515 गां. न.	श्री राजीव सिंह	च. श्रे. कर्म.	2,208.00	1217	दिनांक 20.10.93
25.	,,	518 ,,	श्री ईश्वर सिंह	,,	2,725.00	1215	दिनांक 28.10.93
26.	सी.	683 ,,	श्री प्रमोद बिहारी माथुर	व. लिपिक	1,356.00	1207	दिनांक 20.10.93
27.	,,	685 ,,	श्री द्वारका प्रसाद जोहरी	पर्यवेक्षक	6 502.00	1300	दिनांक 28.10.93
28.	,,	776 ,,	श्री हनुमान प्रसाद	कार्या. सहायक	7,081.00	1638	दिनांक 23.10.91
29.	,,	678 ,,	श्री राधा मोहन शर्मा	व. लिपिक	7,613.00	1197	दिनांक 20.10.93
30.	,,	781 ,,	श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	—	2,017.00	1637	दिनांक 23.11.93
31.	,,	782 ,,	श्री अमरचन्द पाटनी	स्टेनो	1,204.00	1644	दिनांक 23.11.93

1	2		3	4	5	6
32.	एच 785	मांन.	श्री शान्ता प्रसाद व्यास	–	6,734 00	1621 दिनांक 22.11 93
33.	,, 793	,,	श्री कंवर बहादुर नाथ	–	1,136.00	1613 दिनांक 22.11.93
34.	,, 795	,,	श्री टीकम चन्द सोनी	व. लिपिक	1,854 00	1611 दिनांक 22.11.93
35.	,, 796	,,	श्री ओम प्रकाश शर्मा	कार्या. सहा.	1 872,00	1757 दिनांक 30.11.93

ह०
निदेशक
(सम्पदा निदेशालय)
जयपुर

शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, 18 मार्च, 1994

क्र. सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5
1.	35	30	श्री अध्यक्ष ।	श्री अध्यक्ष :
2.	61	03	श्री प्रपाप सिंह (छबड़ा :	श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) :
3.	63	08	ी अमराराम	श्री अमराराम
4.	74	11	राल्य	राज्य
5.	97	11	आडिद	आडिट
6	103	15	ग्राम वा	ग्राम सेवा
7.	103	16	व्यवस्थापकों	व्यवस्थापक
8.	104	06	पंचायग	पंचायत
9.	104	07	आय-व्ययमक	आय-व्ययक
10.	145	14	कर्मचारियों की	कर्मचारियों को
11.	148	01	कम्यूटर ऑपरेटर	कम्प्यूटर आपरेटर
12.	155	16	कोदा	कोटा
13.	170	24	-43 खनिज की प्रस्तुति पर	-43 खनिज की प्रस्तुति
14.	171	01	-43 खनिज पर की कटोती प्रस्ताव	-43 खनिज पर कटौति प्रस्ताव
15.	229	फोलियो	(250	(230
16.	239	फोलियो	मार्च सं. 43	मांग सं. 43
17.	271	फोलियो	(2	(272
[illegible]	[illegible]	फोलियो	भाग सं.	मांग सं.
[illegible]	279	फोलियो	भाग सं.	मांग सं.
20.	281	फोलियो	भाग सं.	मांग सं.
21.	283	01	श्री जगदीप धनकड़ :	श्री जगदीप धनखड़ :
22.	283	25	श्री जगदीप धनकड़ :	श्री जगदीप धनखड़ :
23.	288	21	श्री परसराम मदेरणा:	श्री परसराम मदेरणा :
24.	301	फोलियो	199	1994
25.	303	फोलियो	1993	1994
26.	329	फोलियो	विधार	विचार

(324)

1	2	3	4	5
27.	329	फोलियो	(230	(330
28.	343	01	श्रीशांतिलाल (खोईवाल)	(श्री शांतिलाल खोईवाल)
29.	345	01	श्री शांतिलाल (खोईवाल)	(श्री शांतिलाल खोईवाल)
30.	347	01	श्री शांतिलाल (खोईवाल)	(श्री शांतिलाल खोईवाल)
[illegible]	365	फोलियो	13 मार्च	18 मार्च
				1994
32.	373	फोलियो	1894	1994
33.	379	फोलियो	1944	
34.	383	19	ी नरपतसिह	श्री नरपत सिंह
35.	387	01	श्री अध्यक्ष	(श्री अध्यक्ष)
36.	389	फोलियो	भाग सं.	मांग सं.
37.	389	23	श्री शांतिलाल चपलोत : (मावली)	श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :
				1994
38.	391	फोलिया	991	1994
39.	395	फोलियो	199	श्री हरिसिंह (महुआ) :
40.	399	32	श्री हरिसिंह : महुआ	आ.
41.	401	फोलियो	शा. श्री रतनलाल ताम्बी)	(श्री रतनलाल ताम्बी)
42.	421	01	श्री रूपाराम : (मकराना)-	श्री रूपाराम (मकराना) :
43.	442	29	मांग सं. 53	मांग सं. 43
44.	445	फोलिया	मांग सं. 48	मांग सं. 43
45.	447	फोलियो	श्री भरत सिंह	श्री भरतसिंह
46.	463	18	10 मार्च	18 मार्च
47.	487	फोलियो	श्री हरिसिंह महुआ :	श्री हरिसिंह (महुआ) :
48.	490	12	श्री कैलाश मेघ-यर	श्री कैलाश मेघवाल
49.	492	05	श्री सांवरलाल जाट	श्री सांवरलाल जाट
50.	499	22	श्री सांवरलाल जाट	श्री सांवरलाल [illegible]
51.	502	06	चुन्नीलाल गरासिया	श्री चुन्नीलाल गरासिया
52.	506	01	कन्हैयालाल : (बस्सी)	श्री कन्हैयालाल (बस्सी) :
53.	506	08	श्री प्रभुराम ग्रासियां (पिंडवाड़ा) :	श्री प्रभुराम गरासिया (पिंडवाड़ा)
54.	507	01	श्री सांवरलाल जाट सहायता एवं अकाल राहत मंत्री)	श्री सांवरलाल जाट (राज्य मंत्री, सहायता एवं अकाल राहत)
55.	511	08		